INSURANCE FOR ALL

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

2023-24

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट

2023–24

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रधान कार्यालय:
सर्वेक्षण संख्या 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली,
हैदराबाद–500 032. भारत
फोन: +91–40–20204000

यह रिपोर्ट बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(वार्षिक रिपोर्ट-रिटर्न, विवरण और अन्य विवरण प्रस्तुत करना)
नियम, 2000 के अनुसार प्रारूप के अनुरूप है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/13/ आईआईडीडी/एआर 2023-24 — 14 नवम्बर, 2024

सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये, बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टयों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं।

भवदीय,
देबाशीष पण्डा
अध्यक्ष

Letter of Transmittal

Ref. No. 101/13/IIDD/AR-2023-24 — 14th November, 2024

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi-110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith the Annual Report of the Authority for the financial year ended March 31, 2024 in the Form as prescribed in the Appendix of IRDA (Annual Report-Furnishing of return, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,
Debasish Panda
Chairperson

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
: +91-40-20204000, वेबसाइट : www.irdai.gov.in

Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-20204000, Website : www.irdai.gov.in

विषय-सूची

मिशन विवरण		**xix**
प्राधिकरण के सदस्य		**xxi**
आईआर्डीएआई के वरिष्ठ अधिकारी		**xxiii**

भाग – I
नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1	सामान्य आर्थिक वातावरण की समीक्षा	7
I.2	बीमा बाज़ार का मूल्यांकन	10
I.3	प्राधिकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या और विवरण	25
I.4	बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियाँ और उपाय	25
I.5	बीमाकर्ताओं द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ	28
I.6	समीक्षा	31
I.6.1	पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा	31
I.6.2	बीमाकर्ताओं के शोधन-क्षमता का अनुरक्षण	33
I.6.3	पुनर्बीमा की निगरानी	33
I.6.4	बीमाकर्ताओं के निवेश की निगरानी	37
I.6.5	स्वास्थ्य बीमा	40
I.6.6	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले व्यवसाय का विनिर्दिष्ट प्रतिशत	47
I.6.7	लेखा और बीमांकिक मानक	48
I.6.8	प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेश, आदेश और विनियम	49
I.6.9	प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ और कार्य	49
I.6.10	बीमा बाजार के कार्यचालन से संबंध रखनेवाली अन्य नीतियाँ और कार्यक्रम	49

भाग II
कार्यप्रणाली और परिचालनो की समीक्षा

II.1	बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन	60
II.2	बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध बीमा एजेंट और बीमा मध्यवर्ती	70
II.3.	बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान	84
II.4	वाद, अपीलें और न्यायलयों के निर्णय	87
II.5	बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग	87
II.6	शिकायतें	91
II.7	सलाहकार समितियों की कार्य-पद्धति	95
II.8	लोकपाल की कार्य-पद्धति	96
II.9	बीमा संघ और बीमा परिषदें	96
II.10	बीमा बाजार से संबंधित अन्य गतिविधियाँ	98

भाग III
प्राधिकरण के वैधानिक और विकासात्मक कार्य

III.1 आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन 105

III.2 पालिसी के समनुदेशन, पालिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पालिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण 105

III.3 मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना 105

III.4 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना 106

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना 106

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना 112

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही 116

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण के कार्य का संचालन करना 116

III.9 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क सलाहकार समिति के द्वारा इतना नियंत्रित और विनियमित नहीं किये जानेवाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन 120

III.10 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं को अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे 120

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन 121

III.12 शोधन-क्षमता के अनुरक्षण का विनियमन 121

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन 122

III.13 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना 122

भाग IV

संगठनात्मक मामले

IV.1	संगठन	125
IV.2	मानव संसाधन	127
IV.3	राजभाषा का संवर्धन	130
IV.4	सूचना प्रौद्योगिकी	133
IV.5	लेखा	134
IV.6	आभार-प्रदर्शन	134

बॉक्स मद

I.1	अदावी राशियों में कमी लाने की दिशा में प्रयास	27
II.1	आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 व्यापक उत्पाद समाधान के लिए समर्थकारक	66
II.2	ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व समावेशी बीमा को बढ़ावा देना	71
III.1	राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) निर्बाध दावा अनुभव की ओर	110
III.2	अग्नि, मोटर और इंजीनियरिंग, कर्मकार प्रतिकर तथा बीमा व्यवसाय की अन्य श्रेणियों से संबंधित वर्तमान प्रशुल्कों की अधिसूचना का निरस्तीकरण	114
III.3	पर्यवेक्षण और प्रवर्तन के लिए तकनीकी समर्थकारिता	119

सारणी

भाग ख

सारणी I.1	वास्तविक जीडीपी में वैश्विक वृद्धि	7
सारणी I.2	भारत के राष्ट्रीय आय अनुमान	8
सारणी I.3	आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का अनुमान	8
सारणी I.4	घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत	10
सारणी I.5	2023 में विश्व में क्षेत्र वार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि	11
सारणी I.6	2023 में विश्व में क्षेत्र वार प्रीमियम की मात्रा	11
सारणी I.7	बीमा व्यापन भारत बनाम विश्व (प्रतिशत)	12
सारणी I.8	बीमा सघनता भारत बनाम विश्व (अमेरिकी डालर)	12

सारणी I.9	जीवन बीमाकर्ताओं का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन	15
सारणी I.10	जीवन बीमाकर्ताओं का वित्तीय कार्यनिष्पादन	17
सारणी I.11	जीवन बीमाकर्ताओं के वास्तविक मृत्यु दावे	18
सारणी I.12	साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन	19
सारणी I.13	साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के वित्तीय कार्यनिष्पादन संकेतक	21
सारणी I.14	साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का खंड-वार उपगत दावा अनुपात	22
सारणी I.15	साधारण बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए व्यवसाय-वार दावे (स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	23
सारणी I.16	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय	23
सारणी I.17	साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के कार्यालय	24
सारणी I.18	पंजीकृत बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता की संख्या	25
सारणी I.19	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा स्थानन	35
सारणी I.20	सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण	36
सारणी I.21	बीमा उद्योग मे निवेश	37
सारणी I.22	31 मार्च तक जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश - श्रेणी वार	38
सारणी I.23	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशः निधि-वार (31 मार्च को)	39
सारणी I.24	साधारण, स्वास्थ्य, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के निवेश	39
सारणी I.25	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	40
सारणी I.26	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पालिसियाँ, कवर किये गये जीवन, और प्रीमियम	41
सारणी I.27	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात	42
सारणी I.28	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत भुगतान किये गये दावे (2023-24)	43
सारणी I.29	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य़ बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2023-24)	43
सारणी I.30	जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पालिसियों की संख्या, कवर किये गये जीवन, प्रीमियम	44
सारणी I.31	जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति	45
सारणी I.32	वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	45
सारणी I.33	सरकार प्रायोजित वैयक्तिक दुर्घटना योजनाओं के अंतर्गत कवरेज (2023-24)	46
सारणी I.34	सीमापार यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	46
सारणी I.35	देशी यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय	46
सारणी I.36	भारत के बाहर जोखिम-अंकित स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय	47

भाग II

सारणी II.1	जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट	72
सारणी II.2	जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों का लिंग-वार वितरण	73
सारणी II.3	बीमा व्यवसाय में सक्रिय कॉर्पोरेट एजेंट	74
सारणी II.4	जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का कार्यनिष्पादन (2023-24)	75
सारणी II.5	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट	75
सारणी II.6	जारी की गई सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों की संख्या	76
सारणी II.7	तदनुरूपी प्रायोजक एजेंसियों के पास पीओएसपीएस की संख्या	77
सारणी II.8	विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों के साथ एमआईएसपी की संख्या	78
सारणी II.9	जीवन बीमा में मध्यवर्तियों का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन (2023-24)	81
सारणी II.10	साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन (2023-24)	82
सारणी II.11	स्वास्थ्य बीमा (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर) में मध्यवर्तियों और बीमा एजेंटों का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन	83
सारणी II.12	आईआईबी के उत्पाद	86
सारणी II.13	2023-24 के दौरान दर्ज मामलों का विवरण	87
सारणी II.14	2023-24 के दौरान निपटाये गये / खारिज किये गये मामलों का विवरणः	87
सारणी II.15	2023-24 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का विश्लेषण	92
सारणी II.16	जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज अनुचित व्यापार पद्धतियों (यूएफबीपी) संबंधी शिकायतें	92
सारणी II.17	बीमा भरोसा पोर्टल के अनुसार शिकायतों की स्थिति	93
सारणी II.18	डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत और आईआरडीएआई को संदर्भित शिकायतें	95
सारणी II.19	शिकायतों की लंबित स्थिति	95

भाग III

सारणी III.1	2023-24 के दौरान संपन्न ऑन-साइट और दूरस्थ निरीक्षण रिपोर्ट	118
सारणी III.2	विनियामक कार्रवाइयों का विवरण	118

भाग IV

सारणी IV.1	31 मार्च, 2024 को प्राधिकरण की संरचना	126
सारणी IV.2	प्राधिकरण की बैठकों का विवरण	126
सारणी IV.3	2023-24 के दौरान आयोजित और प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण	126
सारणी IV.4	आईआरडीएआई में स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या	127
सारणी IV.5	आईआरडीएआई में श्रेणी-वार स्टाफ संख्या	127
सारणी IV.6	आईआरडीएआई में स्टाफ का आयु-वार वितरण	128
सारणी IV.7	आईआरडीएआई में ग्रेड-वार स्टाफ संख्या	128

चार्ट

I.1	2023-24 में वर्तमान कीमतों पर जीवीए में क्षेत्रों के प्रतिशत अंश	9
I.2	भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत (सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का प्रतिशत)	9
I.3	भारत में बीमा व्यापन	12
I.4	भारत में बीमा सघनता (अमेरिकी डालर)	13
I.5	2023 में चयनित देशों में बीमा व्यापन (प्रतिशत में)	13
I.6	चयनित देशों में बीमा सघनता 2023 (अमेरिकी डालर)	13
I.7	जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम (करोड़ रुपये)	13
I.8	जीवन बीमाकर्ताओं का नवीकरण प्रीमियम (करोड़ रुपये)	14
I.9	जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम (करोड़ रुपये)	14
I.10	जीवन बीमा प्रीमियम में खंड-वार हिस्सेदारी	14
I.11	जीवन बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ (रु. करोड़)	16
I.12	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभ (रु. करोड़)	18
I.13	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भारत में जोखिम-अंकित प्रीमियम (रु. करोड़)	19
I.14	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय (रु. करोड़)	20
I.15	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे (रु. करोड़)	22
I.16	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए दावे (स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	22
I.17	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण	24

I.18	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण	24
I.19	एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम	35
I.20	स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में क्षेत्र-वार अंश (2023-24)	40
I.21	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	41
I.22	वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर स्वास्थ्य बीमा (2023-24) के अंतर्गत कवर किये गये जीवन (लाख में) और प्रीमियम	41
I.23	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत निवल उपगत दावे	42
I.24	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्तिः क्षेत्र-वार	42
I.25	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्तिः खंड-वार	42
I.26	जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	44
II.1	जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार वैयक्ति नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन	81
II.2	जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन	82
II.3	जीवन बीमा व्यवसाय का माध्यम-वार कार्यनिष्पादन	83
II.4	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का माध्यम-वार कार्यनिष्पादन (2023-24)	84
II.5	जीवन बीमा संबंधी शिकायों का वर्गीकरण	94
II.6	साधारण और स्वस्थ्य बीमा संबंधी शिकायतों का वर्गीकरण	94
IV.1	आईआरडीएआई में ग्रेड-वार स्टाफ संख्या	128

कथन

1	बीमा पैठ की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	137
2	बीमा घनत्व की अंतर्राष्ट्रीय तुलना	138
3	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा लिखित प्रीमियम (भारत के अंदर)	139
4	2023-24 के लिए जीवन बीमा कंपनियों का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम	140
5	जीवन बीमाकर्ताओं का खंडवार कुल प्रीमियम	141
6	जीवन बीमाकर्ताओं की इक्विटी शेयर पूंजी	142
7	साधारण एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के भीतर एवं बाहर)	143
8	साधारण एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की खंडवार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के भीतर)	144
9	साधारण स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी	146

10	साधारण स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी	148
11	जीवन बीमा कंपनियों की शोधन क्षमता की स्थिति	149
12	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों का शोधन क्षमता की स्थिती	150
13	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं शोधन क्षमता	151
14	एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम (करोड़ में)	152
15	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की आवंटित पूंजी	153
16	जीवन बीमा कंपनियों के प्रबंधन के तहत आस्तियाँ (31 मार्च तक)	154
17	साधारण, स्वास्थ्य, विशिष्ट एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (31 मार्च तक)	157

अनुबंध

1	भारत में कार्यरत पंजीकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची (31 मार्च 2024 तक)	161
2(i)	भारतीय बाजार में आतंकवाद जोखिम बीमा पूल में सदस्यों की हिस्सेदारी	163
2(ii)	भारतीय परमाणु बीमा पूल में सदस्यों का हिस्सा	164
2(iii)	समुद्री कार्गो बहिष्कृत क्षेत्र पूल में सदस्यों का हिस्सा	165
3	मोटर टीपी दायित्वों की गणना के लिए डेटा (2024-25)	166
4	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/निर्देश	167
5	बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत 31 मार्च, 2024 तक बनाए गए नियम	170
6	जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची (31 मार्च 2024 तक)	175
7	2023-24 के दौरान उत्पादों और राइडर्स की संख्या	176
8	बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों के लिए शुल्क संरचना और 2023-24 में एकत्रित शुल्क	177
9	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने	179
10(i)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम) 2012-14 मानक दरें-पुरुष बीमाकृत जीवन जो प्रारंभ में चिकित्सकीय रूप से लिखित होते हैं	180
10(ii)	भारतीय वैयक्तिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012-15) समग्र / संयुक्त मृत्यु दर	181
11	टीपीए-वार नेटवर्क समझौते	183

संक्षेपाक्षर

एएफआईआर	:	एशियाई बीमा विनियमनकर्ता मंच
एएमएल	:	धन-शोधन निवारण
एएसएसओसीएचएएम	:	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
सीबीआर	:	सीमापार पुनर्बीमाकर्ता
सीएफटी	:	आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना
सीआईआई	:	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीओआर	:	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीआईओ	:	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीएससी	:	सामान्य लोक सेवा केन्द्र
सीएससी	:	सामान्य सेवा केन्द्र
डीएआरपीजी	:	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
डीएफएस	:	वित्तीय सेवाएँ विभाग
एफएए	:	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
एफएटीएफ	:	वित्तीय कार्यवाही कार्य बल
फिक्की	:	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
एफआईयू-आईएनडी	:	वित्तीय आसूचना इकाई - भारत
एफआरबी	:	विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा
एफआरएन	:	फाइलिंग संदर्भ संख्या
एफएसबी	:	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
जी.डी.पी	:	सकल घरेलू उत्पाद
जीएनडीआई	:	सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
जीवीए	:	सकल मूल्य वर्धित
आईएसी	:	बीमा सलाहकार समिति
आईएआईएस	:	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ
आईसीआर	:	उपगत दावा अनुपात
आईएफआरएस	:	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईजीसीसी	:	आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर
आईजीएमएस	:	समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली

आईआईबी	:	भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो
आईआईआईएसएल ए	:	भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान
आईआईआरएम	:	बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान
आइएमसीसी	:	अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति
आईएमएफ	:	बीमा विपणन कंपनियाँ
आईएनएफई	:	वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क
आईआरसीटीसी	:	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम
आईआरडीएआई	:	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईएनवीआईटी	:	इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स
केएमपी	:	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
केवाईसी	:	अपने ग्राहक को जानिए
एलपीए	:	लेटर पेटेंट अपीलें
एमएसीटी	:	मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
एमएफआई	:	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमआईएसपी	:	मोटर बीमा सेवा प्रदाता
एमओआरटीएच	:	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
एनबीएफसी	:	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनसीडीआरसी	:	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
एनजीओ	:	गैर सरकारी संगठन
एनओसी	:	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनएसओ	:	राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन
ओईसीडी	:	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएमओपी	:	एक और विकल्प योजना
पीएम-जेएवाय	:	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पीएमएफबीवाई	:	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमजेडीवाई	:	प्रधानमंत्री जनधन योजना
पीएमजेजेबीवाई	:	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमएलए	:	धन शोधन निवारण अधिनियम

पीएमएसबीवाइ	:	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमवीवीवाई	:	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
पीओएसपी	:	बिक्री केन्द्र विक्रेता
पीएसयू	:	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
आरएपी	:	ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति
आरबीआई	:	भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीएसएफ	:	जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचा
आरबीसी	:	जोखिम आधारित पूंजी
आरईआईटी	:	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट
आरएसएम	:	अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन
आरटीआई	:	सूचना का अधिकार
एसएएचआई	:	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता
एससीडीआरसी	:	राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
सेबी	:	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
एसएचजी	:	स्वयं सहायता समूह
एसएलए	:	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
एसपीवी	:	विशेष प्रयोजन माध्यम
टीओएलआईसी	:	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
टीपीए	:	अन्य पक्ष प्रबंधक
यूएफबीपी	:	अनुचित व्यवसाय पद्धतियाँ/प्रथाएँ
यूएलआईपी	:	यूनिट सहबद्ध उत्पाद
यूएसडी	:	अमरीकी डालर
वीएलई	:	ग्राम स्तरीय उद्यमी

मिशन वक्तव्य

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना तथा उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ बीमा उद्योग (वार्षिकी तथा सेवानिवृत्ति भुगतान सहित) का तेजी से तथा व्यवस्थित विकास करना, आम आदमी के लाभ के लिए तथा अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए दीर्घकालिक निधि उपलब्ध कराना;
- ✓ इसके द्वारा विनियमित व्यक्तियों की ईमानदारी, वित्तीय सुदृढ़ता, निष्पक्ष व्यवहार तथा क्षमता के उच्च मानकों को स्थापित करना, बढ़ावा देना, निगरानी करना तथा लागू करना;
- ✓ वास्तविक दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना, बीमा धोखाधड़ी तथा अन्य कदाचारों को रोकना तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना;
- ✓ बीमा से संबंधित वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा व्यवस्थित आचरण को बढ़ावा देना तथा बाजार सहभागियों के बीच वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानकों को लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ ऐसे मानकों के अपर्याप्त होने या अप्रभावी रूप से लागू किए जाने पर कार्रवाई करना;
- ✓ उद्योग के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में विवेकपूर्ण विनियमन की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकतम मात्रा में स्व-नियमन लाना।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष	**श्री देबाशीष पण्डा**
पूर्णकालिक सदस्य	
एक्चुअरी	**श्री परमोद कुमार अरोड़ा**
जीवन	**श्री बी. सी. पटनायक** (1 मई 2023 से)
वित्त एवं निवेश	**श्री राकेश जोशी** (1 दिसंबर, 2023 तक)
	श्री राजय कुमार सिन्हा (24 जनवरी 2024 से)
वितरण	**श्रीमती एस.एन. राजेश्वरी** (3 मार्च 2024 तक)
	श्री सत्यजीत त्रिपाठी (24 मई, 2024 से)
गैर-जीवन	**श्री थॉमस एम.देवासिया** (11 जुलाई 2024 तक)
	श्री दीपक सूद (12 अगस्त 2024 से)
अंशकालिक सदस्य	
	श्री सुचिन्द्र मिश्रा (27 जून, 2023 तक)
	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला (28 जून, 2023 से)
	सीए अनिकेत सुनील तलाटी (11 फरवरी, 2024 तक)
	सीए रंजीत कुमार अग्रवाल (12 फरवरी, 2024 से)

भा.बी.वि.वि.प्रा. के वरिष्ठ अधिकारी
(31 मार्च, 2024 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री सुरेश माथुर	आर्थिक एवं नीति विश्लेषण एवं अनुसंधान (31.01.2024 तक)
श्री रणदीप सिंह जगपाल	गैर-जीवन
डॉ. ममता सूरी	वित्त एवं निवेश तथा आंतरिक लेखा परीक्षा (30.11.2023 तक)
श्रीमती जे. मीना कुमारी	जीवन एवं पर्यवेक्षण
श्री ए.आर. निथियानाथम	कानूनी

मुख्य महाप्रबंधक

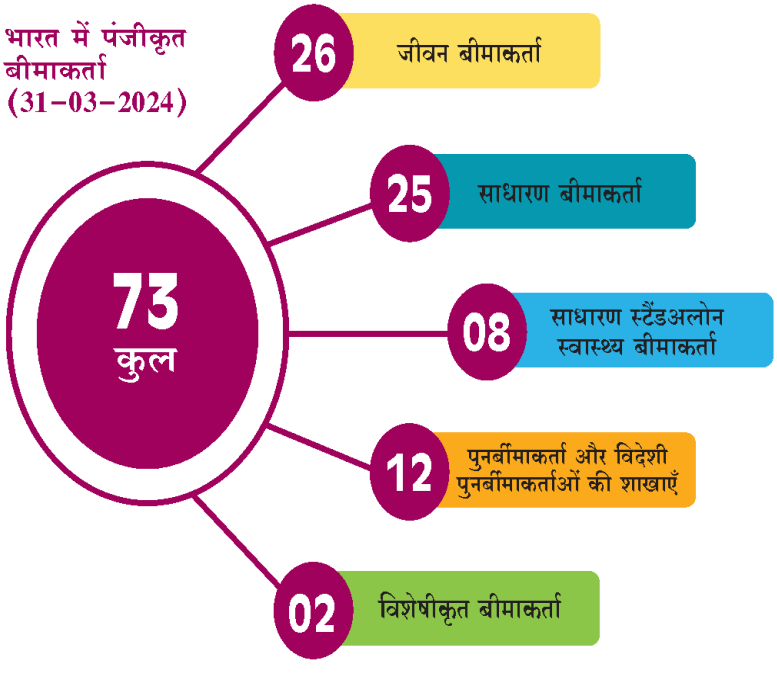
श्रीमती यज्ञप्रिया भारत	स्वास्थ्य बीमा (30.11.2023 तक)
श्री एस. एन. जयसिम्हन	आर्थिक एवं नीति विश्लेषण एवं अनुसंधान (31.12.2023 तक)
श्री ए. रमना राव	स्वास्थ्य बीमा
श्री एस.पी. चक्रवर्ती	एक्चुरियल
श्री राज कुमार शर्मा	पॉलिसीधारक संरक्षण एवं शिकायत निवारण, प्रवर्तन एवं अनुपालन
श्री डी.वी.एस. रमेश	बीमा समावेशन एवं विकास
श्री जी.आर. सूर्यकुमार	वित्त एवं निवेश
श्री पी.एस. जगन्नाथम	सामान्य प्रशासन एवं मानव संसाधन
श्रीमती अनीता जोस्युला	मध्यस्थ
श्री सुदीप्त भट्टाचार्य	मध्यस्थ
श्री के. महिपाल रेड्डी	मध्यस्थ
श्री टी.एस. नाइक	जीवन बीमा

महाप्रबंधक

श्री ए. वेंकटेश्वर राव	पॉलिसीधारक संरक्षण एवं शिकायत निवारण
श्री प्रभात कुमार मैती	एक्चुरियल एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
श्रीमती के.जी. पी. एल. रमादेवी	सामान्य प्रशासन एवं मानव संसाधन
श्री एम. एस. जयकुमार	पर्यवेक्षण
श्री टी. वी. राव	प्रवर्तन एवं अनुपालन, आंतरिक लेखापरीक्षा
श्री एन. एम. बेहेरा	स्वास्थ्य बीमा (30.04.2023 तक)
श्री पंकज कुमार तिवारी	स्वास्थ्य बीमा
श्री अम्मू वेंकट रमना	वित्त एवं निवेश
श्री सी. श्रीनिवास कुमार	एक्चुरियल
श्री एन. एस. के. प्रभाकर	जीवन बीमा
श्री मनोज कुमार	वित्त एवं निवेश
श्री महेश अग्रवाल	वित्त एवं निवेश
श्री शार्दुल अदमाने	पुनर्बीमा
श्रीमती बी. पद्मजा	अध्यक्ष सचिवालय और बोर्ड सचिवालय
श्री डी. एस. मूर्ति	गैर-जीवन बीमा
श्री दीपक खन्ना	सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन
श्री दीपक गायकवाड़	मध्यस्थ
श्री प्रसाद राव कलायारू	कानूनी
श्री सुरेश नायर	गैर-जीवन बीमा
श्रीमती निमिषा श्रीवास्तव	बीमा समावेशन और विकास
श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी	मध्यस्थ
श्रीमती लता सी.	आर्थिक और नीति विश्लेषण और अनुसंधान
श्री गोपा कुमार ई. एस.	सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन (31.05.2023 तक)
श्री संजय कुमार वर्मा	प्रवर्तन और अनुपालन
श्रीमती शिक्षा शाहा	गैर-जीवन बीमा

प्रमुखताएँ

भारत में बीमा क्षेत्र



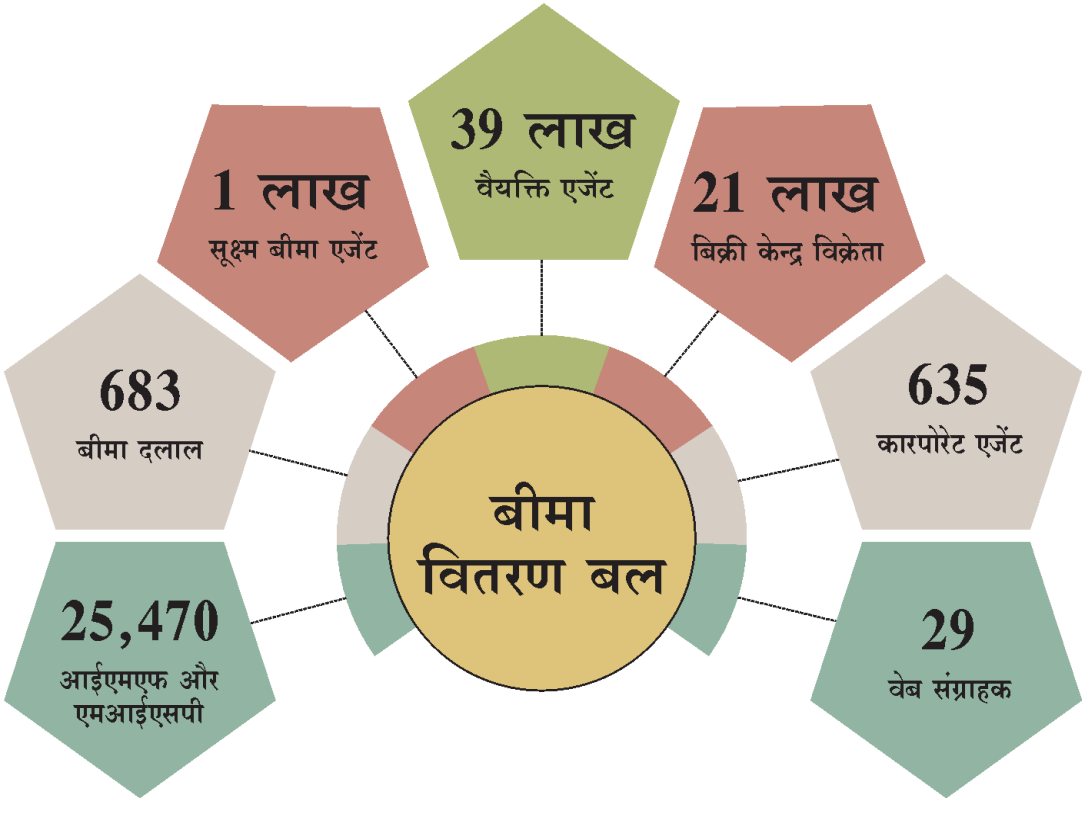
2023-24 के दौरान पंजीकृत नये बीमाकर्ता

जीवन बीमाकर्ता **1**

और

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता **2**

बीमा वितरण-एक नजर में



वित्त वर्ष 2023–24 बीमा व्यवसाय पर एक नजर

जारी की गई कुल पालिसियाँ
36,51,65,000

कुल बीमा प्रीमियम
₹ 11,19,613 करोड़

जीवन बीमा	साधारण बीमा	स्वास्थ्य बीमा
₹8,29,929 करोड़	₹1,72,978 करोड़	₹1,16,694 करोड़*

कुल प्रदत्त दावे
₹ 7,66,172 करोड़

जीवन बीमा	साधारण बीमा	स्वास्थ्य बीमा
₹ 5,77,021 करोड़	₹ 1,01,050 करोड़	₹88,101 करोड़*

कुल प्रबंधनाधीन आस्तियाँ
₹ 67,57,961 करोड़

जीवन बीमा	साधारण बीमा	स्वास्थ्य बीमा
₹ 61,56,850 करोड़	₹ 5,68,659 करोड़	₹ 32,452 करोड़

*स्वास्थ्य बीमा में व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा बीमा शामिल है।

भाग – I
नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश की समीक्षा

I.1.1 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने अप्रैल 2024 विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में उल्लेखनीय चुनौतियों, जैसे महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन, भू-राजनैतिक समस्याओं के द्वारा उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट, और मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि, के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था की असाधारण आघात-सहनीयता पर विशेष बल दिया। इन चुनौतियों के होते हुए भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से बचकर रह सकी, जो काफ़ी हद तक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वित समायोजनों के कारण था। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आगे देखते हुए, यह प्रत्याशित है कि वैश्विक वृद्धि दोनों 2024 और 2025 के लिए 3.2 प्रतिशत के एक स्थिर प्रक्षेपपथ को बनाये रख सकेगी। मुद्रास्फीति के संबंध में पूर्वानुमान है कि वह 2024 के अंत में स्थित 2.8 प्रतिशत से घटकर 2025 की समाप्ति तक 2.4 प्रतिशत होगी।

भारत का आर्थिक कार्यनिष्पादन और वैश्विक प्रवृत्तियों की तुलना में दृष्टिकोण

I.1.2 आईएमएफ के दृष्टिकोण के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि दोनों विश्व औसत और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के औसत से आगे बढ़ गई है। 2023 में भारत की जीडीपी ने 7.8 प्रतिशत तक वृद्धि की, जो उल्लेखनीय रूप में 3.2 प्रतिशत की वैश्विक वृद्धि दर और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की 1.6 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक है। यह प्रवृत्ति 2024 और 2025 के लिए किये गये पूर्वानुमानों में लगातार बनी हुई है जहाँ भारत की जीडीपी के संबंध में प्रत्याशित है कि यह क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत से वृद्धि करेगी। ये आंकड़े दोनों वर्षों के लिए 3.2 प्रतिशत की विश्व उत्पादन वृद्धि दर से काफी अधिक है तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दरों से भी अधिक है जो 2024 में 1.7 प्रतिशत पर और 2025 में 1.8 प्रतिशत पर पूर्वानुमानित है। यह अनुकूल अधिक अच्छा प्रदर्शन वैश्विक औसत और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की सुदृढ़ आर्थिक गति को रेखांकित करता है।

सारणी I.1: वास्तविक जीडीपी में वैश्विक वृद्धि

(वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन)

विवरण	2023	2024 (पू)	2025 (पू)
विश्व उत्पादन	3.2	3.2	3.2
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	1.6	1.7	1.8
उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ	4.3	4.2	4.2
चीन	5.2	4.6	4.1
भारत	7.8	6.8	6.5

पू- पूर्वानुमान। स्रोत: आईएमएफ, वर्ल्ड इकनामिक आउटलुक, अप्रैल 2024

I.1.3 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किये गये आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, भारत का सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) वर्तमान कीमतों पर 2022-23 के रु. 269.50 लाख करोड़ के मुकाबले वर्ष 2023-24 में 295.36 लाख करोड़ पर अनुमानित है जो 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।

वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में दर्ज रु. 1,94,879 की तुलना में 2023-24 के दौरान रु. 2,11,725 है जो 8.6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय 2022-23 के रु. 1,18,755 से बढ़कर 2023-24 में रु. 1,27,760 हो गया है जो 7.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करती है।

I.1.4 आधार कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) द्वारा मापी गई समग्र आपूर्ति 2022-23 में 14.0 प्रतिशत के विस्तार को दर्ज करने के बाद 2023-24 में 8.5 प्रतिशत तक बढ़ी।

सारणी I.2: भारत के राष्ट्रीय आय अनुमान

(वर्तमान कीमतों पर)

मद	2022–23*	2023–24#	वृद्धि (%)	
			2022–23	2023–24
आधार कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) (₹ लाख करोड़)	246.59	267.62	14.0	8.5
सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) (₹लाख करोड़)	269.50	295.36	14.2	9.6
सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) (₹ लाख करोड़)	273.98	299.85	14.5	9.4
प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹)	1,94,879	2,11,725	13.0	8.6
प्रति व्यक्ति जीएनडीआई (₹)	1,98,125	2,14,951	13.3	8.5
प्रति व्यक्ति निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) (₹)	1,18,755	1,27,760	13.0	7.6

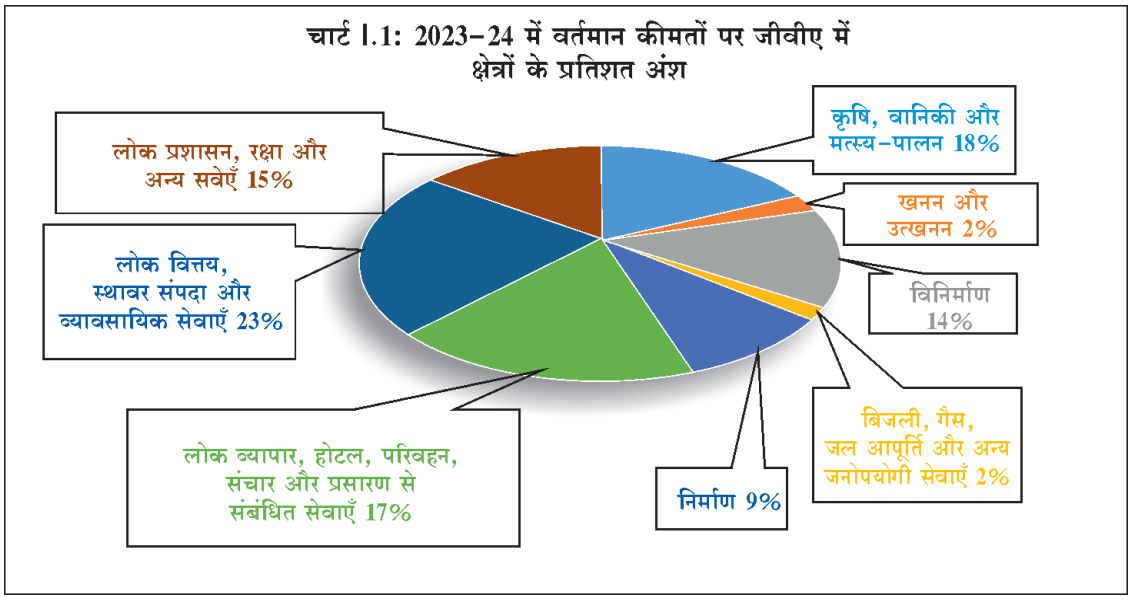
**प्रथम संशोधित अनुमान, #अंतिम अनुमान;*
स्रोत: एनएसओ, प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2024.

सारणी I.3: आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का अनुमान

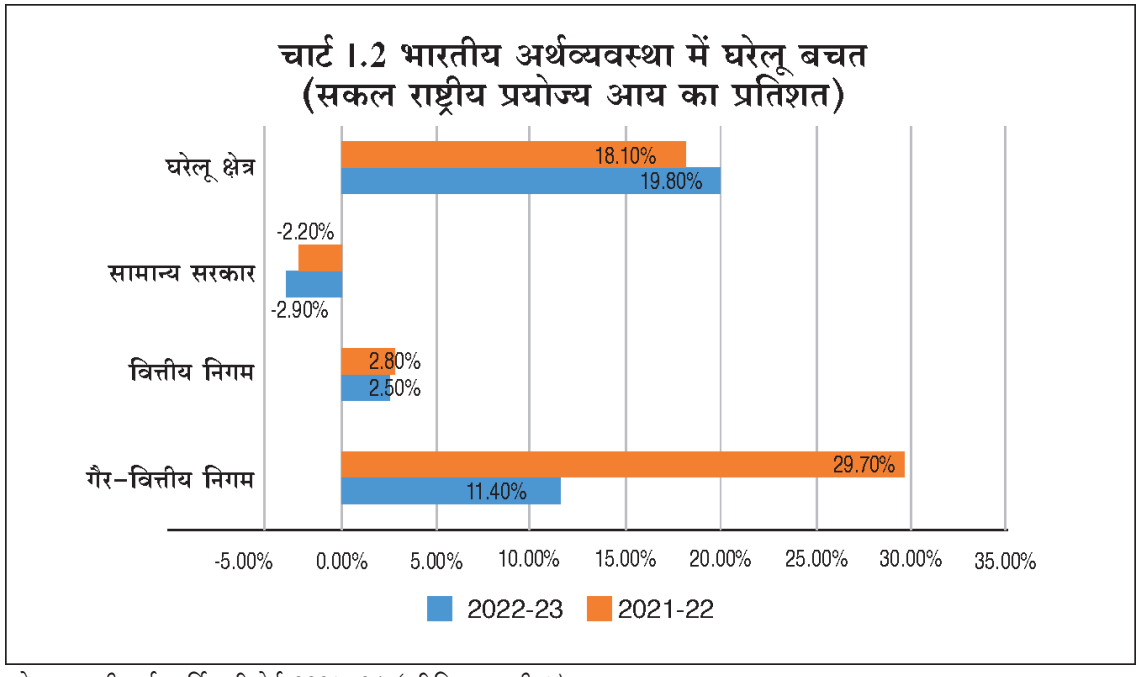
(वर्तमान कीमतों पर) (रु. लाख करोड़)

उद्योग	2022–23*	2023–24#	वृद्धि (%)	
			2022–23	2023–24
I. प्राथमिक क्षेत्र	49.78	52.51	9.7	5.5
कृषि, पशुधन, वानिकी व मत्स्य–ग्रहण	44.84	47.25	9.4	5.4
खनन और उत्खनन	4.94	5.25	12.6	6.3
II. द्वितीयक क्षेत्र	63.19	68.67	8.8	8.7
विनिर्माण	35.36	38.19	4.2	8.0
बिजली, गैस, जल आपूर्ति व अन्य जनोपयोगी सेवाएँ	6.04	6.63	4.6	9.8
निर्माण	21.78	23.83	18.7	9.4
III. तृतीयक क्षेत्र	133.60	146.43	18.3	9.6
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार व प्रसारण संबंधी सेवाएँ	44.10	46.84	20.0	6.2
वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	55.20	60.64	18.8	9.9
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	34.30	38.95	15.4	13.8
आधार कीमतों पर (जीवीए)	**246.59**	**267.62**	**14.0**	**8.5**

**प्रथम संशोधित अनुमान; #अंतिम अनुमान;*
स्रोत: एनएसओ, प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2024



I.1.5 सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के प्रतिशत के रूप में सकल देशी बचत पिछले वर्ष के 30.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 29.7 प्रतिशत हुई, जो घरेलू वित्तीय बचत (निवल) में पिछले वर्ष में दर्ज 7.2 प्रतिशत से 2022-23 में जीएनडीआई के 5.2 प्रतिशत तक कमी आने के कारण थी।



स्रोतः आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 (परिशिष्ट सारणी 3)

सारणी I.4: घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का प्रतिशत)

मद	2021–22	2022–23
घरेलू क्षेत्र बचत	**19.8**	**18.1**
i. निवल वित्तीय बचत (क–ख)	7.2	5.2
ii. भौतिक आस्तियों में बचत	12.4	12.7
iii. मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.3	0.2
क. सकल वित्तीय बचत (जिसमें से)	**10.9**	**10.9**
1. मुद्रा	1.1	0.9
2. जमा राशियाँ	3.5	4.0
3. शेयर और डिबेंचर	0.9	0.8
4. सरकार पर दावे	1.1	0.9
5. बीमा निधियाँ	2.0	2.0
6. भविष्य और पेंशन निधियाँ	2.3	2.3
ख. वित्तीय देयताएँ	**3.8**	**5.7**

स्रोतः आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023–24. (सारणी II.2.2)

I.2 बीमा बाजार का मूल्यांकन

I.2.1 वैश्विक बीमा बाजार का मूल्यांकन

I.2.1.1 स्विस आरई सिगमा रिपोर्ट (प्रकाशन सं. 03/2024) में पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है कि वैश्विक गैर–जीवन बीमा प्रीमियम में 2024 में वास्तविक रूप में 3.3 प्रतिशत वृद्धि होगी, जो मुख्य रूप से कठिन बाजार स्थितियों की निरंतरता के द्वारा संचालित है। प्रीमियमों में 2023 में 3.9 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो 2022 में विद्यमान 0.8 प्रतिशत वृद्धि से एक उल्लेखनीय सुधार है। मुख्य प्रेरक तो उन्नत बाजारों में दर की वृद्धि रही, जहाँ बीमाकर्ताओं ने बढ़ते हुए दावों को कवर करने के लिए कीमतों में वृद्धि की। जैसे जैसे दावों की मुद्रास्फीति हलकी होगी, दरों में गिरावट होने की संभावना है, और वर्ष 2025 के लिए 2.6 प्रतिशत की प्रीमियम वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में वैयक्तिक और चालू कीमत शक्ति में दर की वृद्धि द्वारा संचालित होगी। मोटर बाजार के संबंध में प्रत्याशित है कि संकुचन के तीन निरंतर वर्षों की समाप्ति पर, 2023 में वृद्धि के 5.9% तक पुनः बढ़ने के बाद 2024 के दौरान यह गति पकड़कर जारी रहेगा। तथापि, स्वास्थ्य प्रीमियमों में अमेरिका में महामारी समर्थन पालिसियों की समाप्ति के कारण गिरावट हो सकती है, जिसका प्रतिसंतुलन करते हुए व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाओं में मात्रा में वृद्धि होगी। गैर–जीवन व्यवसाय की लाभप्रदता में निश्चित रूप से सुधार होगा, जिसके साथ मंद गति से युक्त मुद्रास्फीति अंततः दावों की तीव्रता में कमी के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

I.2.1.2 स्वास्थ्य वैश्विक गैर–जीवन बीमा प्रीमियमों के आधे के निकट अंशदान करता है। स्वास्थ्य प्रीमियम के संबंध में प्रत्याशित है कि वह 2024 में वास्तविक रूप में 3 प्रतिशत वृद्धि करेगा। मजदूरी और स्वास्थ्यरक्षा व्ययों में सीपीआई मुद्रास्फीति से अधिक होने के साथ ही, स्वास्थ्य बीमा कीमत–निर्धारण के बढ़ने की संभावना है। संपत्ति बीमा प्रीमियम के विषय में 2023 में प्राप्त 6.1 अभिलाभ के उपरांत, कठोर बाजार परिस्थितियों के बने रहने पर 2024 में 4.7 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

I.2.1.3 स्विस आरई का पूर्वानुमान है कि जीवन बीमा के लिए वैश्विक प्रीमियम 2024 में वास्तविक रूप में 2.5 प्रतिशत बढ़ेंगे तथा इस वर्ष के 3 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से ऊपर उठकर 2034 तक 4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डालर तक पहुँचेंगे। उन्नत बाजारों में यह वृद्धि बचत व्यवसाय द्वारा प्रेरित होगी क्योंकि उच्चतर ब्याज दर पुनर्निर्धारण बचत उत्पादों को अधिक आकर्षक बनायेगा। उभरते बाजारों में, जीवन बीमा व्यापन का बढ़ना जारी रहेगा क्योंकि वृद्धिशील मध्यम आय घरेलू वर्ग अधिक सेवानिवृत्ति आयोजना उत्पादों की माँग करेगा। यह अनुमानित है कि दोनों जीवन और गैर-जीवन बाजारों में जारी सुदृढ़ प्रीमियम वृद्धि के साथ, वैश्विक प्रीमियम (जीवन और गैर-जीवन) 2024 में वास्तविक रूप में 7.6 ट्रिलियन अमेरिकी डालर तक 3.2 प्रतिशत बढ़ेंगे, जिसके बाद 2025 में 2.6 प्रतिशत वृद्धि तक कुछ मंदन होगा।

सारणी I.5: 2023 में विश्व में क्षेत्र वार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	-0.7	3.6	2.0
उभरते बाजार	7.8	5.3	6.6
एशिया-पैसिफिक	3.1	3.6	3.3
भारत	0.6	7.9	2.4
विश्व	1.3	3.9	2.8

स्रोत: स्विस आरई सिगमा विश्व बीमा रिपोर्ट (सं. 03/2024)

I.2.1.4 सिगमा डेटा के अनुसार, अमेरिका वैश्विक तौर पर सबसे प्रमुख बीमा बाजार बना हुआ है, जिसके कुल प्रीमियम 2023-24 में 3 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से अधिक हैं। चीन दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जिसके कुल प्रीमियम 724 बिलियन अमेरिकी डालर है। ब्रिटेन तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और जापान चौथे स्थान पर खिसक गया है। फ्रांस, जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी, लेकिन नकारात्मक विकास और मुद्रा अवमूल्यन के कारण बाजार अंश खो दी।

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय बीमा

I.2.1.5 भारत का बीमा बाजार वैश्विक रूप से सबसे तेजी से वृद्धि करनेवाले बीमा बाजारों में से एक है तथा स्विस आरई का पूर्वानुमान है कि भारत, जो वर्तमान में नंबर 10 पर है, अगले पाँच वर्षों में जी20 का सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करनेवाला बाजार होगा। यह वृद्धि संबंधी दृष्टिकोण मजबूत आर्थिक वृद्धि, उभरती हुई प्रयोज्य आय, युवा जनसंख्या, संवर्धित जोखिम जागरूकता, डिजिटल व्यापन, और विनियामक प्रगति के आधार पर है। भारत, कनाडा, और ब्राजील ने पिछले वर्ष वैश्विक प्रीमियमों में अपने अंशों में वृद्धि की। शीर्षस्थ 20 स्थानों में एशियाई बाजारों के पाँच स्थान हैं, जो बाजार अंश के 22 प्रतिशत का निरूपण करते हैं।

I.2.1.6 स्विस आरई रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बीमा बाजार ने बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और उच्च-टिकट पालिसियों के लिए कर मानदंडों में परिवर्तनों के कारण कुछ मंदी का अनुभव किया है। यहाँ जीवन प्रीमियम परिमाण 2023-24 में 0.6 प्रतिशत बढ़े हैं, वहीं गैर-जीवन बीमा क्षेत्र ने 2023-24 में वृद्धि अनुभव की है जहाँ वास्तविक रूप में प्रीमियम 7.9 प्रतिशत बढ़ गये हैं। भारत में सावधि जीवन कवरों के लिए बढ़ती हुई माँग के संबंध में अनुमान है कि यह अनुमानित 5 प्रतिशत तक वास्तविक प्रीमियम वृद्धि को बढ़ायेगी।

सारणी I.6: 2023 में विश्व में क्षेत्र वार प्रीमियम की मात्रा

(बिलियन अमेरिकी डालर में)

क्षेत्र	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	2,185.58 (37.42)	3,655.51 (62.58)	5,841.09 (100)
उभरते बाजार	703.41 (52.30)	641.67 (47.70)	1,345.08 (100)
एशिया-पैसिफिक	1,062.14 (60.30)	699.47 (39.70)	1,761.61 (100)
भारत	100.19 (73.68)	35.77 (26.32)	135.96 (100)
विश्व	2,889.00 (40.20)	4,297.18 (59.80)	7,186.17 (100)

स्रोत: स्विस आरई विश्व बीमा रिपोर्ट (सं. 03/2024)
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं

बीमा व्यापन और सघनता

I.2.1.7 बीमा व्यापन और सघनता दो ऐसे मानदंड हैं जिनका प्रयोग किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए प्रायः किया जाता है। जबकि बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियमों के प्रतिशत के तौर पर किया जाता है, बीमा सघनता का परिकलन जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के रूप में किया जाता है।

सारणी I.7: बीमा व्यापन भारत बनाम विश्व (प्रतिशत)

क्षेत्र	जीवन बीमा		गैर-जीवन बीमा		कुल (जीवन+गैर-जीवन)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
भारत	3	2.8	1	1	4	3.7
विश्व	2.8	2.9	4	4.2	6.8	7

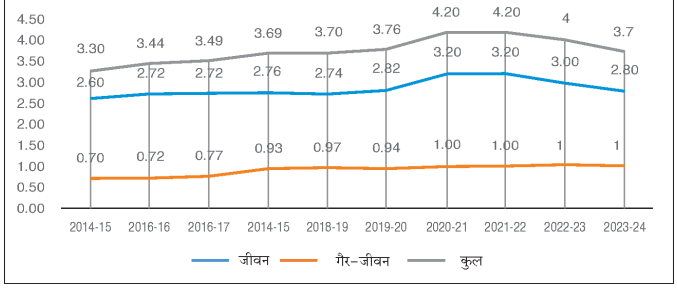
स्रोत: स्विस आरई संस्थान की सिगमा रिपोर्ट (सं. 03/2024)

टिप्पणी: भारत के लिए डेटा 12 महीनों, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 (वित्तीय वर्ष 2023-24), के लिए है, जबकि यह शेष विश्व के लिए कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए है।

I.2.1.8 2023-24 में, भारत का बीमा व्यापन 2022-23 में विद्यमान 4 प्रतिशत की तुलना में 3.7 प्रतिशत था। जीवन बीमा उद्योग के लिए बीमा व्यापन पिछले वर्ष में दर्ज 3 प्रतिशत से घटकर 2023-24 के दौरान 2.8 प्रतिशत रहा। गैर-जीवन बीमा उद्योग के संबंध में व्यापन 2022-23 में विद्यमान रूप में ही 2023-24 के दौरान 1 प्रतिशत रहा।

भारत के बीमा व्यापन और बीमा सघनता की दीर्घकालिक प्रवृत्ति चार्ट I.3 और चार्ट I.4 में प्रस्तुत है। चयनित देशों के लिए विश्व में व्यापन और सघनता की प्रवृत्तियाँ चार्ट I.5 और चार्ट I.6 में वर्णित हैं।

चार्ट I.3: भारत में बीमा व्यापन



स्रोतः स्विस आरीई, सिग्मा विश्व बीमा रिपोर्ट, विभिन्न अंक (व्यापन प्रतिशत में)

सारणी I.8: बीमा सघनता भारत बनाम विश्व (अमेरिकी डालर)

क्षेत्र	जीवन बीमा		गैर-जीवन बीमा		कुल (जीवन+गैर-जीवन)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
भारत	70	70	22	25	92	95
विश्व	354	361	499	528	853	889

स्रोत: स्विस आरई संस्थान की सिगमा रिपोर्ट 03/24

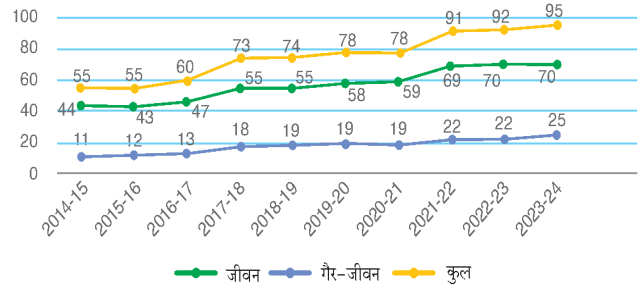
टिप्पणी: भारत के लिए डेटा 12 महीनों, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए है, जबकि यह शेष विश्व के लिए कैलेंडर वर्ष 2023 के 12 महीनों के लिए है।

I.2.1.9 2023-24 में भारत में बीमा सघनता ने एक साधारण वृद्धि दर्शाई, जो 2022-23 में दर्ज 92 अमेरिकी डालर से बढ़कर 2023-24 में 95 अमेरिकी डालर हो गई। विशेष रूप से, गैर-जीवन बीमा सघनता 22 अमेरिकी डालर से 25 अमेरिकी डालर तक बढ़ी, जबकि जीवन बीमा सघनता 70 अमेरिकी डालर पर स्थिर रही। बीमा सघनता में यह ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति 2016-17 से स्थिर रही है।

I.2.1.10 स्विस आरई सिगमा विश्व बीमा रिपोर्ट के अनुसार, बीमा व्यापन और बीमा सघनता वैश्वीक तौर पर जीवन खंड के लिए 2.9 प्रतिशत और 361 अमेरिकी डालर थी, तथा गैर-जीवन खंड के लिए 4.2 प्रतिशत और 528 अमेरिकी डालर थी। समग्र रूप से, बीमा व्यापन और सघनता 2023 में क्रमशः 7 प्रतिशत और 889 अमेरिकी डालर थी।

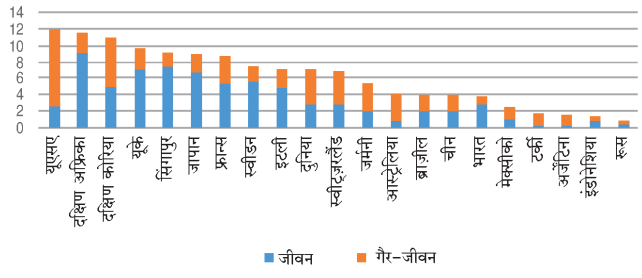
I.2.1.11 स्विस आरई द्वारा भारत में बीमा व्यापन और सघनता के अनुमान जो उसकी वार्षिक रिपोर्टों से एकत्र किये गये हैं, प्रस्तुत किये गये हैं। चयनित देशों में बीमा व्यापन क्रमशः विवरण 1 और 2 में पुनः प्रस्तुत किये गये हैं।

चार्ट I.4: भारत में बीमा सघनता (अमेरिकी डालर)



स्रोतः स्विस आरई सिगमा विश्व बीमा रिपोर्ट, विभिन्न अंक (सघनता अमेरिकी डालर में)

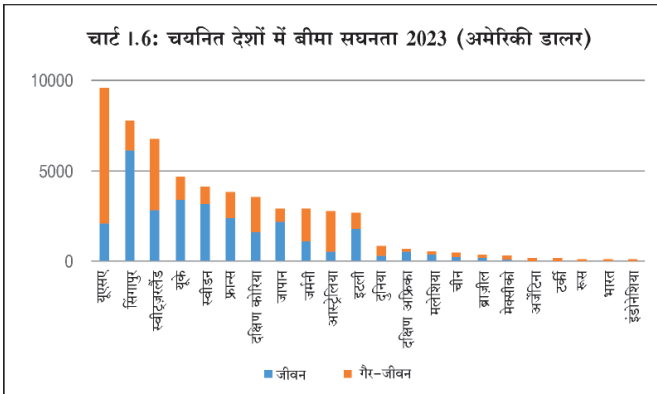
चार्ट I.5: 2023 में चयनित देशों में बीमा व्यापन (प्रतिशत में)



टिप्पणीः बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रुप में किया जाता है।

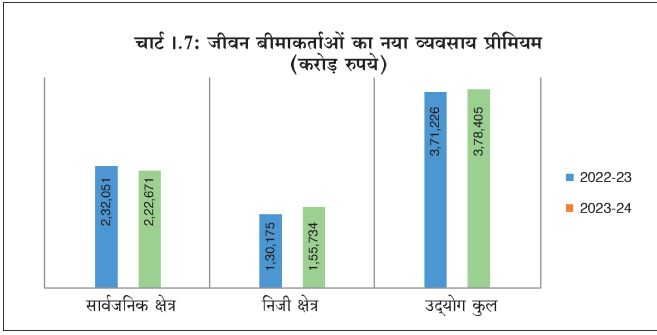
स्रोतः स्विस आरई सिगमा विश्व बीमा रिपोर्ट (सं. 03/2024)

चार्ट I.6: चयनित देशों में बीमा सघनता 2023 (अमेरिकी डालर)



टिप्पणीः बीमा सघनता का मापन जनसंख्या की तुलना में बीमा प्रीमियम के अनुपात के रूप में किया जाता है।

चार्ट I.7: जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम (करोड़ रुपये)



स्रोतः स्विस आरई सिगमा विश्व बीमा रिपोर्ट (सं. 03/2024)

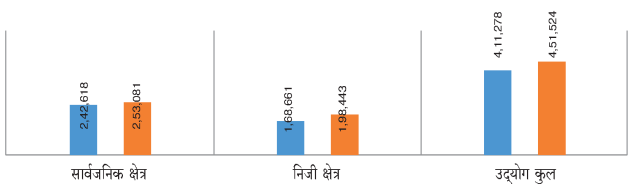
I.2.2 जीवन बीमा क्षेत्र के भारतीय बीमा बाजार व्यवसाय कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

I.2.2.1 भारत में जीवन बीमा बाजार ने वर्षों से एक सुसंगत प्रीमियम वृद्धि दर्ज की है। 2023-24 के दौरान, जीवन बीमा

उद्योग ने 6.06 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 8.30 लाख करोड़ की प्रीमियम आय अंकित की है। निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम में 15.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है, जबकि सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता ने प्रीमियम में 0.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

I.2.2.2 नवीकरण प्रीमियम 2023-24 में 54.41 प्रतिशत पर जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम में अपेक्षाकृत बड़े अंश का अंशदान लगातार कर रहा है। शेष 45.59 प्रतिशत का अंशदान नये व्यवसाय प्रीमियम द्वारा किया गया है। नये व्यवसाय प्रीमियम में वृद्धि, 9.79 प्रतिशत पर नवीकरण व्यवसाय की तुलना में 1.93 प्रतिशत है। एकल प्रीमियम उत्पाद सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता के लिए उसके कुल प्रीमियम के 38.60 प्रतिशत के अंशदान के साथ लगातार एक बड़े अंश का योगदान कर रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के लिए यह 22.38 प्रतिशत था। जीवन बीमा प्रीमियम के लिए बीमाकर्ता-वार डेटा विवरण 3 में प्रस्तुत किया गया है। संबद्ध और असंबद्ध रूप में जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम का द्विभाजन विवरण 4 में दिया गया है।

चार्ट I.8: जीवन बीमाकर्ताओं का नवीकरण प्रीमियम
(करोड़ रुपये)

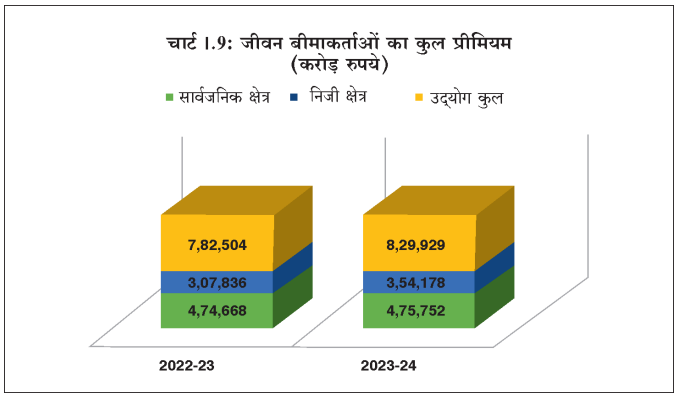


I.2.2.3 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) भारत के बाहर व्यवसाय का जोखिम-अंकन करनेवाला एकमात्र भारतीय जीवन बीमाकर्ता है तथा उसने 2023-24 के दौरान रु.476.25 करोड़ के कुल प्रीमियम का संग्रहण किया है।

I.2.2.4 कुल प्रीमियम के 85.36 प्रतिशत का अंशदान करते हुए, पारंपरिक उत्पादों ने रु.7.08 लाख करोड़ का अंशदान किया तथा संबद्ध उत्पादों का अंश 14.64 प्रतिशत रहा। पारंपरिक उत्पादों से व्यवसाय 4.56 प्रतिशत बढ़ा और यह संबद्ध उत्पादों के लिए 15.73 प्रतिशत है।

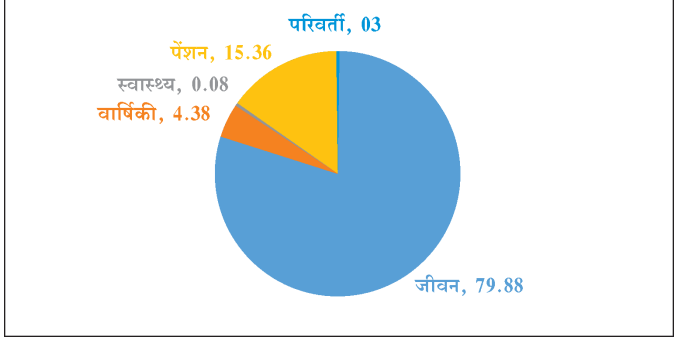
I.2.2.5 जीवन बीमा खंड कुल जीवन बीमा प्रीमियम का 79.88 प्रतिशत बनता है जिसके बाद पेंशन और वार्षिकी खंडों का स्थान है जहाँ दोनों मिलकर लगभग 19.74 प्रतिशत बनते हैं। एक विस्तृत ब्योरा विवरण 5 में दिया गया है।

चार्ट I.9: जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम
(करोड़ रुपये)



I.2.2.6 2023-24 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने वैयक्तिक व्यवसाय के अंतर्गत 291.77 लाख नई पालिसियाँ जारी कीं, जिनमें से सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता ने 203.93 लाख पालिसियाँ (69.89 प्रतिशत) जारी कीं और निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 87.84 लाख पालिसियाँ (30.11 प्रतिशत) जारी की। जबकि निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं ने 9.23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, वहीं सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता ने 0.18 प्रतिशत की गिरावट (डी-ग्रोथ) सूचित की तथा उद्योग ने पिछले वर्ष में उनके द्वारा जारी की गई नई पालिसियों की संख्या की तुलना में 2.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

चार्ट I.10: जीवन बीमा प्रीमियम में खंड-वार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)



सारणी I.9: जीवन बीमाकर्ताओं का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

(₹. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2022–23			2023–24		
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	उद्योग कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	उद्योग कुल
1	भारत के अंदर जोखिम-अंकित प्रीमियम (₹ करोड़)						
1 (क)	प्रथम वर्ष प्रीमियम (प्र. व.) (6.66)	39,089.94 (-4.20)	70,834.75 (-0.60)	**1,09,924.69** (-0.13)	39,037.95 (7.96)	76,469.86 (5.08)	**1,15,507.81**
1 (ख)	एकल प्रीमियम (18.90)	1,92,960.65 (62.75)	68,340.47 (27.92)	**2,61,301.13** (-4.83)	1,83,633.45 (15.98)	79,264.19 (0.61)	**2,62,897.64**
1 (ग)	नया व्यवसाय (प्र.व.+एकल प्रीमियम)	2,32,050.60 (16.65)	1,39,175.22 (20.05)	**3,71,225.82** (17.90)	2,22,671.40 (-4.04)	1,55,734.05 (11.90)	**3,78,405.45** (1.93)
1 (घ)	नवीकरण प्रीमियम	2,42,617.54 (5.90)	1,68,660.61 (13.46)	**4,11,278.15** (8.88)	2,53,080.52 (4.31)	1,98,443.49 (17.66)	**4,51,524.01** (9.79)
1 (ङ)	कुल प्रीमियम (नया + नवीकरण) (10.90)	4,74,668.14 (16.34)	3,07,835.83 (12.98)	**7,82,503.97** (0.23)	4,75,751.92 (15.05)	3,54,177.54 (6.06)	**8,29,929.46**
2	भारत के बाहर से प्रीमियम (₹ करोड़)	404.78	-	**404.78**	476.25	-	**476.25**
3	वैयक्तिक व्यवसाय के अंतर्गत जारी की गई नई पालिसियाँ (लाख में)	204.24 (-5.96)	80.42 (8.77)	**284.7** (-2.21)	203.93 (-0.18)	87.84 (9.23)	**291.77** (2.48)
4	**जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम (₹ करोड़)**	**संबद्ध**	**असंबद्ध**	**कुल**	**संबद्ध**	**असंबद्ध**	**कुल**
4 (क)	वार्षिकी	-	33,637.33	**33,637.33**	-	36,378.09	**36,378.09**
4 (ख)	स्वास्थ्य	146.60	594.58	**741.18**	132.22	551.54	**683.76**
4 (ग)	जीवन	91,479.51	5,05,741.57	**5,97,221.08**	1,06,459.45	5,56,474.15	**6,62,933.60**
4 (घ)	पेंशन	13,329.79	1,35,295.68	**1,48,625.47**	14,878.13	1,12,566.13	**1,27,444.26**
4 (ङ)	परिवर्ती	-	2,278.91	**2,278.91**	-	2,489.75	**2,489.75**
4 (च)	कुल	1,04,955.90	6,77,548.07	**7,82,503.97**	1,21,469.80	7,08,459.66	**8,29,929.46**
5	**प्रदत्त लाभ (₹ करोड़)**	**सरकारी क्षेत्र**	**निजी क्षेत्र**	**उद्योग कुल**	**सरकारी क्षेत्र**	**निजी क्षेत्र**	**उद्योग कुल**
5 (क)	मृत्यु दावा	23,423.34	18,034.00	**41,457.34**	22,624.61	19,659.60	**42,284.21**
5 (ख)	परिपक्वता	1,85,043.90	27,941.45	**2,12,985.34**	2,08,136.42	34,562.76	**2,42,699.18**
5 (ग)	अभ्यर्पण/प्रत्याहरण	1,11,896.15	86,943.27	**1,98,839.42**	1,33,803.32	95,441.88	**2,29,245.20**
5 (घ)	वार्षिकियाँ/ पेंशन	17,892.71	2,803.55	**20,696.26**	20,106.73	3,802.60	**23,909.33**
5 (ङ)	अन्य	1,056.57	21,830.19	**22,886.77**	1,278.07	37,605.36	**38,883.43**
5 (च)	**कुल**	**3,39,312.67**	**1,57,552.46**	**4,96,865.13**	**3,85,949.15**	**1,91,072.20**	**5,77,021.35**

टिप्पणीः 1. कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को प्रतिशत में दर्शाते हैं।

2. मृत्यु दावा पुनर्बीमा को घटाकर है।

3. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा व्यवसाय आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.06.2023 के अनुसार एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. को अंतरित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपर्युक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।

जीवन बीमाकर्ताओं का वित्तीय कार्यनिष्पादन

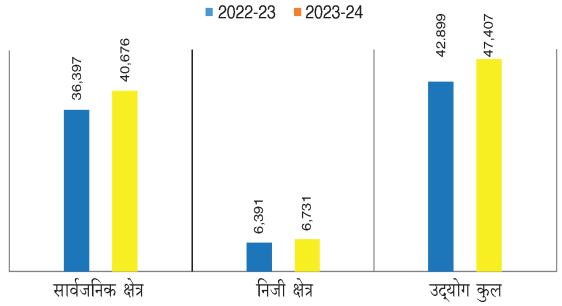
I.2.2.7 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, जीवन बीमा क्षेत्र की कुल प्रदत्त पूँजी रु. 37,073 करोड़ पर स्थित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.05 प्रतिशत वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है। यह वृद्धि प्राथमिक रूप से टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में रु. 980 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी लगाने तथा तीन नये जीवन बीमाकर्ताओं अर्थात् एक्को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्रेडिट ऐक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा निवेश किये गये रु. 429 करोड़ के कारण थी। इसके अलावा, आठ अन्य जीवन बीमाकर्ताओं ने जीवन बीमा उद्योग में अतिरिक्त रू. 707 करोड़ अंतर्विष्ट किये। परिणामस्वरूप, राजकोषीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल प्रदत्त पूँजी पर निवल प्रभाव रु. 2,116 करोड़ की वृद्धि थी।

वर्ष के दौरान, दो निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं ने अन्य प्रकार की पूँजी के अंतर्गत कुल रु.299.50 करोड़ की राशि जुटाई। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, जीवन बीमाकर्ताओं के पास अन्य प्रकार की पूँजी की कुल राशि रु. 5,231.50 करोड़ थी।

I.2.2.8 जीवन बीमा उद्योग के पूँजीगत अभिलाभों और अन्य आय सहित निवेश आय (पालिसीधारकों और शेयरधारकों की) 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 59 प्रतिशत बढ़कर रु. 6.19 लाख करोड़ हुई। जबकि सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता ने 21.29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, वहीं निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2023-24 में निवेश आय में 220.12 प्रतिशत वृद्धि का अनुभव किया।

I.2.2.9 2023-24 के दौरान 18 जीवन बीमा कंपनियों ने लाभों की सूचना दी। जीवन बीमा उद्योग के लाभ, 2022-23 में दर्ज रु. 42,788 करोड़ की तुलना में 2023-24 में रु. 47,407 करोड़ के कर के बाद लाभ (पीएटी) सहित 10.79 प्रतिशत बढ़े। सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता ने लाभों में 11.75 प्रतिशत वृद्धि सूचित की जबकि निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं ने एकसाथ मिलकर 2023-24 के दौरान लाभ में 5.32 प्रतिशत वृद्धि की सूचना दी। निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रु. 1,549.83 करोड़ पर स्थित है। सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में (अंतरिम लाभांश सहित) रु. 4,427.50 करोड़ का भुगतान किया है।

चार्ट I.11: जीवन बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ
(रु. करोड़)



I.2.2.10 आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के प्रकार और स्वरूप, प्रीमियम भुगतान अवधि तथा बीमा व्यवसाय की अवधि को हिसाब में लेते हुए प्रबंधन व्ययों की अनुमति-योग्य सीमाएँ निर्धारित करते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, 26 जीवन बीमाकर्ताओं में से, 17 उपर्युक्त विनियमों के अनुपालनकर्ता थे। आठ जीवन बीमाकर्ताओं ने समग्र आधार पर सममूल्य और सममूल्येतर (संबद्ध सहित) में व्ययों की सीमाओं का अतिक्रमण किया था तथा स्थगन (फारबेअरन्स) के लिए उनका अनुरोध जाँच के अधीन है। जीवन बीमा उद्योग ने 2023-24 के दौरान कुल रु.1.40 लाख करोड़ के प्रबंधन व्यय सूचित किये जो कुल प्रीमियम का 16.94 प्रतिशत थे।

I.2.2.11 2023-24 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने कमीशन के रूप में रु. 51,524 करोड़ की कुल राशि का भुगतान किया। कमीशन व्यय अनुपात (प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कमीशन व्यय) में 2022-23 के 5.41 प्रतिशत से 2023-24 में 6.21 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। तथापि, कुल कमीशन भुगतान में पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान 21.74 प्रतिशत (कुल प्रीमियम वृद्धि 6.06 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

I.2.2.12 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय 2023-24 में रु. 89,044 करोड़ तक 0.45 प्रतिशत गिरावट आई तथा जीवन बीमा उद्योग के परिचालन व्यय अनुपात (जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय) में 2022-23 के 11.43 प्रतिशत से 2023-24 में 10.73 प्रतिशत तक कमी आई।

सारणी I.10: जीवन बीमाकर्ताओं का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23			2023-24		
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	उद्योग कुल	सरकारी क्षेतर	निजी क्षेत्र	उद्योग कुल
1	**प्रदत्त पूँजी**						
1(क)	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में	6,325.00	29,221.75	**35,546.75**	6,325.00	28,632.05	**34,957.05**
1(ख)	वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	(-)589.70	**(-)589.70**		2,116.50	**2,116.50**
1 (ग)	वित्तीय वर्ष के अंत में	6,325.00	28,632.05	**34,957.05**	6,325.00	30,748.55	**37,073.55**
2	कमीशन व्यय						
2(क)	प्रथम वर्ष कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में	12,558.62	11,872.05	**24,430.67**	12,358.00	17,291.90	**29,649.90**
	वृद्धि प्रतिशत में	15.96	39.17	26.19	-1.60	45.65	21.36
2(ख)	एकल प्रीमियम पर कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में	514.77	1,085.84	**1,600.61**	485.56	4,079.03	**4,564.59**
	वृद्धि प्रतिशत में	0.27	1.59	0.61	-5.67	275.66	185.18
2(ग)	नया व्यवसाय कमीशन (क+ख) पिछले वर्ष की तुलना में	13,073.39	12,957.88	**26,031.28**	12,843.56	21,370.93	**34,214.49**
	वृद्धि प्रतिशत में	5.63	9.31	7.01	-1.76	64.93	31.44
2 (घ)	नवीकरण कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में	12,506.97	3,783.67	**16,290.65**	13,115.56	4,194.00	**17,309.56**
	वृद्धि प्रतिशत में	5.16	2.24	3.96	4.87	10.84	6.25
2(ङ)	कुल कमीशन (ग+घ) पिछले वर्ष की तुलना में	25,580.37	16,741.56	**42,321.92**	25,959.12	25,564.93	**51,524.05**
	वृद्धि प्रतिशत में	5.39	5.44	5.41	1.48	52.70	21.74
3	परिचालन व्यय पिछले वर्ष की तुलना में	48,145.60	41,297.02	**89,442.62**	48,121.68	40,922.23	**89,043.91**
	वृद्धि प्रतिशत में	10.14	13.42	11.43	-0.05	-0.91	-0.45
4	निवेश आय	3,15,189.00	73,873.00	**3,89,062.00**	3,82,286.91	2,36,484.56	**6,18,771.47**
5	कर के बाद लाभ	36,397	6,391	42,788	40,675.79	6,731.49	**47,407.28**
6	प्रदत्त लाभांस (अंतरिम लाभांश सहित)	948.75	1229.91	**2,178.66**	4,427.50	1,549.83	**5,977.33**

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभ

I.2.2.13 जीवन बीमा उद्योग ने 2023-24 में रु. 5.77 लाख करोड़ के कुल लाभों का भुगतान किया जिसमें निवल प्रीमियम का 70.22 प्रतिशत शामिल है। अभ्यर्पणों / प्रत्याहरणों के कारण अदा किये गये भुगतानों में 2023-24 में रु. 2.29 लाख करोड़ तक 15.29 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसमें से सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता का प्रतिशत 58.36 है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल अभ्यर्पण लाभों में से संबद्ध पालिसियों के लिए लाभ निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के लिए 33.21 प्रतिशत रहे और सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता के लिए 1.04 प्रतिशत रहे।

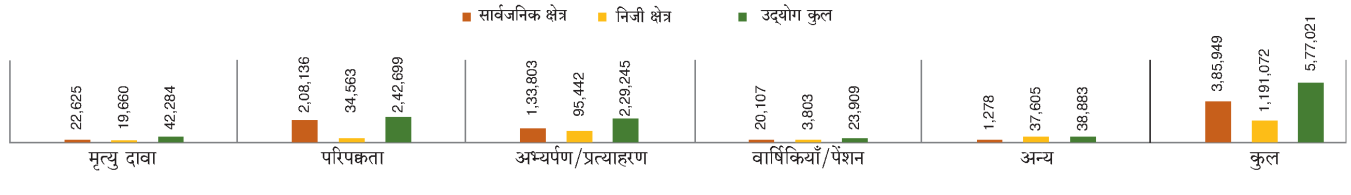
सारणी I.11: जीवन बीमाकर्ताओं के वास्तविक मृत्यु दावे

(₹ करोड में)

खंड	विवरण	कुल दावे	भुगतान किये गये दावे	निराकृत दावे	अस्वीकृत दावे	अदावी दावे	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित दावे
वैयक्तिक व्यवसाय	पालिसियों की संख्या	10,00,045	9,82,615	10,375	6,033	564	458
	प्रतिशत में	100	98.26	1.04	0.60	0.06	0.05
	प्रदत्त राशि (₹ करोड़ में)	30,224	28,868	865	28	48	414
	प्रतिशत में	100	95.51	2.86	0.09	0.16%	1.37
सामूहिक व्यवसाय	जीवनों की संख्या	14,86,853	14,80,087	4,206	253	1	2,306
	प्रतिशत में	100	99.54	0.28	0.02	0.00	0.16
	प्रदत्त राशि (₹ करोड़ में)	20,221	19,644	443	10	0	123
	प्रतिशत में	100	97.15	2.19	0.05	0.00	0.61

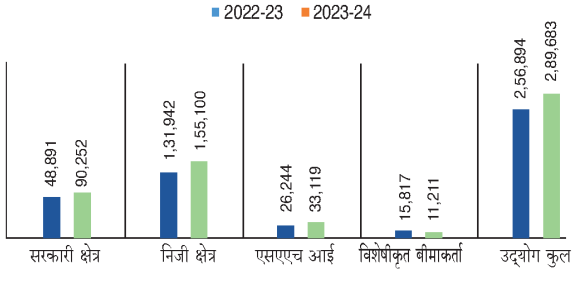
टिप्पणी: 1. अस्वीकृत दावे ऐसे दावे हैं जिनपर पालिसी की शर्तों के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता।
2. निराकृत दावे ऐसे दावे हैं जिन पर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के उपबंधों के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता।

चार्ट I.12: जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रदत्त लाभ (रु. करोड़)



I.2.2.14 2023-24 के दौरान, गैर-जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में 12.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए भारत में रु. 2.90 लाख करोड़ के कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं का अंशदान 2022-23 में अंकित रु. 82.89 लाख करोड़ से 2023-24 में रु. 90,252 लाख करोड़ तक 8.88 प्रतिशत बढ़ा। निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने 2022-23 में दर्ज रु.1.58 लाख करोड़ की तुलना में रु.1.88 लाख करोड़ का जोखिम-अंकन किया है। सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में से, वर्ष 2023-24 में परिचालन करनेवाले 24 निजी बीमाकर्ताओं (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने पिछले वर्ष की तुलना में जोखिम-अंकित प्रीमियम में वृद्धि सूचित की। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने रु. 11,211 करोड़ की राशि के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने मिलकर बाजार अंश के 35.03 प्रतिशत का अंशदान किया, जबकि निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने शेष 64.97 प्रतिशत का अंशदान किया।

चार्ट I.13: गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भारत में जोखिम-अंकित प्रीमियम (रु. करोड़)



I.2.2.15 युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को छोड़कर तीन सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता भारत के बाहर साधारण बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन कर रहे हैं। इन तीन सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम 2022-23 में दर्ज रु. 3,434 करोड़ की तुलना में 2023-24 में 14.72 प्रतिशत की वृद्धि अंकित करते हुए रु. 3,939 करोड़ रहा।

I.2.2.16 गैर-जीवन बीमा व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न खंडों के बीच, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय सबसे बड़ा खंड है जिसका अंशदान कुल प्रीमियम का 40.29 प्रतिशत है (2022-23 में 38.02 प्रतिशत)। स्वास्थ्य बीमा खंड ने 19.50 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की (2022-23 में 21.32 प्रतिशत वृद्धि)। मोटर खंड ने 12.91 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि का साक्षात्कार किया है जहाँ प्रीमियम संग्रहण 2022-23 के रु.81,280 करोड़ से 2023-24 में रु.91,780 करोड़ की राशि तक बढ़ा। कुल प्रीमियम में मोटर खंड का अंश पिछले वर्ष के 31.64 प्रतिशत से सीमांत रूप से बढ़कर 31.68 प्रतिशत रहा। 2023-24 में अग्नि खंड में प्रीमियम संग्रहण 7.27 प्रतिशत बढ़ा और मरीन खंड में 0.65 प्रतिशत वृद्धि हुई।

सारणी I.12: साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

(रु. करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2022-23					2023-24				
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एसएएच आई	विशेषीकृत बीमाकर्ता	उद्योग कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एसएएच आई	विशेषीकृत बीमाकर्ता	उद्योग कुल
1	भारत मे सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	82,891.26 (10.47)	1,31,941.83 (20.22)	26,243.85 (25.77)	15,817.32 (5.12)	**2,56,894.27 (16.4)**	90,252.13 (8.88)	1,55,090.19 (17.55)	33,119.30 (26.20)	11,211.34 (-29.12)	**2,89,683.22 (12.76)**
2	भारत मे और बाहर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	86,324.81 (10.2)	1,31,941.83 (20.22)	26,243.85 (25.77)	15,817.32 (5.12)	**2,60,327.82 (16.22)**	94,191.20 (9.11)	1,55,090.19 (17.55)	33,119.30 (26.20)	11,211.34 (-29.12)	**2,93,622.30 (12.79)**
3	जोखिम-अंकित खंड-वार प्रीमियम (भारत मे)										
3क	अग्नि	8,889.69	15,046.44	लागू नहीं	लागू नहीं	**23,936.12**	9,223.41	16,443.11	लागू नहीं	लागू नहीं	**25,666.52**
3ख	मरीन	2,155.49	2,903.17	लागू नहीं	लागू नहीं	**5,058.66**	2,157.53	2,933.96	लागू नहीं	लागू नहीं	**5,091.49**
3ग	मोटर	23,689.90	57,590.14	लागू नहीं	लागू नहीं	**81,280.04**	25,817.49	65,963.05	लागू नहीं	लागू नहीं	**91,780.54**
3घ	स्वास्थ्य (वैयक्तिक दुर्घटना सहित)	41,172.21	30,247.44	26,243.85	लागू नहीं	**97,663.50**	43,567.17	40,007.47	33,119.30	लागू नहीं	**1,16,693.95**
3ङ	अन्य	6,983.97	26,154.66	लागू नहीं	15,817.32	**48,955.94**	9,486.54	29,742.60	-	11,211.34	**50,440.48**
3च	कुल	82,891.26	1,31,941.83	26,243.85	15,817.32	**2,56,894.27**	90,252.13	1,55,090.19	33,119.30	11,211.34	**2,89,672.97**
4	जारी की गई पालिसियाँ (लाख में)	603.74 (-4.46)	1,699.84 (19.41)	138.26 (9.78)	576.26 (21.24)	**3,018.1 (13.6)**	645.72 (6.95)	2,004.72 (17.94)	151.11 (9.29)	558.32 (-3.11)	**3,359.88 (11.32)**
5	निवल उपगत दावे	70,643.49	60,201.57	12,787.28	5,680.40	**1,49,312.74**	77,970.83	73,084.55	16,630.62	4,604.46	**1,72,290.45**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े वृद्धि प्रतिशत दर्शाते हैं।

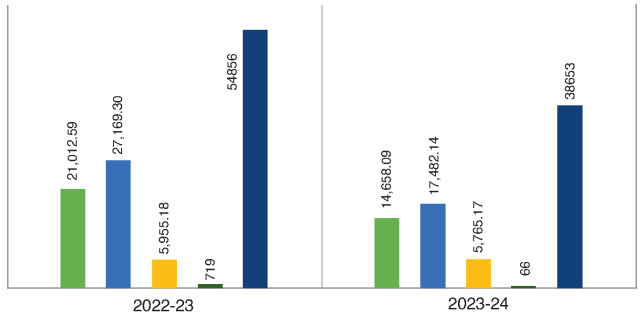
साधारण, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का वित्तीय कार्यनिष्पादन

I.2.2.17 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की संयुक्त प्रदत्त पूँजी रु. 42,245 करोड़ रही, जहाँ पिछले वर्ष की रु.40,375 करोड़ की राशि से वृद्धि दर्शाती है। 2023-24 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने अपने ईक्विटी पूँजी आधार में रु. 1,870 करोड़ का परिवर्धन किया। निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने उक्त वित्तीय वर्ष में रु. 1,065 करोड़ लगाये, जबकि स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने रु. 805 करोड़ की पूँजी की राशि अंतर्विष्ट की।

I.2.2.18 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, साधारण बीमा कंपनियों ने रु. 1,687 करोड़ की अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कुल अन्य प्रकार की पूँजी रु. 6,014 करोड़ है।

I.2.2.19 कमीशन व्यय और परिचालन व्यय कुल व्ययों का बड़ा भाग बनते हैं। सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं, निजी साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के सकल कमीशन व्यय 2023-24 के लिए क्रमशः रु. 7,359 करोड़, रु. 26,235 करोड़, रु. 5,940 करोड़ और रु. 66 करोड़ पर रहे, इस प्रकार संचयी तौर पर गैर-जीवन बीमा उद्योग के लिए रु. 39,601 करोड़ का कुल सकल कमीशन व्यय किया गया। गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय 2022-23 में दर्ज रु.54,862 करोड़ की तुलना में 2023-24 में रु.38,653 करोड़ पर रहे, इस प्रकार 29.55 प्रतिशत की समग्र कमी दर्शाई गई। सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं, निजी साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय 2023-24 के लिए क्रमशः रु.14,658 करोड़, रु.17,482 करोड़, रु.5,765 करोड़ और रु.747 करोड़ पर रहे।

चार्ट I.14: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय (रु. करोड़)



I.2.2.20 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एक निजी बीमाकर्ता प्रबंधन व्ययों (ईओएम) से संबंधित मानदंडों की छूट अवधि के अंतर्गत था क्योंकि उक्त बीमाकर्ता को परिचालनों के अपने प्रथम पाँच वर्ष अभी पूरे करने थे। शेष बीमाकर्ताओं में से 16 बीमाकर्ता अनुपालनकर्ता थे, 15 बीमाकर्ता अननुपालनकर्ता थे और स्थगन (फारबेअरन्स) के लिए उनका अनुरोध जाँच के अधीन है। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि. के मामले में, उसका व्यवसाय संविभाग रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को अंतरित किया गया है तथा दो नये बीमाकर्ताओं अर्थात् नारायणा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड और गैलक्सी हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपने परिचालन प्रारंभ नहीं किये हैं।

I.2.2.21 2023-24 के दौरान सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय रु.44,129 करोड़ (2022-23 में रु.38,839 करोड़) थी जिसने 13.62 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की निवेश आय में वृद्धि क्रमशः 3.40 प्रतिशत, 24.49 प्रतिशत, 37.74 प्रतिशत और 10.66 प्रतिशत थी।

I.2.2.22 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियों में 2023-24 में रु. 28,555 करोड़ तक कमी आई (पिछले वर्ष में रु. 32,797 करोड़)। उक्त हानियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 12.93 प्रतिशत कम हुईं। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियाँ रु.18,862 करोड़ की गैर-जीवन उद्योग हानियों का 66 प्रतिशत थीं तथा शेष निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं की थीं जो रु. 10,758 करोड़ थीं। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य

बीमाकर्ताओं ने 2023–24 में जोखिम–अंकन हानियों में वृद्धि सूचित की जो 2022–23 में दर्ज रु.529 करोड़ की जोखिम–अंकन हानि की तुलना में रु.723 करोड़ है। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का जोखिम–अंकन लाभ 2022–23 के रु. 1,747 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में रु. 1788 करोड़ हुआ।

I.2.2.23 वर्ष 2023–24 के दौरान, गैर–जीवन बीमा क्षेत्र का समग्र लाभ 2022–23 में दर्ज रु. 2,566 करोड़ की निवल हानि की तुलना में रु.10,119 करोड़ तक बढ़ा। सरकारी क्षेत्र कंपनियों ने रु. 157 करोड़ का लाभ सूचित किया। कर के बाद लाभ निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए रु. 5,983 करोड़ था, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए रु. 3,063 करोड़ था और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए रु. 915 करोड़ था।

I.2.2.24 वर्ष 2023–24 के दौरान, सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने रु. 318.06 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। तथापि, छह निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने संयुक्त रूप से रु. 1,403.50 करोड़ की राशि के लाभांशों का भुगतान किया। 2023–24 में किसी भी स्टैंड–अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता और विशेषीकृत बीमाकर्ता ने लाभांशों का भुगतान नहीं किया।

सारणी I.13: साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के वित्तीय कार्यनिष्पादन संकेतक

(रु. करोड़)

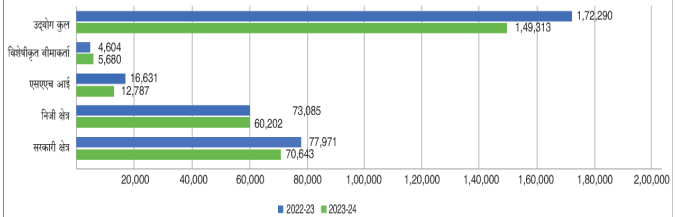
क्र. सं.	विवरण खंड	2022–23					2023–24				
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एसए एच आई	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	एसए एच आई	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल
1	**साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी**										
	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में	18,724.00	10,341.76	4,639.33	4,150.00	**37,855.09**	18,724.00	12,033.19	5,080.10	4,538.00	**40,375.29**
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	1691.43	440.77	388.00	**2,520.20**	0.00	1064.86	805.18	0.00	**1870.04**
	वित्तीय वर्ष के अंत में	18,724.00	12,033.19	5,080.10	4,538.00	**40,375.29**	18,724.00	13,098.05	5,885.29	4,538.00	**42,245.34**
2	**कमीशन व्यय**										
2(क)	अग्नि	1,051.91	1,322.54	लागू नहीं	लागू नहीं	**2,374.45**	1,224.28	1,944.19	लागू नहीं	लागू नहीं	**3,168.48**
2(ख)	मरीन	193.40	324.00	लागू नहीं	लागू नहीं	**517.4**	201.57	411.61	लागू नहीं	लागू नहीं	**613.19**
2(ग)	मोटर	2,355.06	4,890.36	लागू नहीं	लागू नहीं	**7,245.42**	3,099.07	16,578.20	लागू नहीं	लागू नहीं	**19,677.27**
2(घ)	स्वास्थ्य	1,958.56	2,732.89	3486.64	लागू नहीं	**8,178.09**	1,926.58	5,570.75	5,939.98	लागू नहीं	**13,437.31**
2(ङ)	अन्य	781.96	922.54	लागू नहीं	124.84	**1,829.34**	907.66	1730.46	लागू नहीं	66.21	**2,704.33**
	कुल	**6,340.89**	**10,192.33**	**3,486.64**	**124.84**	**20,144.70**	**7,359.16**	**26,235.22**	**5,939.98**	**66.21**	**39,600.56**
3	परिचालन व्यय	21,012.59	27,169.30	5,955.18	719	**54,856.06**	14,658.09	17,482.14	5,765.17	747.42	**38652.83**
4	निवेश आय	19,655.63	15,585.69	1,551.59	2,046.48	**38,839.38**	20,324.02	19,403.36	2137.10	2,264.55	**44129.04**
5	कर के बाद लाभ	-10,607.44	4,664.69	447.21	2,929.84	**-2,565.70**	157.34	5,983.35	914.75	3,063.28	**10118.72**
6	जोखिम-अंकन लाभ/हानियाँ	-25,316.56	-8,698.81	-528.8	1,746.69	**-32797.47**	-18,862.47	-10,758.37	-722.82	1788.39	-28555.27
7	प्रदत्त लाभांश	49.44	1166.21	0.00	40.00	**1255.65**	318.06	1403.50	0	40.0	**1761.56**

साधारण बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के दावे:

I.2.2.25 2023-24 के दौरान, समग्र निवल उपगत दावों ने पिछले वर्ष के रु. 1.72 लाख करोड़ की राशि की तुलना में 15.39 प्रतिशत वृद्धि सूचित की (पिछले वर्ष के दौरान रु.1.49 लाख करोड़)। अलग से, सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने क्रमशः 10.37 प्रतिशत, 21.4 प्रतिशत और 30.06 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की, जबकि विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने उपगत दावों में 18.94 प्रतिशत कमी की सूचना दी।

I.2.2.26 गैर-जीवन बीमा उद्योग का उपगत दावा अनुपात (निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे) पिछले वर्ष के 82.95 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के दौरान 82.52 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के लिए उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 99.02 प्रतिशत के उपगत दावा अनुपात की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए 97.23 प्रतिशत था। जबकि निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के क्रमशः 75.13 प्रतिशत, 61.44 प्रतिशत और 73.71 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः 76.49 प्रतिशत, 63.63 प्रतिशत और 66.58 प्रतिशत थे।

चार्ट I.15: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे (रु. करोड़)

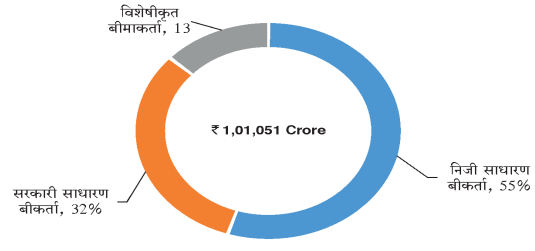


सारणी I.14: साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं का खंड-वार उपगत दावा अनुपात

क्रम सं.	विवरण	2022-23					2023-24				
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल
क	अग्नि	66.21	44.11	लागू नहीं	लागू नहीं	**57.99**	83.46	69.67	लागू नहीं	लागू नहीं	**78.33**
ख	मरीन	56.89	87.90	लागू नहीं	लागू नहीं	**75.13**	54.01	83.50	लागू नहीं	लागू नहीं	**72.39**
ग	मोटर	102.55	75.60	लागू नहीं	लागू नहीं	**84.48**	99.57	73.30	लागू नहीं	लागू नहीं	**81.98**
घ	स्वास्थ्य	105.77	80.09	61.44	लागू नहीं	**87.27**	103.16	83.49	63.63	लागू नहीं	**86.35**
ङ	अन्य	78.15	69.58	लागू नहीं	73.71	**73.10**	75.26	74.98	लागू नहीं	66.58	**72.78**
	कुल	**99.02**	**75.13**	**61.44**	**73.71**	**82.95**	**97.23**	**76.49**	**63.63**	**66.58**	**82.52**

I.2.2.27 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विशिष्ट बीमा कंपनियों सहित सामान्य बीमा कंपनियों ने कुल ₹1,01,050 करोड़ के दावों (स्वास्थ्य बीमा कारोबार को छोड़कर) का भुगतान किया है। इसमें से निजी सामान्य बीमा कंपनियों ने 55 प्रतिशत यानी ₹55,524 करोड़ का भुगतान किया है, जबकि पीएसयू सामान्य बीमा कंपनियों ने 32 प्रतिशत यानी ₹32,131 करोड़ का भुगतान किया है। विशिष्ट बीमा कंपनियों ने ₹13,396 करोड़ यानी 13 प्रतिशत का भुगतान किया है।

चार्ट I.16: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए दावे (स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को छोड़कर)



सारणी I.15: साधारण बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए व्यवसाय-वार दावे
(स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

(रु. करोड़)

एल.ओ.बी	सरकारी क्षेत्र	निजी-एसएएचआई को छोड़कर	विशेषीकृत
अग्नि	4,696	5,791	-
मरीन (कार्गो)	659	1,797	-
मरीन (पतवार)	380	59	-
विमानन	85	110	-
इंजीनियरिंग	684	771	-
मोटर ओ.डी.	8,858	18,420	-
मोटर टीपी	14,233	13,517	-
देयता बीमा	194	886	-
फसल बीमा	1,251	12,408	12,938
क्रेडिट बीमा	49	91	450
अन्य सभी विविध	1,042	1,674	7
कुल	**32,131**	**55,524**	**13,396**

बीमाकर्ताओं के व्यवसाय के स्थान

जीवन बीमा क्षेत्र

I.2.2.28 जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 11,517 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 261 अधिक है। जीवन बीमा कार्यालयों का लगभग 60 प्रतिशत स्तर I केन्द्रों में हैं जहाँ जनसंख्या एक लाख और उससे अधिक है। जीवन बीमा कार्यालयों का लगभग 0.77 प्रतिशत स्तर VI केन्द्रों में है जो 5,000 से कम जनसंख्या से युक्त हैं।

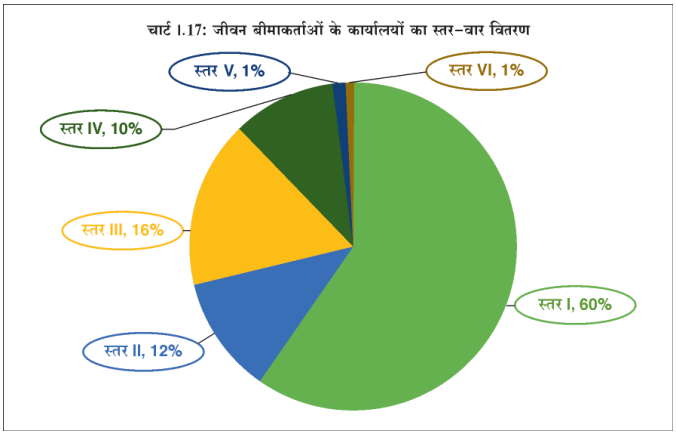
I.2.2.29 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता के पास देश में 785 जिलों में से 696 जिलों में कार्यालय थे, जो सभी जिलों के 89 प्रतिशत को सम्मिलित करते हैं, जबकि निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के 621 जिलों में कार्यालय थे, जो देश में सभी जिलों के 79 प्रतिशत को कवर करते हैं। सरकारी और निजी बीमाकर्ताओं ने मिलकर देश में सभी जिलों के लगभग 90 प्रतिशत को कवर किया है। 36 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (यूटी) में से 20 में सभी जिलों को जीवन बीमा कार्यालयों के द्वारा कवर किया गया है। किसी जीवन बीमा कार्यालय के बिना रह गये जिलों की संख्या देश में 80 है, जिनमें से 73 जिले उत्तर-पूर्वी राज्यों के हैं।

सारणी I.16: जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालय

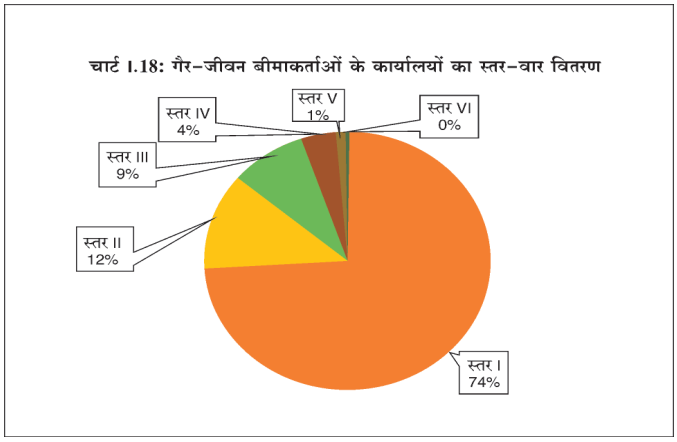
स्थान	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2024 को		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
स्तर I	1,855	4,834	**6,689**	1,858	5,024	**6,882**
स्तर II	562	749	**1,311**	562	786	**1,348**
स्तर III	1,360	496	**1856**	1,360	515	**1,875**
स्तर IV	1,043	114	**1157**	1,043	120	**1,163**
स्तर V	126	31	**157**	126	34	**160**
स्तर VI	55	31	**86**	55	34	**89**
कुल	**5,001**	**6,255**	**11,256**	**5,004**	**6,513**	**11,517**

स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और उससे अधिक *स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक* *स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक*
स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक *स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक* *स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम*

चार्ट I.17: जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण



चार्ट I.18: गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण



सारणी I.17: साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के कार्यालय

स्थान	31 मार्च 2023 को					31 मार्च 2024 को				
	सरकारी	निजी	एसएएचआई	विशेषीकृत	कुल	सरकारी	निजी	एसएएचआई	विशेषीकृत	कुल
स्तर I	3,477	2,449	1,220	72	**7,218**	3,296	2,579	1,325	73	**7,273**
स्तर II	783	170	177	-	**1,130**	711	270	186	0	**1,167**
स्तर III	781	48	107	-	**936**	658	71	118	0	**847**
स्तर IV	405	14	22	-	**441**	320	21	27	0	**368**
स्तर V	124	16	0	-	**140**	114	13	0	0	**127**
स्तर VI	42	9	1	-	**52**	38	0	1	0	**39**
कुल	**5,612**	**2,706**	**1,527**	**72**	**9,917**	**5,137**	**2,954**	**1,657**	**73**	**9,821**

साधारण और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र

I.2.2.30 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, साधारण बीमाकर्ता देश भर में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8,390 कार्यालयों के मुकाबले 8164 कार्यालयों से (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) परिचालन कर रहे थे। पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना करने पर, सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए 475 कार्यालयों की कमी है, निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए 246 कार्यालयों की वृद्धि है तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए 1 कार्यालय की वृद्धि है। समग्र रूप में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 226 साधारण बीमा कार्यालयों की कमी है (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर)।

I.2.2.31 साधारण बीमाकर्ताओं के 5948 (72.86 प्रतिशत) कार्यालय 1,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले स्तर I क्षेत्रों में स्थित हैं। साधारण बीमाकर्ताओं के 981 कार्यालय (12.02 प्रतिशत) 50,000 और 99,999 के बीच की जनसंख्या से युक्त स्तर II क्षेत्रों में स्थित हैं। साधारण बीमाकर्ताओं के 728 (8.92 प्रतिशत) कार्यालय 20,000 और 49,999 के बीच की जनसंख्या से युक्त स्तर III क्षेत्रों में स्थित हैं। साधारण बीमाकर्ताओं के 341 (4.18 प्रतिशत) कार्यालय 10,000 और 19,999 के बीच की आबादी वाले स्तर IV क्षेत्रों में हैं। साधारण बीमाकर्ताओं के 127 (1.56 प्रतिशत) कार्यालय 5,000 से 9,999 के बीच की जनसंख्या से युक्त स्तर V क्षेत्रों में हैं। साधारण बीमाकर्ताओं के 38 (0.47 प्रतिशत) कार्यालय 5,000 से कम जनसंख्या वाले स्तर VI क्षेत्रों में स्थित हैं।

I.2.2.32 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) के कार्यालयों की संख्या 1,657 रही, जबकि यह 31 मार्च 2023 को 1,527 थी। इस स्थिति के होते हुए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एसएएचआई कंपनियों के 130 कार्यालयों की बढ़ोतरी है। कार्यालयों के टियर-वार वर्गीकरण के अनुसार यह पाया गया है कि कार्यालयों का 80 प्रतिशत (1,325 कार्यालय) स्तर-I नगरों में है, उक्त कार्यालयों का 11 प्रतिशत (186 कार्यालय) स्तर-II शहरों में स्थित है, उक्त कार्यालयों का 7 प्रतिशत (118 कार्यालय) स्तर-III शहरों में स्थित हैं तथा उक्त कार्यालयों का 2 प्रतिशत (27 कार्यालय) स्तर-IV शहरों में स्थित है। स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कोई कार्यालय स्तर-V में नहीं हैं और स्तर-VI शहरों में इनका एक कार्यालय है।

I.3 प्राधिकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या और विवरण

I.3.1 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं की कुल संख्या 73 थी। भारत में परिचालन करनेवाले 26 जीवन बीमाकर्ता, 25 साधारण बीमाकर्ता और 7 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता हैं। पंजीकृत बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

सारणी I.18: पंजीकृत बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं की संख्या

बीमाकर्ता का प्रकार	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन	1	25	26
साधारण	4	21	25
विशेषीकृत	2	–	2
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य	–	8	8
पुनर्बीमाकर्ता/ एफआरबीएस	1	11	12
कुल	**8**	**65**	**73#**

टिप्पणीः आईआरडीएआई ने आदेश संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/ एसओएलपी/200/11/2019 दिनांक 06 नवंबर 2019 के द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि. को नई पालिसियों की बिक्री रोकने के लिए निदेश जारी किये।

आईआरडीएआई द्वारा उनके आदेश दिनांक 2.6.2023 के अनुसार सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा व्यवसाय एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआई लाइफ) को अंतरित किया गया है।

#उपरोक्त सूची में रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड और सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दोनों शामिल है।

I.4 बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियाँ और उपाय

I.4.1 प्रतिभू बीमा दिशानिर्देशों संबंधी आशोधन

I.4.1.1 आईआरडीएआई ने प्रतिभू बीमा दिशानिर्देश, 2022 के संशोधन के संबंध में परिपत्र दिनांक 15 मई 2023 जारी किया। उक्त दिशानिर्देशों ने खंड 6.1(क) के अंतर्गत निर्धारित किया कि साधारण बीमाकर्ता प्रतिभू व्यवसाय का जोखिम-अंकन केवल तभी कर सकता है जब शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण शोधन-क्षमता के स्तर से 1.25 गुना से अन्यून तौर पर किया जाता है। सभी वाणिज्यिक और संविदागत प्रतिभू अपेक्षाओं तक प्रतिभू बीमा के दायरे का विस्तार करने के अनुसरण में प्रतिभू बीमा उत्पाद प्रस्तावित करने हेतु सभी साधारण बीमाकर्ताओं को समर्थ बनाने के लिए इस अपेक्षा को वापस लिया गया है। इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देशों के 6.4(घ) के अंतर्गत संविदा मूल्य के 30 प्रतिशत तक निर्बंधित गारंटी की सीमा संविदाओं की अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए हटाई गई है।

इन परिवर्तनों का लक्ष्य प्रतिभू बीमा उत्पादों की अभिगम्यता को बढ़ाना है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से बुनियादी संरचना क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहभागिता करने के लिए अधिक बीमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है।

I.4.2 व्यापारिक ऋण बीमा दिशानिर्देशों का आशोधन

I.4.2.1 आईआरडीएआई ने खरीददारों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान न करने के जोखिम के विरुद्ध व्यवसाय का संरक्षण करने के लिए सितंबर 2021 में व्यापारिक उधार बीमा संबंधी दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों ने ऐसा विनियामक ढाँचा निर्धारित किया जिसने आपूर्तिकर्ताओं एवं बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए व्यापारिक उधार बीमा कवरों को सुसाध्य बनाया।

आईआरडीएआई ने टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर प्रतिवर्ती फैक्टरिंग लेनदेनों के विरुद्ध व्यापारिक उधार बीमा कवर की व्यवहार्यता की जाँच की। व्यापारिक उधार बीमा कवर वित्तदाताओं को

टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर वित्तपोषण किये गये बीजकों के आधार पर खरीदार की चूक को कवर करने के लिए दिया जाता है। आईआरडीएआई (व्यापारिक उधार बीमा) दिशानिर्देश, 2021 बीजक भुनाई ई-प्लेटफार्मों, जैसे टीआरईडीएस, पर बिल भुनाई / फैक्टरिंग के द्वारा एकल बीजक कवरों की अनुमति देते हैं। तथापि, ये टीआरईडीएस में चौथे सहभागी के रूप में सहभागिता करने के लिए प्रतिवर्ती फैक्टरिंग लेनदेनों के आधार पर कवर को प्रतिबंधित करते हैं।

यह देखा गया है कि प्रतिवर्ती फैक्टरिंग का टीआरईडीएस व्यवसाय की मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक अंश है तथा दोनों फैक्टरिंग और टीआरईडीएस पर प्रतिवर्ती फैक्टरिंग लेनदेनों में चूक 0.1 प्रतिशत से कम स्थिति पर निम्न है। इसे और टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर त्वरित वित्त प्राप्त करने में एमएसएमईएस के लाभ को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक उधार बीमा कवरों के लिए अनुमति केवल उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 5.3क में संशोधन दिनांक 9 अक्तूबर 2023 करने के द्वारा ही टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर प्रतिवर्ती फैक्टरिंग लेनदेनों के लिए दी जाती है।

I.4.3 ग्राहक सूचना पत्रक

I.4.3.1 पालिसीधारकों को उनके बीमा कवरेज की अधिक गहराई से समझ के साथ सशक्त बनाने के लिए, आईआरडीएआई ने पालिसीधारकों को एक संक्षिप्त और अद्यतन ग्राहक सूचना पत्रक (सीआईएस) के निर्गम को अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) कर दिया है। यह सीआईएस पालिसीधारकों को एक नजर में सरल भाषा में उनकी स्वास्थ्य बीमा पालिसी के बारे में समस्त महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्योरा जैसे पालिसी का नाम, कवरेज, प्रतीक्षा अवधियाँ, सीमाएँ, अपवर्जन, और मुख्य संकल्पनाएँ शामिल की जाती हैं। बीमा सेवाओं के अंतिम गंतव्य पर वितरण में गति लाना।

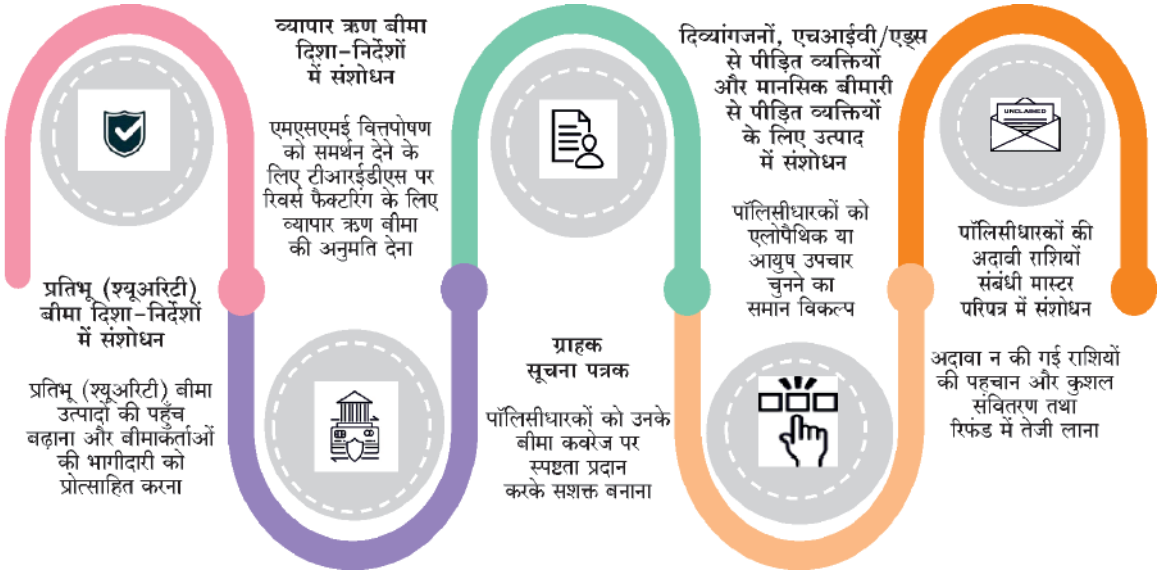
I.4.4 दिव्यांगजन, एचआईवी/एड्स और मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उत्पाद में आशोधन

I.4.4.1 संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/58/02/2023 से युक्त परिपत्र का आशोधन ऐलोपैथिक या आयुष चिकित्साओं का चयन करने हेतु समान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। यह व्यवस्था अब बीमाकृत राशि के 100% तक आयुष अंतरंग रोगी (इनपेशेंट) चिकित्साओं के लिए किये गये व्ययों के कवरेज की अनुमति देती है।

I.4.5 पालिसीधारकों की अदावी राशियों संबंधी मास्टर परिपत्र का आशोधन

I.4.5.1 बीमाकर्ताओं के पास बढ़ती हुई अदावी राशियों की स्थिति की पहचान एक विनियामक चिंता के रूप में की गई है। इस स्थिति के होते हुए, उक्त मास्टर परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/एम आई एस सी/202/11/2020 दिनांक 17 नवंबर 2020 का आशोधन किया गया था। अदावी राशियों के संबंध में एक विस्तृत आलेख बाक्स मद I.1 में प्रस्तुत है।

बीमा बाजार को विकसित करने के लिए नीतियाँ और प्रयास



अदावी राशियों में कमी लाने की दिशा में प्रयास

वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत में जीवन बीमा कंपनियों की अदावी राशि 22,237 करोड़ रुपये थी। अदावी राशियों में कमी लाने, उपभोक्ताओं को धनवापसी में शीघ्रता लाने तथा बीमाकर्ताओं के पास अदावी राशियों के आगे और संचयन को नियंत्रित करने के लिए, आईआरडीएआई द्वारा जून, 2023 से नवंबर 2023 तक 6 महीने की अवधि के लिए एक विशेष अभियान संचालित किया गया तथा इस अवधि के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के पास रखी हुई अदावी राशियों की निकासी में प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर की गई थी। इस विशेष अभियान की अवधि के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के संबंध में रु. 1,018.23 करोड़ की निवल कमी देखी गई। उपभोक्ताओं के हित के लिए 'अदावी राशि' की परिभाषा सहित, और वर्तमान अदावी राशियों में कमी लाने और अदावी राशियों के आगे और संचयन को नियंत्रित करने की दिशा में बीमाकर्ताओं के द्वारा अपनाये जाने के लिए सुझाये गये उपायों सहित कुछ परिभाषाओं का आशोधन करते हुए, अदावी राशियों की उचित पहचान और कुशल संवितरण के लिए 'अदावी राशियों संबंधी मास्टर परिपत्र' में आशोधन 16 फरवरी 2024 को जारी किया गया।

बीमाकर्ताओं के द्वारा अंगीकरण के लिए सुझाये गये उपायः

वर्तमान अदावी राशियों में कमी लाने के लिए

i. वर्तमान पालिसीधारकों को नवीकरण प्रीमियम का भुगतान (आनलाइन/ आफ़लाइन) करते समय अपने मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, वर्तमान पता, बैंक खाता विवरण, नामिती विवरण आदि को अपडेट करने के लिए वर्तमान विवरण को चमकाते (फ्लैश करते) हुए प्रेरित करें और तदनुसार सूचनाएँ भेजें।

ii. वर्तमान पालिसियों के लिए चालू केवाईसी प्राप्त करें तथा अवयस्कों का पुनः-केवाईसी वयस्क होने पर तत्काल प्राप्त करें।

iii. उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिए क्रेडिट ब्यूरो, लेखा संग्राहकों, सीएससी/ पीओएस, ई-कामर्स पोर्टलों के साथ संपर्क में रहें।

iv. जिन उपभोक्ताओं का पता नहीं चल रहा हो, उन तक पहुँचने के लिए प्रिंट/ डिजिटल मीडिया में विज्ञापन दें।

v. उपभोक्ता को भेजे गये सभी पत्रादि (संविदाओं के समापन/निर्गम के संबंध में छोड़कर) में उपभोक्ता को परिवर्तन होने की स्थिति में संपर्क का विवरण, नामिती का विवरण और बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए सूचित करते हुए एक फुट-नोट शामिल करें।

भावी संचयन को रोकने के लिए

i. अपेक्षा (सलिसिटेशन) में संबद्ध संबंधित एजेंटों, मध्यवर्तियों, सामूहिक मास्टर पालिसीधारकों और अन्य वितरण माध्यमों को उपभोक्ताओं की खोज करने तथा संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण आदि को अपडेट करने के लिए उत्तरदायी बनाएँ।

ii. वर्तमान और नये उपभोक्ताओं की मोबाइल संख्याओं और ई-मेल पतों को स्वयमेव विधिमान्य करने के लिए सुस्पष्ट प्रणालियाँ लागू करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि ये विवरण उनके वितरण माध्यमों के न हों।

iii. सुरक्षित लाग-इन के साथ किसी भी समय ई-मेल आईडी, बैंक विवरण और नामिती विवरण सहित अपने संपर्क विवरण को अपडेट करने में पालिसीधारकों को समर्थ बनाने के लिए बीमाकर्ता की वेबसाइट/पोर्टल/ऐप में व्यवस्था की जाए।

iv. सभी संभव पद्धतियों के द्वारा कम से कम 6 महीने पहले अग्रिम रूप से परिपक्वता दावों और उत्तरजीविता लाभों के संबंध में अग्रिम सूचनाएँ भेजें तथा उनको केवाईसी/बैंक विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित करें; उसके बाद जिन ग्राहकों ने उत्तर नहीं दिया हो उनको हर 2 महीने में अनुवर्ती सूचनाएँ भेजें।

v. बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों में अपने लिए प्राप्य राशियों की पहचान जैसे ही उपभोक्ता करते हैं, उनकी अदावी राशियों के प्रसंस्करण और भुगतान के लिए आनलाइन उपकरण विकसित करें।

vi. धोखाधड़ीपूर्ण दावों और पद्धतियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ और नियंत्रण लागू करें।

अतिरिक्त रूप से, आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल में बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों के वेब-लिंक उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे बीमाकर्ताओं के अंतर्गत अदावी राशियों की खोज करने के लिए उपभोक्ताओं को सहायता मिलती है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में जीवन बीमा कंपनियों की अदावी राशि ₹20,062 करोड़ थी।

I.5 बीमाकर्ताओं द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ

प्रत्येक वर्ष बीमाकर्ता उपभोक्ताओं के लिए बीमा समाधानों की अभिगम्यता, समझ और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास का कार्यकलाप संचालित करते हैं। 2023-24 के दौरान बीमा कंपनियों के द्वारा किये गये कुछ नवोन्मेष कार्यकलाप/पहलें नीचे प्रस्तुत हैं :

जीवन बीमाकर्ता

- वार्तालापों को कार्रवाई-योग्य अंतर्दृष्टियों के रूप में परिवर्तित करने के लिए उन्नत एनएलपी (सहज भाषा प्रसंस्करण) और मशीनी ज्ञान का उपयोग करते हुए कृत्रिम बुद्धि (एआई) आधारित वार्तालाप बुद्धि प्लेटफार्म प्रारंभ करना।
- काल्स के गुणवत्ता मूल्यांकन को स्वचालित करने के लिए, काल सेंटर गुणवत्ता, ग्राहक की मनोदशा, भविष्यसूचक ग्राहक संतोष स्कोर (सीएसएटी), उन्नयन संकेत, पुनरावृत्ति संभावना, विषय-आधारित विश्लेषण, तथा एजेंट कार्यनिष्पादन जैसे मानदंडों का निर्धारण करते हुए, काल्स के गुणवत्ता मूल्यांकन को स्वचालित करने के लिए कृत्रिम बुद्धि (एआई)/मशीनी ज्ञान (एमएल) का उपयोग करते हुए स्वर वैश्लेषिकी प्रारंभ करना।
- वित्तीय और चिकित्सीय जोखिम-अंकन में प्रणाली द्वारा नियंत्रित जाँच के लिए सह-प्रायोगिक (को-पाइलट) जोखिम-अंकन का कार्यान्वयन, संगत सुझाव तथा सरल और कारगर निर्णयन प्रक्रियाएँ उपलब्ध कराने के लिए एआई/ एमएल और ओसीआर प्रौद्योगिकियों का उन्नयन।
- उपभोक्ताओं के साथ संस्पंदन करनेवाले एआई द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंबों का उपयोग करते हुए रोचक और संबद्धतायुक्त सामाजिक माध्यम अभियान निर्मित करना।
- प्रलेख संक्षेपण, मुख्य बिन्दु निष्कर्षण, अंतर्वस्तु की पुनःप्राप्ति, और परिचालनों को सरल और कारगर बनाने और अयांत्रिक प्रयास कम करने के लिए उत्पादक एआई/ बृहद् भाषा माडलों (एलएलएम) की खोज।
- समझदार एआई द्वारा संचालित वाट्सऐप संवादात्मक प्लेटफार्म, तत्काल पालिसी निर्गम के साथ आमूल परिवर्तित ग्राहक पारस्परिक सक्रियताएँ, स्वचालित दावा प्रसंस्करण, तथा व्यक्तिगत बनाया गया 24/7 समर्थन।
- विक्रय और जोखिम प्रबंध के लिए एआई-आधारित प्रवृत्ति माडल, उत्पाद संबंधी सिफारिशों में सहायता, नवीकरण संग्रहण में कार्यकुशलता, तथा धोखाधड़ी और समयपूर्व दावा जोखिमों का न्यूनीकरण।
- व्यक्तिगत किये गये संदेश भेजने के लिए ग्राहक के डेटा का विश्लेषण करने, बाजार की प्रवृत्तियों और ग्राहक जनसांख्यिकी का विश्लेषण करने और उसके द्वारा ग्राहक संतोष को बढ़ाने के लिए उत्पादक एआई का उपयोग करना। प्रायः पूछे जानेवाले स्थिर प्रश्नों (एफएक्यूएस) के अयांत्रिक समन्वय से बचने के लिए चाटबोट में उत्पादक एई समन्वय।
- ग्राहकों को अंग्रेजी, हिन्दी, और हिंग्लिश में मौखिक रूप से परस्पर चर्चा (इंटरएक्ट) करने में समर्थ बनाने के लिए आवक संपर्क केन्द्रों हेतु एआई-आधारित स्वर आईवीआर प्रणाली लागू करना।
- प्रामाणिक निर्णयन के लिए अनेक रिपोर्टों और भावात्मक संदर्भ से अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराते हुए अनुसंधान सामग्रियों का एक विपुल भंडार (रिपोजिटरी) का संरक्षण (क्यूरेटिंग) करने के लिए अनुसंधान पुस्तकालय का विकास।
- निर्गम के तत्काल बाद संदिग्ध पालिसियों की पहचान करने के लिए निर्गमोत्तर प्रोफाइल सत्यापन (पीआईपीवी) वैश्लेषिकी, धोखाधड़ी की पहचान में सुधार करना तथा पीआईपीवी के साथ संबद्ध जाँच की लागतें कम करना।
- दावा मूल्यांकनों में शीघ्रता लाने और धोखाधड़ी पहचान क्षमताएँ बढ़ाने के लिए तत्काल निर्धारण प्रक्रियाओं में समन्वित जोखिम प्रवृत्ति पर आधारित, संभावित रूप से कपटपूर्ण समय-पूर्व मृत्यु दावों का संकेत करने के लिए दावा धोखाधड़ी पहचान माडल।
- पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध कराने की दिशा में अल्प सेवा प्राप्त ग्राहक सहगण जैसे कामकाजी महिलाओं, गाड़ीवहक कामगारों (गिग वर्कर), जन जेड जाबरों, आदि की

आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ और सीमाएँ समझने और पहचानने के लिए आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान की शृंखला।

- ग्राहकों की अल्पावधि और दीर्घावधि वित्तीय लक्ष्यों के क्षेत्रों में सर्वेक्षण, जैसे सेवानिवृत्ति आयोजना, धन-संपत्ति निर्माण और प्रबंध, संरक्षण बीमा, आदि जो एक सुगठित सामाजिक सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र का विकास करने में समर्थकारी हों।

- महिला ग्राहकों के व्यवहारगत स्वरूपों, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों, और सामाजिक मीडिया आदतों के विषय में खोज करने, उनके जीवनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी मूल्यवान परिप्रेक्ष्य जैसे शिक्षा, व्यवसाय, वैयक्तिक अंतिम लक्ष्य, जो उपयुक्त बीमा समाधान खरीदने के उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं, प्राप्त करने के संबंध में अनुसंधान।

- जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में ग्राहकों की सहायता करने के लिए बीमा की भूमिकाओं को पुनः परिभाषित करते हुए भारतीय जनता की आकांक्षाओं में गहराई तक खोज करने के लिए सर्वेक्षण।

- डिजिटल युग में विक्रय टीम परिचालनों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए ऐप का प्रारंभ, सीआरएम समन्वयन के साथ ग्राहक अनुभवों में वृद्धि, प्रत्यक्ष वचनबद्धता के लिए क्लाउड-कालिंग, तथा सेवा के अवसरों के लिए सुव्यवस्थित संकेत।

- अधिक शीघ्रता से प्रसंस्करण के लिए दावा प्रणाली का कार्यान्वयन, ग्राहकों को कागज-रहित प्रक्रिया उपलब्ध कराना, तथा ग्राहक ऐप के द्वारा तत्काल दावा स्थिति की अद्यतन जानकारी देना।

- ग्राहक सेवा संबंधी अनुरोधों के अधिक तेज और कागज-रहित प्रसंस्करण को समर्थ बनाते हुए वितरकों और अग्रिम पंक्ति विक्रय के लिए प्लेटफार्म का प्रारंभ।

- स्वयं कीजिए (डीआईएफ) और कागज-रहित प्रक्रिया के माध्यम से सेवा संबंधी अनुरोधों का प्रबंध करने के लिए ग्राहकों को समर्थ बनाना।

- सेवा की कुशलता बढ़ाते हुए चिकित्सा अभिलेखों की साझेदारी को सुसाध्य करने के लिए आभा आईडी निर्मित करने हेतु आयुष्मान भारत स्वास्थ्य लेखा (आभा) पारिस्थितिक तंत्र (ईको सिस्टम) के साथ समन्वयन।

- नये युग की कंपनियों, स्टार्ट-अपों, फिनटेकों, आदि तक पहुँचने के द्वारा भावी तत्पर क्षमताओं का निर्माण करने के लिए, नवोन्मेषण और सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कारपोरेट संबद्धता कार्यक्रम प्रारंभ करना।

- एक सुविधाजनक मोबाइल ऐप के द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनी सेवाओं का प्रबंध करने के लिए ग्राहकों को सशक्त बनाते हुए, बाट और वाट्सऐप के माध्यम से डिजिटल स्वयं-सेवा विकल्प प्रारंभ करना।

- एनएलपी (सहज भाषा प्रसंस्करण) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए ग्राहक सेवा ईमेल प्रतिक्रिया का स्वचालन।

- एक निर्बाध अनुभव के लिए स्वर बाट सेवाओं के साथ ग्राहक स्पर्शबिन्दुओं की वृद्धि करना।

- एक लचीला, सहयोगपूर्ण, और प्रयोक्ता-केन्द्रित प्लेटफार्म देने के द्वारा जो प्रयोक्ताओं और भागीदारों की विकसित हो रही आवश्यकताओं को एकसमान ग्रहण करता हो, प्रगामी वेब ऐप (पीडब्ल्यूए) आमूल परिवर्तन से युक्त डिजिटल आनबोर्डिंग।

- जोखिम-अंकन में प्रसंस्करण समय और त्रुटियों को कम करते हुए, विभिन्न प्लेटफार्मों में ग्राहकों के नामों की तुलना करने के लिए फ़ज़ी तुलन उपकरण (एफएमटी) का प्रारंभ।

- उच्च-परिमाण और आवर्ती स्वरूप के कार्यों को स्वचालित करने के द्वारा क्षमता निर्माण करने तथा त्रुटियों और प्रसंस्करण समय को कम करने के लिए रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (आरपीए) की शक्ति का उन्नयन।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

- मुख्य शारीरिक मर्मस्थलों (वाइटलों) की गणना करने, संकेत-से-आवाज तक के अनुपातों को इष्टतम बनाने, तथा चेहरे के स्कैनों के लिए दूरस्थ फोटो प्लेथिस्मोग्राफी संचालित करने के लिए, एआई और मशीनी ज्ञान का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य संबंधी मुख्य स्थानों (वाइटलों) के स्क्रीनिंग में आमूल परिवर्तन लाने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य निर्धारण प्लेटफार्म (डीएचएपी) का प्रारंभ।

- प्रतिरूप/वीडियो विश्लेषण के द्वारा निरीक्षण-पूर्व, दावा प्रसंस्करण और धोखाधड़ी की पहचान बढ़ाने के लिए एआई क्षमताएँ तथा उल्लेखनीय रूप में निपटान के समय और धोखाधड़ी जोखिम को कम करते हुए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग।

- ऐतिहासिक दावा डेटा के साथ चालन व्यवहार डेटा का विश्लेषण करने के द्वारा मोटर जोखिम-अंकन प्रक्रियाओं की वृद्धि करने के लिए एआई और एमएल को लागू करना।

- मोटर दावा फार्म डेटा के संक्षेपण और संदर्भण, अस्पताल डिस्चार्ज डेटा के सरलीकरण तथा ग्राहक की पूछताछ के लिए बुद्धियुक्त चाटबोट के विनियोजन पर संकेन्द्रित उत्पादक एआई को लागू करना।

- ई-मेलों और पीडीएफ भाव (कोट) पर्चियों जैसे असंरचित दस्तावेजों का विश्लेषण करने के द्वारा बीमा भाव उत्पन्न करने के लिए एआई शक्ति से संपन्न एसएमई बीमा प्लेटफार्म का विकास।

- स्वचालित वाणी पहचान (एएसआर), सहज भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), संवाद प्रबंध और स्वर वैश्लेषिकी का उपयोग करते हुए फ़सल दावों के कुशल संपूर्ण प्रसंस्करण के लिए संवादात्मक दावा बाट और स्मार्ट फ़सल दावा प्रणाली।

- चिकित्सकों के साथ आभासी बैठकों में दावा निर्णयों की समीक्षा करने के द्वारा पारदर्शिता और ग्राहक विश्वास को सुसाध्य बनाने के लिए दावा समाधान सत्र।

- सुस्पष्ट फ़सल निर्धारण के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के साथ नवोन्मेषण तथा सरल और कारगर बीमा प्रबंध के लिए एक किसान-केन्द्रित ऐप प्रारंभ करना।

- वर्तमान फ़सल बीमा योजनाओं के बारे में किसानों के अवबोधनों को समझने एवं समन्वित बीमा सेवाओं के लिए गुंजाइश तक पहुँचने के लिए अध्ययन।

- पालिसी की खरीद, प्रबंध और दावा प्रसंस्करण के लिए समन्वित संचार उपकरणों का प्रयोग करते हुए एसएमई ग्राहकों के लिए एक निर्बाध प्रयोक्ता अनुभव उपलब्ध करानेवाला पोर्टल।

- स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वतंत्र रूप से विशिष्ट प्रश्नों का समाधान करने की सुविधा ग्राहकों को देते हुए, उनको स्वयं-सेवा विकल्प (अपने आप कीजिए) देने के लिए स्पर्श-बिन्दुओं का विकास।

- पालिसीधारकों और दावा प्रसंस्करण के लिए आवश्यकता-आधारित सेवा की सिफारिशों हेतु विभिन्न प्रयोक्ता व्यक्तियों के लिए गणना (स्कोरिंग) इंजनों का विकास।

- खुदरा और कारपोरेट क्षेत्रों में संवर्धित जोखिम संवर्गीकरण के लिए जोखिम-अंकन में भू-आकाशी आसूचना का समन्वय।

- समग्र ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए मोटर दावों के ग्राहकों और सेवा कार्मिकों के बीच निर्बाध परस्पर सक्रियता (इंटरऐक्शन) को सुसाध्य बनाने के लिए क्लाउड-आधारित कालिंग।

- बहु-भाषा प्रोग्रामिंग क्षमताओं के साथ लागत और समय की बचतों के लिए मार्ग प्रशस्त करनेवाले क्लाउड प्लेटफार्मों पर खुली डेटा संरचना में संक्रमण।

- ग्राहकों की सुविधा और संतोष को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ मोटर बीमा के लिए दरवाजे पर मरम्मत, रात के समय मरम्मत, और स्वयं-सर्वेक्षण विकल्पों जैसी पहलों के साथ व्यापक साइबर जोखिमों का समाधान करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों में साइबर खुदरा उत्पाद।

- ग्राहक अनुभव को बढ़ाते हुए, तत्काल विधिमान्यताओं के साथ पालिसी निर्गम को समर्थ बनाने के लिए इंश्योरटेकों के साथ सहयोग।

- संवर्धित मोबाइल ऐप कार्यात्मकता, न केवल दावे की स्थिति व्यक्त करने की विशेषता के साथ, बल्कि दावा प्रक्रिया प्रारंभ करने, लंबित स्थिति का समाधान करने और समापन का अनुमान लगाने के लिए भी।

- परिचालन कौशल और ग्राहक संतोष में वृद्धि करने के लिए सेवा प्रदाता स्तरीय इंटरफेस को डिजिटलीकृत करने हेतु आईसीआर / ओसीआर प्लेटफार्मों का अनुसरण करना।

I.6 समीक्षा

I.6.1 पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण

I.6.1.1 आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण और बीमाकर्ताओं के संबद्ध विषय) विनियम, 2024 के अंतर्गत पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए विनियामक ढाँचे की आगे और वृद्धि की है और इसे और मजबूत किया है, जो आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 का अधिक्रमण करते हैं। ये विनियम बीमा पालिसियों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और विक्रय के दौरान संभावित ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं तथा बीमाकर्ताओं और वितरण माध्यमों के साथ उनकी वचनबद्धता के पूरे समय के दौरान पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करते हैं। ये अधिदेश देते हैं कि बीमाकर्ता और वितरण माध्यम पालिसीधारकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए त्वरित शिकायत समाधान करने सहित, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करें।

I.6.1.2 सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (एसआईएलआईसी) के पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52बी की उपधारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआरडीएआई ने 2 जून, 2023 को एसआईएलआईसी के जीवन बीमा व्यवसाय को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। 2 जून, 2023 को एक विस्तृत आदेश जारी किया गया जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। एसबीआई लाइफ को पॉलिसियों की सर्विसिंग के संबंध में एसआईएलआईसी के पॉलिसीधारकों तक पहुँचने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया। इसके अनुसरण में एसबीआई लाइफ ने पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित एसआईएलआईसी की लगभग दो लाख पॉलिसियों की पॉलिसी देनदारियों को अपने ऊपर ले लिया। प्राधिकरण ने एसआईएलआईसी के सभी पॉलिसीधारकों के लिए सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं।

उपभोक्ता शिक्षा

I.6.1.3 वित्तीय समावेशन के लिए उपभोक्ता शिक्षा अपरिहार्य है। बीमा व्यवसाय को विनियमित करने, उसका संवर्धन करने और उसके सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने का अधिदेश (मैंडेट) केवल समग्र उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। समझदारी और शिक्षा के द्वारा उपभोक्ता शिक्षा व्यक्तियों, विशेष रूप से अल्प सुविधा प्राप्त समुदायों के व्यक्तियों को बीमा के बारे में प्रामाणिक निर्णय लेने, उपयुक्त पालिसियों तक पहुँचने, तथा अपनी वित्तीय खुशहाली की रक्षा करने के लिए बीमा का उपयोग प्रभावी ढंग से करने के लिए समर्थ बनाती है। यह शिक्षा बीमा व्यापन को बढ़ाने, वित्तीय आघात-सहनीयता का संवर्धन करने, तथा विभिन्न जनसांख्यिकियों के बीच बीमा सेवाओं तक साम्यिक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आईआरडीएआई उपभोक्ता शैक्षिक सामग्री के विकास और प्रसार के द्वारा उपभोक्ता शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। यह एकमात्र तौर पर एक उपभोक्ता शिक्षा वेबसाइट www.policyholder.gov.in संचालित करता है जो बीमा समावेशन की ओर ग्राहक की संपूर्ण यात्रा से बढ़कर व्यापक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है। की गई विभिन्न पहलों के बीच, आईआरडीएआई द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण बीमा साक्षरता पहलें हैं :

जागरूकता अभियान

1) आकाशवाणी (एआईआर), तेलंगाना के माध्यम से 'पालिसीधारकों का संरक्षण और शिकायत निवारण' विषय पर एक सीधा (लाइव) फोन-इन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का एआईआर द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन किया गया और इसके विषय और प्रासंगिकता के लिए इसकी सराहना की गई। इसने अत्यधिक समीक्षाएँ प्राप्त कीं तथा श्रोताओं के बीच यह काफी सफल रहा।

2) बीमा क्षेत्र में एक विनियामक और विकास निकाय के रूप में आईआरडीएआई की भूमिका को निरूपित करनेवाले कैप्शन की अपेक्षा करते हुए MyGov.in पोर्टल पर एक आनलाइन ध्येय-वाक्य प्रतियोगिता (टैगलाइन कंटेस्ट) आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में और समाज के प्रत्येक खंड के लिए बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईआरडीएआई की प्रतिबद्धता पर विशेष बल देना था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नागरिकों को आमंत्रित किया गया और उन्हें आकर्षक पुरस्कार जीतने के लिए एक अवसर दिया गया। उक्त प्रतियोगिता के लिए 15,000 प्रविष्टियों के साथ एक भारी प्रतिक्रिया मिली, जो व्यापक प्रचार में परिणत हुई।

जिलों के अंगीकरण द्वारा बीमा जागरूकता अभियान

I.6.1.4 बीमा के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, आईआरडीएआई ने बीमा साक्षरता और कवरेज की व्याप्ति करने के लिए जिलों का अंगीकरण करने हेतु बीमा कंपनियों को प्रोत्साहित किया है। ये अभियान नीति आयोग द्वारा अभिनिर्धारित आकांक्षी जिलों को लक्ष्य बनाते हैं। इस पहल को संचालित किये गये जागरूकता अभियानों और लोकसंपर्क कार्यक्रमों की संख्या के तौर पर गति मिली है। अंतिम गंतव्य तक कवरेज को प्राप्त करने के लिए विविधतापूर्ण जनसाधारण के लिए सही दिशा में अग्रणी सहयोगपूर्ण पहल के रूप में इसका स्वागत किया गया।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति का कार्यान्वयन

I.6.1.5 वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) 2019-2024 समस्त भारत में व्यक्तियों के बीच वित्तीय साक्षरता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लक्ष्य से युक्त एक व्यापक योजना है। इस एनएसएफई का उद्देश्य वित्तीय विवेक और समावेशिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के द्वारा जनसाधारण के अंदर समग्र वित्तीय खुशहाली और आघात-सहनीयता में सुधार लाना है। एनएसएफई का कार्यान्वयन राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई) के द्वारा सुसाध्य बनाया गया है जो भारत में सभी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं के प्रतिनिधियों से युक्त एक संस्था है। एनसीएफई के एक प्रवर्तक के रूप में आईआरडीएआई उक्त एनएसएफई के कार्यान्वयन के लिए किये गये बहु-आयामी प्रयासों में लगातार एक निर्देशात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

I.6.1.6 आईआरडीएआई '2047 तक सबके लिए बीमा' प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ सुयोजित करने के लिए राष्ट्रव्यापी तौर पर बीमा जागरूकता और कवरेज में वृद्धि करने के लिए पहलों का सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है। बीमा जागरूकता संबंधी पहलों पर पर्याप्त राशियों का व्यय करने के लिए बीमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, आईआरडीएआई ने 01 अप्रैल 2023 से आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 के विनियम 7 के अधीन जीवन बीमाकर्ताओं के अनुमति-योग्य प्रबंधन व्ययों के 5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त छूट की अनुमति दी है। इसी प्रकार की सुविधा साधारण बीमाकर्ताओं को भी बीमा जागरूकता का निर्माण करने में अनुमतियोग्य सीमा से 5 प्रतिशत अधिक व्यय करने के लिए दी गई है।

I.6.1.7 आईआरडीएआई, बीमा भरोसा, बीमाकर्ताओं और अन्य सरकारी अथवा वित्तीय संस्थाओं से अधिकारियों के तौर पर छद्म रूप से किये जानेवाले कपटपूर्ण काल बीमा उद्योग और जनता के विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण आशंका उत्पन्न करते हैं। आईआरडीएआई ने विभिन्न जनसंपर्क बिन्दुओं पर और मीडिया में भी कपटपूर्ण फोन कालों तथा काल्पनिक/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों के विरुद्ध जनता को सतर्क करने के लिए कई सार्वजनिक सूचनाएँ, प्रेस प्रकाशनियाँ, अग्रणी टीवी चैनलों और अखबारों में विज्ञापन, तथा बीमाकर्ताओं को निदेश जारी किये हैं। ये सूचनाएँ बीमा प्रतिनिधियों के रूप में दिखावा करने वाले कपटपूर्ण संस्थाओं/व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने के खतरों के बारे में जनता को सावधान करने के लिए अभिकल्पित हैं।

I.6.2 बीमाकर्ताओं के शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण

I.6.2.1 प्रत्येक बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता हर समय शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर से अधिक शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण करेगा, जो वर्तमान में अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का कम से कम 150 प्रतिशत है अर्थात् यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन हर समय अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का 150 प्रतिशत है। अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 के अंतर्गत कथित रूप में न्यूनतम पूँजी की राशि के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा जबकि उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य का आधिक्य है। आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 उपलब्ध और अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की गणना की पद्धति का विस्तार से वर्णन करते हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं की शोधन-क्षमता की स्थिति

I.6.2.2 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सभी जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.50 के निर्धारित न्यूनतम शोधन-क्षमता अनुपात (शोधन-क्षमता का नियंत्रण स्तर) का अनुपालन किया। जीवन बीमाकर्ताओं के लिए बीमा कंपनी वार शोधन-क्षमता अनुपात विवरण 11 में प्रस्तुत किया गया है।

साधारण, स्वास्थ्य और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की शोधन-क्षमता की स्थिति

I.6.2.3 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, 26 निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने 1.50 के निर्धारित शोधन-क्षमता अनुपात का अनुपालन किया है। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल, ओरियन्टल और युनाइटेड ने 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार क्रमशः (-) 0.45, (-) 1.06 और (-) 0.59 गुना शोधन-क्षमता अनुपात की सूचना दी।

न्यू इंडिया ने 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 1.81 के शोधन-क्षमता अनुपात की सूचना दी है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं अर्थात् एआईसी और ईसीजीसी ने क्रमशः 3.34 और 47.87 का शोधन-क्षमता अनुपात सूचित किया।

पुनर्बीमाकर्ताओं की शोधन-क्षमता स्थिति

भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) ने 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 3.25 के शोधन-क्षमता अनुपात की सूचना दी। सभी विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं ने 31 मार्च 2024 को 1.5 से अधिक शोधन-क्षमता अनुपात होने की सूचना दी।

I.6.3 पुनर्बीमा की निगरानी

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता

I.6.3.1 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के पास केवल एक भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, अर्थात् भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) पंजीकृत है। जीआईसी आरई भारत में परिचालनरत प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं और विदेशी बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को भी पुनर्बीमा सहायता उपलब्ध करा रहा है। उक्त निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम देश के अंदर प्रतिधारण को इष्टतम बनाने, एक उचित लागत पर अध्यर्पक के

एक्सपोज़र के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करने, तथा देशी बाजार के अंदर तकनीकी विशेषज्ञता और पर्याप्त वित्तीय क्षमताएँ विकसित करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

I.6.3.2 जीआईसी आरई नाभिकीय समूह (पूल), आतंकवाद समूह (पूल) और मरीन कार्गो अपवर्जित क्षेत्र समूह (एमसीईटी पूल) का प्रबंध भी कर रहा है। यह देशी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई प्रत्येक पालिसी पर कुछ सीमाओं के अधीन अनिवार्य अध्यर्पण प्राप्त करता है तथा इन बीमाकर्ताओं के अधिकांश समझौता कार्यक्रमों और विकल्पी कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है। 2023-24 के लिए यह अनिवार्य अध्यर्पण चार प्रतिशत है।

विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ (एफआरबी)

I.6.3.3 भारत को एक वैश्विक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) बनाने के उद्देश्य से बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और सोसाइटी आफ लायड्स लंदन को भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए भारत में अपनी शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, भारत में लायड्स सहित ग्यारह विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ (एफआरबी) परिचालन कर रही हैं। लायड्स इंडिया एक सर्विस कंपनी के माध्यम से परिचालन कर रही है। ये एफआरबी विश्व भर में प्रचुर अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमता से युक्त प्रमुख पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ हैं।

एफआरबी द्वारा बुक किये गये पुनर्बीमा व्यवसाय का विवरण निम्नानुसार है:

सकल पुनर्बीमा प्रीमियम आय	2022-23	2023-24
भारतीय व्यवसाय (रु. करोड़)	17,911	24,749

इस प्रकार ये एफआरबी भारत के अंदर प्रीमियम प्रतिधारित करने और भारत में पुनर्बीमा क्षमता विकसित करने में सहायता कर रही हैं। उक्त एफआरबी को आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं अन्य परिपत्रों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

सीमापार पुनर्बीमाकर्ता

I.6.3.4 सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर) वे पुनर्बीमाकर्ता हैं, जिनकी भारत में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है, परंतु जो भारतीय बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करते हैं। सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर) बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा सहायता/क्षमता उपलब्ध कराने में पुनर्बीमा बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीबीआर आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के अनुसार आवश्यक अर्हकारी मानदंडों को पूरा करें, तथा उनके पास किसी भी व्यवसाय का स्थानन करने से पहले उनके पास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई फाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) हो।

सीबीआर को प्राधिकरण द्वारा एक फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) दी जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य है, तथा जो भारतीय बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए सीबीआर को समर्थ बनाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दर्ज 283 सीबीआर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 280 सीबीआर ने भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय में सहभागिता की है।

पुनर्बीमा व्यवसाय का मूल्यांकन

I.6.3.5 भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय भारतीय पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी आरई), एफआरबी, और सीबीआर के द्वारा अंकित किया जा रहा है। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और एफआरबी के द्वारा वर्ष 2023-24 में अंकित रु.62,113.28 करोड़ के सकल पुनर्बीमा प्रीमियम में से भारतीय व्यवसाय लगभग 81 प्रतिशत का था तथा शेष विदेशी व्यवसाय का था। वर्ष 2023-24 में रु. 50,553 करोड़ के कुल भारतीय व्यवसाय में से, जीआईसी आरई का व्यवसाय लगभग 51 प्रतिशत का था और शेष 49 प्रतिशत एफआरबी द्वारा अंकित किया गया था। एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम विवरण 14 में दिया गया है।

सारणी I.19: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा पुनर्बीमा स्थानन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष	अग्नि	मरीन कार्गो	मरीन हल	मोटर	विमानन	इंजीनियरिंग	अन्य विविध	कुल
भारत के अंदर स्थानन किये गये पुनर्बीमा प्रीमियम की राशि (₹करोड़)	**2023-24**	13,555.86 47.75	554.35 10.89	502.03 36.32	9,549.27 10.40	597.17 51.06	2,606.66 46.53	22,927.79 14.16	**50,293.14** **17.03**
	2022-23	12,968.32 49.42	723.90 18.54	413.98 32.48	10,223.57 12.46	362.36 34.33	1,918.10 42.26	22,597.88 15.85	**49,208.12** **18.81**
भारत के बाहर स्थानन किये गये पुनर्बीमा प्रीमियम की राशि (₹करोड़)	**2023-24**	7,124.78 25.10	648.88 12.74	453.02 32.78	1,135.14 1.24	400.96 34.28	1,134.98 20.26	15,101.02 9.32	**25,998.78** **8.80**
	2022-23	5,823.89 22.19	694.73 17.79	471.36 36.98	367.43 0.45	483.29 45.79	922.55 20.32	15,481.55 10.86	**24,244.79** **9.27**

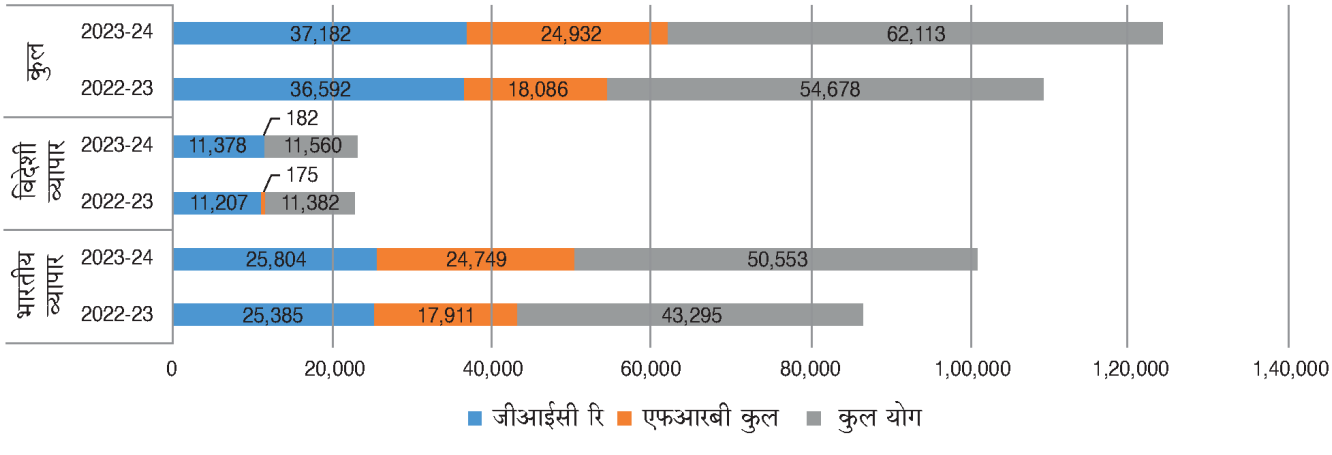
प्रतिधारण और पुनर्बीमा स्थानन:

I.6.3.6 2023-24 में, साधारण बीमाकर्ताओं के द्वारा भारत के अंदर और बाहर स्थानन किये गये पुनर्बीमा प्रीमियम क्रमशः जीडब्ल्यूपी का 17.03 प्रतिशत और 8.80 प्रतिशत रहा। साधारण बीमाकर्ताओं के द्वारा निवल प्रतिधारण में सूचित की गई वृद्धि में 2022-23 में दर्ज 71.93 प्रतिशत से 2023-24 में 74.17 प्रतिशत तक बढ़ोतरी रही है।

जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा पुनर्बीमा स्थानन

I.6.3.7 2023-24 के दौरान, सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में रु.536.02 करोड़ की राशि (2022-23 में रु.663.53 करोड़) का अध्यर्पण किया गया। निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं ने सब मिलकर पुनर्बीमा के प्रति प्रीमियम के रूप में रु. 7,719.08 करोड़ (2022-23 में रु.6,451.02 करोड़) का अध्यर्पण किया। जीवन बीमा क्षेत्र का प्रतिधारण अनुपात 2022-23 के लिए दर्ज 99.09 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 के लिए 99 प्रतिशत था।

चार्ट I.19: एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम (₹ करोड़ मे)



सारणी I.20: सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण

खंड	2022–23			2023–24		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
अग्नि	40.82	21.19	28.39	38.42	20.82	27.15
मरीन कार्गो	67.15	62.41	63.72	87.76	67.72	76.37
मरीन हल	34.71	5.14	30.54	34.67	4.32	30.90
मोटर	95.79	83.57	87.09	97.04	84.96	88.36
इंजीनियरिंग	52.26	21.26	37.42	49.24	19.46	33.21
विमानन	25.33	8.07	19.88	18.18	8.39	14.66
अन्य विविध	78.76	69.10	73.29	86.54	70.32	76.52
कुल	**77.53**	**68.44**	**71.93**	**82.45**	**69.63**	**74.17**

बीमा समूह (पूल)

आतंकवाद पूल

I.6.3.8 9/11 घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा आतंकवाद कवर को वापस लेने के बाद अप्रैल 2002 में भारत में सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की पहल से भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल बनाया गया। इस पूल का प्रबंध जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल अनेक स्थानों पर निवास स्थानों और अचल संपत्तियों के कवर सहित, संपत्ति बीमा पालिसियों के अंतर्गत कवर किये गये आतंकवाद जोखिमों के बीमा के लिए समर्थन देता है। इस पूल की प्रीमियम आय 2022-23 में दर्ज रु. 1,809.01 करोड़ के मुकाबले 2023-24 के लिए रु. 1,654.63 करोड़ थी। उक्त पूल द्वारा 2023-24 के दौरान भुगतान किये गये दावे रु. 3.12 करोड़ हैं। 2023-24 के दौरान उक्त पूल को किन्हीं बड़ी हानियों की सूचना नहीं दी गई है।

नाभिकीय (न्यूक्लियर) पूल

I.6.3.9 नाभिकीय क्षति अधिनियम, 2010 का अधिनियमन अज्ञात और संभावित रूप में नाभिकीय घटना से उत्पन्न होने वाले आपाती जोखिम के संरक्षण को अनिवार्य बनाता है। सामान्यतः नाभिकीय संकट परंपरागत बीमा कवरों से अपवर्जित किये जाते हैं क्योंकि इसके लिए बड़ी बीमा क्षमता अपेक्षित है। अतः नाभिकीय संकटों से उत्पन्न होने वाली देयता का संरक्षण करने के लिए भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) 2015 में बनाया गया जिसका प्रबंध भी जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल देश में नाभिकीय परिचालकों को और नाभिकीय आपूर्तिकर्ताओं को भी कवरेज प्रदान करता है। उक्त पूल की प्रीमियम आय 2023-24 के लिए 2022-23 के रु. 103.50 करोड़ के मुकाबले रु.107.01 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के दौरान पूल द्वारा किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

मरीन कार्गो अपवर्जित क्षेत्र पूल (एमसीईटी पूल)

I.6.3.10 रूस-उक्रेन युद्ध के अनुसरण में रूस के साथ व्यापार पर शास्तियाँ (सैंक्शन्स) लगाई गई थीं। इसके कारण, भारतीय बीमाकृत व्यक्तियों आदि के लिए बेलारूस गणराज्य, उक्रेन और/या रूसी राज्यसंघ ('अपवर्जित क्षेत्र' कहलाने वाले) के क्षेत्रों से उर्वरकों और अन्य पण्यों के मरीन कार्गो शिपमेंटों के लिए पुनर्बीमा क्षमता उपलब्ध नहीं थी।

अतः, इस समस्या का समाधान करने के लिए, मरीन कार्गो अपवर्जित क्षेत्र पूल (एमसीईटी पूल) वर्ष 2022 में साधारण

बीमा परिषद की पहल से बनाया गया था और इस पूल का प्रबंध जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है।

इस पूल का मुख्य उद्देश्य केवल अपवर्जित क्षेत्रों से भारतीय बीमाकृत व्यक्तियों आदि के लिए उर्वरकों के आयातों और निर्यातों के मरीन कार्गो शिपमेंटों के लिए बीमा कवर देने के लिए पूल के सदस्यों को समर्थ बनाना है तथा इस पूल की जोखिम-अंकन समिति के साथ परामर्श करते हुए अपेक्षित रूप में और सहमति-प्राप्त होने वाली दरों/शर्तों के साथ भारतीय बीमाकृत व्यक्तियों आदि के लिए अन्य पण्यों को कवर देना है।

इस पूल की प्रीमियम आय 2022-23 में दर्ज रु.42.60 करोड़ की तुलना में 2023-24 के लिए रु.41.53 करोड़ थी। 2023-24 के दौरान उक्त पूल को किसी बड़ी हानि की सूचना नहीं दी गई।

I.6.4 बीमाकर्ताओं के निवेश की निगरानी

I.6.4.1 बीमाकर्ताओं के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में निवेश के स्वरूप का अनुसरण करें। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, बीमा उद्योग द्वारा किये गये निवेश 31 मार्च 2023 को विद्यमान रु.60.04 लाख करोड़ के मुकाबले रु.67.58 लाख करोड़ थे और इस प्रकार उन्होंने 12.55 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं का अंश 91.11 प्रतिशत था, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) सहित साधारण बीमाकर्ताओं का अंश 7.03 प्रतिशत तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का अंश 1.86 प्रतिशत रहा। इसी अवधि में सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) का अंश 69.46 प्रतिशत पर था और निजी क्षेत्र ने 30.54 प्रतिशत अंश बनाया।

सारणी I.21: बीमा उद्योग में निवेश (31 मार्च को)

(रु.करोड़)

खंड	2023			2024		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
जीवन बीमाकर्ता	40,43,655	14,19,759	**54,63,414**	44,23,580	17,33,269	**61,56,849**
	(9.90)	(11.55)	(10.32)	(9.40)	(22.08)	(12.69)
साधारण बीमाकर्ता	1,70,167	2,59,164	**4,29,331**	1,74,283	3,00,818	**4,75,101**
	(1.37)	(18.77)	(11.17)	(2.42)	(16.07)	(10.66)
पुनर्बीमाकर्ता	86,175	25,289	**1,11,464**	96,299	29,711	**1,26,010**
	(11.41)	(20.51)	(13.35)	(11.75)	(17.49)	(13.05)
कुल	**42,99,997**	**17,04,212**	**60,04,209**	**46,94,162**	**20,63,798**	**67,57,960**
	(9.56)	**(12.72)**	**(10.44)**	**(9.17)**	**(21.10)**	**(12.55)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।
साधारण बीमाकर्ताओं में विशेषीकृत बीमाकर्ता और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एसएएचआई) शामिल हैं।
पुनर्बीमाकर्ताओं में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ शामिल हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

I.6.4.2 जीवन बीमाकर्ताओं की निधियाँ पारंपरिक उत्पादों और यूलिप उत्पादों में से किये गये निवेशों के आधार पर विभाजित की गई हैं। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं की कुल निधियाँ रु.61.57 लाख करोड़ थीं, जिनमें से रु.53.96 लाख करोड़ (कुल निधियों का 87.64 प्रतिशत) पारंपरिक उत्पादों से थीं और शेष रु.7.61 लाख करोड़ (कुल निधियों का 12.36 प्रतिशत) यूलिप उत्पादों से थीं। जीवन बीमा कंपनी-वार निवेश विवरण 16 में प्रस्तुत किये गये हैं।

सारणी I.22: 31 मार्च तक जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश – श्रेणी वार

(रु. करोड़)

क्र.सं.	श्रेणी	2023	2024
	पारंपरिक उत्पाद		
1	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	21,82,289 (44.95)	24,37,256 (45.17)
2	राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	11,60,415 (23.90)	12,95,510 (24.01)
3	आवास और बुनियादी संरचना	4,57,272 (9.42)	4,99,520 (9.26)
4	अनुमोदित निवेश	9,13,359 (18.82)	10,65,425 (19.74)
5	अन्य निवेश	1,41,084 (2.91)	98,421 (1.82)
क	**कुल (1+2+3+4+5)**	**48,54,419 (100.00)**	**53,96,132 (100.00)**
	यूलिप उत्पाद		
6	अनुमोदित निवेश	5,50,523 (90.40)	6,85,216 (90.08)
7	अन्य निवेश	58,472 (9.60)	75,501 (9.92)
ख	**कुल (6+7)**	**6,08,995 (100.00)**	**7,60,717 100.00**
	कुल जोड़ (क+ख)	**54,63,414**	**61,56,849**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।

I.6.4.3 निधियों के वर्गीकरण की पद्धति के आधार पर, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, कुल निवेशों में जीवन निधि ने रु.39.22 लाख करोड़ (कुल निधियों का 63.70 प्रतिशत) का अंशदान किया, पेंशन और सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि ने रु.14.74 लाख करोड़ (कुल निधियों का 23.95 प्रतिशत) तथा यूनिट सहबद्ध निधि (यूलिप) ने रु.7.60 लाख करोड़ (कुल निधियों का 12.36 प्रतिशत) का अंशदान किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल निवेशों में पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक निधि का अंश 24.45 प्रतिशत से घटकर 23.95 प्रतिशत हुआ तथा यूलिप निधि का अंश 11.15 प्रतिशत से बढ़कर 12.36 प्रतिशत हो गया। 2023-24 में जीवन निधि के अंश में 64.40 प्रतिशत से 63.70 प्रतिशत तक कमी आई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीवन, पेंशन/वार्षिकी निधि और यूलिप निधि की मात्रा में क्रमशः रु.4.03 लाख करोड़, रु.1.38 लाख करोड़ और रु.1.52 लाख करोड़ की वृद्धि हुई।

सारणी I.23: जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश: निधि–वार (31 मार्च को)

(रु. करोड़)

खंड	2023			2024		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
जीवन	28,61,600	6,56,781	**35,18,381**	31,29,515	7,92,268	**39,21,783**
पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक निधि	11,55,875	1,80,163	**13,36,038**	12,59,025	2,15,324	**14,74,349**
यूलिप	26,180	5,82,815	**6,08,995**	35,040	7,25,677	**7,60,717**
कुल	**40,43,655**	**14,19,759**	**54,63,414**	**44,23,580**	**17,33,269**	**61,56,849**

साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के निवेश

I.6.4.4 बीमा क्षेत्र के द्वारा किये गये कुल निवेशों में साधारण, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के द्वारा निवेशों का अंश 8.89 प्रतिशत रहा। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये निवेशों की कुल राशि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के रु.5.41 लाख करोड़ की तुलना में रु.6.01 लाख करोड़ थी, जिसने 10.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

I.6.4.5 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं ने रु.2.99 लाख करोड़ (49.89 प्रतिशत) का निवेश प्रमुख रूप से केन्द्र, राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया है तथा रु.1.62 लाख करोड़ (27.07 प्रतिशत) का निवेश अनुमोदित निवेशों में किया है। साधारण बीमा और पुनर्बीमा कंपनी–वार निवेश विवरण 17 में प्रस्तुत किये गये हैं।

सारणी I.24: साधारण, स्वास्थ्य, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के निवेश

(रु. करोड़)

श्रेणी	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2024 को		
	साधारण बीमाकर्ता^^	पुनर्बीमाकर्ता ##	कुल	साधारण बीमाकर्ता^^	पुनर्बीमाकर्ता ##	कुल
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	1,32,774 (30.93)	40,797 (36.60)	1,73,571 (32.10)	1,34,832 (28.38)	44,566 (35.37)	1,79,398 (29.84)
राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	88,464 (20.61)	24,614 (22.08)	1,13,078 (20.91)	92,139 (19.39)	28,369 (22.51)	1,20,508 (20.05)
आवास तथा एफएफई के लिए राज्य सरकार को ऋण	37,703 (8.78)	7,466 (6.70)	45,169 (8.35)	34,291 (7.22)	7,966 (6.32)	42,257 (7.03)
बुनियादी संरचना निवेश	60,778 (14.16)	12,488 (11.20)	73,266 (13.55)	66,691 (14.04)	17,038 (13.52)	83,729 (13.93)
अनुमोदित निवेश	97,655 (22.75)	22,174 (19.89)	1,19,829 (22.16)	1,36,974 (28.83)	25,726 (20.42)	1,62,700 (27.07)
अन्य निवेश	11,956 (2.78)	3,926 (3.52)	15,882 (2.94)	10,174 (2.14)	2,344 (1.86)	12,518 (2.08)
कुल	**4,29,330 (100.00)**	**1,11,465 (100.00)**	**5,40,795 (100.00)**	**4,75,101 (100.00)**	**1,26,010 (100.00)**	**6,01,111 (100.00)**

टिप्पणी: 1. ^^ साधारण बीमाकर्ताओं में विशेषीकृत बीमाकर्ता और एसएएचआई शामिल हैं।
2. ## पुनर्बीमाकर्ताओं में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ शामिल हैं।
3. कोष्ठक में आंकड़े कुल निधियों में से संबंधित निधियों का प्रतिशत है।

I.6.5 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (यात्रा और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा को छोड़कर)

I.6.5.1 वर्ष 2023-24 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर) बीमा प्रीमियम के रूप में रु. 1,07,681 करोड़ का संग्रहण किया और इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

सारणी I.25: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम

(रु. करोड़)

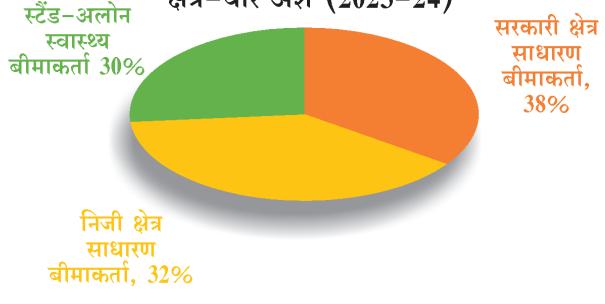
बीमाकर्ता	2022-23	2023-24
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	39,058.09 (18.56)	40,992.94 (4.95)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	25,182.04 (25.24)	34,507.71 (37.03)
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	25,251.63 (26.25)	32,180.09 (27.44)
कुल	**89,491.76** **(22.51)**	**1,07,680.74** **(20.32)**

टिप्पणी:
1. *कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।*
2. *उक्त डेटा में विदेशों में किये गये स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।*
3. *उक्त प्रीमियम वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय प्रीमियम को छोड़कर है।*
4. *डेटा बीमाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बीमा विवरणियों के अनुसार है।*

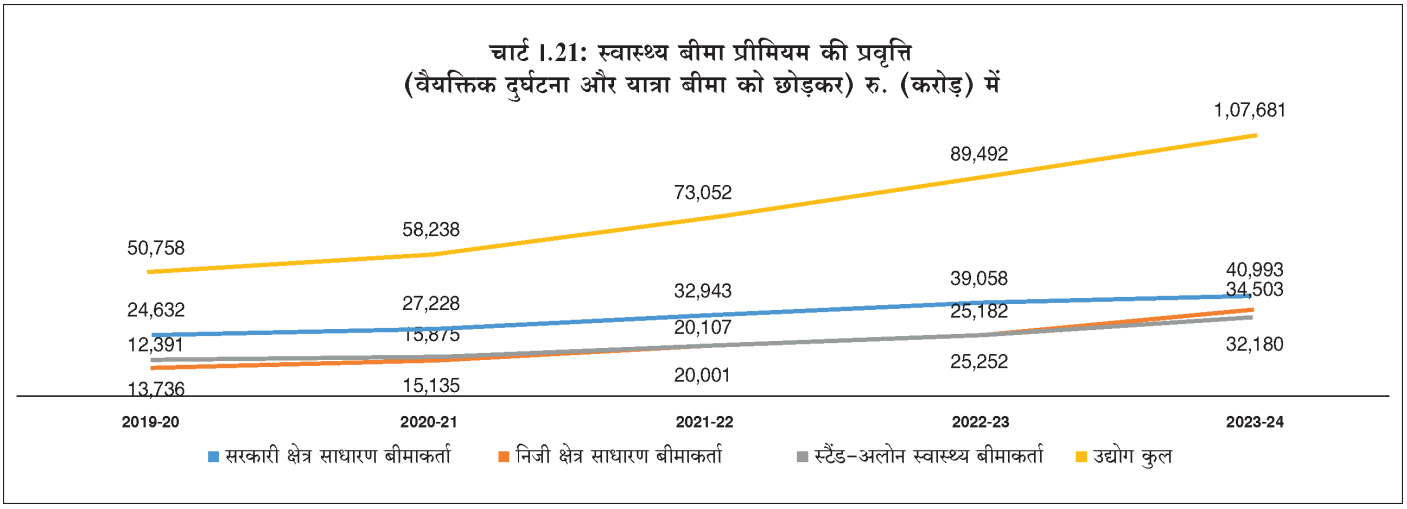
स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत पालिसियाँ और कवर किये गये जीवन

I.6.5.2 2023-24 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 2.68 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पालिसियों (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा के अंतर्गत जारी की गई पालिसियों को छोड़कर) के अंतर्गत 57 करोड़ जीवनों को कवर किया है।

चार्ट I.20: स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में क्षेत्र-वार अंश (2023-24)



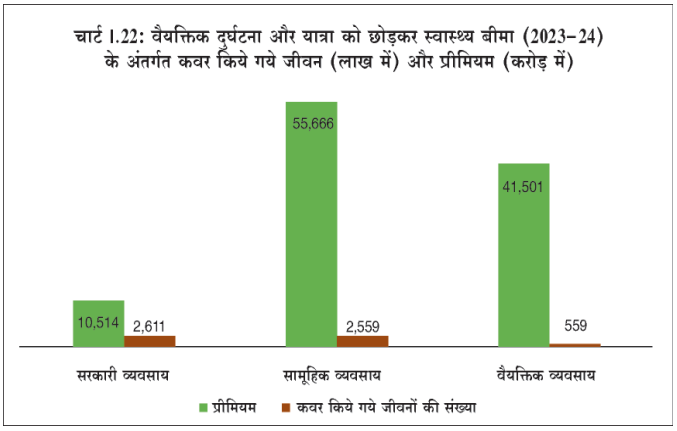
I.6.5.3 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण व्यवसाय के तीन वर्गों अर्थात् सरकार प्रायोजित, सामूहिक और वैयक्तिक, में किया गया है। कवर किये गये जीवनों की संख्या के तौर पर, जीवनों के लगभग 45 प्रतिशत को सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया, लगभग 45 प्रतिशत को सामूहिक व्यवसाय में तथा शेष लगभग 10 प्रतिशत को साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई वैयक्तिक पालिसियों के अंतर्गत कवर किया गया था। प्रीमियम की राशि के तौर पर सामूहिक व्यवसाय का अंश सबसे अधिक (51.68 प्रतिशत) था, जिसके बाद वैयक्तिक (38.55 प्रतिशत) का अंश और सरकारी व्यवसाय (9.77 प्रतिशत) का अंश था।



सारणी I.26: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पालिसियाँ, कवर किये गये जीवन, और प्रीमियम

व्यवसाय की श्रेणी	पालिसियों की संख्या (लाख)		कवर किये गये जीवनों की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)	
	2022–23	2023–24	2022–23	2023–24	2022–23	2023–24
सरकार प्रायोजित व्यवसाय	0.001 (0.00)	0.00 (0.00)	2,977.48 (-2.86)	2611.04 (-12.31)	8,480.28 (39.57)	10,513.67 (23.98)
सामूहिक व्यवसाय	6.50 (-7.07)	37.29 (473.69)	1,993.97 (22.87)	2,559.09 (28.34)	46,245.87 (25.36)	55,666.01 (20.37)
वैयक्तिक व्यवसाय	219.92 (0.31)	230.99 (5.03)	528.91 (2.46)	558.57 (5.61)	34,765.61 (15.56)	41,501.06 (19.37)
कुल	**226.42 (0.08)**	**268.29 (18.49)**	**5500.36 (5.69)**	**5728.71 (4.15)**	**89,491.76 (22.50)**	**1,07,680.74 (20.32)**

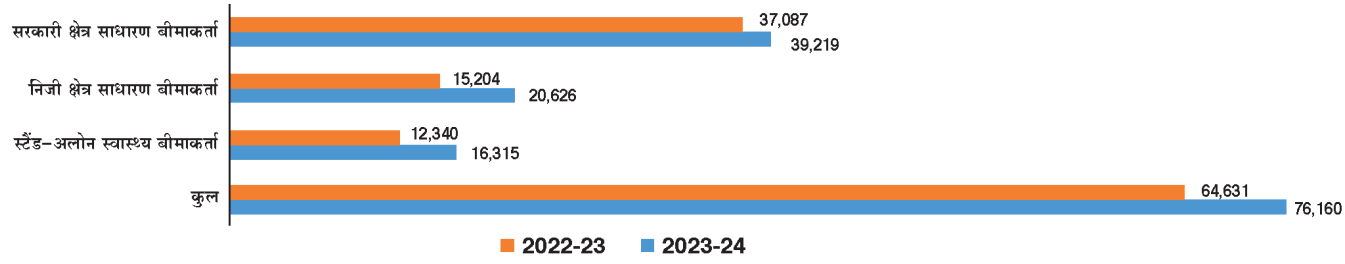
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं। डेटा वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर है।



स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत दावे

I.6.5.4 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत निवल उपगत दावे 2023–24 में रु. 76,160 करोड़ पर थे जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। स्वास्थ्य व्यवसाय के उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) में 2022–23 के 88.89 प्रतिशत से 2023–24 में 88.15 प्रतिशत तक गिरावट रही।

चार्ट I.23: स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत निवल उपगत दावे (रु. करोड़)

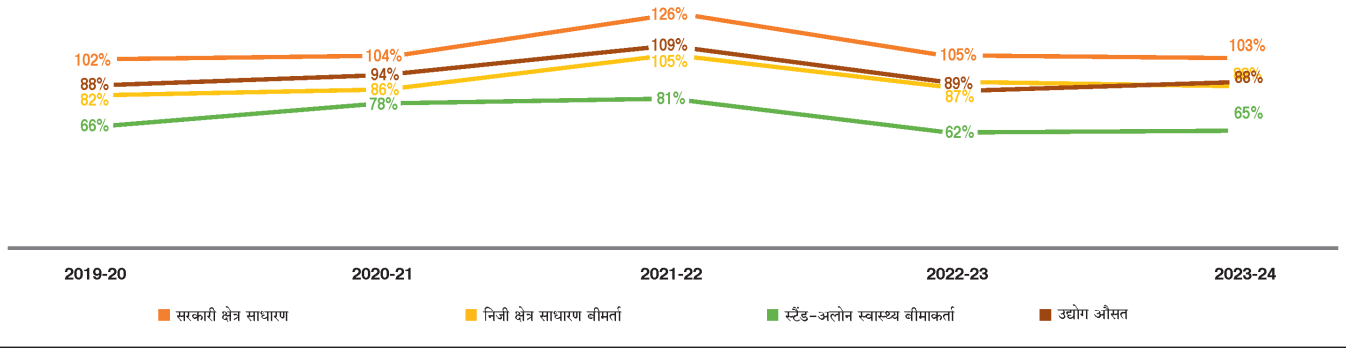


सारणी I.27: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात

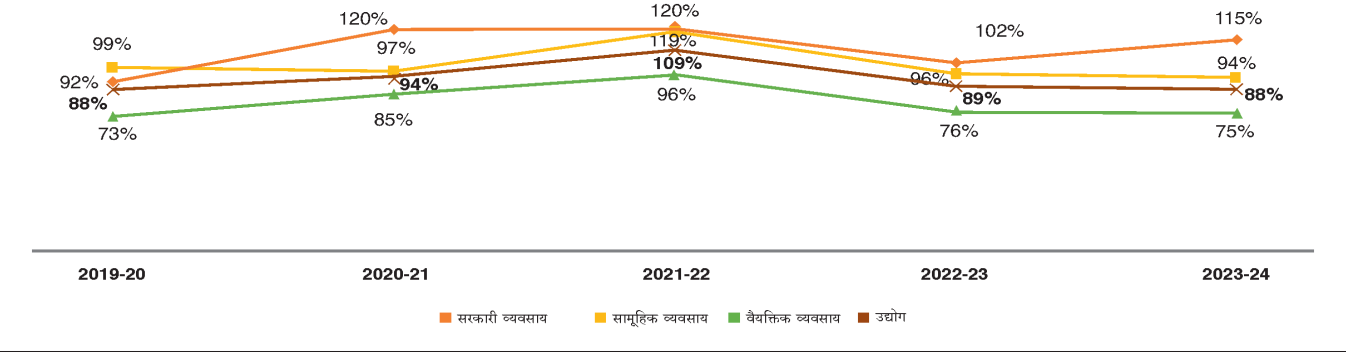
(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	सरकारी व्यवसाय		सामूहिक व्यवसाय		वैयक्तिक व्यवसाय		कुल	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	101.49	114.88	106.98	103.07	101.65	95.74	104.91	103.38
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	123.67	121.23	89.38	90.79	79.98	81.28	86.82	88.71
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	0.00	0.00	60.60	66.59	62.66	64.08	62.17	64.71
कुल	**102.28**	**115.28**	**95.89**	**93.75**	**76.03**	**75.06**	**88.89**	**88.15**

चार्ट I.24: स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्ति: क्षेत्र-वार



चार्ट I.25: स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्ति: खंड-वार



I.6.5.5 2023-24 के दौरान, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2.69 करोड़ स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान किया और स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के लिए रु.83,493 करोड़ की राशि का भुगतान किया। प्रति दावा भुगतान की गई औसत राशि रु. 31,086 थी। निपटाये गये दावों की संख्या के तौर पर दावों के 72 प्रतिशत का निपटान टीपीए के माध्यम से किया गया तथा शेष 28 प्रतिशत दावों को आंतरिक व्यवस्था के द्वारा निपटाया गया। दावों के निपटान की पद्धति के तौर पर, दावों की कुल संख्या के 66.16 प्रतिशत का निपटान नकदीरहित पद्धति के माध्यम से किया गया और अन्य 39 प्रतिशत को प्रतिपूर्ति पद्धति के द्वारा निपटाया गया। बीमाकर्ताओं ने अपनी दावा राशियों के 1 प्रतिशत का निपटान दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति पद्धति के द्वारा किया है। मात्रा में नकदीरहित दावों के तौर पर, 66.17 प्रतिशत का निपटान नकदीरहित पद्धति के द्वारा किया गया।

I.6.5.6 2023-24 के दौरान, बीमाकर्ताओं ने अपनी बहियों में पंजीकृत दावों की कुल संख्या के लगभग 83 प्रतिशत का निपटान किया है और उनके लगभग ग्यारह प्रतिशत को निराकृत किया है तथा 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार शेष छह प्रतिशत लंबित थे।

सारणी I.28: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत भुगतान किये गये दावे (2023-24)

दावा निपटान की पद्धति	टीपीए		आंतरिक		कुल	
	संख्या. (लाख)	राशि (₹करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹करोड़)
केवल नकदीरहित	114.84	34,710.02	42.00	20,525.07	156.84	55,235.09
	(59.69)	(66.94)	(55.12)	(64.87)	(58.39)	(66.16)
केवल प्रतिपूर्ति	73.58	16,302.99	31.07	9,873.56	104.65	26,176.56
	(38.25)	(31.44)	(40.77)	(31.20)	(38.96)	(31.35)
दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति	1.64	710.98	1.05	763.02	2.69	1,474.00
	(0.85)	(1.37)	(1.38)	(2.41)	(1.00)	(1.77)
लाभ आधारित	2.33	128.12	2.08	479.40	4.41	607.52
	(1.21)	(0.25)	(2.73)	(1.52)	(1.64)	(0.73)
कुल	**192.39**	**51,852.11**	**76.20**	**31,625.14**	**268.59**	**83,493.17**
	(100)	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल में से प्रतिशत हैं। डेटा वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर है।

सारणी I.29: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति (2023-24)

अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे		अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे		कुल दावे		अवधि के दौरान भुगतान किये गये दावे		पालिसी संविदा की शर्तों के अनुसार अस्वीकृत दावे		अवधि के दौरान निराकृत दावे		वर्ष के अंत में बकाया दावे	
संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)	संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)
17.85	6,290.28	307.87	1,10,825.06	325.72	1,17,115.34	268.59	83,493.17	0.00	15,100.42	36.40	10,937.18	20.73	7,584.57
				(100)	(100)	(82.46)	(71.29)	(0)	(12.90)	(11.18)	(9.34)	(6.36)	(6.48)

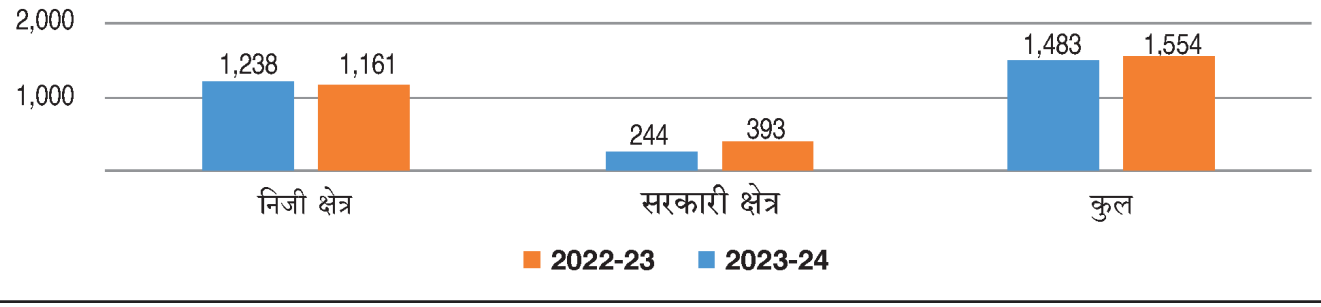
टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल में से प्रतिशत हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

प्रीमियम, पालिसियाँ और कवर किये गये जीवन

I.6.5.7 वर्ष 2023-24 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में 2022-23 में प्राप्त रु.1,483 करोड़ की तुलना में 4.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 1,554 करोड़ का संग्रहण किया।

चार्ट I.26: जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (रु. करोड़)



जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा उत्पाद

I.6.5.8 2023-24 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से रु.722 करोड़ का कुल प्रीमियम प्राप्त किया। जबकि नवीकरण प्रीमियम ने कुल प्रीमियम के लगभग 85 प्रतिशत का अंशदान किया, नये व्यवसाय ने शेष 15 प्रतिशत का अंशदान किया। 2023-24 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.98 लाख जीवनों को कवर करते हुए 0.91 लाख नई पालिसियाँ जारी की हैं, जबकि उन्होंने 9.46 जीवनों को कवर करते हुए 9.16 लाख पालिसियों का नवीकरण किया है।

जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा राइडर

I.6.5.9 राइडर जो मूल उत्पादों के साथ संबद्ध हैं, पालिसीधारकों को मूल्य के परिवर्धन के रूप में प्रस्तावित किये जाते हैं। 2023-24 के दौरान जीवन बीमा पालिसियों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा राइडरों के माध्यम से रु. 832 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया गया। इन राइडरों से प्राप्त कुल प्रीमियम में से 58 प्रतिशत नवीकरण के कारण था, जबकि शेष 42 प्रतिशत का अंशदान नये व्यवसाय के द्वारा किया गया। 2023-24 के दौरान, 30.82 लाख जीवनों को कवर करनेवाले नये जीवन बीमा उत्पादों के साथ 7.68 लाख स्वास्थ्य बीमा राइडर जारी किये गये। इसी अवधि के दौरान, जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध 25.23 लाख राइडरों का नवीकरण किया गया जिन्होंने 31.25 लाख जीवनों को कवर किया।

सारणी I.30: जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत पालिसियों की संख्या, कवर किये गये जीवन, प्रीमियम

व्यवसाय की श्रेणी	पालिसियो की संख्या / राइडरों की संख्या		कवर किये गये जीवनों की संख्या ('000)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा उत्पाद						
नया व्यवसाय	2,86,397	90,605	298.76	197.99	98.86	109.44
नवीकरण व्यवसाय	6,52,631	9,15,960	1019.35	945.61	442.03	612.44
जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य राइडर						
नया व्यवसाय	8,19,586	7,68,372	5,861.60	3,082.38	479.65	347.01
नवीकरण व्यवसाय	31,09,308	25,23,119	3,441.80	3,124.93	462.76	484.84

जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावे

I.6.5.10 वर्ष 2023-24 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में 30,258 दावों (पंजीकृत कुल दावों का 83 प्रतिशत) के निपटान के लिए दावों के रूप में रु.315 करोड़ का भुगतान किया है। राइडर दावों के संबंध में, बीमाकर्ताओं के द्वारा रु.181 करोड़ की राशि का भुगतान पंजीकृत 96 प्रतिशत दावों के लिए किया गया।

सारणी I.31: जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत दावों की स्थिति

(संख्या लाख में और राशि य करोड़ में)

खंड	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे		वर्ष के दौरान सूचित किये गये दावे		वर्ष के दौरान भुगतान किये गये दावे		निराकृत/ अस्वीकृत दावे		वर्ष के अंत में बकाया दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
स्वास्थ्य बीमा उत्पाद	584	17.34	36,389	366.09	30,258	314.55	6,291	51.42	424	17.46
स्वास्थ्य बीमा राइडर	230	23.02	23,894	229.88	23,063	181.41	704	53.36	357	18.12

वैयक्तिक दुर्घटना बीमा

I.6.5.11 2023-24 के दौरान, बीमा उद्योग ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कुल 165.05 करोड़ जीवनों को कवर किया है। इसमें सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), तथा ई-टिकट यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी यात्रा बीमा के अंतर्गत कवर किये गये 90.10 करोड़ जीवन शामिल हैं।

I.6.5.12 2023-24 के दौरान, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय रु. 7,788 करोड़ थी। जबकि निजी क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं ने कुल प्रीमियम में लगभग 57 प्रतिशत का योगदान दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं और एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने क्रमशः लगभग 33 प्रतिशत और 10 प्रतिशत प्रीमियम का योगदान दिया है। वर्ष 2023-24 के लिए इस व्यवसाय के लिए आईसीआर लगभग 67 प्रतिशत था।

सारणी I.32: वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	जीवनो की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
सरकारी क्षेत्र	5,546.56	7,975.95	2,089.75	2,554.99	96.20	96.82
निजी क्षेत्र	6,082.04	8316.54	4,171.23	4,468.73	48.14	53.80
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	272.30	212.02	786.60	764.76	24.54	23.99
कुल	**11,900.90**	**16,504.51**	**7,047.58**	**7,788.47**	**60.77**	**66.87**

टिप्पणी:

1. *उक्त डेटा में आईआरसीटीसी, पीएमएसबीवाई और पीएमजेडीवाई व्यवसायों के अंतर्गत कवर किये गये जीवनों की संख्या शामिल है।*
2. *उक्त डेटा में विदेशों में किये गये वैयक्तिक दुर्घटना का ब्योरा शामिल नहीं है।*
3. *यह ध्यान रखा जाए कि आईआरसीटीसी योजना के अंतर्गत, वैयक्तिक दुर्घटना कवर रेल यात्रियों को यात्री द्वारा की गई केवल एक विनिर्दिष्ट यात्रा के लिए दिया जाता है तथा एक व्यक्ति सूचित की गई अवधि के दौरान कई यात्राएँ कर सकता है। किसी भी वैयक्तिक दुर्घटना पालिसी/योजनाओं में कवर किये गये जीवनों के लिए, एक व्यक्ति को कई बार कवर किया गया होगा।*

सारणी I.33: सरकार प्रायोजित वैयक्तिक दुर्घटना योजनाओं के अंतर्गत कवरेज

योजना	कवर किये गये व्यक्तियों की संख्या (लाख)	सकल प्रीमियम (₹करोड़)
आईआरसीटीसी	3,734.70	11.67
पीएमजेडीवाई	1,874.75	5.65
पीएमएसबीवाई	3,400.06	685.13
कुल	**9,009.51**	**702.45**

यात्रा बीमा

I.6.5.13 2023-24 के दौरान, 23.23 लाख सीमापार यात्रा बीमा पालिसियों के अंतर्गत 74.96 लाख जीवन कवर किये गये। 2023-24 के लिए सीमापार यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय रु. 1,099 करोड़ थी। व्यवसाय की इस व्यवस्था में, निजी साधारण बीमाकर्ता बड़े खिलाड़ी हैं जिनका बाजार अंश सकल प्रीमियम में लगभग 85 प्रतिशत है। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए आईसीआर वर्ष 2023-24 के लिए 42 प्रतिशत था।

I.6.5.14 2023-24 के दौरान, देशी यात्रा बीमा व्यवसाय से संगृहीत सकल प्रीमियम रु. 125.53 करोड़ था, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 1.62 लाख पालिसियों के अंतर्गत 43.31 करोड़ जीवनों को कवर किया है।

सारणी I.34: सीमापार यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	जीवनों की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
सरकारी क्षेत्र	0.57	0.74	20.05	19.05	41.91	50.96
निजी क्षेत्र	69.54	58.69	746.99	931.99	43.68	43.43
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	8.60	15.53	138.49	148.00	32.10	33.58
कुल	**78.71**	**74.96**	**905.53**	**1099.04**	**41.59**	**42.16**

टिप्पणीः उक्त डेटा में विदेशों में किये गये सीमापार यात्रा बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।

सारणी I.35: देशी यात्रा बीमा के अंतर्गत व्यवसाय

बीमाकर्ता	जीवनों की संख्या (लाख)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
सरकारी क्षेत्र	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00
निजी क्षेत्र	4,776.34	4,306.97	162.70	99.05	21.94	20.70
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	18.39	24.41	67.12	26.45	4.94	10.81
कुल	**4,794.74**	**4,331.38**	**229.83**	**125.53**	**16.90**	**18.77**

भारत के बाहर जोखिम-अंकित स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

I.6.5.15 सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता अर्थात् न्यू इंडिया, नेशनल और ओरियन्टल इंश्योरेंस विदेशों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, उन्होंने स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा से रु. 154 करोड़ का सकल प्रीमियम प्राप्त किया है तथा 10.17 लाख जीवनों को कवर किया है। भारत के बाहर किये गये इस व्यवसाय के लिए आईसीआर 2023-24 के दौरान 107 प्रतिशत है।

सारणी I.36: भारत के बाहर जोखिम-अंकित स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय

बीमाकर्ता	कवर किये गये जीवनों की संख्या ('000)		सकल प्रीमियम (₹करोड़)		उपगत दावा अनुपात (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
नेशनल	98.00	10.73	2.67	1.53	189.96	210.28
न्यू इंडिया	1,033.32	992.39	218.80	150.96	81.12	106.12
ओरियन्टल	15.45	13.88	41.20	1.62	104.50	89.50
कुल	**1,146.77**	**1017.00**	**262.67**	**154.11**	**85.24**	**106.83**

I.6.6 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले व्यवसाय का विनिर्दिष्ट प्रतिशत

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी तथा आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 वार्षिक आधार पर बीमाकर्ताओं द्वारा पूरे किये जानेवाले ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों से व्यवसाय के लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं के दायित्वों संबंधी विनियम

I.6.6.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने वार्षिक आधार पर बीमाकर्ताओं के द्वारा पूरे किये जानेवाले ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों से व्यवसाय के लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इन विनियमों के अनुसार, बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे निर्धारित वर्ष-वार व्यवसाय के लक्ष्यों को पूरा करें :

i. कुल व्यवसाय पर परिकलित सामाजिक क्षेत्र जीवनों के प्रतिशत के तौर पर; और

ii. ग्रामीण क्षेत्रों से, जीवन बीमाकर्ताओं के लिए पालिसियों की संख्या के प्रतिशत के तौर पर तथा साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए प्रत्यक्ष जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के तौर पर्। इन विनियमों का संशोधन किया गया है और इन्हें आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के रूप में समेकित किया गया है जो 1 अप्रैल 2024 से प्रवृत्त होंगे। उक्त विनियम के संबंध में एक विस्तृत बाक्स मद भाग II में उपलब्ध है।

I.6.6.2 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 बीमाकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे परिचालन के वर्षों की सख्या के आधार पर इन खंडों में व्यवसाय का जोखिम-अंकन करें्। इन विनियमों में यह भी व्यवस्था है कि, यदि कोई बीमा कंपनी परिचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में प्रारंभ करती है और संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में है:

i. उपर्युक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्र दायित्व लागू नहीं होंगे; तथा

ii. उक्त विनियमों में निर्दिष्ट रूप में वार्षिक दायित्वों की गणना अगले वित्तीय वर्ष से की जाएगी जो अनुपालन के प्रयोजन के लिए परिचालन के प्रथम वर्ष के रूप में माना जाएगा।

iii. उस स्थिति में जहाँ कोई जीवन बीमा कंपनी परिचालन वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रारंभ करती है, वहाँ प्रथम वर्ष के लिए लागू दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दायित्वों का 50 प्रतिशत होंगे और सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे।

2023-24 के दौरान बीमाकर्ताओं द्वारा दायित्वों की पूर्ति

जीवन बीमाकर्ता

I.6.6.3 वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता एवं सभी पच्चीस निजी क्षेत्र जीवन बीमा कंपनियों ने अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया है।

I.6.6.4 जीवन बीमा कंपनियों ने 2023-24 में अपने द्वारा जोखिम-अंकित कुल 291.77 लाख पालिसियों में से ग्रामीण क्षेत्र में 122.70 लाख पालिसियों का जोखिम-अंकन किया।

सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता ने नई पालिसियों के 47.72 प्रतिशत का जोखिम-अंकन ग्रामीण क्षेत्र में किया और निजी बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी नई वैयक्तिक पालिसियों के 28.91 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया।

I.6.6.5 जीवन बीमाकर्ताओं ने सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 6.66 करोड़ जीवनों को कवर किया है, यानि 22.75 प्रतिशत जो निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक है । सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता ने 5.73 प्रतिशत प्राप्त किया और निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं ने 26.88 प्रतिशत प्राप्त किया।

I.6.6.6 मेसर्स सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52बी (2) के अधीन आईआरडीएआई के आदेश संदर्भ आईआरडीएआई/एफएण्डए/ ओआर/एफए/ 148/06/2017 के अनुसार 24 जून 2017 से नये व्यवसाय का जोखिम-अंकन न करने के लिए निदेश दिया गया था। अतः सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. को ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के अनुपालन से छूट दी गई है।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

I.6.6.7 2023-24 के दौरान, सभी 25 साधारण बीमाकर्ताओं (विशेषीकृत और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) ने अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों की पूर्ति की है। सभी साधारण बीमाकर्ताओं (विशेषीकृत और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) ने 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्र में रु. 40,857 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र सकल प्रीमियम (विशेषीकृत और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) के क्रमशः 21 प्रतिशत और 79 प्रतिशत का जोखिम-अंकन किया।

I.6.6.8 सात एसएएचआई बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में रु.4,712 करोड़ प्रीमियम प्राप्त किया जो वर्ष 2023-24 में उनके द्वारा प्राप्त किये गये सकल प्रीमियम का 14.23 प्रतिशत बनता है तथा उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत 59.32 लाख जीवनों को अर्थात् पिछले वर्ष में कवर किये गये कुल जीवनों के 6.73 प्रतिशत को कवर किया है।

मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय दायित्व

I.6.6.9 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32डी विनिर्दिष्ट करती है कि साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाला प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के बाद उक्त विनियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले रूप में मोटर वाहनों के अन्य पक्ष जोखिमों में बीमा व्यवसाय के न्यूनतम प्रतिशत का जोखिम-अंकन करेगा। तदनुसार, आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 वार्षिक आधार पर मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के न्यूनतम दायित्व को निर्धारित करता है।

वर्ष 2023-24 में 25 साधारण बीमाकर्ताओं (विशेषीकृत और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) में से दो बीमाकर्ताओं ने मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में न्यूनतम दायित्व का अनुपालन नहीं किया। यह विषय विनियामक परिप्रेक्ष्य से जाँच के अधीन है। क्षेमा साधारण बीमाकर्ता को 2023-24 के दौरान उक्त बाध्यकर अपेक्षा लागू करने से छूट दी गई है क्योंकि उसने परिचालन माह मई 2023 में प्रारंभ किया है तथा आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 के अनुसार नये साधारण बीमाकर्ता को उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें उसके परिचालन प्रारंभ किये जाते हैं, उसके परिचालनों के प्रथम दो वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त बाध्यकर अपेक्षा को लागू करने से छूट दी जाती है।

I.6.7 लेखा और बीमांकिक मानक

I.6.7.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के अंतर्गत तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा भी निर्धारित फार्म में और निर्धारित तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियों का अनुरक्षण इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यवस्थाओं की मदें प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

नियुक्त बीमांकक प्रणाली

I.6.7.2 प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों की वित्तीय समग्रता को बनाये रखने, पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने और एक सुदृढ़ बीमा बाजार को सुनिश्चित करने के लिए आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000 जारी किये। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, प्राधिकरण ने नियुक्त बीमांकक संबंधी पिछले विनियमों को सम्मिलित करते हुए आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 जारी किये। बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलताओं की वृद्धि करने और बीमा बाजार के बदलते गतिसिद्धांत के साथ बराबर चलने के लिए, प्राधिकरण

ने आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 की समीक्षा की और समेकित आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में संगत उपबंध शामिल किये, जिसमें अन्य बातों के साथ नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए क्रियाविधि, नियुक्त बीमांकक की शक्तियाँ, नियुक्त बीमांकक के कर्तव्य और दायित्व तथा नियुक्त बीमांकक प्रणाली के संबंध में कई अन्य उपबंध शामिल किये गये हैं।

I.6.7.3 नियुक्त बीमांकक अन्य बातों के साथ-साथ बीमाकर्ता के प्रबंधन को बीमांकिक परामर्श देने, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण में परामर्श देने, तकनीकी व्यवस्थाओं का परिकलन करने, बीमा संविदा शब्दावली/ वाक्यरचना, निवेश और पुनर्बीमा, कंपनी की शोधन-क्षमता सुनिश्चित करने, जोखिम प्रबंध प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन करने, तथा समय-समय पर जारी किये जानेवाले प्राधिकरण के निदेशों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा नियंत्रण में विद्यमान समस्त सूचना अथवा दस्तावेजों तक पहुँच रखता है, यदि ऐसी पहुँच नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक है।

I.6.8 प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेश, आदेश और विनियम

I.6.8.1 आईआरडीएआई ने 2023-24 के दौरान कई आदेश और परिपत्र जारी किये, जिनकी सूची अनुबंध 4 में प्रस्तुत की गई है। वर्ष के दौरान अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची अनुबंध 5 में प्रस्तुत है।

I.6.9 प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ और कार्य

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित प्राधिकरण की 123वीं बैठक दिनांक 18.08.2023 के दौरान, प्राधिकरण ने निम्नलिखित विनियमों के अधीन अपनी कुछ शक्तियाँ अध्यक्ष/ पूर्णकालिक सदस्यों / प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यायोजित की हैं :

i. आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022

ii. आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018

iii. आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

iv. आईआरडीएआई (वैयक्तिक एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016

v. आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015

vi. आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015

vii. आईआरडीएआई (वेब संग्राहक) विनियम, 2017

viii. बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी दिशानिर्देश, 2015

ix. बीमा ई-कामर्स संबंधी दिशानिर्देश, 2017

x. आईआरडीएआई (अन्य पक्ष प्रबंधक स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016

xi. आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015

xii. मोटर बीमा सेवा प्रदाता संबंधी दिशानिर्देश, 2017

I.6.10 बीमा बाजार के कार्यचालन से संबंध रखनेवाली अन्य नीतियाँ और कार्यक्रम

क. धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने का (एएमएल/सीएफटी) कार्यक्रम

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और उसके अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा सशक्त किये जाने के बाद उक्त एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) बीमा क्षेत्र को सर्वप्रथम मार्च 2006 में जारी किये गये। तब से बीमा क्षेत्र भारत में एएमएल/सीएफटी व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में कार्य कर रहा है।

वर्तमान में एएमएल/सीएफटी संबंधी दिशानिर्देश 2022 (समय-समय पर यथासंशोधित) बीमा क्षेत्र के लिए लागू हैं। उक्त मास्टर दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग बाध्यताओं और अभिलेख अनुरक्षण की आवश्यकताओं से संबंधित अपेक्षाएँ निर्धारित करते हैं। बीमाकर्ता के आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण विभागों के माध्यम से प्रणालियों की प्रभावात्मकता की नियमित समीक्षा की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अलावा, उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की

निगरानी भी आईआरडीएआई द्वारा आन-साइट और परोक्ष (आफ़-साइट) दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा की जाती है।

विनियमित संस्थाओं के द्वारा एएमएल/सीएफटी दायित्वों और धन-शोधन (एमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण (टीएफ) जोखिमों की सुस्पष्ट समझ को सुनिश्चित करने के लिए, आईआरडीएआई ने 2023-24 के दौरान अनेक जनसंपर्क कार्यक्रम संचालित किये हैं। आईआरडीएआई के पास वित्तीय क्षेत्र में एमएल/टीएफ जोखिमों की समझ की साझेदारी तथा एमएल/टीएफ जोखिम संबंधी सूचना की साझेदारी को समर्थ बनानेवाली निम्नलिखित व्यवस्थाएँ भी विद्यमान हैं :

i. अंतर-मंत्रालय समन्वय समिति (आईएमसीसी) के अधीन संयुक्त कार्य-दल (जेडब्ल्यूजी) जो भारत की एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की प्रभावात्मकता में सुधार लाने हेतु प्रभावी समन्वय और सहयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई है

ii. वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-इंड) के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू)

iii. एफआईयू-इंड के साथ वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं की तिमाही बैठक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), जो धन-शोधन (एमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण (टीएफ) के लिए एक वैश्विक हितप्रहरी (वाचडाग) है, ने भारत के एएमएल/सीएफटी ढाँचे का पारस्परिक मूल्यांकन (एमई) प्रारंभ किया है। उक्त एमएल प्रक्रिया, अंन्य बातों के साथ-साथ एफएटीएफ की सिफारिशों (तकनीकी अनुपालन) के अनुपालन तथा एमएल/टीएफ/पीएफ प्रयोजनों के लिए वित्तीय क्षेत्र के दुरुपयोग का निवारण करने में न्यायव्यवस्था द्वारा लागू किये गये एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ ढाँचे की प्रभावात्मकता के मूल्यांकन को संबद्ध करती है।

आईआरडीएआई ने राजस्व विभाग के तत्वावधान में उक्त एमई प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले चुका है। एफएटीएफ मूल्यांकन टीम (एटी) का आनसाइट विजिट नवंबर 2023 में संचालित किया गया था। आईआरडीएआई ने बीमा उद्योग के चयनित प्रतिनिधियों के साथ एफएटीएफ एटी के साथ परस्पर सक्रिय विचार-विमर्श (इंटरऐक्शन) किया तथा एमएल/टीएफ/पीएफ के लिए बीमा क्षेत्र के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए लागू किये गये उपायों का प्रदर्शन किया।

ख. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

वर्ष के दौरान, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर्तव्यों और दायित्वों के प्रभावी निर्वहण के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) द्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के लिए परस्पर सक्रिय विचार-विमर्श (इंटरऐक्शन) सत्र का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अध्याय, धारा 4(2) के अनुसरण में आवेदकों के द्वारा प्रायः पूछी जानेवाली सूचना की श्रेणियों की पहचान और आवधिक तौर पर उसकी समीक्षा करने तथा आरटीआई के संदर्भ में सार्वजनिक पहुँच (पब्लिक डोमेन) में ऐसी सूचना के प्रकटीकरण की समीक्षा करने के लिए सीपीआईओ और एफएए की एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है।

सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक रूप से उन्मुख बीमा योजनाएँ

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक वर्ष की सामूहिक सावधि जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर देने के लिए भारत सरकार द्वारा अभिकल्पित है। सहभागी बैंकों / डाक घर के सभी वैयक्तिक (एकल अथवा संयुक्त) खाताधारक जो 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के हैं, इस योजना में सम्मिलित होने / आटो-डेबिट करने के लिए अपनी सहमति देने के द्वारा इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा एक या विभिन्न बैंकों / डाक घरों में एक से अधिक खाते धारित करने की स्थिति में ऐसा व्यक्ति केवल एक ही बैंक / डाक घर खाते में इस योजना में सम्मिलित होने के लिए पात्र है। दो लाख रुपये का जीवन कवर एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जो वर्ष के 1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक व्याप्त होगा तथा यह उसके बाद प्रत्येक वर्ष में स्वतः नवीकरण-योग्य होगा। प्रीमियम रु. 436 प्रति वर्ष है (पालिसी वर्ष 2023-24 के लिए)। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार यह योजना सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता और 13 निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जा रही है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है और जो 31 मई को या उससे पहले 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए वार्षिक नवीनीकरण के आधार पर शामिल होने/ऑटो-डेबिट सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। इस योजना के तहत जोखिम कवरेज आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख है। पॉलिसी वर्ष 2022-23 के लिए प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष था। यह योजना सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाती है, जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ कर रही हैं।

प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

यह योजना वर्तमान विशेषताओं के साथ जारी है तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

1. प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) बुआई-पूर्व स्तर से फ़सल कटाई के बाद के स्तर तक सभी अनिवारणीय प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध किसानों की फ़सलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने हेतु वहनीय फ़सल बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि में उत्पादन को समर्थन देने के उद्देश्य के साथ खरीफ़ 2016 से प्रारंभ की गई थी। पीएमएफबीवाई भारत में कुल फ़सल बीमा व्यवसाय के 90 प्रतिशत से अधिक बनती है। इस योजना का कार्यान्वयन सूचीबद्ध साधारण बीमा कंपनियों के द्वारा किया जाता है। पीएमएफबीवाई योजना का संवर्धन निम्नानुसार किया गया हैः

क. जोखिम अंतरण विकल्प का चयन करने के लिए राज्यों को अधिक लचीलापन

i. लाभ साझेदारी माडल

ii. कप और कैप माडल (60:130)

iii. कप और कैप माडल (80:110)

iv. यह राज्य को उनके बजट और आवश्यकता के अनुसार जोखिम अंतरण विकल्प का चयन करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

ख. प्रीमियम सब्सिडी के समय पर निर्मोचन (रिलीज़) को सुनिश्चित करने और कठोर वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने के लिए सब्सिडी भुगतान को राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निलंब (एस्क्रो) खाते के माध्यम से सरल और कारगर बनाया जाएगा। साथ ही, सारा वित्तीय लेनदेन राष्ट्रीय फ़सल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के द्वारा किया जाएगा।

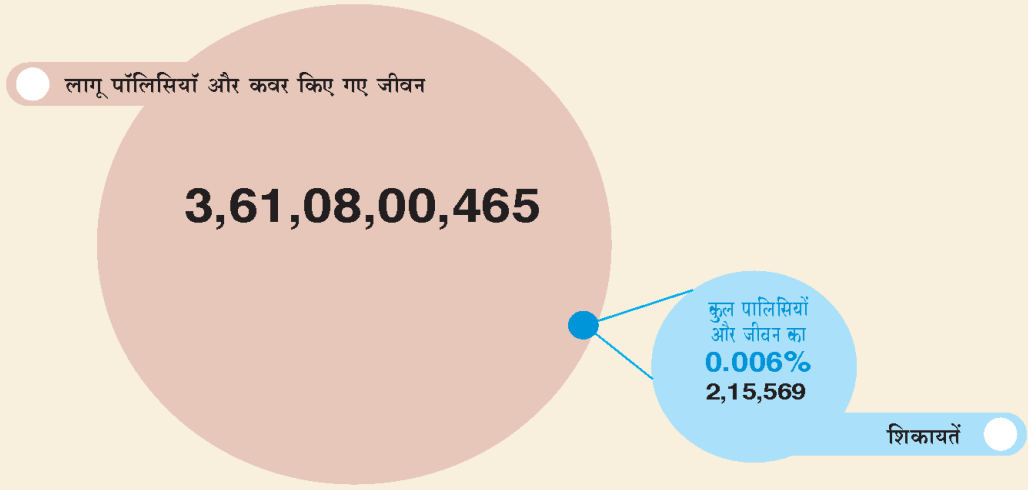
ग. भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से अभिकल्पित मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से सीसीई का संचालन करना। यह पारदर्शिता को बढ़ायेगा और तेजी से डेटा का प्रसार करने में सहायता करेगा।

घ. उपज के अनुमान और फ़सल के स्वास्थ्य के लिए प्रौद्योगिकीगत मध्यक्षेपों (इंटरवेन्शन्स) यसटेक (यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम थ्रू टेक्नलाजी), विंड्स (वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क एण्ड डेटा सिस्टम), क्रापिक (कलेक्शन आफ़ रियल-टाइम फोटो एण्ड अब्जर्वेशन आफ़ क्राप) को संबद्ध करना। यह हितधारकों के विश्वास का निर्माण करने में सहायता करेगा तथा एवाई डेटा की उपलब्धता में विलंब को कम करेगा।

2. पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी तथा इसका उद्देश्य वर्षा, तापमान, वायु, नमी आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के परिणामस्वरूप होनेवाली प्रत्याशित फ़सल हानि के कारण वित्तीय हानि की संभावना के विरुद्ध बीमाकृत किसानों की कठिनाई को कम करना है। आरडब्ल्यूबीसीआईएस मानी गई फ़सल हानियों के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति करने हेतु फ़सल उपजों के लिए परोक्षी (प्राक्सी) के रूप में मौसम के पैरामीटरों का प्रयोग करती है। सभी मानक दावों का प्रसंस्करण और भुगतान जोखिम अवधि की समाप्ति से 45 दिन के अंदर किया जाता है। दोनों पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस का प्रबंध कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है।

प्रमुखताएँ

बीमा शिकायतें – एक नजर में



यानी प्रति लाख पॉलिसियों और कवर किए गए जीवन पर केवल 6 शिकायतें

बीमा उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करना

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक

- आईएफआरएस का अंगीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में वैश्विक सुयोजन को बढ़ावा देता है।
- यह हितधारकों को किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और कार्यनिष्पादन को स्पष्ट रूप से समझने का प्रबंध करते हुए पारदर्शिता, सामंजस्य और तुलनीयता का संवर्धन करता है।
- बीमाकर्ता आईआरडीएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए मानक प्रारूप के आधार पर वित्तीय प्रभाव और अंतर मूल्यांकन अध्ययन पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण के लिए मानकीकृत प्रारूप तैयार करने का काम भी प्रगति पर है।

जोखिम आधारित पूँजी

- जोखिम आधारित पूँजी (आरबीसी) एक कारक-आधारित से जोखिम-आधारित दृष्टिकोण वाले प्रबंध की ओर अवस्थांतर है।
- यह संस्थाओं को बेहतर जोखिम प्रबंध, संवर्धित बाजार अनुशासन प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाती है तथा समग्र वित्तीय स्थिरता में योगदान करती है।
- इस दिशा में, इसके निहितार्थों का आकलन करने के लिए मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस1) संचालित किया गया है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढाँचा

- जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढाँचा (आरबीएसएफ) संभावित जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु सक्रिय उपायों को समर्थ बनाते हुए प्रत्येक संस्था के विशिष्ट जोखिम प्रोफाइल की आवश्यकता के अनुरूप एक व्यापक जोखिम प्रबंध दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- यह चालू अनुपालन और आघात-सहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी निगरानी को मजबूत करता है।
- उक्त ढाँचे का परीक्षण करने के लिए उसकी प्रभावात्मकता में मूल्यवान अंतर्दृष्टियाँ देते हुए प्रायोगिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

बीमा पुनर्नबीकृत विनियामक संरचना



बीमाकर्ताओं के लिए प्रवेश की सुगमता



भाग – II
कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

विनियामक ढाँचे की व्यापक समीक्षा और सरलीकरण:

आईआरडीएआई ने पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के साथ ही, व्यवसाय करने की सुगमता का संवर्धन करने और अनुपालन के भार को कम करने के लिए बीमा क्षेत्र से संबंधित विनियामक ढाँचे की एक व्यापक समीक्षा प्रारंभ की है।

इसके परिणामस्वरूप, बीमा क्षेत्र से संबंधित सभी विनियमों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का एक गहन मूल्यांकन और परीक्षण, अनुपालनों के संबद्ध भार और लागत सहित, उनकी संगतता, दक्षता, सरलता और अनुकूलनशीलता के लिए किया गया है। मूल्यांकन का एक मुख्य तत्व विशेष रूप से हितधारकों के साथ और सामान्य रूप से जनसाधारण के साथ विस्तृत परामर्श था। इन परामर्शों ने महत्वपूर्ण निविष्टियाँ और गहरी अंतर्दृष्टियाँ दी हैं जो जमीनी वास्तविकताओं, क्षेत्र की आवश्यकताओं और उसमें अपेक्षित परिवर्तनों की बेहतर समझ में परिणत हुई हैं।

इस व्यापक और सहभागितापूर्ण प्रक्रिया ने क्षेत्र को प्रारंभ करने के समय से लेकर बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से संबंधित 78 से अधिक विनियमों की संख्या को घटाकर 28 (31 मार्च, 2024) तक करने की ओर मार्ग प्रशस्त किया है। इसी प्रकार, बीमा क्षेत्र में अनुपालन का भार कम करने और परिचालनगत कार्यकुशलताओं की वृद्धि करने के लिए 167 परिपत्र निरस्त किये गये।

इसके अलावा, 82 विवरणियों को युक्तियुक्त बनाया गया है तथा आईआरडीएआई के पास फाइल की जानेवाली सभी विनियामक विवरणियों के लिए एक समग्र संदर्भ उपलब्ध कराया गया है।

उक्त संशोधित ढाँचा अधिक सिद्धांत आधारित है तथा बीमाकर्ताओं को आवश्यक सुरक्षित घेरों (गार्डरेलों) के साथ पर्याप्त लचीलापन मुहैया करता है तथा इसके साथ ही, अनुपालन की लागत को कम करता है। नियमित / आवधिक समीक्षा को सुनिश्चित करने तथा विनियामक परिदृश्य में गतिवाद (डाइनमिज्म) को शामिल करने के लिए तीन वर्ष का एक समापन खंड (सनसेट क्लाज़) जोड़ दिया गया है।

बीमा क्षेत्र में नवोन्मेषण, प्रतिस्पर्धा, और धारणीय वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ ही, पालिसीधाकरों के हितों को प्राथमिकता देनेवाले समर्थकारी विनियामक परिवेश के निर्माण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, आईआरडीएआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दस सिद्धांत-आधारित विनियमों का अनुमोदन किया है। इनमें से आठ समेकित विनियम थे, तथा दो नये विनियम थे। ये विनियम बीमा क्षेत्र के विनियामक ढाँचे की गहन समीक्षा के बाद प्रस्तुत किये गये हैं।

ये आठ विनियम महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हैं, जैसे पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति दायित्व, मोटर अन्य पक्ष बीमा, इलेक्ट्रानिक बीमा बाजार स्थान जो आम तौर पर 'बीमा सुगम' के रूप में जाना जाता है, बीमा उत्पादों की सभी श्रेणियों के लिए एकीकृत मानदंड, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं का परिचालन, तथा बीमा कंपनियों के पंजीकरण से संबंधित पहलू, बीमांकिक प्रथाएँ, वित्त, निवेश, कमीशन सहित प्रबंधन के व्यय एवं कारपोरेट अभिशासन।

विनियमों को युक्तिसंगत बनाने के अतिरिक्त, विनियामक कार्य रिपोर्ट प्रणाली (आरएआरएस), जो विनियमित संस्थाओं के उल्लंघनों के संबंध में आईआरडीएआई द्वारा की गई एक केन्द्रीकृत डेटा (भंडार) रिपोजिटरी है, भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है। यह प्रत्याशित है कि उक्त आरएआरएस पारदर्शिता और ऐतिहासिक अभिलेखों तक पहुँच को उपलब्ध कराएगी। इस प्रणाली के संबंध में बाक्स मद खखख.2 में विस्तार से चर्चा की गई है।

व्यवसाय करने की सुगमता को सुसाध्य बनाने, अनुपालन के भार को कम करने, और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य के साथ, आईआरडीएआई ने साधारण बीमा उत्पादों को सभी प्रचलित प्रशुल्कों से संबंधित सामान्य विनियमों, निबंधनो और शर्तों तथा अन्य विशिष्टियों की अधिसूचना को निरस्त (डी-नोटिफाई) किया है। इन प्रशुल्कों की अधिसूचना का निरसन एक महत्वपूर्ण मील-पत्थर है जिसके बारे में बाक्स मद खखख.1 में विस्तार से चर्चा की गई है।

आईआरडीएआई पूँजी के उपयोग और जोखिम प्रबंध को इष्टतम बनाते हुए, बीमाकर्ताओं की सहायता उनके जोखिमों के लिए संगत रूप में पर्याप्त पूँजी के अनुरक्षण हेतु करने के लिए भारतीय

जोखिम-आधारित पूँजी (इंड-आरबीसी) का विकास कर रहा है। वर्तमान कारक-आधारित माडल से इस संक्रमण के भाग के रूप में, आईआरडीएआई ने एक 'तकनीकी मार्गदर्शन' दस्तावेज के साथ प्रथम मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस1), बीमाकर्ता की पूँजी और शोधन-क्षमता पर उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रारंभ किया है। बीमाकर्ताओं को अनिवार्यतः उक्त ढाँचे को परिष्कृत करने के लिए आयोजित अनुवर्ती अध्ययनों के साथ एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर क्यूआईएस1 के परिणाम प्रस्तुत करने चाहिए।

एक सिद्धांत-आधारित विनियामक ढाँचे का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, आईआरडीएआई भारतीय बीमा उद्योग के लिए एक जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी (आरबीएस) ढाँचे का भी विकास और कार्यान्वयन कर रहा है। आईआरडीएआई का लक्ष्य उपभोक्ता संरक्षण पर फोकस से युक्त सुदृढ़ पर्यवेक्षण का संवर्धन करना है। यह पहल विनियमित संस्थाओं की आनुपातिकता, महत्वपूर्णता, और कार्यकलापों के एक व्यापक विश्लेषण पर बल देते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की दिशा में उल्लेखनीय परिवर्तन को निरूपित करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिसूचित विनियमों का संक्षेप निम्नानुसार है:

II.1.1 आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023

II.1.1.1 बीमाकर्ताओं के लिए अर्जन और तुलन-पत्र की अस्थिरता का प्रबंध अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए पुनर्बीमा एक महत्वपूर्ण साधन है। पुनर्बीमा में लगे रहने के द्वारा बीमाकर्ता अपने एक्सपोज़र को बड़े जोखिमों, आपाती घटनाओं तक सीमित कर सकते हैं तथा अपनी वित्तीय स्थिरता में वृद्धि कर सकते हैं।

भारत में पुनर्बीमा का परिदृश्य का उल्लेखनीय रूप में विकास हुआ है, विशेष रूप से बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधिनियमन से लेकर, जिसने भारतीय बाजार में वैश्विक पुनर्बीमाकर्ताओं को अपनी शाखाओं के माध्यम से प्रवेश को सुसाध्य बना दिया है।

वर्तमान पुनर्बीमा विनियामक ढाँचे के अंतर्गत, भारतीय पुनर्बीमाकर्ता (वर्तमान में केवल भारतीय साधारण बीमा परिषद जीआईसी आफ़ इंडिया) और आईआरडीएआई के पास पंजीकृत विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं को भारत में पुनर्बीमा सेवाएँ देने की अनुमति है। अतिरिक्त रूप से, आईएफएससीए बीमा कार्यालयों (आईआईओएस) और सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) को भी पुनर्बीमा सेवाएँ देने के लिए अनुमति दी गई है।

एफआरबीएस और आईआईओएस सहित भारतीय बीमाकर्ताओं के लिए, पुनर्बीमा व्यवसाय की वृद्धि करने और विनियामक उपबंधों को सरल और कारगर बनाने के लिए आईआरडीएआई ने 23 अगस्त 2023 को आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023 अधिसूचित किये हैं। ये विनियामक परिवर्तन भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) बनाने के लिए एक समर्थकारी विधिक ढाँचे को लागू करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

उक्त संशोधन विनियमों ने आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018, आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015, तथा आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016 में परिवर्तन किये हैं। उक्त संशोधन विनियमों के द्वारा लागू किये गये मुख्य परिवर्तनों में शामिल हैं-

- भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं (एफआरबीएस सहित) से अपेक्षित है कि वे भारत के अंदर जोखिम-अंकन किये गये भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के 50 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिधारण बनाये रखें तथा आईआईओ को 20 प्रतिशत तक किसी भी वापसी (रेट्रोसेशन) की गणना इस न्यूनतम प्रतिधारण की आवश्यकता के लिए की जाती है।

- एक नया और सरलीकृत वरीयता-क्रम लागू किया है, सभी पुनर्बीमा स्थाननों के लिए जिसका अनुसरण करने की अपेक्षा अध्यर्पक बीमाकर्ताओं से है। पूर्व में छह स्तरों तक व्याप्त इस अपेक्षा को अब निम्नानुसार चार स्तरों तक सीमित किया गया है:

क) श्रेणी 1: भारतीय पुनर्बीमाकर्ता (वर्तमान में, केवल जीआईसी आरई);

ख) श्रेणी 2: आईआईओएस (जो देशी प्रशुल्क क्षेत्र के अंदर भारतीय बीमाकर्ताओं से उत्पन्न, प्रतिधारित प्रीमियमों के 100 प्रतिशत का निवेश करते हैं) और एफआरबीएस;

ग) श्रेणी 3: अन्य आईआईओएस

घ) श्रेणी 4: अन्य भारतीय बीमाकर्ता (केवल बीमा खंड में प्रति-जोखिम विकल्पी स्थाननों के संबंध में जिनके लिए बीमाकर्ता को व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत किया गया है) और सीबीआरएस

- अनुपालन और रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ सरल की गई हैं। उक्त संशोधन विनियमों ने विनियामक फाइलिंगों एवं भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित अभिलेखों की पद्धति/फार्मेट के तौर पर कुछ छूटें लागू की हैं।

- नया एफआरबी खोलने के लिए न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा इस उपबंध के साथ रु. 100 करोड़ से घटाकर रु. 50 करोड़ की गई है कि किसी भी समनुदेशित पूँजी के आधिक्य का प्रत्यावर्तन किया जाएगा।

उक्त संशोधन विनियम एक अधिक अनुकूल व्यावसायिक परिवेश को प्रोत्साहित करते हुए तथा भारत को एक अग्रणी वैश्विक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में रखते हुए, भारत के पुनर्बीमा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं।

II.1.2 आईआरडीएआई (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2024

II.1.2.1 आईआरडीएआई (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2024 का संशोधन बीमाकर्ताओं को कमीशनों सहित अपने व्ययों के प्रबंधन में अधिकाधिक लचीलापन देने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाने, पालिसीधारकों के लिए लाभों में वृद्धि करने, तथा बीमा व्यापन में सुधार लाने, ये सभी आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर करने के लिए उनकी सहायता करना है।

ये संशोधन जीवन बीमा के लिए निगरानी प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए, साधारण और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों के लिए पिछले खंडीय स्तर के बजाय कंपनी स्तर पर प्रबंधन व्ययों (ईओएम) की सीमाएँ लागू करने के द्वारा परिचालनगत लचीलेपन और विनियामक पर्यवेक्षण में संतुलन रखने की अपेक्षा करते हैं। यह पहल सिद्धांत-आधारित विनियमों और वर्तमान विनियामक ढाँचे को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में अंतरण करने के बृहत्तर विनियामक सुधार का भाग है।

ये विनियम पिछले तीन विनियमों अर्थात् भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 का संयोजन करते हैं।

II.1.3 आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024

II.1.3.1 आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 बाजार की गतिशील माँगों के प्रति उद्योग की अनुक्रियाशीलता को सुसाध्य बनाने तथा इस प्रकार व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने और बीमा व्यापन को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ पूर्व के छह विनियमों का विलयन करते हुए एक एकीकृत ढाँचा उपलब्ध कराते हैं। इस विनियम के बारे में एक विस्तृत आलेख बाक्स मद खख.1 में प्रस्तुत है।

II.1.4 आईआरडीएआई (पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और बीमाकर्ताओं का समामेलन) विनियम, 2024

II.1.4.1 आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और बीमाकर्ताओं का समामेलन) विनियम, 2024 अधिसूचित किये हैं जिन्होंने आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 का अधिक्रमण किया। उक्त विनियमों के बड़े परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

क. **अवरुद्धता (लाक–इन) अवधिः**

i. वर्तमान विनियम केवल सूचीबद्धता को सुसाध्य बनाने के लिए छूट की अनुमति देता है। बीमाकर्ता अथवा शेयरधारक की वित्तीय संकट की स्थिति में छूट देने के लिए समर्थकारी उपबंध बनाया गया है।

ii. निम्नलिखित मामलों में अवरुद्धता नहीं हैः

1. बीमाकर्ता के कर्मचारियों अथवा निदेशकों के हित के लिए किसी भी योजना के अनुसरण में बीमाकर्ता के कर्मचारियों अथवा निदेशकों को शेयर आबंटित किये जाते हैं।

2. निवेशक बीमाकर्ता की ईक्विटी पूँजी के 1 प्रतिशत से अनधिक धारित करते हैं।

ख. सुरक्षा प्रीमियमः पंजीकरण के स्तर पर (व्यवसाय के प्रारंभ तक)

i. आवेदक अथवा एसपीवी (विशेष प्रयोजन माध्यम) के शेयर केवल अंकित मूल्य पर ही जारी किये जाने चाहिए्।

ii. आवेदक के शेयरधारकों अथवा एसपीवी द्वारा निधियों का आधान (इनफ्यूज़न) ईक्विटी हित के अनुपात में होना चाहिए्।

ग. निदेशक का नामांकनः कोई शेयरधारक किसी बीमाकर्ता के बोर्ड में किसी निदेशक का नामांकन नहीं करेगा यदि उसने बीमा व्यवसाय की उसी श्रेणी में लगे हुए किसी अन्य बीमाकर्ता के बोर्ड में निदेशक का नामांकन पहले से किया हो।

घ. शेयरों के अंतरण के लिए अनुमोदनः एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक 5 प्रतिशत के अंतरण (अंतरिती के लिए) और प्रत्येक 1प्रतिशत के अंतरण (अंतरणकर्ता के लिए) के पूर्व–अनुमोदन की अपेक्षा करने के संबंध में स्पष्टता दी गई है।

ङ. शेयर बाजारों में शेयरों की सूचीबद्धता के लिए पूर्व–अनुमोदन की अपेक्षा निम्नलिखित सहित कुछ शर्तों का अनुपालन करने के अधीन समाप्त की गई हैः

i. सेबी के साथ संपर्क करने से कम से कम 15 दिन पहले बीमाकर्ता आईआरडीएआई को सूचित करेगा।

ii. बीमाकर्ता धारा 6ए के अधीन शेयरों के अंतरण के लिए पूर्व–अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

च. प्रसंस्करण और वार्षिक शुल्क में संशोधनः

i. बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये जानेवाले वार्षिक शुल्क की अधिकतम राशि रु. 10 करोड़ से बढ़ाकर रु. 15 करोड़ की गई है।

ii. समामेलन के लिए आवेदन शुल्क प्रत्येक बीमाकर्ता के द्वारा अलग–अलग अदा किया जाएगा।

iii. शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन शुल्क रु. 50 लाख (यदि प्रस्तावित अंतरण 50 प्रतिशत ईक्विटी से अधिक है) अथवा रु. 5 लाख (अन्य मामलों में) है।

II.1.5 आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन) विनियम, 2024

II.1.5.1 आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कारपोरेट अभिशासन) विनियम, 2024 बीमाकर्ताओं के लिए एक मजबूत अभिशासन ढाँचे की स्थापना करने तथा बोर्ड और प्रबंधक–वर्ग की भूमिकाओं और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए प्रारंभ किये गये। पहली बार, वर्तमान अभिशासन दिशानिर्देशों को विनियमों के रूप में औपचारिक बनाया गया है। ये विनियम सभी हितधारकों, विशेष रूप से पालिसीधारकों की प्रत्याशाओं को पूरा करने पर फोकस के साथ, सुदृढ़ और विवेकपूर्ण अभिशासन पद्धतियों को अपनाने के महत्व पर विशेष रूप से बल देते हैं। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और नैतिक आचरण पर बल देते हुए उनका लक्ष्य हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे को प्रोत्साहित करना है।

II.1.6 आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024:

II.1.6.1 बीमा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए तथा विभिन्न विनियमों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य के साथ प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024, 20 मार्च 2024 को अधिसूचित किये। उक्त नये विनियम दो पूर्ववर्ती विनियमों, अर्थात् आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 और आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016 का संयोजन करते हैं।

उक्त नये विनियम दोनों लायड्स और लायड्स को छोड़कर अन्य के लिए लागू सामान्य उपबंधों का विनियमों के एक एकल सेट के रूप में एकीकरण हैं। ये विनियम शर्तों में अधिक स्पष्टता लाने के लिए कुछ परिचालन और अभिसासन से संबंधित उपबंध भी प्रारंभ करते हैं। उक्त नये विनियमों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

- 'व्यवसाय की व्यवस्था' एफआरबीएस के पंजीकरण के लिए व्यवसाय की श्रेणी को विनिर्दिष्ट करने के लिए शामिल की गई;
- एफआरबीएस हेतु माँग-पत्र और आर1 अनुमोदन के लिए 3 महीने की विधिमान्यता अवधि प्रारंभ की गई है;
- 'सेवा कंपनी' की परिभाषा इसे अधिक लचीला बनाने तथा लायड्स इंडिया प्लेटफार्म के अंतर्गत अधिक संस्थाओं को समर्थ बनाने के लिए आशोधित की गई है;
- लायड्स की सेवा कंपनी के लिए पंजीकरण की विधिमान्यता अवधि हटाई गई है;
- एफआरबीएस के समामेलन, अंतरण अथवा पुनःसंरचना के संबंध में उपबंध प्रारंभ किये गये हैं;
- एफआरबीएस द्वारा अतिरिक्त कार्यालय खोलने तथा भारत परिचालन शाखाओं लाभों/अधिशेष के अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन कुछ शर्तों के अधीन समाप्त किया गया है;
- एफआरबीएस के सीईओ और केएमपीएस की नियुक्ति और पारिश्रमिक तथा एफआरबीएस द्वारा कार्यकलापों के बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) से संबंधित उपबंध आशोधित किये गये हैं;

सभी फार्मेट और गैर-मूल (नान-सब्स्टैन्टिव) उपबंध मास्टर परिपत्र में प्रस्तुत किये गये हैं।

II.1.7 आईआरडीएआई (बीमा सुगम बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024

II.1.7.1 इन विनियमों का उद्देश्य बीमा का सार्वजनीकरण और लोकतंत्रीकरण करने एवं पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने की दिशा में बीमा सुगम नामक एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी संरचना स्थापित करना है। यह बाजार-स्थान ग्राहकों, बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, और एजेंटों सहित सभी बीमा हितधारकों के लिए एक समग्र समाधान के रूप में तथा इसके द्वारा समूची बीमा मूल्य शृंखला में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ाने में काम आयेगा।

उक्त ई-बाजार स्थान के संबंध में प्रत्याशित है कि यह बीमा कवरेज की पहुँच को बढ़ाएगा, सभी हितधारकों को डिजिटल तौर पर सशक्त बनायेगा तथा संपूर्ण समाधान सुनिश्चित करेगा।

बाक्स II.1

आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 व्यापक उत्पाद समाधानों के लिए समर्थकारक

उत्प्रेरक विनियामक परिवेश के लिए विनियामक सुधारों की शृंखला के अनुक्रम में, जो पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करता है, बीमाकृत जनता को निर्बाध सेवाएँ उपलब्ध कराता है तथा बीमा उद्योग में नवोन्मेषण, प्रतियोगिता और धारणीय वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, आईआरडीएआई ने जीवन, स्वास्थ्य और साधारण बीमा व्यवसाय के लिए लागू एक एकल सिद्धांत आधारित ढाँचे में निम्नलिखित छह विनियमों का विलयन करते हुए आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 जारी किये हैं :

- आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015;
- आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015;
- आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015;
- आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016;
- आईआरडीएआई (यूनिट सहबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019;
- आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019;

उक्त बीमा उत्पाद विनियमों का उद्देश्य उभरती बाजार आवश्यकताओं के प्रति बीमाकर्ताओं को तत्परतापूर्वक प्रतिक्रिया देने में समर्थ बनाना, व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करना, तथा बीमा व्यापन को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन भार को कम करना है। इन विनियमों का लक्ष्य उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण में श्रेष्ठ अभिशासन को बढ़ावा देना तथा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करना एवं इसके द्वारा एक प्रतिस्पर्धी बाजार स्थान को विकसित करना है। अतिरिक्त रूप से, ये विनियम सुनिश्चित करते हैं कि बीमाकर्ता प्रभावी निगरानी और समुचित सावधानी के लिए सुदृढ़ प्रबंध पद्धतियों को अपनाते हैं।

जीवन बीमा उत्पादों की मुख्य विशेषताएँ :

- पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य के साथ अधिकांशतः सिद्धांत आधारित।
- जोखिम-अंकन, विज्ञापन, उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण को सम्मिलित करते हुए अभिशासन ढाँचे को मजबूत करना।
- प्रकटीकरणों के साथ गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य को नियंत्रित करनेवाले सिद्धांतों को मजबूत करना।
- समाज के विभिन्न खंडों/स्तरों के लिए उनकी गतिशील आवश्यकताओं के अनुसार नवोन्मेष बीमा उत्पादों के विकास के लिए प्रोत्साहन।
- परिवर्ती वार्षिकी भुगतान का प्रारंभ जिसके द्वारा वार्षिकी भुगतान पालिसीधारकों/ग्राहकों को उपयुक्त प्रकटीकरण और लाभ निदर्शनों सहित सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध बेंचमार्क के साथ भिन्न हो सकते हैं।
- यूनिट सहबद्ध प्लेटफार्म के अंतर्गत 'सूचकांक-युक्त संबद्ध उत्पादों' का प्रारंभ।
- 'गैर-नियोक्ता-कर्मचारी समूहों' के लिए 'समूह निधि आधारित उत्पादों' का सरलीकरण।

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की मुख्य विशेषताएँ :

- बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रस्तावित करेंगे तथा वे सभी प्रकार की वर्तमान चिकित्सा स्थितियों से युक्त व्यक्तियों के लिए कवरेज देने का प्रयास करेंगे।

- पहले से चल रही बीमारियों (पीईडी) के संबंध में : प्रकटीकृत पीईडी के लिए अधिकतम प्रतीक्षा अवधि वर्तमान 48 महीने से घटाकर 36 महीने की गई है, अप्रकटीकृत पीईडी के लिए अनुमत अधिकतम प्रतीक्षा अवधि वर्तमान 96 महीने से घटाकर 60 महीने की गई है तथा पीईडी के रूप में न्यूनीकृत किसी भी स्थिति, बीमारी, क्षति या रोग के श्रेणीकरण के लिए अवधि पालिसी के प्रारंभ से 48 महीने से घटाकर पालिसी के प्रारंभ से 36 महीने कर दी गई है।

- विनिर्दिष्ट बीमारियों/चिकित्सा के लिए अनुमत अधिकतम प्रतीक्षा अवधि वर्तमान 48 महीने से घटाकर 36 महीने की गई है। यह विशिष्ट प्रतीक्षा अवधि किसी दुर्घटना के कारण किये गये दावों के लिए लागू नहीं होगी।

- बीमाकर्ताओं के पास आयुष चिकित्सा को अन्य चिकित्साओं के समान रखने तथा पालिसीधारकों को एक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।

- बीमाकृत व्यक्ति के द्वारा प्रमाणित धोखाधड़ी, नैतिक परिसंकट या गलतबयानी के कारणों को छोड़कर स्वास्थ्य बीमा पालिसी नवीकरणयोग्य होगी, बशर्ते कि पालिसी वापस नहीं ली गई हो तथा अच्छे दावा अनुभव के आधार पर छूटें देने के लिए विशिष्ट रूप से बीमाकर्ताओं को अनुमति दी गई हो।

- साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता अब एक वर्ष से कम और 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद (लाभ और क्षतिपूर्ति उत्पाद) प्रस्तावित कर सकते हैं। ऋण संबद्ध उत्पाद 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रस्तावित किये जा सकते हैं। जीवन बीमाकर्ता अब पाँच वर्ष से कम अवधि के लिए लाभ आधारित वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रस्तावित कर सकते हैं।

- अनुग्रह अवधि के दौरान कवरेज दिया जा सकता है, यदि प्रीमियम का भुगतान किस्तों में किया जाता है।

- प्रीमियम पालिसी अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगा। यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रीमियम दरें उचित हों, न कि अत्यधिक, अपर्याप्त, और अनुचित रूप से भेदभावपूर्ण, तथा धनराशि के लिए मूल्य देनेवाली हों। बीमाकर्ताओं को उत्पाद अनुभव के अनुसार उत्पाद की कीमत निर्धारित करने और उत्पाद का संशोधन करने के लिए अनुमति दी गई है।

उपर्युक्त विशेषताएँ बीमाकर्ताओं को निर्बाध रूप से परिवर्ती बाजार खंडों को आवश्यकतानुरूप बीमा उत्पाद प्रस्तावित करने के लिए समर्थ बनाती हैं।

II.1.8 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024

II.1.8.1 आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 अधिसूचित किये हैं जिन्होंने आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 तथा अनुवर्ती संशोधनों का अधिक्रमण किया है। उक्त विनियमों के प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

बीमांकिक कार्य:

क) बीमांकिक कार्यों में नियुक्त बीमांकक प्रणाली, शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना सहित जीवन और साधारण बीमा व्यवसाय के लिए आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन शामिल हैं।

ख) किसी बीमा / पुनर्बीमा कंपनी में नियुक्त बीमांकक अन्य विषयों के बीच उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, पुनर्बीमा, जोखिम प्रबंध, शोधन-क्षमता के अनुरक्षण, निवेश तथा विभिन्न विनियामक अधिदेशों के अनुपालन को सम्मिलित करते हुए उक्त क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

ग) ये विनियम बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं की शोधन-क्षमता स्थिति के प्रदर्शन और निर्धारण के प्रयोजन के लिए आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन की विस्तृत कार्यपद्धतियों और सिद्धांतों को सम्मिलित करते हैं।

घ) आस्तियों का मूल्यांकन बीमाकर्ता के वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। तथापि, कुछ सूचीबद्ध आस्तियाँ शोधन-क्षमता मार्जिन के प्रदर्शन में स्वीकार्य नहीं हैं। इसी प्रकार, सावधानी के प्रयोजन के लिए, शोधन-क्षमता के परिकलन में उचित मूल्य परिवर्तन खाते में विचार किये जाने के लिए किसी सकारात्मक गतिविधि को अनुमति नहीं है। देयताओं का मूल्यांकन उक्त विनियमों में निर्धारित रूप में बीमांकिक सिद्धांतों और कार्यपद्धतियों के अनुरूप किया जाता है।

वित्त संबंधी कार्य:

क) स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित साधारण बीमाकर्ताओं और उन बीमाकर्ताओं के मामले में जो एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए हैं, 'स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) निवेश संपत्ति' के मूल्यांकन को निर्धारित करने की क्रियाविधि को जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में 'स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) निवेश संपत्ति' के मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए क्रियाविधि के साथ सुसंगत बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, विभिन्न प्रकार के बीमाकर्ताओं के अंतर्गत स्थावर संपदा निवेश संपत्तियों के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं का सुमेलन हुआ है।

ख) आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के निर्गम के बाद विभिन्न परिपत्रों / निदेशों के द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट/ लाइन मदें सार्वजनिक प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के साथ सुसंगति सुनिश्चित करने के लिए आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 में निविष्ट की गई हैं।

निवेश कार्य:

क) किसी ऐसी कंपनी की किसी अचल संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर पर प्रथम भार द्वारा सुरक्षित डिबेंचर जिसने किसी चूक के बिना ब्याज का भुगतान पूर्णतः किया है, को अनुमोदित निवेश के रूप में माना जाएगा। ब्याज की प्राप्ति के लिए वर्षों की संख्या के मानदंड को बदलकर अब किसी चूक के बिना ब्याज के भुगतान से प्रतिस्थापित किया गया है।

ख) आवास क्षेत्र में आगे और निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, बांडों/डिबेंचरों के साथ-साथ, आवास वित्त कंपनियों/हुडको में ईक्विटी निवेश को आवास और बुनियादी संरचना में एक्सपोजर के भाग के रूप में माना जाएगा।

ग) तिमाही विवरणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा अब तिमाही की समाप्ति से वर्तमान 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है।

घ) व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि करने और बुनियादी संरचना में निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी संरचना कर्ज निधियों में निवेशों को पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा के बिना कुछ शर्तों के आधार पर अनुमति दी गई है।

ङ) बाजार पूँजीकरण और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम के द्वारा शीर्षस्थ 100 सूचीबद्ध कंपनियों के अंतर्गत आनेवाली प्रवर्तक समूह कंपनियों के निजी स्थानन में निवेश की अनुमति दी गई है।

च) बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ, और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र में निवेश के लिए एक्सपोजर सीमा 30 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है।

छ) प्रीमियम, दावा, व्यय और निवेश प्रतिफल आदि जैसे मानदंडों की बोर्ड द्वारा निगरानी के अनुपालन के लिए तिमाही आधार पर बीमाकर्ता के सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा पुष्टीकरण की अपेक्षा समाप्त की गई है।

II.1.9 आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024

II.1.9.1 ये विनियम बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों तथा मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय के संबंध में न्यूनतम व्यावसायिक दायित्वों संबंधी पूर्व के दो विनियमों का समेकन करने के द्वारा संशोधित किये गये थे। इन विनियमों ने ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों की पूर्ति के लिए मापन के यूनिट को ग्राम पंचायत के रूप में पुनः परिभाषित किया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्डधारकों और लाभार्थियों को सम्मिलित करने के लिए सामाजिक क्षेत्र के दायरे का विस्तार किया गया है। मोटर अन्य पक्ष दायित्वों की पूर्ति के लिए मापन का यूनिट यात्री वाहनों, माल वाहनों और ट्रैक्टरों को बीमा कवरेज का नवीकरण होगा। इन विनियमों के संबंध में एक आलेख बाक्स मद खख.2 में प्रस्तुत है।

II.1.10 आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध विषय) विनियम, 2024

II.1.10.1 आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध विषय) विनियम, 2024, 20 मार्च 2024 को अधिसूचित किये गये। ये विनियम दो भागों में हैं। भाग क पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण से संबंधित उपबंधों से संबंधित है तथा भाग ख बीमाकर्ताओं के परिचालनों और संबद्ध विषयों से संबंधित उपबंधों को कवर करता है। इस विनियम ने बीमा पालिसियों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और विक्रय के दौरान संभावित ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने तथा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण बीमाकर्ताओं और वितरण माध्यमों के साथ उनकी पूरी संबद्धता के दौरान करने के संबंध में कई मुख्य उद्देशों पर फोकस करते हुए आठ विनियमों को एक एकीकृत संरचना में समेकित किया है। इन विनियमों ने बीमाकर्ताओं और वितरण माध्यमों के द्वारा शिकायतों के निवारण और पालिसीधारक-केन्द्रित अभिशासन सहित पालिसीधारकों के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करने के लिए मानक क्रियाविधियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर विशेष बल दिया है। ये विनियम प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षा करते हैं कि उसके पास पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू हो। उक्त नये विनियमों के अन्य मुख्य उपबंधों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- **संवर्धित नि:शुल्क अवलोकन अवधि:**

 पालिसीधारकों के पास अब अपनी बीमा पालिसियों की समीक्षा करने तथा खरीद की पद्धति का विचार किये बिना, यदि पालिसी (जीवन और स्वास्थ्य) की शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं तो उन्हें निरस्त करने के लिए 30 दिन का समय होगा।

- **अधिक तेज धनवापसी प्रसंस्करण:**

 नि:शुल्क अवलोकन के बाद निरसन के अनुरोधों पर धनवापसी के प्रसंस्करण के लिए घटाई गई समय-सीमाएँ।

- **अधिदेशात्मक बैंक खाता संबंधी सूचना:**

 धनवापसी अथवा दावा संबंधी भुगतानों के इलेक्ट्रानिक अंतरण को सुसाध्य बनाने के लिए बीमाकर्ताओं के लिए यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किया गया है कि वे प्रस्ताव के स्तर के दौरान बीमाकृत व्यक्ति के बैंक खाते से संबंधित सूचना प्राप्त करें।

- **अधिदेशात्मक नामांकन:**

 सभी जीवन बीमा पालिसियों के लिए अब नामांकन अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) है।

- **साधारण और स्वास्थ्य बीमा के लिए नामांकन:**

 साधारण और स्वस्थ्य बीमा पालिसियों के लिए जहाँ भी लागू है वहाँ नामांकन के उपबंध प्रारंभ किये गये हैं।

- **इलेक्ट्रानिक पालिसी निर्गम:**

 सभी बीमा पालिसियाँ अनिवार्यत: इलेक्ट्रानिक फार्मेट में जारी की जानी चाहिए तथा यदि पालिसीधारक के द्वारा अनुरोध किया गया हो तो बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह एक भौतिक प्रति भी जारी करे।

- **ग्राहक सूचना पत्रक (सीआईएस):**

 बीमाकर्ताओं का यह दायित्व है कि वे पालिसी दस्तावेज के साथ एक विस्तृत ग्राहक सूचना पत्रक उपलब्ध कराएँ जो एक ऐसा विवरण है जो जारी की गई पालिसी की महत्वपूर्ण सूचना और पालिसी की मुख्य विशेषताएँ सरल शब्दों में प्रस्तुत करता है।

- **वित्तीय जोखिम-अंकन:**

 वित्तीय जोखिम-अंकन जीवन बीमा पालिसियों मामले में अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किया गया है।

अतिरिक्त रूप से, उक्त विनियमों ने बीमाकर्ताओं के द्वारा बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) के कार्यकलापों से संबंधित जोखिम प्रबंध में विवेकपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मानदंड विनिर्दिष्ट किये हैं। इसके अलावा, इन विनियमों ने सुनिश्चित किया है कि बीमाकर्ताओं के द्वारा दोनों देशी और अंतरराष्ट्रीय तौर पर व्यवसाय के स्थान खोलने अथवा बंद करने का संचालन ऐसे तरीके से किया जाए जो पालिसीधारकों के हितों को प्राथमिकता देता हो।

II.2 बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध बीमा एजेंट और बीमा मध्यवर्ती

II.2.1. बीमा एजेंट

बीमा एजेंट बीमाकर्ता द्वारा बीमा पालिसियों की निरंतरता, नवीकरण या पुन:प्रवर्तन से संबंधित व्यवसाय सहित, बीमा व्यवसाय की अपेक्षा या प्राप्ति के प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता और एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक श्रेणी के एक से अधिक के लिए बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा। वैयक्तिक एजेंटों की नियुक्ति आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 द्वारा नियंत्रित की जाती है।

ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व समावेशी बीमा को बढ़ावा देना

ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्व, बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 32बी और 32सी से प्राप्त किये गये हैं जो निर्धारित करता है कि भारत में प्रत्येक बीमाकर्ता अपने व्यवसाय का एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में करेगा। धारा 32डी उस न्यूनतम अन्य पक्ष मोटर बीमा व्यवसाय को विनिर्दिष्ट करती है जिसका जोखिम-अंकन विनियमों में आईआरडीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में करना साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता से अपेक्षित है। ये सांविधिक दायित्व बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में अदोहित खंडों में बीमा समावेश का लक्ष्य प्राप्त करने एवं अबीमाकृत वाहनों को कवरेज के अंतर्गत लाने में समर्थकों के रूप में काम आते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा संरक्षण इन सभी खंडों तक पहुँचे, आईआरडीएआई ने उद्योग के लिए उक्त ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष (एमटीपी) दायित्वों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति को आईआरडीएआई की 2047 तक सबके लिए बीमा की परिदृष्टि के अनुरूप अधिकाधिक बीमा व्यापन को समर्थ बनानेवाली पद्धतियाँ सुझाने का कार्य भी सौंपा गया। उक्त समिति के द्वारा व्यापक समीक्षा करने के उपरांत, बीमाकर्ताओं के लिए ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय में न्यूनतम व्यवसाय के दायित्वों से संबधित पूर्व के 2 विनियमों का समेकन करते हुए आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र, और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 अधिसूचित किये गये हैं।

उक्त संशोधित विनियम इस विषय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन अंकित करते हैं कि बीमा समावेश का मापन कैसे किया जाता है। साधारण बीमा के लिए, फोकस सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम से ग्राम पंचायत स्तर पर जारी की गई पालिसियों की संख्या पर अंतरित किया गया है, जहाँ मोटर वाहनों, निवास-गृहों और दुकानों को कवर करने पर बल दिया गया है। जीवन और स्वास्थ्य बीमा के लिए, ग्राम पंचायत में जीवन बीमा या स्वास्थ्य और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत, जारी की गई पालिसियों की संख्या के स्थान पर, कवर किये गये जीवनों की संख्या की गणना की जाती है।

नये विनियमों में विभिन्न हितधारकों, अर्थात् : बीमाकर्ताओं, ग्राम पंचायतों, और ग्राम सचिवों के बीच सहयोग की अपेक्षा की जाती है। ये हितधारक 2047 तक सबके लिए बीमा की समग्र परिदृष्टि में बीमा समावेश को प्राप्त करने के लिए मिलकर एक साथ कार्य करेंगे। इसके अलावा, जीवन और साधारण बीमा परिषदें सहमति-प्राप्त मानदंडों के आधार पर ग्राम पंचायतों की पहचान करेंगी और उन्हें बीमाकर्ताओं को आबंटित करेंगी, तथा ग्राम पंचायत में जीवनों की संख्या, निवास-गृहों, दुकानों और मोटर वाहनों की संख्या संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेंगी।

सामाजिक क्षेत्र के विस्तार को बढ़ाकर कार्डधारकों (जैसे बीपीएल कार्डधारक, ई-श्रम कार्डधारक, मनरेगा कार्डधारक, डीबीटी लाभार्थी, जन धन खाताधारक आदि) एवं विभिन्न योजनाओं (जैसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना आदि) के अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। जीवनों के अधिकाधिक कवरेज को समर्थ बनाने के लिए, सामाजिक क्षेत्र दायित्व के रूप में निर्धारित जीवनों के अनुपात को 0.5-5 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी जीवन, साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए कवर किये गये सभी जीवनों का 10 प्रतिशत किया गया है। यह परिवर्तन अपने संरक्षण में अधिक जीवनों को शामिल करते हुए सामाजिक क्षेत्र बीमा नेटवर्क को उल्लेखनीय रूप में व्यापक बनाता है। सामाजिक क्षेत्र जनसंख्या हेतु डेटा एकत्र करने के लिए परिषदें सरकारी एजेंसियों और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ समन्वय करेंगी तथा सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बीमाकर्ताओं के साथ उसे साझा करेंगी।

संशोधित मोटर अन्य पक्ष विनियम प्रत्येक बीमाकर्ता के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (जीडीपी) पर फोकस करने के बजाय इसके स्थान पर बीमाकर्ता के बाजार अंश तथा विशिष्ट रूप से मालवाहक, यात्रीवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों के अंतर्गत बीमाकृत वाहनों की संख्या में वृद्धि पर बल देते हैं। एक सावधानीपूर्वक अभिकल्पित कार्यपद्धति में साधारण बीमाकर्ताओं (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर) को बीमाकृत वाहनों की नवीकृत पालिसियों के प्रतिशत के संबंध में तथा यात्रीवाहक वाहनों (पीसीवी), मालवाहक वाहनों (जीसीवी) और ट्रैक्टरों (विविध खंड) की श्रेणियों में अबीमाकृत वाहनों के कवरेज के संबंध में वर्षानुवर्ष वृद्धि का लक्ष्य सौंपा गया है।

अबीमाकृत वाहनों का विलोपन करने के लिए, बीमाकर्ताओं के द्वारा एमटीपी दायित्वों की पूर्ति हेतु बीमा के न्यूनतम 30 दिन के अंतराल का परिचालन खंड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे पीसीवी, जीसीवी और ट्रैक्टरों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत ऐसे अबीमाकृत वाहनों की पहचान करने तथा पंजीकरण संख्या और वाहन के मालिक के नाम से युक्त सूची बनाने के लिए साधारण बीमा परिषद के साथ समन्वय करते हुए बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) तथा प्रत्येक राज्य के सड़क परिवहन प्राधिकरण के साथ सहयोग करें।

नया ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व विनियम 2024, '2047 तक सबके लिए बीमा' की आईआरडीएआई की प्रतिबद्धता की दिशा में, एवं अबीमाकृत वाहनों का कुल कवरेज सुनिश्चित करनेवाला एक अग्रगामी कदम है।

जीवन बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

II.2.1.1 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार वैयक्तिक एजेंटों की संख्या 31 मार्च 2023 को विद्यमान 26.28 लाख की तुलना में 28.95 लाख थी। उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में एजेंटों की निवल संख्या में 10.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। जबकि निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 15.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, वहीं सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं ने 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 31 मार्च 2024 को सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के पास एजेंटों की संख्या 14.15 लाख थी, और निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं के पास तदनुरूपी संख्या 14.81 लाख थी।

II.2.1.2 वर्ष 2023-24 के दौरान, 9.75 लाख एजेंट नियुक्त किये गये और 6.98 लाख एजेंटों की सेवा समाप्त की गई थी। जीवन बीमा उद्योग के कुल 28.95 लाख वैयक्तिक एजेंटों में से पुरुष वैयक्तिक एजेंट 69.87% हैं और महिला वैयक्तिक एजेंट 30.13% हैं।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

II.2.1.3 31 मार्च 2024 को साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध एजेंटों की संख्या ने 31 मार्च 2023 को विद्यमान एजेंटों की तुलना में 3.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। विशेषीकृत एजेंटों के साथ कोई एजेंट संबद्ध नहीं थे। साधारण बीमाकर्ताओं के कुल 6,99,150 एजेंटों में से 76.30 प्रतिशत पुरुष हैं और 23.70 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

II.2.1.4 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध एजेंटों की संख्या ने पिछले वर्ष की तुलना में 12.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कुल 13.06 लाख वैयक्तिक एजेंटों में से 71 प्रतिशत पुरुष हैं और 29 प्रतिशत महिलाएँ हैं। 2023-24 की समाप्ति पर साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों की समग्र संख्या ने पिछले वर्ष की तुलना में 6.30 प्रतिशत वृद्धि देखी।

सारणी II.1: जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंट

बीमाकर्ता	31 मार्च 2023 को	2023-24 के दौरान नियुक्ति	2023-24 के दौरान सेवासमाप्ति	31 मार्च 2024 को
सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता	13,47,325	4,18,596	3,51,178	14,14,743
निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता	12,80,883*	5,56,380	3,46,322	14,80,695
जीवन बीमा उद्योग कुल#	**26,28,208**	**9,74,976**	**6,97,500**	**28,95,438**
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	3,09,748	11,034	2,686	3,18,096
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	4,17,745	85,923	1,22,614	3,81,054
साधारण बीमा उद्योग कुल	**7,27,493**	**96,957**	**1,25,300**	**6,99,150**
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	11,58,294	2,15,457	68,182	13,05,569
उद्योग कुल	**45,13,995**	**12,87,390**	**8,90,982**	**49,00,157**

नोट: एक व्यक्तिगत एजेंट किसी भी संयोजन में एक जीवन, एक सामान्य और एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी से जुड़ा हो सकता है।

** 31.03.2023 तक व्यक्तिगत एजेंटों की संख्या में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एजेंट शामिल हैं।*

#सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.6.2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।

सारणी II.2: जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों का लिंग-वार वितरण

बीमाकर्ता	पुरुष	महिला	अन्य	कुल
सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता	10,55,671 (74.62)	3,59,072 (25.38)	0 (0.00)	14,14,743 (100)
निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ता	9,67,277 (65.33)	5,13,417 (34.67)	1 (0.00)	14,80,695 (100)
जीवन बीमा उद्योग कुल#	**20,22,948 (69.87)**	**8,72,489 (30.13)**	**1 (0.00)**	**28,95,438 (100)**
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	2,57,907 (81)	60,189 (19)	0 (0.00)	3,18,096 (100)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	2,75,571 (72)	1,05,483 (28)	0 (0.00)	3,81,054 (100)
साधारण बीमा उद्योग कुल	**5,33,478 (76.30)**	**1,65,672 (26.70)**	**0 (0.00)**	**6,99,150 (100)**
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	9,31,564 (71)	3,74,005 (29)	0 (0.00)	13,05,569 (100)
उद्योग कुल	**34,87,990 (71.18)**	**14,12,166 (28.82)**	**1 (0.00)**	**49,00,157 (100)**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

#सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.6.2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।

II.2.2 कारपोरेट एजेंट

II.2.2.1 कारपोरेट एजेंट आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया विधिमान्य पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करनेवाले बीमा मध्यवर्ती हैं। यह प्रमाणीकरण उन्हें जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा सहित विभिन्न श्रेणियों के बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और सेवा करने के लिए समर्थ बनाता है। कारपोरेट एजेंटों में प्राथमिक रूप से बीमा वितरण को छोड़कर अन्य व्यवसाय क्षेत्रों में लगी हुई संस्थाएँ होती हैं। ये संस्थाएँ बीमा उत्पादों के प्रति-विक्रय (क्रास-सेलिंग) को सुसाध्य बनाने के लिए अपने वर्तमान ग्राहक आधार और बाजार उपस्थिति का उन्नयन करती हैं। ग्राहकों के लिए उपलब्ध बीमा विकल्पों की विविधता में वृद्धि करने के लिए, आईआरडीएआई ने कारपोरेट एजेंटों के लिए उक्त विनियमों का संशोधन किया है जिससे उन्हें नौ जीवन बीमाकर्ताओं, नौ गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, और नौ स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं तक के साथ भागीदारी स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, 635 सक्रिय कारपोरेट एजेंट हैं जिनमें 247 बैंक, 388 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), सहकारी समितियाँ, सीमित देयता वाली भागीदारी फर्म, और अन्य पात्र संस्थाएँ शामिल हैं।

31 मार्च 2024 को यथाविद्यमान बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध कारपोरेट एजेंटों की स्थिति सारणी II.3 में दी गई है।

सारणी II.3: बीमा व्यवसाय मे सक्रिय कारपोरेट एजेंट (31 मार्च 2024 को)

श्रेणी	बैंक	एनबीएफसी और अन्य	कुल
जीवन	8	12	20
साधारण	9	26	35
स्वास्थ्य	0	0	0
सम्मिश्र	230	350	580
कुल	**247**	**388**	**635**

II.2.3 बीमा दलाल

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत दलालों की संख्या 854 है। इसमें से, विधिमान्य दलालों की संख्या 683 रही, जबकि 31 मार्च 2024 को शेष 171 प्रचलन में नहीं हैं। उक्त 683 विधिमान्य दलालों में से 609 प्रत्यक्ष दलाल हैं, 70 सम्मिश्र दलाल और 4 पुनर्बीमा दलाल हैं।

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान कुल 64 नये पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किये गये जिनमें से 61 प्रत्यक्ष दलाल (जीवन और साधारण) और 3 प्रत्यक्ष बीमा दलाल (साधारण) थे। उक्त अवधि के दौरान, 189 बीमा दलाल पंजीकरणों का नवीकरण किया गया।

II.2.4 सूक्ष्म बीमा एजेंट

निम्न आय वर्गों और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों वर्गों को समर्थ बनाने के लिए स्थिति का सामना कर सकने हेतु और वित्तीय हानियों से समुत्थान करने में उनकी सहायता करने के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के तौर पर एक संकल्पना के रूप में सूक्ष्म बीमा प्रस्तुत किया गया है।

प्रारंभ में आईआरडीएआई ने सूक्ष्म बीमा विनियमों को 2005 में अधिसूचित किया था और बाद में 2015 में आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियमों का आशोधन किया गया जिसके द्वारा कई बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, सहकारी सोसाइटियों को सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमति दी गई।

जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा

II.2.4.1 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, 22 जीवन बीमाकर्ताओं के 54 सूक्ष्म बीमा उत्पाद विक्रय के लिए बाजार में उपलब्ध थे। इन 54 उत्पादों में से, 16 वैयक्तिक उत्पाद हैं और शेष 38 सामूहिक उत्पाद हैं (अनुबंध 6)। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का कार्यनिष्पादन सारणी II.4 में दिया गया है।

जबकि वर्ष 2023-24 के लिए सूक्ष्म बीमा खंड के अंतर्गत वैयक्तिक नया व्यवसाय रु. 152.57 करोड़ के प्रीमियम के साथ 3.41 लाख नई पालिसियों पर रहा, सामूहिक सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित जीवनों की संख्या रु. 10707.82 करोड़ के प्रीमियम के साथ 1783.92 लाख है। सूक्ष्म बीमा के प्रति एलआईसी का अंशदान वैयक्तिक व्यवसाय के अंतर्गत रु.134.85 करोड़ के प्रीमियम के साथ 2.39 लाख पालिसियाँ रहा तथा सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत रु.17.09 करोड़ प्रीमियम के साथ 30.49 लाख जीवन था। सूक्ष्म बीमा के प्रति निजी क्षेत्र का अंशदान वैयक्तिक व्यवसाय में 1.02 लाख पालिसियाँ और रु.17.72 करोड़ प्रीमियम था और सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत रु. 10690.73 करोड़ प्रीमियम के साथ 1753.43 लाख जीवन था।

सारणी II.4: जीवन बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा व्यवसाय का कार्यनिष्पादन

बीमाकर्ता	वैयक्तिक नया व्यवसाय		सामूहिक नया व्यवसाय		
	पालिसियाँ (लाख)	प्रीमियम (₹करोड़)	योजनाएँ	प्रीमियम (₹करोड़)	रक्षित जीवन (लाख)
निजी क्षेत्र	1.02	17.72	469	10,690.73	1,753.43
सरकारी क्षेत्र	2.39	134.85	4993	17.09	30.49
कुल	**3.41**	**152.57**	**5462**	**10707.82**	**1783.92**

टिप्पणी: नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।

31 मार्च 2024 को सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 1,01,848 थी, जिसमें से 19,166 एजेंट एलआईसी से संबंधित हैं तथा शेष 82,682 निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के हैं। कुल सूक्ष्म बीमा एजेंटों में से एनजीओ 4.49 प्रतिशत बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) 0.25 प्रतिशत बनाते हैं, सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई) 0.24 प्रतिशत बनाती हैं, व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) 0.12 प्रतिशत बनाते हैं तथा अन्य सूक्ष्म बीमा एजेंट 94.90 प्रतिशत बनाते हैं।

सारणी II.5 : जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट

एजेंट	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
एनजीओ	4,560	9	4,569
एसएचजी	257	1	258
एमएफआई	214	28	242
व्यवसाय प्रतिनिधि	103	24	127
अन्य सूक्ष्म बीमा एजेंट	14,032	82,620	96,652
कुल	**19,166**	**82,682**	**1,01,848**

साधारण बीमा क्षेत्र में सूक्ष्म बीमा

II.2.4.2 साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद स्वास्थ्य बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना, और सामान जैसे पशुधन, झोपड़ी, अथवा साधन या औजार आदि को कवर करता है। यह उत्पाद वैयक्तिक या सामूहिक आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। साधारण बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित सूक्ष्म बीमा उत्पादों में शामिल हैं मवेशी सूक्ष्म बीमा, किसान कृषि पम्प सेट सूक्ष्म बीमा, जनता वैयक्तिक दुर्घटना सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म ग्रामीण वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, सूक्ष्म सर्वव्यापी (यूनिवर्सल) स्वास्थ्य बीमा, संपूर्ण गृह सुरक्षा पालिसी आदि।

प्राधिकरण ने सूक्ष्म बीमा एजेंटो के द्वारा अपेक्षा (सलिसिटेशन) और विपणन किये जाने के लिए गैर-ऋणी किसानों को कवर करते हुए प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को अनुमति दी है।

वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म बीमा एजेंटों के द्वारा जारी की जानेवाली साधारण बीमा पालिसियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

सारणी II.6 : जारी की गई सूक्ष्म बीमा पालिसियों की संख्या

निजी	सरकारी	कुल
228	23,518	23,746

टिप्पणीः इसमें स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सूक्ष्म बीमा पालिसियाँ शामिल नहीं हैं।

II.2.5 बीमा विपणन फर्म

II.2.5.1 बीमा विपणन फर्म (आईएमएफएस) बीमा उत्पादों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और प्रापण करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित वितरण माध्यम हैं। अतिरिक्त रूप से, ये अन्यों के बीच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), डाक विभाग द्वारा विनियमित अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण कर सकते हैं। आईएमएफएस इन्हें इन उत्पादों का विपणन करने के लिए लाइसेंसप्राप्त व्यक्तियों को नियोजित करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म) विनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकृत किये जाते हैं।

एक खुली संरचना माडल के अंतर्गत परिचालन करते हुए, आईएमएफ जीवन, साधारण, और स्वास्थ्य बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों में छह बीमा कंपनियों तक के साथ भागीदारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आईएमएफएस को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) और निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) के साथ तालमेल व्यवस्था करने की अनुमति है।

आईएमएफएस व्यवसाय की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अपवाद के साथ, वैयक्तिक या खुदरा आधार पर बेचे जानेवाले एक व्यापक दायरे के उत्पाद प्रस्तावित कर सकते हैं, जो सूक्ष्म, छोटे और मझौले उद्यमों (एमएसएमईएस) तक सीमित हैं। उक्त आईएमएफ माध्यम का प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक बीमा कवरेज का विस्तार करना, और इसके द्वारा देश में समावेशी वृद्धि में अंशदान करना है।

II.2.5.1 वर्ष 2023-24 के दौरान आईएमएफ के अंतर्गत संस्थाओं की संख्या और उनकी तदनुरूपी व्यवसाय निम्नानुसार है:

- वर्ष के दौरान 302 एनओसी जारी किये गये।
- 31 मार्च 2024 तक कुल 3,126 एनओसी जारी किये गये।
- वर्ष के दौरान 85 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये गये।
- 31 मार्च 2024 तक कुल 679 पंजीकरण जारी किये गये।
- वर्ष के दौरान आईएमएफएस के द्वारा जारी की गई पालिसियों की कुल संख्याः 1,67,406
- ऐसी पालिसियों के द्वारा संगृहीत कुल प्रीमियमः रु. 223.60 करोड़

उक्त 679 पंजीकृत आईएमएफएस में से, 470 परिचालनरत हैं तथा शेष 209 सक्रिय नहीं हैं।

बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन



साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
स्रोतीकृत पालिसियों की संख्या: 1,90,822
प्रीमियम (करोड़ मे): 275.66



जीवन बीमाकर्ता
स्रोतीकृत पालिसियों की संख्या: 23,827
प्रीमियम (करोड़ मे): 246.36

स्रोतीकृत पालिसियों की कुल संख्या: 2,14,649
कुल प्रीमियम (करोड़ में): ₹ 522.02

II.2.6 सामान्य लोक सेवा केन्द्र एसपीवी

II.2.6.1 सामान्य लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किये गये हैं और इनका प्रबंध सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण ने प्रारंभ में आईआरडीएआई

(सामान्य सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015 जारी किये थे जिनको बाद में आईआरडीएआई (सामान्य लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

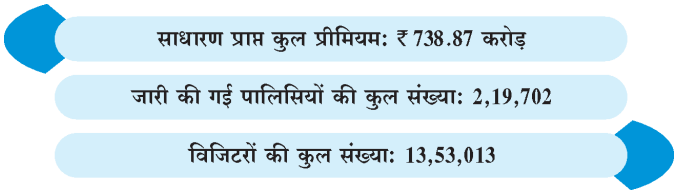
वर्ष 2023–24 के दौरान सीपीएससी–एसवीपी माध्यम के द्वारा कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

- प्राप्त कुल नया व्यवसाय प्रीमियम: रु. 511.9 करोड़
- संगृहीत कुल नवीकरण प्रीमियम (जीवन) : रु. 1,858 करोड़
- आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिनको 2023–24 में प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं : 5,094
- आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिनको प्रारंभ से लेकर प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं : 1,05,742
- वीएलई–इन्स. की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिनको 2023–24 में प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं : 22,899
- वीएलई–इन्स. की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिनको प्रारंभ से लेकर प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं : 2,68,430

II.2.7 बीमा वेब संग्राहक

II.2.7.1 बीमा वेब संग्राहकों का पर्यवेक्षण और विनियमन करने के लिए आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017, 13 अप्रैल 2017 को जारी किये गये थे। इन संग्राहकों को आनलाइन और दूरस्थ विपणन माध्यमों के द्वारा जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, 29 प्रमाणित बीमा वेब संग्राहक थे। वर्ष 2023–24 के लिए वेब संग्राहक माध्यम का कार्यनिष्पादन नीचे प्रस्तुत है:

वेब संग्राहकों के द्वारा उत्पन्न किया गया व्यवसाय



II.2.8 बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएसपीएस)

II.2.8.1 देश में बीमा व्यवसाय की वृद्धि को सुसाध्य बनाने तथा बीमा व्यापन और बीमा सघनता में वृद्धि करने के लिए आईआरडीएआई ने अपनी विकासात्मक कार्यसूची के भाग के रूप में बिक्री केन्द्र विक्रेताओं संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं। पीओएसपी से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास न्यूनतम अर्हताएँ हैं तथा जिसने पीओएसपी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं केवल ऐसे उत्पादों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और विपणन करता है जो आईआरडीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पीओएसपी की संख्या 20,43,272 थी।

सारणी II.7: तदनुरूपी प्रायोजक एजेंसियों के पास पीओएसपीएस की संख्या

प्रायोजक एजेंसी	प्रायोजक एजेंसियों की संख्या	पीओएसपी की संख्या
बीमाकर्ता	48	7,80,392
बीमा दलाल	256	9,92,721
कारपोरेट एजेंट	62	2,70,159
कुल	**366**	**20,43,272**

II.2.9 मोटर बीमा सेवा प्रदाता

II.2.9.1 आईआरडीएआई ने मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी) दिशानिर्देश 2017 में जारी किये हैं जिसका उद्देश्य मोटर बीमा पालिसियों के वितरण और सर्विसिंग में आटोमोटिव विक्रेताओं की भूमिका को मान्यता देना और बीमा से संबद्ध उनके कार्यकलापों का विनियामक पर्यवेक्षण करना था।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत एमआईएसपी की संख्या 25,206 थी।

सारणी II.8 : विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों के साथ एमआईएसपी की संख्या

प्रायोजक एजेंसी	प्रायोजक एजेंसियों की संख्या	एमआईएसपी की संख्या
बीमाकर्तका	19	9,499
बीमा दलाल	27	15,336
कारपोरेट एजेंट	6	371
कुल	**52**	**25,206**

II.2.10 बीमा भंडार

II.2.10.1 बीमा भंडार (रिपोजिटरी) प्रणाली जो आईआरडीएआई द्वारा की गई एक पहल है, का उद्देश्य बीमा पालिसियों का अमूर्तीकरण (डीमेटीरियलाइजेशन) करना है। इसे प्राप्त करने के लिए आईआरडीएआई ने वर्ष 2011 में बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये। बाद में इन दिशानिर्देशों का संशोधन मई 2015 में किया गया। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 1.83 करोड़ इलेक्ट्रानिक बीमा खातों (ईएलएएस) का निर्माण किया गया, और अप्रैल 2011 से 1.83 करोड़ पालिसियों को इलेक्ट्रानिक पद्धति में परिवर्तित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 42.18 लाख ईएलए का निर्माण किया गया है और 46.52 लाख ई-बीमा पालिसियाँ जमा की गई हैं।

31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित बीमा भंडार (रिपोजिटरीज़) चार हैं।

वे हैं :

- एनएसडीएल नेशनल इंश्योरेंस रिपोजिटरी
- सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड
- सीएएमएस रिपोजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड
- कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड

II.2.11 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.2.11.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (एसएलए) साधारण बीमा पालिसियों से संबंधित दावों के मूल्यांकन और निपटान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के पास अनिवार्यतः भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ होनी चाहिए और उसे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम के अनुसार, अवश्य एक व्यावसायिक निकाय अर्थात् बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) का सदस्य होना चाहिए। तथापि, आईआईआईएसएलए के पास सदस्यता प्राप्त करने में असमर्थ आवेदकों के लिए आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनयम, 2015 के अंतर्गत अपील का एक उपबंध है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी के

साथ पठित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 की उप-धारा 1(च) द्वारा अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किये गये अनुसार, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए अनिवार्यतः आईआरडीएआई के पास मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ और व्यावसायिक सदस्यता आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित हैं, जहाँ उन व्यक्तियों के लिए जो आईआईआईएसएलए सदस्यता प्राप्त नहीं करते, आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के अंतर्गत अपील का एक विकल्प उपलब्ध है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाता है कि भारत में घटित होनेवाली किसी हानि के लिए और भारत में निपटान की अपेक्षा से युक्त किसी भी दावे को, जहाँ दावे की राशि आईआरडीएआई द्वारा उक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट मूल्य को पूरा करती है अथवा उसके अधिक है, बीमाकर्ता द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा अथवा उसका निपटान नहीं किया जाएगा, जब तक उक्त हानि के संबंध में एक रिपोर्ट किसी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक से प्राप्त नहीं की जाती।

जारी किये गये सर्वेक्षक और हानि निर्धारक लाइसेंस

एसएलए का प्रकार	2022-23	2023-24
नये लाइसेंस		
वैयक्तिक	325	395
कारपोरेट	27	24
कुल	**352**	**419**
नवीकरण		
वैयक्तिक	3,115	2,809
कारपोरेट	60	56
कुल	**3,175**	**2,865**

II.2.12 अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)

II.2.12.1 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, 19 सक्रिय टीपीए थे। वर्ष 2023-24 के दौरान दो नये टीपीए अर्थात् अक्ना हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड और लिंक-के इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड को टीपीए के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी गई थी। उक्त टीपीएएस ने अपने नेटवर्कों में 69,334 स्वास्थ्य सेवा करार जोड़ने के द्वारा अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार किया। 10,782 के प्रत्याहरण/विलोपन के बाद उक्त नेटवर्क में करारों की संख्या 31 मार्च 2024 को 2.44 लाख थी। टीपीए-वार नेटवर्क समझौते अनुबंध 11 में दिए गए हैं।

II.2.13 बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

जीवन बीमा व्यवसाय में बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

वैयक्तिक नया व्यवसाय

II.2.13.1 वैयक्तिक एजेंट वैयक्तिक नये व्यवसाय के लिए प्रमुख वितरण माध्यम के रूप में बने हुए हैं। तथापि, वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम में वैयक्तिक एजेंटों के अंशदान में 2022-23 के 52.76 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान सीमांत रूप से 50.90 प्रतिशत तक गिरावट आई है। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता के लिए, वैयक्तिक एजेंट वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम में 96 प्रतिशत के अंश के साथ वितरण का प्रबल माध्यम हैं, जबकि निजी क्षेत्र के अंतर्गत वैयक्तिक एजेंट अपने वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम के 22.69 प्रतिशत का अंशदान करते हैं। वैयक्तिक नये व्यवसाय का दूसरा प्रधान वितरण माध्यम

कारपोरेट एजेंट हैं। कारपोरेट एजेंटों का अंशदान जो 2022-23 के दौरान 35.11 प्रतिशत पर था, वर्ष 2023-24 में सीमांत रूप से घटकर 35.05 प्रतिशत हो गया है। निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त नये व्यवसाय प्रीमियम में कारपोरेट एजेंटों का अंश 2023-24 में 55.12 प्रतिशत पर उल्लेखनीय रहा (2022-23 में 57.02 प्रतिशत)। दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता के वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम में कारपोरेट एजेंटों का अंश 2022-23 में विद्यमान 3.08 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2023-24 में 2.96 प्रतिशत हुआ।

II.2.13.2 वैयक्तिक नये व्यवसाय के अंतर्गत बीमाकर्ताओं के प्रत्यक्ष विक्रय माध्यम का अंश 2022-23 में विद्यमान 7.81 की तुलना में 2023-24 में 9.91 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से अपने नये व्यवसाय प्रीमियम का 16.11 प्रतिशत प्राप्त किया, वहीं सरकारी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष विक्रय में कोई व्यवसाय नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दलाल माध्यम ने 3.06 प्रतिशत पर अंशदान किया, जिसने वर्ष 2022-23 में विद्यमान 3.07 प्रतिशत से सीमांत रूप से गिरावट दर्शाई। आनलाइन विक्रय माध्यम ने वर्ष 2022-23 में विद्यमान 0.84 प्रतिशत से सीमांत रूप से गिरावट दर्शाते हुए वर्ष 2023-24 में 0.65 प्रतिशत का अंशदान किया। सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंटों, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससीएस), बीमा वेब संग्राहकों, बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) और बिक्री केन्द्र (पीओएस) माध्यमों ने एकसाथ मिलकर वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम में 2022-23 में विद्यमान 0.41 प्रतिशत के मुकाबले 2023-24 में 1 प्रतिशत से कम (0.42 प्रतिशत) अंशदान किया (सारणी II.13)।

सामूहिक नया व्यवसाय

II.2.13.3 प्रत्यक्ष विक्रय ने सामूहिक व्यवसाय के लिए वितरण के प्रमुख माध्यम के रूप में कुछ गिरावट दर्शाई, परंतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रीमियम के 82.74 प्रतिशत के अंश के साथ यह वितरण के एक प्रधान माध्यम के रूप में जारी रहा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में तदनुरूपी अंश 84.55 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, इस माध्यम ने निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं और सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता के सामूहिक नये व्यवसाय प्रीमियम के क्रमशः 54.94 प्रतिशत और 93.34 प्रतिशत का अंशदान किया। निजी बीमाकर्ताओं के सामूहिक व्यवसाय के लिए एक और महत्वपूर्ण वितरण माध्यम कारपोरेट एजेंट बैंक था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में विद्यमान निजी बीमाकर्ताओं और सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता के लिए विद्यमान क्रमशः 19.73 प्रतिशत और 3.97 प्रतिशत की तुलना में निजी बीमाकर्ताओं और सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता के मामले में कुल सामूहिक नये व्यवसाय प्रीमियम के क्रमशः 22.94 प्रतिशत और 1.64 प्रतिशत का अंशदान किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता ने अपने वैयक्तिक एजेंसी बल के द्वारा सामूहिक व्यवसाय प्रीमियम का 4.91 प्रतिशत प्राप्त किया, जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने अपने माध्यम के द्वारा 2.17 प्रतिशत प्राप्त किया। दलाल माध्यम का अंशदान 2023-24 में 2.11 प्रतिशत तक बढ़ा, जो सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग के नये व्यवसाय प्रीमियम में 2022-23 में 1.67 प्रतिशत था (सारणी II.13)।

सारणी II.9 : जीवन बीमा में मध्यवर्तियों का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन (2023–24)

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

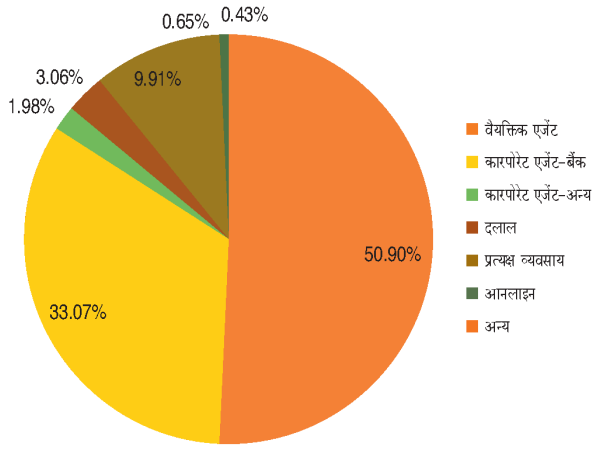
क्रम सं.	मध्यवर्ती का प्रकार	वैयक्तिक नया व्यवसाय			सामूहिक नया व्यवसाय		
		निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	उद्योग	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	उद्योग
1	वैयक्तिक एजेंट	22.69	96.00	50.90	2.17	4.91	4.15
2	कारपोरेट एजेंट बैंक	51.98	2.85	33.07	22.94	1.64	7.52
3	कारपोरेट एजेंट अन्य	3.14	0.11	1.98	11.77	0.01	3.26
4	दलाल	4.85	0.21	3.06	7.38	0.10	2.11
5	प्रत्यक्ष व्यवसाय	16.11	0.00	9.91	54.94	93.34	82.74
6	सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंट	0.01	0.23	0.09	0.80	0.00	0.22
7	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	0.01	0.29	0.12	0.00	0.00	0.00
8	वेब संग्राहक	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
9	बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ)	0.17	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
10	आनलाइन	0.96	0.15	0.65	0.00	0.00	0.00
11	बिक्री केन्द्र (पीओएस)	0.06	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00
	कुल व्यवसाय	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी:

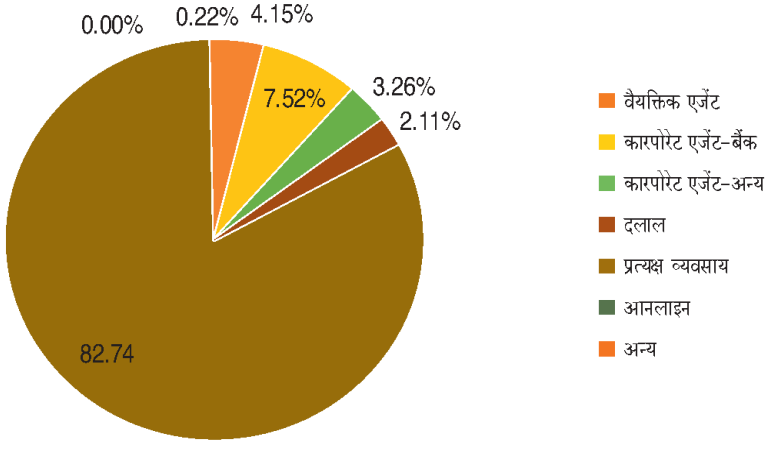
1. नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।

''सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा व्यवसाय आईआरडीएआई द्वारा उनके आदेश दिनांक 2.6.2023 के अनुसार एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (एसबीआई लाइफ) को अंतरित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए उपर्युक्त डेटा / सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा / सूचना शामिल नहीं की गई है।''

चार्ट II.1: जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम–वार वैयक्ति नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन



चार्ट II.2: जीवन बीमा व्यवसाय में माध्यम-वार सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन



साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का कार्यनिष्पादन

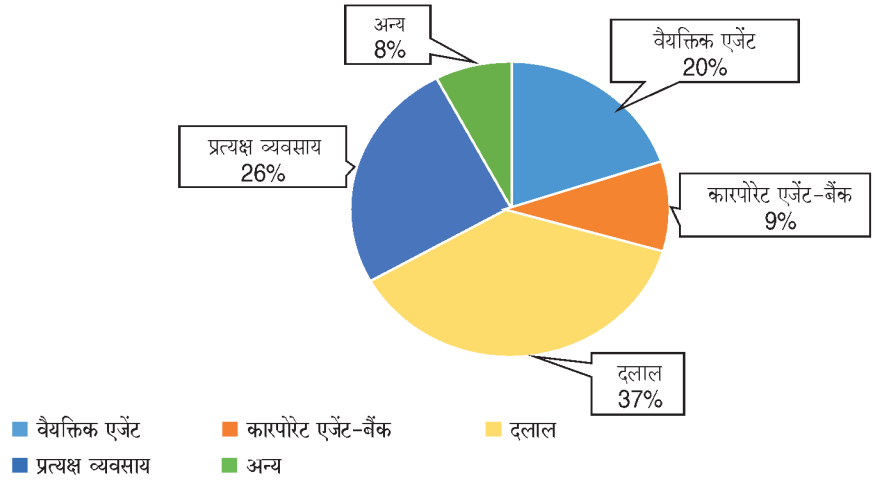
II.2.13.4 वर्ष 2023-24 में साधारण बीमाकर्ताओं के लिए व्यवसाय के वितरण के विभिन्न माध्यमों के बीच, दलाल माध्यम ने 37.1 प्रतिशत प्रीमियम के साथ बड़े भाग का अंशदान किया है जिसके बाद क्रमशः 25.6 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत के साथ प्रत्यक्ष विक्रय माध्यम और वैयक्तिक एजेंटों का स्थान है। कारपोरेट एजेंटों का अंशदान प्रीमियम का 9.4 प्रतिशत है। सभी अन्य माध्यमों ने एकसाथ मिलकर प्रीमियम के शेष 8.8 प्रतिशत का अंशदान किया है। सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, वैयक्तिक एजेंट (32.3 प्रतिशत) और उनके बाद दलाल (32.1 प्रतिशत) और प्रत्यक्ष (31.1 प्रतिशत) वितरण के प्रमुख माध्यम हैं जबकि निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं के लिए, दलाल (42.4 प्रतिशत) और प्रत्यक्ष विक्रय (23.6 प्रतिशत) वितरण के प्रमुख माध्यम हैं।

सारणी II.10: साधारण बीमाकर्ताओं के साथ संबद्ध बीमा एजेंटों और मध्यवर्तियों का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन (2023-24)

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

वितरण माध्यम	सरकारी क्षेत्र	नजी क्षित्र साही को छोड़कर	विशेषीकृत बीमाकर्ता	कुल
1. वैयक्तिक एजेंट	32.3	14.4	0.0	**20.1**
2. क कारपोरेट एजेंट बैंक	0.7	9.1	0.0	**5.7**
2. ख कारपोरेट एजेंट - अन्य	0.2	5.9	0.0	**3.7**
कारपोरेट एजेंट (कुल)	0.9	15.1	0.0	**9.4**
3. दलाल	32.1	42.4	3.8	**37.1**
4. क प्रत्यक्ष व्यवसाय-इंटरनेट	0.5	1.7	0.2	**1.2**
4. ख प्रत्यक्ष व्यवसाय-इंटरनेट को छोड़कर अन्य	30.6	21.8	9.4	**24.4**
प्रत्यक्ष व्यवसाय (कुल)	31.1	23.6	9.6	**25.6**
5. सूक्ष्म बीमा एजेंट	0.0	0.0	0.1	**0.0**
6. अन्य	3.6	4.5	86.5	**7.8**
कुल जोड़	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

चार्ट II.3: जीवन बीमा व्यवसाय का माध्यम–वार कार्यनिष्पादन



II.2.13.5 स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के वितरण के लिए विभिन्न माध्यमों के बीच, वैयक्तिक एजेंटों ने 30 प्रतिशत पर कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बड़े भाग का अंशदान किया। इस माध्यम का अंश वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 72 प्रतिशत पर उच्च रहा। स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए दूसरा महत्वपूर्ण माध्यम दलाल है, जिसने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 29 प्रतिशत का अंशदान किया। दलालों का अंश सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में दलालों का अंश 50 प्रतिशत पर उच्च रहा।

सरकारी व्यवसाय के शत प्रतिशत और कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लगभग 27 प्रतिशत को बीमाकर्ताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया। बैंकेश्योरेंस माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के नौ प्रतिशत का और आनलाइन विक्रय माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के दो प्रतिशत का अंशदान किया।

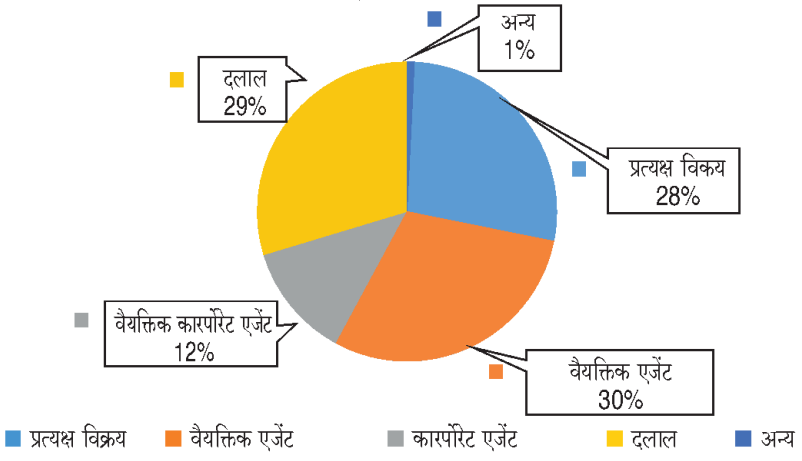
सारणी II.11: स्वास्थ्य बीमा (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर) में मध्यवर्तियों और बीमा एजेंटों का व्यावसायिक कार्यनिष्पादन

क्र. सं.	वितरण माध्यम	सरकारी व्यवसाय	सामूहिक व्यवसाय	वैयक्तिक व्यवसाय	कुल
1	वैयक्तिक एजेंट	–	3.58	72.32	**29.73**
2	कारपोरेट एजेंट				
	i. बैंक	–	12.41	6.33	**8.85**
	ii. अन्य	–	5.59	1.09	**3.31**
3	दलाल	–	49.64	9.46	**29.30**
4	प्रत्यक्ष विक्रय				
	i. आनलाइन	–	0.30	3.90	**1.65**
	ii. आनलाइन से इतर	100.00	28.37	5.82	**26.67**
5	सूक्ष्म बीमा एजेंट	–	0.09	0.00	**0.05**
6	सामान्य सेवा केन्द्र	–	0.00	0.01	**0.01**
7	वेब संग्राहक	–	0.01	0.14	**0.06**
8	बीमा विपणन फर्म	–	0.02	0.22	**0.09**
9	बिक्री केन्द्र	–	0.00	0.71	**0.28**
	कुल	**100.00**	**100**	**100**	**100**

टिप्पणी: आंकड़े प्रतिशत मे हैं।

प्रीमियम का प्रतिशत

चार्ट II.4: स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का माध्यम-वार कार्यनिष्पादन (2023-24)



II.3 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान

II.3.1 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम)

II.3.1.1 आईआरडीएआई द्वारा सह-प्रवर्तित आईआईआरएम को बीमा क्षेत्र के लिए, जो अनेक विनियामक पहलों के कारण बड़े पैमाने पर बदलावों से गुजर रहा है, कुशलताप्राप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। 2023-24 के दौरान, इस संस्थान ने बीमा व्यवसायियों और छात्रों के बीच प्रशिक्षण, अनुसंधान और बीमा जागरूकता को प्राथमिकता देना जारी रखा है।

उद्योग-अकादमिक सहयोग ने और गति पकड़ी। पहले कदम के रूप में, आईआईआरएम ने 'मंथन' के थिंक टैंक कार्यक्रम के दौरान बीमा कंपनियो से संपर्क किया और 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' मिशन को प्राप्त करने की दिशा में उद्योग को अपनी सेवाओं का गुलदस्ता पेश किया। बीमा क्षेत्र के कई संगठन अपने अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए आईआईआरएम से संपर्क कर रहे हैं। इनमें से कुछ हैं;

a) भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारियों के लिए रिट्रीट कार्यक्रम।
b) बैंकएश्योरेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम।
c) माइक्रोइंश्योरेंस एक्सेलेरेटर कार्यक्रम।
d) प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

II.3.1.2 संस्थान ने जीवन बीमा, साधारण बीमा और पुनर्बीमा में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहभागियों के साथ प्रासंगिक विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है। संस्थान ने उन कारकों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन भी संचालित किया है जो छत्तीसगढ़ राज्य में बीमा व्यापन में बाधा डाल रहे हैं तथा बीमा क्षेत्र के विकास में बैंकेश्योरेंस माध्यम की भूमिका पर एक और अध्ययन का भी संचालन किया है।

II.3.1.3 बीमा क्षेत्र कई संगठन अपने आवश्यकतानुरूप अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्थान से संपर्क कर रहे हैं तथा अपने प्रतिभा-समूह के कौशल को बढ़ा रहे हैं। उद्योग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए आईआईआरएम से छात्रों की भर्ती करना जारी है जो उसके पीजीडीएम छात्रों के लगभग 100 प्रतिशत स्थाननों में प्रतिबिंबित है। बीमांकिक विज्ञानों में श्रेष्ठता के एक विद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रयास भी 2023-24 के दौरान आईआईआरएम बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे पुनः अनुप्राणित किये गये हैं।

II.3.1.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, संस्थान ने ज्ञान के भागीदार के रूप में इंडियन स्कूल आफ़ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद के साथ समन्वय करते हुए, आईआरडीएआई के प्रवेश स्तर के कर्मचारियों के लिए एक चार-महीने की अवधि वाले प्रवेश पाठ्यक्रम काखख संचालन किया था। उक्त कार्यक्रम की विशेषता कक्षा में सत्रों, उद्योग की गतिविधि संबंधी व्यावहारिक व क्रियाशील (हैंड्स आन) एक्सपोज़र, परियोजनाओं के संबंध में स्व-अध्ययन तथा उद्योग के शीर्षस्थ विशेषज्ञों,

विनियमनकर्ताओं, और बीमा व्यवसायियों के साथ परस्पर सक्रियता (इंटरऐक्शन) के माध्यम से उदीयमान व्यवसायियों की अभिमुखता रही।

II.3.2 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई)

II.3.2.1 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) बीमा शिक्षण, प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में पिछले 69 वर्षों से कार्य कर रहा है। इस संस्थान को भारत, सार्क देशों और अनेक अन्य बीमा बाजारों में बीमा शिक्षण और प्रशिक्षण में एक अग्रणी के रूप में भली भाँति मान्यता प्राप्त है तथा इस संस्थान ने बीमा शिक्षाविदों और व्यावसायिकता के निर्माण और विकास में उद्योग की सहायता की है।

II.3.2.2 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) वैश्विक बीमा शिक्षण संस्थान (आईजीआईई) का सदस्य है तथा कई अन्य प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों और संघों के साथ इसकी चिरकालिक संबद्धता रही है। इसके साथ ही, विश्व भर में बीमा प्रशिक्षण संस्थानों और परीक्षा निकायों के साथ इसके व्यावसायिक संबंध हैं।

II.3.2.3 संस्थान के द्वारा संचालित अग्रणी परीक्षाएँ हैं, लाइसेंसिएट, असोसिएट और फेलोशिप प्रमाणपत्र परीक्षाएँ। वर्ष 2023-24 के दौरान, संस्थान ने 2301 परीक्षार्थियों को असोसिएट प्रमाणपत्र प्रदान किये तथा फेलोशिप 1837 परीक्षार्थियों को प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान, संस्थान ने विभिन्न मध्यवर्तियों के माध्यमों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भर्ती-पूर्व परीक्षाओं का संचालन किया है। इस संस्थान को डाक जीवन बीमा निदेशालय द्वारा उनके विक्रय-बल की परीक्षा और प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

II.3.2.4 2023-24 के दौरान, भारत और विदेशों से कुल 5720 सहभागियों ने संस्थान के बीमा प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

II.3.2.5 छात्र समुदाय के बीच बीमा शिक्षण को व्याप्त करने के लिए, 32 विभिन्न महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के साथ आईआईआई की तालमेल व्यवस्थाएँ (टाई-अप) हैं। यह संस्थान उद्योग के सहभागियों के साथ यूट्यूब पर अर्थात् इनसे मिलिये, माइलस्टोन्स और बीमा वार्तालाप के एपिसोडों में उद्योग के नामी व्यक्तियों से अल्पकालिक साक्षात्कारों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। संस्थान शिक्षाविदों/व्यवसायियों से आलेख/शोध-पत्र भी आमंत्रित करता है तथा दी जर्नल के त्रैमासिक अंकों में प्रकाशित करता है जो व्यापक दायरे में बीमा और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित विषयों को सम्मिलित करते हैं।

II.3.3 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)

II.3.3.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम के अनुसार सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का एक व्यावसायिक निकाय है। यह संस्थान आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(च) के अधीन आईआरडीएआई द्वारा प्रवर्तित किया गया था तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन निगमित किया गया था। इस संस्थान की स्थापना शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय में गुणवत्ता का संवर्धन करने, अपने सदस्यों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रारंभ करने की सुविधा प्रदान करने, तथा अपने सदस्यों के कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए उनके बीच तकनीकी सूचना का प्रसार करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य हानि नियंत्रण और अल्पीकरण तकनीकों और उपायों में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देना तथा बीमा उद्योग और आम जनता के साथ इसे साझा करना एवं उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार के लिए नई तकनीकों के प्रयोग के संबंध में अपने सदस्यों को अद्यतन जानकारी देना है। इसके अलावा, यह सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यवसाय से जुड़े सदस्यों और अन्य लोगों के उपयोग और लाभ के लिए मार्गदर्शन नोट्स, अनुदेश मैनुअल, पत्रिकाएँ निकालने के लिए भी उत्तरदायी है।

II.3.4 बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी)

II.3.4.1 आईआईबी का प्रादुर्भाव बीमाकर्ताओं के बीच मूल्यवान डेटा के तत्काल विनिमय, भविष्यसूचक वैश्लेषिकी, और धोखाधड़ी के न्यूनीकरण में तत्काल सहायता के लिए एक बृहत्तम प्लेटफार्म के रूप में हुआ है। आईआईबी ने उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रौद्योगिकी और नेतृत्व में अपने संसाधनों को मजबूत कर लिया है।

2023-24 के दौरान, आईआईबी ने उद्योग को निम्नलिखित उत्पाद उपलब्ध कराये हैं :

सारणी II.12: आईआईबी के उत्पाद

खंड	उत्पाद का नाम	उत्पाद का उद्देश्य	उल्लेखनीय उपलब्धियाँ
जीवन बीमा	क्रेस्ट	तत्काल जोखिम-अंकन और दावा खोज साधन	14.4 करोड़ अभिलेखों का भंडारण किया गया और 5.4 करोड़ प्रश्न प्रस्तुत किये गये। उक्त माड्यूल ने पाँच वर्षों में रु.1.73 लाख करोड़ की बीमाकृत राशि से संबद्ध 3.01 लाख मामलों की धोखाधड़ियों की पहचान करने में सहायता की।
	प्रिज़्म	भविष्यसूची जीवन जोखिम स्कोरिंग माडल	यह माडल संभावित रूप से अमान्य (बैड) जीवनों की पहचान करने में सहायता करता है। पिछले चार वर्षों में उक्त माड्यूल में कुल 4.23 करोड़ प्रश्न किये गये गये हैं।
	प्रावेस	निरंतरता माडल	यह माडल संभावित रूप से समयपूर्व समापन के लिए सर्वाधिक असुरक्षित प्रस्तावों/पालिसियों पर ध्यान देने में जीरो-इन की सहायता करता है। एपीआई आधारित प्रश्न करने (क्वेरीइंग) की सुविधा दी गई है।
	इंकलिंग	अदावी राशियों की निकासी के लिए	रु.9,000 करोड़ राशि के दो वर्षों में किये गये चार लाख प्रश्नों पर लगभग 80,000 अदावी मामलों के लिए संपर्क के वैकल्पिक ब्योरे दिये
मोटर	सुदर्शन	जोखिम-अंकन, दावों और धोखाधड़ी न्यूनीकरण के लिए तत्काल खोज साधन	एपीआई के माध्यम से उपलब्ध और खोज पंजीकरण या चैसिस नंबर पर आधारित है। केवल खोज साधन ही नहीं, बल्कि जोखिम-आधारित कीमत-निर्धारण से अधिक, उच्चतर जोखिमों से युक्त निजी कारों की पहचान करने और डेटा-आधारित निर्णयन में सहायक। इस माड्यूल में कुल 7.5 करोड़ खोजें की गई हैं।
	उदयन	वाहन का ब्योरा प्राप्त करने के लिए तत्काल साधन	एपीआई के द्वारा उपलब्ध तथा जोखिम-अंकन और दावा निपटान प्रक्रिया के दौरान वाहन संबंधी 25 विवरण उपलब्ध कराता है
अग्नी	आईप्राण	संपत्ति जोखिम विश्लेषक	जोखिम-अंकनकर्ता को पिछले 5 वर्षों के लिए अग्नि बीमा प्रोफाइल समझने के लिए बहुविध संयोजनों के साथ एक जोखिम डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के लिए समर्थक बनाता है किसी जोखिम डिस्ट्रिक्ट के जोखिम-अंकन और दावा प्रोफाइल को प्रकट करता है और बीमाकृत जोखिमों की व्यावसायिक संभाव्यता को निर्दिष्ट करता है।
	आईदर्पण		अग्नि बीमा संविभाग के तौर पर कारपोरेट ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल का निर्धारण
स्वास्थ्य	स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता	स्वास्थ्य बीमा सुवाह्यता साधन	पोर्ट-इन और पोर्ट-आउट बीमाकर्ताओं के बीच आवेदक की पालिसी, सदस्य और दावा संबंधी सूचना के विनिमय को समर्थ बनाता है 5 लाख हिटों में परिणत
	बीमा सतर्क	तत्काल समन्वित धोखाधड़ी वैश्लेषिकी प्लेटफार्म	संदिग्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के संबंध में सक्रिय रूप से संकेत करने के लिए एपीआईएस के माध्यम से पूर्व चेतावनी प्रणाली प्रेरणाएँ उत्पन्न करता है
	रोहिणी	बीमा के नेटवर्क में अस्पतालों की रजिस्ट्री	अस्पतालों और डे-केयर केन्द्रों की विधिमान्यकृत रिपोजिटरी। धोखाधड़ियों का नियंत्रण करने में स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए उपयोगी

II.4 वाद, अपीलें और न्यायलयों के निर्णय

II.4.1 2023-24 के दौरान उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी), सिविल न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), और लोक अदालत (जहाँ आईआरडीएआई एक पक्षकार है) के समक्ष दायर मामलों के तौर पर वादों एवं निपटाये गये/खारिज किये गये मामलों का विवरण नीचे की सारणियों में प्रस्तुत हैः

सारणी II.13: 2023-24 के दौरान दर्ज मामलों का विवरण

क्र. सं.	दायर किये गये मामलों का विवरण	जीवन	गैर-जीवन	स्वास्थ्य	मध्यवर्ती	वित्त	पीपीजी आर	कुल
1.	उच्चतम न्यायालय	–	–	2	–	–	2	4
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल की गई रिट याचिकाएँ	1	6	6	11	2	77	103
3.	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	–	–	–	–	–	1	1
4.	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ+ एससीडीआरसी+एनसीडीआरसी)	–	–	–	–	–	52	52
5.	सिविल, लोक अदालत एमएसीटी मामले	–	1	–	–	10	11	–
6.	एनसीएलटी/एनसीएलएटी	–	–	–	2	–	3	5
	कुल	**1**	**6**	**8**	**14**	**8**	**139**	**176**

सारणी II.14: 2023-24 के दौरान निपटाये गये / खारिज किये गये मामलों का विवरणः

क्र. सं	विवरण	गैर-जीवन	एचआर	स्वास्थ्य	पीपीजी आर	जीवन	मध्यवर्ती	एफएण्ड आई	कुल
1.	उच्चतम न्यायालय	5	–	–	–	1	–	1	7
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में निपटाई गई रिट याचिकाएँ	–	1	5	34	–	7	–	47
3.	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	–	–	–	–	–	1	–	1
4.	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ+ एससीडीआरसी+एनसीडीआरसी)	–	–	–	18	–	–	–	18
5.	सिविल, लोक अदालत एमएसीटी मामले	–	–	–	2	–	–	–	2
6.	एनसीएलटी/एनसीएलएटी	–	–	–	–	–	1	–	1
	कुल	**5**	**1**	**5**	**54**	**1**	**9**	**1**	**76**

II.5 बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आईआरडीएआई घरेलू तौर पर विनियामक उपायों को प्रारंभ करने और लागू करते समय अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व को पहचानता है। इस संदर्भ में, और अपने विनियामक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में, आईआरडीएआई स्वयं को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, मंचों और विदेशी विनियमनकर्ताओं के साथ संबद्ध करता है। आईआरडीएआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चल रही गतिविधियों में सक्रिय रूप से संबद्ध होना और योगदान करना जारी रखा।

II.5.1 अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ संबद्धता

II.5.1.1 आईएआईएस 200 से अधिक अधिकार-क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों और विनियमनकर्ताओं का एक स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है जिसमें विश्व के 97 प्रतिशत बीमा प्रीमियम हैं। यह वैश्विक मानक निर्धारक निकाय है जो बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांतों, मानकों का विकास करने तथा उनके कार्यान्वयन में सहायता और मार्गदर्शन करने एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी उत्तरदायी है। आईआरडीएआई आईएआईएस का सदस्य है। अध्यक्ष, आईआरडीएआई आईएआईएस की कार्यकारी समिति के भी सदस्य हैं। आईएआईएस के नीतिगत कार्य का संचालन कार्यकारी समिति के नेतृत्व में एक समिति की प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता फिर पाँच नीति समितियाँ करती हैं। विभिन्न नीति समितियों में आईआरडीएआई का प्रतिनिधित्व है। ये समितियाँ नीति विकास, वित्तीय स्थिरता और आईएआईएस पर्यवेक्षी सामग्री के कार्यान्वयन और निर्धारण आदि के क्षेत्र में मानक निर्धारक कार्यकलापों की निगरानी करती हैं।

II.5.1.2 आईएआईएस समिति प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक समिति ने अपने कर्तव्यों के निर्वहण के लिए विभिन्न कार्य-दलों/कार्य बलों की स्थापना की है। कार्य-दलों के स्तर पर, आईआरडीएआई की सहभागिता वित्तीय समावेशन, कारपोरेट अभिशासन, बाजार आचरण, समष्टि (मैक्रो) विवेकपूर्ण नीति और निगरानी तथा बीमा पूँजी मानक विकास के क्षेत्रों में है। आईएआईएस के मानक निर्धारण कार्यकलापों के भाग के रूप में, आईआरडीएआई परामर्श की प्रक्रिया में सहभागिता करता है तथा उसके नामित सदस्य प्रतिनिधि समितियों/कार्य दल/कार्य बलों की बैठकों में भी भाग लेते हैं। उक्त विचार-विमर्श और जानकारी की साझेदारी वैश्विक बीमा मानकों के निर्माण और अंगीकरण में परिवर्तित होती है।

II.5.1.3 आईआरडीएआई समकक्ष समीक्षा और स्व-मूल्यांकन प्रयोगों में सहभागिता करता है जो बीमा के मुख्य सिद्धांतों के मानकों के कार्यान्वयन और पालन के स्तर तथा किसी अधिकार-क्षेत्र में उसकी प्रभावात्मकता के निर्धारण को संबद्ध करते हैं। आईएआईएस की समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया (पीआरपी) सदस्यों की सहायता आईएआईएस के मानकों के निर्धारण और पालन के माध्यम से पर्यवेक्षी और विनियामक ढाँचों में किसी भी दुर्बलता अथवा अंतराल के स्वरूप और सीमा की पहचान करने में करती है।

II.5.2 द्विपक्षीय वचनबद्धताएँ

II.5.2.1 मई 2013 से प्रभावी रूप में, आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम एमओयू) का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो सहयोग और सूचना को साझा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, आईआरडीएआई (घरेलू या विदेशी संस्था के संबंध में गोपनीय सूचना को साझा करना) विनियम, 2012 विद्यमान हैं जो उस विधि की व्यवस्था करते हैं जिसमें गोपनीय जानकारी को अन्य विनियामक निकायों के साथ साझा किया जा सकता है।

II.5.2.2 आईआरडीएआई ने अब तक दो द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं। एक बीमा प्राधिकरण, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ और दूसरा संघीय बीमा कार्यालय (एफआईओ), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ। उक्त एमओयू सूचना के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सहायता सहित, सहयोग और समन्वय के लिए एक ढाँचा प्रदान करते हैं।

II.5.2.3 आईआरडीएआई-एफआईओ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत 2023-24 के दौरान मौसम जोखिम जैसे विषयों पर आवधिक सूचना विनिमय संबंधी परस्पर सक्रियता (इंटरऐक्शन)

आयोजित की गई। एफआईओ के प्रतिनिधियों के साथ एक परस्पर सक्रियता सत्र आयोजित किया गया जिसमें भारत की ओर से वरिष्ठ आईआरडीएआई अधिकारियों, जीवन, गैर-जीवन और पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों एवं बीमा दलालों ने भाग लिया।

II.5.3 बीमा विनियमनकर्ताओं के लिए एशियाई मंच (एएफआईआर)

II.5.3.1 एशियन फोरम आफ़ इंश्योरेंस रेगुलेटर्स (एएफआईआर), एशिया और ओशनिया क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों का एक मंच वर्ष 2005 में क्षेत्रीय बीमा विनियमन सहयोग पर बीजिंग घोषणा के आधार पर स्थापित किया गया था। एफएआईआर का मिशन, क्षमता निर्माण को मजबूत करना, बीमा विनियामक क्षमता को सुगम बनाना तथा एशिया और ओशनिया क्षेत्रों में विनियामक सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में आईआरडीएआई, भारत सहित एएफआईआर के 22 सदस्य हैं। बीमा विनियमनकर्ताओं के एशियाई मंच (एएफआईआर) की 18वीं वार्षिक बैठक और सम्मेलन का आयोजन 10 से 11 अक्तूबर 2023 तक कुआला लंपुर, मलेशिया में आघात-सह और सुदृढ़ बीमा पर्यवेक्षण के लिए उभरते जोखिमों का प्रभावी ढंग से सामना करना विषय पर किया गया जिसमें 13 सदस्य अधिकार-क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। विभिन्न एएफआईआर सदस्य अधिकार-क्षेत्रों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आये हुए वक्ताओं ने अनेक समकालीन विषयों पर चर्चाओं की अगुआई की, जैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और नवोन्मेषण, एशिया में बाढ़ जोखिम, खुला बीमा, मौसमी और प्राकृतिक जोखिम, तथा संरक्षण अंतराल।

II.5.3.2 इस कार्यक्रम के उपरांत 9 अक्तूबर 2023 को बीमा पर्यवेक्षण संबंधी 6वीं एशिया-पैसिफिक उच्च-स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक का सह-आयोजन बीमा विनियमनकर्ताओं के एशियाई मंच (एएफआईआर), अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के एफएसआई तथा आईएआईएस द्वारा किया गया। इस बैठक में निम्नलिखित तीन मुख्य विषयों को सम्मिलित किया गया, जिनमें से प्रत्येक के लिए विचारों के विनिमय की संरचना के साथ चर्चा का पैनल बनाया गयाः

- अंतरराष्ट्रीय विनियामक गतिविधियों और वैश्विक वित्तीय गतिविधियों के ज्वार-भाटे में नौ-संचालन करना;
- बीमा में बड़ी प्रौद्यिगिकियाँ; तथा
- ईएसजी बहु-आयामी समस्याओं के साथ संघर्ष।

अध्यक्ष, आईआरडीएआई ने उक्त पैनल चर्चाओं में वक्ता के रूप में सक्रिय रूप से सहभागिता की।

II.5.4 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

II.5.4.1 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को दूर करने और वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। एफएसबी के मुख्य अधिदेशों (मैंडेट्स) में से एक वित्तीय विनियमन पर जी20 नीतिगत घोषणाओं को लागू करना है। एफएसबी में, भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) द्वारा किया जाता है। आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार और टिप्पणियाँ प्रदान करते हुए एफएसबी के काम में योगदान देता है। आईआरडीएआई बीमा से संबंधित एफएसबी सर्वेक्षणों/प्रश्नावली/समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया भी देता है।

II.5.5 वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम (एफएसएपी)

II.5.5.1 वित्तीय क्षेत्र निर्धारण कार्यक्रम (एफएसएपी) जी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का एक संयुक्त कार्यक्रम है, किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन मूल्यांकन है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों में, एफएसएपी आकलन आईएमएफ और

विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अकेले आईएमएफ द्वारा आयोजित किये जाते हैं। एफएसएपी में दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन (आईएमएफ की जिम्मेदारी) और वित्तीय विकास मूल्यांकन (विश्व बैंक का उत्तरदायित्व)। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण उनतीस (29) अधिकार-क्षेत्रों के लिए प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एफएसएपी अनिवार्य हैं। भारत इन उनतीस देशों में से एक है। भारत के लिए पहला एफएसएपी 2011-12 में संचालित किया गया था और दूसरा एफएसएपी मिशन दिसंबर 2016 में था।

II.5.5.2 तीसरा एफएसएपी मिशन संयुक्त आईएमएफ-डब्ल्यूबी टीम द्वारा दिसंबर 2023 में प्रारंभ किया गया जिसके अनुसरण में दो और मिशन विजिट मार्च और जून 2024 में किये गये। भारत 2024 के भाग के रूप में आईएआईएस बीमा मुख्य सिद्धांतों के संबंध में भारतीय बीमा क्षेत्र के पालन पर एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

II.5.6 वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई)

II.5.6.1 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) सरकारों को वित्तीय समावेशन के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में वित्तीय शिक्षा पर विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट नीति मंच प्रदान करता है। वित्तीय साक्षरता के महत्व को पहचानने के बाद, ओईसीडी सरकारों द्वारा वर्ष 2008 में वित्तीय शिक्षा पर ओईसीडी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई) प्रारंभ किया गया था। भारत आईएनएफई की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेता है जिसका प्रतिनिधित्व भारत के चार वित्तीय विनियमनकर्ताओं अर्थात् आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है। अप्रैल 2012 में आईआरडीएआई, ओईसीडी आईएनएफई का सदस्य बना। ओईसीडी आईएनएफई बैठकों के दौरान, सहभागी वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में विश्व भर में की गई पहलों का साझा करते हैं। आईआरडीएआई ने नवंबर 2023 में आयोजित 'वित्तीय साक्षरता और सशक्तीकरणः डेटा, नीतियाँ और मूल्यांकन' पर ओईसीडी संगोष्ठी में आभासी तौर पर भाग लिया।

II.5.6.2 आईआरडीएआई ने ओईसीडी और एशियाई विकास बैंक संस्थान (एडीबीआई) के साथ एशिया में बीमा और सेवानिवृत्ति बचत पर राउण्डटेबिल की सह-मेजबानी की। इस कार्यक्रम का आयोजन 24-25 मई 2023 को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एचआईसीसी), नोवोटेल होटल, हैदराबाद, भारत में किया गया। इस राउण्डटेबिल पर हुई चर्चाओं में नवोन्मेषण और प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया गया, तेज बाजार वृद्धि और विनियामक चुनौतियों की एक समग्र विहंगम दृष्टि प्रस्तुत की गई, तथा बीमा पर मौसम के परिवर्तन के प्रभाव और उद्योग की प्रतिक्रियाओं का पता लगाने एवं मौसम की आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए विनियामक ढाँचों के प्रयासों की खोज की गई। इस कार्यक्रम में व्यवहारगत दृष्टिकोणों के द्वारा कवरेज की वृद्धि करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से ग्रहण करते हुए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसमें सेवानिवृत्ति आय की संरचना करने में लचीलेपन और दीर्घायु संरक्षण में संतुलन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। नवोन्मेष डिजिटल साधन दर्शाते हुए पेंशन संचार और संलिप्तता में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का अन्वेषण किया गया। अतिरिक्त रूप से, विनियामक सैंडबाक्सों और नवोन्मेषण केन्द्रों के उपयोग पर, जोखिमों का प्रबंध करते हुए नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करने में उनके महत्व पर बल देते हुए चर्चा की गई। उक्त राउण्डटेबिल का समापन नीतिनिर्धारकों, विनियमनकर्ताओं, और उद्योग के विशेषज्ञों के बीच ज्ञान के विनिमय और सहयोग के द्वारा एशिया में बीमा की आघात-सहनीयता और समावेशिता एवं सेवानिवृत्ति बचत प्रणालियों को बढ़ाने के उक्त कार्यक्रम के लक्ष्य को प्रबलित करते हुए मुख्य अंतर्दृष्टियों के सारांश के साथ किया गया।

II.5.6.3 बाली, इंडोनेशिया में 14-15 दिसंबर 2023 को बीमा में जोखिम निर्धारण और जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर आयोजित ओईसीडी ओजेके राउण्डटेबिल में आईआरडीएआई के अधिकारियों ने भी सहभागिता की।

II.5.7 अन्य संबद्धताएँ

II.5.7.1 वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और संवादों के संबंध में भारत सरकार के साथ प्रभावी और उपयोगी संबद्धता की दिशा में योगदान देना जारी रखा।

II.5.7.2 आईआरडीएआई ने 5 मार्च 2023 को आईआरडीएआई, हैदराबाद में तांजानिया से आये हुए एक प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की जिसमें बीमा आयुक्त, तांजानिया और तांजानिया बीमा विनियामक प्राधिकरण (टीआईआरए) के अधिकारी शामिल थे।

II.5.7.3 आईआरडीएआई भारतीय बीमा उद्योग का विहगावलोकन करने के लिए अध्ययन यात्राओं में रुचि व्यक्त करनेवाले अन्य देशों के बीमा विनियमनकर्ताओं से आनेवाले प्रतिनिधि मंडलों की मेजबानी करता है। मई 2023 के दौरान, आईआरडीएआई ने अन्य बातों के साथ-साथ पर्यवेक्षण प्रौद्योगिकी, विनियामक सैंडबाक्स, बीमा और पेंशन कवरेज जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए अध्ययन यात्रा के लिए आये हुए नेशनल बैंक आफ़ वांडा के बीमा और पेंशन पर्यवेक्षण कक्ष के प्रतिनिधियों की मेजबानी की।

II.5.7.4 आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र में विनिमयों और सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में भी सहभागिता करता है।

II.6 शिकायतें

II.6.1 आईआरडीएआई पालिसीधारकों के विश्वास और भरोसे को प्रोत्साहित करने के लिए शिकायतों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करने के द्वारा बीमाकर्ताओं की शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की निगरानी करते हुए पालिसीधारक के हितों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसे प्राप्त करने के लिए, आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के लिए अनिवार्य (मैंडेटरी) किया है कि वे कुशल और अभिगम्य शिकायत निवारण प्रणालियों को लागू करें। इनमें आनलाइन शिकायत प्रस्तुतीकरण विकल्प उपलब्ध कराना, विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्राप्त शिकायतों को पंजीकृत करने के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएँ स्थापित करना, तथा बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों और उनके सभी कार्यालयों में शिकायत निवारण व्यवस्था के विवरण का प्रचार करना शामिल हैं।

II.6.2 प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए अनिवार्य (मैंडेटरी) किया है कि उनके यहाँ एक पालिसीधारक संरक्षण, शिकायत निवारण और दावा निगरानी समिति (पीपीजीआरएण्डसीएम) समिति हो, जो कुशल और प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था, दावा निपटान प्रक्रियाओं की निगरानी के द्वारा पालिसीधारकों के हितों के संरक्षण की दिशा में उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करेगी तथा बीमा जागरूकता का निर्माण और पालिसीधारकों का सशक्तीकरण करने की दिशा में उपाय करेगी। इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनके यहाँ व्यवसाय के प्रत्येक स्थान पर शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक पदनामित अधिकारी हो तथा यदि शिकायतकर्ता के संतोष के अनुरूप शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है तो एक उचित आंतरिक उन्नयन (एस्कलेशन) मैट्रिक्स विद्यमान हो।

II.6.3 आईआरडीएआई ने पालिसीधारकों के लिए शिकायतों के समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए बहुविध माध्यम स्थापित किये हैं। आईआरडीएआई का बीमा भरोसा पोर्टल बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रबंध प्रणाली के साथ समन्वित किया गया है। यह बीमा भरोसा पोर्टल शिकायतें पाइल करने और उनकी स्थिति की खोज करने के लिए एक आनलाइन प्लेटफार्म प्रदान करता है। अतिरिक्त रूप से, आईआरडीएआई

शिकायत काल सेंटर (आईजीसीसी) शिकायतें दर्ज करने के लिए एक निःशुल्क (टोल-फ्री) टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता उपलब्ध कराता है। यह अंतर-संबद्ध प्रणाली आईआरडीएआई के लिए पालिसीधारकों की शिकायतों के कुशल समाधान को सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ताओं की शिकायत निपटान प्रक्रियाओं की प्रभावी ढंग से निगरानी करने का प्रबंध करती है। इसके अलावा, आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल में अदावी राशि के लिए वेब लिंक निहित है। यह पालिसीधारक / लाभार्थी के लिए उसकी ओर से अदावी स्थिति में निहित किसी राशि की खोज करने के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराता है।

II.6.4 जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत शिकायतों की कुल संख्या 2022-23 में दर्ज 1,24,293 से घटकर 2023-24 में 1,20,726 हो गई है अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में इसमें 2.87 प्रतिशत कमी आई है। साथ ही, यूएफबीपी (अनुचित व्यापार पद्धतियाँ) के अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों की कुल संख्या 2022-23 की 26,107 से 10.62 प्रतिशत घटकर 2023-24 में 23,335 रही है।

नीचे की सारणी में जीवन और साधारण बीमा क्षेत्रों के अलग-अलग विवरण के साथ भारतीय बीमा क्षेत्र में शिकायतों का विश्लेषण दर्शाया गया है।

सारणी II.15: 2023-24 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का विश्लेषण

विवरण	जीवन	साधारण और स्वास्थ्य	कुल
कुल जारी पॉलिसियाँ एवं कवर किए गए जीवन*	64,81,53,324	2,96,26,47,141	3,61,08,00,465
शिकायतें	1,20,726	94,843	2,15,569
कुल पॉलिसियों और जीवन में शिकायतों का प्रतिशत (%)	0.019	0.003	0.006
प्रति लाख पॉलिसियों परशिकायतें	18.63	3.20	5.97

स्रोतः बीमाभरोसा पोर्टल

**जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में- पोलिसीज इन फोर्स , सामान्य बीमा के मामले में - जारी पॉलिसियाँ, स्वास्थ बीमा के सम्बंध में पर्सस कवर्ड*

सारणी II.16: जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज अनुचित व्यापार पद्धतियों (यूएफबीपी) संबंधी शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2023-24
1	जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध सूचित की गई शिकायतों की कुल संख्या	1,24,293	1,20,726
2	सूचित की गई यूएफबीपी शिकायतों की कुल सं.	26,107	23,335
3	वर्ष के दौरान समाधान की गई यूएफबीपी शिकायतें	26,103	23,288
4	पालिसीधारक के पक्ष में	9,946	9,461
5	आंशिक रूप से पालिसीधारक के पक्ष में	1,302	1,216
6	पालिसीधारक के विरुद्ध	14,855	12,611
7	वर्ष के अंत में लंबित यूएफबीपी शिकायतें	4	47
8.	कुल शिकायतों में यूएफबीपी शिकायतों का अंश	21.00%	19.33%

II.6.5 भारतीय बीमा क्षेत्र में अपविक्रय (मिस-सेलिंग) एक उल्लेखनीय चिंता है जो उपभोक्ताओं को निबंधनों, शर्तों या उपयुक्तता के उचित प्रकटीकरण के बिना बीमा उत्पादों के विक्रय से संबद्ध है। बीमाकर्ताओं को अंतर्निहित कारणों की पहचान करने के लिए मूल कारण विश्लेषण संचालित करने के द्वारा अपविक्रय की समस्या का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपविक्रय को रोकने या कम करने के लिए, बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे उत्पाद की उपयुक्तता का निर्धारण करने, वितरण माध्यम-विशिष्ट नियंत्रण लागू करने, तथा आवधिक आधार पर एक मूल कारण विश्लेषण करने सहित अपविक्रय संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए एक योजना विकसित करने जैसी रणनीतियों को कार्यान्वित करें।

बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायतों की स्थिति

II.6.6 2023-24 के दौरान, बीमा भरोसा पोर्टल पर 2,15,569 शिकायतें प्राप्त की गई थीं, जिनमें से 1,20,726 शिकायतें जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित थीं और 94,843 साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित थीं।

सारणी II.17: बीमा भरोसा पोर्टल के अनुसार शिकायतों की स्थिति

(शिकायतों की संख्या)

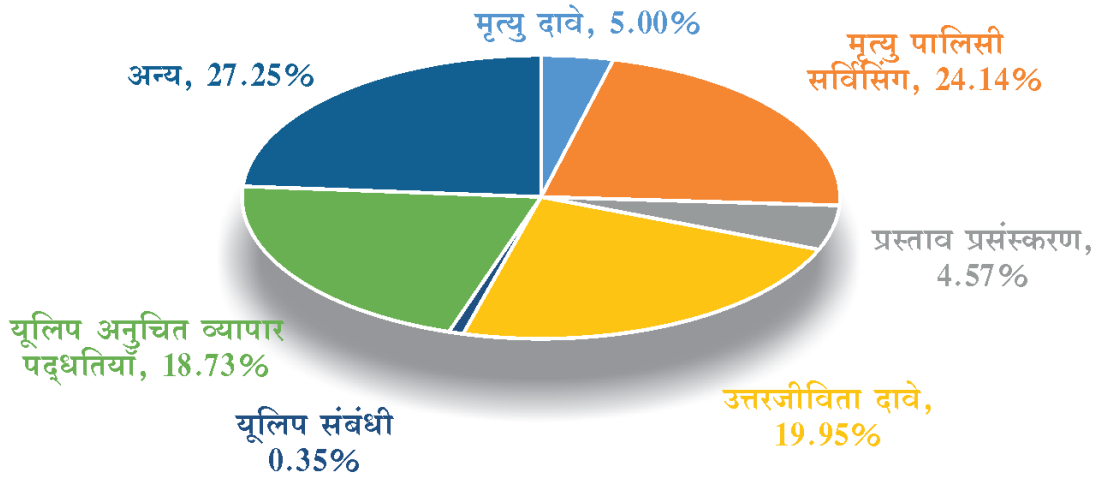
बीमाकर्ता	2022-23			2023-24		
	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित
जीवन बीमाकर्ता						
सरकारी क्षेत्र	81,303	81,303	0	81,021	81,021	0
निजी क्षेत्र	42,990	43,114	289	39,705	39,558	436
कुल	**1,24,293**	**1,24,417**	**289**	**1,20,726**	**1,20,579**	**436**
साधारण बीमाकर्ता						
सरकारी क्षेत्र	22,563	20,781	2,149	24,955	23,049	4,055
निजी क्षेत्र	55,784	56,178	1,224	69,888	70,111	1,001
कुल	**78,347**	**76,959**	**3,373**	**94,843**	**93,160**	**5,056**
कुल जोड़	**2,02,640**	**2,01,373**	**3,662**	**2,15,569**	**2,13,739**	**5,492**

स्रोतः बीमा भरोसा पोर्टल

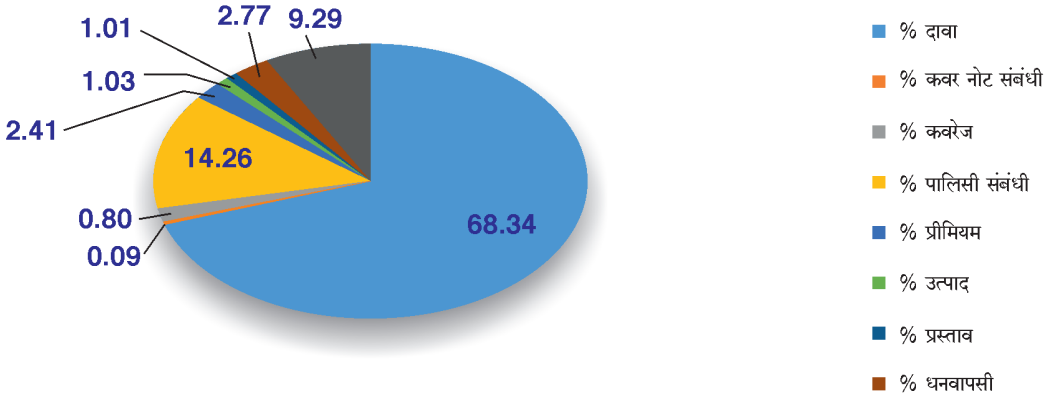
II.6.7 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बीमा भरोसा पोर्टल पर जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में प्राप्त कुल शिकायतों में से 62 प्रतिशत से अधिक शिकायतें उत्तरजीविता दावों, पालिसी सर्विसिंग और अनुचित व्यापार पद्धतियों से संबंधित थीं। जीवन बीमाकर्ताओं के लिए शिकायतों का वर्गीकरण निम्नानुसार दिया गया है:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य बीमा के विरुद्ध प्राप्त कुल शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें दावों (68 प्रतिशत) से संबंधित थीं।

चार्ट II.5: जीवन बीमा संबंधी शिकायों का वर्गीकरण



चार्ट II.6: साधारण और स्वस्थ्य बीमा संबंधी शिकायतों का वर्गीकरण



II.6.8 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीवन दावों से संबंधित शिकायतों की संख्या 30,459 थी। रिपोर्ट किए गए जीवन दावों की संख्या 24.86 लाख थी। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा दावों से संबंधित शिकायतों की संख्या 67,541 थी और दावों की संख्या 11.49 करोड़ थी। इस प्रकार, रिपोर्ट किए गए प्रति हजार दावों पर जीवन बीमा दावों से संबंधित शिकायतों की संख्या लगभग 12 थी, जबकि सामान्य और स्वास्थ्य बीमा के मामले में यह लगभग 0.6 थी।

II.6.9 वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) में पंजीकृत 13,153 शिकायतें आईआरडीएआई के पास भेजी गईं। वर्ष के दौरान कुल 13,084 शिकायतों का निपटान किया गया। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कुल 289 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.18: डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत और आईआरडीएआई को संदर्भित शिकायतें

शिकायत का स्रोत	2023–24 के प्रारंभ में शिकायतें	2023–24 के दौरान प्राप्त	2023–24 में प्राप्त कुल शिकायतें	2023–24 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2023–24 के अंत में शिकायतें
डीपीजी	12	408	420	393	27
डीआरपीएजी	0	152	152	150	2
स्थानीय/इंटरनेट	151	10,273	10,424	10,226	198
राष्ट्रपति सचिवालय	8	100	108	105	3
पेंशन	0	9	9	9	0
पीएमओ	49	2,211	2,260	2,201	59
कुल	**220**	**13,153**	**13,373**	**13,084**	**289**

डीपीजी– सार्वजनिक शिकायत निदेशालय; डीएआरपीजी प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग; पीएमओ प्रधान मंत्री कार्यालय स्रोतः सीपीजीआरएएमएस पोर्टल

31 मार्च 2024 को शिकायतों की अवधि–वार लंबित स्थिति निम्नानुसार हैः

सारणी II.19: शिकायतों की लंबित स्थिति

निम्न अवधि के लिए लंबित	शिकायतों की संख्या
0 – 15 दिन	216
16 30 दिन	55
31 45 दिन	17
46 60 दिन	0
60 दिन	0
कुल	**289**

II.7 सलाहकार समितियों की कार्य–पद्धति

बीमा सलाहकार समिति

II.7.1 बीमा सलाहकार समिति (आइ ए सी) में पदेन सदस्यों को छोड़कर 25 से अनधिक सदस्य होते हैं जो वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंचों, सर्वेक्षकों, एजेंटों, मध्यवर्तियों, सुरक्षा और हानि निवारण में लगे हुए संगठनों, बीमा क्षेत्र के अनुसंधान निकायों और कर्मचारी संघों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य बीमा सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होते हैं। बीमा सलाहकार समिति का उद्देश्य विनियम बनाने से संबंधित विषयों पर प्राधिकरण को सलाह देना है। बीमा सलाहकार समिति ऐसे अन्य विषयों पर प्राधिकरण को सलाह दे सकती है जो निर्धारित किये जाएँगे।

बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) की चार बैठकें हुईं :

आईआरडीएआई की बैठक	दिनांक
आईएसी की 47वीं बैठक	22 सितंबर 2023
आईएसी की 48वीं बैठक	13 दिसंबर 2023
आईएसी की 49वीं बैठक	14 फरवरी 2024
आईएसी की 50वीं बैठक	23 फरवरी 2024

पुनर्बीमा सलाहकार समिति

II.7.2 आदेश सं. आईआरडीएआई/आरईआईएन/एनओटी/आरआईएन/101/5/2022 दिनांक 19-05-2022 के अनुसार गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति की विद्यमानता जारी है।

II.8 लोकपाल की कार्य-पद्धति

II.8.1 बीमा लोकपाल का कार्यालय एक वैकल्पिक शिकायत निवारण प्लेटफार्म है जो बीमा कंपनियों, उनके एजेंटों और मध्यवर्तियों द्वारा बीमा की सभी वैयक्तिक व्यवस्थाओं, सामूहिक बीमा पालिसियों, एकमात्र स्वामित्व वाले और सूक्ष्म उद्यमों को जारी की गई पालिसियों के संबंध में एक त्वरित, किफायती और निष्पक्ष तरीके से असंतुष्ट पालिसीधारकों की शिकायतों का समाधान करने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। लोकपालों के पास सभी बीमाकर्ताओं और उनके मध्यवर्तियों के विरुद्ध शिकायतों पर विचार करने के लिए अधिदेश (मैंडेट)/शक्ति है। वर्तमान में, 17 बीमा लोकपाल केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो अहमदाबाद, बेंगलूरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, पटना और नोएडा में हैं।

II.8.2 पालिसीधारक को किसी भी शिकायत के समाधान के लिए सर्वप्रथम संबंधित बीमाकर्ता के साथ संपर्क करना चाहिए्। जहाँ शिकायत का समाधान पालिसीधारक के पक्ष में नहीं किया गया हो अथवा आंशिक रूप से पालिसीधारक के पक्ष में समाधान किया गया हो, वहाँ बीमाकर्ता शिकायतकर्ता को उनके अधिकार-क्षेत्र के बीमा लोकपाल का विवरण (नाम और पता) देने के द्वारा मामला बीमा लोकपाल के समक्ष ले जाने के लिए सूचित करेगा। बीमा लोकपाल को अपील की गई शिकायतों का निपटान एक अधिनिर्णय (अवार्ड) के द्वारा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर किया जाता है तथा ऐसा अधिनिर्णय/निर्णय बीमा कंपनियों और उनके मध्यवर्तियों, जैसी स्थिति हो, पर बाध्यकारी होगा।

II.8.3 बीमा लोकपाल के कार्यालय बीमा लोकपाल परिषद (सीआईओ) के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं जो बीमा लोकपाल नियम, 2017 के अधीन गठित की गई है। सीआईओ नियमित अंतरालों पर जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद के साथ गहन संपर्क में रहते हुए कार्य करती है।

बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 19 के अनुसार, एक सलाहकार समिति, जिसमें 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें एक केन्द्र सरकार का नामिती भी शामिल है, का पुनर्गठन समय-समय पर बीमा लोकपाल प्रणाली के कार्यनिष्पादन तथा सभी बीमा लोकपालों की कार्यकुशलता बढ़ाने से संबंधित अन्य विषयों की समीक्षा करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा 10.04.2024 को कार्यालय आदेश संदर्भ सं. आईआरडीएआई/पीपीएण्डजीआर/सीएमटी/67/4/2024 के द्वारा किया गया। यह समिति सीआईओ के लिए मार्गदर्शक निकाय के रूप में कार्य करती है।

II.8.4 बीमा लोकपाल के विस्तार को व्यापक बनाने के लिए बीमा लोकपाल नियम, 2017 का संशोधन 9 नवंबर 2023 को किया गया। मुख्य संशोधन में क्षतिपूर्ति के लिए अधिनिर्णय की राशि में 30 लाख से 50 लाख तक वृद्धि तथा बीमा लोकपाल द्वारा अधिनिर्णयों पर डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर ऐसा अधिनिर्णय पारित करने के लिए कारणों सहित करने के लिए अनुमति देना शामिल है।

II.9 बीमा संघ और बीमा परिषदें

जीवन बीमा परिषद

II.9.1 जीवन बीमा परिषद (एलआई परिषद) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64ग के अधीन गठित भारत में परिचालन करनेवाले सभी जीवन बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सांविधिक निकाय है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जीवन बीमा परिषद के द्वारा किये गये कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित है।

i. **विभिन्न विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों को सरल और कारगर बनाने के लिए विनियम समीक्षा समिति (आरआरसी) और विभिन्न उप-समूह**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, जीवन बीमा परिषद का, साधारण बीमा परिषद के साथ वर्तमान विनियामक ढाँचे की जाँच करने और उसमें परिवर्तनों के लिए आईआरडीएआई को सुझाव देने के लिए आरआरसी और विभिन्न उप-समूहों के साथ कार्य करना जारी है। आरआरसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपनी सिफारिशों का पहला भाग प्रस्तुत किया है तथा अब मध्यवर्तियों (वितरण माध्यम) के साथ संबंध रखनेवाली सिफारिशों के अंतिम भाग को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

ii. **बीमा उद्योग के अग्रसरण के लिए परिवर्तन कार्यसूची**

जीवन बीमा परिषद ने साधारण बीमा परिषद के साथ बीमा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न परिवर्तनों की कार्यसूची सुझाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ की है। ध्यान केन्द्रित किये जानेवाले क्षेत्र हैं बेंचमार्किंग और अंतराल का विश्लेषण, बीमा समावेशन, डिजिटल कार्यसूची, तथा विधिक, विनियामक और पूँजीगत ढाँचा।

iii. **परिषद की वेबसाइट:**

परिषद की वेबसाइट में लगातार सांख्यिकीय डेटा, नवीनतम समाचार और अन्य सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। उसके अभिकल्प को अपग्रेड करने और उसे आईआरडीएआई और सभी जीवन बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों के साथ अंतर-संबद्ध करने के बाद विभिन्न भूगोलों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से हिटों की संख्या में उल्लेखनीय रूप में वृद्धि हुई है।

iv. **जनसुरक्षा वेबसाइट का विकास:**

जीवन बीमा परिषद ने साधारण बीमा परिषद और भारतीय बैंक संघ के साथ पीएमजेजेबीवाई (प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) और पीएमएसबीवाई (प्रधान मंत्री सुरक्षा पीएमएसबीवाई बीमा योजना) बीमा योजनाओं के लिए दावों की निर्बाध यात्रा हेतु जनसुरक्षा वेबसाइट प्रारंभ की है।

v. **अन्य गतिविधियाँ :**

उक्त परिषद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं के कर-प्रमुखों के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रिय विचार-विमर्श करती है।

उक्त जीवन बीमा परिषद बीमा सुगम, आईआरडीएआई द्वारा बीमा समाधानों के लिए परिकल्पित एक ई-बाजार-स्थान, के विकास में सक्रिय रूप से संबद्ध है।

साधारण बीमा परिषद

II.9.2 साधारण बीमा परिषद (जीआई परिषद) भारत में साधारण, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है, जिसका गठन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64ग के उपबंधों के अधीन किया गया है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, 27 साधारण बीमा कंपनियाँ (जिनमें 4 पीएसयू बीमाकर्ता, 21 निजी बीमाकर्ता और 2 विशेषीकृत बीमा कंपनियाँ शामिल हैं), 5 स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, 1 पीएसयू पुनर्बीमाकर्ता, 12 विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाएँ (एफआरबीएस) साधारण बीमा परिषद के सदस्य हैं।

वर्ष 2023-24 में साधारण बीमा परिषद के कार्यकलाप:

i. साधारण बीमा परिषद आईआरडीएआई की '2047 तक सबके लिए बीमा' तथा व्यवसाय करने की सुगमता को सुसाध्य बनाने की पहल सहित विभिन्न विषयों पर आईआरडीएआई के साथ निरंतर संलिप्त है।

ii. बीमा त्रयी परियोजनाओं पर, बीमा कंपनियों, पालिसीधारकों, और मध्यवर्तियों हेतु उचित रक्षोपायों के साथ सुगमतापूर्वक व्यवसाय को सुसाध्य बनाने के लिए बीमा ई-बाजार स्थान बीमा सुगम बनाया जा रहा है।

iii. साधारण बीमा परिषद ने एक एकल उत्पाद, बीमा विस्तार, को समर्थ बनाने के लिए जो एक एकल परिवार के लिए जीवन, साधारण और वैयक्तिक दुर्घटना कवरेज की आवश्यकता पूरी करेगा, जिसके लिए एक समर्पित विक्रय-बल के रूप में बीमा वाहकों के माध्यम से विपणन में विशेषीकृत दृष्टिकोण अपेक्षित होगा, सरकारी एजेंसियों, मध्यवर्तियों और अन्य संबद्ध निकायों के साथ परस्पर सक्रिय विचार-विमर्श किया।

iv. दोनों जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधियों से युक्त विनियामक समीक्षा समिति (आरआरसी) ने वर्तमान विनियामक ढाँचे की समीक्षा की तथा नियम-आधारित से सिद्धांत-आधारित व्यवस्था की ओर अंतरण की दिशा में आवश्यक अपनी अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराईं।

v. साधारण बीमा परिषद वर्तमान हिट एण्ड रन दुर्घटना निधि पूर्व की मुआवजा (सोलेशियम) निधि के प्रबंधक के रुप में हिट एण्ड रन दावों को संभालने, उक्त निधि का प्रबंध करने तथा देश भर में ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न होनेवाले दावों का भुगतान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जारी रही।

vi. साधारण बीमा परिषद ने स्वास्थ्य पालिसियों के अंतर्गत बढ़ते हुए नकदीरहित दावा निपटानों, एक मंच के अंतर्गत सभी अस्पतालों की सामान्य सूचीबद्धता तथा उचित दरें प्रभारित करने के संबंध में अस्पतालों के साथ समझौता वार्ताएँ करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की।

vii. साधारण बीमा परिषद विभिन्न विषयों के संबंध में वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के साथ निरंतर वचनबद्धता में है, जैसे चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं संबंधी डेटा से संबंधित दावों का प्रस्तुतीकरण, जामिन बांड बाजार का विकास तथा एनडीएमए के साथ समन्वय करते हुए आपदा बीमा उत्पाद का विकास।

viii. साधारण बीमा परिषद ने समस्त भारत में (पैन इंडिया) बीमा जागरूकता और शिक्षा अभियान की प्रक्रिया प्रारंभ की है जिसका शीघ्र ही शुरू किया जाना प्रत्याशित है।

ix. साधारण बीमा परिषद, जीवन बीमा परिषद और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ संयुक्त रूप से पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई योजनाओं के लिए एक स्थान पर प्रवेश के रूप में जनसुरक्षा प्लेटफार्म के कार्यान्वयन पर कार्य कर रही है जिसमें नामांकन, दावों पर कार्रवाई, डीआईवाई यात्राएँ, और शिकायत निवारण सम्मिलित हैं। यह प्लेटफार्म डेटा विश्लेषण और डीएफएस को रिपोर्टिंग के लिए एक एकल स्थान के रूप में भी काम आता है। पहले चरण में 12 सरकारी क्षेत्र बैंकों ने अपने संबद्ध साधारण और जीवन बीमाकर्ताओं के साथ, जो सभी पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई पालिसियों के लगभग 80 प्रतिशत को कवर करते हैं, उक्त प्लेटफार्म के साथ समन्वय किया है तथा संपूर्ण (एण्ड टू एण्ड) परीक्षण निष्पादित किया जा रहा है।

II.10 बीमा बाजार से संबंधित अन्य गतिविधियाँ

II.10.1 जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा खंडों के लिए बाजार में किसी भी नये उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकरण समय-समय पर विनियामक ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन उपलब्ध कराता है/करता है।

2023-24 के दौरान प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की बीमा कंपनी-वार कुल संख्या अनुबंध 7 में दी गई है।

प्रमुखताएँ

व्यवसाय करने की सुगमता के उपाय

01. यूज़ एण्ड फाइल

सभी साधारण, स्वास्थ्य और अधिकांश जीवन बीमा उत्पादों के लिए यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया

02. पूर्व अनुमोदन समाप्त करना

विज्ञापनों, अन्य प्रकार की पूँजी (ओएफसी) जुटाने, व्यवसाय के नये स्थानों आदि के लिए पूर्व अनुमोदन कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन समाप्त किये गये

03. ईओएम में लचीलापन

साधारण और स्वास्थ्य के लिए ईओएम की एकल सीमा, कमीशनों से संबंधित जीवन सीमाओं में सममूल्य, सममूल्येतर सीमाएँ हटाई गई हैं और ईओएम के साथ संबद्ध की गई

04. ईओएम में अतिरिक्त छूटें

ग्रामीण व्यवसाय, सरकारी योजनाओं, जागरूकता और इंश्योरटेक को बढ़ावा देने के लिए ईओएम में अतिरिक्त छूटें

05. वितरण में सुगमता

कारपोरेट एजेंटों और आईएमएफों के लिए तालमेल व्यवस्थाओं (टाई-अपों) की अनुमतियोग्य संख्या बढ़ाई गई (तिगुनी की गई)

06. निवेशों के लिए अवसर

बीमाकर्ताओं को एआईएफ की निधियों की निधियों, आईएनवीआईटीएस और आरईआईटीएस की कर्ज प्रतिभूतियों, में निवेश करने की अनुमति देने, बीएफएसआई क्षेत्र में संवर्धित एक्सपोज़र आदि के द्वारा ओएफसी जुटाने की सीमाएँ दुगुनी की गई

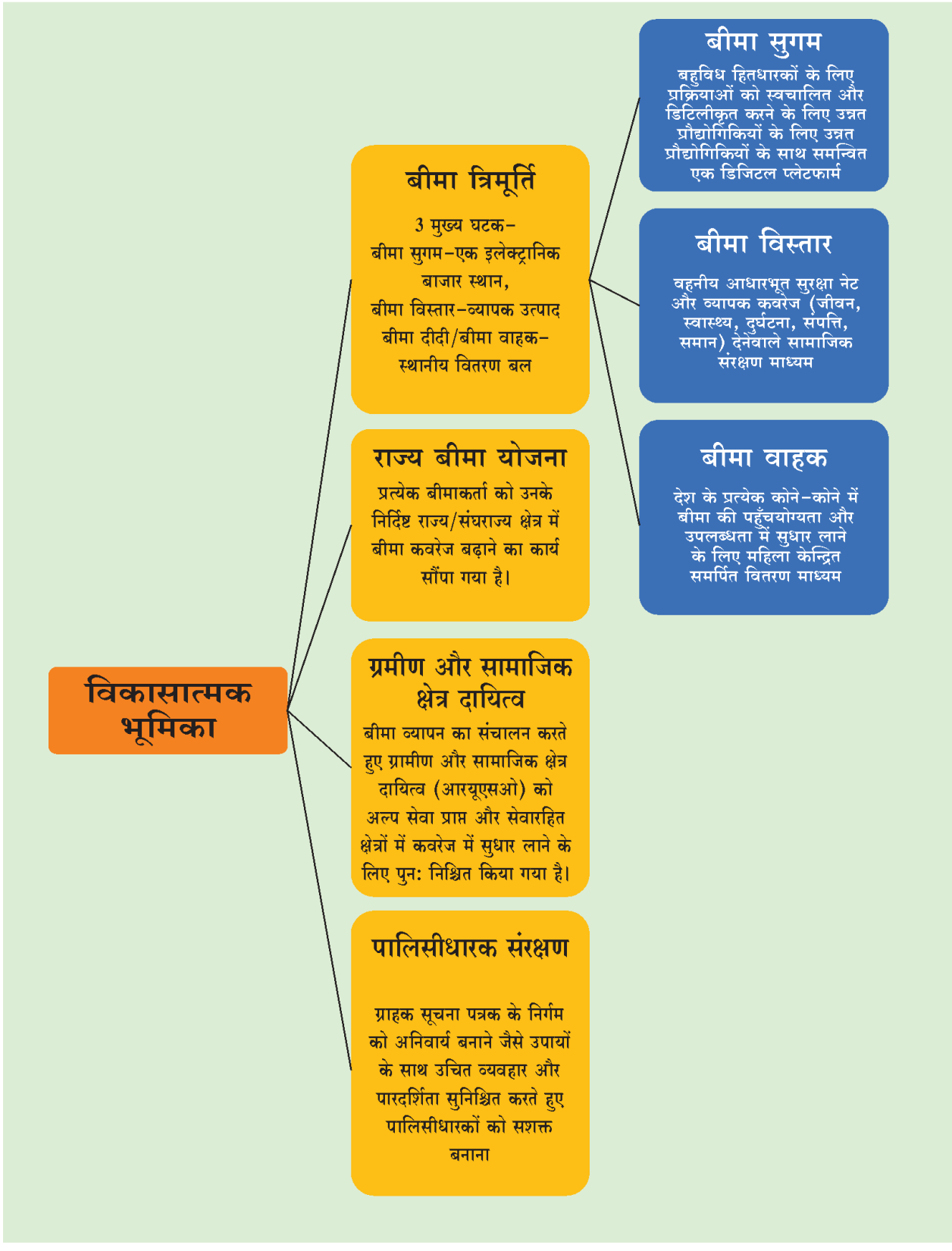
07. शोधन-क्षमता की अपेक्षाएँ

शोधन-क्षमता की अपेक्षाएँ यूलिप, फ़सल बीमा और पीएमजेजेबीवाई के लिए युक्तिसंगत बनाई गई

08. कंपनी अभिशासन

पारदर्शिता, दायित्व और नैतिक आचरण को बढ़ावा देते हुए अभिशासन ढाँचे को मजबूत किया गया

आईआरडीएआई की विकासात्मक भूमिका



भाग – III
प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

III.1 आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन

आईआरडीएआई ने अपनी विकासात्मक भूमिका के भाग के रूप में, भारत में नई बीमा कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रवेश के मानदंडों को सरल और कारगर बनाया है। विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान नये आवेदकों को सहारा देने हेतु मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के एक समूह को नियुक्त किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, समीक्षाधीन वर्ष में आईआरडीएआई ने तीन नई बीमा कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है। 'गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' नामक एक जीवन बीमा कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इस जीवन बीमाकर्ता के परिवर्धन के साथ, 31.03.2024 को जीवन बीमाकर्ताओं की कुल संख्या 26 हो गई है। इसके अलावा, दो नये स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, अर्थात् नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाणपत्र 3 जनवरी 2024 को तथा गैलक्सी हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाणपत्र 20 मार्च 2024 को जारी किया गया। दो नये स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिवर्धन के साथ, देश में पंजीकृत स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की कुल संख्या 8 तक पहुँच गई है।

III.2 पालिसी के समनुदेशन, पालिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे का निपटान, पालिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण

आईआरडीएआई ने पालिसी के समनुदेशन, पालिसीधारकों के नामांकन आदि के तौर पर पालिसीधारकों के संरक्षण से संबंधित विषयों का समाधान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न परिपत्र जारी किये हैं। विशेष रूप से आपाती घटना के संबंध में साधारण बीमाकर्ताओं को बड़ी आपाती घटनाओं की स्थिति में दावों के शीघ्रतापूर्वक निपटान को सुनिश्चित करने के द्वारा प्रभावित बीमाकृत जनता की कठिनाइयाँ कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए सूचित किया गया है। जारी किये गये परिपत्रों की सूची निम्नानुसार है:

- आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/जीडीएल/122/06/2023 दिनांक 5 जून 2023 ने बालासोर, ओडिशा में दुःखद रेल दुर्घटना के पीड़ितों के बीमा दावों के संबंध में दिशानिर्देश दिये।
- चक्रवात बिपरजाय से संबंधित बीमा दावों के संबंध में आईआरडीएआई/ एनएल/ सीआईआर/विविध/122/06/2023 दिनांक 16 जून 2023
- हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित बीमा दावों के संबंध में आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/146/7/2023 दिनांक 16 जुलाई 2023
- सिक्किम में बाढ़ से संबंधित बीमा दावों के संबंध में आईआरडीएआई/एनएल/ सीआईआर/ विविध/183/10/2023 दिनांक 18 अक्तूबर 2023
- चक्रवात मिचाऊंग और अनुवर्ती भारी वर्षा और बाढ़ से संबंधित बीमा दावों के संबंध में आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/215/12/2023 दिनांक 9 दिसंबर 2023 और आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/215/12/2023 दिनांक 18 दिसंबर 2023

III.3 मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना

III.3.1 1999 के आईआरडीए अधिनियम के अधीन विनियम सुस्पष्ट रूप से बीमा व्यवसाय में सभी मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसीकरण और आचरण संहिता की अपेक्षाएँ निश्चित करते हैं। इन विनियमों में शामिल हैं आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015, आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018, आईआरडीएआई बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 तथा आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015।

III.3.2 प्राधिकरण ने परिपत्र सं. आईआरडीए/एनटी/सीआईटी/टीएण्डई/136/07/2016 जारी करने के द्वारा विनियामक पर्यवेक्षण का संवर्धन करने के लिए एक विनियामक ढाँचा स्थापित किया है। यह परिपत्र विभिन्न वितरण माध्यमों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा की आवश्यकताओं के सुमेलन का समाधान करता है।

III.4 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के अध्याय खत में विनिर्दिष्ट हैं।

III.4.2 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के व्यावसायिक कार्य के आचरण के लिए व्यावसायिक और नैतिक अपेक्षाओं के संबंध में आचरण-संहिता उक्त विनियमों के अध्याय VI में विनिर्दिष्ट की गई है तथा विनियम 16 इस संहिता को सविस्तार प्रतिपादित करता है।

III.4.3 प्राधिकरण सर्वेक्षकों से सर्वेक्षण कार्यों के लिए पैनल में शामिल होने, बीमा कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान न करने, आंतरिक सर्वेक्षकों और व्यपगत लाइसेंसों के धारकों को आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता को अस्वीकार करने, आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता के स्तर से इनकार करने आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों और आईआईआईएसएलए को उनके स्तर पर समाधान के लिए अग्रेषित की जाती हैं। पालिसीधारक भी सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त न होने, सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलंब, कदाचार, आईआरडीएआई सर्वेक्षक विनियमों के उल्लघन आदि पर सर्वेक्षकों/ सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध शिकायत करते हैं। ऐसी शिकायतें मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए सर्वेक्षकों के साथ उठाई जाती हैं। उपर्युक्त के अलावा, प्राधिकरण को सर्वेक्षकों और कारपोरेट सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध विभिन्न आरटीआई और संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान आईआरडीएआई को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 57 शिकायतें प्राप्त हुईं, 64 (प्रारंभिक शेष सहित) का समाधान किया गया है और 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार कोई शिकायतें बकाया नहीं हैं।

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना

पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में, आईआरडीएआई ने वर्ष के दौरान विभिन्न परिपत्र जारी किये हैं। विशेष रूप से, आईआरडीएआई कमीशन के भुगतान संबंधी विनियमों के अंतर्गत, बीमा कंपनियों से कमीशन संरचनाओं के संबंध में बोर्ड नीति को लागू करना प्रत्याशित है। इस बोर्ड नीति

की प्रत्याशित स्थूलतर रूपरेखाओं का विवरण 31 मार्च 2023 को जारी किये गये मार्गदर्शी नोट में दिया गया है।

इसके अलावा, आईआरडीएआई ने पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित फार्मेटों का विवरण देते हुए, भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण संबंधी विस्तृत मास्टर परिपत्र जारी किया है। साइबर सुरक्षा के रूप में बीमा उद्योग द्वारा सामना की जा रही नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, आईआरडीएआई ने विनियमित संस्थाओं की महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना का संरक्षण करने के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा के विषयों पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

स्वास्थ्य संबंधी दावों के निपटान को सरल और कारगर बनाने के लिए, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य दावा विनिमय प्रणाली को अपनाने के लिए कहा गया है। समावेशी बीमा को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य के अनुरूप, आईआरडीएआई बीमा त्रयी का अनुसरण कर रहा है, जिसमें बीमा वाहक, एक नारी-केन्द्रित बीमा वितरण माध्यम शामिल है। अक्तूबर 2023 में जारी किये गये बीमा वाहक दिशानिर्देश, बीमा पहुँच में वृद्धि करने हेतु बीमा वाहकों की नियुक्ति करने के लिए बीमा कंपनियों को समर्थ बनाते हैं।

वर्ष के दौरान जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों के संबंध में विस्तृत सूचना नीचे दी गई है:

III.5.1 मार्गदर्शी नोट कमीशन संरचना पर बीमाकर्ता की बोर्ड नीति परिपत्र आईआरडीएआई/ आईएनटी/ सीआईआर/विविध/82/3/2023 दिनांक 31 मार्च 2023

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) तथा आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 के विनियम 8 की शक्तियों के अधीन जारी किया गया उक्त परिपत्र बीमाकर्ताओं के लिए यह अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाता है कि वे बीमा मध्यवर्तियों के लिए कमीशन संरचनाओं के संबंध में एक सुस्पष्ट और पारदर्शी बोर्ड नीति रखें।

1. **उद्देश्य और सिद्धांत:** उक्त नीति को चाहिए कि वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ प्रोत्साहनों को सुयोजित करे, और किफायती वितरण को प्रोत्साहित करे।

2. **निष्पक्षता:** कमीशन संरचनाओं को यह सुनिश्चित करते हुए अवश्य युक्तियुक्त होना चाहिए कि ग्राहकों अथवा बीमाकर्ताओं को अत्यधिक लागतों के बिना मध्यवर्तियों के लिए उचित रूप से क्षतिपूर्ति की जाए।

3. **अच्छी वितरण पद्धति:** उक्त नीति को उन पद्धतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो ग्राहक संतोष, बाजार अंश और विनियामक अनुपालन में वृद्धि करें।

4. **नियमित समीक्षा:** कमीशन संरचना की समीक्षा लेखा-परीक्षा समिति के द्वारा उसकी प्रभावकारिता, कार्यकुशलता, और ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ उसके सुमेलन का निर्धारण करते हुए वार्षिक रूप से की जानी चाहिए।

5. **बाजार व्यवहार:** अभिशासन व्यवस्थाओं को चाहिए कि वे उच्च नैतिक मानकों को सुनिश्चित करें और संभावित हित-संघर्षों का समाधान करें।

6. **निगरानी और रिपोर्टिंग:** कमीशन संरचनाओं के कार्यनिष्पादन और अनुपालन के संबंध में नियमित रिपोर्टिंग बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन को करना अपेक्षित है।

7. **प्रयोज्यता:** नई कमीशन संरचनाएँ उन पालिसियों पर लागू नहीं हैं जो पहले से जारी की जा चुकी हैं।

समग्र रूप से, कमीशन संरचना को चाहिए कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी पद्धतियों को बढ़ावा दें जो पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करती हैं और बीमा व्यापन को प्रोत्साहित करती हैं।

III.5.2 भारतीय बीमा कंपनी के पंजीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र, 2023 आईआरडीएआई/ एफएण्डआई/ सीआईआर/आरआईसी/90/4/2023 दिनांक 24 अप्रैल 2023

उक्त मास्टर परिपत्र आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022 के अंतर्गत विभिन्न फार्मों, उपबंधों और स्पष्टीकरणों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जारी किया गया।

III.5.3 आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2023 आईआरडीएआई/ जीएएण्डएचआर/ जीडीएल/विविध/88/04/2023 दिनांक 24 अप्रैल 2023

III.5.3.1 उक्त सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2023 बीमाकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे महामारी, युद्ध, आपात स्थितियों और प्राकृतिक विपदाओं आदि जैसी घटनाओं के दौरान संस्था के सभी मुख्य कार्यों से संसाधनों को संबद्ध करते हुए एक संकट प्रबंध समिति का गठन करें। यह समिति ऐसी घटनाओं के दौरान निर्णयों का परिचालन और कार्यनिष्पादन करने के लिए संशोधित प्रक्रियाओं, अपेक्षित प्रौद्योगिकी और कार्मिकों के संबंध में विचार-विमर्श करेगी। सूचना सुरक्षा कार्य सहित जोखिम प्रबंध कार्य ऐसी स्थितियों में जोखिमों का परितुलन (कोलेशन) करेगा तथा इसे संकट प्रबंध समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

III.5.3.2 उपर्युक्त दिशानिर्देश इस संबंध में सर्ट-इन / राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी संरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की जानेवाली साइबर संकट प्रबंध योजना (सीसीएमपी) के लिए भी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा, किसी बड़ी घटना की स्थिति में क्षेत्र-वार प्रतिक्रिया को सुसाध्य बनाने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सूचना को साझा करने की व्यवस्थाओं का उपर्युक्त योजना में प्रलेखीकरण करना होगा। ये दिशानिर्देश व्यवसाय निरंतरता प्रबंध और आपदा समुत्थान ढाँचे की स्थापना करने के लिए भी व्यवस्था करते हैं।

III.5.3.3 आईआरडीएआई में साइबर संकट का प्रबंध प्रभावी ढंग से करने के लिए, संकट के दौरान संकट के प्रतिक्रियास्वरूप कार्रवाइयों का समन्वय करनेवाली एक साइबर संकट प्रबंध टीम सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और दायित्वों को स्पष्ट रूप से निश्चित करनेवाली एक व्यापक साइबर संकट योजना लागू की गई है।

इसके अलावा, आईआरडीएआई की सूचना सुरक्षा नीति / प्रक्रियाओं के भाग के रूप में विपदा होने की स्थिति में व्यावसायिक परिचालनों की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना सुरक्षा की अपेक्षाएँ स्थापित की गई हैं।

III.5.4 क्रेडिट कार्डों के माध्यम से ऋणों की चुकौती की सुविधा रोकने के लिए अनुदेश आईआरडीएआई/जीवन/ सीआईआर/विविध/99/5/2023 दिनांक 3 मई 2023

III.5.4.1 सभी बीमाकर्ताओं को पालिसियों की जमानत पर लिये गये ऋणों की क्रेडिट कार्डों के माध्यम से भुगतान को स्वीकार करना समाप्त करने के लिए सूचित किया गया है।

III.5.5 स्वास्थ्य दावा केन्द्र (एचसीएक्स) विशिष्टियों तथा ई-दावा मानकों के परीक्षण और अंगीकरण संबंधी परिपत्र आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/124/6/ 2023 दिनांक 8 जून 2023

आईआरडीएआई ने पालिसीधारकों के लिए झंझट-रहित दावा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा केन्द्र प्रारंभ करते हुए परिपत्र आईआरड़ीएआई/एचएलटी/ सीआईआर/ विविध/124/6/2023 जारी किया है। इस परिपत्र के संबंध में बाक्स मद III.1 में विस्तार से चर्चा की गई है।

III.5.6 जीवन बीमा उत्पादों के लिए यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया आईआरडीएआई/एसीटीएल /सीआईआर/ पीआरओ/135/6/2023 दिनांक 19 जून 2023

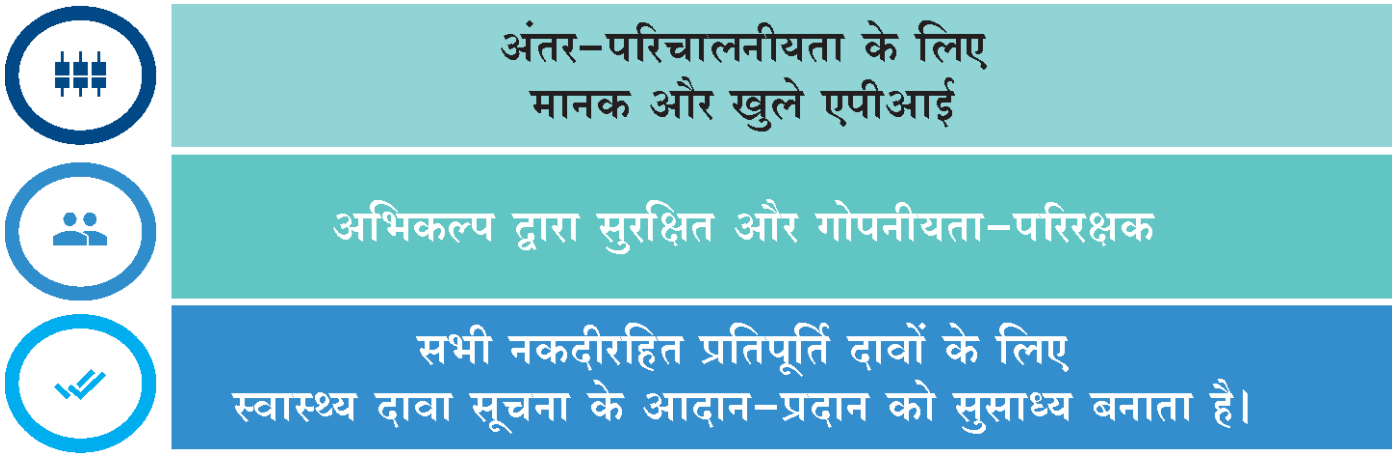
III.5.6.1 आईआरडीएआई ने जीवन बीमा उत्पादों के लिए 'यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रिया में आशोधन शामिल किये हैं तथा उक्त प्रक्रिया में जीवन बीमा उत्पादों की अतिरिक्त श्रेणियों के समावेश के साथ 'यूज़ एण्ड फाइल' के दायरे का विस्तार भी किया है। उक्त आशोधन जीवन बीमा उत्पादों के व्यापन का संवर्धन करने और उनकी पहुँच-योग्यता में सुधार लाने में बीमा उद्योग की सहायता करते हैं। यह जीवन बीमा उत्पादों के व्यापन का संवर्धन करने और उनकी पहुँच-योग्यता में सुधार लाने में बीमा उद्योग की सहायता करने के लिए है।

इसी परिपत्र में आईआरडीएआई द्वारा वर्तमान वियोजित निधि पहचान संख्या (एसएफआईएन) की अनुमति की प्रक्रिया समाप्त की गई है। तथापि, बीमाकर्ता प्रत्येक वियोजित निधि, एवं यूनिट सहबद्ध बीमा योजना (यूलिप) की प्रबंधनाधीन आस्तियों के संबंध में आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 9 के अनुसार सभी विवेकपूर्ण और एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज (एनएचसीएक्स) निर्बाध दावा अनुभव की ओर

स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान नकदीरहित निपटान के रूप में अथवा प्रतिपूर्ति के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में, अस्पतालों और बीमाकर्ताओं के बीच संचार और सूचना/दस्तावेजों का आदान-प्रदान ई-मेलों, पोर्टलों और संदेश की अन्य पद्धतियों के माध्यम से हो रहे हैं। अस्पतालों और बीमाकर्ताओं के लिए सूचना की साझेदारी करने हेतु एक सामान्य प्रणाली के अभाव के कारण दावा अनुमोदनों (पूर्व-प्राधिकरण, नकदीरहित, और प्रतिपूर्ति) की गति धीमी हो जाती है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए, आईआरडीएआई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त कार्य-दल ने आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एबीडीएम) कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा केन्द्र को विकसित करने की सिफारिश की है। यह केन्द्र मानकीकृत और अधिक तेज बीमा दावा प्रसंस्करण को समर्थ बनायेगा जो बेहतर रोगी अनुभव और घटी हुई परिचालन लागत में परिणत होगा। उक्त स्वास्थ्य दावा केन्द्र विशिष्टीकरण एक संचार नयाचार (प्रोटोकाल) है जो बीमाकर्ताओं, अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए), स्वास्थ्यरक्षा प्रदाताओं (अस्पतालों) और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच स्वास्थ्य दावा सूचना के विनिमय को सुसाध्य बनाता है।



एनसीएचएक्स की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

- यह अंतर-परिचालनीयता के लिए खुले मानकों और खुले एपीआईएस के आधार पर अभिकल्पित है।
- यह अभिकल्प के द्वारा सुरक्षित और गोपनीयता का परिरक्षक है।
- यह सभी नकदीरहित और प्रतिपूर्ति दावों के लिए स्वास्थ्य दावा सूचना के आदान-प्रदान को सुसाध्य बनाता है।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाली सभी साधारण बीमा कंपनियाँ आईआरडीएआई के पास पंजीकृत टीपीएएस सहित, एनएचसीएक्स के साथ समन्वित हैं। बीमाकर्ताओं और टीपीएएस ने सैंडबाक्स में अपने परीक्षण को पूरा किया है तथा वे उत्पादन में अग्रसर होने की प्रक्रिया में हैं।

III.5.7 सरोगेसी अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रोद्योगिक (एआरटी) अधिनियम, 2021 तथा उनके अधीन संगत नियम:

आईआरडीएआई ने परिपत्र आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/पीआरओ/138/6/2023 दिनांक 26 जून 2023 के द्वारा सभी जीवन बीमाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से सरोगेसी अधिनियम, 2021 की धाराओं 2(1)(थ) और एआरटी अधिनियम, 2021 की धारा 22(4)(ii) को ध्यान में रखते हुए उक्त सरोगेसी अधिनियम, 2021 और एआरटी अधिनियम, 2021 का अनुपालन करने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है कि उपयुक्त उत्पाद उपलब्ध कराये जाएँ।

III.5.8 बीमा वाहक दिशानिर्देश आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/जीडीएल/174/10/2023 दिनांक 9 अक्तूबर 2023

III.5.8.1 प्राधिकरण ने संदर्भः आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/जीडीएल/174/10/2023 के द्वारा आईआरडीएआई (बीमा वाहक) दिशानिर्देश, 2023 दिनांक 9 अक्तूबर 2023 जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश बीमा विस्तार, एक व्यापक बीमा उत्पाद जो यथासमय जारी किया जाएगा, के प्रारंभ की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रत्येक गाँव और ग्राम पंचायत में बीमा समावेश और जागरूकता में सुधार लाने के लिए एक नारी-केन्द्रित वितरण माध्यम निर्मित करना, तथा उसके द्वारा तृणमूल स्तर पर बीमा की पहुँच-योग्यता और उपलब्धता में सुधार लाना है। सभी बीमाकर्ता बीमा वाहकों की नियुक्ति करेंगे तथा वे अपने द्वारा नियुक्त बीमा वाहकों के सभी कार्यों और आचरण के लिए उत्तरदायी होंगे। बीमा वाहक हस्तधारित इलेक्ट्रानिक संचार उपकरणों का प्रयोग करते हैं जो सीधे बीमाकर्ताओं के इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्मों के साथ समन्वित हैं। परिषदें बीमा वाहकों के लिए लागू परिचालन और आचरण मानकों के सामान्य सेट स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगी। प्रत्येक बीमाकर्ता के पास परिषदों के द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार बीमा वाहकों से संबंधित विषयों के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के अग्रणी बीमाकर्ता ग्राम पंचायतों के अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का विनियोजन करेंगे। प्रत्येक बीमाकर्ता सभी बीमा वाहकों के साथ निर्बाध इंटरफेस को समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ, आंतरिक नियंत्रण और बुनियादी संरचना लागू करेगा। उपभोक्ता संरक्षण उपायों के भाग के रूप में प्रत्येक बीमाकर्ता प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक निकटतम स्थानीय कार्यालय की पहचान करेगा तथा ऐसे कार्यालय में एक शिकायत प्रबंध अधिकारी को प्राधिकृत करेगा।

III.5.9 प्राइवेट कार पालिसी में एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में आईएमटी-29 के अंतर्गत कवरेज, प्रीमियम के भुगतान को अधिदेशात्मक करना आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ मोटर/178/10/2023-24 दिनांक 18 अक्तूबर 2023

III.5.9.1 उक्त परिपत्र एक निजी कार पालिसी में एक अंतर्निहित कवर के रूप में नियोक्ता के वाहन में यात्रा करने वाले और/या नियोक्ता के वाहन को चलानेवाले, बीमाकृत व्यक्ति के कर्मचारियों के प्रति विधिक दायित्व के कवरेज को अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाने के लिए माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निदेश के अनुपालन में जारी किया गया। पूर्व में, यही कववेज अतिरिक्त प्रीमियम के साथ, अखिल भारतीय मोटर प्रशुल्क के आईएमटी 29 के अंतर्गत एक वैकल्पिक कवर के रूप में उपलब्ध था।

उक्त माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दुर्घटना की स्थिति में, यदि नियोक्ताओं ने उक्त कवर के लिए विकल्प नहीं दिया हो, तो नियोक्ता के वाहन में यात्रा करने वाले और/या चलाने वाले कर्मचारियों को नियोक्ताओं के द्वारा विधिक उपबंधों के अनुसार क्षतिपूर्ति नहीं की गई थी। इस कवर को अधिदेशात्मक बनाने के द्वारा नियोक्ता की कार में यात्रा करने वाले पीड़ित कर्मचारी बीमा के दावे के रूप में समय पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

III.5.10 साधारण बीमा पालिसियों में विवाचन खंड का संशोधन आईआरडीएआई/ एनएल/ सीआईआर/विविध/ 188/10/2023 दिनांक 27 अक्तूबर 2023

III.5.10.1 आईआरडीएआई ने साधारण बीमा उद्योग में व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रचलित वर्तमान विवाचन खंड की व्यापक समीक्षा की है। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के उपरांत तथा विवाचन प्रक्रिया में संबद्ध उच्चतर लागतों और खुदरा पालिसीधारकों के लिए विवाद के समाधान हेतु वैकल्पिक फोरमों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, आईआरडीएआई ने परिपत्र आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/188/10/2023 दिनांक 27 अक्तूबर 2023 के द्वारा साधारण बीमा पालिसियों में विवाचर खंड का संशोधन निम्नानुसार किया हैः

क) व्यवसाय की खुदरा व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी की गई सभी पालिसियों में कोई विवाचन खंड नहीं होगा।

ख) व्यवसाय की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी की गई सभी पालिसियों में विवाचन खंड होगा।

III.5.11 मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की अधिसूचनाओं का अनुपालन आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/मोटर/2/1/2024 दिनांक 8 जनवरी 2024

III.5.11.1 मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 मोटर दुर्घटना पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के त्वरित भुगतान को समर्थ बनाते हुए परिवर्तन लाया था। इन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने मोटर वाहन दुर्घटना निधि के निर्माण और अनुरक्षण, प्रहार कर भागने की घटनाओं के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति तथा मोटर वाहन दुर्घटनाओं की जाँच के लिए प्रक्रिया के संबंध में तीन अधिसूचनाएँ जारी की हैं।

बीमा कंपनियों को परामर्शक (अडवाइज़री) जारी किया गया है कि वे एमओआरटीएच की अधिसूचनाओं का अनुपालन करें तथा उपर्युक्त अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रक्रियाओं के सुचारु कार्यान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करें।

III.5.12 सभी प्रशुल्कों की अधिसूचना का निरस्तीकरण आईआरडीएआई/जन.इंश्योरेंस/ प्रशुल्क/13/207/2024 दिनांक 20 मार्च 2024

आईआरडीएआई ने बाजार खंडों की सभी श्रेणियों को आवश्यकता के अनुरूप बनाये गये बीमा उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता को बढ़ावा देने के भाग के रूप में साधारण बीमा उत्पादों की विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित प्रशुल्कों की अधिसूचना को निरस्त किया है। इस विषय में बाक्स मद III.2 में विस्तार से चर्चा की गई है।

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना

III.6.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)

भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम के अनुसार गठित सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों का एक व्यावसायिक निकाय है। यह संस्थान आईआरडीएआई के द्वारा आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(च) के अधीन प्रवर्तित किया गया था और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन निगमित किया गया था। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(च) बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक संगठनों का प्रवर्तन और विनियमन करने से संबंधित है।

III.6.2 भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई)

भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) जुलाई 2001 को कंपनी अधिनियम, 1956 की आईबीएआई धारा 25 के अधीन एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। आईबीएआई भारत में लाइसेंस प्राप्त बीमा दलालों के लिए व्यावसायिक निकाय का प्रतिनिधित्व करता है। आईआरडीएआई के पास पंजीकृत बीमा दलालों से आवश्यक रूप से अपेक्षित है कि वे आईबीएआई के सदस्य हों।

यह संघ बीमा दलाल सदस्यों के बीच परस्पर सक्रियता को बढ़ावा देता है तथा उनको ज्ञान और कौशल का स्तर बढ़ाने (अपग्रेड करने) में आगे प्रशिक्षण देता है। आईबीएआई उपभोक्ताओं और समुदाय को बीमा के संबंध में समझाने के उद्देश्य से युक्त उद्योग शिक्षा पहलों को समर्थन देता है।

अग्नि, मोटर और इंजीनियरिंग, कर्मकार प्रतिकर तथा बीमा व्यवसाय की अन्य श्रेणियों से संबंधित वर्तमान प्रशुल्कों की अधिसूचना का निरस्तीकरण

साधारण बीमा उद्योग को अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशुल्कों की अधिसूचना का निरस्तीकरण वर्षों से चरणबद्ध रूप में किया जाता रहा है। अधिसूचना के निरस्तीकरण का पहला दौर प्रशुल्क सलाहकार समिति के द्वारा अग्नि, इंजीनियरिंग, मोटर, कर्मकार प्रतिकर बीमा के लिए लागू प्रशुल्कों की अधिसूचना को 1 जनवरी 2007 से प्रभावी रूप में अपने परिपत्र संदर्भः टीएसी/7/06 दिनांक 4 दिसंबर 2006 के द्वारा निरस्त करते हुए संचालित किया गया।

तदुपरांत, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत निहित शक्तियों के आधार पर, आईआरडीएआई ने साधारण बीमा (मोटर अन्य पक्ष जोखिमों को छोड़कर) में जोखिमों के कीमत-निर्धारण संबंधी नियंत्रण हटा दिये हैं तथा आगे अधिसूचित किया है कि पूर्व के प्रशुल्कों में सम्मिलित व्यवसाय के वर्गों के लिए लागू सामान्य विनियम, शब्द, शर्तें, खंड, वारंटियाँ, नीति और पृष्ठांकन वाक्यरचना अनुसरण किये जाने के लिए अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।

2015 में बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन होने के साथ ही, धारा 64 यूएलए के अंतर्गत 'सांक्रांतिक उपबंध' शामिल किये गये जिन्होंने निर्धारित किया कि जब तक आईआरडीएआई द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा अधिसूचित निबंधन और शर्तें लागू रहेंगी तथा सभी बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।

उसके बाद, अधिसूचना संदर्भ सं. एफ. सं. आईआरडीएआई/गैर-जीवन बीमा/5/171/2020 के द्वारा उक्त सामान्य विनियमों, शब्दों, शर्तों, खंडों, वारंटियों, नीति, ऐड-आनों, पृष्ठांकन वाक्यरचना तथा प्रस्ताव फार्म संबंधी अधिसूचना को निरस्त किया गया। अधिसूचना का यह निरसन पूर्व के अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क, 2001 द्वारा नियंत्रित अग्नि और संबद्ध जोखिम बीमा व्यवसाय के निम्नलिखित जोखिमों के लिए लागू था।

(क) निवास-स्थानः कोई भी बीमाकृत राशि

(ख) कार्यालय, होटल, दुकानें, औद्योगिक/विनिर्माण जोखिम, औद्योगिक/विनिर्माण जोखिमों के कम्पाउण्ड के बाहर स्थित उपयोगी वस्तुएँ, औद्योगिक/विनिर्माण जोखिमों के कम्पाउण्ड के बाहर स्थित भंडारण जोखिम तथा औद्योगिक/विनिर्माण जोखिमों के कम्पाउण्ड के बाहर स्थित टैंक पार्म/गैस होल्डर जहाँ जोखिम का कुल मूल्य किसी एक स्थान पर सभी आस्ति वर्गों में रु. 50 करोड़ से अधिक नहीं है।

अपने सुधारों की कार्यसूची के अंतर्गत आईआरडीएआई ने उत्पादों के अनुमोदन के लिए यूज़ एण्ड फाइल की ओर पूर्णतः अग्रसर होने के द्वारा नवोन्मेषण और ग्राहकों को बीमा उत्पादों के त्वरित वितरण के लिए विनियामक परिवेश को समर्थ बनाया है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने, व्यवसाय करने की सुगमता को प्रोत्साहित करने, तथा अनुपालन के भार को कम करने के लिए, जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा की श्रेणी के अंतर्गत बीमा उत्पादों के उत्पाद अभिकल्प, रेटिंग, उत्पाद प्रबंध और अन्य संबंधित पहलुओं को नियंत्रित करनेवाली प्रक्रियाओं को आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 के द्वारा आशोधित किया गया है।

एक निरंतर विकासशील अर्थव्यवस्था में, साधारण बीमा उद्योग के लिए यह अनिवार्य है कि साधारण बीमा उत्पादों के अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण के तौर पर, उभरती बाजार आवश्यकताओं के प्रति अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दर्शाए। साधारण बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएलए (1) के अनुसार, आईआरडीएआई ने निम्नलिखित सभी प्रचलित प्रशुल्कों के लिए लागू सामान्य विनियमों, शब्दों, शर्तों, खंडों, वारंटियों, नीति, ऐड-आनों, पृष्ठांकन वाक्यरचना और प्रस्ताव फार्म संबंधी अधिसूचना को **1 अप्रैल 2024 से प्रभावी** रूप में निरस्त किया हैः

क) अग्नि बीमा प्रशुल्क (अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क, 2001 जो अधिसूचना दिनांक 28 दिसंबर 2020 के द्वारा पहले ही निरस्त किया गया है, को छोड़कर अन्य), अर्थात्

i. अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क
ii. औद्योगिक समस्त जोखिम प्रशुल्क
iii. परिणामी हानि (अग्नि) प्रशुल्क
iv. पेट्रो-रासायनिक प्रशुल्क
v. खतरनाक वस्तुओं की सूची

ख) मोटर, अर्थात् अखिल भारतीय मोटर प्रशुल्क

ग) इंजीनियरिंग बीमा प्रशुल्क, अर्थात् ;

i. ठेकेदार समस्त जोखिम बीमा
ii. ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी बीमा
iii. मशीनरी खराबी बीमा
iv. इलेक्ट्रानिक उपस्कर बीमा
v. सिविल इंजीनियरिंग समाप्त जोखिम बीमा
vi. उत्थापन समस्त जोखिम/भंडारण व उत्थापन बीमा
vii. लाभ की हानि (एमबी और बीएलओपी) बीमा
viii. बायलर और प्रेशर बरतन बीमा
ix. स्टाकों (आलू) का ह्रास बीमा

घ) विविध, अर्थात् कामगार प्रतिकर बीमा प्रशुल्क

ङ) मरीन, अर्थात् चाय प्रशुल्क

बीमा प्रशुल्कों की अधिसूचना का निरस्तीकरण भारत के बीमा क्षेत्र के विकास में एक उल्लेखनीय मील-पत्थर तथा एक अधिक उदारीकृत बीमा बाजार की दिशा में अंतरण के रूप में चिह्नित है। अधिसूचना के निरसन की ओर इस अग्रसरण का उद्देश्य बाजार की कुशलता को बढ़ाना, नवोन्मेषण का संवर्धन करना, तथा अंततः दोनों बीमाकर्ताओं और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना है। इसके अलावा, यह बीमाकर्ताओं को बाजार गति-विज्ञान के आधार पर आवश्यकता-आधारित उत्पाद एवं ऐड-आनों का नवोन्मेषण और प्रस्ताव करने की स्वतंत्रता देता है। प्रशुल्कों की अधिसूचना और पालिसी वाक्यरचना का निरसन सरलीकृत और ग्राहक-केन्द्रित बीमा उत्पादों एवं बीमाकर्ताओं के लिए परिचालनों की सुगमता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

बीमा उत्पादों के प्रस्ताव आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 तथा समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित साधारण बीमा व्यवसाय में उत्पादों और प्रक्रियाओं संबंधी मास्टर परिपत्र (दिशानिर्देश) के अधीन होगा।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही

III.7.1 वर्ष 2023-24 के दौरान, शुल्क-संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वसूल किया गया कुल शुल्क सभी विनियमित संस्थाओं के संबंध में रु.221.7 करोड़ है। विस्तृत शुल्क-संरचना अनुबंध 8 में दी गई है।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण के कार्य का संचालन करना:

III.8.1 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ज) बीमा कंपनियों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की जाँच-पड़ताल सहित उनसे सूचना माँगने तथा उनका आनसाइट निरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक उपबंध निर्धारित करती हैं।

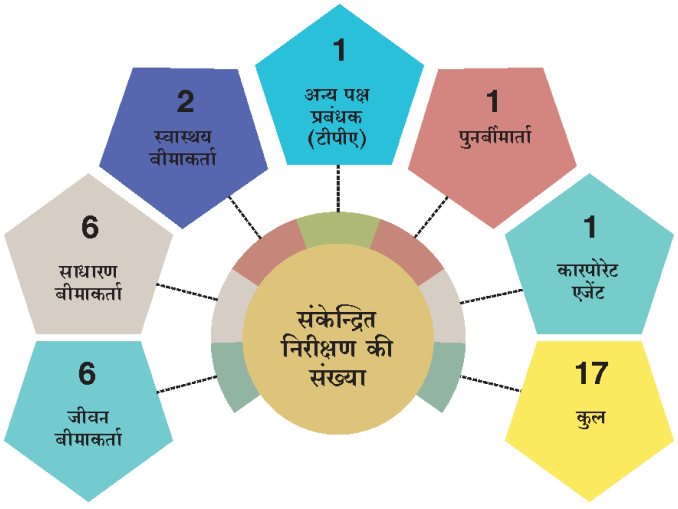
III.8.2 पर्यवेक्षी निरीक्षण कम से कम एक दो-मुखी अर्थात् परोक्ष (आफ़-साइट) जाँच और स्थान पर (आन-साइट) निरीक्षण को संबद्ध करता है।

(क) **परोक्ष (आफ़-साइट) जाँच:** परोक्ष (आफ़-साइट) जाँच का प्राथमिक उद्देश्य उन संस्थाओं की पहचान करने के लिए जो वित्तीय गिरावट दर्शाती हैं और जो पर्यवेक्षी चिंताओं का कारण होंगी, विनियमित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और बाजार व्यवहार की निगरानी करना है। यह समय पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रेरक (ट्रिगर) के रूप में कार्य करता है। परोक्ष जाँच का संचालन आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विनियमों/निदेशों के अंतर्गत अधिदेशात्मक किये गये (मैंडेटेड) आवधिक विवरणों, विवरणियों, रिपोर्टों, नीतियों और अनुपालन प्रमाणपत्रों का विश्लेषण करने के द्वारा किया जाता है।

(ख) **स्थान पर (आन-साइट) निरीक्षण:** आईआरडीएआई संबंधित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों/परिपत्रों, निदेशों, मानकों आदि के प्रावधानों के पालन/अनुपालन के संबंध में विनियमित संस्थाओं के आन-साइट निरीक्षण करता है। विनियमित संस्थाओं के स्थान पर उनकी वित्तीय स्थिति, बाजार व्यवहार, कारपोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंध और संबंधित विषयों के संबंध में विभिन्न विनियामक उपबंधों और अन्य प्रयोज्य विधियों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए नमूना आधार पर संबंधित अभिलेखों, लेखा-बहियों और व्यावसायिक कार्यकलापों की जाँच के द्वारा उनकी कार्य-पद्धति के आकलन के लिए सामान्य और संकेन्द्रित निरीक्षण किये जाते हैं।

III.8.3 संकेन्द्रित निरीक्षण: वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरडीएआई द्वारा कुल 18 आन-साइट निरीक्षण किये गये। इनमें से बीमा मध्यवर्ती (कारपोरेट एजेंट) का एक सामान्य निरीक्षण और 17 संकेन्द्रित निरीक्षण संचालित किये गये। संकेन्द्रित निरीक्षणों का विवरण नीचे दिये गया है:

आईआरडीएआई द्वारा संकेन्द्रित निरीक्षण



III.8.4 आरबीएस ढाँचे की ओर अग्रसरण: आईआरडीएआई भारत में बीमा क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) ढाँचे को विकसित करने और कार्यान्वित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस गतिविधि के भाग के रूप में, आईआरडीएआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दो प्रायोगिक निरीक्षण संचालित किये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुछ और प्रायोगिक निरीक्षण करने का प्रस्ताव कर रहा है।

III.8.5 प्रवर्तन की प्रक्रिया निरीक्षण रिपोर्टों और निरीक्षित संस्थाओं से प्राप्त प्रत्युत्तरों के संपूर्ण विश्लेषण को संबद्ध करती है। यह विश्लेषण साक्ष्य के रूप में समर्थक प्रलेखों और उपलब्ध कराये गये प्रस्तुतीकरणों पर विचार करता है।

उपर्युक्त की समीक्षा के आधार पर, विनियामक कार्रवाई का एक प्रस्तावित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। कार्रवाई की इस प्रक्रिया का अनुमोदन तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जो निर्णय करता है कि क्या:

- निरीक्षित संस्था पर आरोप लगाया जाए या
- निरीक्षित संस्था को परामर्श दिया जाए या
- टिप्पणी को समाप्त किया जाए

यदि निरीक्षित संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने के द्वारा विनियामक उल्लंघनों का आरोप लगाया जाता है, तो उन्हें अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए आगे और प्रस्तुतीकरण करने के अतिरिक्त, वैयक्तिक सुनवाई के लिए एक अवसर प्रदान किया जाता है।

सक्षम प्राधिकारी अंतिम विनियामक कार्रवाइयों के संबंध में तब निर्णय करता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

- परामर्श / चेतावनियाँ जारी करना,
- यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के अंतर्गत निदेशों को छोड़कर अन्य सामान्य निदेश देना
- यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के अधीन निदेश जारी करना और/या चेतावनियाँ देना अथवा अर्थदंड लगाना

उन मामलों में जहाँ उल्लंघन गंभीर माने जाते हैं, जो संभावित रूप से पंजीकरण या लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, एक कठोर उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, अधिनियम, बीमा अधिनियम, 1938 के विनिर्दिष्ट उल्लंघनों के लिए न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को भी अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) बनाता है। इस न्यायनिर्णयन का संचालन अनिवार्यतः कम से कम महाप्रबंधक से अन्यून रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जो अर्थदंड की उपयुक्त मात्रा का निर्धारण और सिफारिश करने में मुख्य कारकों पर विचार करता है।

प्राधिकरण द्वारा लिये गये सभी निर्णयों पर बीमा अधिनियम, 1938 की धारा-110 के अधीन प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

III.8.6 वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रवर्तन और अनुपालन विभाग द्वारा समाप्त किये गये आन-साइट और दूरस्थ निरीक्षण की रिपोर्टों की संख्या 83 है। उक्त निरीक्षण रिपोर्टों पर कुल 856 विनियामक कार्रवाई कि गई। ब्योरा निम्नलिखित सारणी में है:

सारणी III.1: 2023–24 के दौरान संपन्न आन–साइट और दूरस्थ निरीक्षण रिपोर्टें

क्र.सं.	आरई का प्रकार	संस्थाओं की संख्या
1	दलाल	16
2	कारपोरेट एजेंट	8
3	विदेशी पुनर्बीमा शाखा	6
4	बीमा विपणन फर्म	13
5	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक	7
6	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	4
7	जीवन बीमाकर्ता	6
8	गैर–जीवन बीमाकर्ता, स्वास्थ्य सहित	22
9	पुनर्बीमाकर्ता	1
	कुल	**83**

सारणी III.2: विनियामक कार्रवाइयों का विवरण

क्र.सं.	विनियामक कार्रवाई का स्वरूप	टिप्पणियों की संख्या
1	परामर्शी	577
2	निदेश	16
3	सतर्कता	260
4	चेतावनी	0
5	अर्थदंड	3
	कुल	**856**

पर्यवेक्षण और प्रवर्तन के लिए तकनीकी समर्थकारिता

विनियामक कार्य भंडार (रिपोजिटरी) प्रणाली (आरएआरएस) पर्यवेक्षण प्रक्रिया की कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित आईआरडीएआई की एक नई पर्यवेक्षण–तकनीकी पहल है। मुख्य रूप से यह एक उक्त केन्द्रीकृत डिजिटल प्लेटफार्म है जो प्राधिकरण द्वारा किये गये सभी विनियामक कार्यों, जैसे आदेशों, अर्थदंडों, चेतावनियों, निदेशों, परामर्शों, सतर्कताओँ और समापनों का समेकन करता है।

इस पहल का लक्ष्य विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध की गई विनियामक कार्रवाइयों संबंधी ऐतिहासिक सूचना की अभिगम्यता को बढ़ाना और विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओं के संबंध में की गई कार्रवाइयों के बीच सुसंगतता को प्राप्त करना है। जबकि विभेदनरहितता प्राप्त करना प्रस्तावित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियामक कार्रवाइयों का निर्णय करने में उल्लंघन की गंभीरता, परिस्थितियों और आनुपातिकता के संबंध में पर्याप्त विचार किया जा सकता है।

इस प्रकार, एक केन्द्रीकृत डेटा रिपोजिटरी के रूप में, आरएआरएस ऐतिहासिक कार्रवाइयों तक पहुँच को सरल और कारगर बनाने का प्रस्ताव करती है तथा विनियमित संस्थाओं के द्वारा उल्लंघनों का समाधान शीघ्रतापूर्वक और निर्शचात्मक तौर पर करने के लिए प्राधिकारी को सशक्त बनाती है।

यह प्रणाली विभिन्न विभागों को अपने संबंधित विभागों के अंदर विनियामक फोकस वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए सामयिक अंतर्दृष्टियाँ और प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराएगी।

आरएआरएस विभिन्न मानदंडों के आधार पर विशिष्ट विनियामक कार्रवाइयों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ताओं को अनुमति देते हुए, संगत सूचना तक पहुँचने में कुशलता की वृद्धि करते हुए एवं प्राधिकरण में प्रामाणिक निर्णयन प्रक्रिया का समर्थन करते हुए सुदृढ़ खोज कार्यात्मकताओं की सुविधा देने का प्रस्ताव करती है।

इसके अतिरिक्त, आरएआरएस रिपोर्टों के निर्माण को स्वचालित करने, अयांत्रिक प्रक्रियाओं का विलोपन करने, प्रशासनिक भार घटाने, तथा तत्परतापूर्वक और प्रभावी ढंग से विनियामक मामलों का समाधान करने में प्राधिकरण की समग्र अनुक्रियाशीलता का संवर्धन करने के द्वारा परिचालनगत कार्यकुशलता में अंशदान करने का प्रस्ताव करती है।

आरएआरएस सामान्य उल्लंघनों, उभरती हुई प्रवृत्तियों और स्वरूपों की पहचान को समर्थ बनाते हुए, उल्लंघनों के एक विस्तृत विश्लेषण को सुसाध्य बनाने का प्रस्ताव करती है, जो उन विनियामक अंतरालों का ठीक–ठीक पता लगाने में सहायता करता है जिनके प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है, तथा उपयुक्त उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

आरएआरएस की स्थापना विनियामक परिचालनों का आधुनिकीकरण करने, पारदर्शिता में वृद्धि करने, तथा विनियामक निगरानी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम को प्रतिबिंबित करती है तथा प्राधिकरण के अंदर विभिन्न विभागों में सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

III.9 बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64यू के अधीन प्रशुल्क सलाहकार समिति के द्वारा इतना नियंत्रित और विनियमित नहीं किये जानेवाले साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन

III.9.1 जहाँ तक कीमत-निर्धारण का संबंध है, मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय को छोड़कर प्रशुल्क से युक्त साधारण बीमा व्यवसाय के सभी वर्गों को 1 जनवरी 2007 से प्रशुल्क-रहित (डी-टैरिफ) कर दिया गया था। चूँकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अंतर्गत मोटर अन्य पक्ष बीमा कवर सांविधिक है, अतः मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरों को इसके पूर्व प्रत्येक वर्ष आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 51 के द्वारा यथासंशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के लिए अन्य पक्ष प्रीमियम के संबंध में बीमाकर्ता के आधार प्रीमियम और देयता को आईआरडीएआई के साथ परामर्श करने के बाद निर्धारित करना अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किया गया है।

III.9.2 तदनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 32 (ई) दिनांक 5 जनवरी 2024 के द्वारा मोटर वाहन (अन्य पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) नियम, 2024 अधिसूचित किये हैं। इसके अलावा, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआरडीएआई ने निम्नलिखित सभी प्रचलित प्रशुल्कों से संबंधित अधिसूचना को निरस्त (डी-नोटिफाई) कर दिया है:

क. अग्नि बीमा प्रशुल्क (अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क, 2001 जिसे अधिसूचना दिनांक 28 दिसंबर 2020 द्वारा प्रशुल्क-रहित (डी-टैरिफ) किया गया था, को छोड़कर अन्य), अर्थात

i. अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क
ii. औद्योगिक सभी जोखिम प्रशुल्क
iii. परिणामी हानि (अग्नि) प्रशुल्क
iv. पेट्रो-रासायनिक प्रशुल्क
v. खतरनाक वस्तुओं की सूची

ख. मोटर, अर्थात् अखिल भारतीय मोटर प्रशुल्क

ग. इंजीनियरिंग बीमा प्रशुल्क, अर्थात् ;
i. ठेकेदार सभी जोखिम बीमा
ii. ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी बीमा
iii. मशीनरी खराबी बीमा
vi. इलेक्ट्रानिक उपस्कर बीमा
v. सिविल इंजीनियरिंग पूर्ण जोखिम बीमा
vi. उत्थापन सभी जोखिम/भंडारण व उत्थापन बीमा
vii. लाभ की हानि (एमबी और बीएलओपी) बीमा
viii. बायलर और दबाव वाले बर्तन बीमा
ix. स्टाकों का ह्रास (आलू) बीमा

घ. विविध, अर्थात् कर्मकार प्रतिकर बीमा प्रशुल्क

ङ. मरीन, अर्थात् चाय प्रशुल्क

III.10 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं को अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे

III.10.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा भी निर्धारित रूप और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित मदें प्रस्तुत करने के लिए रखी जाती हैं।

III.10.2 मध्यवर्तियों के मामले में अपेक्षित है कि लेखा-बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव संबंधित विनियमों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में और तरीके से किया जाएगा।

III.10.3 जहाँ कहीं भी प्राधिकरण ने वह रूप और तरीका निर्धारित नहीं किया है जिसमें लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, वहाँ कंपनी अधिनियम/नियमों और अन्य प्रयोज्य अधिनियमों/नियमों के उपबंध लागू होंगे।

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन

बीमाकर्ता के निवेशों को मास्टर परिपत्र और समय-समय पर यथासंशोधित दिशानिर्देशों के साथ पठित आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 विनियमित करते हैं।

III.11.1 राष्ट्रीय बुनियादी संरचना वित्तपोषण और विकास बैंक में निवेश परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/121/6/2023 दिनांक 5 जून 2023

राष्ट्रीय बुनियादी संरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की स्थापना राष्ट्रीय बुनियादी संरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) अधिनियम, 2021 के अधीन बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बांडों और व्युत्पन्नियों के विकास सहित भारत में दीर्घकालिक अनाश्रयी बुनियादी संरचना वित्तपोषण के विकास को समर्थन देने के लिए तथा बुनियादी संरचना और उसके साथ संबद्ध अथवा उसके साथ प्रासंगिक विषयों के लिए व्यवसाय के संचालन हेतु की गई है।

चूँकि एनएबीएफआईडी की स्थापना दीर्घकालिक बुनियादी संरचना के वित्तपोषण को समर्थन देने के लिए विकास वित्तीय संस्था के रूप में की गई है, अतः इस संस्था में बीमकर्ताओं के निवेशों के लिए एक्सपोज़र सीमा सरकारी सीमित बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुरूप सुयोजित की गई है।

III.11.2 परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/139/06/2023 दिनांक 28 जून 2023 के अनुसार वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेशों की निगरानी

प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को तिमाही आधार पर एआईएफएस के एनएवी को घोषित करने के लिए सूचित किया है तथा एआईएफएस में निवेशों का विस्तारण (रोल ओवल) बोर्ड/निवेश समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। एआईएफएस में निवेशों के लिए तिमाही विवरणी तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

III.11.3 एचडीएफसी लि. में निवेशों के लिए छूट परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डआई/ सीआईआर/आईएनवी/155/8/2023 दिनांक 4 अगस्त 2023 के अनुसार जारी किया गया।

एचडीएफसी लि. का विलयन एचडीएफसी बैंक लि. के साथ होने की दृष्टि से उक्त विलयन की घोषणा की तारीख अर्थात् 4 अप्रैल 2022 को आवास और बुनियादी संरचना श्रेणी के अंतर्गत एचडीएफसी लि. में बीमाकर्ताओं द्वारा धारित बांडों/डिबंचरों को एचडीएफसी लि. के संबंधित बांडों की परिपक्वता तक उपर्युक्त श्रेणी में निवेशों के रूप में माना जाएगा।

III.12 शोधन-क्षमता के अनुरक्षण का विनियमन

III.12.1 प्रत्येक बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता हर समय शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर से अधिक शोधन-क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण करेगा, जो वर्तमान में अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का 150 प्रतिशत है, अर्थात् यह सुनिश्चित किया जाए कि उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन हर समय अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन का कम से कम 150 प्रतिशत हो। अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6 के अंतर्गत बताये गये रूप में न्यूनतम पूँजी की राशि के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा, जबकि उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन देयताओं

की राशि पर आस्तियों के मूल्य का आधिक्य है। आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 उपलब्ध और अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं।

प्रत्येक जीवन बीमाकर्ता अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन और शोधन-क्षमता अनुपात का निर्धारण आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के उपबंधों के अनुसार करेगा। अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन की संगणना दो-कारकों पर आधारित एक माडल है, जहाँ उक्त कारकों को समायोजित गणितीय आरक्षित निधियों और जोखिम पर राशि पर लागू किया जाएगा। उक्त कारक जीवन बीमा व्यवसाय के विभिन्न खंडों के लिए भिन्न-भिन्न हैं।

III.12.2 साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के मामले में, अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए अलग-अलग संगणित रूप में आरएसएम-1 और आरएसएम-2 में से उच्चतर होगा।

- आरएसएम-1 से अभिप्रेत है, निवल प्रीमियमों पर आधारित अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के बीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक ए और निवल प्रीमियमों द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों का उच्चतर है। आरएसएम-1 के परिकलन के प्रयोजन के लिए 'पिछले 12 महीनों के प्रीमियम' को हिसाब में लिया जाएगा।

- आरएसएम-2 से अभिप्रेत है, निवल उपगत दावों पर आधारित अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के तीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक बी और निवल उपगत दावों के द्वारा गुणा किये गये सकल उपगत दावों का उच्चतर है। आरएसएम-2 के परिकलन के लिए 'पिछले 12 महीनों के दावों' और '3 से विभाजित पिछले 36 महीनों के दावों' के अधिकतम के रूप में दावों को हिसाब में लिया जाएगा।

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन

आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 59(2) के अनुसार, किसी बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभाविक व्यक्ति के द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है। ऐसी शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस शिकायत की जाँच कर सकता है एवं यदि आवश्यक समझा जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच, निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित कर सकता है।

III.14. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.14.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015, 24 अगस्त 2015 को अधिसूचित किये गये हैं तथा ये आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हैं। इन विनियमों में उल्लिखित दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू हैं। विनियामक प्रावधानों के अनुसार, बीमाकर्ताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 का संशोधन किया गया है तथा इन्हें आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के रूप में समेकित किया गया है जो 1 अप्रैल 2024 से प्रवृत्त होंगे।

भाग – IV
संगठनात्मक विषय

संगठनात्मक विषय

IV.1. संगठन

IV.1.1. आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अनुसार, प्राधिकरण की संरचना एक अध्यक्ष, पाँच तक पूर्णकालिक सदस्यों, तथा अधिकतम चार अंशकालिक सदस्यों के साथ बनती है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, आईआरडीएआई में एक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य, तथा दो अंशकालिक सदस्य हैं। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है:

अध्यक्ष:

श्री देबाशीष पण्डा, आईएएस (यूपी:87) (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग को भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 14 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

पूर्णकालिक सदस्य:

श्री थामस एम. देवासिया, जिन्हें 19 सितंबर 2022 से पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) के रूप में नियुक्त किया गया था, वर्ष 2023-24 के दौरान जारी रहे। उनका कार्यकाल 11 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ।

श्री पी. के. अरोड़ा, पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक) प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बने रहे। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2024 के अनुसार श्री पी. के. अरोड़ा का कार्यकाल 4 जनवरी 2024 से दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया।

श्री बी.सी. पटनायक को 1 मई 2023 से पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) को रूप में नियुक्त किया गया।

श्री राजय कुमार सिन्हा को पूर्णकालिक सदस्य (वित्त और निवेश) के रूप में 24 जनवरी 2024 से नियुक्त किया गया।

श्री राकेश जोशी, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त और निवेश) और श्रीमती एस. एन. राजेश्वरी, पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) क्रमशः 1 दिसंबर 2023 और 3 मार्च 2024 तक पद पर बने रहे।

श्री सत्यजीत त्रिपाठी को पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) के रूप में 24 मई 2024 से नियुक्त किया गया।

श्री दीपक सूद को पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) के रूप में 12 अगस्त 2024 से नियुक्त किया गया।

अंशकालिक सदस्य:

श्री सुचिन्द्र मिश्र, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में 4 जुलाई 2022 से नियुक्त किया गया था और वे 27 जून 2023 तक उक्त पद पर बने रहे।

डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में 28 जून 2023 से नियुक्त किया गया।

सीए अनिकेत सुनील तलाटी, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, 12 फरवरी 2023 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य बने तथा 11 फरवरी 2024 तक बने रहे। तदुपरांत, सीए रंजीत कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान 12 फरवरी 2024 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य बने।

सारणी IV.1: 31 मार्च 2024 को प्राधिकरण की संरचना

क्र.सं.	अध्यक्ष आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(क) के अधीन नियुक्त
1.	श्री देबाशीष पण्डा

क्र.सं.	पूर्णकालिक सदस्य आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ख) के अधीन नियुक्त	
1.	श्री पी.के. अरोड़ा	सदस्य (बीमांकक)
2.	श्री थामस देवासिया	सदस्य (गैर-जीवन)
3.	श्री बी. सी. पटनायक	सदस्य (जीवन)
4.	श्री राजय कुमार सिन्हा	सदस्य (वित्त और निवेश)

क्र.सं.	अंशकालिक सदस्य आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 4(ग) के अधीन नियुक्त	
1.	डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला	अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय
2.	सीए रंजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

IV.1.2 प्राधिकरण की बैठकें

IV.1.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण की बैठकें सारणी IV.2 में उल्लिखित रूप में चार अवसरों पर आयोजित की गईं।

सारणी IV.2: प्राधिकरण की बैठकों का विवरण

प्राधिकरण की बैठक	दिनांक
प्राधिकरण की 122वीं बैठक	2 जून 2023
प्राधिकरण की 123वीं बैठक	18 अगस्त 2023
प्राधिकरण की 124वीं बैठक	28 दिसंबर 2023
प्राधिकरण की 125वीं बैठक	19 मार्च 2024

IV.3 2023-24 के दौरान आयोजित और प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थित बैठकों का विवरण

नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
अध्यक्ष		
श्री देबाशीष पण्डा	4	4
पूर्णकालिक सदस्य		
श्री पी.के. अरोड़ा	4	4
श्रीमती एस.एन. राजेश्वरी	3	2
श्री राकेश जोशी	2	2
श्री थामस देवासिया	4	4
श्री बी. सी. पटनायक	3	3
श्री राजय कुमार सिन्हा	1	1
अंशकालिक सदस्य		
श्री सुचिन्द्र मिश्र	1	1
डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला	3	3
सीए अनिकेत सुनील तलाटी	3	3
सीए रंजीत कुमार अग्रवाल	1	1

टिप्पणी:

1. डॉ. मारुति प्रसाद तंगिराला को श्री सुचीन्द्र मिश्र के स्थान पर अंशकालिक सदस्य के रूप में 28 जून 2023 को नियुक्त किया गया।

2. सीए रंजीत कुमार अग्रवाल को सीए अनिकेत सुनील तलाटी के स्थान पर अंशकालिक सदस्य के रूप में 12 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया।

IV.2 मानव संसाधन

IV.2.1 मानव संसाधन प्रबंध का कार्य सामान्य प्रशासन की एक अत्यावश्यक गतिविधि है तथा आईआरडीएआई का सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन (जीएएण्डएचआर) विभाग प्राधिकरण में उसकी विविधीकृत आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु एक कुशल और अभिप्रेरित कार्यबल का निर्माण करने और उसे बनाये रखने के लिए एक समर्थक और सहायक की भूमिका का निर्वाह करता है। मुख्य उद्देश्य कार्य-संतोष का मापन करने, कर्मचारियों का विनियोजन करने तथा कार्यस्थल की संस्कृति का संवर्धन करने के द्वारा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को मजबूत करना है।

इस विभाग की परिदृष्टि उन कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं का विकास करना, कार्यान्वयन करना और उनका समर्थन करना है जो प्राधिकरण और इसके कर्मचारियों का मूल्य-संवर्धन करते हैं जिससे बेहतर कर्मचारी कल्याण, सशक्तीकरण और प्रतिधारण के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।

वर्ष के दौरान, प्रवेश के स्तर अर्थात् सहायक प्रबंधकों के स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया संचालित की गई तथा 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार नये भर्ती किये गये 41 सहायक प्रबंधकों ने आईआरडीएआई में कार्यग्रहण किया है।

स्टाफ संख्या

IV.2.2 स्टाफ संख्या और अतिरिक्त श्रमशक्ति की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। प्राधिकरण एक अधिकारी-अभिमुख संगठन है। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या की स्थिति सारणी IV.4 में दी गई है।

सारणी IV.4: आईआरडीएआई में स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या

वर्ग	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2024 को	
	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
I	336	201	374	229

IV.2.3 श्रेणी-वार स्टाफ संख्या

स्टाफ-सदस्यों का श्रेणी-वार वितरण सारणी IV.5 में दिया गया है।

सारणी IV.5: आईआरडीएआई में श्रेणी-वार स्टाफ संख्या

श्रेणी	वर्ग31 मार्च 2023 को स्थिति				31 मार्च 2024 को स्थिति			
	अजा	अजजा	अन्य	कुल	अजा	अजजा	अन्य	कुल
I	24 (11.94)	8 (3.98)	169 (84.08)	201 (100.00)	28 (12.23)	10 (4.37)	191 (83.41)	229 (100.00)

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल संख्या में से प्रतिशत दर्शाते हैं।

कर्मचारियों की लिंग और आयु रूपरेखा

IV.2.4 229 कर्मचारियों में से 52 महिलाएँ हैं जो कुल कर्मचारियों का 22.71 प्रतिशत हैं। आईआरडीएआई एक युवा और गतिशील संगठन है जिसके कर्मचारियों की औसत आयु लगभग 41 वर्ष है। वर्ष 2023-24 में स्टाफ सदस्यों का आयु-वार वितरण सारणी IV.6 में दिया गया है।

सारणी IV.6: आईआरडीएआई में स्टाफ का आयु-वार वितरण

आयु (वर्ष)	स्टाफ संख्या	प्रतिशत
₹ 30	38	16.59
31 - 40	66	28.82
41 - 50	76	33.19
51 - 60	49	21.40
कुल	**229**	**100**

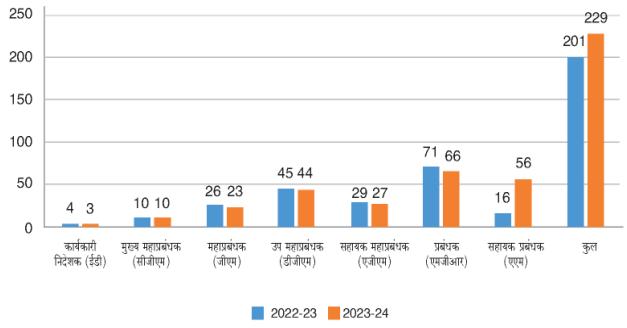
ग्रेड-वार स्टाफ संख्या

IV.2.5 स्टाफ सदस्यों का ग्रेड-वार वितरण सारणी IV.7 में दिया गया है।

सारणी IV.7: आईआरडीएआई में ग्रेड-वार स्टाफ संख्या

ग्रेड	2022-23	2023-24
कार्यकारी निदेशक (ईडी)	4	3
मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)	10	10
महाप्रबंधक (जीएम)	26	23
उप महाप्रबंधक (डीजीएम)	45	44
सहायक महाप्रबंधक (एजीएम)	29	27
प्रबंधक (एमजीआर)	71	66
सहायक प्रबंधक (एएम)	16	56
कुल	**201**	**229**

चार्ट IV.1: आईआरडीएआई में ग्रेड-वार स्टाफ संख्या



प्रशिक्षण और विकास

IV.2.6 प्रशिक्षण और विकास कर्मचारियों के वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान के आधार को बढ़ाने और व्यापक करने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है। स्टाफ सदस्यों के ज्ञान, कौशल और कार्यक्षमताओं में वृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान अनेक प्रशिक्षण पहलें भी की गई थीं।

घरेलू प्रशिक्षण एवं प्रवेश प्रशिक्षण:-

IV.2.7 नये भर्ती किये गये सहायक प्रबंधकों के लिए बीमा जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) और इंडियन स्कूल आफ़ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद के सहयोग से 4 महीने की अवधि के लिए प्रवेश प्रशिक्षण दिया गया। इन अधिकारियों को कक्षा में प्रशिक्षण और साथ ही, प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न परियोजनाएँ / अनुसंधान कार्य दिये गये। उक्त अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्टों की काफी सराहना की गई।

इन अधिकारियों को स्थान पर (आनसाइट) प्रशिक्षण का भी अवसर दिया गया जिसमें उन्होंने विभिन्न स्तरों पर किये जानेवाले कार्यकलापों का बोध प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों का संदर्शन किया।

ज्ञान मंच आईआरडीएआई का जानकारी को साझा करने का एक प्लेटफार्म

IV.2.8 नये, पुनर्नवीकृत अध्ययन फोरम का नाम बदलकर नया नाम 'ज्ञान मंच' रखा गया।

उक्त ज्ञान मंच में प्रस्तुतीकरण के लिए चयनित विषय, बीमा और प्रौद्योगिकी के साथ संबंध रखते हुए, समग्र अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व, वैश्विक प्रवृत्तियों और गतिविधियों, बीमा को प्रभावित करनेवाले नवोन्मेषणों और उभरते जोखिमों के सामयिक विषय शामिल हैं।

वर्ष के दौरान ज्ञान मंच के अधीन साइबर / ई-मेल सुरक्षा और जोखिम की समझ और पर्यवेक्षण पर सत्र आयोजित किये गये।

घरेलू प्रशिक्षण

पर्यवेक्षक महाविद्यालय (सीओएस) आरबीआई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यवेक्षक महाविद्यालय,

IV.2.9 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागों / मिशन पद्धति टीमों के अधिकारियों को नामित किया गया।

टोरंटो केन्द्र, आरबीएसएफ

IV.2.10 आईआरडीएआई ने भारत में बीमा क्षेत्र के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढाँचे (आरबीएसएफ) के विकास और कार्यान्वयन के लिए टोरंटो केन्द्र (टीसी) के साथ करार किया है। टीसी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षमता निर्माण सत्र संचालित किये हैं :-

क्रम सं.	प्रशिक्षण अवधि	सहभागियों की संख्या (लगभग)	सम्मिलित विषय
1.	जून 2023 में एक दिन	40	• आरबीएस में बाह्य और अंतर्निहित जोखिमों के संचालक • जोखिम निर्धारण का एक विवेकपूर्ण जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी रणनीति के रूप में परिवर्तन • नेतृत्व माड्यूल हितधारक प्रबंध
2.	दिसंबर 2023 में दो दिन	20	• पर्यवेक्षी आयोजना • जोखिम प्रबंध • अभिशासन कार्य • आरबीएस में साक्षात्कार कौशल • सहायता निर्धारण के लिए प्रलेखीकरण • मध्यक्षेप के लिए पर्यवेक्षी कार्यनीति

अन्य गतिविधियाँ

युवा व्यवसायियों (यंग प्रोफेशनल्स) का प्रवेश

IV.2.11 वर्ष 2022-23 के दौरान युवा प्रोफेशनल कार्यक्रम के अंतर्गत भर्ती किये गये कुछ युवा व्यवसायी (यंग प्रोफेशनल) बने हुए हैं। उक्त युवा व्यवसायियों के कार्यनिष्पादन एवं आवश्यकताओं के आधार पर उक्त युवा प्रोफेशनलों का कार्यकाल एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया। बीमा विनियमनकर्ता के पास उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, युवा प्रोफेशनल लाभान्वित हुए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप, 18 युवा प्रोफेशनलों ने बाहर आशाजनक अवसरों के लिए प्रस्थान किया है, जबकि शेष युवा प्रोफेशनल अधिक विनियामक ज्ञान अर्जित करने की आकांक्षा कर रहे हैं। 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, दस युवा प्रोफेशनल विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे हैं और अधिक विनियामक एक्सपोज़र प्राप्त कर रहे हैं।

पदोन्नति प्रक्रिया

IV.2.12 आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार, जनवरी 2024 में विभिन्न ग्रेडों पर कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया

प्रारंभ की गई तथा श्रेष्ठता-क्रम में पात्र कर्मचारियों को अगले ग्रेडों में पदोन्नत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

IV.2.13 सभी कर्मचारियों के द्वारा महिला अधिकारियों के व्यावसायिक और अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए 08 मार्च 2024 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया।

आईआरडीएआई संस्थापन दिवसः-

IV.2.14 19 अप्रैल 2024 को आईआरडीएआई के संस्थापन दिवस के अवसर पर जब आईआरडीएआई ने अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है, 2047 तक सबके लिए बीमा की परिदृष्टि को आगे बढ़ाने के प्रयास में अतीत का स्मरण करने तथा इस दिन को सभी के लिए यादगार बनाने के लिए पुरोगमन के पथ की रचना करने के द्वारा इस अवसर को मनाने के लिए सप्ताह भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।

15 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतीकरण किये गये तथा चयनित विषयों पर अपने विचारों को साझा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया गया। इस सप्ताह के दौरान कर्मचारियों के बीच खेल-कूद की प्रतियोगिताएँ संचालित की गईं, अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विजेताओं को 19 अप्रैल 2024 को पुरस्कार प्रदान किये गये।

19 अप्रैल 2024 को आयोजित समारोह को दो सत्रों में विभाजित किया गया, ज्ञान सहभाजन सत्र और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। कुछ चयनित अधिकारियों को समूहों में बांटा गया और उन्हें प्रस्तुतीकरण करने के लिए अलग-अलग विषय आबंटित किये गये। पूर्णकालिक सदस्यों के मार्गदर्शन में प्रत्येक समूह ने एक प्रस्तुतीकरण किया जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई।

सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसमें सभी अधिकारियों ने सहभागिता की और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति

IV.2.15 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, इस संबंध में शिकायतों का निवारण करने एवं उक्त अधिनियम में निर्धारित विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी कार्यालय आदेश संदर्भः आईआरडीएआई/एचआर/ओआरडी/पीईआर/163/08/2023 दिनांक 28 अगस्त 2023 के द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस विषय पर वर्ष के दौरान नये भर्ती किये गये अधिकारियों के लिए विशेष रूप से एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है।

शिकायत निवारण समिति

IV.2.16 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों, यदि कोई हों, की जाँच करने के लिए कार्यालय आदेश संदर्भः आईआरडीएआई/जीएएण्डएचआर/ओआरडी/पीईआर/076/05/2024 दिनांक 09 मई 2024 के द्वारा आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000 के विनियम 72 के अनुसार शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का पुनर्गठन किया गया। आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016 का विनियम 78 कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण और कल्याण के लिए उपबंधों और प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की सिफारिश के अनुसरण में, अनुसूचित जाति समुदाय के कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति (आईजीसी) का गठन 05 नवंबर 2021 को पहले ही किया जा चुका है।

IV.3 राजभाषा का संवर्धन

IV.3.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए अपने संगठित प्रयास को जारी रखा है। राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न उपबंधों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग राजभाषा कार्यान्वयन विभाग कार्यरत है। वित्तीय वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम,

1963, राजभाषा नियम, 1976, हिन्दी के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये वार्षिक कार्यक्रम तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों सहित भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये गये। वर्ष 2023-24 के लिए हिन्दी के प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम अनुपालन के लिए कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

IV.3.2 संसद के पटल पर रखे जानेवाले सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में तैयार किये गये। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हिन्दी में प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों/ अपीलों/ आरटीआई आवेदनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत नियम 11 का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया गया।

प्रगति प्रतिवेदन

IV.3.3 राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में आईआरडीएआई के सभी विभागों से तिमाही प्रगति प्रतिवेदन से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण किया गया। उक्त प्रतिवेदन को निर्धारित समयावधि में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। तिमाही प्रगति प्रतिवेदन के अलावा, छमाही प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन और मूल्यांकन प्रतिवेदन भी तैयार की गईं और उपर्युक्त विभागों के अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को भी प्रस्तुत की गईं।

उपलब्धियाँ और पुरस्कार

IV.3.4 आईआरडीएआई द्वारा हिंदी टंकण को बढ़ाने के विशेष उद्देश्य से बनाए गए ऑनलाइन टंकण एप्लिकेशन द्वारा हिंदी पखवाड़ा में ऑनलाइन हिंदी टंकण प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों को अपने दैनंदिन पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, प्राधिकरण की बैठकों की कार्यसूची और उनके कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने में तथा द्विभाषिक रूप में रजिस्टर रखने में सहायता की गई एवं कार्यालयीन टिप्पण (नोटिंग्स) और दस्तावेजों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। आंतरिक विभागों द्वारा जब भी अपेक्षा की गई, तब हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की भी व्यवस्था की गई। 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पण 55 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में क्रमशः 82.39 प्रतिशत और 89.94 प्रतिशत पर रहे। पिछले वर्ष की अपेक्षा औसत हिंदी पत्राचार में 5.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और हिंदी नोटिंग में 6.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधान कार्यालय द्वारा सभी क्षेत्रों के साथ औसत हिंदी पत्राचार में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। आईआरडीएआई के मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय एवं नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मूल पत्राचार शतप्रतिशत द्विभाषी किया गया। हिंदी पत्राचार को बढावे के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 21 मानक प्रपत्र बनाए गए।

IV.3.5 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद को 14 सितम्बर, 2023 को भारत सरकार द्वारा राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिए जाने वाले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट/सोसाइटी आदि की श्रेणी में वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए ग क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आईआरडीएआई को राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। नराकास के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में चार अधिकारियों ने पुरस्कार जीते हैं।

IV.3.6 नराकास के सदस्य कार्यालयों के लिए आईआरडीएआई द्वारा एक राजभाषा तकनीकी सेमिनार का आयोजन दिनांक 03 जनवरी, 2024 को किया गया। इसके अतिरिक्त नराकास के सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही 27 अक्टूबर, 2023 को नराकास के सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु ऑनलाइन हिंदी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। नगर राजभाषा

कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद की 76 वीं एवं 77वीं छमाही बैठकों में आईआरडीएआई के शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों ने सहभागिता की। इसके साथ ही नराकास के सभी संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / प्रतियोगिताओं में आईआरडीएआई द्वारा सक्रियता से सहभागिता की गई। आईआरडीएआई के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 26 दिसंबर, 2023 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद में राजभाषा नीति और अनुपालन विषय पर अतिथि व्याख्यान दिया गया। आईआरडीएआई के मुम्बई व नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने सम्बंधित नराकास की दोनों अर्धवार्षिक बैठक सहित अन्य गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की।

IV.3.7 आईआरडीएआई के वरिष्ठतम सदस्य सहित महाप्रबंधक और राजभाषा अधिकारी द्वारा 14-15 सितम्बर, 2023 को पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सहभागिता की गयी। इसके अतिरिक आईआरडीएआई द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 नवम्बर, 2023 को मुंबई में आयोजित पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र के 'संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मलेन एवं पुरस्कार वितरण समारोह' एवं 19 जनवरी, 2024 को बेंगलुरु में आयोजित दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम उत्तर क्षेत्र के 'संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मलेन एवं पुरस्कार वितरण समारोह' में सहभागिता की गई। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2024 को दिल्ली में भविष्य की बैंकिंग विषय पर आयोजित एक-दिवसीय अखिल भारतीय हिंदी सेमिनार में भी सहभागिता की गई।

हिन्दी प्रशिक्षण

IV.3.8 कर्मचारियों की हिन्दी भाषा ज्ञान और प्रशिक्षण के अनुसार उनके हिन्दी ज्ञान के रोस्टर को अद्यतन किया गया। विशेष रूप से इसका उपयोग कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्राज्ञ और पारंगत के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामित करने के लिए किया गया। 2023-24 के दौरान 26 कर्मचारियों को प्राज्ञ और पारंगत हिन्दी ज्ञान प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी प्रशिक्षण के लिए कार्यालय में लागू प्रावधानों के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को मानदेय प्रदान किया गया। आईआरडीएआई में पारंगत प्रशिक्षण के लिए मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रही डेस्क प्रशिक्षण के द्वारा 12 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

हिन्दी कार्यशालाएँ और बैठकें

IV.3.9 अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सभी विभाग-प्रमुखों को सदस्यों के रूप में लेते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है तथा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ नई दिल्ली कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में भी गठित की गई हैं। कर्मचारियों को हिन्दी से संबंधित नियमों से परिचित कराने एवं अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का अधिक व्यापक प्रयोग करने के लिए यूनिकोड की सहायता से हिन्दी टंकण और सुगमतापूर्वक प्रयोग की जानेवाली अन्य पद्धतियों का उनसे अभ्यास कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित रूप से संचालन किया गया। 2023-24 के दौरान हैदराबाद स्थित प्रधान कार्यालय के 148 कर्मचारियों को इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में भी किया गया। हिन्दी कार्यशालाओं के दौरान हिन्दी संबंधी नियमों, हिन्दी के प्रयोग के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम और सामान्य हिन्दी टिप्पण (नोटिंग्स) की सामग्री वितरित की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण

IV.3.10 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 26 मई, 2023 को आईआरडीएआई के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का सफल राजभाषायी निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय के राजभाषा विभाग ने फरवरी - मार्च 2024 में प्रधान कार्यालय के सभी विभागों के अलावा मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया।

हिन्दी पखवाड़ा

IV.3.11 आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 से 29 सितंबर 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा जी द्वारा केंद्रीयकृत रुप से तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे में किया गया। कार्यालय के सभी कार्मिक इस उद्घाटन समारोह के साक्षी बने। इस पखवाड़े के दौरान, हिंदी व हिंदीत्तर भाषी कर्मचारियों के लिए दस प्रतियोगिताओं– निबंध लेखन, कहानी लेखन, अनुवाद, राजभाषा नीति एवं हिंदी टिप्पण प्रतियोगिता(उप महाप्रबंधक एवं उच्चतर ग्रेड हेतु), स्मरण, हिंदी भाषण, प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी, अर्थपूर्ण हिंदी शब्द एवं विशेष सॉफ़्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन हिंदी टंकण का आयोजन किया गया।

आईआरडीएआई के प्रधान कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, पखवाड़ा में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाले विभाग और सर्वाधिक प्रतिभागिता करने वाले विभाग को भी पुरस्कृत किया गया। पखवाड़े के समापन समारोह में 92 अधिकारियों और 2 विभागों को पुरस्कृत किया गया। एक सफल हिंदी पखवाड़े का आयोजन संपन्न हुआ्।

अन्य सूचना

IV.3.12 आईआरडीएआई द्वारा स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर टूल कंठस्थ 2.0 का प्रयोग करने एवं उसकी ग्लोबल अनुवाद डेटाबेस को सुदृढ करने के लिए कंठस्थ 2.0 में पंजीकरण किया गया। हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष प्रमुख लेखकों के द्वारा लिखी गई 69 हिंदी पुस्तकें, आईआरडीएआई के पुस्तकालय में सम्मिलित की गईं और निरंतर हर वर्ष हिंदी पुस्तकों के बजट में वृद्धि की जा रही है। बीमा जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी सम्बंधित विषयों को हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने में राजभाषा विभाग ने सक्रियता से सहयोग प्रदान किया। आईआरडीएआई में कुल विज्ञापन व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक की राशि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के विज्ञापन पर व्यय की गई्।

IV.4 सूचना प्रौद्योगिकी

IV.4.1 आईटी प्रणाली की कुशलता और प्रभावकारिता को इष्टतम बनाने के लिए हमारी संवर्धित प्रतिबद्धता के एक अभिन्न पहलू के रूप में आईआरडीएआई ने निम्नलिखित पहलें की हैं:

व्यावसाय विश्लेषण–पद्धति परियोजना (बीएपी)

IV.4.2 व्यवसाय विश्लेषण–पद्धति परियोजना (बीएपी) परोक्ष (आफ़साइट) विनियामक निगरानी के लिए आईआरडीएआई द्वारा एक सेवा प्रदाता के माध्यम से विकसित और संचालित अनुप्रयोग है। यह बीएपी 2.0 आईआरडीएआई की सहायता 3 सी डेटा के संग्रहण (कलेक्ट), सहसंबंध स्थापना (कोरिलेट), और निष्कर्ष निर्णयन (कंक्लूडिंग) प्राप्त करने में करता है। बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों से प्राप्त होनेवाले डेटा का उपयोग बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए किया जाता है। उद्योग के साथ संबद्धता रखने में और आईआरडीएआई में अधिकांश आंतरिक कार्यप्रवाह को स्वचालित बनाने में तथा इसके द्वारा त्वरित निर्णयन में पारदर्शिता लाने में बीएपी सहायता करती है।

मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली (एचआरएमएस)

IV.4.3 एचआरएमएस अनुप्रयोग की कार्यात्मकता का संवर्धन करने हेतु विक्रेता को निम्नलिखित के लिए प्रवेश (आनबोर्डिंग) दिया गया है:

- प्रारंभिक (फ्रंट एंड) प्रौद्योगिकी के रूप में फियोरी का विकास और समन्वयन;
- डेस्कटापों, टैब्लेटों और मोबाइल फोनों आदि के माध्यम से अनुप्रयोग तक प्रवेश हेतु प्रयोक्ताओं के लिए एक परिष्कृत, विभिन्न प्रणालियों और साधनों के साथ प्रयुक्त किया जा सकनेवाला (डिवाइस एग्नोस्टिक) प्रयोक्ता इंटरफेस उपलब्ध कराना।

आंतरिक अनुप्रयोग

IV.4.4 वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं: ङ क्रॉस बॉर्डर पुनर्बीमा, आईएमएफ, आईएसएनपी अनुप्रयोगों के लिए रखरखाव और समर्थन।

बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा

IV.4.5 आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं / कदम उठाये हैं :

- निम्नलिखित उद्देश्य से एक समर्पित कक्ष का गठन किया गया है:

- विनियमित संस्थाओं (आरई) में साइबर सुरक्षा विषयों की निगरानी बढ़ाना एवं आरई के साथ संबद्ध विषयों में अन्य विनियमनकर्ताओं और प्राधिकरणों के साथ बेहतर समन्वय रखना।
- वार्षिक बीमा लेखा-परीक्षा (एएए) की समय पर प्रस्तुति के लिए बीमाकर्ताओं के साथ घनिष्ठ अनुवर्तनों के द्वारा बीमाकर्ताओं की आईटी सुरक्षा को मजबूत करना।
- साइबर आशंकाओं के परिदृश्य में उभरती चुनौतियों तथा साइबर सुरक्षा आशंकाओं के बेहतर प्रबध के संबंध में बीमाकर्ताओं के साथ नियमित रूप से संपर्क रखना।
- आईआरडीएआई के सूचना और सुरक्षा दिशानिर्देश, दिनांक 07 अप्रैल 2017 की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर, नये व्यापक आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2023 जारी किये गये हैं। सभी बीमा मध्यवर्तियों को इन दिशानिर्देशों के विस्तार में लाया गया है।
- आईआरडीएआई ने वर्तमान अथवा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में अंतर्निहित आशंकाओं की नियमित रूप से समीक्षा करने तथा बीमा उद्योग की साइबर सुरक्षा संस्थिति और आघात-सहनीयता को आगे और मजबूत करने के लिए उपयुक्त परिवर्तन सुझाने के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति में वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि, अकादमीशियन एवं सर्ट-इन के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- आईआरडीएआई महत्वपूर्ण सूचना मूलभूत संरचना (सीआईआई) के रूप में बीमाकर्ताओं / विनियमित संस्थाओं की पहचान करने के लिए एनसीआईआईपीसी (राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना मूलभूत संरचना संरक्षण केन्द्र) के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।

आंतरिक सूचना और साइबर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

IV.4.6 आईआरडीएआई की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतरालों की पहचान कर उन्हें शीघ्रतापूर्वक बंद करने के लिए, आईआरडीएआई के लोकाभिमुख और आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए दो छमाही वीएपीटी (असुरक्षितता का आकलन और व्यापन परीक्षण) का संचालन किया गया।

IV.4.7 आईआरडीएआई की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में असुरक्षितताओं की पहचान करने और उन्हें शीघ्रतापूर्वक बंद करने के लिए आईआरडीएआई की मूलभूत संरचना का एक वार्षिक व्यापक साइबर सुरक्षा संपरीक्षण (आडिट) संचालित किया गया।

IV.4.8 आईआरडीएआई ने जून 2023 में आंतरिक सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (आईएसएमएस) नीति जारी की, जिसमें आईआरडीएआई की आईटी सुरक्षा और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सूचना सुरक्षा नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तथा साइबर संकट प्रबंध योजना निहित हैं।

IV.4.9 साइबर स्वास्थ्य-विज्ञान (हाइजीन) और सर्वोत्तम पद्धतियों के संबंध में कर्मचारियों की जागरूकता में सुधार लाने के लिए साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) सत्र और अन्य अनुरूपण अभ्यास नियमित रूप से संचालित किये गये हैं।

IV.5 लेखा

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकरण के खाते तैयार किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित खाते आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 17 के अनुसार संसद के समक्ष रखे गए।

IV.6 आभार-प्रदर्शन

IV.6.1 आईआरडीएआई प्राधिकरण के सदस्यों, बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों, पुनर्बीमा सलाहकार समिति, वित्तीय सेवाएँ विभाग (वित्त मंत्रालय), परामर्शदात्री समिति के सदस्यों, सभी बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को उनके अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए; तथा आईआरडीएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुसंबद्ध टीम को उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहण के लिए अपनी सराहना और हार्दिक कृतज्ञता को अभिलेखबद्ध करना चाहता है। आईआरडीएआई जनसाधारण के सदस्यों, प्रेस, व्यावसायिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) सहित अपनी परिषदों के माध्यम से बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी समय-समय पर दिये गये उनके मूल्यवान सहयोग के लिए अपने विशेष आभार अभिलिखित करता है।

विवरण

विवरण 1

बीमा पैठ की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	देश*	2022			2023		
		जीवन	गैर–जीवन	कुल	जीवन	गैर–जीवन	कुल
	अमेरिका						
1	यूएसए	2.6	9.0	11.6	2.6	9.3	11.9
2	कनाडा	3.3	4.6	8.0	3.3	4.7	8.0
3	ब्राज़िल	2.1	1.9	4.0	2.1	1.8	3.9
4	मेक्सिको	1.1	1.3	2.4	1.1	1.4	2.5
5	अर्जेंटीना	0.2	1.8	2.0	0.2	1.3	1.5
	यूरोप–मध्य पूर्व–अफ्रीका						
6	दक्षिण अफ्रीका	9.1	2.2	11.3	9.2	2.3	11.5
7	यूके	8.1	2.4	10.5	7.1	2.6	9.7
8	स्वीडन	7.5	1.8	9.3	5.7	1.7	7.4
9	फ्रांस	5.5	3.3	8.7	5.5	3.2	8.7
10	नीदरलैंड	1.2	7.3	8.5	1.2	7.2	8.3
11	इटली	5.8	2.2	8	4.9	2.2	7.1
12	स्विट्ज़रलैंड	3.0	4.0	6.9	2.9	4.0	6.9
13	जर्मनी	2.4	3.5	5.9	2.1	3.4	5.5
14	स्पेन	2	2.8	4.9	2.5	2.8	5.3
15	टर्की	0.2	1.3	1.5	0.2	1.5	1.7
16	सऊदी अरब	0	1.2	1.3	0.1	1.6	1.7
17	रूस	0.3	0.6	0.9	0.4	0.7	1.1
	एशिया प्रशांत						
18	ताइवान	8.2	3.1	11.4	7.1	3.2	10.3
19	दक्षिण कोरिया#	5.4	5.8	11.1	5.0	6.0	11
20	सिंगापुर	7.4	1.8	9.2	7.4	1.8	9.2
21	जापान#	5.9	2.3	8.2	6.8	2.1	8.9
22	थाईलैंड	3.4	1.9	5.3	3.4	1.9	5.3
23	मलेशिया#	3.7	1.3	5	3.7	1.4	5.2
24	ऑस्ट्रेलिया	0.9	3.3	4.2	0.9	3.3	4.2
25	भारत#	3.0	1.0	4.0	2.8	1.0	3.7
26	चीन	2.0	1.9	3.9	2.1	1.8	3.9
27	न्यूज़ीलैंड	0.8	3.0	3.8	0.4	3.2	3.6
28	इंडोनेशिया	0.9	0.5	1.4	0.8	0.6	1.3
29	पाकिस्थान	0.6	0.3	0.8	0.5	0.3	0.7
	विश्व	**2.8**	**4.0**	**6.8**	**2.9**	**4.2**	**7.0**

** डेटा कैलेंडर वर्ष 2022 और 2023 से संबंधित है*
डेटा वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 से संबंधित है।
नोट: बीमा पैठ को प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) और जीडीपी (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में मापा जाता है।
स्रोत: स्विस री इंस्टीट्यूट सिग्मा नंबर 3/2023 और 3/2024

विवरण 2

बीमा घनत्व की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

(यूएसडी में)

क्र.सं.	देश*	2022			2023		
		जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल
	अमेरिका						
1	यूएसए	2017	6868	8885	2136	7504	9640
2	कनाडा	1840	2552	4392	1759	2507	4267
3	ब्राज़िल	184	168	352	207	183	390
4	अर्जेंटीना	29	252	281	35	190	225
5	मेक्सिको	118	146	265	154	197	351
	यूरोप-मध्य पूर्व-अफ्रीका						
6	स्विट्ज़रलैंड	2730	3634	6364	2832	3998	6830
7	स्वीडन	4203	976	5180	3202	983	4185
8	यूके	3669	1111	4781	3466	1294	4759
9	नीदरलैंड	657	4074	4731	724	4492	5216
10	फ्रांस	2239	1339	3578	2431	1435	3867
11	जर्मनी	1182	1699	2881	1106	1804	2910
12	इटली	1966	750	2716	1878	830	2708
13	स्पेन	601	832	1433	835	909	1744
14	दक्षिण अफ्रीका	614	149	764	577	141	718
15	सऊदी अरब	14	393	407	19	454	472
16	टर्की	21	133	154	27	197	224
17	रूस	47	87	134	57	98	155
	एशिया प्रशांत						
18	सिंगापुर	6074	1489	7563	6264	1536	7799
19	ताइवान	2656	1006	3662	2285	1022	3307
20	दक्षिण कोरिया#	1705	1836	3541	1635	1968	3603
21	ऑस्ट्रेलिया	609	2149	2758	584	2174	2759
22	जापान#	1942	748	2690	2245	693	2938
23	न्यूज़ीलैंड	373	1395	1768	205	1533	1738
24	मलेशिया#	432	159	592	425	165	590
25	चीन	255	234	489	274	234	508
26	थाईलैंड	235	134	369	244	140	384
27	**भारत#**	**70**	**22**	**92**	**70**	**25**	**95**
28	इंडोनेशिया	43	26	68	38	28	66
29	पाकिस्तान	8	4	12	7	4	11
	विश्व	**354**	**499**	**853**	**361**	**528**	**889**

** डेटा कैलेंडर वर्ष 2022 और 2023 से संबंधित है*
#डेटा वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 से संबंधित है
नोट: बीमा घनत्व को प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) और जनसंख्या के अनुपात के रूप में मापा जाता है
स्रोत: स्विस री इंस्टीट्यूट सिग्मा नंबर 3/2023 और 3/2024

विवरण 3

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा लिखित प्रीमियम (भारत के अंदर)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बीमा कंपनी	2022–23	2023–24
1	एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	–	36.52
2	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15,069.69	17,260.12
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,289.00	2,697.37
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,317.45	1,346.86
5	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	19,461.43	23,043.04
6	बंधन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में एगॉन लाइफ के नाम से जाना जाता था)	369.95	430.91
7	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,920.58	2,908.30
8	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7,197.38	7,128.70
9	क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	–	97.00
10	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,690.47	1,932.09
11	फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,758.01	1,810.54
12	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	–	426.36
13	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	57,533.42	63,076.48
14	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39,932.78	43,235.64
15	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6,074.53	6,973.83
16	कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15,320.46	17,708.38
17	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25,341.91	29,528.97
18	पीएनबी मेटलाइफ लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8,785.21	9,732.28
19	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,495.39	1,919.38
20	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,122.10	5,536.90
21	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड$	44.19	–
22	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	67,315.60	81,430.64
23	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,546.40	3,507.54
24	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,746.37	6,717.87
25	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20,503.50	25,691.82
	निजी कुल	**3,07,835.83**	**3,54,177.54**
		(16.34)	**(15.05)**
26	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,74,668.14	4,75,751.92
		(10.90)	(0.23)
	उद्योग कुल	**7,82,503.97**	**8,29,929.46**
		(12.98)	**(6.06)**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

**एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को 31.03.2023 को आईआरडीएआई से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को 09.06.2023 को प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।*

$सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.06.2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया जाता है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।

विवरण 4

2023–24 के लिए जीवन बीमा कंपनियों का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	संबद्ध प्रीमियम					असंबद्ध प्रीमियम					कुल प्रीमियम				
		प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष + एकल)	नवीनीकरण	कुल प्रीमियम	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय (प्रथम वर्ष + एकल)	नवीनीकरण	कुल प्रीमियम	प्रथम	एकल	नया (प्रथम वर्ष + एकल)	नवीनीकरण	कुल
1.	एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	-	-	-	-	-	0.37	36.14	36.52	0.00	36.52	0.37	36.14	36.52	-	36.52
2.	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	760.07	1,570.76	2,330.83	1,879.99	4,210.82	2,517.68	3,251.17	5,768.85	7,280.45	13,049.30	3,277.75	4,821.93	8,099.68	9,160.44	17,260.12
3.	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	195.82	299.88	495.69	327.96	823.66	378.67	326.21	704.88	1,168.84	1,873.71	574.48	626.09	1,200.57	1,496.80	2,697.37
4.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लि.	169.65	9.29	178.94	247.17	426.11	147.44	31.48	178.91	741.84	920.75	317.09	40.76	357.85	989.01	1,346.86
5.	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	2,438.89	524.89	2,963.78	4,075.43	7,039.21	3,829.30	4,700.76	8,530.07	7,473.77	16,003.84	6,268.20	5,225.65	11,493.85	11,549.20	23,043.04
6	बंधन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में एगॉन लाइफ के नाम से जाना जाता था)	0.10	0.25	0.35	55.62	55.98	13.26	104.02	117.28	257.66	374.94	13.36	104.27	117.63	313.28	430.91
7.	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	98.28	16.11	114.39	188.85	303.24	524.77	141.57	666.34	1,938.72	2,605.06	623.05	157.68	780.73	2,127.57	2,908.30
8.	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	652.16	15.60	667.77	1,515.30	2,183.07	1,041.71	1,191.60	2,233.31	2,712.32	4,945.63	1,693.87	1,207.21	2,901.08	4,227.62	7,128.70
9.	क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00
10.	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	92.24	42.16	134.40	235.67	370.07	418.77	25.21	443.98	1,118.04	1,562.02	511.00	67.38	578.38	1,353.71	1,932.09
11.	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	61.59	3.46	65.05	64.24	129.29	533.41	10.72	544.13	1,137.11	1,681.25	595.00	14.18	609.18	1,201.35	1,810.54
12.	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	420.32	426.36	0.00	426.36	6.04	420.32	426.36	0.00	426.36
13.	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,844.58	2,369.59	6,214.17	8,518.79	14,732.96	7,266.24	16,150.95	23,417.19	24,926.33	48,343.52	11,110.82	18,520.54	29,631.36	33,445.12	63,076.48
14.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश.कं.लि.	3,528.64	2,081.29	5,609.93	13,980.91	19,590.84	3,502.90	9,566.00	13,068.90	10,575.91	23,644.81	7,031.54	11,647.28	18,678.82	24,556.82	43,235.64
15.	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	294.13	87.83	381.96	1,152.29	1,534.25	1,033.20	1,559.86	2,593.05	2,846.52	5,439.58	1,327.33	1,647.69	2,975.01	3,998.81	6,973.83
16.	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,821.47	1,083.33	2,904.80	1,433.47	4,338.26	2,540.45	3,211.60	5,752.05	7,618.07	13,370.12	4,361.92	4,294.93	8,656.85	9,051.53	17,708.38
17.	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,469.06	69.14	2,538.20	4,646.47	7,184.67	4,420.34	4,064.56	8,484.91	13,859.40	22,344.30	6,889.40	4,133.71	11,023.10	18,505.87	29,528.97
18.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं.लि.	764.13	124.16	888.29	1,137.18	2,025.48	1,649.05	872.66	2,521.71	5,185.09	7,706.80	2,413.18	996.82	3,410.00	6,322.28	9,732.28
19.	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	19.19	1.47	20.66	24.13	44.80	169.30	915.85	1,085.15	789.43	1,874.58	188.49	917.32	1,105.81	813.57	1,919.38
20.	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	262.88	9.83	272.71	770.45	1,043.16	918.31	39.37	957.68	3,536.06	4,493.74	1,181.19	49.19	1,230.38	4,306.51	5,536.90
21.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड[$]			-		-			-		-	-	-	-	-	-
22.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11,557.74	2,303.72	13,861.46	26,765.53	40,626.99	5,918.01	18,458.85	24,376.85	16,426.79	40,803.65	17,475.74	20,762.57	38,238.31	43,192.33	81,430.64
23.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	47.96	19.31	67.27	30.27	97.54	1,166.14	637.16	1,803.30	1,606.70	3,410.00	1,214.10	656.47	1,870.57	1,636.97	3,507.54
24.	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	395.72	61.09	456.81	423.02	879.83	1,288.59	1,571.21	2,859.81	2,978.23	5,838.04	1,684.32	1,632.30	3,316.62	3,401.25	6,717.87
25.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,291.03	187.95	3,478.98	3,811.10	7,290.08	4,420.58	998.81	5,419.39	12,982.35	18,401.75	7,711.61	1,186.76	8,898.37	16,793.45	25,691.82
	निजी कुल	**32,765.33**	**10,881.10**	**43,646.44**	**71,283.86**	**1,14,930.29**	**43,704.54**	**68,383.08**	**1,12,087.62**	**1,27,159.63**	**2,39,247.25**	**76,469.87**	**79,264.18**	**1,55,734.05**	**1,98,443.49**	**3,54,177.54**
26.	भारतीय जीवन बीमा निगम	747.97	3,699.42	4,447.39	2,092.13	6,539.52	38,289.98	1,79,934.03	2,18,224.01	2,50,988.39	4,69,212.40	39,037.95	1,83,633.45	2,22,671.40	2,53,080.52	4,75,751.92
	उद्योग कुल	**33,513.30**	**14,580.53**	**48,093.83**	**73,375.99**	**1,21,469.81**	**81,994.52**	**2,48,317.10**	**3,30,311.63**	**3,78,148.02**	**7,08,459.65**	**1,15,507.82**	**2,62,897.63**	**3,78,405.45**	**4,51,524.01**	**8,29,929.46**

**एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को प्राधिकरण से 31.03.2023 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को प्राधिकरण से 09.06.2023 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।*

[$]सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.06.2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया जाता है और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए उपरोक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।

विवरण 5

2023–24 के लिए जीवन बीमा कंपनियों का खंडवार कुल प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

संबद्ध (वैयक्तिक और समूह)

प्रकार	गैर–भाग लेते हुए				इसमें भाग लेने वाले				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	एकल	कुल	कुल योग	प्रतिशत
वार्षिकी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
स्वास्थ्य	(0.00)	132.23	–	132.22	–	–	–	–	132.22	0.11
जीवन	29,870.16	63,303.29	13,285.36	1,06,458.82	–	0.64	–	0.64	1,06,459.45	87.64
पेंशन	3,643.12	9,939.75	1,295.17	14,878.04	–	0.09	–	0.09	14,878.13	12.25
परिवर्ती	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**33,513.29**	**73,375.27**	**14,580.53**	**1,21,469.08**	**–**	**0.72**	**–**	**0.72**	**1,21,469.80**	**100.00**

असंबद्ध (वैयक्तिक और समूह)

प्रकार	गैर–भाग लेते हुए				इसमें भाग लेने वाले				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	एकल	कुल	कुल योग	प्रतिशत
वार्षिकी	3,190.58	2,446.63	30,738.72	36,375.93	–	2.16	–	2.16	36,378.09	5.13
स्वास्थ्य	53.65	491.79	6.09	551.54	–	–	–	–	551.54	0.08
जीवन	33,563.31	83,806.95	1,05,673.10	2,23,043.35	40,561.56	2,87,305.48	5,563.76	3,33,430.80	5,56,474.15	78.55
पेंशन	4,302.51	2,947.77	1,04,148.72	1,11,399.00	145.07	993.24	28.83	1,167.13	1,12,566.13	15.89
परिवर्ती	45.83	51.62	2,138.99	2,236.44	132.02	102.39	18.91	253.31	2,489.75	0.35
कुल	**41,155.87**	**89,744.76**	**2,42,705.62**	**3,73,606.26**	**40,838.64**	**2,88,403.27**	**5,611.49**	**3,34,853.41**	**7,08,459.66**	**100.00**

संबद्ध और असंबद्ध (वैयक्तिक और समूह)

प्रकार	गैर–भाग लेते हुए				इसमें भाग लेने वाले				दोनों	
	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	एकल	कुल	प्रथम वर्ष	नवीनीकरण	एकल	कुल	कुल योग	प्रतिशत
वार्षिकी	3,190.58	2,446.63	30,738.72	36,375.93	–	2.16	–	2.16	36,378.09	4.38
स्वास्थ्य	53.65	624.02	6.09	683.76	–	–	–	–	683.76	0.08
जीवन	63,433.47	1,47,110.24	1,18,958.45	3,29,502.17	40,561.56	2,87,306.11	5,563.76	3,33,431.44	6,62,933.60	79.88
पेंशन	7,945.63	12,887.52	1,05,443.89	1,26,277.04	145.07	993.33	28.83	1,167.22	1,27,444.26	15.36
परिवर्ती	45.83	51.62	2,138.99	2,236.44	132.02	102.39	18.91	253.31	2,489.75	0.30
कुल	**74,669.16**	**1,63,120.03**	**2,57,286.15**	**4,95,075.34**	**40,838.64**	**2,88,403.99**	**5,611.49**	**3,34,854.13**	**8,29,929.46**	**100.00**

नोट: सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.06.2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए उपरोक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।

विवरण 6

जीवन बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के दौरान आसव	31 मार्च 2024 तक	भारतीय प्रमोटर/ निवेशक	विदेशी प्रमोटर/ निवेशक	विदेशी निवेश %
1	एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	–	140.05	140.05	140.05	–	–
2	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	1,938.23	48.28	1,986.51	1,013.12	973.39	49.00
3	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	800.00	–	800.00	208.00	592.00	74.00
4	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,189.90	–	2,189.90	569.37	1,620.53	74.00
5	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	150.71	–	150.71	111.52	39.18	26.00
6	बंधन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में एगॉन लाइफ के नाम से जाना जाता था)	1,477.73	365.00	1,842.73	1,842.73	–	–
7	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,706.20	135.00	3,841.20	3,841.20	–	–
8	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	950.00	–	950.00	703.00	247.00	26.00
9	क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	–	168.00	168.00	43.68	124.32	74.00
10	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	915.55	–	915.55	687.43	228.12	24.92
11	फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,445.82	153.50	2,599.32	675.86	1,923.46	74.00
12	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड*	–	121.19	121.19	79.08	42.11	34.75
13	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,149.40	1.54	2,150.94	1,501.11	649.83	30.21
14	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	1,438.57	2.05	1,440.62	899.34	541.27	37.57
15	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	754.37	–	754.37	558.23	196.14	26.00
16	कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	510.29	–	510.29	510.29	–	–
17	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,918.81	–	1,918.81	1,918.81	–	–
18	पीएनबी मेटलाइफ लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं.लि.	2,012.88	–	2,012.88	1,028.27	984.61	48.92
19	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	374.06	–	374.06	190.77	183.29	49.00
20	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,196.32	–	1,196.32	610.12	586.20	49.00
21	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	232.00	–	232.00	232.00	–	–
22	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,000.89	0.57	1,001.46	733.14	268.33	26.79
23	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	177.85	1.32	179.17	137.91	41.26	23.03
24	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	338.96	–	338.96	183.25	155.72	45.94
25	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,953.50	980.00	2,933.50	1,496.09	1,437.42	49.00
	निजी कुल	**28,632.05**	**2,116.50**	**30,748.55**	**19,914.39**	**10,834.17**	**35.23**
26	भारतीय जीवन बीमा निगम	6,325.00	–	6,325.00	6,312.91	12.09	0.19
	कुल	**34,957.05**	**2,116.50**	**37,073.55**	**26,227.30**	**10,846.26**	**29.26**

**एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को प्राधिकरण से 31.03.2023 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड को प्राधिकरण से 09.06.2023 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।*

विवरण 7

साधारण एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के भीतर एवं बाहर)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बीमा कंपनी	2022–23	2023–24
1.	एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	1,509.41	1,870.28
2.	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15,336.64	20,472.68
3.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6,155.99	7,532.89
4.	फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,546.24	4,910.90
5.	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	6,160.08	7,941.09
6.	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	16,635.81	18,567.56
7.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	21,025.09	24,776.11
8.	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9,870.95	9,835.08
9.	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,134.09	1,587.11
10.	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	–	568.50 –
11.	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	1,957.33	2,155.03
12.	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,534.12	3,044.19
13.	नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	70.59	70.48
14.	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	379.94	295.89
15.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10,339.01	11,688.82
16.	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,379.75	3,637.10
17.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10,828.40	12,553.57
18.	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,265.78	3,036.05
19.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	13,176.01	15,090.90
20.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,103.09	4,622.19
21.	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	533.51	833.80
	निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियाँ कुल	**1,31,941.83**	**1,55,090.19**
		20.22%	**17.54%**
22.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15,205.85	15,180.29
23.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	37,482.04	40,363.83
24.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15,992.61	18,794.13
25.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	17,644.31	19,852.96
	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियाँ कुल	**86,324.81**	**94,191.20**
		10.20%	**9.11%**
26.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	14,619.79	9,940.58
27.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड.	1,197.53	1,270.77
	विशिष्ट बीमाकर्ता कुल	**15,817.32**	**11,211.34**
		5.12%	**–29.12%**
28.	आदित्य बिरला स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड	2,717.03	3,701.32
29.	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड.	5,141.53	6,864.46
30.	गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	–	–
31.	मणिपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,359.79	1,691.49
32.	नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड#	–	–
33.	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,073.03	5,607.57
34.	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड$	–	–
35.	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	12,952.47	15,254.45
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**26,243.85**	**33,119.30**
		25.77%	**26.20%**
	कुल योग	**2,60,327.82**	**2,93,612.04**
		16.22%	**12.79%**

टिप्पणी: प्रतिशत में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।
बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।
$रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण
वित्त वर्ष 2024–25 में परिचालन शुरू किया जाएगा

विवरण 8

साधारण एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की खंडवार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के भीतर)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बीमा कंपनी	अग्नि		समुद्री		मोटर		स्वास्थ्य + पीए+यात्रा		अन्य		कुल	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1.	एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	(0.02)	-	-	-	659.96	830.58	736.00	898.09	113.47	141.61	1,509.41	1,870.28
2.	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	2,158.64	2,394.95	286.60	300.14	5,348.55	5,847.78	3,372.78	6,942.97	4,170.07	4,986.83	15,336.64	20,472.68
3.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	660.56	714.92	123.04	131.08	4,345.12	4,963.53	893.28	1,104.16	133.99	619.20	6,155.99	7,532.89
4.	फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	481.82	551.36	109.39	114.28	1,701.06	1,740.64	879.61	1,628.20	1,374.36	876.42	4,546.24	4,910.90
5.	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	417.36	486.95	34.66	37.28	4,000.27	5,471.27	933.33	1,605.61	774.45	339.98	6,160.08	7,941.09
6.	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,710.01	1,795.96	219.85	186.36	4,644.38	5,275.35	5,716.43	6,538.16	4,345.13	4,771.73	16,635.81	18,567.56
7.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	3,052.48	3,368.32	744.29	763.77	8,582.27	9,633.65	5,592.29	7,116.74	3,053.76	3,893.63	21,025.09	24,776.11
8.	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	944.73	970.02	302.13	305.42	4,133.56	4,371.25	2,169.52	1,646.03	2,321.01	2,542.36	9,870.95	9,835.08
9.	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	70.42	78.98	17.59	9.06	515.89	748.48	483.37	689.70	46.83	60.89	1,134.09	1,587.11
10.	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	0.00	-	-	-	-	-		-	568.50	-	568.50
11.	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	82.93	79.44	38.84	35.36	1,382.55	1,579.71	313.11	336.09	139.91	124.42	1,957.33	2,155.03
12.	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	317.68	313.14	33.26	38.98	1,860.50	2,073.53	251.99	511.58	70.70	106.96	2,534.12	3,044.19
13.	नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	(0.69)	(1.02)	-	27.71	15.93	43.55	55.57	0.02	-	70.59	70.48	
14.	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	22.29	11.35	0.01	(0.00)	273.66	189.58	14.56	27.93	69.43	67.02	379.94	295.89
15.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,004.32	1,112.16	128.47	137.57	4,036.22	4,360.96	1,560.54	2,053.68	3,609.45	4,024.45	10,339.01	11,688.82
16.	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	294.91	301.11	51.66	54.32	2,470.94	2,571.83	475.98	609.98	86.27	99.85	3,379.75	3,637.10
17.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,618.94	1,817.73	84.02	82.97	2,710.68	3,560.11	3,293.86	3,999.34	3,120.91	3,093.43	10,828.40	12,553.57
18.	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	79.60	89.31	2.01	2.12	2,085.21	2,777.93	60.78	119.80	38.17	46.89	2,265.78	3,036.05
19.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	1,880.38	2,074.97	679.75	676.33	6,692.85	7,437.49	2,770.21	3,133.81	1,152.82	1,768.30	13,176.01	15,090.90
20.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	222.87	247.73	46.49	58.11	1,819.12	2,116.47	488.88	595.27	1,525.73	1,604.61	4,103.09	4,622.19
21.	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	27.20	35.75	1.12	0.80	299.63	396.96	197.37	394.76	8.18	5.52	533.51	833.80
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**15,046.44**	**16,443.11**	**2,903.17**	**2,933.96**	**57,590.14**	**65,963.05**	**30,247.44**	**40,007.47**	**26,154.66**	**29,742.60**	**1,31,941.83**	**1,55,090.19**
22.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,180.00	1,189.83	275.94	275.35	5,087.80	5,034.95	7,403.16	7,448.94	1,201.10	1,164.48	15,148.00	15,113.56
23.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,238.05	4,393.58	977.83	983.98	8,974.60	9,518.07	17,338.57	18,874.60	2,955.00	3,226.35	34,484.05	36,996.58

जारी... विवरण 8

साधारण एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की खंडवार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के भीतर)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बीमा कंपनी	अग्नि		समुद्री		मोटर		स्वास्थ्य + पीए+ यात्रा		अन्य		कुल	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
24.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,589.10	1,557.18	465.38	470.96	3,642.23	4,217.20	8,747.80	8,995.42	1,170.40	3,048.28	15,614.91	18,289.04
25.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,882.54	2,082.82	436.34	427.23	5,985.27	7,047.27	7,682.68	8,248.22	1,657.47	2,047.42	17,644.31	19,852.96
	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी कुल	**8,889.69**	**9,223.41**	**2,155.49**	**2,157.53**	**23,689.90**	**25,817.49**	**41,172.21**	**43,567.17**	**6,983.97**	**9,486.54**	**82,891.26**	**90,252.13**
26.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14,619.79	9,940.58	14,619.79	9,940.58
27.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,197.53	1,270.77	1,197.53	1,270.77
	विशिष्ट बीमाकर्ता कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**15,817.32**	**11,211.34**	**15,817.32**	**11,211.34**
28.	आदित्य बिरला स्वास्थ्य बीमा कं.लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2,717.03	3,701.32	लागू नहीं	लागू नहीं	2,717.03	3,701.32
29.	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5,141.53	6,864.46	लागू नहीं	लागू नहीं	5,141.53	6,864.46
30.	गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कं.लि.#												
31.	मणिपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1,359.79	1,691.49	लागू नहीं	लागू नहीं	1,359.79	1,691.49
32.	नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड#												
33.	निवा (पहले मैक्स) बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कं.लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4,073.03	5,607.57	लागू नहीं	लागू नहीं	4,073.03	5,607.57
34.	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड@	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	12,952.47	15,254.45	लागू नहीं	लागू नहीं	12,952.47	15,254.45
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**26,243.85**	**33,119.30**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**26,243.85**	**33,119.30**
	कुल योग	**23,936.12**	**25,666.52**	**5,058.66**	**5,091.49**	**81,280.04**	**91,780.54**	**97,663.50**	**1,16,693.95**	**48,955.94**	**50,440.48**	**2,56,894.27**	**2,89,672.97**

टिप्पणी:
लागू नहीं – यह दर्शाता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान या संबंधित खंड में परिचालन में नहीं था।
बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।
@रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण
#वित्त वर्ष 2024-25 में परिचालन शुरू किया जाएगा

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बीमा कंपनी	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के दौरान आसव	31 मार्च 2024 तक	प्रवर्तक			गैर-प्रवर्तक (विदेशी सहित)	एफडीआई %
					भारतीय	विदेश	कुल	कुल	
1.	एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	2146.00	300.00	2446.00	2446.00	0.00	2446.00	0.00	0.00%
2.	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	110.23	0.00	110.23	81.57	28.66	110.23	0.00	26.00%
3.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	298.81	0.00	298.81	179.28	119.52	298.81	0.00	40.00%
4.	फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	904.80	301.60	1206.40	597.10	609.31	1206.40	0.00	50.51%
5.	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	874.02	1.15	875.16	841.68	33.49	875.16	0.00	3.83%
6.	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	712.78	2.19	714.97	360.91	350.94	711.85	3.11	49.08%
7.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	491.13	1.56	492.69	252.60	0.00	252.60	240.09	0.00%
8.	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	287.82	0.00	287.82	146.79	141.03	287.82	0.00	49.00%
9.	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	680.00	195.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00%
10.	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	111.29	0.00	111.29	111.29	0.00	111.29	0.00	0.00%
11.	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	1086.23	0.00	1086.22	557.41	528.81	1086.22	0.00	48.68%
12.	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	246.67	22.63	269.30	259.21	0.00	259.21	10.09	0.00%
13.	नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	495.79	0.00	495.79	495.79	0.00	495.79	0.00	0.00%
14.	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	371.12	27.23	398.35	203.16	195.19	398.35	0.00	49.00%
15.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	252.07	12.77	264.83	261.31	0.00	261.31	3.53	0.00%
16.	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	449.00	0.00	449.00	269.40	179.60	449.00	0.00	40.00%
17.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	215.65	7.74	223.38	197.71	25.67	223.38	0.00	11.49%
18.	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	259.16	0.00	259.16	172.71	59.40	232.11	27.05	22.92%
19.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	994.46	0.00	994.46	735.90	258.56	994.46	0.00	26.00%
20.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	368.18	0.00	368.18	240.74	127.44	368.18	0.00	34.61%
21.	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	678.00	193.00	871.00	871.00	0.00		0.00	
	निजी क्षेत्र कुल (क)	**12,033.18938**	**1,064.86255**	**13,098.0519**	**10156.54**	**2657.63**	**12814.17**	**283.88**	**20.29%**
22.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9375.00	-	9375.00	9375.00		9375.00		0.00%
23.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	824.00	-	824.00	704.00		704.00	120.00	0.00%
24.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4620.00	-	4620.00	4620.00		4620.00		0.00%
25.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3905.00	-	3905.00	3905.00		3905.00		0.00%
	सार्वजनिक क्षेत्र कुल (ख)	**18724.0000**	**0.0000**	**18724.0000**	**18604.00**	**0.00**	**18604.00**	**120.00**	**0.00%**
	कुल (निजी+सार्वजनिक) (क+ख)	**30,757.1894**	**1,064.8626**	**31,822.0519**	**28760.54**	**2657.63**	**31418.17**	**403.88**	**8.35%**

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बीमा कंपनी	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के दौरान आसव	31 मार्च 2024 तक	प्रवर्तक			गैर-प्रवर्तक (विदेशी सहित)	एफडीआई %
					भारतीय	विदेश	कुल	कुल	
26.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	200.00	-	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00%
27.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड.	4,338.00	-	4338.00	4338.00	0.00	4338.00	0.00	0.00%
	विशिष्ट बीमाकर्ता कुल (ग)	**4,538.0000**	**-**	**4,538.0000**	**4538.00**	**0.00**	**4538.00**	**-**	**0.00%**
28.	आदित्य बिरला स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड	507.58	0.20	507.78	233.01	223.87	456.87	50.91	44.09%
29.	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड.	942.23	29.81	972.04	817.73		817.73	154.31	0.00%
30.	गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		300.25	300.25	300.25				
31.	मणिपालसिग्मा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,344.04	182.41	1526.44	777.87	747.37	1525.24	1.20	48.96%
32.	नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड		100.05	100.05	100.05				
33.	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.	1,510.68	188.86	1699.53	478.67	1069.99	1548.66	150.88	62.96%
34.	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड	193.90	-	193.90	193.90		193.90		-
35.	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	581.68	3.61	585.28	319.34		319.34	265.95	0.00%
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल (घ)	**5,080.1035**	**805.1818**	**5,885.2853**	**3220.82**	**2041.23**	**5262.04**	**623.25**	**34.68%**
	सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल (क+ख+ग+घ)	**40,375.2929**	**1,870.0444**	**42,245.3372**	**36,519.36**	**4,698.85**	**41,218.22**	**1027.12**	**11.12%**
	पुनर्बीमा कंपनियों								
36.	सार्वजनिक क्षेत्र पुनर्बीमाकर्ता - जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन	877.20	-	877.20	877.20		877.20		0.00%
	पुनर्बीमाकर्ता कुल (ङ)	**877.20**	**-**	**877.20**	**877.20**	**0.00**	**877.20**	**0.00**	**0.00%**
	कुल योग च = (क+ख+ग+घ+ङ)	**41,252.49**	**1,870.04**	**43,122.54**	**37396.56**	**4698.85**	**42095.42**	**1027.12**	**10.90%**

टिप्पणी:
बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।
वर्ष के दौरान निवेश में शेयरों का निरस्तीकरण, कटौती और नया निर्गम शामिल है
@रिलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का अधिग्रहण
#वित्त वर्ष 2024-25 में परिचालन शुरू किया.

विवरण 10

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों की इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बीमा कंपनी	प्राप्त दावा अनुपात (%)											
		अग्नि		समुद्री		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1.	एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	94.50%	0.00%	-	0.00%	86.94%	85.95%	83.88%	56.91%	70.37%	89.50%	84.28%	69.57%
2.	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	35.23%	47.36%	64.95%	60.42%	74.48%	71.84%	74.27%	84.96%	74.53%	61.42%	72.92%	73.80%
3.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39.49%	78.47%	62.85%	76.32%	75.33%	75.05%	67.88%	66.67%	18.17%	68.06%	71.24%	73.66%
4.	फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	36.33%	79.55%	86.58%	54.66%	64.72%	68.10%	79.18%	84.62%	62.31%	57.35%	65.91%	71.85%
5.	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	38.20%	85.70%	91.11%	80.21%	68.76%	62.31%	71.87%	93.87%	56.41%	80.83%	67.23%	70.32%
6.	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	58.44%	87.37%	136.43%	90.15%	78.09%	100.61%	79.04%	80.98%	84.28%	77.78%	79.94%	87.70%
7.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	49.32%	62.23%	72.42%	73.38%	72.40%	65.21%	77.33%	78.85%	65.64%	75.42%	72.36%	70.79%
8.	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	53.48%	103.75%	83.46%	75.67%	83.34%	81.04%	111.18%	107.46%	68.28%	73.61%	88.57%	86.33%
9.	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	50.69%	31.30%	138.48%	310.97%	80.53%	73.25%	56.01%	59.06%	35.56%	26.96%	69.50%	65.56%
10.	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.54%
11.	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	26.98%	31.83%	105.82%	92.97%	73.73%	75.69%	74.17%	79.92%	42.93%	53.73%	72.30%	75.29%
12.	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	26.55%	41.47%	187.70%	190.33%	73.36%	78.86%	72.10%	87.46%	422.87%	72.22%	72.62%	79.88%
13.	नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	6.08%	-2.57%	-	-	136.77%	61.84%	59.28%	59.40%	81.79%	-34.09%	76.11%	52.40%
14.	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	119.94%	-291.26%	-358.18%	-3576.10%	83.02%	78.09%	138.67%	106.27%	40.98%	47.08%	78.48%	77.91%
15.	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	28.98%	50.46%	94.27%	98.94%	79.62%	78.19%	86.31%	89.42%	77.43%	86.30%	77.20%	81.06%
16.	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	34.19%	81.85%	62.93%	71.20%	79.29%	74.91%	83.36%	92.06%	-94.73%	33.87%	76.99%	77.62%
17.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	51.70%	88.29%	134.13%	161.67%	89.97%	84.53%	73.92%	87.86%	74.99%	78.40%	78.73%	85.90%
18.	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	29.03%	68.26%	-94.29%	23.01%	69.86%	63.57%	51.53%	47.47%	31.08%	45.33%	68.33%	63.00%
19.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	46.77%	64.85%	89.81%	92.50%	73.81%	66.98%	78.33%	77.94%	47.54%	71.46%	73.60%	71.43%
20.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	55.33%	92.02%	77.54%	131.39%	83.46%	77.30%	82.84%	105.76%	54.08%	71.93%	78.18%	81.74%
21.	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	2.95%	84.17%	482.79%	1247.72%	79.83%	75.63%	89.59%	88.45%	104.18%	77.73%	82.21%	82.64%
	निजी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों का औसत	**44.11%**	**69.67%**	**87.90%**	**83.50%**	**75.60%**	**73.30%**	**80.09%**	**83.49%**	**69.58%**	**74.98%**	**75.13%**	**76.49%**
22.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	87.54%	82.61%	23.42%	29.14%	108.81%	111.21%	102.35%	90.83%	117.20%	75.24%	100.85%	95.90%
23.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	62.27%	80.08%	65.24%	48.14%	97.52%	100.64%	103.33%	105.87%	68.88%	56.84%	95.59%	97.36%
24.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	61.73%	105.69%	61.20%	87.48%	106.66%	102.09%	130.09%	101.96%	51.00%	82.44%	112.14%	98.89%
25.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	58.47%	77.99%	59.16%	48.23%	103.43%	86.95%	89.57%	109.23%	90.63%	90.48%	92.85%	96.50%
	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों का औसत	**66.96%**	**83.46%**	**56.89%**	**54.01%**	**102.55%**	**99.57%**	**105.77%**	**103.16%**	**78.15%**	**75.26%**	**99.02%**	**97.23%**
26.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	94.35%	95.59%	94.35%	95.59%
27.	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-74.70%	-90.25%	-74.70%	-90.25%
	विशिष्ट बीमाकर्ताओं का औसत	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**73.71%**	**66.58%**	**73.71%**	**66.58%**
28.	आदित्य बिड़ला स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	64.68%	68.31%	लागू नहीं	लागू नहीं	64.68%	68.31%
29.	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	53.82%	57.69%	लागू नहीं	लागू नहीं	53.82%	57.69%
30.	गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
31.	मणिपालसिग्मा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	64.66%	63.78%	लागू नहीं	लागू नहीं	64.66%	63.78%
32.	नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	54.05%	59.02%	लागू नहीं	लागू नहीं	54.05%	59.02%
34.	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35.	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	65.00%	66.47%	लागू नहीं	लागू नहीं	65.00%	66.47%
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का औसत	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**61.44%**	**63.63%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**61.44%**	**63.63%**
	कुल योग	**57.99%**	**78.33%**	**75.13%**	**72.39%**	**84.48%**	**81.98%**	**87.27%**	**86.35%**	**73.10%**	**72.78%**	**82.95%**	**82.52%**

टिप्पणी:
स्वास्थ्य में व्यक्तिगत दुर्घटना शामिल है
लागू नहीं - यह दर्शाता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान या संबंधित खंड में परिचालन में नहीं था।
बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनर्वर्गीकरण/पुनर्गठन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।
वित्त वर्ष 2024-25 में व्यवसाय संचालन शुरू किया

विवरण 11

जीवन बीमा कंपनियों की शोधन क्षमता की स्थिति

क्र.सं.	बीमा कंपनी	जून 2023	सितंबर 2023	दिसंबर 2023	मार्च 2024
	सार्वजनिक क्षेत्र				
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	1.89	1.90	1.93	1.98
	निजी क्षेत्र				
2	एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	2.76	2.74	2.67	2.36
3	आदित्य बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.80	1.88	1.91	1.78
4	बंधन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में एगॉन लाइफ के नाम से जाना जाता था)	2.67	2.54	2.47	2.48
5	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3.22	3.22	3.13	2.97
6	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.85	1.89	1.88	1.83
7	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4.75	4.66	4.46	4.32
8	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.70	1.66	1.63	1.62
9	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.44	2.29	2.20	2.13
10	क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	3.28	3.21	3.38	3.35
11	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.16	1.95	1.87	1.79
12	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.40	2.22	2.04	1.83
13	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	1.82	1.56	2.45	2.07
14	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.00	1.94	1.90	1.87
15	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	2.03	1.99	1.96	1.92
16	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.25	2.15	2.12	2.01
17	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	2.68	2.70	2.66	2.56
18	मैक्सलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.88	1.84	1.79	1.72
19	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.81	1.74	1.70	1.71
20	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3.49	3.04	2.82	2.62
21	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.23	2.22	2.19	2.27
22	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड***	–	–	–	–
23	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.15	2.12	2.09	1.96
24	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.98	1.92	1.95	2.06
25	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.18	2.03	2.02	2.03
26	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.78	2.05	1.95	1.75

**** सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई आदेश सं. आईआरडीएआई/एफएंडआई/ओआरडी/विविध/119/6/2023 दिनांक 2 जून, 2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है।*

विवरण 12

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों का शोधन क्षमता की स्थिती

क्र. सं.	बीमा कंपनी	जून 2023	सितंबर 2023	दिसंबर 2023	मार्च 2024
	निजी क्षेत्र बीमाकर्ता				
1	एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	2.24	2.77	2.18	1.89
2	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3.88	3.52	3.55	3.49
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.96	1.89	1.79	1.79
4	फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.27	2.25	2.28	2.26
5	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	1.69	1.62	1.60	1.61
6	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.85	1.91	1.87	1.68
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.53	2.59	2.57	2.62
8	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.68	1.77	1.68	1.72
9	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.98	1.85	1.62	1.85
10	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	–	1.71	1.73	1.80
11	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	1.97	1.79	1.73	1.76
12	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.32	2.02	2.10	2.05
13	नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	2.88	3.60	3.81	3.93
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.01	2.33	2.22	2.01
15	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.57	1.68	1.59	1.62
16	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.62	2.62	2.54	2.42
17	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.03	1.98	1.97	2.25
18	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4.83	4.66	4.30	4.02
19	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.96	2.16	2.13	2.09
20	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.72	1.73	1.73	1.80
21	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.67	1.92	1.76	1.72
	सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियाँ				
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-0.43	-0.35	-0.37	-0.45
23	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.85	1.7	1.72	1.81
24	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-1.03	-0.92	-0.88	-1.06
25	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-0.42	-0.38	-0.48	-0.59
	विशिष्ट बीमाकर्ता				
26	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.64	2.67	3.01	3.34
27	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड.	48.88	47.50	47.64	47.87
	स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
28	आदित्य बिड़ला स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड	2.39	2.13	1.73	1.67
29	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड.	1.80	1.73	1.73	1.74
30	मणिपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.62	1.57	1.56	1.66
31	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.74	1.62	2.56	2.55
32	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.18	2.13	2.23	2.21
	पुनर्बीमाकर्ता				
33	भारतीय साधारण बीमा निगम	2.88	2.82	2.94	3.25

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं शोधन क्षमता

क्र.सं.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक
1	एलियांज ग्लोबल	2.64	4.02
2	एक्सा फ्रांस वी	2.42	8.66
3	फैक्ट्री म्यूचुअल	2.92	3.38
4	जेन री	2.06	2.36
5	हनोवर री	2.25	2.34
6	लॉयड्स ऑफ इंडिया	2.53	2.92
7	म्यूनिख री	1.79	1.83
8	आरजीए लाइफ	2.41	2.52
9	स्कोर एसई	4.01	3.05
10	स्विस री	3.88	2.04
11	एक्स एल एस ई बीमा	3.00	3.62

विवरण 14

एफआरबी सहित पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल पुनर्बीमा प्रीमियम (करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्बीमाकर्ता	भारतीय व्यापार		विदेशी व्यापार		कुल	
		2022–23	2023–24	2022–23	2023–24	2022–23	2023–24
1	जीआईसी री	25,384.50	25,804.02	11,207.09	11,377.73	36,591.59	37,181.76
	एफआरबी						
2	स्विस री	2,377.17	7,723.37	-1.81	4.75	2,375.36	7,728.12
3	म्यूनिख री	9,410.89	10,114.45	119.82	121.37	9,530.71	10,235.81
4	एक्सा फ्रांस वी	979.25	85.81	–	–	979.25	85.81
5	स्कोर एसई	761.70	2,513.17	–	–	761.70	2,513.17
6	एक्सएल एसई	185.49	287.01	–	–	185.49	287.01
7	हनोवर री	2,558.26	2,078.66	0.55	1.58	2,558.81	2,080.24
8	आरजीए लाइफ	310.84	356.46	0.63	0.16	311.47	356.62
9	जेन री	870.55	1,012.65	–	–	870.55	1,012.65
10	मार्केल (लॉयड्स)	131.91	150.00	–	–	131.91	150.00
11	एलियांज ग्लोबल	189.77	208.55	55.83	54.64	245.59	263.18
12	फैक्ट्री म्यूचुअल	135.17	218.91	–	–	135.17	218.91
	एफआरबी कुल	**17,910.99**	**24,749.03**	**175.01**	**182.49**	**18,085.99**	**24,931.52**
	कुल योग	**43,295.49**	**50,553.05**	**11,382.10**	**11,560.23**	**54,677.58**	**62,113.28**

विवरण 15

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की आवंटित पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के दौरान आसव	31 मार्च 2024 तक
1	एलियांज ग्लोबल	286.97	61.88	348.85
2	एक्सा फ्रांस वी	730.76	1.11	731.87
3	फैक्ट्री म्यूचुअल	160.80	0.00	160.80
4	जेन री	959.70	0.00	959.70
5	हनोवर री	886.86	-109.83	777.03
6	लॉयड्स ऑफ इंडिया	105.00	0.00	105.00
7	म्यूनिख री	4641.10	0.00	4641.10
8	आरजीए लाइफ	3463.97	296.74	3760.71
9	स्कोर एसई	975.16	0.00	975.16
10	स्विस री	3126.88	0.00	3126.88
11	एक्सएल एसई बीमा	233.35	0.00	233.35
	कुल	**15570.55**	**249.90**	**15820.45**

विवरण 16

जीवन बीमा कंपनियों के प्रबंधन के तहत आस्तियाँ (31 मार्च तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	जीवन निधि											
		केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास एवं अवसंरचना निवेश		स्वीकृत निवेश		अन्य निवेश		कुल (जीवन निधि)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	84.45		-		35.00	-	39.12	-	0.67	-	159.25
2.	आदित्य बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस क.लि.	16,059.28	21,758.80	1,669.28	1,761.17	6,953.56	7,297.72	4,298.12	6,021.17	575.67	629.70	29,555.91	37,468.56
3.	बंधन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में एगॉन लाइफ के नाम से जाना जाता था)	1,183.31	1,136.62	498.61	663.23	670.91	674.35	756.38	885.69	25.02	-	3,134.23	3,359.90
4.	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	3,011.66	3,086.04	3,517.80	3,852.72	1,854.33	2,025.12	1,345.39	2,063.25	77.95	38.96	9,807.13	11,066.09
5.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,047.38	5,318.73	1,804.48	2,323.46	1,466.44	1,678.11	254.08	157.42	19.10	38.09	8,591.48	9,515.82
6.	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	19,325.61	21,379.30	4,209.50	7,197.85	6,581.41	5,572.80	11,376.08	13,547.00	873.67	700.42	42,366.27	48,397.37
7.	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,218.28	6,187.60	1,818.31	1,903.61	1,936.96	2,202.19	1,308.74	1,882.03	265.32	194.63	10,547.62	12,370.07
8.	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	4,363.04	5,149.56	3,232.44	4,913.62	2,486.75	2,496.06	1,716.50	2,755.79	141.75	32.46	11,940.49	15,347.49
9.	क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	80.68	-	9.90	-	27.42	-	23.36	-	7.88	-	149.25
10.	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	2,384.27	2,947.34	106.39	222.81	729.84	1,039.88	851.67	880.81	484.10	428.03	4,556.28	5,518.87
11.	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	3,528.61	3,900.67	392.89	383.57	918.24	1,089.55	420.51	737.22	2.24	46.02	5,262.48	6,157.03
12.	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	148.00	-	-	-	52.88	-	74.64	-	5.74	-	281.27
13.	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	58,304.52	75,563.14	10,888.03	15,623.67	19,217.11	23,328.08	19,729.44	20,608.32	2,453.18	2,304.08	1,10,592.27	1,37,427.29
14.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इश. क.लि.	49,060.76	59,456.82	5,863.60	6,658.14	13,823.73	16,485.93	15,047.08	17,616.84	2,197.10	1,919.25	85,992.27	1,02,136.98
15.	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	2,471.37	3,982.38	2,705.33	3,380.85	1,656.71	2,064.83	1,144.57	1,648.09	71.59	65.00	8,049.57	11,141.14
16.	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	24,503.26	29,818.68	1,653.22	2,881.55	6,543.82	7,584.34	4,661.72	4,698.40	738.96	1,054.63	38,100.98	46,037.61
17.	मैक्सलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	44,935.22	52,802.12	7,516.72	8,549.34	13,592.36	17,056.56	13,811.04	14,552.85	2,315.77	3,062.34	82,171.12	96,023.21
18.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस क.लि.	12,438.72	13,773.52	5,064.19	6,335.23	7,462.50	6,948.44	3,798.30	6,570.94	255.32	218.20	29,019.04	33,846.33
19.	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,984.52	3,400.07	476.69	793.97	1,284.03	1,234.13	647.35	684.22	37.10	43.97	5,429.69	6,156.36
20.	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	13,725.38	15,017.27	3,663.89	4,446.89	3,906.44	4,963.80	1,748.48	2,047.62	125.74	102.98	23,169.94	26,578.57
21.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	671.60	-	196.94	-	449.67	-	87.38	-	17.62	-	1,423.21	-
22.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	41,780.24	53,870.24	5,643.23	5,689.37	15,232.49	17,701.27	19,077.33	20,949.77	2,308.97	2,489.20	84,042.26	1,00,699.85
23.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,634.56	3,226.27	2,053.84	2,428.35	2,051.73	2,061.50	950.08	1,783.27	58.30	72.69	7,748.52	9,572.08
24.	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	6,052.11	6,225.62	1,684.49	3,425.75	1,878.45	2,593.15	1,051.46	1,193.30	94.09	165.16	10,760.60	13,602.98
25.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30,673.74	41,094.88	88.12	69.76	8,035.26	10,042.74	5,073.14	6,883.38	649.39	1,164.02	44,519.65	59,254.78
	निजी कुल	**3,50,357.44**	**4,29,408.82**	**64,747.98**	**83,514.80**	**1,18,732.76**	**1,36,255.88**	**1,09,154.85**	**1,28,304.51**	**13,787.95**	**14,784.12**	**6,56,780.99**	**7,92,268.13**
26.	एलआईसी	12,71,063.52	13,77,418.00	6,02,679.07	6,63,690.00	2,15,210.22	2,43,610.00	6,45,442.42	7,61,159.76	1,27,204.88	83,637.03	28,61,600.11	31,29,514.79
	उद्योग कुल	**16,21,420.96**	**18,06,826.82**	**6,67,427.05**	**7,47,204.80**	**3,33,942.98**	**3,79,865.88**	**7,54,597.27**	**8,89,464.27**	**1,40,992.84**	**98,421.15**	**35,18,381.10**	**39,21,782.92**

*नोट: *सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.6.2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया जाता है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।*

जीवन बीमा कंपनियों के प्रबंधन के तहत आस्तियाँ (31 मार्च तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बीमा	कंपनी पेंशन एवं सामान्य वार्षिकी एवं समूह निधि							
		केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		स्वीकृत निवेश		कुल (पेंशन एवं सामान्य वार्षिकी एवं समूह निधि)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आदित्य बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	4,438.32	5,138.37	979.92	1,278.81	4,405.46	5,871.65	9,823.70	12,288.83
3.	बंधन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में एगॉन लाइफ के नाम से जाना जाता था)	4.19	4.20	-	-	0.98	1.50	5.17	5.70
4.	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	327.02	342.20	226.81	266.81	357.20	487.28	911.03	1,096.29
5.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	217.08	205.35	13.89	34.22	44.90	43.05	275.86	282.62
6.	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	7,504.17	7,041.53	1,888.51	3,197.89	4,051.04	5,479.54	13,443.72	15,718.96
7.	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	180.76	266.09	136.54	129.13	307.20	291.54	624.50	686.76
8.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	1,211.95	1,347.00	1,283.13	1,531.71	2,791.85	3,169.54	5,286.93	6,048.25
9.	क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	31.95	-	-	-	35.22	-	67.17
10.	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	211.63	206.42	6.02	6.02	60.78	87.93	278.43	300.37
11.	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	270.01	261.57	288.48	265.84	577.95	553.21	1,136.45	1,080.61
12.	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	67.25	-	-	-	50.41	-	117.66
13.	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	24,155.59	27,457.43	10,563.35	16,315.63	12,481.68	10,394.66	47,200.62	54,167.72
14.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	10,250.67	11,739.36	2,127.40	2,838.83	4,014.05	5,262.73	16,392.12	19,840.92
15.	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,771.54	2,070.31	2,258.18	2,217.58	1,612.30	1,704.88	5,642.02	5,992.77
16.	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	1,958.85	3,002.84	478.20	716.70	683.29	784.26	3,120.33	4,503.80
17.	मैक्सलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,871.41	2,867.78	1,106.33	2,622.90	1,680.57	1,734.65	4,658.30	7,225.32
18.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,512.50	1,684.56	353.55	546.54	341.03	549.06	2,207.08	2,780.16
19.	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	600.90	777.64	129.66	196.64	703.46	934.15	1,434.03	1,908.43
20.	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	176.45	191.64	135.48	148.65	29.85	52.87	341.78	393.16
21.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	3.23	-	-	-	-	-	3.23	-
22.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	26,620.13	33,116.91	14,599.67	17,636.85	16,896.06	17,631.11	58,115.86	68,384.87
23.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	230.35	253.08	247.25	358.26	321.77	413.88	799.37	1,025.22
24.	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	1,447.49	2,183.88	1,873.62	2,417.46	1,854.97	2,245.74	5,176.07	6,847.07
25.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,666.42	3,748.80	62.28	49.54	557.32	763.09	3,286.02	4,561.42
	निजी कुल	**87,630.66**	**1,04,006.15**	**38,758.26**	**52,776.01**	**53,773.70**	**58,541.94**	**1,80,162.61**	**2,15,324.09**
	एलआईसी	4,73,237.81	5,26,422.68	4,54,229.43	4,95,529.32	2,28,408.24	2,37,073.12	11,55,875.49	12,59,025.12
	उद्योग कुल	**5,60,868.46**	**6,30,428.83**	**4,92,987.69**	**5,48,305.33**	**2,82,181.95**	**2,95,615.06**	**13,36,038.10**	**14,74,349.21**

*नोट: *सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.6.2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया जाता है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।*

जीवन बीमा कंपनियों के प्रबंधन के तहत आस्तियाँ (31 मार्च तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	बीमा कंपनी	यूनिट लिंक्ड फंड						कुल (सभी निधियां)	
		स्वीकृत निवेश		अन्य निवेश		कुल (यूलिप फंड)			
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	-	-	-	-	-	-	159.25
2.	आदित्य बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	28,965.03	33,388.17	1,542.38	2,617.48	30,507.41	36,005.65	69,887.02	85,763.04
3.	बंधन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में एगॉन लाइफ के नाम से जाना जाता था)	841.24	987.33	115.18	71.72	956.42	1,059.06	4,095.82	4,424.66
4.	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,727.79	4,584.82	236.02	244.69	3,963.81	4,829.51	14,681.97	16,991.89
5.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,130.24	3,744.37	344.83	299.75	3,475.07	4,044.12	12,342.41	13,842.56
6.	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30,518.59	39,814.13	3,067.58	3,869.96	33,586.17	43,684.09	89,396.16	1,07,800.42
7.	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,584.78	2,088.85	181.37	156.79	1,766.14	2,245.64	12,938.26	15,302.47
8.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	11,752.65	14,611.13	1,186.80	1,306.46	12,939.45	15,917.59	30,166.88	37,313.33
9.	क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	-	-	-	-	-	-	216.42
10.	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	1,567.42	1,880.49	178.58	220.13	1,746.00	2,100.62	6,580.71	7,919.86
11.	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	626.87	643.59	65.89	95.79	692.76	739.38	7,091.69	7,977.02
12.	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	-	-	-	-	-	-	-	398.93
13.	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	71,368.11	86,590.37	7,833.36	8,951.25	79,201.47	95,541.62	2,36,994.36	2,87,136.63
14.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	1,22,498.98	1,38,033.18	21,559.07	26,809.21	1,44,058.06	1,64,842.39	2,46,442.45	2,86,820.29
15.	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7,119.65	8,629.24	619.15	892.67	7,738.81	9,521.91	21,430.40	26,655.82
16.	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	20,809.61	25,752.40	1,931.83	2,933.42	22,741.44	28,685.82	63,962.74	79,227.23
17.	मैक्सलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	32,940.95	40,147.39	2,309.29	4,031.88	35,250.23	44,179.27	1,22,079.65	1,47,427.80
18.	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7,925.28	10,354.13	468.59	439.44	8,393.87	10,793.57	39,619.99	47,420.06
19.	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	333.85	334.00	25.13	23.61	358.98	357.62	7,222.69	8,422.41
20.	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6,347.60	7,378.38	617.76	694.50	6,965.35	8,072.88	30,477.08	35,044.61
21.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	66.61	-	4.59	-	71.20	-	1,497.64	-
22.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,51,231.09	2,00,070.78	12,024.45	15,939.49	1,63,255.54	2,16,010.27	3,05,413.66	3,85,094.99
23.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	406.48	491.46	22.35	29.05	428.83	520.51	8,976.71	11,117.81
24.	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	2,540.37	3,407.94	240.82	135.56	2,781.19	3,543.50	18,717.86	23,993.55
25.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	18,801.21	27,848.82	3,135.63	5,133.81	21,936.84	32,982.63	69,742.51	96,798.83
	निजी कुल	**5,25,104.38**	**6,50,780.97**	**57,710.65**	**74,896.68**	**5,82,815.03**	**7,25,677.65**	**14,19,758.63**	**17,33,269.87**
	एलआईसी	25,419.06	34,435.96	760.86	603.76	26,179.92	35,039.72	40,43,655.51	44,23,579.63
	उद्योग कुल	**5,50,523.44**	**6,85,216.93**	**58,471.51**	**75,500.44**	**6,08,994.95**	**7,60,717.37**	**54,63,414.15**	**61,56,849.50**

*नोट: *सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार आईआरडीएआई द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.6.2023 के तहत एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया जाता है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपरोक्त डेटा/सूचना में एसआईएलआईसी से संबंधित डेटा/सूचना शामिल नहीं है।*

विवरण 17

साधारण, स्वास्थ्य, विशिष्ट एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (31 मार्च तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	केंद्रीय प्रतिभूतियाँ सरकार		राज्य सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास एवं एफएफई के लिए राज्य सरकार को ऋण		अवसंरचना में निवेश		स्वीकृत निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	546.35	731.88	153.33	126.27	277.17	247.24	265.11	196.85	693.20	1,065.21	-	-	1,935.16	2,367.45
2	बजाज आलियांज जनरल इंश. कं. लि.	15,393.86	14,742.52	3,440.04	3,582.59	2,476.93	1,518.55	1,838.33	3,239.97	3,477.28	6,216.47	157.49	235.56	26,783.94	29,535.66
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश. कं. लि.	6,460.68	6,300.51	3,117.87	3,820.32	2,055.74	957.17	2,059.83	2,560.30	892.61	2,742.19	96.19	120.82	14,682.91	16,501.32
4	फ्यूचर जनरली इंडिया इंश. कं. लि.	1,669.09	1,866.14	1,838.26	1,996.58	795.96	723.02	1,353.16	1,434.93	1,090.43	1,455.73	26.19	25.42	6,773.11	7,501.82
5	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.	8,415.89	8,600.74	241.54	319.31	956.00	999.60	1,390.01	1,985.77	1,240.06	3,155.21	56.44	174.14	12,299.93	15,234.76
6	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश. कं. लि.	4,686.39	6,210.43	4,694.16	5,690.12	2,007.87	1,943.32	4,702.71	5,366.00	5,894.81	6,197.80	228.40	58.54	22,214.34	25,466.21
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश. कं. लि.	14,107.09	13,528.96	5,460.16	6,589.24	3,748.86	2,680.93	6,166.80	7,077.87	11,653.61	16,342.83	1,839.18	1,717.42	42,975.70	47,937.25
8	इफको टोकियो जनरल इंश. कं. लि.	5,395.73	5,825.36	3,213.33	3,513.90	1,839.21	1,801.82	3,527.74	2,403.17	2,602.18	4,032.49	3.22	1.55	16,581.41	17,578.29
9	कोटक महिंद्रा जनरल इंश. कं. लि.	875.10	1,104.51	187.42	95.04	323.83	250.21	39.99	310.77	317.46	519.83	-	15.00	1,743.80	2,295.36
10	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड*	-	124.10	-	23.11	-	14.98	-	64.82	-	175.13	-	-	-	402.13
11	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	836.49	942.26	769.76	928.72	449.54	329.95	675.07	800.82	977.54	1,037.51	-	-	3,708.40	4,039.26
12	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश. कं. लि.	2,064.52	2,237.69	778.75	1,018.59	452.85	486.19	1,025.92	1,414.94	847.06	1,760.97	89.94	89.95	5,259.04	7,008.32
13	नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	169.05	312.24	107.52	10.01	59.66	24.83	103.24	101.41	13.05	37.25	37.04	34.99	489.56	520.73
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश. कं. लि.	363.40	317.08	-	-	120.34	55.00	204.26	200.87	162.08	310.12	-	-	850.08	883.06
15	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	5,301.03	5,905.95	2,912.85	3,686.19	1,343.55	2,039.40	1,726.62	2,335.41	5,284.58	6,053.56	439.41	416.76	17,008.04	20,437.27
16	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	1,833.76	2,771.12	1,366.37	1,268.19	901.43	751.25	1,486.80	1,052.67	1,677.18	2,107.44	369.85	523.45	7,635.38	8,474.11
17	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	3,467.31	3,785.33	1,932.39	2,250.17	1,393.38	1,115.66	2,410.83	2,951.37	3,664.48	6,924.10	215.40	597.83	13,083.79	17,624.46
18	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,615.54	3,700.20	5.30	57.32	2,200.14	1,898.62	2,675.79	2,658.83	2,813.73	3,494.69	4.66	187.99	11,315.16	11,997.64
19	टाटा एआईजी जनरल इंश. कं. लि.	5,196.80	6,072.50	3,873.90	4,508.89	1,459.19	1,083.98	3,383.63	3,721.78	7,488.99	9,984.87	1,163.41	1,482.40	22,565.92	26,854.43
20	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश. कं. लि.	1,275.99	1,181.13	451.56	443.36	573.36	521.32	744.02	874.85	1,322.98	1,528.02	18.61	60.15	4,386.52	4,608.84
21	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	151.60	314.61	42.98	30.96	96.36	126.81	114.18	111.40	176.97	453.66	68.02	60.47	650.11	1,097.91
	निजी क्षेत्र कुल	**81,825.66**	**86,575.27**	**34,587.51**	**39,958.87**	**23,531.35**	**19,569.84**	**35,894.03**	**40,864.79**	**52,290.28**	**75,595.08**	**4,813.45**	**5,802.43**	**2,32,942.29**	**2,68,366.28**
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6,228.15	6,032.81	6,441.15	5,667.46	2,454.52	2,214.85	2,749.95	2,510.25	9,431.66	10,870.67	1,215.50	615.31	28,520.92	27,911.35
23	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	16,839.99	13,717.74	18,928.37	18,193.63	3,151.89	3,697.29	7,284.92	7,404.51	7,906.46	16,866.25	2,239.01	863.65	56,350.64	60,743.08
24	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,865.45	4,646.37	8,445.84	7,718.80	1,278.23	1,225.95	2,229.93	2,093.18	3,350.18	5,253.09	914.66	573.55	21,084.29	21,510.94
25	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8,539.22	8,288.91	8,715.28	8,483.65	2,098.81	1,924.44	3,978.21	3,919.62	7,639.10	8,899.65	1,789.34	1,103.31	32,759.96	32,619.58
	सार्वजनिक क्षेत्र कुल	**36,472.81**	**32,685.83**	**42,530.64**	**40,063.54**	**8,983.44**	**9,062.53**	**16,243.02**	**15,927.57**	**28,327.40**	**41,889.66**	**6,158.50**	**3,155.82**	**1,38,715.81**	**1,42,784.95**
26	आदित्य बिड़ला स्वास्थ्य बीमा कं.लि.	1,189.87	1,102.54	898.30	983.94	118.57	149.86	93.90	153.74	653.23	916.56	-	-	2,953.87	3,306.63
27	केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड.	1,565.56	1,942.93	275.85	534.08	386.56	401.47	1,568.43	1,914.78	1,272.81	1,802.02	12.74	9.72	5,081.95	6,605.00
28	मणिपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कं.लि.	341.16	377.06	365.51	412.68	126.15	105.59	264.45	357.80	322.59	439.55	7.24	2.67	1,427.10	1,695.35

* क्षेमा नई कंपनी है जिसने वित्त वर्ष 2023-24 में परिचालन शुरू किया है

जारी... कथन 17

साधारण, स्वास्थ्य, विशिष्ट एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ (31 मार्च तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	केंद्रीय प्रतिभूतियाँ सरकार		राज्य सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास एवं एफएफई के लिए राज्य सरकार को ऋण		अवसंरचना में निवेश		स्वीकृत निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
29	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कं.लि.	692.58	1,131.89	360.69	607.05	393.66	497.94	831.85	1,496.91	881.91	1,524.50	208.44	199.08	3,369.14	5,457.36
30	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश.कं.लि.	3,118.74	3,582.12	1,619.60	1,563.18	936.23	1,465.78	1,666.11	1,828.97	5,512.96	6,162.48	536.11	784.79	13,389.76	15,387.31
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्यकुल	**6,907.92**	**8,136.53**	**3,519.95**	**4,100.92**	**1,961.17**	**2,620.64**	**4,424.76**	**5,752.19**	**8,643.49**	**10,845.10**	**764.53**	**996.26**	**26,221.81**	**32,451.65**
31	जीआईसी ऑफ इंडिया	21,917.08	23,005.82	24,449.86	28,131.47	6,289.70	6,398.89	8,236.00	11,506.97	21,356.13	24,911.90	3,926.63	2,344.23	86,175.41	96,299.27
	पुनर्बीमाकर्ता कुल	**21,917.08**	**23,005.82**	**24,449.86**	**28,131.47**	**6,289.70**	**6,398.89**	**8,236.00**	**11,506.97**	**21,356.13**	**24,911.90**	**3,926.63**	**2,344.23**	**86,175.41**	**96,299.27**
32	एआईसी	4,240.98	4,021.50	4,377.51	4,090.35	2,047.57	2,015.75	998.16	977.54	4,158.74	4,186.52	52.04	72.00	15,875.00	15,363.66
33	ईसीजीसी	3,326.90	3,413.27	3,448.01	3,924.84	1,181.66	1,022.44	3,218.05	3,168.94	4,234.73	4,457.79	166.46	146.67	15,575.82	16,133.94
	विशिष्ट बीमाकर्ता कुल	7,567.89	7,434.77	7,825.52	8,015.19	3,229.22	3,038.19	4,216.22	4,146.48	8,393.47	8,644.31	218.50	218.67	31,450.82	31,497.60
	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ														
34	एलायंस ग्लोबल	155.82	196.06	122.21	120.18	-	24.84	157.40	75.17	44.71	79.71	-	-	480.14	495.96
35	एक्सा फ्रांस वीआईई	1,133.10	875.72	26.66	26.05	110.89	100.27	-	108.07	150.61	-	-	-	1,421.26	1,110.11
36	फैक्ट्री म्यूचुअल	144.14	166.80	-	-	-	15.62	-	35.59	-	-	-	-	144.14	218.01
37	जनरल रीइंश्योरेंस एजी भारत शाखा	917.29	1,045.85	-	76.07	-	75.09	247.77	219.49	-	34.70	-	-	1,165.06	1,451.20
38	हनोवर आरई	1,831.33	1,785.03	15.77	15.46	-	174.11	392.00	533.49	371.42	640.35	-	-	2,610.52	3,148.44
39	म्यूनिख आर.ई.	5,767.60	6,561.71	-	-	334.19	269.40	1,899.91	2,718.64	-	-	-	-	8,001.70	9,549.75
40	आरजीए लाइफ	2,721.57	3,189.16	-	-	-	-	611.13	604.16	30.75	59.42	-	-	3,363.45	3,852.74
41	स्कोर एसई	1,851.15	2,191.70	-	-	-	194.91	225.05	314.13	220.06	-	-	-	2,296.26	2,700.74
42	स्विस आरई	3,899.59	5,061.37	-	-	650.46	643.01	647.06	851.30	-	-	-	-	5,197.11	6,555.68
43	एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी एस.ई.	457.87	487.13	-	-	80.46	70.31	71.46	71.19	-	-	-	-	609.79	628.63
	एफआरबी कुल	**18,879.46**	**21,560.53**	**164.64**	**237.76**	**1,176.00**	**1,567.56**	**4,251.78**	**5,531.23**	**817.55**	**814.18**	**-**	**-**	**25,289.43**	**29,711.26**
	कुल योग	**1,73,570.81**	**1,79,398.74**	**1,13,078.12**	**1,20,507.75**	**45,170.89**	**42,257.65**	**73,265.80**	**83,729.23**	**1,19,828.33**	**1,62,700.23**	**15,881.62**	**12,517.41**	**5,40,795.58**	**6,01,111.02**

* क्षेमा नई कंपनी है जिसने वित्त वर्ष 2023-24 में परिचालन शुरू किया है

अनुबंध

भारत में कार्यरत पंजीकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची (31 मार्च 2024 तक)

जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

1 भारतीय जीवन बीमा निगम

निजी क्षेत्र

1 एको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2 आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3 एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4 एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5 अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6 बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7 भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8 केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9 क्रेडिटएक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
10 एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11 फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12 गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13 एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
14 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15 इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16 कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
17 मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
18 पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
19 प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
20 रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
21 सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
22 एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
23 श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
24 स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
25 टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

गैर-जीवन बीमाकर्ता

सार्वजनिक क्षेत्र

1 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2 न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

निजी क्षेत्र

1 एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.
2 बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3 चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4 एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5 फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
6 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड.
7 एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9 इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10 कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11 क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12 लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड
13 मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
14 नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती डीएचएफएल)
15 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
17 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
18 एसबीआई जनरल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
19 श्रीराम जनरल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
20 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
21 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

विशिष्ट बीमाकर्ता (सार्वजनिक क्षेत्र)

1 ईसीजीसी लिमिटेड
2 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (निजी क्षेत्र)

1 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
2 केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड.
3 गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4 मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5 नारायण हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड
6 निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7 रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड
8 स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 02.06.2023 के आदेश के तहत सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसआईएलआईसी) का जीवन बीमा कारोबार एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ) को हस्तांतरित किया जाता है।

प्राधिकरण ने दिनांक 06 नवंबर, 2019 के आदेश संदर्भ संख्या आईआरडीए/एफए/ओआरडी/एसओएलपी/200/11/2019 के माध्यम से रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड को नई पॉलिसियों की बिक्री बंद करने के निर्देश जारी किए।

भारत में कार्यरत पंजीकृत बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची
(31 मार्च 2024 तक)

पुनर्बीमा कंपनियों

सार्वजनिक क्षेत्र

1 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई)

निजी क्षेत्र

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाएँ

1 एलियांज ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड स्पेशियलिटी एसई, भारत
2 एक्सा फ्रांस वी-इंडिया पुनर्बीमा शाखा
3 जनरल रीइंश्योरेंस एजी-भारत शाखा
4 हनोवर रक एसई-भारत शाखा
5 मुंचनर रूकवर्सिचेरुंग्स-गेसेलशाफ्ट अक्तीएंजेसेलशाफ्ट-भारत शाखा
6 आरजीए लाइफ़ रीइंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ कनाडा-भारत शाखा
7 स्कोर एसई-भारत शाखा
8 स्विस रीइंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत शाखा
9 एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी एसई, भारत पुनर्बीमा शाखा
10 फैक्ट्री म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, भारत शाखा

लॉयड्स

1 लॉयड्स इंडिया पुनर्बीमा शाखा
i. मार्केल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

अनुबंध 2(i)

भारतीय बाजार में आतंकवाद जोखिम बीमा पूल में सदस्यों की हिस्सेदारी
(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	सदस्य कंपनी	2022–23		2023–24	
		प्रति जोखिम क्षमता	शेयर (% में)	प्रति जोखिम क्षमता	शेयर (% में)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	333.69	16.68%	333.69	16.68%
2	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	333.69	16.68%	333.69	16.68%
3	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	250.05	12.50%	250.05	12.50%
4	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	238.31	11.92%	238.31	11.92%
5	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	180.84	9.04%	180.84	9.04%
6	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	106.28	5.31%	106.28	5.31%
7	इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	78.64	3.93%	78.64	3.93%
8	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39.72	1.99%	39.72	1.99%
9	चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39.06	1.95%	39.06	1.95%
10	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	31.46	1.57%	31.46	1.57%
11	फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	28.16	1.41%	28.16	1.41%
12	रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	27.72	1.39%	27.72	1.39%
13	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20.81	1.04%	20.81	1.04%
14	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	167.62	8.38%	167.62	8.38%
15	सरकारी बीमा कोष, गुजरात	20	1.00%	20	1.00%
16	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20	1.00%	20	1.00%
17	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15.62	0.78%	15.62	0.78%
18	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15	0.75%	15	0.75%
19	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10.32	0.52%	10.32	0.52%
20	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10	0.50%	10	0.50%
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10	0.50%	10	0.50%
22	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	0.05%	1	0.05%
23	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी	10	0.50%	10	0.50%
24	नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2	0.10%	2	0.10%
25	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एडलवाइस)	10	0.50%	10	0.50%
	कुल	**2000**	**100.00%**	**2000**	**100.00%**

अनुबंध 2(ii)

भारतीय परमाणु बीमा पूल में सदस्यों का हिस्सा
(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सदस्य कंपनी	2022–23		2023–24	
		प्रति जोखिम क्षमता	में शेयर %)	प्रति जोखिम क्षमता	में शेयर %)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	600	40.00%	600	40.00%
2	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	300	20.00%	300	20.00%
3	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी	200	13.33%	200	13.33%
4	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	100	6.67%	100	6.67%
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया	100	6.67%	100	6.67%
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी	100	6.67%	100	6.67%
7	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20	1.33%	20	1.33%
8	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20	1.33%	20	1.33%
9	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	20	1.33%	20	1.33%
10	चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15	1.00%	15	1.00%
11	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15	1.00%	15	1.00%
12	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	10	0.67%	10	0.67%
	कुल	**1500**	**100.00%**	**1500**	**100.00%**

अनुबंध 2(iii)

समुद्री कार्गो बहिष्कृत क्षेत्र पूल में सदस्यों का हिस्सा
(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सदस्य कंपनी	2022–23		2023–24	
		प्रति जोखिम क्षमता	शेयर (% में)	प्रति जोखिम क्षमता	शेयर
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	250	51.57%	250	52.21%
2	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया	30	6.19%	30	6.27%
3	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	40	8.25%	40	8.35%
4	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30	6.19%	30	6.27%
5	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी	20	4.13%	20	4.18%
6	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2.5	0.52%	2.5	0.52%
7	चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	0.21%	1	0.21%
8	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एडलवाइस)	0.3	0.06%	0.3	0.06%
9	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी.	3	0.62%	5	1.04%
10	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6	1.24%	6	1.25%
11	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी	30	6.19%	30	6.27%
12	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8	1.65%	8	1.67%
13	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	0.21%	1	0.21%
14	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5	1.03%	5	1.04%
15	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8	1.65%	8	1.67%
16	रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4	0.83%	4	0.84%
17	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5	1.03%	5	1.04%
18	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	0.21%	1	0.21%
19	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	30	6.19%	30	6.27%
20	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी	2	0.41%	2	0.42%
21	फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8	1.65%	0	0.00%
	कुल योग	484.8	100.00%	478.8	100.00%

अनुबंध 3

वित्तीय वर्ष 2023–24 में साधारण बीमाकर्ता का मोटर थर्ड पार्टी बीमा बाजार हिस्सेदारी

क्र.सं.	बीमा कंपनी	जीडीपी (₹करोड़)	बाजार हिस्सेदारी
1	एको जनरल	519	0.95%
2	बजाज आलियांज	3,149	5.78%
3	चोल एमएस	2,946	5.41%
4	फ्यूचर जनरली	940	1.73%
5	गो डिजिट	3,514	6.45%
6	एचडीएफसी एर्गो	2,645	4.86%
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	4,894	8.99%
8	इफको टोकियो	2,207	4.05%
9	कोटक महिंद्रा	324	0.59%
10	क्षेमा जनरल	–	0.00%
11	लिबर्टी जनरल	638	1.17%
12	मैग्मा एचडीआई	1,488	2.73%
13	नवी जनरल	15	0.03%
14	रहेजा क्यूबीई	135	0.25%
15	रिलायंस जनरल	2,566	4.71%
16	रॉयल सुंदरम	1,600	2.94%
17	एसबीआई जनरल	1,893	3.48%
18	श्रीराम जनरल	2,157	3.96%
19	टाटा एआईजी	4,085	7.50%
20	यूनिवर्सल सोम्पो	1,179	2.17%
21	ज़ूनो जनरल	189	0.35%
22	राष्ट्रीय	3,432	6.30%
23	द न्यूइंडिया	5,993	11.01%
24	ओरिएंटल	2,959	5.43%
25	यूनाइटेड इंडिया	4,987	9.16%
	कुल योग	**54,456**	**100%**

नोट:

पिछले वित्तीय वर्ष में सामान्य बीमाकर्ता का मोटर थर्ड पार्टी बीमा बाजार हिस्सा	पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में माल वाहन, यात्री वाहन और ट्रैक्टर (विविध खंड) की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग–अलग
2% तक	12.5%
2% – 5%	10%
5% – 10%	7.5%
10% से अधिक	5%

प्रत्येक बीमाकर्ता को विनियमों की अधिसूचना के बाद पहले वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 5000 मालवाहक वाहनों, 5000 यात्री वाहनों और 1,000 ट्रैक्टरों (विविध खंडों) का बीमा करना होगा।

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/निर्देश

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	तारीख	जानकारी प्रकार	विषय
1	आईआरडीएआई/एफआई/ सीआईआर/ईओएम/84/4/2023	वित्त और निवेश	05-04-2023	परिपत्र	आईआरडीएआई(जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2023 – स्पष्टीकरण
2	आईआरडीएआई/आईआईडी/ सीआईआर/विविध/86/4/2023	बीमा समावेशन और विकास	19-04-23	परिपत्र	डब्ल्यूएमडी यूएपीए नोडल अधिकारी पर परिपत्र
3	आईआरडीएआई/एफआई/ सीआईआर/आरआईसी/90/4/2023	वित्त और निवेश	24-04-23	परिपत्र	भारतीय बीमा कंपनी के पंजीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र, 2023
4	आईआरडीएआई/लाइफ/सीआईआर/ विविध/99/5/2023	जीवन	03-05-23	परिपत्र	क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बीमा पॉलिसी पर लिए गए ऋण के चुकौती की सुविधा को रोकने के अनुदेश
5	आईआरडीएआई/एचएलटी/ सीआईआर/पीआरओ/01/05/2023	स्वास्थ्य	10-05-23	परिपत्र	सरोगेसी अधिनियम 2021 और एआरटी अधिनियम 2021 तथा उनके अधीन संबंधित नियम
6	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ एसआईसी/104/5/2023	गैर-जीवन	15-05-23	परिपत्र	प्रतिभू बीमा दिशानिर्देशों का आशोधन
7	आईआरडीएआई/आईएनटी/ सीआईआर/विविध/108/5/2023	मध्यवर्ती	19-05-23	परिपत्र	एनओसी, आरओसी की अपेक्षा अथवा अन्य संबंधित सूचना के लिए पत्र-व्यवहार के एकल स्थान के रूप में समर्पित ई-मेल आईडी
8	आईआरडीएआई/एफआई/ सीआईआर/आईएनवी/121/6/2023	वित्त और निवेश	05-06-23	परिपत्र	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) में निवेश
9	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ जीडीएल/122/6/2023	गैर-जीवन	05-06-23	परिपत्र	बालासोर में घटित रेल दुर्घटना के पीडितों के बीमा दावों के निपटान संबंधी परिपत्र
10	आईआरडीएआई/एचएलटी/ सीआईआर/विविध/123/6/2023	स्वास्थ्य	08-06-23	परिपत्र	प्रस्तावकों की एबीएचए (आभा) संख्या प्राप्त करने के लिए सुविधा का निर्माण
11	आईआरडीएआई/एचएलटी/ सीआईआर/विविध/124/6/2023	स्वास्थ्य	08-06-23	परिपत्र	स्वास्थ्य दावा विनिमय (एचसीएक्स) विशिष्टियों और ई-दावा मानकों का परीक्षण और अंगीकरण
12	आईआरडीएआई/आईएनटी/ सीआईआर/विविध/129/6/2023	मध्यवर्ती	13-06-23	परिपत्र	अतिरिक्त परिपत्रोंदिशानिर्देशोंस्पष्टीकरणों आदि का निरसन
13	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ विविध/133/6/2023	गैर-जीवन	16-06-23	परिपत्र	चक्रवात बिपरजाय से संबंधित बीमा दावे
14	आईआरडीएआई/एसीटीएल/ सीआईआर/पीआरओ/135/6/2023	बीमांकिक	19-06-23	परिपत्र	जीवन बीमा उत्पादों के लिए यूज और फाइल प्रक्रिया
15	आईआरडीएआई/लाइफ/ सीआईआर/पीआरओ/138/6/2023	जीवन	26-06-23	परिपत्र	सरोगेसी अधिनियम, 2021 और एआरटी अधिनियम, 2021 तथा उनके अधीन संबंधित नियम
16	आईआरडीएआई/एफआई/ सीआईआर/आईएनवी/139/6/2023	वित्त और निवेश	27-06-23	परिपत्र	वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेशों की निगरानी

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/निर्देश

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	तारीख	जानकारी प्रकार	विषय
17	आईआरडीएआई/एनएल/पीएनटी/विविध/140/6/2023	गैर-जीवन	28-06-23	सार्वजनिक नोटिस	भारतीय को-आपरेटिव जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पर जनसाधारण को चेतावनी
18	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/146/7/2023	गैर-जीवन	17-07-23	परिपत्र	हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली क्षेत्रों में बाढ़ से संबंधित बीमा दावे
19	आईआरडीएआई/एफआई/सीआईआर/आईएनवी/155/8/2023	वित्त और निवेश	04-08-23	परिपत्र	एचडीएफसी बैंक लि. के साथ विलय के बाद एचडीएफसी लि. में बीमाकर्ताओं के निवेशों के लिए छूट
20	आईआरडीएआई/आरबीसी/सीआईआर/एमएम/158/8/2023	जोखिम आधारित पूंजी (आरबीसी)	09-08-23	परिपत्र	भारतीय जोखिम आधारित पूँजीगत ढाँचे के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन - मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन-1
21	आईआरडीएआई/एनएल/पीएनटी/विविध/160/8/2023	गैर-जीवन	22-08-23	सार्वजनिक नोटिस	स्युरिटी सेवेन' नाम की अपंजीकृत संस्था के सम्बन्ध में जनसाधारण को चेतावनी
22	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/161/8/2023	गैर-जीवन	24-08-23	परिपत्र	हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से संबंधित बीमा दावे
23	आईआरडीएआई/पीपीजीआर/सीआईआर/विविध/164/8/2023	पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण	15-09-23	परिपत्र	अयाचित वाणिज्यिक संचार के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए टीआरएआई से निदेश
24	आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/166/8/2023	बीमांकिक	31-08-23	परिपत्र	जीवन बीमाकर्ताओं के प्रत्याहरित उत्पादों के लिए अनुमत आशोधन
25	आईआरडीएआई/लाइफ/सीआईआर/जीडीएल/174/10/2023	जीवन	09-10-23	परिपत्र	आईआरडीएआई बीमा वाहक दिशानिर्देश, 2023
26	आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/विविध/175/10/2023	बीमा समावेशन और विकास	09-10-23	परिपत्र	डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर परिपत्र में संशोधन
27	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/जीडीएल/176/10/2023	गैर-जीवन	09-10-23	परिपत्र	व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देश, 2021 - दिशानिर्देश 5.3क का आशोधन - टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर प्रतिवर्ती फैक्टरिंग की अनुमति देना
28	आईआरडीएआई/आईआईडी/जीडीएल/विविध/177/10/2023	बीमा समावेशन और विकास	10-10-23	दिशा-निर्देश	धन-शोधन निवारण_ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी मास्टर दिशानिर्देशों का संशोधन
29	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/मोटर/178/10/2023	गैर-जीवन	13-10-23	परिपत्र	निजी कार पालिसी में एक अंतर्निहित कवरेज के रूप में आईएमटी-29 के अंतर्गत कवरेज, प्रीमियम के भुगतान को अनिवार्य बनाना
30	आईआरडीएआई/एलजीएल/ओआरडी/सीएमटी/187/10/2023	कानूनी	25-10-23	आदेश	पॉलिसी शब्दों के लिए स्पष्ट भाषा हेतु समिति
31	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/188/10/2023	गैर-जीवन	27-10-23	परिपत्र	साधारण बीमा पालिसियों में विवाचन खंड का संशोधन
32	आईआरडीएआई/पीपीजीआर/ओआरडी/सीएमटी/189/10/2023	पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण	27-10-23	आदेश	बैंकेश्योरेंस माध्यम संबंधी कार्य-बल

01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जारी परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/निर्देश

क्र.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	तारीख	जानकारी प्रकार	विषय
33	आईआरडीएआई/एचएलटी/ सीआईआर/विविध/190/10/2023	स्वास्थ्य	30-10-23	परिपत्र	ग्राहक सूचना पत्रक का संशोधन
34	आईआरडीएआई/आईएंडएटी/ सीआईआर/विविध/194/11/2023	इंश्योरटेक और संबद्ध प्रौद्योगिकियां	03-11-23	परिपत्र	वित्तीय सूचना प्रयोक्ता के रूप में लेखा संग्राहक (एए) ढाँचे में सहभागिता
35	आईआरडीएआई/एनएल/ ओआरडी/डीटीएफ/196/11/2023	गैर-जीवन	03-11-23	आदेश	पूर्व के प्रशुल्कों को हटाने के बाद लागू रूपरेखा सुझाने के लिए कार्य-बल का गठन
36	आईआरडीएआई/आईएनटी/ सीआईआर/आईबी/206/11/2023	मध्यवर्ती	24-11-23	परिपत्र	बीमाकर्ताओं और बीमा दलालों द्वारा कुछ विवरणियों की फाइलिंग को समाप्त करना
37	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर /विविध/215/12/2023	र-जीवन	11-12-23	परिपत्र	चक्रवात मिचौंग से संबंधित बीमा गैदावे
38	आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/ विविध/216/12/2023	गैर-जीवन	18-12-23	परिपत्र	चक्रवात मिचौंग और अनुवर्ती भारी बारिश_ बाढ़ से संबंधित बीमा दावे
39	आईआरडीएआई/एनएल/ सीआईआर/मोटर/2/1/2024	गैर-जीवन	05-01-24	परिपत्र	मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 को ध्यान में रखते हुए एमओआरटीएच अधिसूचनाओं का अनुपालन
40	आईआरडीएआई/एफआई/ सीआईआर/आईएनवी/3/1/2024	वित्त और निवेश	05-01-24	परिपत्र	बुनियादी संरचना कर्ज निधियों में निवेश एनबीएफसी
41	आईआरडीएआई/आरईआईएन/ /4/1/2024	पुनर्बीमा	05-01-24	परिपत्र	अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण सीआईआर/आरआईएसएफ
42	आईआरडीएआई/एचएलटी/ सीआईआर/जीडीएल/31/1/2024	स्वास्थ्य	31-01-24	परिपत्र	स्वास्थ्य बीमा पालिसियों में आयुष कवरेज देने संबंधी दिशानिर्देश
43	आईआरडीएआई/एचएलटी/ सीआईआर/पीआरओ /32/1/2024	स्वास्थ्य	31-01-24	परिपत्र	निर्योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवीएड्स से ग्रस्त व्यक्तियों, तथा मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उत्पाद में आशोधन
44	आईआरडीएआई/ आईएफआरएस/ओआरडी/ सीएमटी/40/2/2024	आईएफआरएस/ इंड एएस	16-02-24	आदेश	बीमा क्षेत्र में इंड एएस_ आईएफआरएस के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन
45	आईआरडीएआई/लाइफ/ सीआईआर/विविध/41/2/2024	जीवन	16-02-24	परिपत्र	मास्टर परिपत्र पालिसीधारकों की अदावी राशियाँ दिनांकित 17 नवंबर, 2020 में आशोधन
46	आईआरडीएआई/आईएनटी/ ओआरडी/विविध/47/2/2024	मध्यवर्ती	29-02-24	आदेश	आईआईएसएलए के 14वीं परिषद चुनावों के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति
47	आईआरडीएआई/पीपीजीआर/ सीआईआर/विविध/55/3/2024	पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण	28-03-24	परिपत्र	पॉलिसीधारकों की सेवा - चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विशेष उपाय

बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत 31 मार्च, 2024 तक बनाए गए नियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनियम, 2000
2	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000
3	आईआरडीए (बीमांकक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000
4	आईआरडीए (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) विनियम, 2000
5	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की संपत्ति, देनदारियां और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
6	आईआरडीए (साधारण बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2000
7	आईआरडीए (भारतीय बीमा सलाहकार समिति) (संशोधन), 2000
8	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000
9	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2000
10	आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000
11	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000
12	आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000
13	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000
14	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता-लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताएं और आचरण संहिता) विनियम, 2000
15	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
16	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2001
17	आईआरडीए (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2001
18	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001
19	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002
20	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
21	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
22	आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) विनियम, 2002
23	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002
24	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002
25	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2002
26	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) (संशोधन) विनियम, 2002
27	आईआरडीए (प्रीमियम की प्राप्ति की विधि) विनियम, 2002
28	आईआरडीए (अधिशेष का वितरण) विनियम, 2002
29	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003
30	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004
31	आईआरडीए (बीमांकक की योग्यता) विनियम, 2004
32	आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2004
33	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005
34	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2005
35	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं का दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2005
36	आईआरडीए (बीमा एजेंटों की लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007

बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत 31 मार्च, 2024 तक बनाए गए नियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
37	आईआरडीए (कॉर्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
38	आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2007
39	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं का दायित्व) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008
40	आईआरडीए (ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्रों के लिए बीमाकर्ताओं का दायित्व) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
41	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008
42	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008
43	आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
44	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के लिए आंकड़ा कोष का आदान-प्रदान) विनियम, 2010
45	आईआरडीए (वैधता-अवधि समाप्ति संबंधी बीमा पॉलिसी आचरण) विनियम, 2010
46	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
47	आईआरडीए (कॉर्पोरेट एजेंटों की लाइसेंसिंग) (संशोधन) विनियम, 2010
48	आईआरडीए (साधारण बीमा कारोगार के समामेलन और अंतरण की योजना) 2011
49	आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी निर्गम) विनियम, 2011
50	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012
51	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012
52	आईआरडीए (घरेलू या विदेशी इकाई से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा करना) विनियम, 2012
53	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013
54	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
55	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
56	आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
57	आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की स्कीम) विनियम, 2013
58	आईआरडीए (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
59	आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव प्रपत्र) विनियम, 2013
60	आईआरडीए (व्यापार स्थल) विनियम, 2013
61	आईआरडीए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पूँजी) विनियम, 2013
62	आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
63	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013
64	आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
65	आईआरडीए (निवेश) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013
66	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
67	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
68	आईआरडीए (बीमा दलालो के रूप में बैंकों को लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013
69	आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013
70	आईआरडीए (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
71	आईआरडीए आईएसी (बैठकें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत 31 मार्च, 2024 तक बनाए गए नियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
72	आईआरडीए (बीमा ब्रोकर्स) विनियम, 2013
73	आईआरडीए (अन्य पक्ष स्वास्थ्य-सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
74	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013
75	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम 2013
76	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता- लाइसेंसिंग, व्यावसायिक आवश्यकताएं और अंचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
77	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014
78	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2014
79	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014
80	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015
81	आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015
82	आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015
83	आईआरडीएआई (नामांकन के रद्दकरण अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
84	आईआरडीएआई (नियुक्ति या स्थानांतरण की सूचना की प्राप्ति की लिखित पावती देने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
85	आईआरडीएआई (मोटर तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015
86	आईआरडीएआई (व्यापार स्थल) विनियम, 2015
87	आईआरडीएआई (बीमा लेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
88	आईआरडीएआई (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
89	आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015
90	आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015
91	आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015
92	आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा बीमा सीमाएँ) विनियम, 2015
93	आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और संचालन) विनियम, 2015
94	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015
95	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015
96	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015
97	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवासय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015
98	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवासय करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015
99	आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और संचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
100	आईआरडीएआई (विवरणियों का निरीक्षण और प्रतियो की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015
101	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016
102	आईआरडीएआई (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016
103	आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष - स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2016
104	आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
105	आईआरडीएआई (बीमांकक की योग्यता) (निरसन) विनियम, 2016

बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत 31 मार्च, 2024 तक बनाए गए नियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
106	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन क्षमता सीमा) विनियम, 2016
107	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
108	आईआरडीएआई (बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति) विनियम, 2016
109	आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2016
110	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016
111	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2016
112	आईआरडीएआई (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2016
113	आईआरडीएआई (ई-बीमा पॉलिसी निर्गमन) विनियम, 2016
114	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016
115	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (आठवां संशोधन) विनियम, 2016
116	आईआरडीएआई कर्मचारी (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016
117	आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016
118	आईआरडीएआई (ई-बीमा पॉलिसी निर्गमन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
119	आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और संचालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016
120	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यस्थों को आयोग या पारिश्रमिक या पुरस्कार का भुगतान) विनियम, 2016
121	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
122	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
123	आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017
124	आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017
125	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017
126	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
127	आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017
128	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017
129	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018
130	आईआरडीएआई (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) (निरसन) विनियम, 2018
131	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018
132	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2018
133	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) (संशोधन) विनियम, 2019
134	आईआरडीएआई (यूनिट संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
135	आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
136	आईआरडीएआई(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2019
137	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2019
138	आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) विनियम, 2019

बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के तहत 31 मार्च, 2024 तक बनाए गए नियम

क्र.सं.	विनियम का नाम
139	आईआरडीएआई (सामान्य लोक सेवा केंद्र) विनियम, 2019
140	आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019
141	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2019
142	आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएं) (संशोधन) विनियम, 2019
143	आईआरडीएआई (जाँच और निरीक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम जानकारी) विनियम, 2020
144	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2020
145	आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021
146	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021
147	आईआरडीएआई (शेयरधारकों या सदस्यों को समामेलन पर मुआवजे के आकलन का तरीका) विनियम, 2021
148	आईआरडीएआई (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (पहला संशोधन) विनियम, 2021
149	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियां) (संशोधन) विनियम, 2021
150	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकक रिपोर्ट और सारांश) (संशोधन) विनियम, 2022
151	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022
152	आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की अस्तियाँ, देयताएँ और शोधन – क्षमता मार्जिन) विनियम, 2022
153	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2022
154	आईआरडीएआई (विनियामक सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2022
155	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2022
156	आईआरडीएआई (बीमा मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2022
157	आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2023
158	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंध व्यय) विनियम, 2023
159	आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023
160	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) (संशोधन) विनियम, 2023
161	आईआरडीएआई (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन-व्यय) विनियम, 2024
162	आईआरडीएआई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर अन्य पक्ष दायित्व) विनियम, 2024
163	आईआरडीएआई (बीमा सुगम बीमा इलेक्ट्रानिक बाजार स्थान) विनियम, 2024
164	आईआरडीएआई(भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेयरों का अंतरण और समामेलन) विनियम 2024
165	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कंपनी अभिशासन) विनियम, 2024
166	आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024
167	आईआरडीएआई (एफआरबी और लॉयड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024
168	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024
169	आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण, बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध कार्य) विनियम, 2024

टिप्पणी: भारत के राजपत्र में अधिसूचित
^^ 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति

जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची (31 मार्च 2024 तक)

क्र.सं.	बीमा कंपनी	वैयक्तिक माइक्रो उत्पाद	समूह माइक्रो उत्पाद
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	एलआईसी की भाग्य लक्ष्मी	एलआईसी की एक वर्षीय नवीकरणीय समूह माइक्रो
		एलआईसी का नया जीवन मंगल	टर्म एश्योरेंस योजना
		एलआईसी की माइक्रो बचत	
2	एको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		एको लाइफ ग्रुप क्रेडिट प्रोटेक्ट
3	आदित्य बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		एबीएसएलआई समूह बीमा योजना
4	एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		एगॉन लाइफ ग्रुप माइक्रो इंश्योरेंस प्लान
			एगॉन लाइफ ग्रुप केयर माइक्रो बीमा योजना
5	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		एजियास फेडरल ग्रुप माइक्रोश्योरेंस प्लान खख
6	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड		अवीवा ग्रुप माइक्रो बीमा योजना
7	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		बजाज आलियांज लाइफ ग्रुप संपूर्ण जीवन सुरक्षा
			बजाज आलियांज लाइफ ग्रुप संपूर्ण सुरक्षा कवच
8	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारती एक्सा लाइफ ग्रामीण जीवन बीमा	भारती एक्सा लाइफ ग्रुप टर्म माइक्रो इंश्योरेंस प्लान
9	केनरा एचएसबीसीलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		केनरा एचएसबीसी जीवन बीमा संपूर्ण कवच योजना
10	क्रेडिटएक्सेस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	क्रेडिटएक्सेस संरक्षण सूक्ष्म	क्रेडिटएक्सेस रक्षा कवच सूक्ष्म
			क्रेडिटएक्सेस सुरक्षा सूक्ष्म
			क्रेडिटएक्सेस नित्य संचय (सूक्ष्म बीमा उत्पाद)
			क्रेडिटएक्सेस ग्रुप संरक्षण सूक्ष्म
11	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एडलवाइस जीवन - रक्षा कवच	एडलवाइस लाइफ - ग्रामीण बीमा
			एडलवाइस लाइफ - जन सुरक्षा
12	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		डिजिट लाइफ ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस
13	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		एचडीएफसी लाइफ ग्रुप जीवन सुरक्षा
			एचडीएफसी लाइफ ग्रुप सुरक्षा
			एचडीएफसी लाइफ ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस
14	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा	आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा क्रेडिट
		आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत	आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा वन
			आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा लाइफ
15	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	इंडियाफर्स्ट लाइफ माइक्रो बचत योजना	इंडियाफर्स्ट लाइफ ग्रुप हॉस्पिकेयर प्लान
		इंडियाफर्स्ट लाइफ बीमा खाता योजना	इंडियाफर्स्ट लाइफ ग्रुप माइक्रो इंश्योरेंस प्लान
16	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड.	कोटक संपूर्ण बीमा सूक्ष्म बीमा योजना	कोटक रक्षा ग्रुप माइक्रो बीमा योजना
17	मैक्सलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		मैक्स लाइफ ग्रुप सरल सुरक्षा योजना (माइक्रो बीमा उत्पाद)
18	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		पीएनबी मेटलाइफ बीमा योजना
19	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		प्रामेरिका जीवन संपूर्ण सुरक्षा
			प्रामेरिका लाइफ सर्व जन सुरक्षा
			प्रामेरिका लाइफ सर्व सुरक्षा
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	एसबीआई लाइफ - ग्रामीण बीमा	एसबीआई लाइफ - ग्रामीण सुपर सुरक्षा
			एसबीआई लाइफ - ग्रुप माइक्रो शील्ड - एसपी
			एसबीआई लाइफ ग्रुप माइक्रो शील्ड
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	श्रीराम ग्रामीण सुरक्षा	श्रीराम जन सहाय
			श्रीराम लाइफ सुजाना
22	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	टाटा एआईए जीवन बीमा साथ-साथ	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप माइक्रो रक्षा सुप्रीम
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस पीओएस साथ-साथ	
		टाटा एआईए भारत सुरक्षा कवर माइक्रो बीमा योजना	

2023–24 के दौरान उत्पादों और राइडर्स की संख्या

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पादों / राइडर्स की संख्या	
		फ़ाइल और यूज	यूज और फ़ाइल
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	4	9
2	एको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	0	6
3	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	3	33
4	एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	5
5	एजियास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	3	11
6	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कं.लि.	1	22
7	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	5	60
8	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2	4
9	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	2	9
10	क्रेडिटएक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	1	7
11	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	3	34
12	फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	1	6
13	गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	1	4
14	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2	58
15	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	3	49
16	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2	17
17	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	61
18	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4	32
19	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस क.लि.	0	13
20	प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	4	10
21	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	1	3
22	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0	16
23	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	11
24	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	3	16
25	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस क.लि.	3	77
	कुल	**51**	**573**

क्र. सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पादों और ऐड-ऑन की संख्या	
		साधारण बीमा	स्वास्थ्य बीमा
	सार्वजनिक क्षेत्र		
1	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	28	8
2	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	63	11
3	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10	2
4	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	22	3
	निजी क्षेत्र		
1	एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11	3
2	बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	10	12
3	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	79	5
4	फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कं.लि.	53	7
5	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	38	9
6	एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	20	8
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	24	8
8	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	33	6
9	कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9	6
10	क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	15	0
11	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	4	4
12	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9	1
13	नवी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती डीएचएफएल)	–	2
14	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5	1
15	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	1
16	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	17	15
17	एसबीआई जनरल जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	22	5
18	श्रीराम जनरल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6	19
19	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	23	11
20	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि.	153	7
21	ज़ूनो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6	0
	विशिष्ट बीमाकर्ता (सार्वजनिक क्षेत्र)		
1	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	3	–
2	ईसीजीसी लिमिटेड	–	–
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (निजी क्षेत्र)		
1	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	–	5
2	केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	–	7
3	गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	–	–
4	मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	–	4
5	नारायण स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमिटेड	–	–
6	निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	–	11
7	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	–	2
	कुल	**664**	**183**

बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों के लिए शुल्क संरचना और 2023–24 में एकत्रित शुल्क

क्र. सं.	बीमा कंपनी	प्रक्रमण संसाधन शुल्क	पंजीकरण शुल्क (₹)	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की आवधिकता	कुल एकत्रित शुल्क (₹ में)
1	जीवन/साधारण/स्वास्थ्य	–	5,00,000	भारत में लिखित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का 1% का 1/20वां भाग, न्यूनतम 10,00,000 रुपये और अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)	2,05,60,98,764
2	पुनर्बीमाकर्ता/एफआरबी	–	5,00,000	भारत में स्वीकृत वैकल्पिक पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20वां भाग, न्यूनतम 10,00,000 रुपये और अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक।	प्रत्येक वर्ष (जीआईसी री के लिए 31 जनवरी तक) ङ्कप्रत्येक वर्ष (एफआरबी के लिए 31 दिसंबर तक)	
3	लॉयड्स की सेवा कंपनी	–	50,000	50,000	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर तक)	
4	साधारण / जीवन बीम ा व्यवसाय का एकीकरण एवं हस्तांतरण	जिस वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण के पास आवेदन दायर किया गया है, उससे पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान लेन-देन करने वाली संस्थाओं द्वारा भारत में लिखे गए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/10वां हिस्सा, न्यूनतम ₹50 लाख और अधिकतम ₹5 करोड़ के अधीन।		–	–	
5	तृतीय पक्ष प्रशासक	1,00,000	2,00,000	1,50,000	3 वर्ष	13,77,012
6	ब्रोकर्स-डायरेक्ट ब्रोकर-पुनर्बीमा ब्रोकर्स-कम्पोजिट	25,000 50,000 75,000	50,000* 1,50,000* 2,50,000*	1,00,000 3,00,000 5,00,000	3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष	4,24,79,043
7	सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता (वैयक्तिक और कॉर्पोरेट)	–	वैयक्तिक: ₹1000, कॉर्पोरेट: ₹5000	i. नवीनीकरण शुल्क यदि आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दायर किया जाता है: वैयक्तिक - ₹1000 कॉर्पोरेट - ₹5000 ii. नवीनीकरण शुल्क यदि नवीनीकरण आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दायर नहीं किया जाता है: वैयक्तिक - ₹1100 कॉर्पोरेट - ₹5100		

बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों के लिए शुल्क संरचना और 2023–24 में एकत्रित शुल्क

क्र. सं.	बीमा कंपनी	प्रक्रमण संसाधन शुल्क	पंजीकरण शुल्क (₹)	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की आवधिकता	कुल एकत्रित शुल्क (₹ में)
				iii. नवीनीकरण शुल्क यदि नवीनीकरण आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद लेकिन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से छह माह के भीतर दायर किया जाता है: वैयक्तिक - ₹1750 कॉर्पोरेट - ₹5750	3 वर्ष	35,98,629
8	कॉर्पोरेट एजेंट	10,000	i. इकाई के लिए सीओआर: ₹ 25000 ii. पीओ/एसपी/एवी को प्रमाणपत्र: ₹ 500	सीओआर नवीकरण: ₹25000 पीओ/एसपी/एवी के लिए प्रमाण पत्र का नवीकरण: ₹500	3 वर्ष	11,16,00,203
9	वेब एग्रीगेटर	10,000	25,000	25,000	3 वर्ष	1,75,100
10	सामान्य लोक सेवा केंद्र (सीपीएससी)	-	10,000	2,000	3 वर्ष	
11	रेफरल	-	10,000	10,000	3 वर्ष	10,000
12	बीमा विपणन फर्म	-	5,000	2,000	3 वर्ष	
13	बीमा रिपोजिटरी	10,000	1,00,000	50,000	3 वर्ष	8,96,325
14	आईएसएनपी (बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफॉर्म)	0	10,000	-	-	7,73,800
	कुल					**2,21,70,08,876**

** सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद*
#गैर वापसी योग्य शुल्क
सीओआर- पंजीकरण प्रमाणपत्र
पीओ- प्रधान अधिकारी, एसपी- निर्दिष्ट व्यक्ति और एवी- अधिकृत सत्यापनकर्ता

अनुबंध 9

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने

क्र. सं.	संस्था का नाम	जुर्माने की राशि (रु. में)	जुर्माना आदेश जारी करने की तिथि	किए गए उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
1	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2 करोड़ रूपये	03-01-2024	गैर-जीवन बीमाकर्ता ने एमआईएसपी दिशानिर्देशों के खंड-15 (5) (घ) का उल्लंघन किया, जिसका संदर्भ संख्या आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएसपी/202/08/2017 दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 है, एमआईएसपी को वितरण शुल्क के अलावा अन्य भुगतान करके और बीमाकर्ता ने मोटर बीमा के तहत 50,000/- रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन करने के लिए इन-हाउस कर्मचारियों को नियुक्त करके आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता) विनियम, 2015 के विनियम 12 (1) और (2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिनके पास प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस नहीं था।
2	अनमोल मेडिकेयर टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	रु.1 लाख	09-01-2024	टीपीए ने अपने कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को ऋण देकर आईआरडीएआई (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम, 2016 के विनियम-23 के अंतर्गत अनुसूची-खख (आचार संहिता) के खंड-2(ओं) का उल्लंघन किया।

भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (आईएएलएम) 2012–14 मानक दरें– पुरुष बीमाकृत जीवन जो प्रारंभ में चिकित्सकीय रूप से लिखित होते हैं

आयु	क्यू (स्नातक)	आयु	क्यू (स्नातक)	आयु	क्यू (स्नातक)
2	0.000915	40	0.00168	78	0.051024
3	0.00047	41	0.001815	79	0.056231
4	0.000271	42	0.001969	80	0.061985
5	0.000185	43	0.002144	81	0.068338
6	0.000152	44	0.002345	82	0.07535
7	0.000149	45	0.002579	83	0.083082
8	0.000167	46	0.002851	84	0.091601
9	0.000206	47	0.003168	85	0.100979
10	0.000265	48	0.003536	86	0.111291
11	0.000341	49	0.003958	87	0.122616
12	0.000429	50	0.004436	88	0.135037
13	0.000522	51	0.004969	89	0.148639
14	0.000614	52	0.00555	90	0.163507
15	0.000698	53	0.006174	91	0.179726
16	0.00077	54	0.006831	92	0.19738
17	0.000829	55	0.007513	93	0.216547
18	0.000874	56	0.008212	94	0.237302
19	0.000905	57	0.008925	95	0.259706
20	0.000924	58	0.009651	96	0.283813
21	0.000934	59	0.010393	97	0.309659
22	0.000937	60	0.011162	98	0.337265
23	0.000936	61	0.011969	99	0.36663
24	0.000933	62	0.012831	100	0.397733
25	0.000931	63	0.013765	101	0.430529
26	0.000931	64	0.014792	102	0.46495
27	0.000934	65	0.015932	103	0.500904
28	0.000942	66	0.017206	104	0.538278
29	0.000956	67	0.018635	105	0.576942
30	0.000977	68	0.02024	106	0.616752
31	0.001005	69	0.02204	107	0.657553
32	0.001042	70	0.024058	108	0.699191
33	0.001086	71	0.026314	109	0.741515
34	0.00114	72	0.028832	110	0.784383
35	0.001202	73	0.031638	111	0.827673
36	0.001275	74	0.034757	112	0.871285
37	0.001358	75	0.038221	113	0.915145
38	0.001453	76	0.042061	114	0.959214
39	0.00156	77	0.046316	115	1

टिप्पणी:
1.पिछले जन्मदिन पर आयु
2.क्यू (स्नातक) दरें क्रमिक मृत्यु दर हैं

भारतीय वैयक्तिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012–15) समग्र / संयुक्त मृत्यु दर

आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के विनियम 4 के अर्थ में

आयु	क्रमिक मृत्यु दर	आयु	क्रमिक मृत्यु दर
20	0.000284	68	0.013447
21	0.000305	69	0.01484
22	0.000328	70	0.016393
23	0.000353	71	0.018128
24	0.000379	72	0.020067
25	0.000407	73	0.022236
26	0.000438	74	0.024662
27	0.000471	75	0.027379
28	0.000507	76	0.030422
29	0.000545	77	0.03383
30	0.000586	78	0.037651
31	0.000631	79	0.041932
32	0.000679	80	0.04673
33	0.000731	81	0.052106
34	0.000787	82	0.058127
35	0.000847	83	0.064868
36	0.000913	84	0.07241
37	0.000984	85	0.08084
38	0.001061	86	0.090252
39	0.001144	87	0.100746
40	0.001234	88	0.112428
41	0.001332	89	0.125408
42	0.001438	90	0.139798
43	0.001553	91	0.155712
44	0.001679	92	0.17326
45	0.001815	93	0.192548
46	0.001964	94	0.213673
47	0.002125	95	0.236719
48	0.002302	96	0.261749
49	0.002495	97	0.288807
50	0.002705	98	0.317906
51	0.002936	99	0.349031
52	0.003188	100	0.382129
53	0.003464	101	0.417111
54	0.003768	102	0.453851

भारतीय वैयक्तिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु दर तालिका (2012–15) समग्र / संयुक्त मृत्यु दर

आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं और शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के विनियम 4 के अर्थ में

आयु	क्रमिक मृत्यु दर	आयु	क्रमिक मृत्यु दर
55	0.004101	103	0.49219
56	0.004468	104	0.531933
57	0.004871	105	0.572866
58	0.005316	106	0.614755
59	0.005807	107	0.657357
60	0.006349	108	0.700435
61	0.006948	109	0.743762
62	0.007612	110	0.787136
63	0.008347	111	0.830382
64	0.009163	112	0.873364
65	0.01007	113	0.915987
66	0.011077	114	0.958198
67	0.012198	115	0.99999

टीपीए–वार नेटवर्क समझौते

क्र सं.	टीपीए का नाम	31 मार्च 2023 तक	2023–24 के दौरान जोड़े गए	2023–24 के दौरान हटाए गए	31 मार्च 2024 तक
1	अनमोल मेडिकेयर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड$	612	29	0	641
2	एकेएनए हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	0	6118	0	6118
3	वोलो हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में ईस्ट वेस्ट असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड)	7,435	4,761	2,887	9,309
4	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	11,672	1,722	0	13,394
5	फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	19,578	7,091	25	26,644
6	जेनींस इंडिया इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	5,817	1,917	88	7,646
7	गुड हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	6,842	2,906	140	9,608
8	हेल्थ इंडिया इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	12,608	3,640	328	15,920
9	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	7,554	941	52	8,443
10	हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	11,604	4,941	1,285	15,260
11	लिंक–के इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	0	12759	0	12759
12	एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	19,530	6,762	2,189	24,103
13	मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	14,301	5,451	447	19,305
14	मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	10,272	835	2,242	8,865
15	पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	22,257	3,106	248	25,115
16	पार्क मेडिक्लेम इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5,367	645	0	6,012
17	रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	9,834	2,904	169	12,569
18	सेफवे इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	9,076	1,512	432	10,156
19	मेडवांटेज इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में यूनाइटेड हेल्थ केयर पारेख इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड)#	4,875	0	0	0
20	विडाल हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	11,106	1,294	250	12,150
21	विजन डिजिटल इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड*	0	0	0	0
	कुल नेटवर्क अस्पताल	**1,90,340**	**69,334**	**10,782**	**2,44,017**

नोट: एक अस्पताल का एक से अधिक टीपीए के साथ स्वास्थ्य सेवा अनुबंध हो सकता है।

1. ** यह टीपीए चालू वित्त वर्ष में सक्रिय नहीं है, **अस्पतालों ने एक से अधिक टीपीए के साथ करार किया हो सकता है।*
2. *$पंजीकरण संख्या 27 के साथ अनमोल मेडिकेयर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड के सीओआर के नवीनीकरण आवेदन को दिनांक 04.07.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया*
3. *#मेडवांटेज इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले यूनाइटेड हेल्थ केयर पारेख इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) का 13 फरवरी, 2024 से मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय हो गया है।*
4. **विजन डिजिटल इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड का सीओआर समय–अवधि के कारण समाप्त हो गया था और टीपीए के नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने वाले आईआरडीएआई के दिनांक 04.10.2021 के आदेश पर दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने थझ(उ) 10379/2021 में रोक लगा दी है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है*

ANNUAL REPORT
2023-24



INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Head Office
Survey No. 115/1, Financial District,
Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032, India
Phone: +91-40-20204000



This Report is in conformity with the format as per the Insurance Regulatory and Development Authority (Annual Report-Furnishing of Return, Statements and Other Particulars) Rules, 2000.



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/13/ आईआईडीडी/एआर 2023-24 — 14 नवम्बर, 2024

सचिव,
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये, बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टयों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं।

भवदीय,
देबाशीष पण्डा
अध्यक्ष

Letter of Transmittal

Ref. No. 101/13/IIDD/AR-2023-24 — 14th November, 2024

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi-110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith the Annual Report of the Authority for the financial year ended March 31, 2024 in the Form as prescribed in the Appendix of IRDA (Annual Report-Furnishing of return, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,
Debasish Panda
Chairperson

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
: +91-40-20204000, वेबसाइट : www.irdai.gov.in

Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
: +91-40-20204000, Website : www.irdai.gov.in

CONTENTS

Mission Statement		**xix**
Members of the Authority		**xxi**
Senior Officials at IRDAI		**xxiii**

Part I
POLICIES AND PROGRAMMES

I.1	Review of General Economic Environment	7
I.2	Appraisal of Insurance Market	10
I.3	Number and Details of Registered Insurers/Reinsurers	25
I.4	Policies and Measures to Develop Insurance Market	25
I.5	Research and Development Activities Undertaken by the Insurers	28
I.6	Review	31
I.6.1	Protection of Interests of Policyholders	31
I.6.2	Maintenance of Solvency Margins of Insurers	33
I.6.3	Monitoring of Reinsurance	33
I.6.4	Monitoring Investments of the Insurers	37
I.6.5	Health Insurance	40
I.6.6	Specified Percentage of Business to be done in Rural and Social Sector	47
I.6.7	Accounts and Actuarial Standards	48
I.6.8	Directions, Orders, and Regulations given by the Authority	49
I.6.9	Powers and Functions Delegated by the Authority	49
I.6.10	Other Policies and Programmes having a bearing on the working of the Insurance Market	49

Part II
REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

II.1	Regulation of Insurance and Reinsurance Companies	61
II.2	Insurance Agents and Intermediaries Associated with Insurance Business	70
II.3.	Professional Institutes connected with Insurance Education	84
II.4	Litigations, Appeals and Other Court Pronouncements	87
II.5	International Cooperation in Insurance	87
II.6	Grievances	91
II.7	Functioning of the Advisory Committees	95
II.8	Functioning of Ombudsman	96
II.9	Insurance Associations and Insurance Councils	96
II.10	Other Activities having a Bearing on the Insurance Market	98

Part III

STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

III.1 Issue to the Applicant a Certificate of Registration, Renew, Modify, Withdraw, Suspend or Cancel such Registration 105

III.2 Protection of the Interests of Policyholders in matters concerning assigning of policy, nomination of policyholders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance and grievance redressal 105

III.3 Specifying Requisite Qualifications, Code of Conduct and Practical Training for Intermediaries or Insurance Intermediaries and Agents. 105

III.4 Specifying the Code of Conduct for Surveyors and Loss Assessors 106

III.5 Promoting Efficiency in the Conduct of Insurance Business 106

III.6 Promoting and Regulating Professional Organizations Connected with the Insurance and Reinsurance Business 112

III.7 Levying Fees and Other Charges for Carrying Out the Purposes of the Act 116

III.8 Calling information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business 116

III.9 Control and Regulation of Rates, Advantages, Terms and Conditions that may be Offered by Insurers in respect of General Insurance Business not so Controlled and Regulated by the Tariff Advisory Committee under Section 64U of the Insurance Act,1938 (4 of 1938) 120

III.10 Specifying the Form and Manner in which Books of Accounts shall be Maintained and Statements of Accounts shall be Rendered by Insurers and Other Insurance Intermediaries 120

III.11 Regulating Investment of Funds by Insurance Companies 121

III.12 Regulating Maintenance of Margin of Solvency 121

III.13 Adjudication of Disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries 122

III.14 Specifying the Percentage of Life Insurance Business and General Insurance Business to be undertaken by the Insurers in the Rural and Social Sector. 122

PART IV

ORGANIZATIONAL MATTERS

IV.1	Organization	125
IV.2	Human Resources	127
IV.3	Promotion of Official Language	130
IV.4	Information Technology	133
IV.5	Accounts	134
IV.6	Acknowledgement	134

BOX ITEMS

I.1	Efforts towards Reduction of Unclaimed Amounts	27
II.1	IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024 – Enabler for comprehensive product solutions	66
II.2	Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations – Driving Inclusive Insurance	71
III.1	National Health Claim Exchange (NHCX) – Towards seamless claims experience	110
III.2	De-notification of extant Tariffs pertaining to Fire, Motor and Engineering, Workmen's Compensation and other classes of insurance business	114
III.3	Tech-enablement for Supervision and enforcement	119

TABLES

PART I

Table I.1	Global Growth In Real GDP	7
Table I.2	National Income Estimates of India	8
Table I.3	Estimates of Gross Value Added (GVA) by Economic Activity	8
Table I.4	Financial Savings of the Household Sector	10
Table I.5	Growth in Real Premium by Region in the World in 2023	11
Table I.6	Premium Volume by Region in the World in 2023	11
Table I.7	Insurance Penetration – India Vs World (% age)	12
Table I.8	Insurance Density– India vs World (USD)	12

Table I.9	Business Performance of Life Insurers	15
Table I.10	Financial Performance of Life Insurers	17
Table I.11	Actual Death Claims of Life Insurers	18
Table I.12	Business Performance of General, Health and Specialized Insurers	19
Table I.13	Financial Performance of General, Health and Specialized Insurers	21
Table I.14	Segment-wise Incurred Claims Ratio of General, Health & Specialized Insurers	22
Table I.15	Line of Business-wise Claims paid by General Insurers (excl. Health Insurance Business)	23
Table I.16	Offices of Life Insurers	23
Table I.17	Offices of General, Health and Specialized Insurers	24
Table I.18	Number of Registered Insurers and Reinsurers	25
Table I.19	Reinsurance Placement by General & Health Insurers	35
Table I.20	Net Retention of General and Health Insurers	36
Table I.21	Investments of Insurance Industry	37
Table I.22	Category-wise Investments of Life Insurers	38
Table I.23	Fund-wise Investments of Life Insurers	39
Table I.24	Investments of General, Health, Specialized Insurers & Reinsurers: Category-wise	39
Table I.25	Health Insurance Premium Underwritten by General & Health Insurers	40
Table I.26	Policies, Lives Covered, and Premium under Health Insurance Business of General & Health Insurers	41
Table I.27	Incurred Claims Ratio under Health Insurance Business of General & Health Insurers	42
Table I.28	Claims Paid under Health Insurance Business of General and Health Insurers	43
Table I.29	Status of Claims under Health Insurance Business of General & Health Insurers	43
Table I.30	Number of Policies, Lives Covered and Premium under Health Insurance Business of Life Insurers	44
Table I.31	Status of Claims under Health Insurance Business of Life Insurers	45
Table I.32	Business under Personal Accident Insurance	45
Table I.33	Coverage under Government Flagship Personal Accident Schemes	46
Table I.34	Business under Overseas Travel Insurance	46
Table I.35	Business under Domestic Travel Insurance	46
Table I.36	Health, PA and Travel Insurance Business Underwritten Outside India	47

PART II

Table II.1	Insurance Agents Associated with Life, General and Health Insurers	72
Table II.2	Gender-wise Distribution of Individual Agents associated with Life, General and Health Insurers	73
Table II.3	Corporate Agents Active with Insurance Business	74
Table II.4	Performance of Micro Insurance Business in Life Insurance Sector	75
Table II.5	Micro Insurance Agents of Life Insurers	75
Table II.6	Number of Micro insurance Policies Issued	76
Table II.7	Number of POSPs with various Sponsoring Agencies	77
Table II.8	Number of MISPs with various Sponsoring Agencies	78
Table II.9	Contribution of Agents and Intermediaries in Life Insurance New Business Premium	81
Table II.10	Contribution of Insurance Agents and Intermediaries in General Insurance Business	82
Table II.11	Contribution of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance (Excl. PA & Travel)	83
Table II.12	Products of Insurance Information Bureau	86
Table II.13	Details of the cases filed during 2023-24	87
Table II.14	Details of Cases Disposed/Dismissed for the period	87
Table II.15	Analysis of Grievances Registered	92
Table II.16	Grievances on Unfair Business Practices (UFBP) Registered against Life Insurers	92
Table II.17	Status of Grievances as per Bima Bharosa portal	93
Table II.18	Grievances Registered in DARPG Portal and Referred to IRDAI	95
Table II.19	Pendency of Grievances	95

PART III

Table III.1	On-site and remote inspection reports concluded during 2023-24	118
Table III.2	Details of Regulatory Actions	118

PART IV

Table IV.1	Composition of the Authority as on 31st March, 2024	126
Table IV.2	Details of Meetings of the Authority	126
Table IV.3	Details of Meetings held during 2023-24 and attended by each member of the Authority	126
Table IV.4	Sanctioned and Actual Staff Strength in IRDAI	127
Table IV.5	Category-wise Staff Strength in IRDAI	127
Table IV.6	Age-wise Distribution of Staff in IRDAI	128
Table IV.7	Grade-wise Staff Strength in IRDAI	128

CHARTS

I.1	Percentage Shares of Sectors in GVA at Current Price	9
I.2	Domestic Savings in Indian Economy	9
I.3	Insurance Penetration in India	12
I.4	Insurance Density in India	13
I.5	Insurance Penetration in Select Countries in 2023	13
I.6	Insurance Density In Select Countries 2023	13
I.7	New Business Premium of Life Insurers	14
I.8	Renewal Premium of Life Insurers	14
I.9	Total Premium of Life Insurers	14
I.10	Segment-wise Premium of Life Insurers	14
I.11	Profit after Tax of Life Insurers	16
I.12	Benefits Paid by Life Insurers	18
I.13	Premium underwritten within India by Non-Life Insurers	19
I.14	Operating Expenses of General and Health insurers	20
I.15	Net Incurred Claims of General and Health Insurers	22
I.16	Claims Paid (excl. Health Insurance Business) by General Insurers	22
I.17	Tier wise Distribution of Offices of Life Insurers	24
I.18	Tier wise Distribution of Offices of Non-Life Insurers	24
I.19	Gross Reinsurance Premium of Reinsurers including FRBs	35

I.20	Sector-Wise Share In Premium Of Health Insurance	40
I.21	Trend In Health Insurance Premium (Excl. PA & Travel Insurance)	41
I.22	Lives Covered (in lakhs) and Premium under Health Insurance excl. PA & Travel	41
I.23	Net Incurred Claims Under Health Insurance	42
I.24	Trend in Incurred Claim ratio under Health Insurance: Sector wise	42
I.25	Trend in Incurred Claim Ratio under Health Insurance:Segment wise	42
I.26	Health Insurance Premium of Life Insurers	44
II.1	Contribution of Agents and Intermediaries in Life Insurance Individual New Business	81
II.2	Contribution of Agents and Intermediaries in Life Insurance Group New Business	82
II.3	Contribution of Agents and Intermediaries in General Insurance Business	83
II.4	Contribution of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance (Excl. PA & Travel)	84
II.5	Classification of Life Insurance Grivances	94
II.6	Classification of General and Health Insurance Grivances	94
IV.1	Grade-wise distribution of Staff in IRDAI	128

STATEMENTS

1	International Comparison of Insurance Penetration	137
2	International Comparison of Insurance Density	138
3	Premium Underwritten by Life Insurers (within India)	139
4	Linked and Non-Linked Premium of Life Insurers for 2023-24	140
5	Segment-wise Total Premium of Life Insurers for 2023-24	141
6	Equity Share Capital of Life Insurers	142
7	Gross Direct Premium of General and Health Insurers (Within and Outside India)	143
8	Segment-wise Gross Direct Premium Income of General & Health Insurers (Within India)	144
9	Equity Share Capital of General, Health and Reinsurers	146
10	Incurred Claims Ratio of General and Health Insurers (Within India)	148
11	Solvency Ratio of Life Insurers	149
12	Solvency Ratio of General, Health, and Reinsurance Companies	150

13	Solvency Ratio of Branches of Foreign Reinsurers	151
14	Gross Reinsurance Premium of Reinsurers including FRBs	152
15	Assigned Capital of Branches of Foreign Reinsurers	153
16	Assets Under Management of Life Insurers (As on 31st March)	154
17	Assets Under Management of General, Health, Specialized, and Reinsurers (As on 31st March)	157

ANNEXURES

1	List of Registered Insurers/Reinsurers Operating In India (as on 31st March, 2024)	161
2(i)	Members' share in Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool	163
2(ii)	Members' share in Indian Nuclear Insurance Pool	164
2(iii)	Members' share in Marine Cargo Excluded Territories Pool	165
3	Motor third party insurance market share of General Insurers in the FY 2023-24	165
4	Circulars/Orders/Guidelines/Instructions issued from 1st April, 2023 to 31st March, 2024	166
5	Regulations framed under the Insurance Act, 1938 and IRDA Act, 1999 up to March 31, 2024	170
6	List of Micro Insurance Products of Life Insurers	175
7	Number of Products and Riders during 2023-24	176
8	Fee Structure for Insurers and Intermediaries & Fee Collected in 2023-24	177
9	Penalties Levied by IRDAI during 2023-24	179
10(i)	Indian Assured Lives Mortality (IALM) - 2012-14	180
10(ii)	Indian Individual Annuitant's Mortality Table (2012-15)	181
11	TPA-wise network agreements	183

ABBREVIATIONS

AFIR	:	Asian Forum of Insurance Regulators
AML	:	Anti-Money Laundering
ASSOCHAM	:	Associated Chambers of Commerce & Industry of India
CBR	:	Cross Border Reinsurer
CFT	:	Countering the Financing of Terrorism
CII	:	Confederation of Indian Industry
CoR	:	Certificate of Registration
CPIO	:	Central Public Information Officer
CPSC	:	Common Public Service Center
CSC	:	Common Service Centre
DARPG	:	Department of Administrative Reforms and Public Grievances
DFS	:	Department of Financial Services
FAA	:	First Appellate Authority
FATF	:	Financial Action Task Force
FICCI	:	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry
FIU-IND	:	Financial Intelligence Unit- India
FRB	:	Foreign Reinsurance Branch
FRN	:	Filing Reference Number
FSB	:	Financial Stability Board
GDP	:	Gross Domestic Product
GNDI	:	Gross National Disposable Income
GVA	:	Gross Value Added
IAC	:	Insurance Advisory Committee
IAIS	:	International Association of Insurance Supervisors
ICR	:	Incurred Claims Ratio
IFRS	:	International Financial Reporting Standard
IGCC	:	IRDAI Grievance Call Centre
IGMS	:	Integrated Grievance Management System
IIB	:	Insurance Information Bureau of India
IIISLA	:	Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors
IIRM	:	Institute of Insurance and Risk Management

IMCC	:	Inter-Ministerial Co-ordination Committee
IMFs	:	Insurance Marketing Firms
INFE	:	International Network on Financial Education
IRCTC	:	Indian Railway Catering and Tourism Corporation
IRDAI	:	Insurance Regulatory and Development Authority of India
InvITs	:	Infrastructure Investment Trusts
KMP	:	Key Managerial Personnel
KYC	:	Know Your Customer
LPA	:	Letter Patent Appeal
MACT	:	Motor Accident Claims Tribunal
MFI	:	Micro Finance Institution
MISP	:	Motor Insurance Service Provider
MoRTH	:	Ministry of Road Transport & Highways
NBFC	:	Non-Banking Financial Company
NCDRC	:	National Consumer Disputes Redressal Commission
NGOs	:	Non-Government Organizations
NOC	:	No Objection Certificate
NSO	:	National Statistical Office
OECD	:	Organization for Economic Co-operation and Development
OMOP	:	One More Option Plan
PM-JAY	:	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana
PMFBY	:	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMJDY	:	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
PMJJBY	:	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
PMLA	:	Prevention of Money Laundering Act
PMSBY	:	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PMVVY	:	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
POSP	:	Point of Sales Person
PSU	:	Public Sector Undertaking
RAP	:	Rural Authorized Person
RBI	:	Reserve Bank of India

RBSF	:	Risk Based Supervisory Framework
RBC	:	Risk Based Capital
REITs	:	Real Estate Investment Trusts
RSM	:	Required Solvency Margin
RTI	:	Right to Information
SAHI	:	Stand-alone Health Insurer
SCDRC	:	State Consumer Disputes Redressal Commission
SEBI	:	Securities and Exchange Board of India
SHGs	:	Self Help Groups
SLA	:	Surveyors and Loss Assessors
SPV	:	Special Purpose Vehicle
TOLIC	:	Town Official Language Implementation Committee
TPA	:	Third Party Administrator
UFBP	:	Unfair Business Practices
ULIP	:	Unit-Linked Product
USD	:	United States Dollar
VLE	:	Village Level Entrepreneur

MISSION STATEMENT

- ✓ To protect the interest of and secure fair treatment to policyholders;
- ✓ To bring about speedy and orderly growth of the insurance industry (including annuity and superannuation payments), for the benefit of the common man and to provide long term funds for accelerating growth of the economy;
- ✓ To set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates;
- ✓ To ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices and put in place effective grievance redressal machinery;
- ✓ To promote fairness, transparency and orderly conduct in financial markets dealing with insurance and build a reliable management information system to enforce high standards of financial soundness amongst market players;
- ✓ To take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced;
- ✓ To bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Members of the Authority

Chairperson	**Shri Debasish Panda**
Whole-time Members	
Actuary	**Shri Parmod Kumar Arora**
Life	**Shri B C Patnaik** (from 1st May 2023)
Finance & Investment	**Shri Rakesh Joshi** (up to 1st December, 2023)
	Shri Rajay Kumar Sinha (from 24th January 2024)
Distribution	**Smt. S. N. Rajeswari** (up to 3rd March, 2024)
	Shri Satyajit Tripathy (from 24th May, 2024)
Non-Life	**Shri Thomas M. Devasia** (up to 11th July, 2024)
	Shri Deepak Sood (from 12th August, 2024)
Part-time Members	
	Shri Suchindra Misra (up to 27th June, 2023)
	Dr. Maruthi Prasad Tangirala (from 28th June, 2023)
	CA Aniket Sunil Talati (up to 11th February, 2024)
	CA Ranjeet Kumar Agarwal (from 12th February, 2024)

SENIOR OFFICIALS OF IRDAI

(As on March 31, 2024)

EXECUTIVE DIRECTORS

Shri Suresh Mathur	Economic & Policy Analysis and Research (till 31.01.2024)
Shri Randeep Singh Jagpal	Non-Life
Dr. Mamta Suri	Finance & Investment and Internal Audit (till 30.11.2023)
Smt. J. Meena Kumari	Life & Supervision
Shri A. R. Nithiyanantham	Legal

CHIEF GENERAL MANAGERS

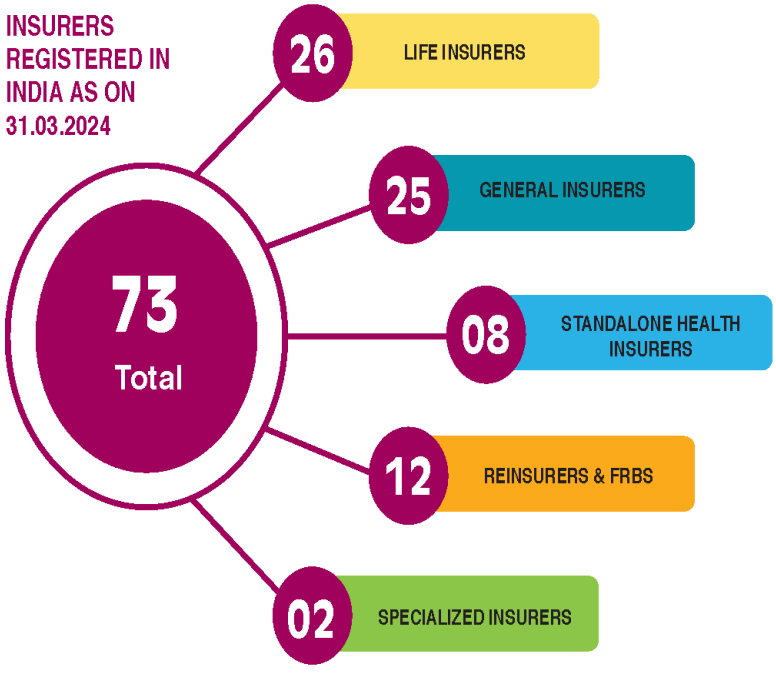
Smt. Yegnapriya Bharat	Health Insurance (till 30.11.2023)
Shri S. N. Jayasimhan	Economic & Policy Analysis and Research (till 31.12.2023)
Shri A. Ramana Rao	Health Insurance
Shri S.P Chakraborty	Actuarial
Shri Raj Kumar Sharma	Policyholder Protection & Grievance Redressal, Enforcement & Compliance
Shri D. V. S. Ramesh	Insurance Inclusion and Development
Shri G. R. Suryakumar	Finance & Investment
Shri P. S. Jagannatham	General Administration and HR
Smt. Anita Josyula	Intermediaries
Shri Sudipta Bhattacharya	Intermediaries
Shri K. Mahipal Reddy	Intermediaries
Shri T. S. Naik	Life Insurance

GENERAL MANAGERS

Shri A. Venkateswara Rao	Policyholder Protection and Grievance Redressal
Shri Prabhat Kumar Maiti	Actuarial and Chief Vigilance Officer
Smt. K.G. P. L. Ramadevi	General Administration and HR
Shri M. S. Jayakumar	Supervision
Shri T. V. Rao	Enforcement and Compliance, Internal Audit
Shri N. M. Behera	Health Insurance (till 30.04.2023)
Shri Pankaj Kumar Tewari	Health Insurance
Shri Ammu Venkata Ramana	Finance and Investment
Shri C. Srinivas Kumar	Actuarial
Shri N. S. K. Prabhakar	Life Insurance
Shri Manoj Kumar	Finance and Investment
Shri Mahesh Aggarwal	Finance and Investment
Shri Shardul Admane	Reinsurance
Smt. B. Padmja	Chairman's Secretariat and Board Secretariat
Shri D. S. Murthy	Non-Life Insurance
Shri Deepak Khanna	General Administration and HR
Shri Deepak Gaikwad	Intermediaries
Shri Prasad Rao Kalyaru	Legal
Shri Suresh Nair	Non-Life Insurance
Smt. Nimisha Srivastava	Insurance Inclusion and Development
Smt. R. Uma Mamaheswari	Intermediaries
Smt. Latha C.	Economic and Policy Analysis and Research
Shri Gopa Kumar E S	General Administration and HR (till 31.05.2023)
Shri Sanjay Kumar Verma	Enforcement and Compliance
Smt. Shiksha Shaha,	Non-Life insurance

HIGHLIGHTS

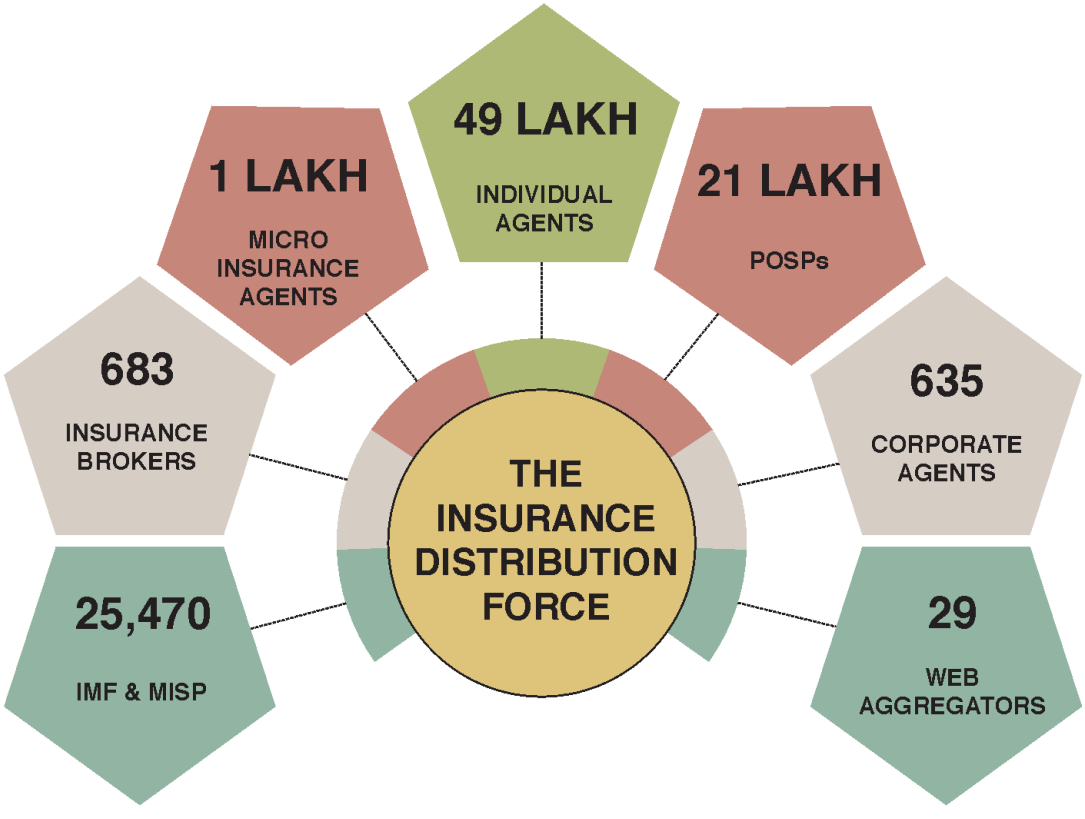
Insurance sector in India



New Insurers Registered during 2023-24

- Life Insurer — 1
- &
- Standalone Health Insurers — 2

Insurance distribution at a glance



Insurance Business at a glance for FY 2023-24

Total Policies Issued
36,51,65,000

Total Insurance Premium
₹ 11,19,613 crore

Life Insurance	General Insurance	Health Insurance*
₹ 8,29,929 Cr.	₹ 1,72,978 Cr.	₹ 1,16,694 Cr.

Total Claims Paid
₹ 7,66,172 crore

Life Insurance	General Insurance	Health Insurance*
₹ 5,77,021 Cr.	₹ 1,01,050 Cr.	₹ 88,101 Cr.

Total Assets Under Management
₹ 67,57,961 crore

Life Insurers	General Insurers	Health Insurers
₹ 61,56,850 Cr.	₹ 5,68,659 Cr.	₹ 32,452 Cr.

**Health Insurance includes PA & Travel Insurance.*

PART – I
POLICIES AND PROGRAMMES

I.1 REVIEW OF GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT

I.1.1 The International Monetary Fund (IMF) in its April 2024 *World Economic Outlook* highlighted the remarkable resilience of the global economy despite significant challenges, such as, disruptions in supply chains following the pandemic, a global energy and food crisis triggered by the geopolitical issues, and a notable uptick in inflation. Despite these challenges, the global economy has managed to steer clear of recession, largely due to coordinated monetary policy adjustments among major economies. Looking ahead, as per the Report, global growth is expected to maintain a steady trajectory of 3.2 percent for both 2024 and 2025. Inflation is projected to decrease from 2.8 per cent at the end of 2024 to 2.4 per cent by the close of 2025.

India's Economic Performance & Outlook in comparison with Global Trends

I.1.2 According to the IMF's Outlook, India's GDP growth surpassed both the world average and that of advanced economies. In 2023, India's GDP grew by 7.8 per cent, significantly higher than the global growth rate of 3.2 per cent and the 1.6 per cent growth rate of advanced economies. This trend continues in the projections for 2024 and 2025 as well, with India's GDP expected to grow by 6.8 per cent and 6.5 per cent, respectively. These figures remain well above the world output growth rate of 3.2 per cent for both years and the growth rates of advanced economies, projected at 1.7 per cent in 2024 and 1.8 per cent in 2025. This consistent outperformance underscores India's robust economic momentum compared to the global average and advanced economies.

Table I.1: Global Growth in Real GDP

(annual percentage change)

Particulars	2023	2024 (P)	2025 (P)
World Output	3.2	3.2	3.2
Advanced Economies	1.6	1.7	1.8
Emerging Market and Developing Economies	4.3	4.2	4.2
China	5.2	4.6	4.1
India	7.8	6.8	6.5

P- Projections. Source: IMF, World Economic Outlook, April 2024

I.1.3 As per provisional estimates of National Income released by National Statistical Office (NSO), India's Gross Domestic Product (GDP) at current prices in the year 2023-24 is estimated at ₹ 295.36 lakh crore, as against ₹ 269.50 lakh crore in 2022-23, showing a growth rate of 9.6 per cent.

The per capita GDP at current prices is ₹ 2,11,725 during 2023-24 as compared to ₹ 1,94,879 in 2022-23 showing a growth of 8.6 per cent. Per Capita Private Final Consumption Expenditure increased to ₹ 1,27,760 in 2023-24 from ₹ 1,18,755 in 2022-23 registering a 7.6 per cent increase.

I.1.4 Aggregate supply, measured by Gross Value Added (GVA) at basic prices, expanded by 8.5 percent in 2023-24 after registering an expansion of 14 per cent in 2022-23.

Table I.2: National Income Estimates of India

(at current prices)

Item	2022-23*	2023-24#	Growth (%)	
			2022-23	2023-24
Gross Value Added (GVA) at base prices (₹ lakh crore)	246.59	267.62	14.0	8.5
Gross Domestic Product (GDP) (₹ lakh crore)	269.50	295.36	14.2	9.6
Gross National Disposable Income (GNDI) (₹ lakh crore)	273.98	299.85	14.5	9.4
Per Capita GDP (₹)	1,94,879	2,11,725	13.0	8.6
Per Capita GNDI (₹)	1,98,125	2,14,951	13.3	8.5
Per Capita Private Final Consumption Expenditure (PFCE) (₹)	1,18,755	1,27,760	13.0	7.6

**First Revised Estimates, #Provisional Estimates*
Source: NSO, Press Note dated 31st May, 2024.

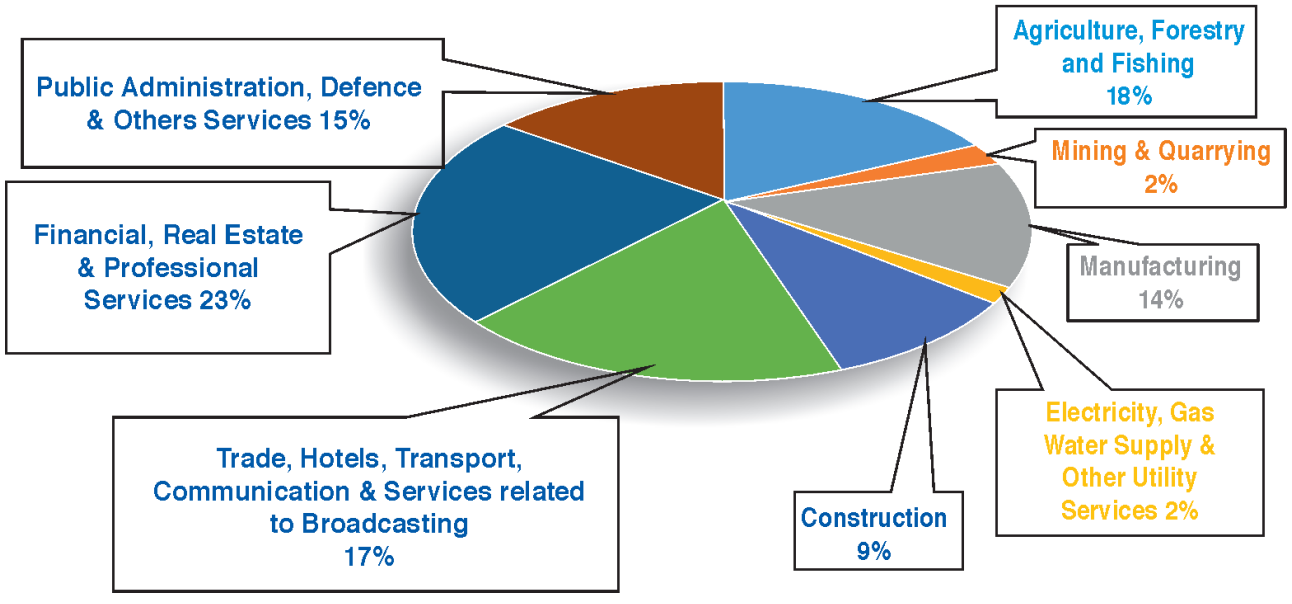
Table I.3: Estimates of Gross Value Added (GVA) by Economic Activity

(At current prices) (₹ lakh crore)

Industry	2022-23*	2023-24#	Growth (%)	
			2022-23	2023-24
I. Primary Sector	49.78	52.51	9.7	5.5
Agriculture, Livestock, Forestry & Fishing	44.84	47.25	9.4	5.4
Mining & Quarrying	4.94	5.25	12.6	6.3
II. Secondary Sector	63.19	68.67	8.8	8.7
Manufacturing	35.36	38.19	4.2	8.0
Electricity, Gas, Water Supply & Other Utility Services	6.04	6.63	4.6	9.8
Construction	21.78	23.83	18.7	9.4
III. Tertiary Sector	133.60	146.43	18.3	9.6
Trade, Hotels, Transport, Communication & Services related to Broadcasting	44.10	46.84	20.0	6.2
Financial, Real Estate & Professional Services	55.20	60.64	18.8	9.9
Public Administration, Defence & Other Services	34.30	38.95	15.4	13.8
GVA at Basic Prices	**246.59**	**267.62**	**14.0**	**8.5**

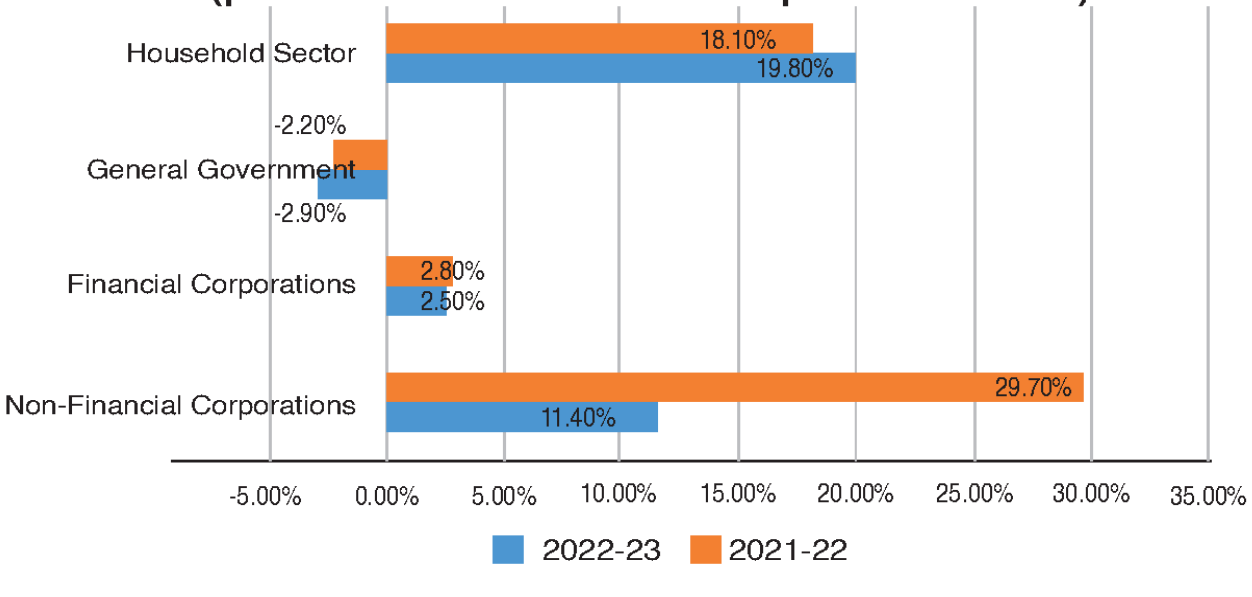
**First Revised Estimates; #Provisional Estimates;*
Source: NSO, Press Note dated 31st May, 2024

Chart I.1 Percentage shares of sectors in GVA at Current Price in 2023-24



I.1.5 Gross domestic savings as per cent to gross national disposable income (GNDI) moderated to 29.7 per cent in 2022-23 from 30.8 per cent in the preceding year, due to drop in household financial saving (net) to 5.2 per cent of GNDI in 2022-23 from 7.2 per cent in the previous year.

Chart 1.2 Domestic Savings in Indian Economy (percent of Gross National Disposable Income)



Source: RBI Annual Report 2023-24 (Appendix Table 3)

Table I.4: Financial Saving of the Household Sector

(Per cent of Gross National Disposable Income)

Item		2021-22	2022-23
Household Sector Savings		**19.8**	**18.1**
i.	Net Financial Savings (A-B)	7.2	5.2
ii.	Savings in physical assets	12.4	12.7
iii.	Savings in the form of valuables	0.3	0.2
A.	**Gross Financial Saving (of which)**	**10.9**	**10.9**
1.	Currency	1.1	0.9
2.	Deposits	3.5	4.0
3.	Shares and Debentures	0.9	0.8
4.	Claims on Government	1.1	0.9
5.	Insurance Funds	2.0	2.0
6.	Provident and Pension Funds	2.3	2.3
B.	**Financial Liabilities**	**3.8**	**5.7**

Source: RBI Annual Report 2023-24. (Table II.2.2)

I.2 Appraisal of Insurance Market

I.2.1 Appraisal of global insurance market

I.2.1.1 The Swiss Re Sigma Report (publication no. 03/2024) projects global non-life insurance premium to grow by 3.3 per cent in real terms in 2024, driven mainly by a continuation of hard market conditions. Premiums grew by 3.9 per cent in 2023, a notable improvement from 0.8 per cent growth in 2022. The main driver was rate hardening in advanced markets, with insurers upping prices to cover rising claims. Rates are likely to fall as claims inflation eases, and a premium growth of 2.6 per cent is forecasted for 2025. This growth will be mainly driven by rate hardening in personal and ongoing price strength in commercial lines. The motor market is expected to continue getting momentum during 2024 after growth rebounded to 5.9 per cent in 2023, ending three consecutive years of contraction. However, health premiums may decline due to the end of pandemic support policies in the US, offsetting some volume increases in other lines of business. The profitability of non-life business is set to improve, with slowing inflation eventually leading to a reduction in claims severity.

I.2.1.2 Health contributes close to half of global non-life insurance premiums. Health premium is expected to grow by 3 per cent in real terms in 2024. With wages and healthcare expenses exceeding CPI inflation, health insurance pricing is likely to remain elevated. Property insurance premium is expected to grow by 4.7 per cent in 2024 on continuation of hard market conditions, following a 6.1 per cent gain in 2023.

I.2.1.3 Swiss Re forecasts global premiums for life insurance to grow by 2.5 per cent in real terms in 2024 and will reach USD 4.7 trillion by 2034, up from this year's estimated USD 3 trillion. In advanced markets, the growth will be propelled by savings business as the higher interest rate reset makes savings products more attractive. In the emerging markets, life insurance penetration will continue to increase as the growing middle income household class demand more retirement planning products. It is estimated that with continued robust premium growth in both the life and non-life markets, global premiums (life and non-life) will grow by 3.2 per cent in real terms in 2024 to USD 7.6 trillion, followed by some moderation to 2.6 per cent growth in 2025.

Table I.5: Growth in Real Premium by Region in the World in 2023

(In per cent)

Regions	Life	Non-Life	Total
Advanced Markets	-0.7	3.6	2.0
Emerging markets	7.8	5.3	6.6
Asia-Pacific	3.1	3.6	3.3
India	0.6	7.9	2.4
World	1.3	3.9	2.8

Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No. 03/2024)

I.2.1.4 According to Sigma data, the United States remains the most prominent insurance market globally, with total premiums more than USD 3 trillion in 2023-24. China is the second-largest market, with total premium of USD 724 billion. The UK moved to third place, surpassing Japan, which slipped to fourth. France, Germany, and South Korea maintained their rankings but lost market share due to negative growth and currency devaluations.

Indian Insurance in the Global Scenario

I.2.1.5 India's insurance market is one of the fastest-growing globally, and Swiss Re forecasts India, currently at number 10, to be the fastest growing market of the G20 over the next five years. The growth outlook is based on strong economic growth, rising disposable incomes, a young population, increased risk awareness, digital penetration, and regulatory developments. India, Canada, and Brazil increased their shares of global premiums last year. Asian markets have five seats in the Top 20 rankings, representing a 22 per cent of market share.

I.2.1.6 As per Swiss Re report, Indian insurance market experienced a slowdown due to rising inflation and change in tax norms for high-ticket policies. While the life premium volumes grew by 0.6 per cent in 2023-24, the non-life insurance sector experienced a growth in 2023-24, with premiums increasing by 7.9 per cent in real terms. The rising demand for term life covers in India is expected to boost real premium growth by an estimated 5 per cent.

Table I.6: Premium Volume by Region in the World in 2023

(in USD billion)

Regions	Life	Non-Life	Total
Advanced Markets	2,185.58 (37.42)	3,655.51 (62.58)	5,841.09 (100)
Emerging markets	703.41 (52.30)	641.67 (47.70)	1,345.08 (100)
Asia-Pacific	1,062.14 (60.30)	699.47 (39.70)	1,761.61 (100)
India	100.19 (73.68)	35.77 (26.32)	135.96 (100)
World	2,889.00 (40.20)	4,297.18 (59.80)	7,186.17 (100)

Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No. 03/2024)
Figures in bracket represent per cent to total

Insurance Penetration and Density

I.2.1.7 Insurance penetration and density are two metrics often used to assess the level of development of the insurance sector in a country. While insurance penetration is measured as the percentage of insurance premiums to GDP, insurance density is calculated as the ratio of premium to population (per capita premium).

Table I.7: Insurance Penetration – India Vs World (% age)

Regions	Life Insurance		Non-Life Insurance		Total (Life+Non-Life)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
India	3	2.8	1	1	4	3.7
World	2.8	2.9	4	4.2	6.8	7

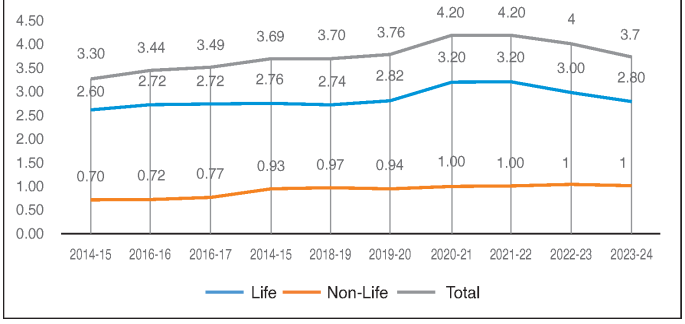
Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No. 03/2024)

Note: The data for India is for 12 months April 2023 to March 2024 (FY2023-24), whereas it is for 12 months of Calendar Year 2023 for the rest of the World.

I.2.1.8 In 2023-24, India's insurance penetration was at 3.7 per cent as compared to 4 per cent in 2022-23. The insurance penetration for Life Insurance industry marginally declined from 3 per cent in the previous year to 2.8 per cent during 2023-24. The penetration with respect to Non-Life Insurance Industry remained same at 1 per cent during 2023-24 as in 2022-23.

A long term trend in the insurance penetration and density of India is provided in the Charts I.3 & I.4. Trends in penetration and densities across the world for select countries is depicted in Charts I.5 & I.6.

Chart I.3 Insurance Penetration in India



Source: Swiss Re, Sigma World Insurance Report, various issues (Penetration - in per cent)

Table I.8: Insurance Density– India vs World (USD)

Regions	Life Insurance		Non-Life Insurance		Total (Life+Non-Life)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
India	70	70	22	25	92	95
World	354	361	499	528	853	889

Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No. 03/2024)

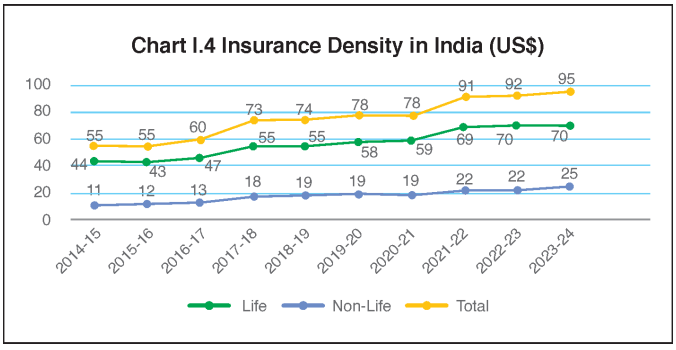
Note: The data for India is for 12 months April 2023 to March 2024(FY 2023-24), whereas it is for 12 months of Calendar Year 2023 for the rest of the World.

I.2.1.9 In 2023-24, the insurance density in India showed a modest rise, increasing from USD 92 in 2022-23 to USD 95 in 2023-24. Specifically, non-life insurance density increased from USD 22 to USD 25, while life insurance density remained stable at USD 70. This upward trend in insurance density has been consistent since 2016-17.

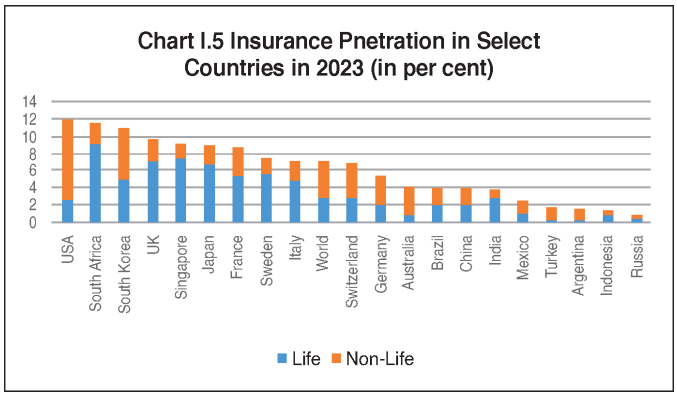
I.2.1.10 As per Swiss Re Sigma World Insurance Report, globally insurance penetration and density were 2.9 per cent and USD 361 for the life segment and 4.2 per cent and USD 528 for the Non-life segment. Overall, insurance penetration and density were 7 per cent and USD 889 respectively in 2023.

I.2.1.11 Estimates of Insurance penetration and density in India by Swiss Re that are collated from its yearly reports are presented. Insurance penetration and density in selected countries are reproduced from Swiss Re Institute report in Statement 1 and 2, respectively.

A long term trend in the insurance penetration and insurance density of India is provided in the Charts I.3 & I.4. Trends in penetration and densities across the world in select countries is depicted in Charts I.5 & I.6.

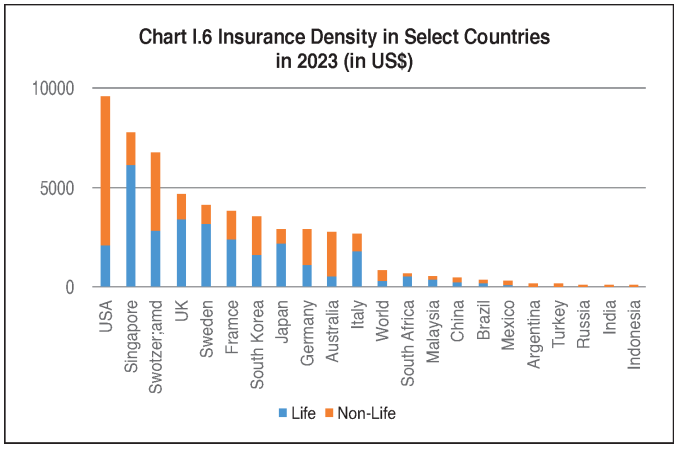


Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report, Various issues (Density in USD)



Note: Insurance Penetration is measured as percentage of Insurance premium to GDP

Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No 03/2024)



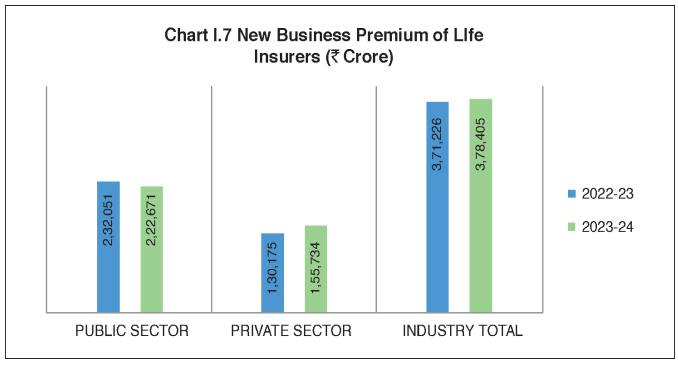
Note: Insurance Density is measured as ratio of Insurance premium to population

Source: Swiss Re Sigma World Insurance Report (No 03/2024)

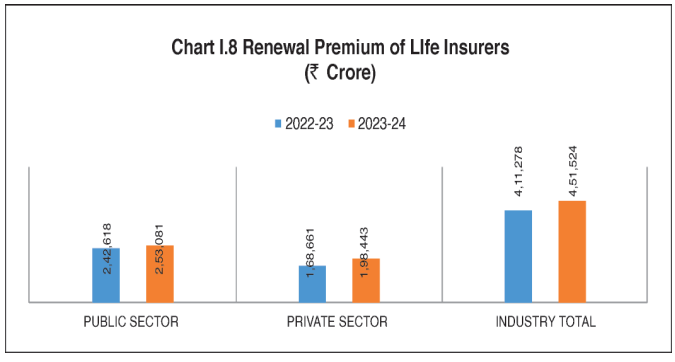
I.2.2 Appraisal of Indian Insurance Market

Business Performance of Life Insurance Sector

I.2.2.1 The Life Insurance market in India has recorded a consistent premium growth over the years. During 2023-24, the Life insurance industry recorded the premium income of ₹ 8.30 lakh crore registering 6.06 per cent growth. The private sector life insurers have clocked a growth of 15.05 per cent in premium, while the public sector life insurer recorded a growth of 0.23 per cent in premium.



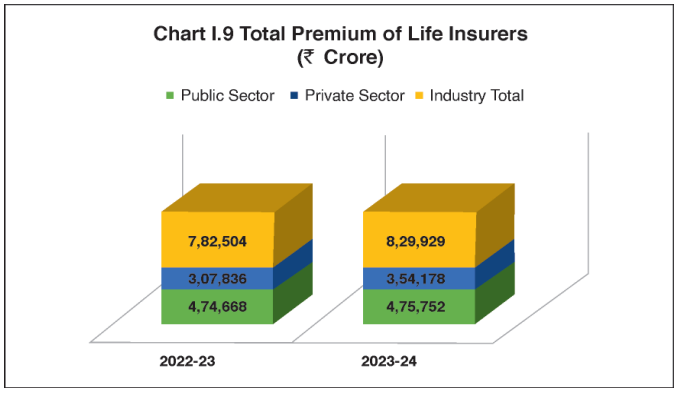
I.2.2.2 Renewal Premium contributed to 54.41 per cent in total premium underwritten by Life insurers in 2023-24. The balance 45.59 per cent was contributed by the New Business Premium. The growth in New Business Premium was 1.93 per cent compared to renewal business at 9.79 per cent. Single premium products continue to contribute a major share for public sector life insurer with a contribution of 38.60 per cent of its total premium while it was 22.38 per cent for private sector life insurers. The insurer-wise data for life insurance premium is provided in Statement 3. The bifurcation of total premium underwritten into linked and non-linked is provided in Statement 4.



I.2.2.3 Life Insurance Corporation of India (LIC) is the only Indian life insurer underwriting business outside of India and collected a total premium of ₹ 476.25 crore during 2023-24.

I.2.2.4 Non-linked products contributed ₹ 7.08 lakh crore, contributing 85.36 per cent of total premium and the share of linked stood at 14.64 per cent. The business from traditional products grew by 4.56 per cent and the same for linked products is 15.73 per cent.

I.2.2.5 Life insurance segment constitutes 79.88 per cent of total life insurance premium followed by Pension and Annuity segments together about 19.74 per cent. A detailed statement is provided at Statement 5.



I.2.2.6 During 2023-24, life insurers issued 291.77 lakh new policies under Individual Business, out of which the public sector Insurer issued 203.93 lakh policies (69.89 per cent) and the private life insurers issued 87.84 lakh policies (30.11 per cent). While, the private sector insurers registered a growth of 9.23 per cent, public sector insurer reported a de-growth by 0.18 per cent and the industry registered a growth of 2.48 per cent in the number of new policies issued against their previous year.

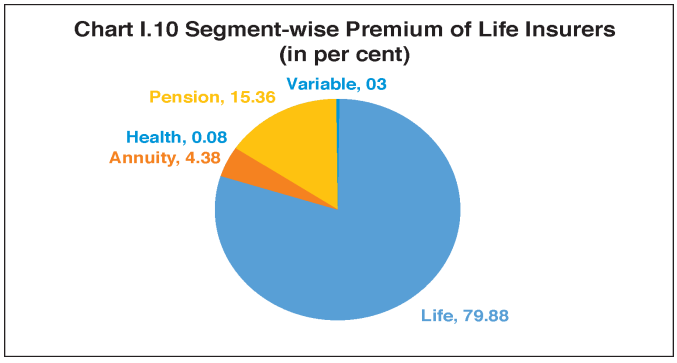


Table I.9: Business Performance of Life Insurers

(Amount in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2022-23			2023-24		
		Public Sector	Private Sector	Industry Total	Public Sector	Private Sector	Industry Total
1	Premium Underwritten within India (₹ Crore)						
1(a)	First Year Premium (FY)	39,089.94 (6.66)	70,834.75 (-4.20)	**1,09,924.69** (-0.60)	39,037.95 (-0.13)	76,469.86 (7.96)	**1,15,507.81** (5.08)
1(b)	Single Premium	1,92,960.65 (18.90)	68,340.47 (62.75)	**2,61,301.13** (27.92)	1,83,633.45 (-4.83)	79,264.19 (15.98)	**2,62,897.64** (0.61)
1 (c)	New Business (FY + Single Premium)	2,32,050.60 (16.65)	1,39,175.22 (20.05)	**3,71,225.82** (17.90)	2,22,671.40 (-4.04)	1,55,734.05 (11.90)	**3,78,405.45** (1.93)
1(d)	Renewal Premium	2,42,617.54 (5.90)	1,68,660.61 (13.46)	**4,11,278.15** (8.88)	2,53,080.52 (4.31)	1,98,443.49 (17.66)	**4,51,524.01** (9.79)
1 (e)	Total Premium (New + Renewal)	4,74,668.14 (10.90)	3,07,835.83 (16.34)	**7,82,503.97** (12.98)	4,75,751.92 (0.23)	3,54,177.54 (15.05)	**8,29,929.46** (6.06)
2	Premium from Outside India (₹ Crore)	404.78	-	**404.78**	476.25	-	**476.25**
3	New Policies Issued under Individual Business (in lakhs)	204.24 (-5.96)	80.42 (8.77)	**284.7 (-2.21)**	203.93 (-0.18)	87.84 (9.23)	**291.77 (2.48)**
4	**Segment-wise Premium Underwritten (₹ crore)**	**Linked**	**Non-Linked**	**Total**	**Linked**	**Non-Linked**	**Total**
4 (a)	Annuity	-	33,637.33	**33,637.33**	-	36,378.09	**36,378.09**
4(b)	Health	146.60	594.58	**741.18**	132.22	551.54	**683.76**
4 (c)	Life	91,479.51	5,05,741.57	**5,97,221.08**	1,06,459.45	5,56,474.15	**6,62,933.60**
4(d)	Pension	13,329.79	1,35,295.68	**1,48,625.47**	14,878.13	1,12,566.13	**1,27,444.26**
4 (e)	Variable	-	2,278.91	**2,278.91**	-	2,489.75	**2,489.75**
4(f)	Total	1,04,955.90	6,77,548.07	**7,82,503.97**	1,21,469.80	7,08,459.66	**8,29,929.46**
5	**Benefits Paid (₹ crore)**	**Public Sector**	**Private Sector**	**Industry Total**	**Public Sector**	**Private Sector**	**Industry Total**
5(a)	Death Claim	23,423.34	18,034.00	**41,457.34**	22,624.61	19,659.60	**42,284.21**
5(b)	Maturity	1,85,043.90	27,941.45	**2,12,985.34**	2,08,136.42	34,562.76	**2,42,699.18**
5 (c)	Surrender/Withdrawal	1,11,896.15	86,943.27	**1,98,839.42**	1,33,803.32	95,441.88	**2,29,245.20**
5(d)	Annuities/ Pensions	17,892.71	2,803.55	**20,696.26**	20,106.73	3,802.60	**23,909.33**
5 (e)	Others	1,056.57	21,830.19	**22,886.77**	1,278.07	37,605.36	**38,883.43**
5(f)	**Total**	3,39,312.67	1,57,552.46	**4,96,865.13**	3,85,949.15	1,91,072.20	**5,77,021.35**

Note: 1. Figures in bracket indicates growth over the previous year in per cent.
2. Death Claim is net of Reinsurance
3. Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd. (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 02.06.2023 and the above data /information for the FY 2023-24 does not include data /information pertaining to SILIC.

Financial Performance of Life Insurers

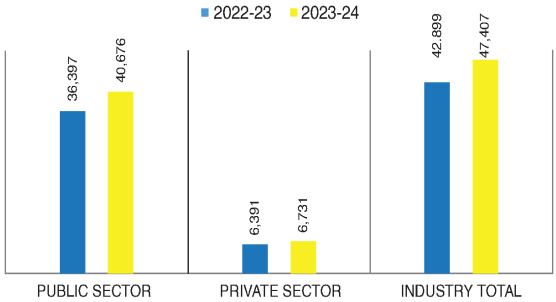
I.2.2.7 As of 31st March, 2024, total paid-up capital of the life insurance sector stood at ₹ 37,073 crore, reflecting a 6.05 per cent increase compared to the previous year. This increase was primarily attributed to ₹ 980 crore infusion of additional capital in Tata AIA Life Insurance Company Limited and ₹ 429 crore capital invested by the three new life insurers namely, Acko Life Insurance Limited, Credit Access Life Insurance Limited and Go Digit Life Insurance Limited. Further, eight other life insurers injected an additional ₹ 707 crore into the life insurance industry. Consequently, the net impact on the total paid-up capital for the fiscal year 2023-24 was an increase of ₹ 2,116 crore.

During the year, two private sector life insurers have raised a total of amount of ₹ 299.50 crore under Other Forms of Capital. As on 31st March, 2024, the total amount of Other Forms of Capital with life insurers was ₹ 5,231.50 crore.

I.2.2.8 Investment income (Policyholder's and Shareholder's) including capital gains and other Income of life insurance industry increased by 59 per cent to ₹ 6.19 lakh crore as on 31st March 2024. While the public sector life insurer recorded 21.29 per cent growth, private sector life insurers experienced 220.12 per cent growth in investment income in the year 2023-24.

I.2.2.9 During 2023-24, 18 life insurance companies reported profits. Profits of life insurance industry grew by 10.79 per cent in 2023-24 with profit after tax (PAT) of ₹ 47,407 crore as against ₹ 42,788 crore in 2022-23. The public sector life insurer reported increase in profits by 11.75 per cent while private sector life insurers together reported an increase in profit by 5.32 per cent in 2023-24. The dividend paid (including Interim dividend) by private sector life insurers stands at ₹ 1,549.83 crore for FY 2023-24. The public sector life insurer has paid ₹ 4,427.50 crore in dividend (including Interim dividend) to its shareholders for the year 2023-24.

Chart I.11 Profit after tax of Life Insurers
(₹ Crore)



I.2.2.10 IRDAI (Expenses of Management of Insurers Transacting Life Insurance Business) Regulations, 2023 prescribe the allowable limits of expenses of management taking into account, inter alia the type and nature of product, premium paying term and duration of insurance business. During the year 2023-24, out of 26 life insurers, 17 were compliant with the aforementioned regulations. Eight life insurers had exceeded the limits of expenses on an overall basis in Par and Non-Par (including Linked) business and their request for forbearance is under examination. The life insurance industry reported total expenses of management of ₹ 1.40 lakh crore during 2023-24 which was 16.94 percent of total premium.

I.2.2.11 During 2023-24, life insurers paid total amount of ₹ 51,524 crore as commission. The commission expenses ratio (commission expenses expressed as a percentage of premium) increased to 6.21 per cent in 2023-24 from 5.41 per cent in 2022-23. However, total commission outgo increased by 21.74 per cent (total premium growth 6.06 per cent) during 2023-24 as compared to previous year.

I.2.2.12 The operating expenses of the life insurers decreased by 0.45 per cent to ₹ 89,044 crore in 2023-24 and operating expenses ratio (operating expenses as a per cent of gross premium underwritten) of life insurance industry decreased from 11.43 per cent in 2022-23 to 10.73 per cent in 2023-24.

Table I.10: Financial Performance of Life Insurers

(in ₹ Crore)

S. No.	Particulars	2022-23			2023-24		
		Public Sector	Private Sector	Industry Total	Public Sector	Private Sector	Industry Total
1	**Paid up Capital**						
1(a)	Beginning of the FY	6,325.00	29,221.75	**35,546.75**	6,325.00	28,632.05	**34,957.05**
1(b)	Additions during the FY	0	(-)589.70	**(-)589.70**		2,116.50	**2,116.50**
1 (c)	End of the Financial Year	6,325.00	28,632.05	**34,957.05**	6,325.00	30,748.55	**37,073.55**
2	**Commission Expenses**						
2(a)	First Year Commission	12,558.62	11,872.05	**24,430.67**	12,358.00	17,291.90	**29,649.90**
	Increase over PY in per cent	15.96	39.17	26.19	-1.60	45.65	21.36
2(b)	Commission on Single Premium	514.77	1,085.84	**1,600.61**	485.56	4,079.03	**4,564.59**
	Increase over PY in per cent	0.27	1.59	0.61	-5.67	275.66	185.18
2(c)	New Business Commission (a+b)	13,073.39	12,957.88	**26,031.28**	12,843.56	21,370.93	**34,214.49**
	Increase over PY in per cent	5.63	9.31	7.01	-1.76	64.93	31.44
2 (d)	Renewal Commission	12,506.97	3,783.67	**16,290.65**	13,115.56	4,194.00	**17,309.56**
	Increase over PY in per cent	5.16	2.24	3.96	4.87	10.84	6.25
2(e)	Total Commission (c+d)	25,580.37	16,741.56	**42,321.92**	25,959.12	25,564.93	**51,524.05**
	Increase over PY in per cent	5.39	5.44	5.41	1.48	52.70	21.74
3	**Operating Expenses**	48,145.60	41,297.02	**89,442.62**	48,121.68	40,922.23	**89,043.91**
	Increase over PY in per cent	10.14	13.42	11.43	-0.05	-0.91	-0.45
4	**Investment Income**	3,15,189.00	73,873.00	**3,89,062.00**	3,82,286.91	2,36,484.56	**6,18,771.47**
5	**Profit after Tax**	36,397	6,391	**42,788**	40,675.79	6,731.49	**47,407.28**
6	**Dividend Paid (including Interim dividend)**	948.75	1229.91	**2,178.66**	4,427.50	1,549.83	**5,977.33**

Benefits paid by Life Insurers

I.2.2.13 The life insurance industry paid total benefits of ₹ 5.77 lakh crore in 2023-24 which constitutes 70.22 per cent of the net premium. The benefits paid on account of surrenders / withdrawals increased by 15.29 per cent to ₹ 2.29 lakh crore in 2023-24 of which public sector life insurer accounted for 58.36 per cent. During the year under review, out of the total surrender benefits, benefits for linked policies accounted for 33.21 per cent for private sector life insurers and 1.04 per cent for the public sector life insurer.

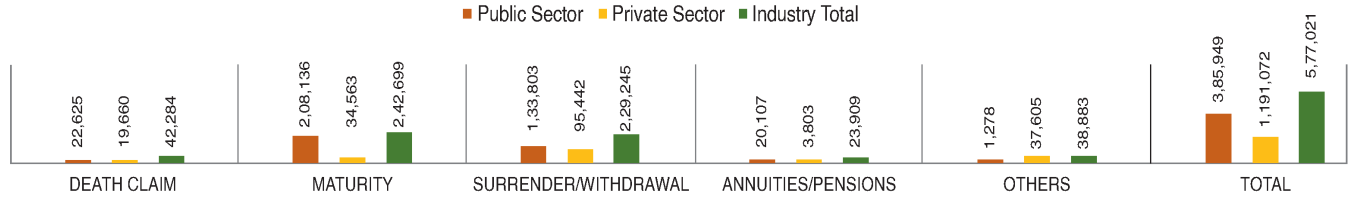
Table I.11: Actual Death Claims of Life Insurers

(in ₹ Crore)

Segment	Particulars	Total Claims	Claims paid	Claims Repudiated	Claims rejected	Claims Unclaimed	Claims pending at end of FY
Individual Business	Number of Policies	10,00,045	9,82,615	10,375	6,033	564	458
	In Per cent	100	98.26	1.04	0.60	0.06	0.05
	Amount Paid	30,224	28,868	865	28	48	414
	In Per cent	100	95.51	2.86	0.09	0.16	1.37
Group Business	Number of Lives	14,86,853	14,80,087	4,206	253	1	2,306
	In Per cent	100	99.54	0.28	0.02	0.00	0.16
	Amount Paid	20,221	19,644	443	10	0	123
	In Per cent	100	97.15	2.19	0.05	0.00	0.61

Note: 1. Claims rejected are those claims that cannot be considered due to policy terms and conditions.
2. Claims repudiated are claims that cannot be considered as per the provisions of section 45 of Insurance Act, 1938.

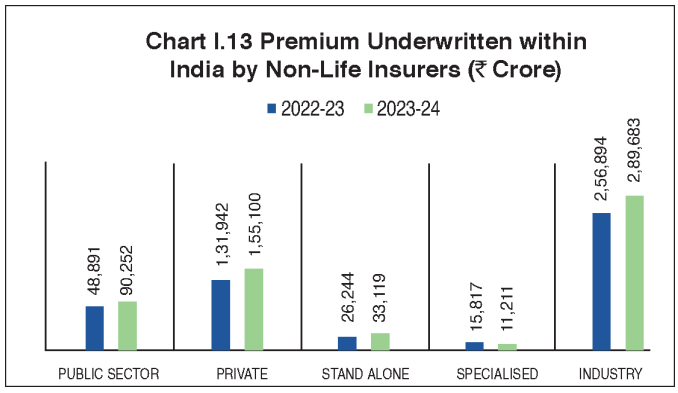
Chart I.12 Benefits paid by Life Insurers (₹ Crore)



Appraisal of Non-Life Insurance Market

Business Performance of General, Health and Specialized Insurance Sector

I.2.2.14 During 2023-24, the non-life insurance industry underwrote a total direct premium of ₹ 2.90 lakh crore in India registering a growth of 12.76 per cent from previous year. The contribution of Public Sector General insurers increased by 8.88 per cent from ₹ 82,891 crore in 2022-23 to ₹ 90,252 crore in 2023-24. Private sector insurers (including standalone health insurers) have underwritten ₹ 1.88 lakh crore as against ₹ 1.58 lakh crore in 2022-23. Out of all non-life insurers, 24 private insurers (including standalone health insurers) operating in the year 2023-24, reported an increase in premium underwritten as compared to the previous year. The specialized insurers underwrote gross direct premium amounting to ₹ 11,211 crore. The public sector general insurers together contributed to 35.03 per cent of the market share while the private sector general insurers contributed to the remaining 64.97 per cent.



I.2.2.15 Three public sector insurers other than United India Insurance are underwriting general insurance business outside India. The total premium underwritten outside the country by these three public sector insurers stood at ₹ 3,939 crore in 2023-24 as against ₹ 3,434 crore in 2022-23 registering a growth of 14.72 percent.

I.2.2.16 Among various segments under non-life insurance business, health insurance business is the largest segment with a contribution of 40.29 percent (38.02 percent in 2022-23) of the total premium. Health Insurance Segment reported growth of 19.50 percent (21.32 percent growth in 2022-23). The Motor segment witnessed a year-on-year growth of 12.91 percent with premium collection amounted to ₹ 91,780 crore in 2023-24 from ₹ 81,280 crore of 2022-23. The share of the Motor segment in the total premium marginally increased to 31.68 percent from 31.64 percent of previous year. The premium collection in fire segment increased by 7.27 percent and in Marine segment increased by 0.65 percent in 2023-24.

Table I.12: Business Performance of General, Health & Specialised Insurers

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2022-23					2023-24				
		Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized Insurers	Industry Total	Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized Insurers	Industry Total
1	Gross Direct Premium within India	82,891.26 (10.47)	1,31,941.83 (20.22)	26,243.85 (25.77)	15,817.32 (5.12)	**2,56,894.27 (16.4)**	90,252.13 (8.88)	1,55,090.19 (17.55)	33,119.30 (26.20)	11,211.34 (-29.12)	**2,89,683.22 (12.76)**
2	Gross Direct Premium within & outside India	86,324.81 (10.2)	1,31,941.83 (20.22)	26,243.85 (25.77)	15,817.32 (5.12)	**2,60,327.82 (16.22)**	94,191.20 (9.11)	1,55,090.19 (17.55)	33,119.30 (26.20)	11,211.34 (-29.12)	**2,93,622.30 (12.79)**
3	**Segment-Wise Premium (Within India)Underwritten**										
3a	Fire	8,889.69	15,046.44	NA	NA	**23,936.12**	9,223.41	16,443.11	NA	NA	**25,666.52**
3b	Marine	2,155.49	2,903.17	NA	NA	**5,058.66**	2,157.53	2,933.96	NA	NA	**5,091.49**
3c	Motor	23,689.90	57,590.14	NA	NA	**81,280.04**	25,817.49	65,963.05	NA	NA	**91,780.54**
3d	Health (including Personal Accident)	41,172.21	30,247.44	26,243.85	NA	**97,663.50**	43,567.17	40,007.47	33,119.30	NA	**1,16,693.95**
3e	Others	6,983.97	26,154.66	NA	15,817.32	**48,955.94**	9,486.54	29,742.60	-	11,211.34	**50,440.48**
3f	**Total**	82,891.26	1,31,941.83	26,243.85	15,817.32	**2,56,894.27**	90,252.13	1,55,090.19	33,119.30	11,211.34	**2,89,672.97**
4	**Policies Issued (in lakhs)**	603.74 (-4.46)	1,699.84 (19.41)	138.26 (9.78)	576.26 (21.24)	**3,018.1 (13.6)**	645.72 (6.95)	2,004.72 (17.94)	151.11 (9.29)	558.32 (-3.11)	**3,359.88 (11.32)**
5	**Net Incurred Claims**	70,643.49	60,201.57	12,787.28	5,680.40	**1,49,312.74**	77,970.83	73,084.55	16,630.62	4,604.46	**1,72,290.45**

Note: Figures in brackets indicate growth percentages.

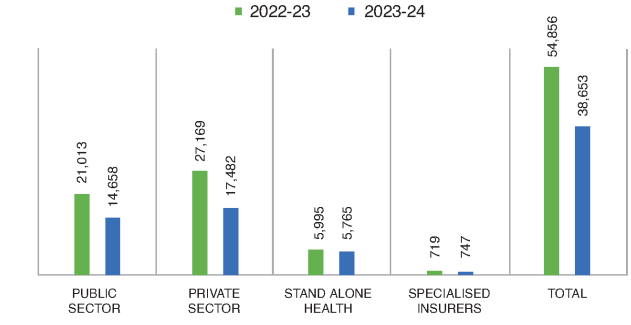
Financial Performance of General, Health Insurers and Specialised Insurers

I.2.2.17 As of 31st March, 2024, the combined paid-up capital of all non-life insurers amounted to ₹ 42,245 crore, an increase from the previous year's amount of ₹ 40,375 crore. Over the course of 2023-24, general and health insurers added ₹ 1,870 crore to their equity capital base. Private sector general insurers infused ₹ 1,065 crore in the financial year, while standalone health insurers injected capital amount of ₹ 805 crore.

I.2.2.18 During the financial year 2023-24, the General insurance companies have raised Other Forms of Capital amounting to ₹ 1,687 crore. Total under other forms of capital as on 31st March 2024 is ₹ 6,014 crore.

I.2.2.19 Commission expenses and operating expenses constitute a major part of the total expenses. The gross commission expenses of public sector general insurers, private general insurers, standalone health insurers and specialized insurers stood at ₹ 7,359 crore, ₹ 26,235 crore, ₹ 5,940 crore and ₹ 66 crore respectively for 2023-24, thus cumulatively amounting to a total gross commission expense of ₹ 39,601 crore for the non-life insurance industry. The operating expenses of non-life insurers stood at ₹ 38,653 crore in 2023-24 as against ₹ 54,862 crore in 2022-23, showing an overall decrease of 29.55 percent. The operating expenses of public sector general insurers, private general insurers, standalone health insurers and specialized insurers stood at ₹ 14,658 crore, ₹ 17,482 crore, ₹ 5,765 crore and ₹ 747 crore respectively for 2023-24.

Chart I.14 Operating expenses of General and Health Insurers (₹ Crore)



I.2.2.20 During the financial year 2023-24, one private insurer was under exemption period of the norms pertaining to expenses of management (EoM) as the insurer was yet to complete its first five years of operations. Out of remaining insurers, 16 insurers were compliant. 15 insurers were non-compliant and their request for forbearance is under examination. In case of Reliance Health Insurance Ltd., its business portfolio has been transferred to Reliance General Insurance Co. Ltd and two new insurers namely Narayana Health Insurance Limited & Galaxy Health and Allied Insurance Company Limited have not started their operations in FY 2023-24.

I.2.2.21 The investment income of all non-life insurers during 2023-24 was ₹ 44,129 crore (₹ 38,839 crore in 2022-23) registering a growth of 13.62 percent. The growth in investment income of public sector insurers, private sector insurers, standalone health insurers and specialized insurers was 3.40 per cent, 24.49 percent, 37.74 percent and 10.66 percent respectively.

I.2.2.22 The underwriting losses of non-life insurers decreased to ₹ 28,555 crore in 2023-24 (₹ 32,797 crore in the previous year). The losses decreased by 12.93 percent over the previous year. The public sector insurers' underwriting losses constituted 66 per cent of non-life industry losses amounting to

₹ 18,862 crore and remaining by private sector insurers amounting to ₹ 10,758 crore. Standalone health insurers reported an increase in underwriting losses in 2023-24 which is ₹ 723 crore as compared to underwriting loss of ₹ 529 crore in 2022-23. The underwriting profit of Specialized insurers increased to ₹ 1,788 crore in 2023-24 from ₹ 1,747 crore in 2022-23.

I.2.2.23 During the year 2023-24, the aggregate profit of the non-life insurance sector increased to ₹ 10,119 crore as against a net loss of ₹ 2,566 crore in 2022-23. The public sector companies reported a profit of ₹ 157 crore. The profit after tax for private sector general insurers was ₹ 5,983 crore, specialized insurers was ₹ 3,063 crore and the standalone health insurers was ₹ 915 crore.

I.2.2.24 During the year 2023-24, public sector general insurers paid dividend of ₹ 318.06 crore and six private sector general insurers collectively paid dividends amounting to ₹ 1,403.50 crore and specialised insurers paid dividend of ₹ 40 crore. None of the Standalone Health Insurers paid dividend during FY 2023-24.

Table I.13: Financial Performance of General, Health and Specialised Insurers

(in ₹ crore)

S. No.	Particulars Segments	2022-23					2023-24				
		Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized Insurers	Total	Public Sector	Private Sector	SAHI	Specialized Insurers	Total
1	**Paid-up Capital of General, Health and Specialised Insurers**										
	At the beginning of the FY	18,724.00	10,341.76	4,639.33	4,150.00	**37,855.09**	18,724.00	12,033.19	5,080.10	4,538.00	**40,375.29**
	Additions during the year	0.00	1,691.43	440.77	388.00	**2,520.20**	0.00	1,064.86	805.18	0.00	**1,870.04**
	End of the FY	18,724.00	12,033.19	5,080.10	4,538.00	**40,375.29**	18,724.00	13,098.05	5,885.29	4,538.00	**42,245.34**
2	**Commission Expenses**										
2(a)	Fire	1,051.91	1,322.54	NA	NA	**2,374.45**	1,224.28	1,944.19	NA	NA	**3,168.48**
2(b)	Marine	193.40	324.00	NA	NA	**517.4**	201.57	411.61	NA	NA	**613.19**
2(c)	Motor	2,355.06	4,890.36	NA	NA	**7,245.42**	3,099.07	16,578.20	NA	NA	**19,677.27**
2(d)	Health	1,958.56	2,732.89	3486.64	NA	**8,178.09**	1,926.58	5,570.75	5,939.98	NA	**13,437.31**
2(e)	Others	781.96	922.54	NA	124.84	**1,829.34**	907.66	1,730.46	NA	66.21	**2,704.33**
	Total	**6,340.89**	**10,192.33**	**3,486.64**	**124.84**	**20,144.70**	**7,359.16**	**26,235.22**	**5,939.98**	**66.21**	**39,600.56**
3	**Operating Expenses**	21,012.59	27,169.30	5,955.18	719	**54,856.06**	14,658.09	17,482.14	5,765.17	747.42	**38,652.83**
4	**Investment Income**	19,655.63	15,585.69	1,551.59	2,046.48	**38,839.38**	20,324.02	19,403.36	2,137.10	2,264.55	**44,129.04**
5	**Profit After Tax**	-10,607.44	4,664.69	447.21	2,929.84	**-2,565.70**	157.34	5,983.35	914.75	3,063.28	**10,118.72**
6	**Underwriting profit/losses**	-25,316.56	-8,698.81	-528.8	1,746.69	**-32797.47**	-18,862.47	-10,758.37	-722.82	1788.39	**-28,555.27**
7	**Dividends Paid**	49.44	1166.21	0.00	40.00	**1,255.65**	318.06	1403.50	0	40.00	**1,761.56**

Note: NA- Not Applicable

Claims of General Insurers, Health Insurers and Specialised Insurers:

I.2.2.25 During 2023-24, the aggregate net incurred claims reported an increase by 15.39 per cent over the previous year amounted to ₹ 1.72 lakh crore (₹ 1.49 lakh crore during previous year). Separately, the public sector general insurers, private sector general insurers and standalone health insurers reported an increase of 10.37 per cent, 21.4 per cent and 30.06 per cent respectively, while the specialized insurers reported a decrease in the incurred claims by 18.94 per cent.

I.2.2.26 The incurred claims ratio (net incurred claims to net earned premium) of the non-life insurance industry was 82.52 per cent during 2023-24 as against 82.95 per cent of previous year. The incurred claims ratio for public sector insurers was 97.23 percent for the year 2023-24 as against the previous year's incurred claims ratio of 99.02 percent. Whereas, the incurred claims ratio for the private sector general insurers, standalone health insurers and specialized insurers were at 76.49 percent, 63.63 percent and 66.58 percent respectively for the year 2023-24 as compared to the previous year's ratio of 75.13 percent, 61.44 percent and 73.71 percent respectively.

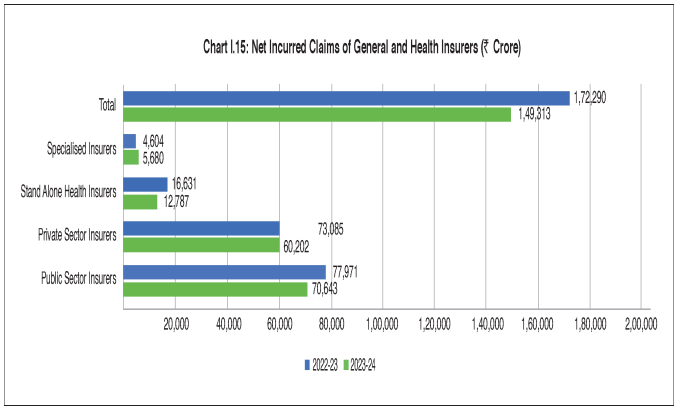


Table I.14: Segment-wise Incurred Claims Ratio of General, Health and Specialised Insurers

S. No.	Parti-culars	2022-23					2023-24				
		Public Sector	Private Sector	Stand -alone Health Insurers	Specialized Insurers	Total	Public Sector	Private Sector	Stand -alone Health Insurers	Specialized Insurers	Total
a	Fire	66.21	44.11	NA	NA	**57.99**	83.46	69.67	NA	NA	**78.33**
b	Marine	56.89	87.90	NA	NA	**75.13**	54.01	83.50	NA	NA	**72.39**
c	Motor	102.55	75.60	NA	NA	**84.48**	99.57	73.30	NA	NA	**81.98**
d	Health	105.77	80.09	61.44	NA	**87.27**	103.16	83.49	63.63	NA	**86.35**
e	Others	78.15	69.58	NA	73.71	**73.10**	75.26	74.98	NA	66.58	**72.78**
	Total	**99.02**	**75.13**	**61.44**	**73.71**	82.95	**97.23**	**76.49**	**63.63**	**66.58**	82.52

Note: NA- Not Applicable

I.2.2.27 During FY 2023-24 General Insurers including Specialized insurers have paid total claims (excl. health insurance business) amounting to ₹ 1,01,050 crore. Out of this private general insurers have paid 55 per cent i.e. ₹ 55,524 crore, whereas PSU general insurers paid 32 per cent i.e. ₹ 32,131 crore. Specialized Insurers paid ₹ 13,396 crore i.e. 13 per cent.

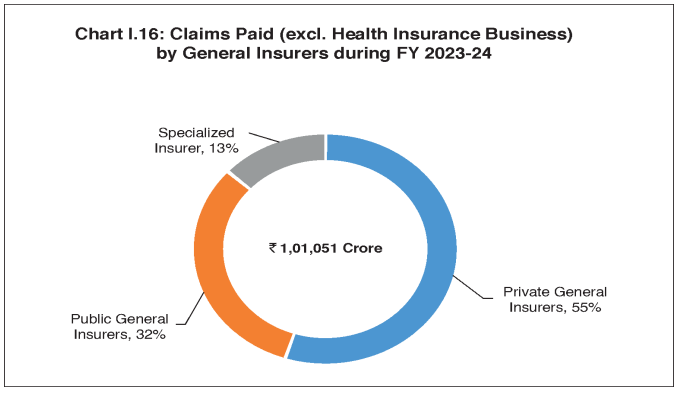


Table I.15 Line of Business-wise Claims paid by General Insurers (excl. Health Insurance Business)

in ₹ Crores

Line of Business (LOB)	PSUs	Private - excluding SAHI	Specialised
Fire	4,696	5,791	-
Marine (Cargo)	659	1,797	-
Marine (Hull)	380	59	-
Aviation	85	110	-
Engineering	684	771	-
Motor OD	8,858	18,420	-
Motor TP	14,233	13,517	-
Liability insurance	194	886	-
Crop Insurance	1,251	12,408	12,938
Credit Insurance	49	91	450
All Other Miscellaneous	1,042	1,674	7
Total	**32,131**	**55,524**	**13,396**

Places of Business of Insurers

Life Insurance Sector

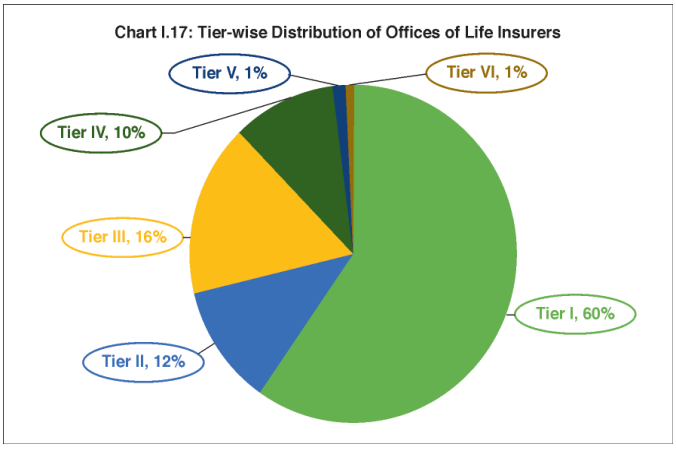
I.2.2.28 The number of life insurance offices stood at 11,517 as on 31st March, 2024 which is 261 more than the previous year. Around 60 per cent of life insurance offices are located in Tier I centres where the population is one lakh and above. About 0.77 per cent of life Insurance offices are in Tier VI centres with a population of less than 5,000.

I.2.2.29 As at 31st March, 2024, the public sector life insurer had offices in 696 districts out of 785 districts in the country, covering 89 per cent of districts in the country, whereas the private sector life insurers had offices in 621 districts covering 79 per cent of all districts in the country. The public and private insurers together have covered around 90 per cent of all districts in the country. In 20 out of 36 states/ UTs, all the districts were covered through life insurance offices. The number of districts without a life insurance office stood at 80 in the country, out of which 73 districts belong to the north eastern states.

Table I.16: Offices of Life Insurers

Location	As on 31st March, 2023			As on 31st March, 2024		
	Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
Tier I	1,855	4,834	**6,689**	1,858	5,024	**6,882**
Tier II	562	749	**1,311**	562	786	**1,348**
Tier III	1,360	496	**1,856**	1,360	515	**1,875**
Tier IV	1,043	114	**1,157**	1,043	120	**1,163**
Tier V	126	31	**157**	126	34	**160**
Tier VI	55	31	**86**	55	34	**89**
Total	**5,001**	**6,255**	**11,256**	**5,004**	**6,513**	**11,517**

Tier I - Population 1,00,000 & Above
Tier II - Population of 50,000 to 99,999
Tier III - Population of 20,000 to 49,999
Tier IV - Population of 10,000 to 19,999
Tier V - Population of 5,000 to 9,999
Tier VI - Population less than 5,000



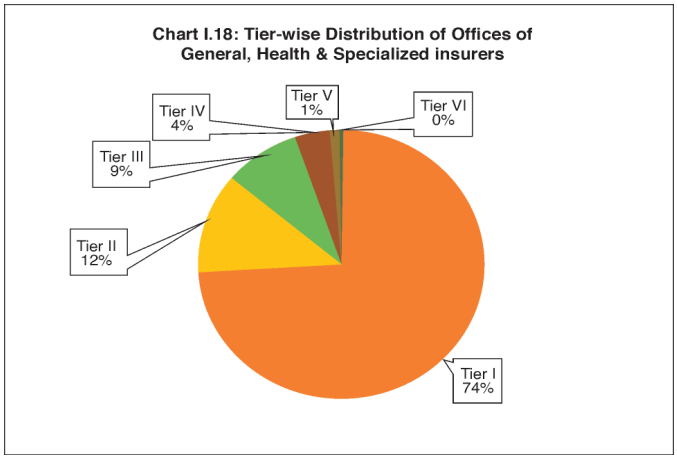


Table I.17: Offices of General, Health and Specialized Insurers

Location	As on 31st March 2023					As on 31st March 2024				
	Public	Private	SAHI	Specialized	Total	Public	Private	SAHI	Specialized	Total
Tier I	3,477	2,449	1,220	72	**7,218**	3,296	2,579	1,325	73	**7,273**
Tier II	783	170	177	-	**1,130**	711	270	186	0	**1,167**
Tier III	781	48	107	-	**936**	658	71	118	0	**847**
Tier IV	405	14	22	-	**441**	320	21	27	0	**368**
Tier V	124	16	0	-	**140**	114	13	0	0	**127**
Tier VI	42	9	1	-	**52**	38	0	1	0	**39**
Total	**5,612**	**2,706**	**1,527**	**72**	**9,917**	**5,137**	**2,954**	**1,657**	**73**	**9,821**

General & Health Insurance Sector

I.2.2.30 As on 31st March, 2024, the general insurers were operating from 8,164 offices (excluding standalone health insurers) as against 8,390 offices for FY 2022-23, all over the country. When compared to the previous FY, for Public sector general insurers there is decrease of 475 offices, for Private sector general insurers there is increase of 246 offices and for Specialized insurers there is increase of 1 office. Overall there is decrease of 226 general insurance offices (excluding standalone health insurers) as compared to previous FY.

I.2.2.31 As on 31st March, 2024, 5,948 (72.86 per cent) offices of general insurers are located in Tier I areas having population more than 1,00,000. There are 981 (12.02 per cent) offices of general insurers located in Tier II areas having population between 50,000 to 99,999. There are 728 (8.92 per cent) offices of general insurers located in Tier III areas having population between 20,000 to 49,999. There are 341 (4.18 per cent) offices of general insurers located in Tier IV areas having population between 10,000 to 19,999. 127 (1.56 per cent) offices of general insurers are located in Tier V areas having population between 5,000 to 9,999.38 (0.47 per cent) offices of general insurers are located in Tier VI areas having population below 5,000.

1.2.2.32 As on 31st March 2024, the number of offices of stand-alone health Insurers (SAHI) stood at 1,657 while the same was 1,527 as on 31st March, 2023. As such, during FY 2023-24, there is an increase of 130 offices of SAHI companies. As per tier-wise classification of offices, it is observed that 80 per cent of offices (1,325 offices) are located in Tier-I cities, 11 per cent of the offices (186 offices) are located in Tier-II cities, 7 per cent of the offices (118 offices) are located in Tier-III cities and 2 per cent of the offices (27 offices) are located in Tier-IV cities. There are no offices of standalone health insurers in Tier-V cities. There is one office in Tier-VI cities.

I.3 Registered Insurers/Reinsurers

I.3.1 As at 31st March, 2024, the total number of registered insurers and reinsurers was 73. There were 26 Life Insurers, 25 General Insurers, and 7 Standalone health insurers operating in India. The list of registered insurers and re-insurers is provided at Annexure 1.

Table I.18: Number of Registered Insurers and Reinsurers

Type of Insurer	Public Sector	Private Sector	Total
Life	1	25	26
General	4	21	25
Specialized	2	-	2
Standalone Health	-	8	8
Reinsurers/ FRBs	1	11	12
Total	**8**	**65**	**73#**

Note: The IRDAI vide order ref. No. IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 dated November 06, 2019 issued directions to Reliance Health Insurance Ltd. to stop selling new policies.

Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd. (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 2.6.2023.

The above list includes both Reliance Health Insurance Ltd. & Sahara India Life Insurance Co. Ltd.

I.4 Policies and Measures to Develop Insurance Market

I.4.1 Modification on Surety Insurance Guidelines

I.4.1.1 Vide circular dated 15th May, 2023 the Surety Insurance Guidelines, 2022 were amended. The guidelines prescribed under clause 6.1 (a) that a General insurer can underwrite surety business when the solvency margin is maintained above 1.25 times the control level of solvency. This requirement is withdrawn in order to enable all General insurers to offer surety insurance products in the wake of expanding the scope of surety insurance to all commercial and contractual surety requirements. Further the limit of guarantee restricted to 30 per cent of the contract value under 6.4 (d) of the guidelines, is removed in order to meet the requirements of contracts.

These changes were aimed to enhance the accessibility of surety insurance products and encourage more insurers to participate in servicing the growing demand across various sectors of the economy, particularly the infrastructure sector.

I.4.2 Modification of Trade Credit Insurance Guidelines

I.4.2.1 IRDAI issued guidelines on trade credit insurance in September, 2021 to protect business against the risk of non-payment for goods and services by buyers. The Guidelines set out the regulatory framework that facilitated trade credit insurance covers to suppliers as well as to banks and other financial institutions.

IRDAI examined the feasibility of Trade Credit Insurance cover against “reverse factoring” transactions on TReDS platforms. Trade Credit Insurance cover is provided to the financiers to cover default of the buyer against the invoices financed on TReDS platform. IRDAI (Trade Credit Insurance)

Guidelines, 2021 allows single Invoice covers through bill discounting / factoring on Invoice discounting e-Platforms such as TReDS. However, it restricts cover against reverse factoring transactions to participate as "Fourth Participant" in TReDS.

It is observed that Reverse Factoring has over 50 per cent share of TReDS business volume and the delinquency in both factoring and reverse factoring transactions on TReDS is low at sub 0.1 per cent. Considering this and the benefit to MSMEs in getting quick finance on TReDS platforms, trade Credit insurance covers are allowed for reverse factoring transactions on TReDS platforms only by making amendment dated 9th October, 2023 to Para 5.3 A of the guidelines.

I.4.3 Customer Information Sheet

I.4.3.1 To empower policyholders with deeper understanding of their insurance coverage, IRDAI mandated issuance of a concise and updated Customer Information Sheet (CIS) to the policyholders. The CIS is designed to provide policyholders all important information about their insurance policy in simple language in a snapshot which, among others, includes details such as policy name, coverage, waiting periods, limits, exclusions, and key concepts.

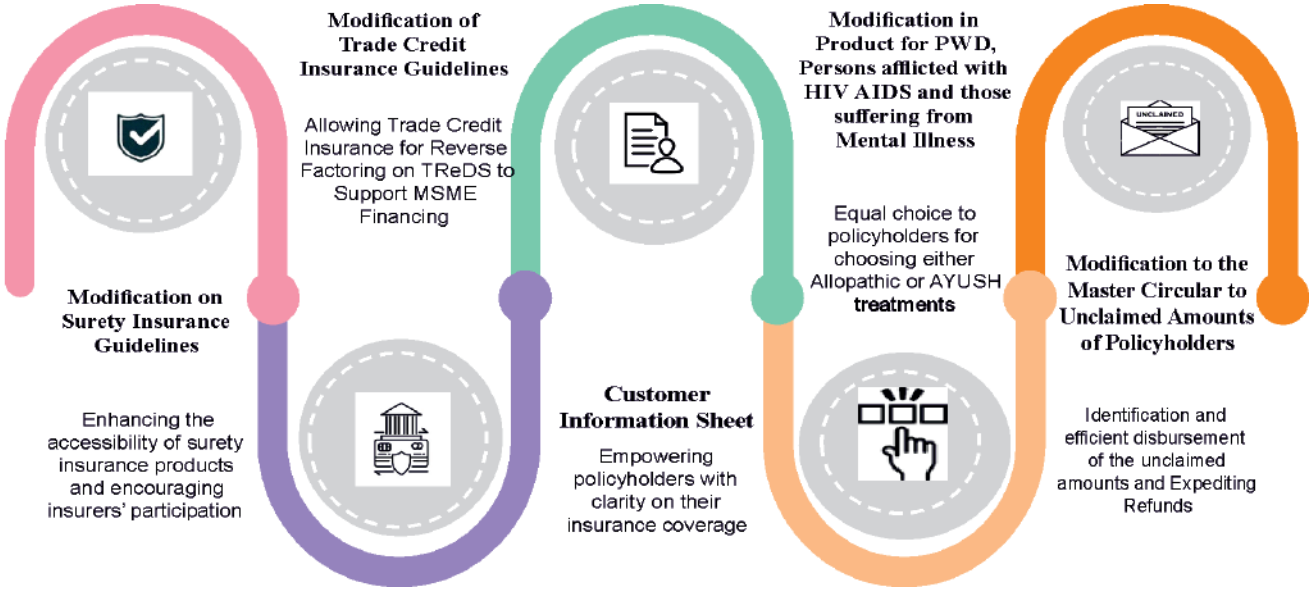
I.4.4 Modification in Product for PWD, Persons afflicted with HIV/AIDS and those suffering from Mental Illness

I.4.4.1 The circular with reference no. IRDAI/HLT/CIR/MISC/58/02/2023 has been modified to provide equal choice to policyholders for choosing either allopathic or AYUSH treatments. The provision now allows coverage of expenses incurred for AYUSH inpatient treatments up to 100 per cent of the Sum Insured.

I.4.5 Modification to the Master Circular to Unclaimed Amounts of Policyholders

I.4.5.1 The increasing unclaimed amounts with the insurers has been identified as a regulatory concern. As such, the master circular dated 17th November, 2020, IRDA/F&A/CIR/MISC/202/11/2020 was modified. A detailed write-up on the unclaimed amounts is placed at Box Item I.1.

POLICIES AND MEASURES TO DEVELOP INSURANCE MARKET



BOX I.1

EFFORTS TOWARDS REDUCTION OF UNCLAIMED AMOUNTS

The Unclaimed Amounts of Life Insurers at the beginning of the FY2023-24 was ₹ 22,237 Crore. In order to reduce the unclaimed amounts, expedite refunds to consumers and to contain the further accumulation of unclaimed amounts with the insurers, a special drive was initiated by IRDAI for a period of 6 months during June 2023 to November 2023 and the progress of clearance of unclaimed amounts lying with the life insurers during this period was monitored on a monthly basis. A net reduction of ₹ 1,018.23 crore was witnessed in respect of life insurers during this special drive period. For the benefit of consumers, modification to 'Master circular on Unclaimed Amount's was issued on 16th February, 2024 for proper identification and efficient disbursement of the unclaimed amounts, modifying few definitions including that of 'unclaimed amount' and suggested measures for adoption by insurers towards reduction of existing unclaimed amounts and to contain further accumulation of the unclaimed amounts.

Measures suggested for adoption by the insurers:

For reduction of existing unclaimed amounts	To arrest future accumulation
i) Prompt existing policyholders at the time of payment of renewal premium (online/offline) to update their mobile number, email address, current address, bank account details, nominee details etc, by flashing existing details and send intimations accordingly	i) Make accountable the respective agents, intermediaries, group master policyholders and other distribution channels involved in the solicitation for tracing of consumers and update the contact details, bank account details etc.
ii) Undertake ongoing KYC for existing policies, Re-KYC of minors on immediately attaining majority.	ii) Put in place fool-proof systems to automatically validate mobile numbers and email addresses of existing and new consumers to ensure that these details are not of their distribution channels.
iii) Engage with Credit Bureaus, Account Aggregators, CSC/POS, e-commerce portals for tracing consumers.	iii) To make provisions in the insurer's website/portal/ App to enable policyholders to update their contacts including Email-ids, bank account details and nominee details at any point of time with secure login.
iv) Advertise in Print/Digital media to reach out to consumers who are not traceable.	iv) Send advance notifications in respect of maturity claims and survival benefits at least 6 months in advance, through all possible modes, and advise them to provide KYC/Bank details; follow-up notifications may be sent every 2 months thereafter to customers who have not responded.
v) In all communications (except in respect of termination/exit of contracts) sent to consumer, include a foot-note advising consumer to update contact details, nominee details and bank account details in case of any change.	v) Develop online tool for processing and payment of unclaimed amounts once the consumers identify the amounts due to them in the websites of insurers
	vi) Put in place appropriate systems and controls to address fraudulent claims and practices

Additionally, web-links to the insurers' websites are made available in the Bima Bharosa portal of the IRDAI which facilitates consumers to search unclaimed amounts across the insurers. The Unclaimed Amounts of Life Insurers at the end of the FY2023-24 was ₹ 20,062 Crore.

I.5 Research and Development Activities

Every year insurers carry out various research and development activities to promote ease of accessibility, understanding and usage of insurance solutions for consumers. Below are some of the innovative activities/initiatives undertaken by insurance companies during 2023-24:

Life Insurers

- Introduction of AI based conversation intelligence platform using advanced NLP (Natural Language Processing) and Machine Learning to convert conversations into actionable insights.
- Introduction of Voice analytics using Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML) to automate quality evaluation of calls, assessing parameters like call center quality, customer mood, predictive Customer Satisfaction Score (CSAT), escalation flags, repeat probability, theme-based analysis, and agent performance.
- Implementation of Underwriting Co-pilot for system-driven checks in financial and medical underwriting, leveraging AI/ML and Optical Character Recognition (OCR) technologies to provide relevant suggestions and streamline decision-making processes.
- Crafting of engaging and relatable social media campaigns by utilizing AI-generated images that resonate with consumers.
- Exploration of Generative AI/Large Language Models (LLMs) for document summarization, key points extraction, content retrieval, and creation to streamline operations and reduce manual efforts.
- WhatsApp Conversational Platform driven by intelligent AI, revolutionized customer interactions with instant policy issuance, automated claims processing, and personalized 24/7 support.
- AI-based propensity models for sales and risk management, aiding in product recommendations, efficiency in renewal collection, and minimizing fraud and early claims risks.
- Using Generative AI to analyze customer data to send personalized communication, analyze market trends and customer demographics thereby enhancing customer satisfaction. Generative AI integration in chatbot to avoid manual integration of static FAQs.
- Implementation of AI-based Voice IVR system for inbound contact centres, enabling customers to verbally interact in English, Hindi, and Hinglish.
- Development of Research Library tool curating a vast repository of research materials, providing insights from numerous reports and emotional context for informed decision-making.
- Post Issuance Profile Verification (PIPV) Analytics to identify suspicious policies immediately after issuance, improving fraud detection and reducing investigation costs associated with PIPV.
- Claim Fraud Detection Model to flag potentially fraudulent early death claims based on risk propensity, integrated into real-time assessment processes to expedite claim evaluations and enhance fraud detection capabilities.

- Series of customized researches to understand and identify the needs, aspirations and barriers of the underserved customer cohorts such as working women, gig workers, Gen Z jobbers, etc. towards providing adequate insurance cover.
- Surveys in the fields of short term and long term financial goals of customers such as retirement planning, wealth creation and management, protection insurance, etc. that enable developing a well-knit social security eco system.
- Research on female customers to delve into their behavioral patterns, psychological insights, and social media habits, deriving valuable perspectives on various aspects of their lives like education, profession, personal mile-stones that influence their decision of purchasing appropriate insurance solutions.
- Survey to delve deep into the aspirations of the Indian population, redefining insurance roles to support customers in achieving life goals.
- Launch of app to revolutionize sales team operations in the digital age, enhancing customer experiences with CRM integration, cloud-calling for direct engagement, and smart nudges for service opportunities.
- Implementation of claims system for faster processing, offering customers a paperless journey and real-time claim status updates via the customer app.
- Introduction of platform for distributors and frontline sales, enabling faster and paperless processing of customer service requests.
- Enabling customers to manage service requests through a Do-It-Yourself (DIY) and paperless process.
- Integration with Ayushman Bharat Health Account (ABHA) ecosystem for creating ABHA IDs to facilitate sharing of medical records, enhancing service efficiency.
- Launch of corporate connect program to foster innovation and collaboration, to build future ready capabilities by reaching to new age companies, start-ups, fintechs, etc.
- Introduction of digital self-service options through Bot and WhatsApp, empowering customers to manage their services independently through a convenient mobile app.
- Automation of customer service email response using NLP (Natural Language Processing) technology.
- Enhancing customer touchpoints with Voice bot services for a seamless experience.
- Progressive Web App (PWA) revolutionized digital on boarding by offering a flexible, collaborative, and user-centric platform that adapts to the evolving needs of users and partners alike.
- Introduction of Fuzzy Match Tool (FMT) for comparing customer names across platforms, reducing processing time and errors in underwriting.
- Leveraging the power of Robotic Process Automation (RPA) to build capacity, reduce

errors and processing times by automating high-volume and repetitive tasks.

General & Health Insurers

- Introduction of Digital Health Assessment Platform (DHAP) to revolutionize health vitals screening using AI and machine learning to compute key body vitals, optimize signal-to-noise ratios, and conduct remote photo plethysmography for face scans.
- AI capabilities to enhance pre-inspection, claims processing, and fraud detection through image/video analysis and live video streaming, reducing settlement times and fraud risks significantly.
- Application of AI and ML to enhance motor underwriting processes by analyzing driving behavior data alongside historical claims data.
- Application of Generative AI focused on summarizing and contextualizing motor claims form data, simplifying hospital discharge data and deploying intelligent chatbot for customer queries.
- Development of AI-powered SME insurance platform to generate insurance quotes by analyzing unstructured documents like emails and PDF quote slips.
- Conversational Claim Bot and Smart Crop Claim System for efficient end-to-end processing of crop claims using Automatic Speech Recognition (ASR), Natural Language Processing (NLP), Dialog Management and voice analytics.
- Claims resolution sessions to facilitate transparency and customer confidence by reviewing claims decisions in virtual meetings with doctors.
- Innovating with drone technology for precise crop assessment and launching a farmer-centric app for streamlined insurance management.
- Study to understand the perceptions of farmers about existing crop insurance schemes and to access the scope for integrated insurance services.
- Portal for SME customers providing a seamless user experience using integrated communication tools for policy purchase, management and claims processing.
- Development of touchpoints to offer self-service options (Do-It-Yourself) to customers, allowing them to address specific queries independently through automated processes.
- Development of scoring engines for different user personas for tailored service recommendations for policyholders and claims processing.
- Integration of geospatial intelligence in risk underwriting for enhanced risk segmentation in retail and corporate sectors.
- Cloud-based calling for facilitating seamless interaction between motor claims customers and service personnel to improve overall customer service.

- Transition to open data architecture on cloud platforms leading to cost and time efficiencies with multi-language programming capabilities.
- Cyber retail product across digital platforms to address widespread cyber risks with initiatives like doorstep repair, repair by night, and self-survey options for motor insurance aim to ensure convenience and satisfaction for customers.
- Collaborations with InsurTechs to enable policy issuance with real-time validations, enhancing customer experience.
- Enhanced mobile app functionality to not only feature claim status, but also initiate claim process, resolve pendency & estimate closure.
- Pursuing the ICR/ OCR platforms to digitize service provider level interface to augment operational efficiency & customer satisfaction.

I.6 Review

I.6.1 Protection of Interest of Policyholders

I.6.1.1 IRDAI has further enhanced and strengthened regulatory framework for the protection of policyholders' interests under the IRDAI (Protection of Policyholders' Interests and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024 which supersede IRDAI (Protection of Policyholder's Interests) Regulations, 2017. The Regulations ensure fair treatment of prospects during solicitation and sale of insurance policies and protect the interests of policyholders throughout their engagement with insurers and distribution channels. They mandate that insurers and distribution channels adhere to standardized procedures and best practices to fulfil their obligations, including prompt grievance resolution with a focus on policyholder needs.

I.6.1.2 To protect the interest of the policyholders of Sahara India Life Insurance Company (SILIC), in exercise of powers under sub-section (2) of Section 52B of the Insurance Act, 1938, the IRDAI transferred the life insurance business of SILIC to SBI Life Insurance Company Ltd on 2nd June, 2023. A detailed order was issued on 2nd June, 2023 which came in to effect immediately. SBI Life was directed to take adequate steps to reach out to the policyholders of SILIC, with regard to servicing of policies. Pursuant to this SBI Life taken over the policy liabilities of around two lakh policies of SILIC, backed by the policyholders' assets. The Authority also has taken necessary steps to ensure the smooth transition for all policyholders of SILIC.

Consumer Education

I.6.1.3 Consumer Education is indispensable for financial inclusion. The mandate of regulating, promoting and ensuring orderly conduct of insurance business and protection of policyholders' interest, can be achieved only through holistic Consumer education. Consumer education through understanding and education enables individuals, particularly those in underserved communities, to make informed decisions about insurance, access suitable policies, and effectively utilize insurance to safeguard their financial well-being. This education is crucial for enhancing insurance penetration, promoting financial resilience, and ensuring equitable access to insurance services across diverse demographics.

IRDAI fosters consumer education through the development and dissemination of consumer educational material. It runs an exclusive consumer education website www.policyholder.gov.in, which boasts of comprehensive educational resources transcending the whole journey of the customer towards insurance inclusion. Amongst the various initiatives undertaken, some of the important insurance literacy initiatives taken by IRDAI are:

Awareness Campaigns

1) Awareness campaigns such as Live Phone-In program organized through All India Radio (AIR), Telangana on the topic of Policyholders' Protection and Grievance Redressal. It was widely advertised by the AIR and was appreciated for its theme and relevance. It garnered rave reviews and was a hit amongst the audience.

2) An online "Tagline Contest" on the MyGov.in portal was organized to seek captions representing IRDAI's role as a regulatory and development body in the insurance sector. The contest aimed to highlight IRDAI's commitment to ensuring the availability of insurance across all regions of the country and to every segment of society. Citizens were invited to participate in the contest and had the opportunity to win exciting prizes. The contest received an overwhelming response with over 15,000 entries, resulting in extensive publicity.

Insurance Awareness Campaigns by way of Adoption of Districts

I.6.1.4 To promote financial inclusion through insurance, IRDAI has encouraged insurance companies to adopt districts for spreading insurance literacy and coverage. The campaigns target aspirational districts identified by NITI Aayog. The initiative has gained momentum in terms of number of awareness campaigns and outreach programs conducted. It is hailed as the path-breaking collaborative initiative in the right direction for the diverse populace to achieve the last mile coverage.

Implementation of National Strategy for Financial Education

I.6.1.5 The National Strategy for Financial Education (NSFE) 2019-2024 is a comprehensive plan aimed at promoting financial literacy and empowerment among individuals across India. The NSFE aims to improve overall financial well-being and resilience within the population by fostering a culture of financial prudence and inclusivity. The implementation of NSFE is facilitated through the National Centre for Financial Education (NCFE) which is an institution comprising representatives from all financial sector regulators in India. IRDAI as one of the promoters of NCFE, continues to play a directional role in multi-dimensional endeavours undertaken for the implementation of the NSFE.

I.6.1.6 IRDAI is actively pursuing initiatives to enhance insurance awareness and coverage nationwide to align with the goal of achieving 'Insurance for All by 2047'.In order to encourage insurers to spend considerable amounts on insurance awareness initiatives, IRDAI has allowed additional allowance to the extent of 5 per cent of allowable expenses of management of Life insurers under Regulation 7 of IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business Regulations), 2023 with effect from 1st April 2023.

Similar facility was also extended to the General Insurers to spend a 5 per cent over and above the allowable limit in creating insurance awareness.

I.6.1.7 Spurious calls impersonating officials from the IRDAI, Bima Bharosa, insurers and other governmental or financial institutions pose a significant threat to the insurance industry and public trust. IRDAI has issued several public notices, press releases, advertisements in leading TV Channels, newspapers, and directions to insurers to caution public against spurious phone calls and fictitious/ fraudulent offers at various touch points and in the media as well. These communications are designed to alert the public about the dangers of dealing with fraudulent entities/individuals posing as insurance representatives.

I.6.2 Maintenance of Solvency Margin of Insurers

I.6.2.1 Every insurer and reinsurer shall at all times maintain solvency margin higher than the control level of solvency, which currently is 150 per cent of Required Solvency Margin, i.e. to ensure that the Available Solvency Margin is at least 150 per cent of Required Solvency Margin at all times. The Required Solvency Margin shall not be less than fifty per cent of the amount of minimum capital as stated under Section 6 of the Insurance Act, 1938 whereas the Available Solvency Margin is the excess of value of assets over the amount of liabilities. The IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 describe in detail the method of computation of the Available and Required Solvency Margin.

Solvency Position of Life Insurers

I.6.2.2 All the life insurers complied with the minimum stipulated solvency ratio of 1.50 (control level of solvency), as at 31st March, 2024. Insurance company wise solvency ratio for life insurers is provided in Statement 11.

Solvency Position of General, Health & Specialized Insurers

I.6.2.3 As at 31st March, 2024, 26 private sector general insurers (including the standalone health insurers) have complied with the stipulated Solvency Ratio of 1.50. Public sector insurers namely National, Oriental and United have reported solvency ratio of (-)0.45, (-)1.06 and (-)0.59 times respectively, as on 31st March, 2024.

New India has reported solvency ratio of 1.81 as on 31st March 2024. As at 31st March, 2024, the specialized insurers, i.e. AIC and ECGC reported a solvency ratio of 3.34 and 47.87 respectively.

Solvency Position of Reinsurers

General Insurance Corporation of India (GIC Re) reported a solvency ratio of 3.25 as on 31st March, 2024. All Foreign Reinsurance Branches have reported solvency ratio above 1.5 as on 31st March, 2024.

I.6.3 Monitoring of Reinsurance

Indian Reinsurer

I.6.3.1 As of 31st March 2024, only one Indian Reinsurer is registered with IRDAI, namely General Insurance Corporation of India (GIC Re). GIC Re has been providing re-insurance support to direct insurers in India and also to foreign Insurers/Re-insurers. The corporation's reinsurance program has been designed to meet the objectives of optimising retention within the country, ensuring adequate coverage for cedants' exposure at a reasonable cost,

and developing technical expertise and adequate financial capacities within the domestic market.

I.6.3.2 GIC Re is also managing the Nuclear Pool, Terrorism Pool, and Marine Cargo Excluded Territories Pool (MCET Pool). It receives obligatory cessions on each and every policy issued by domestic general insurers subject to certain limits and leads on many of the treaty programs and facultative programs of these insurers. This obligatory cession was four percent in respect of insurance attaching during 2023-24.

Foreign Reinsurance Branches (FRBs)

I.6.3.3 With the view to make India a global reinsurance hub, the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 permitted Foreign Reinsurers and the Society of Lloyd's London to open their branches in India to transact reinsurance business in India. As of 31st March, 2024, there are eleven Foreign Reinsurance Branches (FRBs) including Lloyd's operating in India. Lloyd's India is operating through one Service Company. These FRBs are Branches of prominent reinsurers across the world with rich experience, expertise and capacity.

The details of reinsurance business booked by FRBs are as under;

Gross RI Premium Income	2022-23	2023-24
Indian Business (₹ crore)	17,911	24,749

Thus, these FRBs are helping to retain the premium within India and develop reinsurance capacity in India. The FRBs have to adhere to IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 and any other circulars/guidelines issued by Authority in this regard.

Cross Border Reinsurers

I.6.3.4 "Cross Border Reinsurers" (CBRs) are the reinsurers, who do not have any physical presence in India but carry on reinsurance business with Indian insurers. The Cross Border Reinsurers (CBRs) play a significant role in the reinsurance market in providing reinsurance support/capacity to the Insurers. The insurers have to ensure that CBRs meet the necessary qualifying criteria as per IRDAI (Reinsurance) Regulations, 2018, and have a File Reference Number (FRN) issued by Authority, before placing any business with them.

The CBRs are provided with a Filing Reference Number (FRN) by Authority, which is valid for one financial year, enabling the CBR to transact reinsurance business with Indian Insurers/ Reinsurers.

In FY 2023-24, 280 CBRs participated in Indian Reinsurance Business as against 283 CBRs in FY 2022-23.

Appraisal of Reinsurance Business

I.6.3.5 The reinsurance business in India is being written by the Indian reinsurer (GIC Re), FRBs, and CBRs. Out of the gross reinsurance premium of ₹ 62,113.28 crore written in the year 2023-24 by Indian reinsurer and FRBs, the Indian business accounted for about 81 percent and foreign business accounted for the rest. Out of the total Indian business of ₹ 50,553 crore in the year 2023-24, GIC Re accounted for about 51 percent and the remaining 49 percent was written by FRBs. The Gross Reinsurance Premium of Reinsurers including FRBs is provided in the statement 14.

Table I.19: Reinsurance Placement by General and Health Insurers

(₹ Crore)

Particulars	Years	Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Motor	Aviation	Engineering	Other Misc.	Total
Reinsurance Premium placed within India & corresponding percentage	2023-24	13,555.86 47.75	554.35 10.89	502.03 36.32	9,549.27 10.40	597.17 51.06	2,606.66 46.53	22,927.79 14.16	**50,293.14** **17.03**
	2022-23	12,968.32 49.42	723.90 18.54	413.98 32.48	10,223.57 12.46	362.36 34.33	1,918.10 42.26	22,597.88 15.85	**49,208.12** **18.81**
Reinsurance Premium placed Outside India & corresponding percentage	2023-24	7,124.78 25.10	648.88 12.74	453.02 32.78	1,135.14 1.24	400.96 34.28	1,134.98 20.26	15,101.02 9.32	**25,998.78** **8.80**
	2022-23	5,823.89 22.19	694.73 17.79	471.36 36.98	367.43 0.45	483.29 45.79	922.55 20.32	15,481.55 10.86	**24,244.79** **9.27**

Retention and Reinsurance placement:

I.6.3.6 In 2023-24, reinsurance premiums placed by general insurers within and outside India remained at 17.03 percent and 8.80 percent of GWP respectively. There has been an increase reported in the Net retention by the general insurers from 71.93 percent in 2022-23 to 74.17 percent in 2023-24.

Reinsurance Placement by Life Insurers

I.6.3.7 During 2023-24, an amount of ₹ 536.02 crore (₹ 663.53 crore in 2022-23) was ceded as reinsurance premium by the public sector insurer. The private life insurers together ceded ₹ 7,719.08 crore (₹ 6,451.02 crore in 2022-23) as premium towards reinsurance. The retention ratio of the life insurance sector was 99 per cent for 2023 - 24 as against 99.09 per cent for 2022-23.

Chart I.19: Gross Reinsurance Premium of Reinsurers including FRBs (₹ Crore)

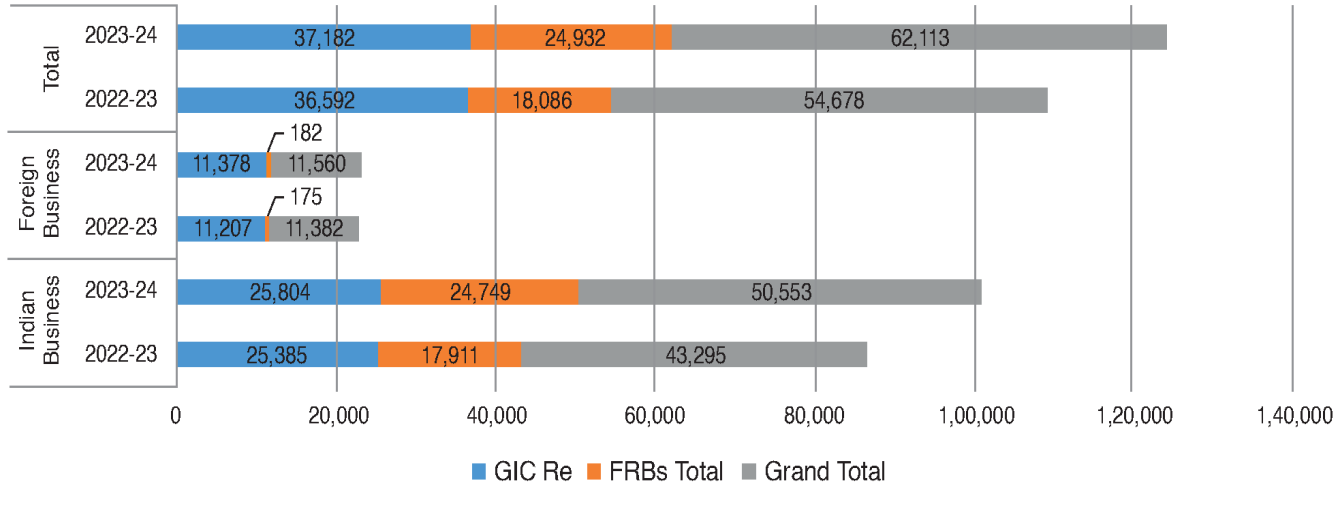


Table I.20: Net Retention of General & Health Insurers as a Percent of Gross Premium

Segment	2022-23			2023-24		
	Public Sector	Private Sector	Total	Public Sector	Private Sector	Total
Fire	40.82	21.19	28.39	38.42	20.82	27.15
Marine Cargo	67.15	62.41	63.72	87.76	67.72	76.37
Marine Hull	34.71	5.14	30.54	34.67	4.32	30.90
Motor	95.79	83.57	87.09	97.04	84.96	88.36
Engineering	52.26	21.26	37.42	49.24	19.46	33.21
Aviation	25.33	8.07	19.88	18.18	8.39	14.66
Other Misc.	78.76	69.10	73.29	86.54	70.32	76.52
Total	**77.53**	**68.44**	**71.93**	**82.45**	**69.63**	**74.17**

Insurance Pools

Terrorism Pool

I.6.3.8 The Indian Market Terrorism Risk insurance pool was formed with the initiative of all non-life insurers in India in April 2002, after terrorism cover was withdrawn by international reinsurers post 9/11 incident. The pool is administered by GIC Re. The Pool provides support to insurance of terrorism risks covered under property insurance policies, including cover to dwellings and fixed assets in multiple locations. The Pool's premium income for 2023-24 was ₹ 1,654.63 crore as against ₹ 1,809.01 crore in 2022-23. The claims paid by the Pool during 2023-24 were ₹ 3.12 crore. No major losses were reported to the Pool during 2023-24.

Nuclear Pool

I.6.3.9 The enactment of Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 mandates protection of unknown and potentially catastrophic risk arising out of nuclear event. Generally, nuclear perils are excluded from conventional insurance covers as it requires a large insurance capacity. Therefore, to protect the liability arising out of nuclear perils, Indian Nuclear Insurance Pool (INIP) was formed in 2015 which is also managed by GIC Re. The pool provides coverage to nuclear operators in the country and also to nuclear suppliers. The Pool's premium income for 2023-24 was ₹ 107.01 crore as against ₹ 103.50 crore in 2022-23. No claim has been paid by the pool during the year 2023-24.

Marine Cargo Excluded Territories Pool (MCET Pool)

I.6.3.10 Pursuant to the Russia-Ukraine war, sanctions were imposed on the business with Russia. Due to the same, reinsurance capacity was not available for Marine Cargo shipments of fertilizers and other commodities for Indian Insured's from the territories of the Republic of Belarus, Ukraine and/or the Russian Federation (called as 'Excluded Territories').

Hence, to address the issue, Marine Cargo Excluded Territories Pool (MCET Pool) was formed in the year 2022 with the initiative of General Insurance Council and the pool is managed by GIC Re.

The main objectives of the Pool are to enable pool members to provide insurance cover for Marine Cargo shipments of fertilizers Imports and Exports only for Indian Insured's from Excluded Territories and to cover other commodities for Indian Insureds as may be required and with rates/terms to be agreed in consultation with the Underwriting Committee of the Pool.

The Pool's premium income for 2023-24 was ₹ 41.53 crore as against ₹ 42.60 crore in 2022-23. No major losses were reported to the Pool during 2023-24.

I.6.4 Monitoring Investments of the Insurers

I.6.4.1 Insurers have been mandated to follow the pattern of investment, as required under IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024. As on 31st March, 2024, the investments made by the Insurance industry stood at ₹ 67.58 lakh crore as against ₹ 60.04 lakh crore as on 31st March, 2023 registering an increase of 12.55 per cent. The share of Life insurers stood at 91.11 per cent, General insurers including Specialized insurers and Stand-Alone Health Insurers (SAHI) constituted 7.03 per cent and Reinsurers including branches of foreign reinsurers constituted 1.86 per cent as on 31st March, 2024. The share of PSUs stood at 69.46 per cent and private sector constituted 30.54 per cent in the same period.

Table I.21 : Investments of Insurance Industry as on 31st March

(₹ Crore)

Segment	2023			2024		
	Public	Private	Total	Public	Private	Total
Life Insurers	40,43,655	14,19,759	**54,63,414**	44,23,580	17,33,269	**61,56,849**
	(9.90)	(11.55)	(10.32)	(9.40)	(22.08)	(12.69)
General Insurers	1,70,167	2,59,164	**4,29,331**	1,74,283	3,00,818	**4,75,101**
	(1.37)	(18.77)	(11.17)	(2.42)	(16.07)	(10.66)
Reinsurers	86,175	25,289	**1,11,464**	96,299	29,711	**1,26,010**
	(11.41)	(20.51)	(13.35)	(11.75)	(17.49)	(13.05)
Total	**42,99,997**	**17,04,212**	**60,04,209**	**46,94,162**	**20,63,798**	**67,57,960**
	(9.56)	**(12.72)**	**(10.44)**	**(9.17)**	**(21.10)**	**(12.55)**

Note: Figures in brackets represent growth in percentage over the previous year
General Insurers included Specialized Insurers and SAHI
Reinsurers included Branches of Foreign Reinsurers

Investments of Life Insurers

I.6.4.2 Funds of life insurers are split based on investments made out of non-linked products and linked products. The total funds of life insurers as on March 31, 2024 was ₹ 61.57 lakh crore, of which ₹ 53.96 lakh crore (87.64 per cent to total funds) was from traditional products and balance of ₹ 7.61 lakh crore (12.36 per cent to total funds) from ULIP products. Life insurance company-wise investments are provided in Statement 16.

Table I.22: Category-wise Investments of Life Insurers as on 31st March

(₹ Crore)

S.No.	Category	2023	2024
	Non-Linked Products		
1	Central Government Securities	21,82,289 (44.95)	24,37,256 (45.17)
2	State government and other approved securities	11,60,415 (23.90)	12,95,510 (24.01)
3	Housing and Infrastructure	4,57,272 (9.42)	4,99,520 (9.26)
4	Approved Investments	9,13,359 (18.82)	10,65,425 (19.74)
5	Other Investments	1,41,084 (2.91)	98,421 (1.82)
A	**Total (1+2+3+4+5)**	**48,54,419 (100.00)**	**53,96,132 (100.00)**
	Linked Products		
6	Approved Investments	5,50,523 (90.40)	6,85,216 (90.08)
7	Other Investments	58,472 (9.60)	75,501 (9.92)
B	**Total (6+7)**	**6,08,995 (100.00)**	**7,60,717 100.00**
	Grand Total (A+B)	**54,63,414**	**61,56,849**

Note: Figures in brackets are percentage to total

1.6.4.3 Based on the method of classification of funds, Life fund contributed ₹ 39.22 lakh crore (63.70 per cent to total funds), Pension and General Annuity & Group fund ₹ 14.74 lakh crore (23.95 per cent to total funds) and Unit Linked Fund (ULIP) ₹ 7.60 lakh crore (12.36 per cent to total funds) to total investments as on March 31st, 2024. During the FY 2023-24, the share of Pension and General Annuity & Group fund to total investments have gone down from 24.45 per cent to 23.95 per cent and ULIP fund gone up from 11.15 per cent to 12.36 per cent. The share of Life fund has decreased from 64.40 per cent to 63.70 per cent in 2023-24. The volume of Life, Pension/Annuity fund and ULIP fund have increased by ₹ 4.03 lakh crore, ₹ 1.38 lakh crore and ₹ 1.52 lakh crore respectively in FY 2023-24.

Table I.23 : Fund-wise Investments of Life Insurers as on 31st March

(₹ crore)

Fund	2023			2024		
	Public	Private	Total	Public	Private	Total
Life	28,61,600	6,56,781	**35,18,381**	31,29,515	7,92,268	**39,21,783**
Pension and General Annuity & Group Fund	11,55,875	1,80,163	**13,36,038**	12,59,025	2,15,324	**14,74,349**
ULIP	26,180	5,82,815	**6,08,995**	35,040	7,25,677	**7,60,717**
Total	**40,43,655**	**14,19,759**	**54,63,414**	**44,23,580**	**17,33,269**	**61,56,849**

Investments of General Insurers and Reinsurers

1.6.4.4 Share of investments by General, Health Insurers and Reinsurers stood at 8.89 per cent in total investments made by the insurance sector. The total amount of investments made by the General Insurers and Reinsurers was ₹ 6.01 lakh crore as on 31st March, 2024 as against ₹ 5.41 lakh crore of the corresponding period of the previous year, registering an increase of 10.95 per cent.

1.6.4.5 As on 31st March, 2024, General insurers and Reinsurers have invested ₹ 2.99 lakh crore (49.89 per cent) majorly in Central, State Government and other approved securities and ₹ 1.62 lakh crore (27.07 per cent) in approved Investments. General Insurance and Reinsurance company-wise investments are provided in Statement 17.

Table I.24: Investments of General, Health, Specialized Insurers

(₹ crore)

Category	As on March 31, 2023			As on March 31, 2024		
	General Insurers ^^	Reinsurers ##	Total	General Insurers^^	Reinsurers ##	Total
Central Government Securities	1,32,774 (30.93)	40,797 (36.60)	1,73,571 (32.10)	1,34,832 (28.38)	44,566 (35.37)	1,79,398 (29.84)
State government and other approved securities	88,464 (20.61)	24,614 (22.08)	1,13,078 (20.91)	92,139 (19.39)	28,369 (22.51)	1,20,508 (20.05)
Housing and Loans to State Govt for Housing & FFE	37,703 (8.78)	7,466 (6.70)	45,169 (8.35)	34,291 (7.22)	7,966 (6.32)	42,257 (7.03)
Infrastructure Investments	60,778 (14.16)	12,488 (11.20)	73,266 (13.55)	66,691 (14.04)	17,038 (13.52)	83,729 (13.93)
Approved Investments	97,655 (22.75)	22,174 (19.89)	1,19,829 (22.16)	1,36,974 (28.83)	25,726 (20.42)	1,62,700 (27.07)
Other Investments	11,956 (2.78)	3,926 (3.52)	15,882 (2.94)	10,174 (2.14)	2,344 (1.86)	12,518 (2.08)
Total	**4,29,330 (100.00)**	**1,11,465 (100.00)**	**5,40,795 (100.00)**	**4,75,101 (100.00)**	**1,26,010 (100.00)**	**6,01,111 (100.00)**

Note: *1. ^^ General Insurers included Specialized Insurers and SAHI*
2. ## Reinsurers included Branches of Foreign Reinsurers
3. Figures in brackets is percentage of respective funds to the total funds

I.6.5 Health Insurance Business of General and Health Insurers

Health Insurance Premium (excl. Travel & PA Insurance)

I.6.5.1 During the year 2023-24, General and Health insurance companies collected ₹ 1,07,681 crore as health (excluding Personal Accident and Travel) insurance premium registering a growth of about 20.32 percent over the previous year.

Table I.25: Health Insurance Premium Underwritten by General & Health Insurers

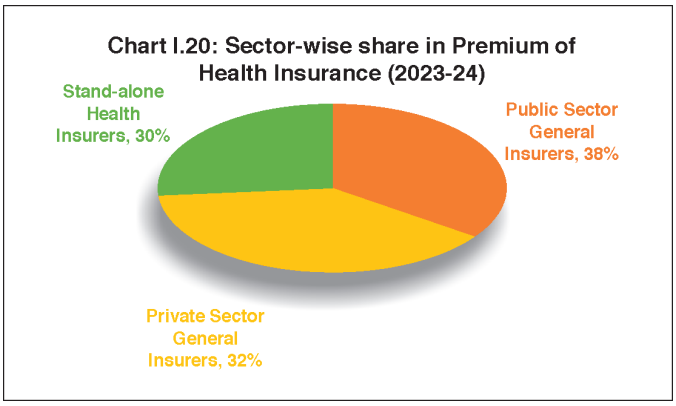
(₹ crore)

Insurer	2022-23	2023-24
Public Sector Insurers	39,058.09	40,992.94
	(18.56)	(4.95)
Private Sector Insurers	25,182.04	34,507.71
	(25.24)	(37.03)
Stand-alone Health Insurers	25,251.63	32,180.09
	(26.25)	(27.44)
Total	**89,491.76**	**1,07,680.74**
	(22.51)	**(20.32)**

Note: 1. Figures in bracket indicates growth (in percent) over previous year.
2. The data does not include the detail of health insurance business carried-out in foreign countries.
3. The above Premium excludes Personal Accident and Travel Insurance Business Premium.
4. Data as per the Health insurance returns submitted by Insurers

Policies and Lives Covered under Health Insurance

I.6.5.2 During 2023-24, the General and Health insurance companies have covered 57 crore lives under 2.68 crore health insurance policies (excl. policies issued under PA and Travel Insurance).



I.6.5.3 Health insurance business is classified into three classes of business namely Government sponsored, group and individual. In terms of number of lives covered, about 45 percent of the lives were covered under government sponsored health insurance schemes, about 45 percent in group business and the remaining about 10 percent under individual policies issued by general and health insurers. In terms of amount of premium, the share of Group business was the highest (51.68 percent), followed by Individual (38.55 percent) and Government business (9.77 percent).

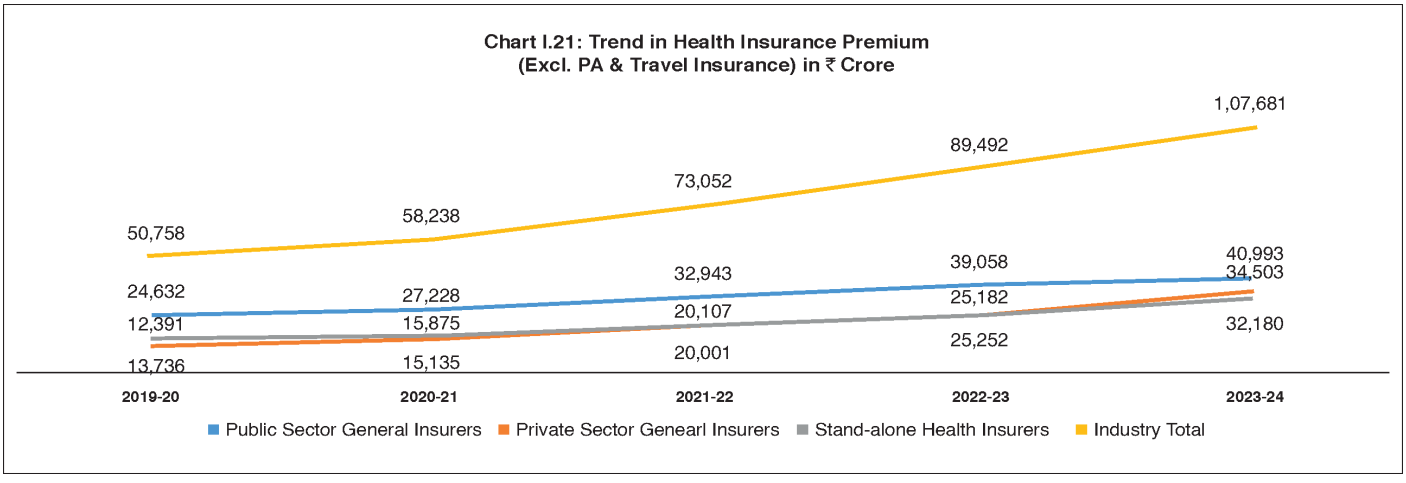
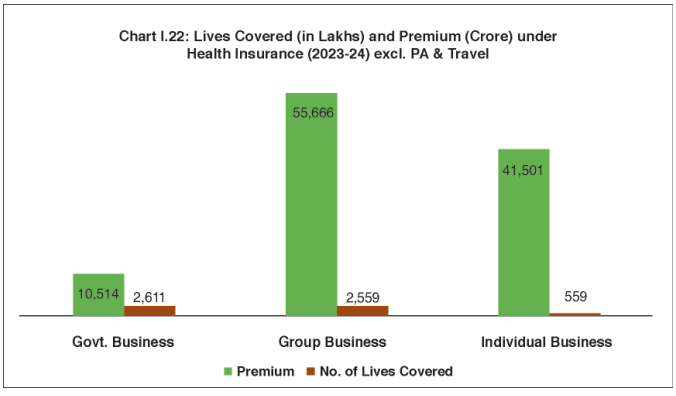


Table I.26: Policies, Lives Covered, and Premium under Health Insurance Business of General and Health Insurers

Class of Business	No. of Policies(lakhs)		No. of Lives Covered (lakhs)		Gross Premium(₹ crore)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
Government Sponsored Business	0.001	0.00	2,977.48	2611.04	8,480.28	10,513.67
	(0.00)	(0.00)	(-2.86)	(-12.31)	(39.57)	(23.98)
Group Business	6.50	37.29	1,993.97	2,559.09	46,245.87	55,666.01
	(-7.07)	(473.69)	(22.87)	(28.34)	(25.36)	(20.37)
Individual Business	219.92	230.99	528.91	558.57	34,765.61	41,501.06
	(0.31)	(5.03)	(2.46)	(5.61)	(15.56)	(19.37)
Total	**226.42**	**268.29**	**5500.36**	**5728.71**	**89,491.76**	**1,07,680.74**
	(0.08)	(18.49)	(5.69)	(4.15)	(22.50)	(20.32)

Note: Figures in bracket indicates growth (in percent) over previous year. Data excludes PA and Travel Insurance



Claims under Health Insurance

I.6.5.4 The net incurred claims under health insurance business of general and health insurers stood at ₹ 76,160 crore in 2023-24 reported an increase of about 18 percent from previous year. There is a decrease in Incurred Claims Ratio (ICR) of health business from 88.89 percent in 2022-23 to 88.15 percent in 2023-24.

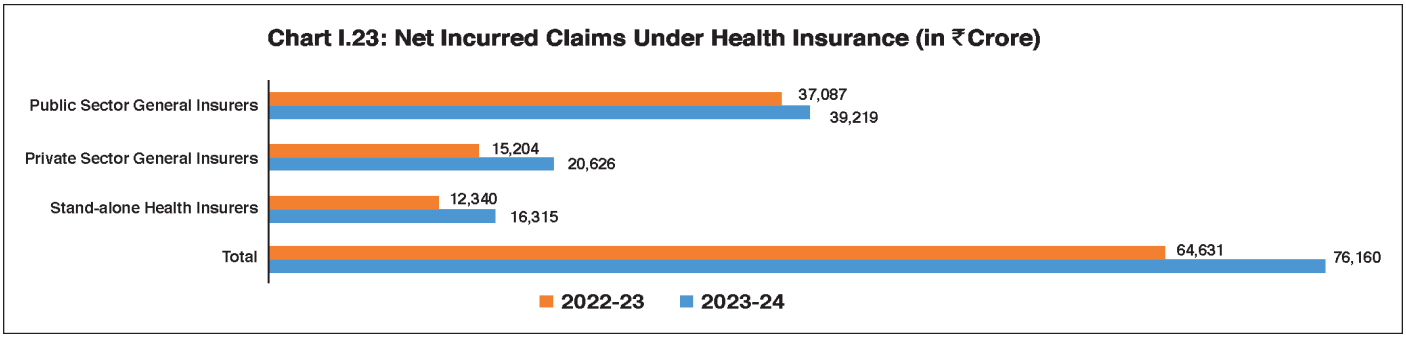
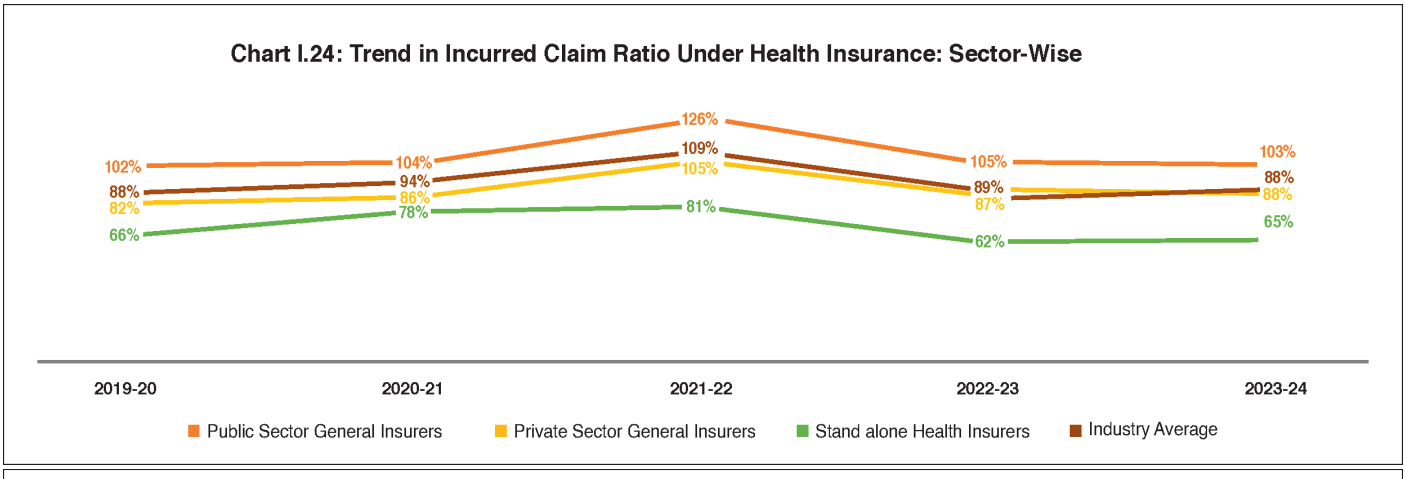
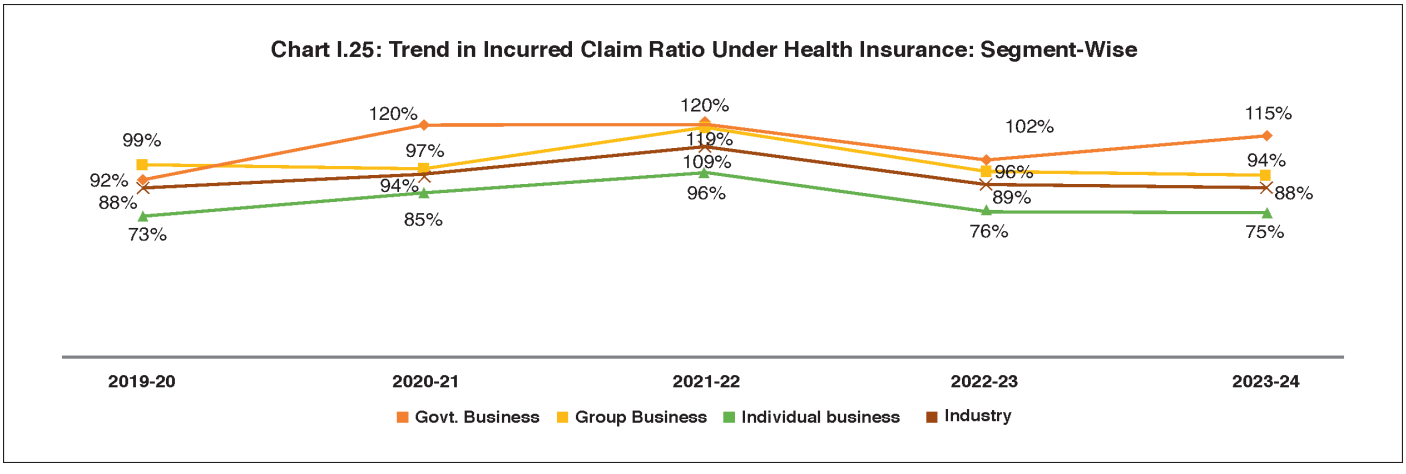


Table I.27: Incurred Claims Ratio under Health Insurance Business of General and Health Insurers (in per cent)

Insurer	Govt. Business		Group Business		Individual Business		Total	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
Public Sector Insurers	101.49	114.88	106.98	103.07	101.65	95.74	104.91	103.38
Private Sector Insurers	123.67	121.23	89.38	90.79	79.98	81.28	86.82	88.71
Standalone Health Insurers	0.00	0.00	60.60	66.59	62.66	64.08	62.17	64.71
Total	**102.28**	**115.28**	**95.89**	**93.75**	**76.03**	**75.06**	**88.89**	**88.15**





I.6.5.5 During 2023-24, General and Health Insurers have settled 2.69 crore health insurance claims and paid an amount of ₹ 83,493 crore towards settlement of health insurance claims. The average amount paid per claim was ₹ 31,086. In terms of number of claims settled, 72 percent of the claims were settled through TPAs and the balance 28 percent of the claims were settled through in-house mechanism. In terms of mode of settlement of claims, 66.16 percent of total number of claims were settled through cashless mode and another 39 percent through reimbursement mode. Insurers have settled one percent of their claims amount through "both cashless and reimbursement mode". In terms of cashless claims in amount, 66.17 percent of were settled through cashless mode.

I.6.5.6 During 2023-24, insurers have settled about 83 percent of total number of claims registered in their books and have repudiated about eleven percent of them and the remaining about six percent were pending for settlement as on March 31st, 2024.

Table I.28: Claims Paid under Health Insurance Business of General and Health Insurers (2023-24)

Mode of Claim Settlement	TPA		In-House		Total	
	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)
Only Cashless	114.84	34,710.02	42.00	20,525.07	156.84	55,235.09
	(59.69)	(66.94)	(55.12)	(64.87)	(58.39)	(66.16)
Only Reimbursement	73.58	16,302.99	31.07	9,873.56	104.65	26,176.56
	(38.25)	(31.44)	(40.77)	(31.20)	(38.96)	(31.35)
Both Cashless and Reimbursement	1.64	710.98	1.05	763.02	2.69	1,474.00
	(0.85)	(1.37)	(1.38)	(2.41)	(1.00)	(1.77)
Benefit Based	2.33	128.12	2.08	479.40	4.41	607.52
	(1.21)	(0.25)	(2.73)	(1.52)	(1.64)	(0.73)
Total	**192.39**	**51,852.11**	**76.20**	**31,625.14**	**268.59**	**83,493.17**
	(100)	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**

Note:1. Figures in bracket are percent to total. The data is exclusive of PA and Travel.

Table I.29: Status of Claims under Health Insurance of General and Health Insurers (2023-24)

Claims outstanding at the beginning of the period		New claims registered during the period		Total Claims		Claims paid during the period		Claims disallowed as per terms and conditions of policy contract		Claims repudiated during the period		Claims outstanding at the end of the year	
No. (lakhs)	Amount (₹ crore)	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)	No. (lakhs)	Amount (₹ crore)
17.85	6,290.28	307.87	1,10,825.06	325.72	1,17,115.34	268.59	83,493.17	0.00	15,100.42	36.40	10,937.18	20.73	7,584.57
				(100)	(100)	(82.46)	(71.29)	(0)	(12.90)	(11.18)	(9.34)	(6.36)	(6.48)

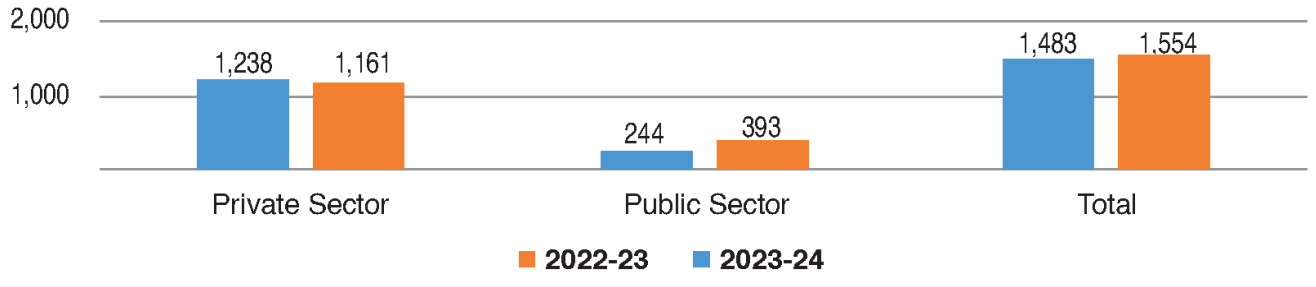
Note: Figures in brackets are percentage to total.

Health Insurance Business of Life Insurers

Premium, Policies and Lives Covered

I.6.5.7 During the year 2023-24, life insurers collected ₹ 1,554 crore as health insurance premium as against ₹ 1,483 crore in 2022-23 registering a growth of 4.75 per cent.

Chart I.26: Health Insurance Premium of Life Insurers (₹ Crore)



Health Insurance Products Marketed by Life Insurers

I.6.5.8 During 2023-24, life insurers have procured a total premium of ₹ 722 crore from various health insurance products. While renewal premium contributed about 85 percent of total premium, New Business contributed the remaining 15 percent. Life insurers have issued 0.91 lakh new policies covering 1.98 lakh lives, while they renewed 9.16 lakh policies covering 9.46 lakh lives during 2023-24.

Health Insurance Riders attached to Life Insurance Products

I.6.5.9 Riders which are attached to the base products are offered as a value addition to policyholders. Premium of ₹ 832 crore was procured through health insurance riders attached to life insurance policies during 2023-24. Out of the total premium from these riders, renewals accounted for 58 percent while the rest 42 percent was contributed by New Business. During 2023-24, 7.68 lakh health insurance riders were issued along with new life insurance products covering 30.82 lakh lives. During the same period, 25.23 lakh riders attached to life insurance products were renewed which covered 31.25 lakh lives.

Table I.30: Number of Policies, Lives Covered, Premium under Health Insurance Business of Life Insurers

Class of Business	No. of Policies / No. of Riders		No. of Lives Covered ('000)		Gross Premium (₹ crore)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
Health Insurance Products Marketed by Life Insurers						
New Business	2,86,397	90,605	298.76	197.99	98.86	109.44
Renewal Business	6,52,631	9,15,960	1,019.35	945.61	442.03	612.44
Health Riders Attached to Life Insurance Products						
New Business	8,19,586	7,68,372	5,861.60	3,082.38	479.65	347.01
Renewal Business	31,09,308	25,23,119	3,441.80	3,124.93	462.76	484.84

Claims under Health Insurance Business of Life Insurers

I.6.5.10 During the year 2023-24, life insurers have paid ₹ 315 crore as claims towards settlement of 30,258 number of claims (83 percent of total number of claims registered) with respect of health insurance products. In respect of rider claims, 96 percent of the claims registered were paid amounting to ₹ 181 crore by the life insurers towards settlement of 23,063 number of claims.

Table I.31: Status of Claims under Health Insurance Business of Life Insurers

(No. in lakhs & Amount in ₹ crore)

Segment	Claims O/S at the start of year		Claims Reported during the Year		Claims Paid during the Year		Claims Repudiated/ Rejected		Claims O/S at the start of year	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
Health Insurance Products	584	17.34	36,389	366.09	30,258	314.55	6,291	51.42	424	17.46
Health Insurance Riders	230	23.02	23,894	229.88	23,063	181.41	704	53.36	357	18.12

Personal Accident Insurance

I.6.5.11 During 2023-24, the insurance industry has covered a total of 165.05 crore lives under personal accident insurance. It includes 90.10 crore lives covered under government flagship schemes namely, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), and IRCTC travel insurance for e-ticket passengers.

I.6.5.12 During 2023-24, the gross premium income from Personal Accident insurance business was ₹ 7,788 crore. While private sector general insurers have contributed about 57 per cent of total premium, public sector general insurers and stand-alone health insurers contributed about 33 per cent and 10 per cent of premium respectively. The ICR for this line of business was around 67 per cent for the year 2023-24.

Table I.32: Business Under Personal Accident Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹ crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
Public Sector	5,546.56	7,975.95	2,089.75	2,554.99	96.20	96.82
Private Sector	6,082.04	8316.54	4,171.23	4,468.73	48.14	53.80
Stand-alone Health	272.30	212.02	786.60	764.76	24.54	23.99
Total	**11,900.90**	**16,504.51**	**7,047.58**	**7,788.47**	**60.77**	**66.87**

Note:

1. *The data is inclusive of number of lives covered under IRCTC, PMSBY & PMJDY businesses.*
2. *The data does not include the details of PA business carried-out in foreign countries.*
3. *It is to be noted that under IRCTC Scheme, PA cover is offered to railway passengers only for a specified journey undertaken by the passenger and one person may undertake multiple journeys during the reported period. In respect of lives covered in any of PA policy/ schemes, one person may have been covered multiple times.*

Table I.33: Coverage under Government Flagship Personal Accident Schemes

Scheme	No. of persons covered (lakh)	Gross Premium (₹ crore)
IRCTC	3,734.70	11.67
PMJDY	1,874.75	5.65
PMSBY	3,400.06	685.13
Total	**9,009.51**	**702.45**

Travel Insurance

I.6.5.13 During 2023-24, 74.96 lakh lives were covered under 23.23 lakh overseas travel insurance policies. The gross premium income from overseas travel insurance business for 2023-24 was ₹ 1,099 crore. In this line of business, private general insurers are the major players with a market share of about 85 percent in gross premium. The ICR for this line of business was 42 percent for the year 2023-24.

I.6.5.14 During 2023-24, the gross premium collected from domestic travel insurance business was ₹ 125.53 crore, registering a decrease of about 45 percent over the previous year. The general and health insurers have covered 43.31 crore lives under 1.62 lakh policies.

Table I.34: Business Under Overseas Travel Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹ crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
Public Sector	0.57	0.74	20.05	19.05	41.91	50.96
Private Sector	69.54	58.69	746.99	931.99	43.68	43.43
Stand-alone Health	8.60	15.53	138.49	148.00	32.10	33.58
Total	**78.71**	74.96	**905.53**	**1099.04**	**41.59**	**42.16**

Note: The data does not include the details of overseas travel insurance business carried-out in foreign countries.

Table I.35: Business Under Domestic Travel Insurance

Insurer	No. of Lives (lakh)		Gross Premium (₹ crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
Public Sector	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00
Private Sector	4,776.34	4,306.97	162.70	99.05	21.94	20.70
Stand-alone Health	18.39	24.41	67.12	26.45	4.94	10.81
Total	**4,794.74**	**4,331.38**	**229.83**	**125.53**	**16.90**	**18.77**

Health Insurance Business Underwritten Outside India

I.6.5.15 Public sector general insurers namely New India, National and Oriental Insurance are doing health insurance business in foreign countries. During the year 2023-24, they procured gross premium of ₹ 154 crore from health, PA and travel insurance and have covered 10.17 lakh lives. The ICR for this business carried out outside India is 107 per cent during 2023-24.

Table I.36: Health, PA and Travel Insurance Business Underwritten Outside India

Insurer	No. of lives Covered ('000)		Gross Premium (₹ crore)		Incurred Claim Ratio (%)	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
National	98.00	10.73	2.67	1.53	189.96	210.28
New India	1,033.32	992.39	218.80	150.96	81.12	106.12
Oriental	15.45	13.88	41.20	1.62	104.50	89.50
Total	**1,146.77**	**1017.00**	**262.67**	**154.11**	**85.24**	**106.83**

I.6.6 Specified Percentage of Business to be done in Rural and Social Sector

Section 32B and 32C of the Insurance Act, 1938 and the IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 stipulate targets of business from rural and social sectors to be fulfilled by insurers on an annual basis.

Regulations on Obligations of Insurers in Rural and Social Sectors

I.6.6.1 The IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 stipulated targets of business from rural and social sectors to be fulfilled by insurers on an annual basis. In terms of these regulations, Insurers are required to fulfil year wise business target prescribed:

i. in terms of percentage of social sector lives computed on the total business; and

ii. in terms of percentage of number of policies for life insurers and gross premium written direct, for general and standalone health insurers, from rural areas. The regulations have been revised and consolidated as the IRDAI (Rural, Social and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 that will come into effect from 1st April, 2024. A detailed box item on the regulation is available in Part II.

I.6.6.2 The IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations 2015 require insurers to underwrite business in these segments based on the number of years of operation. The regulations further provide that, if an insurance company commences operations in the second half of the financial year and is in operation for less than six months as at March 31st of the relevant financial year:

i. no rural or social sector obligations shall be applicable for the said period; and

ii. the annual obligation as indicated in the Regulations shall be reckoned from the next financial year which shall be considered as the first year of operation for the purpose of compliance.

iii. In case where a life insurance company commences operation in the first half of the financial year, the applicable obligations for the first year shall be 50 per cent of the obligations for rural areas and 2,500 lives for social sector.

Fulfilment of Obligations by Insurers during 2023-24

Life Insurers

I.6.6.3 During the year 2023-24, the public sector insurer as well as all twenty-five private sector life insurance companies have fulfilled their rural and social sector obligations.

I.6.6.4 The Life Insurance Companies underwrote 122.70 Lakh policies in the rural sector out of the total 291.77 lakh policies underwritten by them in 2023-24. The public sector insurer underwrote 47.72 per cent of the new individual policies and private insurers underwrote 28.91 per cent of their new individual policies in the rural sector.

I.6.6.5 The life insurers have covered 6.66 crore lives under Social Sector. i.e, 22.75 per cent as against the stipulation of 5 per cent. The public sector insurer achieved 5.73 per cent and the private sector insurers achieved 26.88 per cent.

I.6.6.6 M/s Sahara India Life Insurance Co. Ltd. was directed not to underwrite new business from 24th June, 2017 vide the IRDAI Order reference IRDAI/F&A/OR/FA/148/06/2017 under section 52B (2) of the Insurance Act, 1938. Hence, Sahara India Life Insurance Co. Ltd. is exempted from compliance with Rural and Social Sector Obligations.

General & Health Insurers

I.6.6.7 During 2023-24, all 25 general insurers (excluding Specialized and Stand Alone Health Insurers) have fulfilled their Rural and Social sector obligations. All general insurers (excluding Specialized and Stand Alone Health Insurers) underwrote a premium of ₹ 40,857 crore in the rural sector in 2023-24. Public sector and private sector insurers underwrote 21 per cent and 79 per cent respectively of rural sector gross premium (excluding Specialized and Stand Alone Health Insurers).

I.6.6.8 The seven SAHI insurers procured ₹ 4,712 crore premium in rural sector constituting 14.23 percent of gross premium procured by them in the year 2023-24 and have covered 59.32 lakh lives under social sector i.e., 6.73 percent of total lives covered in the previous year.

Motor Third Party Insurance Business Obligations

I.6.6.9 Section 32D of Insurance Act, 1938 specifies that every insurer carrying on general insurance business shall, after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, underwrite such minimum percentage of insurance business in third party risks of motor vehicles as may be specified by the regulations. Accordingly, IRDAI (Obligations of Insurers in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 stipulates minimum obligation of insurers with respect to Motor Third Party Insurance Business on an annual basis.

In the year 2023-24, out of the 25 general insurers (excluding Specialized and Stand Alone Health Insurers), two insurers did not comply with the minimum obligation with respect to Motor Third Party insurance business. The matter is under examination from the regulatory perspective. Kshema General Insurer is exempted from the application of the obligatory requirement during 2023-24, as it has stared operations in the month of May 2023 and as per the IRDAI Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 the new general insurer is exempted from the application of the obligatory requirement during first two financial years of its operations including the financial year in which its operations are started.

I.6.7 Accounts and Actuarial Standards

I.6.7.1 The financial statements of insurers are prepared in the form and manner prescribed under the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 amended from time to time and also by various circulars and guidelines issued from time to time. Books of accounts are to be maintained in order to present various line items as required under these Regulations.

Appointed Actuary System

I.6.7.2 The Authority issued IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000 to uphold the financial integrity of insurance companies, protect the interest of policyholders' and for ensuring a robust insurance market. During financial year 2022-23, Authority issued the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022, subsuming the previous regulations on Appointed Actuary. In order to enhance efficiencies in the conduct of insurance business and to keep pace with changing insurance market dynamics, the Authority reviewed the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022 and incorporated relevant provisions in the consolidated IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, which among others, includes the procedure for Appointment of Appointed Actuary, powers of Appointed Actuary, duties and obligations

of Appointed Actuary and various other provisions with respect to the Appointed Actuary system.

I.6.7.3 The Appointed Actuary is inter alia responsible for rendering actuarial advice to the management of the insurer, in particular in the areas of product design and pricing, calculation of technical provisions, insurance contract wording, investments and reinsurance, ensuring solvency of the company, effective implementation of the risk management system and complying with the Authority's directions from time to time. Further, the Appointed Actuary has access to all the information or documents in possession or under control of the insurer if such access is necessary for the proper and effective performance of the functions and duties of the Appointed Actuary.

I.6.8 Directions, Orders and Regulations issued by the Authority

I.6.8.1 IRDAI issued a number of orders and circulars during 2023-24, a list of which is placed at Annexure 4. The list of regulations notified during the year is placed at Annexure 5.

I.6.9 Powers and Functions delegated by the Authority

During the 123rd meeting of the Authority dated 18.08.2023 held in the Financial Year 2023-24, the Authority has delegated some of its powers under the following Regulations, to the Chairman/ Whole Time Members/ other senior officials of the Authority:

i. IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2022

ii. IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018

iii. IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

iv. IRDAI (Appointment of Individual Agents) Regulations, 2016

v. IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

vi. IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015

vii. IRDAI (Web aggregators) Regulations, 2017

viii. Guidelines on Insurance Repositories and electronic issuance of insurance policies, 2015

ix. Guidelines on Insurance e-commerce,2017

x. IRDAI (Third Party Administrator- Health Services) Regulations, 2016

xi. IRDAI (Insurance Services by Common Service Centres) Regulations, 2015

xii. Guidelines on Motor Insurance Service Provider, 2017

I.6.10 Other Policies and Programme having bearing on the working of the insurance market

A. Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) Programme

Empowered by the Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) and the rules framed there under, the AML/CFT guidelines (the guidelines) to the insurance sector were first issued in March 2006. Since then the insurance sector has been working towards an effective implementation of AML/CFT regime in India.

Currently, Master Guidelines on AML/CFT 2022 (as amended from time to time) are applicable for Insurance Sector. The Master Guidelines prescribes requirements pertaining to Customer Due Diligence processes, reporting obligations and record keeping requirements amongst others. There is a set process of regular review of the effectiveness of the systems through the insurer's internal audit/inspection departments. Further, compliance with the guidelines is also monitored by IRDAI through both on-site and off-site processes.

In order to ensure clear understanding of AML/CFT obligations and Money Laundering (ML)/Terrorist Financing (TF) risks by the regulated entities, IRDAI has conducted multiple outreach programs during

the 2023-24. IRDAI also has the following mechanisms in place to have a shared understanding of ML/TF risks in financial sector and enable information sharing on ML/TF Risk:

i) Joint Working Group (JWG) under the inter-ministerial Coordination Committee (IMCC) which has been set up at national level for effective coordination and cooperation and to improve effectiveness of India's AML/CFT regime

ii) Memorandum of Understanding (MoU) with Financial Intelligence Unit-India (FIU-Ind)

iii) Quarterly meeting of Financial Sector Regulators with FIU-Ind

During FY 2023-24, Financial Action Task Force (FATF) which is a global watchdog for Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF) has commenced the Mutual Evaluation (ME) of India's AML/CFT framework. The ME process, inter alia, involves the assessment of the compliance to the FATF recommendations (technical compliance) and effectiveness of the AML/CFT/CPF framework put in place by the jurisdiction in preventing the abuse of the financial sector for ML/TF/PF purposes.

IRDAI under the aegis of Dept. of Revenue has actively participated in the ME process. Onsite visit of FATF Assessment Team (AT) was conducted in November 2023. IRDAI along with select representatives from insurance industry interacted with FATF AT and demonstrated measures put in place to prevent abuse of Insurance sector for ML/TF/PF.

B. Right to Information (RTI) Act, 2005

During the year, interaction session was organised for Central Public Information Officers(CPIOs) by First Appellate Authority (FAA) on the provisions of RTI Act, 2005 for effective discharge of duties and responsibilities in accordance with the provisions of the Act. Further, pursuant to the Section 4(2), Chapter II of the Act, a Committee of CPIOs and FAA has already been constituted to identify and review periodically, the categories of information frequently asked by the applicants.

Government Flagship Insurance Schemes

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY):

PMJJBY is a one-year Group Term Life Insurance Scheme designed by the Government of India offering life insurance cover for death due to any cause. All individual (single or joint) account holders of participating banks / Post office, in the age group of 18 to 50 years are entitled to join by giving their consent to join / enable auto-debit. In case of multiple accounts held by an individual in one or different banks / Post offices, the person is eligible to join the scheme through one bank / Post office account only. The life cover of two lakh rupees shall be for the one-year period stretching from 1st June of the year to 31st May of the next year and is auto-renewable every year thereafter. The premium is ₹ 436 per annum (for Policy Year 2023-24). As on 31st March, 2024, this scheme is being offered by the public sector Life insurer and 13 Private life insurers.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

The Scheme is available to people in the age group 18 to 70 years with a bank account who give their consent to join / enable auto-debit on or before 31st May for the coverage period 1st June to 31st May on an annual renewal basis. The risk coverage under the scheme is ₹ 2 lakh for accidental death and full disability and ₹ 1 lakh for partial disability. The premium was ₹ 20 per annum for policy year 2022-23. The scheme is offered by general insurance companies who are having tie-up with banks for this purpose.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) and Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS)

The scheme is in continuation with the existing features and no changes had been made during the financial year under review.

1. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was launched from Kharif 2016 with an aim to support production in agriculture by providing an affordable crop insurance product to ensure comprehensive risk cover for crops of farmers against all non-preventable natural risks from pre-sowing to post-harvest stage. PMFBY constitutes more than 90 per cent of total crop insurance business in India. The scheme is implemented by empaneled general insurance companies. PMFBY scheme has been enhanced recently as under:

a. More flexibility to states to choose;

 i. Profit Sharing Model or

 ii. Cup and Cap model (60:130) or

 iii. Cup and Cap model (80:110)

 This will facilitate state to choose risk transfer option as per their budget and requirement.

b. To ensure timely release of premium subsidy and to maintain strict financial discipline, Subsidy payment will be streamlined through escrow account jointly administered by State Govt. and Govt. of India. Also all the financial transaction (Subsidy or Claims) shall be routed through National Crop Insurance Portal (NCIP).

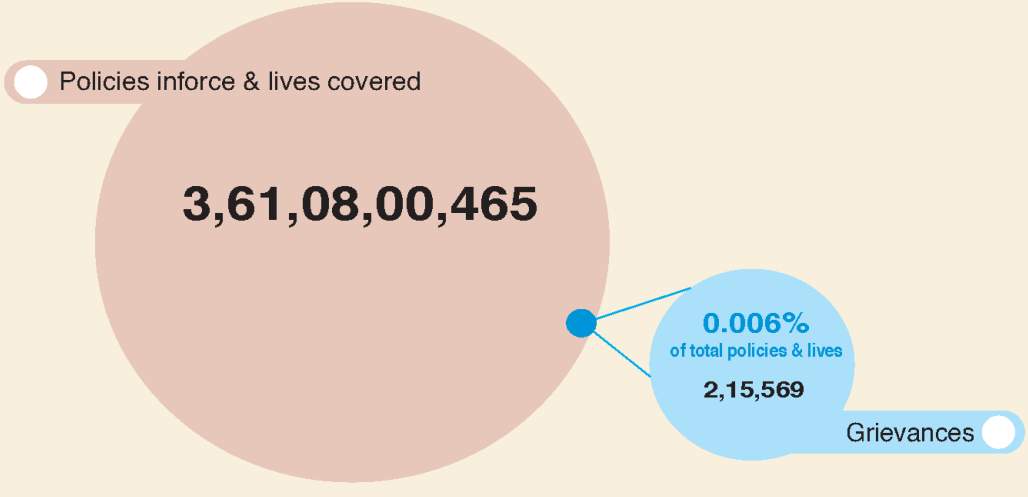
c. To conduct CCEs through Mobile application specially designed by Govt. Of India. This will increase transparency and also help in fast dissemination of data.

d. To Involve Technological Interventions- YESTECH (Yield Estimation System Through Technology), WINDS (Weather Information Network and Data System), CROPIC (Collection of Real-time Photo and Observation of Crop) for Yield estimation and Crop Health. This will help in confidence building of stakeholders and will reduce delay in availability of AY data.

2. Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) was launched on 18th February, 2016 and aims to mitigate the hardship of the insured farmers against the likelihood of financial loss on account of anticipated crop loss resulting from adverse weather conditions relating to rainfall, temperature, wind, humidity etc. RWBCIS uses weather parameters as “proxy for crop yields in compensating the cultivators for deemed crop losses. All standard Claims are processed and paid within 45 days from the end of the risk period. Both PMFBY and RWBCIS are being administered by Ministry of Agriculture.

HIGHLIGHTS

Insurance Grievances at a glance



i.e. only 6 grievances per lakh policies in force & lives covered.

Making Insurance Industry Future ready

International Financial Reporting Standards

- Adoption of IFRS promotes global alignment in financial reporting.
- It enhances transparency, consistency and comparability, allowing stakeholders to clearly understand a company's financial health and performance.
- With IFRS, companies can improve access to capital and support economic integration.

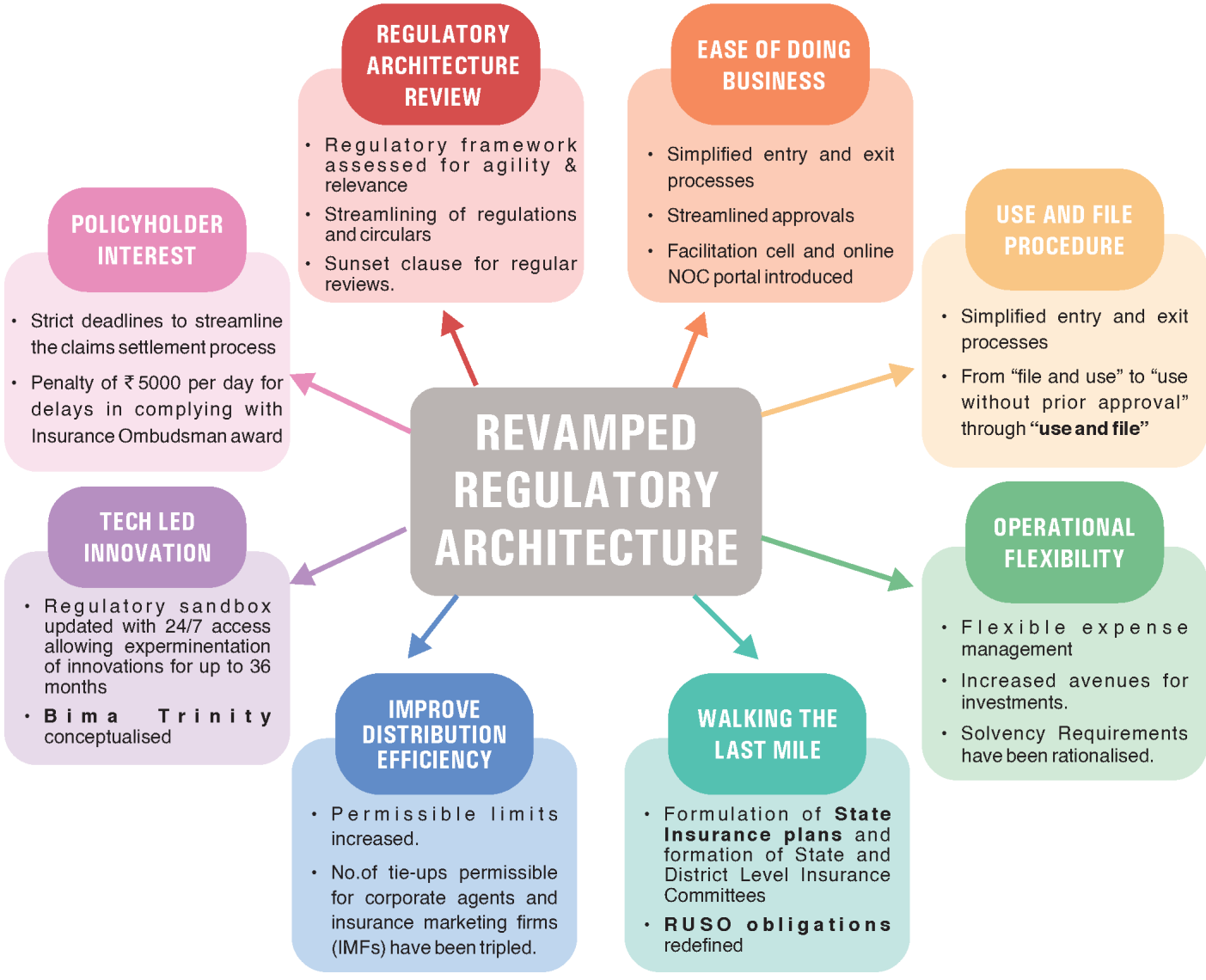
Risk Based Capital

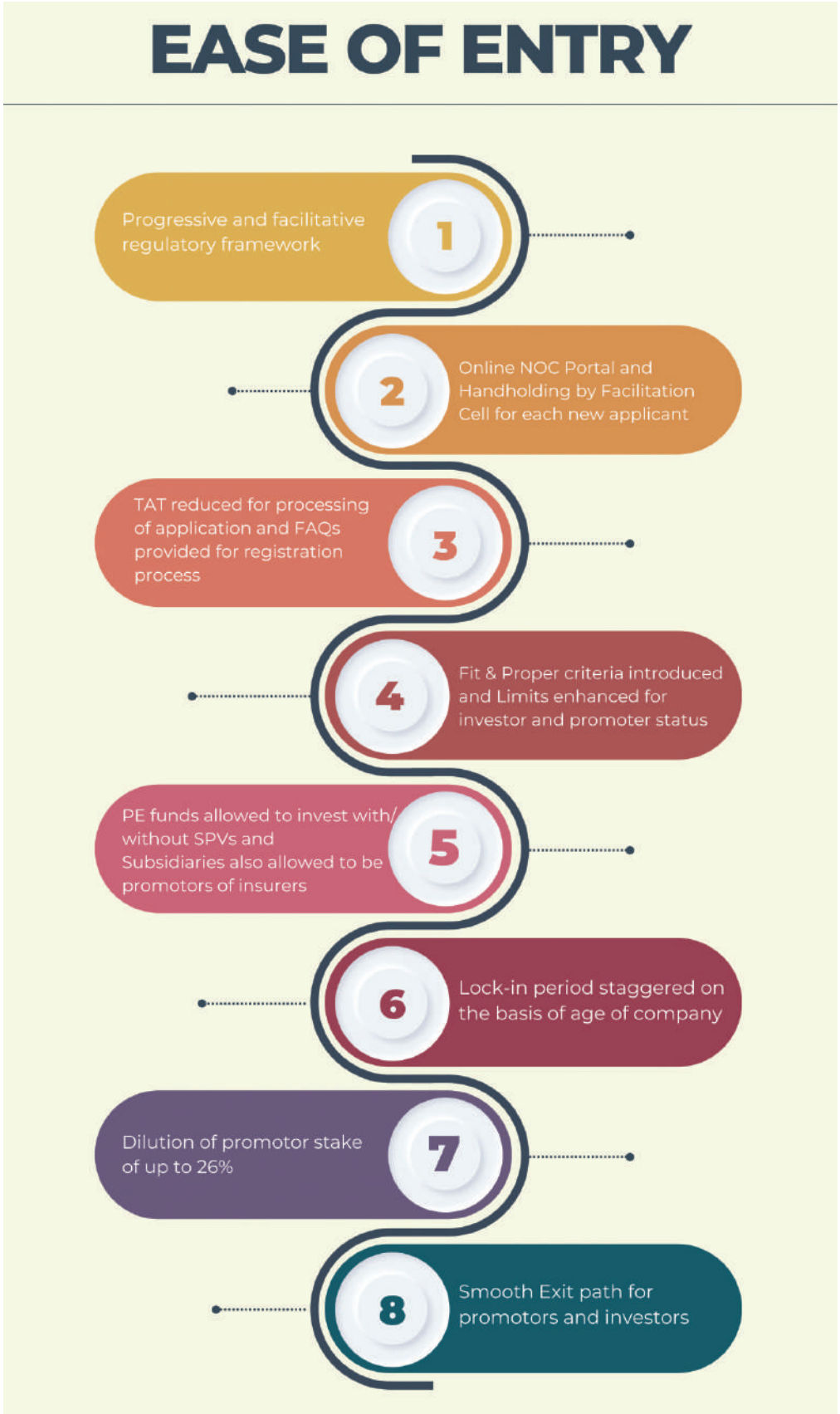
- RBC is the transition from a factor-based to a risk-based approach in financial management.
- It will enable organizations to achieve better risk management, enhanced market discipline and contributes to overall financial stability.
- Towards this, quantitative impact study - 1 (QIS 1), has been conducted to assess its implications.

Risk Based Supervision Framework

- RBSF offers a comprehensive risk management approach customized to each entity's specific risk profile, enabling proactive measures to mitigate potential risks.
- It strengthens supervisory oversight to ensure ongoing compliance and resilience.
- Pilot programs are being conducted to test the framework providing valuable insights into its effectiveness.

Revamped Regulatory Architecture




EASE OF ENTRY
Progressive and facilitative regulatory framework
1
Online NOC Portal and Handholding by Facilitation Cell for each new applicant
2
TAT reduced for processing of application and FAQs provided for registration process
3
Fit & Proper criteria introduced and Limits enhanced for investor and promoter status
4
PE funds allowed to invest with/ without SPVs and Subsidiaries also allowed to be promotors of insurers
5
Lock-in period staggered on the basis of age of company
6
Dilution of promotor stake of up to 26%
7
Smooth Exit path for promotors and investors
8

PART – II
REVIEW OF WORKING AND OPERATIONS

II.1 Regulation of Insurance and Reinsurance Companies

Comprehensive Review and Simplification of Regulatory Framework:

IRDAI has undertaken a comprehensive review of the regulatory framework pertaining to the insurance sector to promote ease of doing business and reducing compliance burden while ensuring protection of policyholders' interests.

As a result, all the regulations, circulars and guidelines pertaining to insurance sector have undergone a thorough evaluation and examination for their relevance, agility, simplicity and adaptability, along with the associated burden and cost of compliances. One of the key elements of evaluation was wide consultations with stakeholders in particular and with public in general. These consultations imparted critical inputs and deep insights resulting in better understanding of the ground realities, the needs of the sector and transformations required therein.

This extensive and participative process led to condensing the number of regulations pertaining to insurers and intermediaries to 28 from 78 as on 31st March, 2024. Similarly, to reduce compliance burden and to enhance operational efficiencies in the insurance sector, 167 circulars were repealed.

Further, 82 returns have been rationalized and a one-stop reference for all regulatory returns to be filed with IRDAI has been provided.

The revised framework is more principle based and allows sufficient flexibility to insurers with necessary guardrails and at the same time reduces the compliance cost. A sunset clause of three years has been added to ensure regular /periodic review and incorporate dynamism into the regulatory landscape.

Furthering the goal of creating an enabling regulatory environment that prioritizes policyholders' interests while fostering innovation, competition, and sustainable growth in the insurance sector, IRDAI approved ten principle-based regulations during the FY 2023-24. Of these eight were consolidated regulations and two were new regulations. These regulations have been brought in after a thorough review of the insurance sector's regulatory framework.

The regulations, inter alia cover critical areas such as protecting policyholders' interests, obligations towards rural and social sectors, Motor Third Party Insurance, electronic insurance marketplace – popularly known as 'Bima Sugam', unified norms for all category of insurance products, operation of foreign reinsurance branches, and aspects relating to registration of insurance companies, actuarial practices, finance, investment, expenses of management including commission and corporate governance.

Apart from the rationalization of regulations, the Regulatory Action Report System (RARS), a centralized data repository of actions taken by IRDAI on violations of regulated entities is also under active consideration. The RARS is expected to bring transparency and accessibility to historical records. The system is discussed in detail in Box Item III.2

With the objective to enable insurers to offer customised insurance products seamlessly, IRDAI has de-notified the general regulations, terms and conditions and other specifications to all prevailing tariffs of general insurance products. The de-notification of these tariffs is a significant milestone that is discussed in detail in the Box Item III.1.

IRDAI is developing the Indian Risk-Based Capital (Ind-RBC) Framework to help insurers maintain

adequate capital relative to their risks, optimizing capital use and risk management. As part of this transition from the current factor-based model, IRDAI has initiated the First Quantitative Impact Study (QIS1) to assess its impact on insurers' capital and solvency, accompanied by a 'Technical Guidance' document. Insurers must submit QIS1 outcomes within a set timeframe, with subsequent studies planned to refine the framework.

To solidify a principle-based regulatory framework, IRDAI is also developing and implementing a Risk-Based Supervisory (RBS) framework for the Indian insurance industry. IRDAI aims to promote robust supervision focused on consumer protection. This initiative represents a significant shift towards global best practices, emphasizing proportionality, materiality, and a comprehensive analysis of the activities of regulated entities.

The brief of regulations notified during the year under review is as under:

II.1.1 IRDAI (Re-insurance) (Amendment) Regulations 2023

II.1.1.1 Reinsurance is an important tool for insurers to manage earnings and balance sheet volatility more efficiently. By engaging in reinsurance, insurers can limit their exposure to large risks, catastrophic events and enhance their financial stability.

The reinsurance landscape in India has evolved significantly, especially since the enactment of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 which facilitated the entry of major global reinsurers into the Indian market through their branches.

Under the extant reinsurance regulatory framework, Indian Reinsurers (Currently only GIC of India) and Foreign Reinsurance Branches (FRBs) registered with IRDAI are allowed to provide reinsurance services in India. Additionally, IFSCA Insurance Offices (IIOs) and Cross Border Reinsurers (CBRS) are also permitted to provide Reinsurance services.

In order to enhance reinsurance business and streamline regulatory provisions for Indian Insurers, including FRBs and IIOs, IRDAI notified the IRDAI (Re-insurance) (Amendment) Regulations 2023 on 23rd August 2023. These regulatory changes are in line with the objective to have in place an enabling legal framework to make India a reinsurance hub.

The Amendment Regulations brought changes to the IRDAI (Re-insurance) Regulations 2018, the IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations 2015, and the IRDAI (Lloyd's India) Regulations 2016. The key changes introduced by the amendment regulations include-

- Indian Reinsurers (including FRBs) required to maintain a minimum retention of 50 per cent within India of the Indian reinsurance business underwritten and any retrocession to an IIO, up to 20 per cent, counts towards this minimum retention requirement.
- Introduced a new and simplified Order of Preference, which cedant insurers are required to follow for all reinsurance placements. Previously spanning to six levels, now this has been streamlined to four levels as under:

a) Category 1: Indian Reinsurer (at present, only GIC Re);

b) Category 2: IIOs (which invest 100 per cent of retained premiums, emanating from Indian Insurers, within the Domestic Tariff Area) and FRBs;

c) Category 3: Other IIOs

d) Category 4: Other Indian Insurers (only in respect of per-risk facultative placements in the insurance segment for which the Insurer is registered to transact business) and CBRs

- Compliance and reporting requirements have been simplified. The Amendment Regulations introduced certain relaxations in terms of the manner/format of the regulatory filings as well as the records to be maintained by Indian Insurers

- Minimum capital requirement for opening a new FRB has been lowered from ₹ 100 Crore to ₹ 50 Crore, with the provision to repatriate any excess assigned capital.

The Amendment Regulations signify a significant shift in India's reinsurance landscape, fostering a more favourable business environment and positioning India as a leading global reinsurance hub.

II.1.2 IRDAI (Expenses of Management, Including Commission of Insurers) Regulations, 2024

II.1.2.1 The IRDAI (Expenses of Management, Including Commission of Insurers) Regulations, 2024 were amended to give insurers greater flexibility in managing their expenses, including commissions. This aims to help them optimize resource use, enhance benefits for policyholders, and improve insurance penetration, all within the limits set by the IRDAI.

These amendments seek to balance operational flexibility and regulatory oversight by imposing EoM limits at the company level, rather than the previous segmental level, for general and health insurance sectors, while simplifying the monitoring process for life insurance. This initiative is part of a broader regulatory reform aimed at shifting towards principle-based regulations and rationalizing the existing regulatory framework.

These Regulations combine three erstwhile Regulations, viz., IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2023, IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2023 and IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023.

II.1.3 IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024

II.1.3.1 The IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024 provide a unified framework merging six erstwhile regulations aimed at facilitating the industry responsiveness to the dynamic market demands thus enhancing ease of conduct of business and boosting insurance penetration. A detailed write-up about the regulation is placed at Box Item II.1.

II.1.4 IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024

II.1.4.1 IRDAI has notified IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024 which superseded the IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulation, 2022. Major changes of the Regulations are as follows:

a. Lock-in period:

 i. Current Regulation allow relaxation only to facilitate listing. Enabling provision is made to relax in case of financial distress condition of insurer or shareholder.

 ii. No lock-in in following cases:

 1. Shares allotted to employees or directors of insurer pursuant to any scheme for the benefit of employees or directors of insurer.

 2. Investors holding not more than 1 per cent of the equity capital of the insurer.

b. Security premium: At Registration stage (till commencement of business)

 i. Shares of applicant or SPV (Special Purpose Vehicle) to be issued only at face value.

 ii. Infusion of funds by shareholders of applicant or SPV to be in proportion of equity stake.

c. Nomination of Director: No shareholder shall nominate any director on the board of any insurer if it has already nominated director on the board of any other insurer engaged in the same class of insurance business.

d. Approval for transfer of shares: Provide clarity on seeking prior-approval for every 5 per cent (for transferee) and transfer of every 1 per cent (for transferor) in a financial year.

e. Requirement of prior-approval for listing of shares on stock exchanges is dispensed with subject to compliance with certain conditions including:

 i. Insurer to intimate IRDAI at least 15 days prior to approaching SEBI.

 ii. Insurer to seek prior-approval for transfer of shares u/s 6A.

f. Revision in processing & annual fees:

 i. The maximum amount of annual fees to be paid by Insurers has been increased from ₹ 10 crore to ₹ 15 crore

 ii. Application fee for Amalgamation is to be paid by each insurer separately.

 iii. Application Fee for Transfer of Shares is ₹ 50 lakh (if proposed transfer is more than 50 per cent equity) or ₹ 5 lakh (in other cases).

II.1.5 IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024

II.1.5.1 The IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024 were introduced to establish a strong governance framework for insurers and clearly define the roles and responsibilities of the board and management. For the first time, existing governance guidelines have been formalized as regulations. These regulations highlight the importance of adopting sound and prudent governance practices, with a focus on meeting the expectations of all stakeholders, particularly

policyholders. Emphasizing transparency, accountability, and ethical conduct, they aim to foster trust and confidence among stakeholders.

II.1.6 IRDAI (Registration and operations of Foreign Reinsurers' Branches and Lloyds India) Regulations, 2024:

II.1.6.1 In order to promote ease of doing reinsurance business, and with an intent of streamlining various regulations, the Authority notified the IRDAI (Registration and operations of Foreign Reinsurers' Branches and Lloyds India) Regulations, 2024 on 20th March 2024. The new regulations combine the two erstwhile regulations, viz. the IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015 and IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016.

The new regulations are a unification of common provisions applicable for both Lloyd's and other than Lloyd's in a single set of regulations. The regulations also introduce some operations and governance related provisions, in order to bring more clarity in the stipulations. The salient features of the new regulations are as under:

- 'Line of business' introduced to specify the category of business for registration of FRBs;
- Validity period of 3 months for requisition and R1 approval for FRBs is introduced;
- The definition of 'Service Company' has been modified to make it more flexible and to enable more entities under the Lloyd's India platform;
- Validity period of registration for service company of Lloyd's is removed;
- Provisions with regard to Amalgamation, Merger, Acquisition, Transfer or Restructuring of FRBs have been introduced.
- Prior approval of the Authority for opening of additional offices and transfer of profits/ surplus of India branch operations by FRBs, dispensed with, subject to conditions;
- Provisions relating to appointment and remuneration of CEO and KMPs of FRBs and outsourcing of activities by FRBs have been modified;

All the formats and non- substantive provisions have been moved to the Master Circular.

II.1.7 IRDAI (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024

II.1.7.1 These regulations aim to establish a digital public infrastructure named Bima Sugam towards universalization and democratization of insurance as well as safeguarding policyholders' interests. The marketplace will serve as a one-stop solution for all insurance stakeholders including customers, insurers, intermediaries, and agents, thereby promoting efficiency, transparency, and collaboration across the entire insurance value chain.

The e-marketplace is expected to enhance accessibility of insurance coverage, digitally empower all stakeholders and ensure end-to-end solutions.

BOX II.1

IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024 – Enabler for comprehensive product solutions

In continuation to series of regulatory reforms for conducive regulatory environment that protects interests of the policyholders, provides seamless services to insured population and encourages innovation, competition, and sustainable growth in the insurance industry, the IRDAI issued the IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024 by merging the following six regulations into a single principle based framework applicable for Life, Health and General Insurance business:

- IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015;
- IRDAI (Minimum limits of Annuities and other benefits) Regulations, 2015;
- IRDAI (Acquisition of Surrender and Paid up values) Regulations, 2015;
- IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016;
- IRDAI (Unit Linked Insurance Products) Regulations, 2019;
- IRDAI (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019;

The insurance products regulations intend to enabling insurers to promptly respond to evolving market needs, enhancing the ease of conducting business and reducing compliance burden for boosting insurance penetration. The regulations aim at promoting good governance in product design and pricing and ensuring the protection of interests of policyholders and thereby, fostering a competitive marketplace. Additionally, the regulations ensure that the insurers adopt sound management practices for effective oversight and due diligence.

Salient features of Life Insurance Products:

- Mostly principle based with the objective of protection of interests of policyholders.
- Strengthening the governance framework covering underwriting, advertisement, product design and pricing.
- Strengthening the principles governing guaranteed surrender value and special surrender value along with disclosures.
- Encouragement for the development of innovative insurance products for different segments/strata of the society to provide wider choices as per their dynamic needs
- Introduction of ‘Variable Annuity Pay-out’ whereby annuity payments may vary with publicly available benchmark along with appropriate disclosure and benefit illustrations to policyholders/customers.
- Introduction of ‘Indexed Linked Products’ under Unit Linked Platform.
- Facilitation of ‘Group fund based products’ for ‘Non-employer-employee groups’.

Salient features of Health Insurance Products:

- Insurers shall ensure that they offer health insurance products to cater to all the age groups and shall endeavour to offer coverage for persons with all type of existing medical conditions.
- With respect to Pre Existing Diseases (PED); the maximum waiting period permitted for disclosed PED brought down from the existing 48 months to 36 months, the maximum waiting period permitted for undisclosed PED brought down from the existing 96 months to 60 months and the period for categorizing any condition, ailment, injury or disease reduced as PED reduced from 48 months prior to policy commencement to 36 months prior to policy commencement
- The maximum waiting period permitted for specified diseases/treatment brought down from the existing 48 months to 36 months. This specific waiting period shall not be applicable for claims made owing to an accident.
- Insurers shall have board approved policy to place AYUSH treatment at par with other treatments and to provide an option to the policyholders.
- A health insurance policy shall be renewable except on grounds of established fraud, moral hazard or misrepresentation by the insured, provided the policy is not withdrawn and insurers are specifically allowed to offer discounts based on the good claim experience.
- General and Health Insurers can now offer individual health insurance products (benefit and indemnity products) for less than one-year and more than 3 years' term. Credit Linked Products can be offered for the term up to 5 years. Life insurers can now offer benefit based individual health insurance products for less than five-year term.
- Coverage shall be provided during the grace period, if premium is paid in instalments.
- Premium shall remain unchanged for the policy term. It is specified that the insurers shall ensure that the premium rates are fair and not excessive, inadequate, unfairly discriminatory and provide value for money. Insurers are permitted to price and revise the product as per the product experience.

The above features enable insurers to offer customized insurance products to the varying market segments seamlessly.

II.1.8 IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024:

II.1.8.1 IRDAI notified IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024 which superseded the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and subsequent amendments. Major changes of the Regulations are as follows:

Actuarial Functions:

a) The Actuarial functions include the Appointed Actuary system, valuation of assets and liabilities for life and general insurance business along with the computation of solvency margin.

b) The Appointed Actuary in an insurance/ reinsurance company plays paramount role in the areas covering, amongst others, product designing and pricing, reinsurance, risk management, maintenance of solvency, investment and compliance with various regulatory mandates.

c) The Regulations cover detailed methodologies and principles of valuation of assets and liabilities for the purpose of demonstration and assessment of solvency position of insurers/ reinsurers.

d) Assets are valued in accordance with the principles prescribed in preparation of financial statements of the insurer. However, certain listed assets are not admissible in demonstration of solvency margin. Similarly, for the purpose of prudence, any positive movement in Fair Value Change Account is not allowed to be considered in solvency calculation. Liabilities are valued in line with the Actuarial principles and methodologies as set out in the regulations.

Finance Functions:

a) Procedure to determine valuation of 'Real Estate–Investment property' in case of general insurers including health insurers and those insurers engaged exclusively in reinsurance business have been made consistent with the procedure to determine valuation of 'Real Estate–Investment property' in case of life insurers resulting in harmonization of the valuation procedures for real estate investment properties across different types of insurers.

b) Formats/ line items specified post issuance of IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, vide various circulars/ directions have been suitably inserted in IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of insurers) Regulations, 2024 in order to ensure consistency with public disclosure requirements.

Investment Functions:

a) Debentures secured by a first charge on any immovable property, plant or equipment of any company which has paid interest in full without any default shall be considered as Approved Investment. Number of years' criteria for receipt of interest is now replaced with payment of interest without default.

b) In order to encourage further investments in housing sector, besides Bonds/Debentures, Equity investment in Housing Finance Companies/HUDCO is treated as part of the exposure to Housing and Infrastructure Sector.

c) Timeline to submit quarterly returns is now increased to 45 days from the existing 30 days from the end of the quarter.

d) In order to enhance ease of doing business and encourage investments in infrastructure sector, investments in Infrastructure Debt Funds are allowed based on certain conditions without the requirement of prior approval.

e) Investment in private placement of promoter group companies falling under top 100 listed companies by market capitalization and Central Public Sector Enterprise is allowed.

f) The exposure limit for investment in Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) sector is increased to 30 per cent

g) The requirement of confirmation by Statutory Auditor of the Insurer on a quarterly basis for compliance to Board monitoring of parameters like premium, claim, expenses and investment yield etc., is dispensed.

II.1.9 IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024

II.1.9.1 These regulations were amended by consolidating two erstwhile regulations on minimum business obligations with respect to rural and social sectors and motor third party business for insurers. The regulations have re-defined the unit of measurement for fulfilment of rural sector obligations as the Gram Panchayat. The scope of social sector obligations has been expanded to include cardholders and beneficiaries under various government schemes. The unit of measurement for the fulfilment of motor third party obligations will be renewal of insurance coverage to passenger vehicles, goods vehicles and tractors. A detailed write-up on the regulations is placed at Box II.2.

II.1.10 IRDAI (Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024

II.1.10.1 The IRDAI (Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024 were notified on 20th March, 2024. The Regulations are in two parts. Part – A deals with provisions relating to protection of interests of the policyholders and Part-B covers provisions relating to operations and allied matters of the insurers. This regulation consolidated eight regulations into a unified structure, focusing on several key objectives aimed at ensuring fair treatment of prospects during solicitation and sale of insurance policies and protecting the interests of policyholders throughout their engagement with insurers and distribution channels. These regulations emphasized the adoption of standard procedures and best practices by insurers and distribution channels to fulfil their obligations towards policyholders, including grievance redressal and policyholder-centric governance. The Regulations require every insurer to have in place a Board approved policy for protection of policyholders' interests. Other key provisions of the new regulations include:

- **Extended Free Look Period:**

 Policyholders now have 30 days to review their insurance policies and cancel them if the terms and conditions of the policy (Life and Health) are not acceptable, regardless of the purchase method.

- **Faster Refund Processing:**

 Reduced timelines for processing of refund on the free-look cancellation requests.

- **Mandatory Bank Account Information:**

 Insurers are mandated to capture Insured's bank account information during the proposal stage to facilitate electronic transfer of refund or claim payments.

- **Mandatory Nomination:**

 Nomination is now mandatory for all life insurance policies.

- **Nomination for General and Health Insurance:**

 Nomination provisions have been introduced for general and health insurance policies, wherever applicable.

- **Electronic Policy Issuance:**

 All insurance policies must be issued in electronic format and if requested by the policyholder, the insurer is required to issue a physical copy also.

- **Customer Information Sheet (CIS):**

 Insurers are obligated to provide policyholders with a detailed customer information sheet along with the policy document which is a statement that provides in simple words, important information and basic features of the policy issued at one place.

- **Financial underwriting** has been made mandatory in case of life Insurance policies.

Additionally, the regulations specified norms to promote prudent practices in risk management related to outsourcing activities by insurers. Furthermore, the regulations ensured that the opening or closing of places of business by insurers, both domestically and internationally, is conducted in a manner that prioritizes the interests of policyholders.

II.2 Insurance Agents and Insurance Intermediaries Associated with Insurance Business

II.2.1 Insurance Agents

An Insurance Agent is an individual appointed by an Insurer for the purpose of soliciting or procuring insurance business including business relating to continuance, renewal or revival of policies of insurance. No individual shall act as an insurance agent for more than one life insurer, one general insurer and one health insurer and one each of the specialised insurers. The appointment of individual agents is governed by the IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016.

BOX II.2

Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations – Driving Inclusive Insurance

The Rural and Social Sector Obligations are derived from Sections 32B and 32C of the Insurance Act, 1938 which stipulates that every insurer in India shall undertake a specified percentage of their business in the rural and social sectors. Section 32D specifies minimum third party motor insurance business that the insurer carrying on general insurance business is required to underwrite as specified by IRDAI in the Regulations. These statutory obligations serve as enablers for the insurers, achieving the goal of insurance inclusion in the untapped segments in rural and social sectors, as well as bringing uninsured vehicles under coverage.

To ensure that insurance protection reaches all these segments, IRDAI constituted a committee to revisit the Rural, Social sector and Motor Third-Party (MTP) obligations for the industry. The committee was also tasked with suggesting methods that would enable greater insurance penetration, in line with IRDAIs vision of "*Insurance for All by 2047"*. After comprehensive review by the committee, the IRDAI (Rural, Social Sector, and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 were notified consolidating 2 erstwhile regulations pertaining to minimum business obligations in rural, social sector and motor third party business for insurers.

The revised regulations mark a significant change in how insurance inclusion is measured. For General Insurance, the focus has shifted from Gross Direct Premium to the number of policies issued at Gram Panchayat level, with an emphasis on covering Motor vehicles, Dwellings and Shops. For Life and Health insurance, the number of lives covered under life insurance or health and personal accident insurance in a gram panchayat are reckoned instead of number of policies issued.

The new regulations require collaboration amongst various stakeholders, namely; insurers, Gram Panchayats, and Gram Sachivs (secretaries). These stakeholders will work together to achieve insurance inclusion in the overall vision of Insurance for All by 2047. Further, Life and General Insurance Councils will identify and allocate Gram Panchayats to the insurers based on agreed criteria, and collaborate with the local authorities to gather data on number of lives, number of dwellings, shops and motor vehicles in a gram panchayat.

The scope of social sector has been enhanced to cover cardholders (like BPL cardholders, E-Shram cardholders, MNREGA cardholders, DBT beneficiaries, Jan Dhan Account holders etc.) and beneficiaries under various schemes (like PM Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Jan Arogya Yojana, PM Awas Yojana, PM Viswakarma Yojana, PM Mudra Yojana etc.). To enable greater coverage of lives, the proportion of lives stipulated as social sector obligation has been raised from 0.5-5 per cent to 10 per cent of all lives covered for all Life, General and Standalone Health insurers. This shift widens the social sector insurance net significantly, bringing more lives under its protection. Councils will coordinate with government agencies and appropriate authorities to gather data for social sector population and share the same with insurers for fulfilling the social obligations.

The revised Motor Third Party Regulations move away from focusing on each insurer's Gross Direct Premium (GDP), and instead emphasize market share of the insurer and growth in number of insured vehicles specifically for Goods carrying, Passenger carrying vehicles and tractors. In a carefully designed methodology, the general insurers (excluding SAHI and specialized insurers), have been assigned a year-on-year target percentage increase in renewed policies of insured vehicles and coverage of uninsured vehicles in the categories of Passenger Carrying Vehicles (PCV), Goods carrying Vehicles (GCV) and Tractors (Miscellaneous Segment).

To annihilate uninsured vehicles, an operative clause of minimum of 30 days of gap of insurance is prescribed for fulfillment of MTP Obligations by the insurers. Further, the insurers are supposed to collaborate with Insurance Information Bureau (I.I.B.) and Road Transport Authority of each State in coordination with General Insurance Council, to identify and prepare a list of such uninsured vehicles containing the Registration number and Name of the Vehicle owner, under each category of PCV, GCV and Tractors.

The new IRDAI (Rural, Social sector and Motor Third Party Obligations) Regulations 2024 is one step towards the IRDAI's commitment of '*Insurance for All by 2047'*, and ensuring total coverage of uninsured vehicles.

Insurance Agents associated with Life Insurers

II.2.1.1 The number of individual agents as at 31st March, 2024 was 28.95 lakhs as against 26.28 lakhs as at 31st March, 2023. The industry showed a growth of 10.17 per cent in net number of agents over the previous year. While the private life insurers recorded a growth of 15.60 per cent, Public sector Life Insurer recorded a growth of 5 per cent. As at 31st March, 2024, the number of agents with Public Sector Insurer stood at 14.15 lakhs and the corresponding number for private Life sector insurers was 14.81 lakhs.

II.2.1.2 During the year 2023-24, 9.75 lakh agents were appointed and 6.98 lakh agents were terminated. Out of the total 28.95 lakh individual agents of Life insurance industry, male individual agents form 69.87 per cent and female individual agents are 30.13 per cent.

Insurance Agents associated with General and Health Insurers

II.2.1.3 Number of agents associated with general insurers as on 31st March, 2024 recorded a de-growth of 3.9 per cent as compared to agents as on 31st March, 2023. There are no agents associated with specialized insurers. Out of the total 6,99,150 agents of general insurers, 76.30 per cent are male and 23.70 per cent are female.

II.2.1.4 Number of agents associated with standalone health insurers recorded a growth of 12.71 percent over the previous year. Out of the total 13.06 lakh individual agents of Stand-alone health insurers, 71 percent are male and 29 percent are female. Overall number of insurance agents associated with general and health insurers at the end of 2023-24 saw a 6.30 per cent growth from the previous year.

Table II.1: Insurance Agents Associated with Life, General & Health Insurers

Insurer	As on March 31, 2023	Appointment during 2023-24	Termination during 2023-24	As on March 31, 2024
Public Sector Life Insurer	13,47,325	4,18,596	3,51,178	14,14,743
Private Sector Life Insurers	12,80,883*	5,56,380	3,46,322	14,80,695
Life Insurance Industry Total #	**26,28,208**	**9,74,976**	**6,97,500**	**28,95,438**
Public Sector General Insurers	3,09,748	11,034	2,686	3,18,096
Private Sector General Insurers	4,17,745	85,923	1,22,614	3,81,054
General Insurance Industry Total	**7,27,493**	**96,957**	**1,25,300**	**6,99,150**
Stand-alone Health Insurers	11,58,294	2,15,457	68,182	13,05,569
Industry Total	**45,13,995**	**12,87,390**	**8,90,982**	**49,00,157**

Note: An individual agent may be associated with one Life, one General, and one Health Insurance company in any combination.
** The Number of Individual Agents as at 31.03.2023 is inclusive of Agents of Sahara India Life Insurance Company Limited.*
Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd (SBI Life) by IRDAI vide its order dt. 2.6.2023 and the above data / information for the FY 2023-24 does not include data / information pertaining to SILIC.

Table II.2: Gender-wise Distribution of Insurance Agents Associated with Life, General & Health Insurers

Insurer	Male	Female	Others	Total
Public Sector Life Insurer	10,55,671 (74.62)	3,59,072 (25.38)	0 (0.00)	**14,14,743 (100)**
Private Sector Life Insurer	9,67,277 (65.33)	5,13,417 (34.67)	1 (0.00)	**14,80,695 (100)**
Life Insurance Industry Total #	**20,22,948 (69.87)**	**8,72,489 (30.13)**	**1 (0.00)**	**28,95,438 (100)**
Public Sector General Insurers	2,57,907 (81)	60,189 (19)	0 (0.00)	**3,18,096 (100)**
Private Sector General Insurers	2,75,571 (72)	1,05,483 (28)	0 (0.00)	**3,81,054 (100)**
General Insurance Industry Total	**5,33,478 (76.30)**	**1,65,672 (26.70)**	**0** (0.00)	**6,99,150 (100)**
Stand-alone Health Insurers	9,31,564 (71)	3,74,005 (29)	0 (0.00)	**13,05,569 (100)**
Industry Total	**34,87,990 (71.18)**	**14,12,166 (28.82)**	**1** (0.00)	**49,00,157 (100)**

Note: Figures in brackets indicate percentage to total

Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd (SBI Life) by IRDAI vide its order dt. 2.6.2023 and the above data / information for the FY 2023-24 does not include data / information pertaining to SILIC.

II.2.2 Corporate Agents

II.2.2.1 Corporate Agents are insurance intermediaries holding a valid registration certificate issued by the IRDAI under the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015. This certification enables them to solicit and service insurance business across various categories including life, general and health insurance. Corporate Agents primarily consist of entities engaged in business sectors other than insurance distribution. These entities leverage their existing customer base and market presence to facilitate the cross-selling of insurance products. To enhance the diversity of insurance options available to customers, IRDAI has revised the regulations for Corporate Agents, permitting them to establish partnerships with up to nine life insurers, nine non-life insurers, and nine stand-alone health insurers. As of 31st March, 2024, there were 635 active Corporate Agents, including 247 banks, 388 NBFCs, cooperative societies, limited liability partnership firms, and other eligible entities.

Corporate Agents Associated with Insurance Business as on 31st March, 2024 is provided at Table II.3.

Table II.3: Corporate Agents active with Insurance Business (As on 31st March, 2024)

Category	Banks	NBFCs & others	Total
Life	8	12	20
General	9	26	35
Health	0	0	0
Composite	230	350	580
Total	**247**	**388**	**635**

II.2.3 Insurance Brokers

The number of registered brokers was 854 as on 31st March, 2024. Out of this, the valid brokers stood at 683 while the remaining 171 are not in force as on 31st March, 2024. The 683 valid brokers comprise of 609 direct brokers, 70 composite brokers and 4 reinsurance brokers.

Total 64 new Certificate of Registrations (CoR) were issued during the period from 1st April, 2023 to 31st March, 2024 out of which 61 were direct insurance brokers (Life & General) and 3 direct insurance brokers (General). During the same period, 189 insurance broker registrations were renewed.

II.2.4 Micro Insurance Agents

In order to equip low-income groups and economically disadvantaged sections, micro insurance as a concept had been brought in the form of affordable insurance products to help them cope with and recover from financial losses.

Initially IRDAI had notified the Micro Insurance Regulations in 2005 and later on modified IRDAI (Micro Insurance) Regulations in 2015 permitting many banking and non-banking financial institutions, cooperative societies to be appointed as Micro Insurance agents.

Micro Insurance in Life Insurance Sector

II.2.4.1 Fifty-four micro insurance products of 22 life insurers were available in the market for sale as at 31st March, 2024. Of these 54 products, 16 are Individual products and the remaining 38 are Group products (Annexure 6). The performance of micro insurance business in Life Insurance Sector during FY 2023-24 is given in Table II.4.

While the individual new business under the micro insurance segment for the year 2023-24 stood at 3.41 lakh new policies with a premium of ₹ 152.57 crore, the number of lives covered under group micro business is 1,783.92 lakhs with a premium of ₹ 10,707.82 crore. LIC's contribution to micro insurance was 2.39 lakh policies with a premium of ₹ 134.85 crore under individual business and 30.49 lakh lives with ₹ 17.09 crore premium under group business. The private sector contribution to micro insurance was 1.02 lakh policies and ₹ 17.72 crore premium in individual business and 1,753.43 lakh lives with ₹ 10,690.73 crore premium under group business.

Table II.4: Performance of Micro Insurance Business in Life Insurance Sector

Insurer	Individual New Business		Group New Business		
	Policies (Lakh)	Premium (₹ Crore)	Schemes	Premium (₹ Crore)	Lives covered (Lakh)
Private sector	1.02	17.72	469	10,690.73	1,753.43
Public Sector	2.39	134.85	4,993	17.09	30.49
Total	**3.41**	**152.57**	**5,462**	**10,707.82**	**1,783.92**

Note: New business premium includes first year premium and single premium.

The number of micro insurance agents as at 31st March, 2024 stood at 1,01,848 of which 19,166 agents pertain to public sector life insurer and the remaining 82,682 to private sector life insurers. Out of the total Micro Insurance agents, NGOs form 4.49 per cent, Self Help Groups (SHGs) form 0.25 per cent, Micro Finance Institutions (MFIs) form 0.24 per cent, Business Correspondents (BCs) form 0.12 per cent and other MI Agents form 94.90 per cent.

Table II.5 Micro Insurance Agents of Life Insurers

Agents	Public Sector	Private Sector	Total
NGO's	4,560	9	4,569
SHG's	257	1	258
MFI's	214	28	242
Business Correspondents	103	24	127
Other MI Agents	14,032	82,620	96,652
Total	**19,166**	**82,682**	**1,01,848**

Micro Insurance in General Insurance Sector

II.2.4.2 A General Micro insurance product covers health insurance, personal accident, and belongings such as livestock, hut, or tools or instruments etc. This product can be availed at an individual or a group basis. The various Micro Insurance products offered by the general insurance companies include Cattle Micro Insurance, Kisan Agriculture Pump set Micro Insurance, Janata Personal Accident Sukshma Bima, Micro Gramin Personal Accident Insurance, Micro Universal Health Insurance, Sampoorna Griha Suraksha Policy etc.

IRDAI has permitted Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) covering non-loanee farmers, to be solicited and marketed by Micro Insurance Agents.

Total number of general insurance policies issued by Micro Insurance Agents in the year 2023-24 are as follows:

Table II.6 Number of Micro Insurance Policies Issued

Private	Public	Total
228	23,518	23,746

Note: Does not include Micro Insurance policies issued by Stand-alone Health Insurers

II.2.5 Insurance Marketing Firm

II.2.5.1 Insurance Marketing Firms (IMFs) are regulated distribution channels authorized by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) to solicit and procure insurance products. Additionally, they can distribute other financial products regulated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Reserve Bank of India (RBI), the Pension Fund Regulatory and Development Authority of India (PFRDA), the Department of Posts among others. IMFs achieve this by employing licensed individuals to market these products. They are registered under the IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015.

Operating under an open architecture model, IMFs can partner with up to six insurance companies in various sectors, including life, general, and health insurance. Moreover, IMFs are permitted to tie-up with the Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) and the Export Credit Guarantee Corporation Ltd. (ECGC).

IMFs can offer a wide range of products sold on an individual or retail basis, with the exception of commercial lines of business, which are limited to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The primary goal of the IMF channel is to extend insurance coverage to rural areas, thereby contributing to inclusive growth in the country.

II.2.5.1 Number of Entities under IMF and their corresponding business during the year 2023-24 is as under

- 302 NOCs were issued during the year.
- A total of 3,126 NOCs were issued till 31st March, 2024
- 85 Certificate of Registrations were issued during the year
- A total of 679 registrations were issued till 31st March, 2024.

Out of the 679 registered IMFs, 470 are operational and the remaining 209 are not active.

Business Performance of IMFs



General and Health Insurers

No. of Policies Sourced **1,90,822**
Premium (in Cr.) ₹ **275.66**



Life Insurers

No. of Policies Sourced **23,827**
Premium (in Cr.) ₹ **246.36**

Total Number of Policies sourced: 2,14,649
Total Premium (in Cr): ₹ 522.02

II.2.6 Common Public Service Centre-SPV

II.2.6.1 The Common Service Centres (CSC) were established under the Digital India programme by the Government of India and are managed by CSC e-Governance Services India Limited. IRDAI initially

issued the IRDAI (Insurance Services by Common Service Centres) Regulations, 2015 which were later replaced by the IRDAI (Insurance Services by Common Public Service Centers) Regulations, 2019.

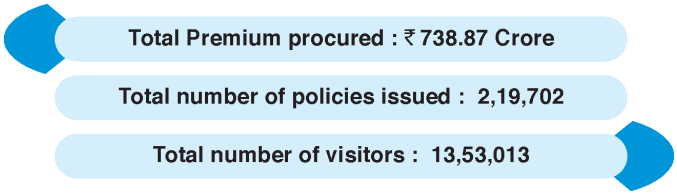
Performance of CPSC-SPV channel during the year 2023-24 is as under:

- Total new business premium procured: ₹ 511.9 crore
- Total renewal premium (Life) collected: ₹ 1,858 crore
- No. of RAP who have undergone training and have passed the exam and have been issued certificates in 2023-24: 5,094
- No. of RAP who have undergone training and have passed the exam and have been issued certificates since inception: 1,05,742
- No. of VLE-Ins who have undergone training and have passed the exam and have been issued certificates in 2023-24: 22,899
- No. of VLE-Ins who have undergone training and have passed the exam and have been issued certificates since inception: 2,68,430

II.2.7 Insurance Web Aggregators

II.2.7.1 The IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017, were issued on 13th April, 2017, to oversee and regulate Insurance Web Aggregators. These aggregators are authorized to sell Life, General, and Health Insurance products through online and distance marketing channels. As of 31st March, 2024, there were 29 certified Insurance Web Aggregators. Below is the performance of the web aggregator channel for the year 2023-24:

Business Generated by Web Aggregators



II.2.8 Point of Sales Persons (POSPs)

II.2.8.1 In order to facilitate the growth of insurance business in the country and to enhance insurance penetration and insurance density, the IRDAI as part of its developmental agenda issued Guidelines on "Point of Sales Persons ". POSP means an individual who possesses the minimum qualifications, has undergone training and passed the examination as specified in the POSP guidelines and solicits and markets only such products as specified by the IRDAI.

The number of POSP as on 31st March, 2024 was 20,43,272.

Table II.7: Number of POSPs with Corresponding Sponsoring Agencies

Sponsoring agency	No. of sponsoring agencies	No. of POSP
Insurers	48	7,80,392
Insurance Brokers	256	9,92,721
Corporate Agents	62	2,70,159
Total	**366**	**20,43,272**

II.2.9 Motor Insurance Service Provider

II.2.9.1 The IRDAI has issued Motor Insurance Service Provider (MISP) guidelines in 2017 with an objective to recognize the role of automotive dealer in distributing and servicing motor insurance policies and to have regulatory oversight over their activities connected to insurance.

The number of MISP registered as on 31st March, 2024 was 25,206.

Table II.8: Number of MISPs with various Sponsoring Agencies

Sponsoring agency	No. of sponsoring agencies	No. of MISP
Insurers	19	9,499
Insurance Brokers	27	15,336
Corporate Agents	6	371
Total	**52**	**25,206**

II.2.10 Insurance Repositories

II.2.10.1 The Insurance Repository System, an initiative by the IRDAI, aims to dematerialize insurance policies. To achieve this, the IRDAI issued guidelines on Insurance Repositories and the electronic issuance of insurance policies in the year 2011. These guidelines were later revised in May 2015. As of 31st March, 2024, a total of 1.83 crore number of Electronic Insurance Accounts (eIAs) had been created, and 1.83 crore policies had been converted to electronic mode since April 2011. During FY 2023-24, 42.18 Lakh eIA have been created and 46.52 Lakh e-Insurance policies have been credited.

There are four Insurance Repositories approved by the IRDAI as on 31st March, 2024.

They are:

- NSDL National Insurance Repository
- CDSL Insurance Repository Limited
- CAMS Repository Services Limited
- Karvy Insurance Repository Limited

II.2.11 Insurance Surveyors and Loss Assessors

II.2.11.1 Surveyors and Loss Assessors (SLA) play a crucial role in the evaluation and settlement of claims related to general insurance policies. A person (Individual/Company/Firm) willing to act as SLA must obtain license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) as mandated under Section 42D of the Insurance Act, 1938 read with clause (f) of sub-section (1) of Section 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority

Act, 1999. In order to obtain license to act as SLA, an individual must possess the academic qualifications specified by the IRDAI and must be a member of a professional body, namely the Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA), as per Section 64UM of the Insurance Act, 1938. However, there is an appeal provision under the IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015, for individuals who cannot obtain membership of IIISLA. Section 64UM of the Insurance Act, 1938, also mandates that no claim for a loss occurring in India and requiring settlement in India, where the claim amount equals or exceeds the value specified in the regulations by IRDAI, shall be admitted or settled by the insurer unless a report on the loss is obtained from a person licensed to act as a surveyor and loss assessor.

Number of SLA Licences Issued

Type of SLA	2022-23	2023-24
Fresh Licenses		
Individual	325	395
Corporate	27	24
Total	**352**	**419**
Renewals		
Individual	3,115	2,809
Corporate	60	56
Total	**3,175**	**2,865**

II.2.12 Third Party Administrators (TPAs)

II.2.12.1 As at 31st March, 2024 there were 19 active TPAs. Two new TPAs namely AKNA Health Insurance TPA Private Limited and Link-K Insurance TPA Private Limited were registered during 2023-24. The TPAs expanded the network of hospitals by adding 69,334 number of health services agreements to their networks. After withdrawal/removal of 10,782 the number of agreements in the network were of 2.44 lakh as on 31st March, 2024. The TPA-wise network agreements are provided at Annexure 11.

II.2.13 Performance of Insurance Agents and Intermediaries in Life Insurance Business

Individual New Business

II.2.13.1 The individual agents continue to be the major distribution channel for individual new business. However, the contribution of individual agents to the individual new business premium has marginally decreased to 50.90 per cent during the year 2023-24 compared to 52.76 per cent in 2022-23. For the public sector insurer, individual agents are the dominant channel of distribution with a share of 96 per cent in individual new business premium while individual agents under private sector contribute 22.69 per cent of their individual new business premium. The second major distribution channel of individual new business is corporate agents. The contribution of corporate

agents, which was at 35.11 per cent during 2022-23 has decreased marginally to 35.05 per cent in the year 2023-24. The share of corporate agents in the new business premium procured by the private life insurers was significant at 55.12 per cent in 2023-24 (57.02 per cent in 2022-23). On the other hand, the corporate agents' share in individual new business premium of public sector insurer marginally decreased from 3.08 per cent in 2022-23 to 2.96 per cent in 2023-24.

II.2.13.2 The share of Insurers' direct sales channel was 9.91 per cent in 2023-24 against 7.81 per cent in 2022-23 under individual new business. While private insurers procured 16.11 per cent of their new business premium through direct selling, no business was attributed to direct sales by public sector life insurer in 2023-24. Brokers channel contributed at 3.06 per cent in the 2023-24 declined marginally from 3.07 per cent in the year 2022-23. Online sales channel contributed at 0.65 per cent in the year 2023-24 declined marginally from 0.84 per cent in the year 2022-23. Micro Insurance (MI) agents, Common Service Centres (CSCs), Web Aggregators, Insurance Marketing Firm (IMF) and Point of Sales (POS) channels together contributed less than 1 per cent (0.42 per cent) to the individual new business premium in 2023-24, against 0.41 per cent in 2022-23 (Table II.13).

Group New Business

II.2.13.3 Direct selling showed a decline but continued to be the dominant channel of distribution for group business, with a share of 82.74 per cent of premium during 2023-24. The corresponding share in 2022-23 was 84.55 per cent. During 2023-24, this channel contributed 54.94 per cent and 93.34 per cent of the group new business premium of the private sector insurers and Public Sector Insurer respectively. Another important distribution channel for Group business of the private insurers was Corporate Agents-Banks. During the 2023-24, banks contributed 22.94 per cent and 1.64 per cent of the total group new business premium in case of the private insurers and Public Sector Insurer respectively as against 19.73 per cent and 3.97 per cent for private insurers and Public Sector Insurer respectively in 2022-23. During the 2023-24, Public sector Insurer procured 4.91 per cent of the group business premium through its individual agency force while private insurers procured 2.17 per cent through this channel. The contribution of brokers channel increased to 2.11 per cent in 2023-24 which was 1.67 per cent in 2022-23 in the industry new business premium under group business (Table II.13).

Table II.9: Contribution of Agents and Intermediaries in Life Insurance New Business Premium (2023-24)

(Figures in percent of Premium)

Sl. No.	Type of Intermediary	Individual New Business			Group New Business		
		Private Sector	Public Sector	Total	Private Sector	Public Sector	Total
1	Individual Agents	22.69	96.00	50.90	2.17	4.91	4.15
2	Corporate Agents- Banks	51.98	2.85	33.07	22.94	1.64	7.52
3	Corporate Agents- others	3.14	0.11	1.98	11.77	0.01	3.26
4	Brokers	4.85	0.21	3.06	7.38	0.10	2.11
5	Direct Business	16.11	0.00	9.91	54.94	93.34	82.74
6	MI agents	0.01	0.23	0.09	0.80	0.00	0.22
7	CSCs	0.01	0.29	0.12	0.00	0.00	0.00
8	Web Aggregators	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
9	IMF	0.17	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
10	Online	0.96	0.15	0.65	0.00	0.00	0.00
11	Point of Sales (PoS)	0.06	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00
	Total Business	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Note: *1. New business premium includes first year premium and single premium.*

"Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 2.6.2023 and the above data / information for the FY 2023-24 does not include data / information pertaining to SILIC".

Chart II.1: Contribution of Insurance Agents and Intermediaries in Life Insurance Individual New Business Premium (2023-24)

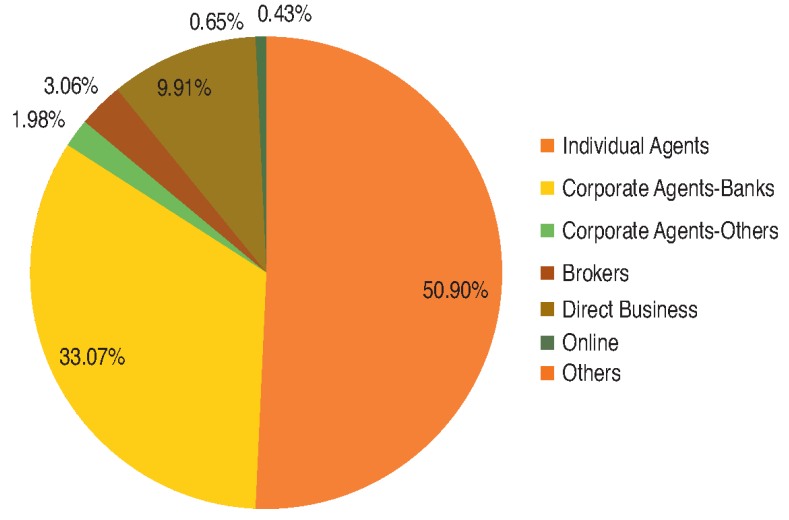
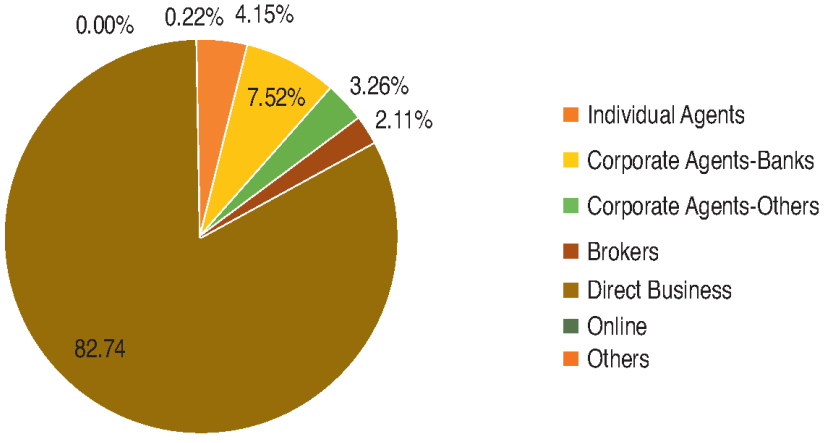


Chart II.2: Contribution of Insurance Agents and Intermediaries in Life Insurance Group New Business Premium (2023-24)



Performance of Insurance Agents and Intermediaries associated with General Insurance Business

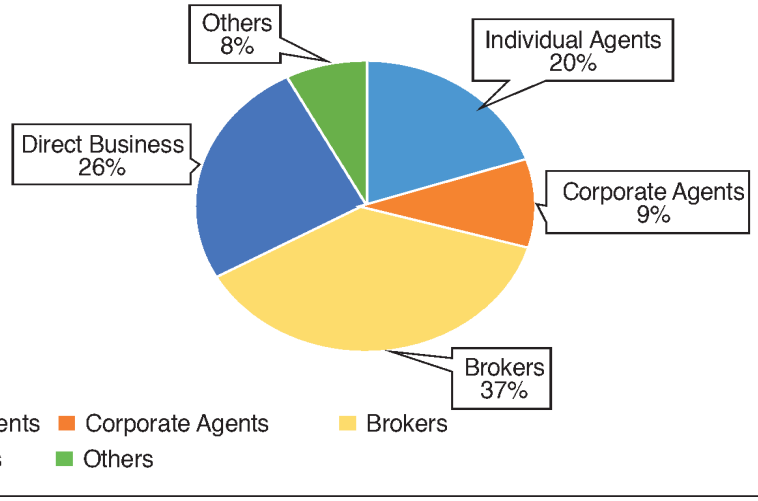
II.2.13.4 Amongst various channels of distribution of business for general insurers, broker channel contributed to major share in premium with 37.1 per cent followed by direct sale channel and individual agents with 25.6 per cent and 20.1 per cent respectively in the year 2023-24. The contribution of corporate agents is 9.4 per cent of premium. All other channels together contributed to remaining 8.8 per cent of premium. For public sector general insurers, individual agents (32.3 per cent) followed by Broker (32.1 per cent) and Direct (31.1 per cent) are the major channel of distribution while for private sector general insurers, brokers (42.4 per cent) and direct sale (23.6 per cent) are the major channel of distribution.

Table II.10: Contribution of Insurance Agents and Intermediaries in General Insurance Business (2023-24)

(Figures in Percentage of Premium)

Distribution Channel	Public Sector	Private Sector -excl. SAHI	Specialised Insurers	Total
1. Individual Agents	32.3	14.4	0.0	20.1
2. a Corporate Agents-Bank	0.7	9.1	0.0	5.7
2. b Corporate Agents- Others	0.2	5.9	0.0	3.7
Corporate Agents (Total)	0.9	15.1	0.0	9.4
3. Brokers	32.1	42.4	3.8	37.1
4. a Direct Business- Internet	0.5	1.7	0.2	1.2
4. b Direct Business- Other than internet	30.6	21.8	9.4	24.4
Direct Business (Total)	31.1	23.6	9.6	25.6
5. Micro Insurance Agent	0.0	0.0	0.1	0.0
6. Others	3.6	4.5	86.5	7.8
Grand Total	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Chart II.3: Contribution of Insurance Agents and Intermediaries in General Insurance Business (2023-24)



II.2.13.5 Amongst various channels for distribution of health insurance policies, individual agents contributed a major share in total health insurance premium at 30 percent. The share of this channel was high at 72 percent in individual Health Insurance premium. Second important channel for distribution of health insurance business is Brokers, who contributed 29 percent of total health insurance premium. The share of Brokers was high at 50 percent in group health insurance premium.

Cent percent of Government business and about 27 percent of total health insurance premium is procured by insurers directly. "Bancassurance" channel contributed nine percent of total health insurance premium and "Online Sale" channel contributed two percent of total health insurance premium.

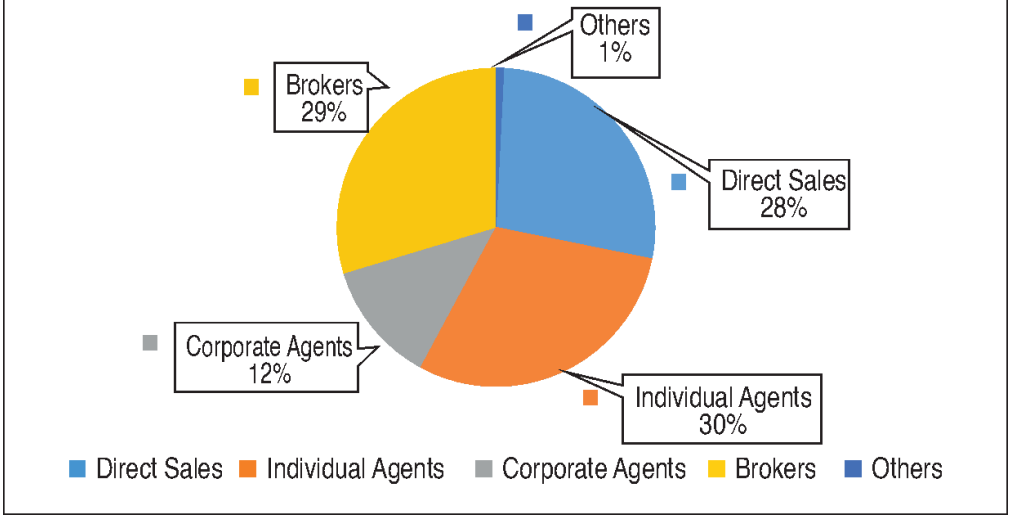
Table II.11: Contribution of Insurance Agents and Intermediaries in Health Insurance (Excl. PA & Travel)

S. No.	Distribution Channel	Government Business	Group Business	Individual Business	Total
1	Individual Agents	-	3.58	72.32	29.73
2	Corporate Agents				
	i. Banks	-	12.41	6.33	8.85
	ii. Others	-	5.59	1.09	3.31
3	Brokers	-	49.64	9.46	29.30
4	Direct Sale				
	i. Online	-	0.30	3.90	1.65
	ii. Other than Online	100.00	28.37	5.82	26.67
5	Micro Insurance Agents	-	0.09	0.00	0.05
6	Common Service Centres	-	0.00	0.01	0.01
7	Web aggregators	-	0.01	0.14	0.06
8	Insurance Marketing Firms	-	0.02	0.22	0.09
9	Point of Sales	-	0.00	0.71	0.28
	Total	**100.00**	**100**	**100**	**100**

Note: Figures are in per cent.

Percentage of Premium

Chart II.4 Contribution of Insurance Agents & Intermediaries in Health Insurance (Excl. PA & Travel)



II.3 Professional Institutes Connected with Insurance Education

II.3.1 Institute of Insurance and Risk Management (IIRM)

II.3.1.1 IIRM, co-promoted by IRDAI, is mandated to provide skilled human resources for the insurance sector, that is undergoing metamorphic changes, prompted by a slew of regulatory initiatives. During 2023-24, the institute continued to prioritize training, research and insurance awareness amongst insurance professionals and students. The industry-academia collaboration gained further momentum. As a first step, IIRM reached out to the industry players during Think Tank Programme of 'Manthan' and offered its bouquet of services to the industry, towards achieving the 'Insurance for All' mission by 2047. Many organizations in the insurance sector are reaching out to IIRM for their customized training programs and upskilling their talent pool. Some of these are;

a) Retreat Program for Officers of Department of Economic Affairs, Govt. of India.

b) Bancassurance training program.

c) Microinsurance Accelerator program.

d) Training program for Management Trainees.

II.3.1.2 The institute has conducted training programs in topical issues in life insurance, general insurance and reinsurance with national and international participants. The institute also conducted a study to identify the factors that are impeding insurance penetration in the state of Chhattisgarh and another study on the role of bancassurance channel in the development of insurance sector.

II.3.1.3 Many organizations in the Insurance sector are reaching out to the Institute for their customized training programs and upskilling their talent pool. Industry continues to recruit students from IIRM for critical roles, reflecting in near 100 percent of placements of its PGDM students. Efforts to establish a School of Excellence in Actuarial Sciences, were also further reinvigorated during 2023-24, with active guidance from IIRM Board.

II.3.1.4 During the year under review, the Institute had conducted a four-month long induction program for entry level officials of IRDAI, in coordination with Indian School of Business (ISB), Hyderabad as the Knowledge partner. The programme featured orientation of the budding professionals through classroom sessions, exposure to hands on industry activity, self-study on projects, and outreach to top

industry experts, regulators, and insurance practitioners.

II.3.2 Insurance Institute of India (III)

II.3.2.1 The Insurance Institute of India (III) is functioning for the last 69 years in the field of Insurance education, training and development. The Institute is well recognized by the insurance sector in India, SAARC Countries and many other insurance markets as a pioneer in insurance education and training and has helped the industry in building and developing insurance academics and professionalism.

II.3.2.2 The Insurance Institute of India (III) is a member of the Institute of Global Insurance Education (IGIE) and has long standing association with many other reputed global institutions and associations. Besides, it has professional alliances with insurance training institutes and examination bodies across the globe.

II.3.2.3 The flagship examinations conducted by the Institute are Licentiate, Associate and Fellowship certificate examinations. During the year 2023-24, the Institute Awarded Associate certificate to 2301 candidates and Fellowship was awarded to 1837 candidates. During the year, the Institute has conducted various training programmes and pre-recruitment examinations for various intermediaries channels. The Institute is authorized by Directorate of Postal Life Insurance for conducting examination and training to their sales force.

II.3.2.4 During 2023-24, a total of 5720 participants from India and abroad have attended various training programmes conducted by the Institute's College of Insurance Training.

II.3.2.5 To spread the Insurance education amongst the student community, III has formal tie-ups with 32 different colleges/universities. The Institute is connected with industry participants through short interviews with eminent industry personalities on YouTube viz. "Inse Miliye", "Milestones" and "Bima Vartalap" episodes. The Institute also invites articles/ papers from academicians/practitioners and publishes quarterly vide issues of "The Journal" which covers wide range of issues related to insurance and allied areas.

II.3.3 Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA)

II.3.3.1 The Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) is a professional body of surveyors and loss assessors as per Section 64UM of Insurance Act, 1938. The institute was promoted by IRDAI under Section 14(2)(f) of IRDA Act, 1999 and incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013. The institute is established to promote quality in profession of Surveyors and Loss Assessors through education and training, facilitate introduction of best practices amongst its members and to disseminate technical information amongst its members to upgrade their skill and knowledge. Its objective is to promote research and studies in loss control and minimization techniques and measure and share the same with Insurance Industry and general public and to update its members on application of new technologies for improving service to the users and consumers. Further, it is also responsible for bringing out guidance notes, instruction manuals, periodicals for the use and benefit of members and others connected with the profession of surveyors and loss assessors.

II.3.4 Insurance Information Bureau (IIB)

II.3.4.1 IIB has emerged as the largest platform for real-time exchange of valuable data among insurers, Predictive Analytics, and Real-time support in Fraud Mitigation. IIB strengthened its resources in Technology and Leadership substantially to meet industry's growing needs.

During 2023-24, IIB served the industry with the following products:

Table II.12: Products of IIB

Segment	Name of the Product	Objective of the Product	Significant achievements
Life Insurance	**QUEST**	Real-time Underwriting & Claims Search Tool	14.4 crore records were stored and 5.4 crore queries were submitted. The module helped to identify potential frauds of 3.01 lakh number of cases involving sum assured of ₹ 1.73 lakh crore in five years
	PRISM	Predictive life Risk Scoring Model	The module helps to identify potentially "bad" lives. A total of 4.23 crore number of queries been made in the module during the last four years.
	Prowess	Persistency Model	The module helps to zero-in on the Proposals/Policies that are most vulnerable to dropping off prematurely. API based querying enabled
	Inkling	For clearance of unclaimed amounts	Provided alternate contact details for about 80,000 unclaimed cases on the four lakh queries made in two years amounting ₹ 9,000 Crore
Motor	**Sudarshana**	Real-time search tool for the Underwriting, Claims & Fraud Mitigation	Available through API and search is based on either the Registration or Chassis Number. Not merely a search tool, but goes beyond for Risk-based pricing, Identifying Private Cars with Higher Risks and Data-based decision making. A total of 7.5 crore number searches been made in the module.
	Udayan	Real-time tool to gather of Vehicle details	Available via API and provides 25 vehicle related details during underwriting and claim settlement process
Fire	**iPRAN**	Property Risk Analyser	Enables underwriter to select a risk district with multiple combinations to understand the FIRE insurance profile for the last 5 yearsDivulges Underwriting and Claims Profile of a Risk District and indicates the business potentiality of insured risks.
	iDARPAN		Assess the Risk profile of a Corporate Customer in terms of the FIRE insurance portfolio.
Health	**HI PORT ABILITY**	Health Insurance portability tool	Enables exchange of applicant's policy, member and claims related information between port-in and port-out insurersResulted in 5 lac hits
	BIMA SATARK	Real-time integrated fraud analytics platform	Generates Early Warning System Triggers through APIs to proactively flag suspicious entities
	ROHINI	Registry of Hospitals in the Network of Insurance	Validated repository of hospitals & day-care centres. Useful for Health Insurers in controlling frauds

II.4 Litigations, Appeals, and Court Pronouncements

II.4.1 The details of the litigations in terms of cases filed before the Supreme Court, various High Courts, Securities Appellate Tribunal (SAT), Civil Courts, Motor Accident Claims Tribunal (MACT), and Lok Adalat (where IRDAI is a party), and also cases disposed/dismissed during 2023-24 are provided in tables below:

Table II.13: Details of cases filed during 2023-24

S. No.	Particulars of Cases filed	Life	Non-Life	Health	Interme diaries	Finance	Policy holders Grievances	Total
1.	Supreme Court	-	-	2	-	2	-	4
2.	Writ Petitions filed in various High Courts	1	6	6	11	2	77	103
3.	Securities Appellate Tribunal	-	-	-	-	1	-	1
4.	Consumer Cases (DCF+SCDRC+NCDRC)	-	-	-	-	-	52	52
5.	Civil , Lok Adalat & MACT cases	-	-	-	1		10	11
6.	NCLT/NCLAT	-	-	-	2	3		5
	Total	**1**	**6**	**8**	**14**	**8**	**139**	**176**

Table: II.14 Details of cases Disposed/Dismissed for the period 2023-24

S. No.	Particulars	Non-Life	HR	Health	Policy holders Grievances	Life	Interme-diaries	Finance	Total
1.	Supreme Court	5	-	-	-	1	-	1	**7**
2.	Writ Petitions disposed in various High Courts	-	1	5	34	-	7	-	**47**
3.	Securities Appellate Tribunal	-	-	-	-	-	1	-	**1**
4.	Consumer Cases (DCF+SCDRC+NCDRC)	-	-	-	18	-	-	-	**18**
5.	Civil, Lok Adalat & MACT	-	-	-	2	-	-	-	**2**
6.	NCLT/NCLAT	-	-	-	-	-	1	-	**1**
	Total	**5**	**1**	**5**	**54**	**1**	**9**	**1**	**76**

II.5 INTERNATIONAL COOPERATION IN INSURANCE

IRDAI recognizes importance of exploring international best practices while introducing and implementing regulatory measures domestically. In this context, and in furtherance of its regulatory objectives, IRDAI engages with various international organizations, forums and foreign regulators. IRDAI continued to actively engage and contribute to ongoing developments in the international arena in the financial year 2023-2024 as well.

II.5.1 Association with International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

II.5.1.1 The IAIS is a voluntary membership organisation of insurance supervisors and regulators from more than 200 jurisdictions, constituting 97 per cent of the world's insurance premiums. It is the global standard-setting body responsible for developing and assisting in the implementation of principles, standards and guidance as well as supporting material for the supervision of the insurance sector. IRDAI is a member of IAIS. Chairman, IRDAI is also a member of the Executive Committee of IAIS. The policy work of IAIS is conducted through a committee system led by Executive Committee which in turn being supported by five policy Committees. IRDAI has representation in various policy committees. These committees oversee standard setting activities in the area of policy development, financial stability and implementation and assessment of IAIS supervisory material etc.

II.5.1.2 Under IAIS Committee System, each committee has established various working groups/ task forces for carrying out their duties. At working group level, IRDAI has participation in Financial Inclusion, Corporate Governance, Market Conduct, Macro Prudential Policy and Surveillance and Insurance Capital Standard Development. As part of the IAIS's standard setting activities, IRDAI participates in the in the consultation process and its nominated member representatives participate in Committees/Working Group/ Task Forces meetings too. The deliberations and knowledge sharing translate into the formulation and adoption of global insurance standards.

II.5.1.3 IRDAI participates in peer review and self-assessment exercises that involve assessing the implementation and observance level of Insurance Core Principles' standards, and its effectiveness in a jurisdiction. The IAIS's Peer Review Process (PRP) supports members to identify the nature and extent of any weaknesses or gaps in supervisory and regulatory frameworks through assessment of observance of IAIS standards.

II.5.2 Bilateral Engagements

II.5.2.1 Effective May 2013, IRDAI is a signatory to the Multilateral Memorandum of Understanding (MMOU) of International Association of Insurance Supervisors (IAIS) which provides an international platform for cooperation and sharing of information. Further, the IRDAI (Sharing of Confidential Information Concerning Domestic or Foreign Entity) Regulations, 2012 are in place which provides for the manner in which confidential information can be shared with other regulatory bodies.

II.5.2.2 IRDAI had so far signed two bilateral MoUs. One with Insurance Authority, United Arab Emirates (UAE) and another with Federal Insurance Office (FIO), United States of America (USA). The MoUs provide a framework for cooperation and coordination, including for the exchange of information and training assistance.

II.5.2.3 Under the IRDAI-FIO MoU, periodical information exchange interactions on issues like

Climate risk were held during 2023-24. An interactive session on Climate Risk is held with FIO representatives which was attended by senior IRDAI officers, key management personnel of Life, Non-Life and Reinsurers as well as Insurance Brokers from Indian side.

II.5.3 Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR)

II.5.3.1 Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR), a forum of insurance supervisors from Asia and Oceania regions, was established based on Beijing Declaration on Regional Insurance Regulation Cooperation in 2005. The mission of the AFIR is to strengthen capacity building, facilitate insurance regulatory capability and promote regulatory cooperation in Asia and Oceania regions. AFIR currently has 22 members including IRDAI, India. The 18th Annual Meeting and Conference of the Asian Forum of Insurance Regulators ("AFIR") on theme "Coping Effectively with Emerging Risks for Resilient and Robust Insurance Supervision" was held in Kuala Lumpur, Malaysia from 10 to 11 October 2023 with the participation of delegates from 13 member jurisdictions. Speakers from various AFIR member jurisdictions and other International Organisations have led the discussions on a number of contemporary issues such as Emerging technologies and innovations, flood risks in Asia, open insurance, climate and nature risks, and protection gaps.

II.5.3.2 This event was followed by 6th Asia-Pacific High-level Meeting on Insurance Supervision on October 9, 2023. The meeting was coorganised by the Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR), the FSI of the Bank for International Settlements (BIS) and the IAIS. The meeting covered the following three key topics, each with a panel discussion framing the exchange of views:

- Navigating the rapid tide of international regulatory developments and global financial developments;
- Big techs in insurance; and
- ESG – grappling with multi-dimensional issues.

Chairman, IRDAI actively participated as a speaker in the panel discussions.

II.5.4 Financial Stability Board (FSB)

II.5.4.1 Financial Stability Board (FSB) is an international body established to address financial system vulnerabilities and to drive the development and implementation of strong regulatory, supervisory and other policies in the interest of financial stability. One of the main mandates of FSB is to implement G20 policy announcements on financial regulation. In FSB, India is represented by Ministry of Finance (MoF), Reserve Bank of India (RBI) and Securities Exchange Board of India (SEBI). IRDAI contributes to FSB's work by way of providing its views and comments on insurance sector related issues. IRDAI also provides responses to FSB surveys/ questionnaires/reviews relevant to insurance.

II.5.5 Financial Sector Assessment Programme (FSAP)

II.5.5.1 The Financial Sector Assessment Program (FSAP), a joint programme of the International

Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB), is a comprehensive and in-depth assessment of a country's financial sector. In developing economies and emerging markets, FSAP assessments are conducted jointly by IMF and World Bank and in advanced economies by IMF alone. The FSAP includes two major components viz., financial stability assessment (responsibility of the IMF) and financial development assessment (responsibility of the World Bank). FSAPs are mandatory for every five years for the twenty-nine systemically important jurisdictions. India is one of these twenty-nine countries. The first FSAP for India was conducted in 2011-12 and the second FSAP mission was in December, 2016.

II.5.5.2 The third FSAP mission was initiated by the joint IMF-WB team in December 2023 followed by two more mission visits in March and June, 2024. As part of the India 2024 FSAP, a Detailed Assessment Report on the Indian Insurance Sector's observance of the IAIS Insurance Core Principles issues is under process.

II.5.6 OECD International Network on Financial Education (INFE)

II.5.6.1 The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) provides a unique policy forum for governments to exchange views and experiences on financial education as an important means to financial inclusion. Having recognized the importance of financial literacy, OECD International Network on Financial Education (INFE) was launched in 2008 by OECD governments. India participates regularly in the INFE's activities, represented by four of India's financial regulators viz. RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA. IRDAI became a member of OECD INFE in April, 2012. During OECD INFE meetings, the participants share initiatives taken across the globe with regard to Financial Literacy and Financial Inclusion. IRDAI participated virtually in the OECD Symposium on 'Financial Literacy and Empowerment: Data, Policies and Evaluation' held in November, 2023.

II.5.6.2 IRDAI co-hosted the "Roundtable on Insurance and Retirement Savings in Asia" along with OECD and the Asian Development Bank Institute (ADBI). The event was held on May 24-25, 2023. The discussions at the Roundtable emphasized the importance of innovation and technology, provided an overview of the rapid market growth and regulatory challenges and delved into the impact of climate change on insurance and exploring industry responses and regulatory frameworks to promote climate resilience. The event focused on enhancing voluntary retirement savings, drawing from international experiences to increase coverage through behavioural approaches. It highlighted the need for balancing flexibility and longevity protection in structuring retirement income. The role of technology in improving pension communication and engagement was explored, showcasing innovative digital tools. Additionally, the use of regulatory sandboxes and innovation hubs was discussed, emphasizing their importance in fostering innovation while managing risks. The roundtable concluded with a summary of key insights, reinforcing the event's goal of enhancing the resilience and inclusivity of insurance and retirement savings systems in Asia

through knowledge exchange and collaboration among policymakers, regulators, and industry experts.

II.5.6.3 IRDAI Officials also participated in the OECD– OJK Roundtable on leveraging technology for risk assessment and risk reduction in insurance held on 14th-15th December, 2023 in Bali, Indonesia.

II.5.7 Other Engagements

II.5.7.1 During 2023-24, IRDAI continued contributing towards an effective and useful engagement with the Government of India with regard to various international treaties and dialogues in areas related to insurance sector.

II.5.7.2 IRDAI hosted a delegation from Tanzania including the Commissioner of Insurance, Tanzania and officials from Tanzania Insurance Regulatory Authority (TIRA) at IRDAI, Hyderabad on 5th March, 2023.

II.5.7.3 IRDAI hosts delegations from insurance regulators of other countries that express interest in study tours for an overview of the Indian insurance industry. During May 2023, IRDAI hosted delegates from the Insurance and Pension Supervision Cell of National Bank of Rwanda, for a study tour encompassing areas like supervision technology, regulatory sandbox, insurance and pension coverage among others.

II.5.7.4.IRDAI also participates in international conferences, seminars and workshops in order to strengthen the exchanges and cooperation in insurance field.

II.6 Grievances

II.6.1 IRDAI plays a crucial role in protecting policyholder interests by overseeing insurers' grievance redressal procedures by facilitating prompt resolution of grievances in order to foster trust and confidence in the policyholders. To achieve this, IRDAI has mandated Insurers to implement efficient and accessible grievance redressal systems. This includes providing online complaint submission options, establishing robust mechanisms for registering grievances received through various channels and publicizing details of the grievance redressal mechanism on the websites of the insurer and in all their offices.

II.6.2 IRDAI mandated all the insurers to have in place, a Policyholders' Protection, Grievance Redressal and Claims Monitoring Committee (PPGR&CM) which shall establish suitable systems and processes towards protection of the interests of policyholders through efficient and effective grievance redressal mechanism, monitoring of claims settlement processes and shall take measures towards creation of insurance awareness and empowering of policyholders. In addition, the Insurers are mandated to have a designated officer to deal with grievances at every place of business and a proper internal escalation matrix in case grievances are not addressed to the satisfaction of the complainant.

II.6.3 IRDAI has established multiple channels to facilitate complaint resolution for policyholders. The Bima Bharosa portal of IRDAI is integrated with the

Complaints Management System of the insurers. The Bima Bharosa portal offers an online platform for filing and tracking of grievances. Additionally, the IRDAI Grievance Call Center (IGCC) provides a toll-free telephone number and email address for registering of grievances. This interconnected system allows IRDAI to effectively monitor insurers' grievance disposal processes for ensuring efficient resolution of policyholder grievances. Further, the Bima Bharosa portal of IRDAI, contains web link for unclaimed amount. This provides an option to the policyholder / beneficiary to search for an amount lying unclaimed on his / her part.

II.6.4 The total number of grievances registered against life insurers have reduced from 1,24,293 in 2022-23 to 1,20,726 in 2023-24 i.e., translating to a decrease of 2.87 per cent in 2023-24 compared to previous year. Also, the total number of grievances registered under UFBP (Unfair Business Practices) have reduced by 10.62 per cent from 26,107 in 2022-23 to 23,335 in 2023-24.

The following table shows the analysis of grievances in Indian insurance sector with a breakup of Life, General and Health insurance sectors.

Table II.15: Analysis of Grievances Registered during 2023-24

Particulars	Life	General & Health	Total
Total Policies issued & Lives covered*	64,81,53,324	2,96,26,47,141	3,61,08,00,465
Grievances	1,20,726	94,843	2,15,569
% of Grievances to Total Policies & Lives	0.019	0.003	0.006
Grievances per lakh Policies & Lives	18.63	3.20	5.97

*Note: * In respect of Life Insurance Policies and Lives in-force. In case of general policies issued and health persons covered.*
Source: Bima Bharosa Portal

Table II.16: Grievances on Unfair Business Practices (UFBP) Registered against Life Insurers

S.No.	Particulars	2022-23	2023-24
1	Total no. of Grievances reported against Life insurers	1,24,293	1,20,726
2	Total no. of UFBP grievances reported	26,107	23,335
3	UFBP grievances resolved during the year	26,103	23,288
4	In favour of policyholder	9,946	9,461
5	Partially In favor of policyholder	1,302	1,216
6	Against policyholder	14,855	12,611
7	UFBP grievances pending at the end of the year	4	47
8	Share of UFBP grievances to total grievances	21.00%	19.33%

II.6.5 Mis-selling in the Indian insurance sector is a significant concern that involves the sale of insurance products to consumers without proper disclosure of terms, conditions or suitability. Insurers are encouraged to tackle the problem of mis-selling by conducting a root cause analysis to identify the underlying causes. To prevent or reduce mis-selling, insurers have been advised to implement strategies such as assessing product suitability, implementing distribution channel-specific controls and developing a plan to address mis-selling grievances including carrying out a root cause analysis on periodic basis.

Status of Grievances on Bima Bharosa portal

II.6.6 During 2023-24, 2,15,569 grievances were received on Bima Bharosa portal out of which 1,20,726 were related to Life Insurance business and 94,843 were related to General Insurance business.

Table II.17: Status of Grievances as per Bima Bharosa portal

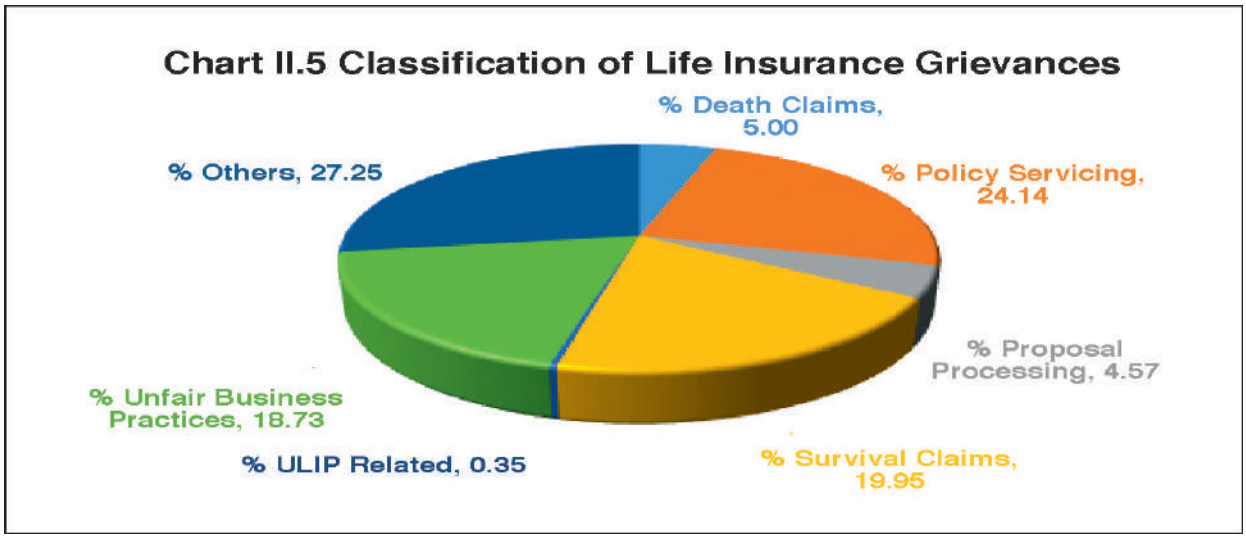
(Number of Grievances)

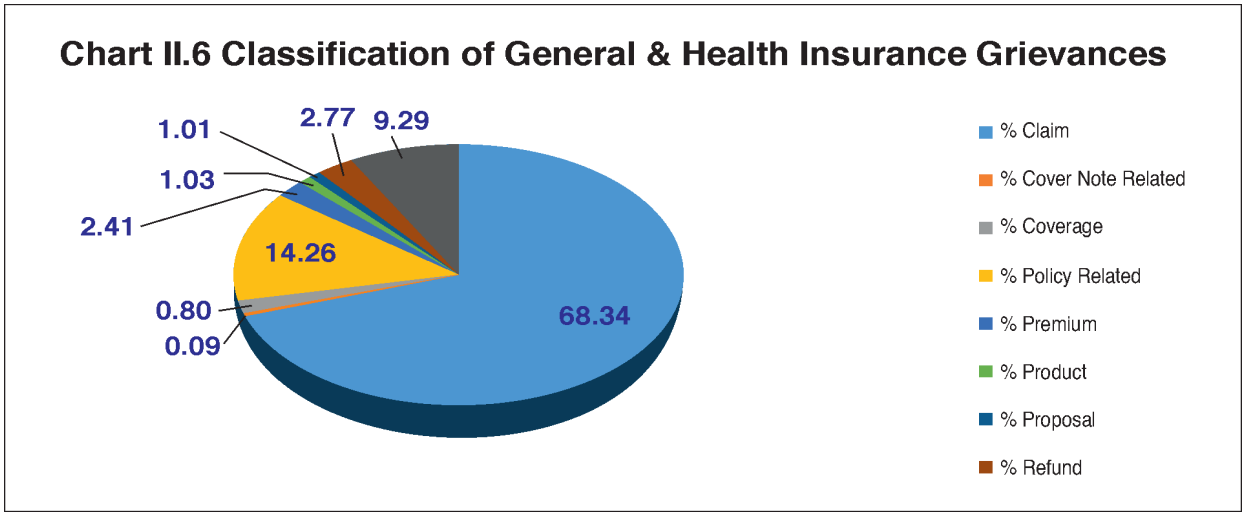
Sectors	2022-23			2023-24		
	Reported during the year	Attended during the year	Pending at the end of the year	Reported during the year	Attended during the year	Pending at the end of the year
Life Insurers						
Public sector	81,303	81,303	0	81,021	81,021	0
Private sector	42,990	43,114	289	39,705	39,558	436
Total	**1,24,293**	**1,24,417**	**289**	**1,20,726**	**1,20,579**	**436**
General & Health Insurers						
Public Sector	22,563	20,781	2,149	24,955	23,049	4,055
Private Sector	55,784	56,178	1,224	69,888	70,111	1,001
Total	**78,347**	**76,959**	**3,373**	**94,843**	**93,160**	**5,056**
Grand Total	**2,02,640**	**2,01,373**	**3,662**	**2,15,569**	**2,13,739**	**5,492**

Source: Bima Bharosa portal

II.6.7 Of the total grievances received against life insurance policies on Bima Bharosa portal for FY 2023-24, more than 62 per cent were related to Survival claims, Policy servicing and Unfair business practices. The classification of the complaints for life insurers is given as under:

Of the total grievances received against general insurance during FY 2023-24, the majority of the grievances were related to claims (68 per cent).





II.6.8 During the FY 2023-24, the number of life claims related grievances were 30,459. The number of life claims reported were 24.86 lakhs. The number of general and health insurance claims related grievances were 67,541 and the number of claims were 11.49 crore. As such, the number of life insurance claims related grievances per thousand claims reported was about 12 whereas the same in case of general and health insurance was about 0.6.

Status of Grievances in DARPG portal

II.6.9 During the year 2023-24, 13,153 grievances registered in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) portal were referred to IRDAI. A total of 13,084 grievances were disposed of during the year. A total of 289 grievances were pending as at 31st March, 2024.

Table II.18: Grievances Registered in DARPG Portal and Referred to IRDAI

Grievance Source	Grievances at the beginning of 2023-24	Received during 2023-24	Total Grievances received 2023-24	Grievances disposed of during 2023-24	Grievances at the end of 2023-24
DPG	12	408	420	393	27
DARPG	0	152	152	150	2
Local/Internet	151	10,273	10,424	10,226	198
President Secretariat	8	100	108	105	3
Pension	0	9	9	9	0
PMO	49	2,211	2,260	2,201	59
Total	**220**	**13,153**	**13,373**	**13,084**	**289**

DPG- Directorate of Public Grievances; DARPG - Department of Administrative Reforms and Public Grievances; PMO- Prime Minister's Ofûce Source: CPGRAMS portal

The age-wise pendency status of grievances as at 31st March, 2024 is as below:

Table: II.19 Pendency of Grievances

Pending for	Number of Grievances
0-15 days	216
16 - 30 days	55
31 - 45 days	17
46 – 60 days	0
> 60 days	0
Total	**289**

II.7 Functioning of Advisory Committees

Insurance Advisory Committee

II.7.1 The Insurance Advisory Committee (IAC) consists of not more than 25 members excluding ex-officio members to represent the interests of commerce, industry, transport, agriculture, consumer fora, surveyors, agents, intermediaries, organisations engaged in safety and loss prevention, research bodies and employees' association in the insurance sector. The Chairperson and the members of the Authority are the ex officio Chairperson and ex officio members of the Insurance Advisory Committee. The objects of the Insurance Advisory Committee are to advise the Authority on matters relating to the making of the regulations. The Insurance Advisory Committee may advise the Authority on such other matters as may be prescribed.

Insurance Advisory Committee (IAC) Meetings:

During FY 2023-24, the IAC met on 4 occasions:

IRDAI Meeting	Date
47th Meeting of the IAC	22nd September,2023
48th Meeting of the IAC	13th December,2023
49th Meeting of the IAC	14th February,2024
50th Meeting of the IAC	23rd February,2024

Reinsurance Advisory Committee

II.7.2 The Reinsurance Advisory Committee constituted vide Order No. IRDAI/REIN/NOT/RIN/101/5/2022 dated 19th May, 2022 continued to be in existence.

II.8 Functioning of Ombudsman

II.8.1 The Office of Insurance Ombudsman is an alternate Grievance Redressal platform which has been setup with an aim to resolve the grievances of aggrieved policyholders in a speedy, cost effective and impartial manner in respect of all personal lines of insurance, group insurance policies, policies issued to sole proprietorship and micro enterprises by insurance companies, their agents and intermediaries. The Ombudsmen have the mandate/power to entertain grievances against all Insurers and their intermediaries. At present,17 Insurance Ombudsman Centres are established at Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Pune, Patna and Noida.

II.8.2 The policyholder should first approach the concerned insurer for any grievance redressal. Where the grievance is not resolved in favour of the policyholder or partially resolved in favour of the policyholder, the insurer shall inform the complainant of the option to take up the matter before an Insurance Ombudsman by giving details (name and address) of the Insurance Ombudsman of their jurisdiction. Complaints appealed to the insurance ombudsman are disposed of by way of an award within a period of three months from the date of receipt of complaint and such award/decision is binding on the Insurance Companies and its Intermediaries, as the case may be.

II.8.3 The Offices of Insurance Ombudsman are under the administrative control of Council for Insurance Ombudsmen (CIO), which has been constituted under the Insurance Ombudsman Rules, 2017. CIO works in close co-ordination with Life Insurance Council and General Insurance Council at regular intervals.

In accordance with Rule 19 of the Insurance Ombudsman Rules, 2017, an Advisory Committee, consisting of 5 eminent persons including one Central Government nominee, was reconstituted by the Authority on 10th April, 2024 vide office order ref No IRDAI/PP&GR/CMT/67/4/2024, to review the performance of the Insurance Ombudsman system from time to time and other matters related to enhance efficiency of all Insurance Ombudsmen. This Committee acts as a guiding body for CIO.

II.8.4 Insurance Ombudsman Rules, 2017 have been amended on 9th November, 2023 to widen the scope of Insurance Ombudsman. The main amendment includes the increase in amount of award for compensation from 30 lakhs to 50 lakhs and allowing awards to be signed digitally by Insurance Ombudsman (IO) with reasons for passing such award.

II.9 Insurance Associations and Insurance Councils

Life Insurance Council

II.9.1 Life Insurance Council (LI Council) is a statutory body under section 64C of the Insurance Act, 1938 representing all life insurers operating in India.

Following are the details of activities carried out by LI Council during the FY 2023-24.

i. **Regulation Review Committee (RRC) and various sub-groups for streamlining various Regulations, Guidelines, and Circulars**

During the year under review, Life Insurance Council along with the General Insurance Council continues to work with RRC and various sub-groups in order to examine current regulatory framework and suggest for changes in the same to IRDAI. RRC had submitted the first part of its recommendations in FY 2022-23 and is in the process of finalizing the final part of the recommendations dealing with Intermediaries (distribution channel).

ii. **Change Agenda for the Insurance Industry forward**

LI Council along with the GI Council has started the process of consultation with various stakeholders to suggest various change agenda for the development of insurance sector. The focus areas are benchmarking & gap analysis, Insurance Inclusion, Digital Agenda, and Legal, Regulatory and Capital framework.

iii. **The Website of the Council:** The Council's website continues carrying statistical data, latest news and other information. The number of hits from different geographies – national and international increased significantly after upgrading its design and interlinking it with websites of IRDAI and all life Insurers.

iv. **Development of Jansuraksha website:**

Life Insurance Council along with the General Insurance Council and Indian Banks Association introduced Jansuraksha website for seamless claims journey for PMJJBY (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) and PMSBY (Pradhan Mantri Surakhsa Bima Yojana) Insurance schemes.

v. **Other activities:**

The Council regularly interacts with tax heads of life insurers to discuss issues related to direct and indirect taxes.

The LI Council is actively involved in development of Bima Sugam, an e-marketplace for insurance solutions envisioned by IRDAI.

GENERAL INSURANCE COUNCIL

II.9.2 The General Insurance Council (GI Council) is a representative body of all Insurers who carry on General, Health Insurance Business and Re-insurance in India, is constituted under the provisions of Section 64 C of Insurance Act, 1938. As on 31st March, 2024, 27 General insurance companies (comprising of 4 PSU insurers, 21 private Insurers and 2 specialized insurance companies), 5 Stand-alone Health Insurers, 1 PSU Reinsurer, 12 Foreign Reinsurance Branches (FRBs) are members of the GI Council

GI Council activities in the year 2023-24:

i. The GI Council constantly engaged with IRDAI on various matters including IRDAI's initiative of Insurance for All by 2047 and to facilitate ease of doing business.

ii. On the Bima Trinity projects, the insurance e-marketplace "Bima Sugam" is being devised to facilitate the Insurance companies, policyholders

and intermediaries transact with ease with proper safeguards.

iii. The GI Council interacted with government agencies, Intermediaries and other associated bodies for enabling a single product, Bima Vistaar, that will cater to life, general, health and personal accident coverage for a single family which will require specialized approach in marketing through the Bima Vahaks as a dedicated selling force.

iv. The Regulatory Review Committee (RRC) with representation from both the Life council and the GI councils reviewed extant regulatory framework and provided necessary insights towards its shift from rule-based to principle based regime.

v. GI Council continued as the nodal agency to handle Hit & Run claims as the manager of the existing Hit and Run accident fund (erstwhile Solatium fund), administer the fund and pay the claims that arise from such accidents all over the country.

vi. The GI Council initiated process for increasing cashless claim settlements under health policies, common empanelment of all hospitals under one platform and negotiations with hospitals on charging reasonable rates.

vii. The GI Council is also in continuous engagement with Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF) on various matters such as submission of claims related data on natural calamities like cyclones and floods, development of surety bonds market and development of Disaster Insurance product in coordination with NDMA.

viii. GI Council has initiated the Process of pan India Insurance Awareness and Education campaign which is expected to be launched soon.

ix. The GI Council in conjunction with LI Council and IBA is working on implementation of the JanSuraksha platform as a single-point access for PMSBY and PMJJBY schemes covering enrollments, claims handling, DIY journeys, and grievance redressal. This platform would also serve as a single-point for data analysis and reporting to the DFS. In the first phase 12 public sector banks with their associated general and life insurers, who cover about 80 per cent of all PMSBY and PMJJBY policies, have integrated with the platform and end to end testing is being performed.

II.10 Other Activities having a Bearing on the Insurance Market

II.10.1 The IRDAI from time to time provides/makes necessary changes in the regulatory framework for introducing any new product in the market for life, general and health insurance segments.

Insurance company-wise total number of life, general and health insurance products introduced during 2023-24 is provided in Annexure 7.

HIGHLIGHTS

EASE OF DOING BUSINESS

01. Use & File

Use & File procedure for all general, health & majority life insurance products

02. Dispense Prior Approvals

Prior approvals for advertisements, raising other forms of capital (OFC), new places of business etc. dispensed with, subject to compliance of conditions

03. Flexibility in EoM

Single limit of EoM for general and health,
Limits on par, non-par in life
Limits on commissions removed and linked to EoM

04. Additional allowances in EoM

Additional allowances in EoM for promoting rural business, govt. schemes, awareness & Insurtech

05. Ease in Distribution

Enhanced the permissible number of tie-ups (tripled) for Corporate Agents and IMFs

06. Avenues for investments

Limits of raising OFC doubled allowing insurers to invest in Funds of Funds of AIF, debt securities of InvITs & ReITs, increased exposure to BFSI Sector etc.

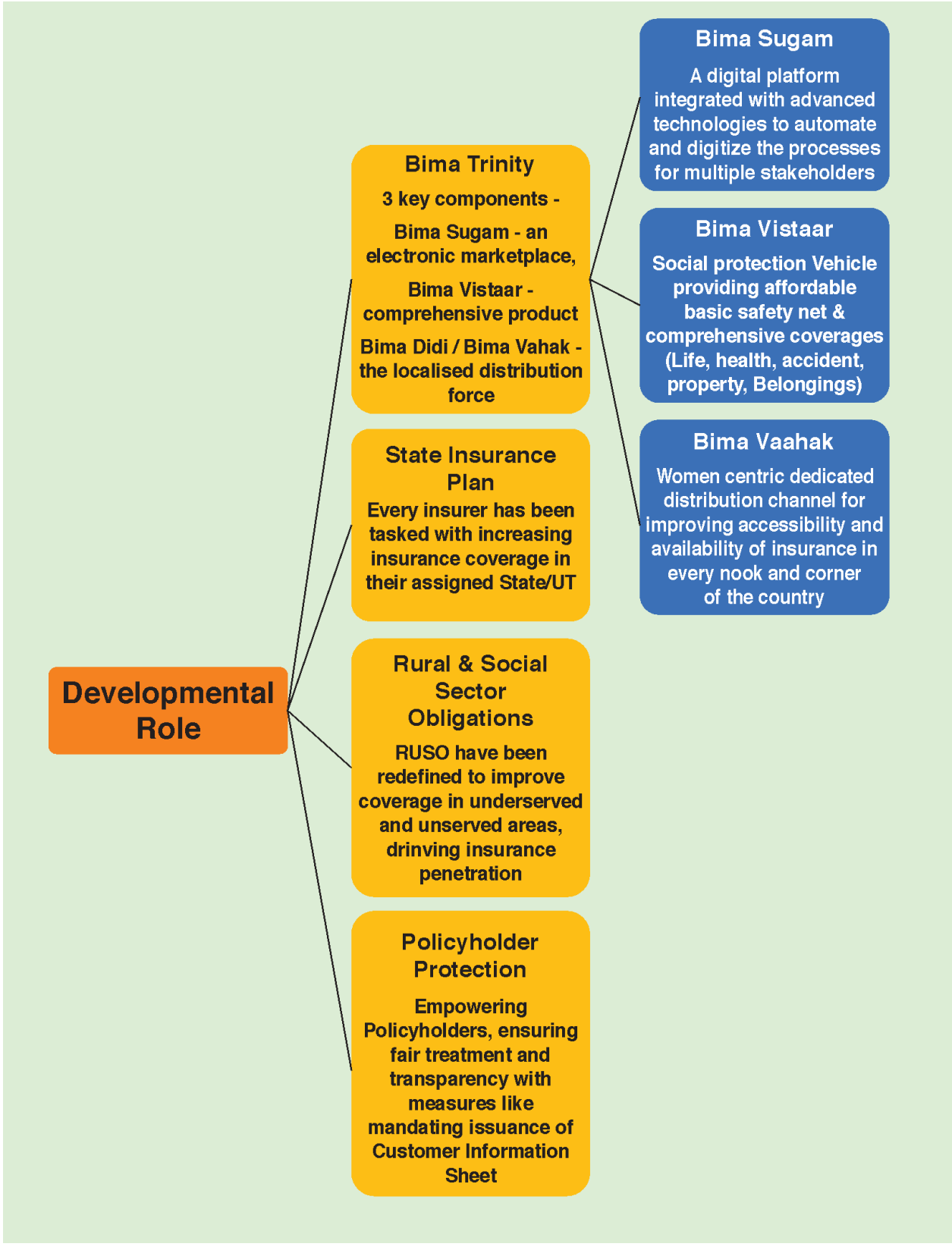
07. Solvency requirements

Solvency Requirements rationalized for ULIP, Crop Insurance and PMJJBY

08. Corporate Governance

Strengthened Governance framework –promoting transparency, accountability, and ethical conduct

Developmental Role of IRDAI



PART – III
STATUTORY AND DEVELOPMENTAL FUNCTIONS OF AUTHORITY

III.1 Issue to the Applicant a Certificate of Registration, Renew, Modify, Withdraw, Suspend or Cancel such Registration

As part of its developmental role, the IRDAI, has streamlined entry norms to encourage the establishment of new insurance companies in India. To support new applicants during the review process at various stages, a designated group of officers has been appointed to provide guidance and assistance. As a result of these efforts, in the year under review, the IRDAI granted Certificate of Registration to three new insurance companies. One Life insurance company named 'Go Digit Life Insurance Limited' was granted Certificate of Registration. With the addition of this Life insurer, the total number of life insurers as at 31st March, 2024 stands at 26. Further, two new health insurers, namely Narayana Health Insurance Ltd. was issued Certificate of Registration on 3rd January, 2024 and Galaxy Health and Allied Insurance Company Ltd. was issued Certificate of Registration on 20th March 2024. With the addition of two new health insurers, the total number of registered standalone health insurers in the country stood at 8.

III.2 Protection of the Interests of Policyholders in Matters Concerning Assigning of Policy, Nomination by Policyholders, Insurable Interest, Settlement of Insurance Claim, Surrender Value of Policy, Other Terms and Conditions of Contracts of Insurance and Grievance Redressal

IRDAI has issued various circulars from time to time to address the matters concerning protection of policyholders in terms of assignment of policy, nomination of policyholders etc. Particularly regarding catastrophic event, the general insurers have been advised to take immediate steps to mitigate the hardships of the affected insured population by ensuring expeditious settlement of claims in case of major catastrophe events. The list of circulars issued are as under:

- IRDAI/NL/CIR/GDL/122/06/2023 dated 5th June, 2023 provided guidelines on Insurance Claims of victims of Train accident tragedy in Balasore, Odisha.
- IRDAI/NL/CIR/MISC/122/06/2023 dated 16th June, 2023 on Insurance claims relating to Cyclone Biparjoy
- IRDAI/NL/CIR/MISC/146/7/2023 dated 16th July, 2023 on insurance claims relating to floods in Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Delhi regions
- IRDAI/NL/CIR/MISC/183/10/2023 dated 18th October, 2023 on insurance Claims relating to floods in Sikkim
- IRDAI/NL/CIR/MISC/215/12/2023 dated 9th December, 2023 and IRDAI/NL/CIR/MISC/215/12/2023 dated 18th December, 2023 on insurance claims relating to cyclone Michaung and subsequent heavy rains and floods.

III.3 Specifying Requisite Qualifications, Code of Conduct and Practical Training for Intermediaries or Insurance Intermediaries and Agents.

III.3.1 The regulations under the IRDA Act of 1999 explicitly define the licensing registration and code of conduct requirements for all intermediaries in the insurance business. These regulations include the IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015, the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, the IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016, and the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

III.3.2 The Authority has established a regulatory framework to enhance regulatory supervision by issuing circular No. IRDA/INT/CIT/T&E/136/07/2016. This circular addresses the harmonization of training and examination requirements for various distribution channels.

III.4 Specifying the Code of Conduct for Surveyors and Loss Assessors

III.4.1 The duties and responsibilities of a surveyor and loss assessor are specified in Chapter IV of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 as amended from time to time.

III.4.2 The code of conduct regarding the professional and ethical requirements for conduct of surveyors and loss assessors' professional work is specified in Chapter VI of the Regulations and Regulation 16 elaborates the code.

III.4.3 The IRDAI receives grievances from surveyors regarding empanelment for survey jobs, non-payment of survey fee by insurance companies, denial of membership by IIISLA to in-house surveyors and lapsed license holders, denial of level of membership by IIISLA, etc. Such complaints are forwarded to respective insurance companies and IIISLA for resolution at their end. Policyholders also complain against surveyors /surveyors' firms on non-receipt of copy of survey report, delay in issuance of survey report, misconduct, violation of IRDAI Surveyors Regulations, etc. Such grievances are taken up with surveyors for speedy disposal of the issues. Apart from the above, various RTIs and references are also received by the IRDAI against surveyors and corporate surveyor firms. During the year 2023-24, the IRDAI received 57 complaints on portal CPGRAMS, 64 (including opening balance) have been addressed and there were no outstanding complaints as on 31st March, 2024.

III.5 Promoting Efficiency in the Conduct of Insurance Business

In its commitment to protect the interests of policyholders, the IRDAI, issued various circulars during the year. Notably, under the IRDAI Payment of Commission Regulations, the insurance companies are expected to put in place board policy on commission structures. The expected broader contours of this board policy are detailed in the Guidance Note issued on 31 March 2023.

Further, the IRDAI issued a detailed Master circular on Registration of Indian insurance companies, detailing the formats required for submitting applications for a Certificate of Registration. Noting the new challenges faced by the insurance industry in the form of cyber security, the IRDAI issued guidelines on Information and Cyber Security matters, for protecting the critical infrastructure of the regulated entities.

To streamline health claim settlements, General and Health Insurance companies have been asked to adopt the Health Claim Exchange system. In line with its goal of promoting inclusive insurance, the IRDAI has been pursuing BIMA Trinity, which includes BIMA VAHAK, a woman-centric insurance distribution channel. The BIMA Vahak guidelines, issued in October 2023, enable insurance companies to appoint Bima Vahaks to enhance insurance outreach.

The IRDAI (Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024 is likely to result in improving the efficiency in conducting the insurance business. To enhance policyholder convenience, insurers are now required to collect bank account details during the proposal stage for electronic refunds and claims payments in addition to policies issued electronically unless a physical copy is requested. The requirement for prior filing of advertisements with the Authority has been eliminated. Insurers meeting certain criteria, including specified solvency ratios and a satisfactory track record, can open new places of business without prior approval. This also allows for the establishment of foreign branches and offices at the International Financial Services Centres Authority (IFSCA).

Detailed information regarding various circulars issued during the year is provided below:

III.5.1 Guidance note - Board policy of the insurer on the commission structure - Circular IRDAI/INT/CIR/MISC/82/3/2023 dated 31st March, 2023

The circular, issued under the powers of Section 34 of the Insurance Act, 1938, Section 14(2)(e) of the IRDAI Act, 1999, and Regulation 8 of the IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023, mandates insurers to have a clear and transparent board policy on commission structures for insurance intermediaries.

1. **Objectives and Principles:** The policy should promote fair competition, align incentives with customer needs, and encourage cost-effective distribution.

2. **Fairness:** Commission structures must be reasonable, ensuring intermediaries are fairly compensated without excessive costs to customers or insurers.

3. **Good Distribution Practice:** The policy should encourage practices that enhance customer satisfaction, market share, and regulatory compliance.

4. **Regular Review:** The commission structure should be reviewed annually by the audit committee, assessing its effectiveness, efficiency, and alignment with customer needs.

5. **Market Conduct:** Governance mechanisms should ensure high ethical standards and address potential conflicts of interest.

6. **Monitoring and Reporting:** Regular reporting on the commission structure's performance and compliance to the board and senior management is required.

7. **Applicability:** New commission structures do not apply to policies that are already issued.

Overall, the commission structure should promote fair and transparent practices that protect policyholders' interests and encourage insurance penetration.

III.5.2 Master Circular on Registration of Indian Insurance Company, 2023 - IRDAI/F&I/CIR/RIC/90/4/2023 dated 24th April, 2023

The master circular was issued to specify various forms, provisions and clarifications under the IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022.

III.5.3 IRDAI Information and Cyber Security Guidelines, 2023- IRDAI/GA&HR/GDL/MISC/88/04/2023 dated 24th April, 2023

III.5.3.1 The Information and Cyber Security Guidelines, 2023 require insurers to create a Crisis Management Committee during events such as pandemic, war, emergencies and natural disasters etc. involving resources from all key functions of the organization. The committee shall deliberate on the revised processes, requisite technology and personnel to operate and execute decisions during such events. The Risk management function including the Information security function shall collate the risks in such situations and present the same for the approval of the Crisis Management Committee.

III.5.3.2 The said Guidelines also provide for Cyber Crisis Management Plan (CCMP) to be prepared in compliance to the Guidelines issued by Cert-In / National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) in this regard. Further, information sharing arrangements with other entities is to be documented in the said plan in case of a large incident to facilitate sector-wide response. The guidelines also provide for establishing Business Continuity Management and Disaster Recovery Framework.

III.5.3.3 In order to effectively manage the cyber crisis at IRDAI, a comprehensive Cyber Crisis Management Plan clearly defining the roles and responsibilities of various stakeholders including a Cyber Crisis Management Team coordinating the crisis response actions during the crisis has been put in place.

Further, as part of Information Security Policy/ Procedures of IRDAI, Information security requirements have been established to ensure continuity of business operations in the event of disaster.

III.5.4 Instructions to stop the facility of repayment of loans through Credit Cards-IRDAI/LIFE/CIR/MISC/99/5/2023 dated 3rd May, 2023

III.5.4.1 All insurers have been advised to discontinue accepting repayment of loans granted against policies through credit cards.

III.5.5 Circular on Testing and adoption of Health Claims Exchange (HCX) Specifications and e-claim standards circular- IRDAI/HLT/CIR/MISC/124/6/2023 dated 8th June 2023

IRDAI issued the circular IRDAI/HLT/CIR/MISC/124/6/2023 introducing the National Health Claim Exchange to ensure hassle free claims experience for policyholders. The circular is discussed in detail in Box Item III.1.

III.5.6 Use and File Procedure for Life Insurance Products- IRDAI/ACTL/CIR/PRO/135/6/2023 dated 19th June, 2023

III.5.6.1 IRDAI introduced modifications to the existing 'use and file' procedure for life insurance products and also expanded the scope of 'Use & File' with inclusion of additional categories of life insurance products to the procedure. The modifications facilitate the insurance industry in promoting penetration and improving the accessibility of life insurance products. This is to facilitate the insurance industry in promoting penetration and improving the accessibility of life insurance products.

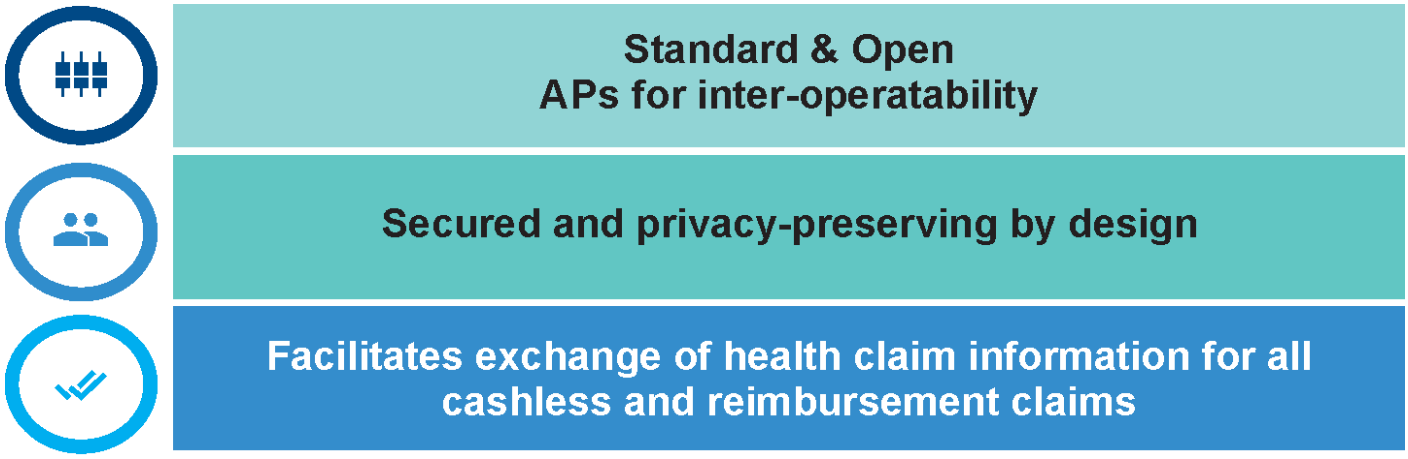
The current Segregated Fund Identification Number (SFIN) clearance process by IRDAI is dispensed with in the same circular. However, insurers shall ensure compliance with the all prudential and exposure norms as per Regulation 9 of IRDAI (Investment) Regulations, 2016 as amended from time to time at each segregated fund, as well as Assets Under Management of Unit Linked Insurance Plan (ULIP).

BOX III.1

National Health Claim Exchange (NHCX) – Towards seamless claims experience

Health insurance claims are being settled either as cashless settlement or through reimbursement. Currently, communication and exchange of information/documents between Hospitals and Insurers are happening through email, portals and other modes of communication. The lack of a common system for hospitals and insurers to share information slows down claim approvals (pre-authorization, cashless, and reimbursement).

To address this issue, the joint working group of IRDAI, National Health Authority and Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has recommended the development of a National Health Claim Exchange under Ayushman Bharat Digital Health Mission (ABDM) programme. This exchange will enable standardized and faster insurance claim processing resulting in a better policyholder experience and reduced operational cost. The Health Claim Exchange Specification is a communication protocol that facilitates the exchange of health claim information amongst insurers, Third Party Administrators (TPAs), Healthcare Providers (Hospitals) and other relevant entities.



The features of the NCHX are as follows:

- It is designed based on open standards and open APIs for inter-operability
- It is secured and privacy-preserving by design
- It facilitates exchange of health claim information for all cashless and reimbursement claims

Most General insurance companies offering Health insurance business have integrated with NHCX, along with TPAs registered with IRDAI. Insurers and TPAs have completed their testing in sandbox and were in the process of moving into production.

III.5.7 Surrogacy Act, 2021 and Assisted Reproductive Technology (ART) Act, 2021 and the relevant Rules thereunder:

IRDAI vide circular IRDAI/LIFE/CIR/PRO/138/6/2023 dated 26th June, 2023 has directed all the Life insurers to comply with the Surrogacy Act, 2021 and ART Act, 2021 keeping in view Section 2 (1) (q) of Surrogacy Act 2021 and Section 22 (4) (ii) of ART Act 2021 with immediate effect and ensure that suitable products are made available.

III.5.8 Bima Vahak Guidelines- IRDAI/LIFE/CIR/GDL/174/10/2023 dated 9th October, 2023

III.5.8.1 The Authority vide Ref: IRDAI/LIFE/CIR/GDL/174/10/2023 issued IRDAI (Bima Vahak) Guidelines, 2023 dated 9th October, 2023. These guidelines shall come into force from the date of launch of Bima Vistaar, a comprehensive Insurance product which will be issued in due course.

The objective of these guidelines is to create a women-centric distribution channel to improve insurance inclusion and awareness in every village and Gram Panchayat, thereby, improving accessibility and availability of insurance at the grass root level. All insurers shall appoint Bima Vahaks and will be responsible for all the actions and the conduct of Bima Vahaks engaged by them. Bima Vahaks use handheld electronic communication devices that are directly integrated to the electronic platform of the insurers. The Councils shall be jointly responsible for establishing a common set of operational and conduct standards applicable to Bima Vahaks. Every Insurer shall have a Board approved policy in respect of matters related to Bima Vahaks in accordance with the standards set jointly by the council. Lead Insurers of each State/ Union Territory shall coordinate deployment of resources to ensure maximum coverage of Gram Panchayats. Every insurer shall put in place appropriate systems processes, internal controls and infrastructure to enable seamless interface with all Bima Vahaks. As a part of Consumer Protection Measures Every insurer shall identify a nearest local office to every Gram Panchayat and designate a Complaints Handling Officer in such office.

III.5.9 Mandating of coverage, payment of premium under IMT-29 compulsory as an inbuilt coverage in a private car policy -IRDAI/NL/CIR/MOTOR/178/10/2023-24 dated 18th October, 2023

III.5.9.1 The circular was issued in compliance with the direction of the Hon'ble Madras High Court, for mandating coverage of legal liability to employees of the insured, travelling in and/or driving the employer's vehicle, as an inbuilt cover in a private car policy. Earlier, the same coverage was available as an optional cover under IMT 29 of the All India Motor Tariff, with additional premium.

The Hon'ble High Court has observed that in the event of an accident, if the employers did not opt for the cover, employees travelling in and/or driving the employer's vehicle were not compensated by the employers as per legal provisions. By mandating this cover, the accident victim employees travelling in the employer's car will get timely compensation by way of insurance claim.

III.5.10 Amendment of Arbitration Clause in General Insurance policies-IRDAI/NL/CIR/MISC/188/10/2023 dated 27th October, 2023

III.5.10.1 IRDAI undertook a comprehensive review of the extant Arbitration Clause prevalent across various lines of business in the General Insurance Industry. After due consultation with various stakeholders and keeping in view the higher costs involved in an Arbitration process and availability of alternative forums for dispute resolution for retail policy holders, IRDAI vide circular IRDAI/NL/CIR/MISC/188/10/2023 dated 27th October, 2023 has amended Arbitration Clause in General Insurance policies as under:

a) All policies issued under the Retail Lines of Business shall not have any Arbitration Clause.

b) All policies issued under the Commercial Lines of Business shall have an Arbitration Clause

III.5.11 Compliance with Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) notifications in view of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019- IRDAI/NL/CIR/MOTOR/2/1/2024 dated 8th January, 2024

III.5.11.1 The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 had brought out changes enabling speedy payment of compensation to motor accident victims. In view of these amendments, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has issued three notifications with regard to creation and maintenance of Motor Vehicle Accident fund, compensation to Victims of Hit and Run motor accidents and procedure for investigation of Motor Vehicle Accidents.

The advisory has been issued to insurance companies to comply with the provisions of the MoRTH notifications and make necessary arrangements for smooth implementation of the procedures laid down in the above notifications.

III.5.12 De-Notification of All Tariffs IRDAI/GenInsurance/Tariff/13/207/2024 dated 20th March, 2024

IRDAI as part of promoting seamless availability of customized insurance products to all categories of market segments, de-notified tariffs on various lines of general insurance products. The matter is discussed in detail under Box Item III.2.

III.6 Promoting and Regulating Professional Organizations Connected with the Insurance and Reinsurance Business

III.6.1 Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA)

The Indian Institute of Insurance Surveyors and Loss Assessors (IIISLA) is a professional body of surveyors and loss assessors as per Section 64UM of Insurance Act, 1938. The institute was promoted by IRDAI under Section 14(2)(f) of IRDA Act, 1999 and incorporated under Section 8 of the Companies Act, 2013. Section 14(2)(f) of IRDA Act, 1999 deals with promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and reinsurance business.

III.6.2 Insurance Brokers Association of India (IBAI)

Insurance Brokers Association of India (IBAI) was incorporated as a company under IBAI Section 25 of the Companies Act, 1956 on July 2001. IBAI represents the professional body for Insurance Brokers licensed in India. The Insurance Brokers registered with IRDAI are necessarily required to be the members of the IBAI.

The Association promotes interaction among the Insurance Broker members and provides them further training in upgrading the knowledge and skills. IBAI supports industry education initiatives aimed at explaining insurance to consumers and the community.

BOX III.2

De-notification of extant Tariffs pertaining to Fire, Motor and Engineering, Workmen's Compensation and other classes of insurance business

The de-notification of tariffs has been carried out in phases over years with an objective of providing more flexibility to general insurance industry. The first round of de-notification was carried out by the Tariff Advisory Committee, vide its Circular ref. TAC/7/06 dated 4th December 2006, de-notifying the tariffs applicable to Fire, Engineering, Motor, Workmen's Compensation Insurance effective from 1st January, 2007.

Thereafter, by virtue of the powers vested under Section 14(2)(i) of the IRDA Act, 1999, IRDAI has removed the controls on pricing of risks in general insurance (except Motor third party risks) and further notified that the general regulations, terms, conditions, clauses, warranties, policy and endorsement wordings applicable to the classes of business incorporated in the erstwhile tariffs shall continue to be followed until further orders.

With the amendment of the Insurance Act, 1938 in 2015, 'Transitional Provisions' under Section 64 ULA were introduced which stipulated that until de-notification in the Official Gazette by IRDAI, the rates, advantages, terms and conditions notified by the Tariff Advisory Committee shall continue to be in force and would be binding on all insurers.

Subsequently, the general regulations, terms, conditions, clauses, warranties, policy, add-ons, endorsement wordings and proposal form were de-notified vide Notification Ref. No. F. No. IRDAI/Non-Life Insurance/5/171/2020. The de-notification was applicable to the following risks of Fire and Allied Perils insurance business governed by the erstwhile All India Fire Tariff, 2001.

(a) Dwellings: Any Sum Insured

(b) Offices, Hotels, Shops, Industrial/Manufacturing risks, Utilities located outside the compound of industrial/manufacturing risks, Storage risks outside the compound of industrial/manufacturing risks and Tank farms/Gas holders outside the compounds of industrial/manufacturing risks where the total value at risk does not exceed Rs.50 Crores across all asset classes at any one location.

Under its reforms agenda, IRDAI has enabled the regulatory environment for innovation and speedy delivery of insurance products to customers by completely moving towards Use & File procedure for products approval. In order to simplify the process, encourage ease of doing business and reduce compliance burden, the procedures governing the product design, rating, product management and other related aspects of insurance products under the category of life, general and health insurance are modified vide IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024.

In an ever-evolving economy, it is imperative for the general insurance industry to respond faster to the emerging market needs, in terms of designing and pricing of general insurance products. To promote efficiency in the conduct of general insurance business, in terms of Section 64 ULA (1) of the Insurance Act, 1938, IRDAI de-notified the general regulations, terms, conditions, clauses, warranties, policy, add-ons, endorsement wordings and proposal form, applicable to all the following prevailing Tariffs **effective from 1st April, 2024**:

a) Fire Insurance Tariffs (other than All India Fire Tariff, 2001 which was already de-tariffed vide notification dated 28th December, 2020), namely

 i. All India Fire Tariff

 ii. Industrial All Risks Tariff

 iii. Consequential Loss (Fire) Tariff

 iv. Petro-chemical Tariff

 v. List of Hazardous Goods

b) Motor, namely All India Motor Tariff

c) Engineering Insurance Tariffs, namely;

 i. Contractors All Risk Insurance

 ii. Contractors Plant and Machinery Insurance

 iii. Machinery Breakdown Insurance

 iv. Electronic Equipment Insurance

 v. Civil Engineering Completed Risks Insurance

 vi. Erection All Risk/Storage Cum Erection Insurance

 vii. Loss of profit (MB & BLOP) Insurance

 viii. Boiler and Pressure Vessels Insurance

 ix. Deterioration of Stocks-(potato) Insurance

d) Miscellaneous, namely Workmen's Compensation Insurance Tariffs.

e) Marine, namely Tea Tariff

The de-notification of insurance tariffs marks a significant milestone in the evolution of India's insurance sector and the shift towards a more liberalized insurance market. This move towards de-notification aims to enhance market efficiency, promote innovation, and ultimately benefit both insurers and consumers. Further it gives insurers the freedom to innovate and offer need-based products as well as add-ons, based on market dynamics. The de-notification of tariffs and policy wordings paves way for simplified and customer-centric insurance products and services as well as ease of operations for insurers.

The insurance product offerings shall be subject to the IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024 and Master Circular (Guidelines) on products and procedures in general insurance business stipulated by the IRDAI from time to time.

III.7 Levying Fees and Other Charges for Carrying Out the Purposes of the Act

III.7.1 During the year 2023-24 there are no changes in the fee structure. Total fee collected during FY 2023-24 is ₹ 221.7 crore in respect of all regulated entities. Detailed fee structure is provided at Annexure 8.

III.8 Calling information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business:

III.8.1 Section 33 of the Insurance Act, 1938 and Section 14(2)(h) of the IRDA Act, 1999 lay down the statutory provisions for calling of information from and carrying out on-site inspection, including investigation of insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business.

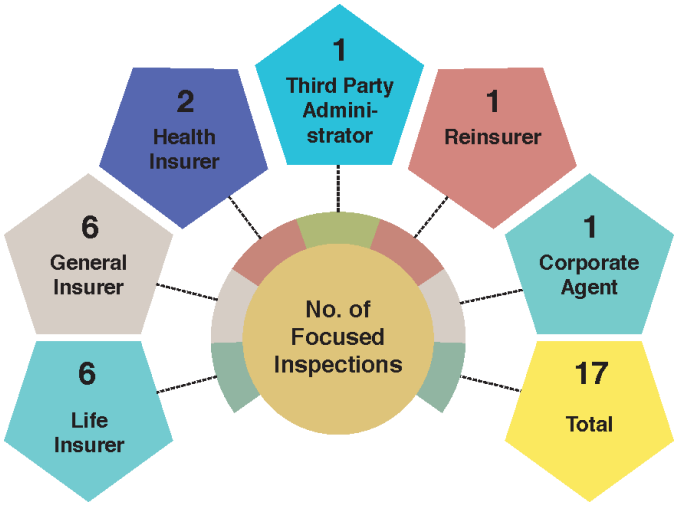
III.8.2 Supervisory oversight, at the minimum involves a two-pronged approach, viz., off-site examination and on-site inspection.

(a) **Off-site Examination:** The primary objective of off-site examination is to monitor the financial health and market conduct of regulated entities, for identifying entities which show financial deterioration and which would be a source for supervisory concerns. This acts as a trigger for timely remedial action. The off-site examination is conducted by analyzing periodical statements, returns, reports, policies and compliance certificates mandated under regulations/ directions issued by IRDAI from time to time.

(b) **On-site Inspection:** IRDAI conducts on-site inspections of the regulated entities with regard to their observance of/compliance to provisions of relevant Acts, Rules, Regulations, Guidelines/Circulars, Directions, Standards, etc. General, thematic, and focused inspections are undertaken at the site of the regulated entities for assessment of their functioning by examination of relevant records, books of accounts and business activities on sample basis in order to assess compliance to various regulatory provisions and other applicable laws relating to financial condition, market conduct, corporate governance, risk management, and related matters of the regulated entities.

III.8.3 Details of On-site Inspections conducted: During the year 2023-24, a total of 18 onsite inspections were undertaken by IRDAI. Out of which one general inspection of Insurance Intermediary (Corporate Agent) and 17 focused inspections were carried out. The details of focused inspections are given as below:

Focused inspections by IRDAI



III.8.4 Moving towards RBS Framework: IRDAI has been actively working towards developing and implementing Risk Based Supervision (RBS) framework for insurance sector in India. As part of this move, IRDAI has conducted two pilot inspections during the financial year 2023-24 and proposing to conduct few more pilots during the financial year 2024-25.

III.8.5 The enforcement process involves a thorough analysis of the inspection reports and the responses from the inspected entities. This analysis considers the supporting documentary as evidence and submissions provided.

Based on review of the above, a proposed course of regulatory action is determined. This course of action is then approved by the Competent Authority, who decides whether to:

- Charge the inspected entity or
- Advise the inspected entity or
- Close the observation

If the inspected entity is charged with regulatory violations by issue of Show Cause Notice, they are granted an opportunity for a personal hearing in addition to providing further submissions to present their case.

The Competent Authority then decides on the final regulatory actions, which may include:

- Issuing advisories/cautions,
- Providing general directions other than under Section-34 of the Insurance Act,1938 as amended
- Issuing directions under Sec 34 of the Insurance Act,1938 as amended and/or issuing warnings or Imposing penalties

In cases where the violations are deemed serious, potentially leading to the cancellation of registration or license, a more rigorous due process is followed.

In addition to the supervision processes, the Act also mandates an adjudication process for specified violations of the Insurance Act, 1938. This adjudication must be conducted by an officer of at least the rank of General Manager, who considers key factors in determining and recommending the appropriate quantum of penalty.

All decisions made by the Authority can be appealed at the Securities Appellate Tribunal under Section-110 of the Insurance Act, 1938.

III.8.6 During 2023-24, IRDAI completed 83 onsite and remote inspection reports and total number of 856 regulatory actions were taken on the said inspection reports.

Table III.1: On-site and remote inspection reports concluded by Enforcement and Compliance during 2023-24

S.No.	Entity	No. of Entities
1	Brokers	16
2	Corporate Agents	8
3	Foreign Reinsurance Branch	6
4	Insurance Marketing Firm	13
5	Surveyors and Loss Assessors	7
6	Third Party Administrator (TPA)	4
7	Life Insurers	6
8	Non-Life Insurers including Health	22
9	Reinsurer	1
	Total	**83**

Table III.2: Details of Regulatory Actions taken on the Observations

S.No.	Nature of Regulatory Action	No. of Observations
1	Advisory	577
2	Direction	16
3	Caution	260
4	Warning	0
5	Penalty	3
	Total	**856**

BOX III.3

Tech-enablement for Supervision and enforcement

The Regulatory Action Repository System (RARS) is a new Sup-tech initiative of IRDAI proposed for enhancing the efficiency of supervision process. At the core, it is a centralized digital platform that consolidates all regulatory actions taken by the Authority, such as orders, penalties, warnings, directions, advisories, cautions, and closures.

This initiative aims to enhance accessibility to historical information on regulatory actions taken against various entities and achieve consistency between the actions across the categories of entities. While the non-discrimination is proposed to be achieved, adequate consideration of the gravity of violation, circumstances and proportionality can be exercised by the competent authority in determining regulatory actions.

Thus, as a centralized data repository, RARS proposes to streamline access to historical actions and empowers the authority to swiftly and decisively address violations committed by regulated entities.

The system shall provide Departments with timely insights and pertinent information, enabling them to identify and prioritize regulatory focus areas within their respective departments.

RARS proposes to offer robust search functionalities, allowing users to retrieve specific regulatory actions based on various parameters, enhancing efficiency in accessing relevant information and supporting informed decision-making processes across the Authority.

Furthermore, RARS proposes to contribute to operational efficiency by automating the generation of reports, eliminating manual processes, reducing administrative burdens, and enhancing the overall responsiveness of the Authority in addressing regulatory matters promptly and effectively.

RARS also proposes to facilitate a detailed analysis of violations, enabling the identification of common violations, emerging trends and patterns, which helps pinpoint regulatory gaps that require attention and ensures implementation of appropriate measures.

The establishment of RARS represents a significant step forward in modernizing regulatory operations, fostering transparency, and strengthening regulatory oversight and fosters collaboration across various departments within the Authority.

III.9 Control and Regulation of Rates, Advantages, Terms and Conditions that may be Offered by Insurers in respect of General Insurance Business not so Controlled and Regulated by the Tariff Advisory Committee under Section 64U of the Insurance Act,1938 (4 of 1938)

III.9.1 All classes of tariffed General insurance business were de-tariffed with effect from 1st January, 2007 except Motor Third Party business in so far as pricing is concerned. Since the Motor Third Party insurance cover is statutory under the provisions of Motor Vehicles Act, 1988, the Motor Third Party premium rates were earlier notified by IRDAI every year. Presently under the provisions of subsection (2) of Section 147 of the Motor Vehicles Act, 1988, as amended vide Section 51 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) has been mandated to prescribe base premium and liability of an insurer in relation to third party premium in consultation with IRDAI.

III.9.2 Accordingly, the Ministry of Road Transport and Highways, vide Gazette notification number G.S.R. 32 (E), dated 5th January, 2024 has notified Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2024. Further in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 64 ULA of the Insurance Act, 1938, IRDAI has de-notified all the following prevailing tariffs:

a. Fire Insurance Tariffs (other than All India Fire Tariff, 2001 which was already de-tariffed vide notification dated 28th December, 2020), namely;
 i. All India Fire Tariff
 ii. Industrial All Risks Tariff
 iii. Consequential Loss (Fire) Tariff
 iv. Petro-chemical Tariff
 v. List of Hazardous Goods

b. Motor, namely All India Motor Tariff

c. Engineering Insurance Tariffs, namely;
 i. Contractors All Risk Insurance
 ii. Contractors Plant and Machinery Insurance
 iii. Machinery Breakdown Insurance
 iv. Electronic Equipment Insurance
 v. Civil Engineering Completed Risks Insurance
 vi. Erection All Risk/Storage Cum Erection Insurance
 vii. Loss of profit (MB & BLOP) Insurance
 viii. Boiler and Pressure Vessels Insurance
 ix. Deterioration of Stocks-(potato) Insurance

d. Miscellaneous, namely Workmen's Compensation Insurance Tariffs.

e. Marine, namely Tea Tariff

III.10 Specifying the Form and Manner in which Books of Accounts shall be Maintained and Statements of Accounts shall be Rendered by Insurers and Other Insurance Intermediaries

III.10.1 The financial statements of insurers are prepared in the form and manner prescribed under the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, amended from time to time and also by various circulars and guidelines issued from time to time. Books of accounts are maintained in order to present various line items as required under these Regulations.

III.10.2 In case of intermediaries, books of accounts and financial statements are required to be maintained in the form and manner stipulated under the respective regulations/ circulars/ guidelines.

III.10.3 Wherever the IRDAI has not stipulated the form/and manner in which books of accounts are to be maintained, provisions of Companies Act/Rules and other applicable Acts/Rules apply.

III.11 Regulating Investment of Funds by Insurance Companies

IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 read along with Master circular and guidelines amended from time to time regulate Insurer's Investments.

III.11.1 Investments in National Bank for Financing Infrastructure and Development vide circular no. IRDAI/F&I/CIR/INV/121/6/2023 dated 5th June, 2023

The National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) is established under National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including the development of bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto.

As the NaBFID is established as Development Financial Institution to support the development of long-term infrastructure financing, the exposure limit for the insurers' investments in this entity is aligned in line with the limits prescribed for Public Limited Infrastructure Investee Company.

III.11.2 Monitoring of Investments in Alternative Investment Fund (AIF) vide circular no. IRDAI/F&I/CIR/INV/139/06/2023 dated 28th June, 2023

The Authority advised the insurers to declare NAV of AIFs on quarterly basis and the rollover of investments in AIFs should be approved by the Board/Investment Committee. Quarterly return for investments in AIFs need to be submitted within 15 days from the end of the quarter.

III.11.3 Relaxation for Investments in HDFC Ltd. issued vide circular no. IRDAI/F&I/CIR/INV/155/8/2023 dated 4th August, 2023

In view of the merger of HDFC Ltd with HDFC Bank Ltd, the bonds/debentures held by the insurers in the HDFC Ltd on the date of announcement of the merger i.e. 4th April, 2022 under the category "Housing and Infrastructure" shall be treated as investments in the said category till the maturity of the respective bonds of HDFC Ltd.

III.12 Regulating Maintenance of Margin of Solvency

III.12.1 Every insurer and reinsurer shall at all times maintain solvency margin higher than the control level of solvency, which currently is 150 per cent of Required Solvency Margin, i.e. to ensure that the Available Solvency Margin is at least 150 per cent of Required Solvency Margin at all times. The Required Solvency Margin shall not be less than fifty per cent of the amount of minimum capital as stated under Section 6 of the Insurance Act, 1938 whereas the Available Solvency Margin is the excess of value of assets over the amount of liabilities. The IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 describe in detail the method of computation of the Available and Required Solvency Margin.

Every life insurer shall determine the Required Solvency Margin, the Available Solvency Margin and the Solvency Ratio as per the provisions of IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024. The computation of Required Solvency Margin is a two-factor based model, where the factors apply on the adjusted Mathematical Reserves and Sum at Risk. The factors vary with different segments of life insurance business.

III.12.2 In the case of general insurers, Re-insurers and Branches of Foreign Re-insurers, the Required Solvency Margin shall be the higher of RSM-1 and RSM-2 computed as under for each Line of Business separately:

- RSM-1 means the Required Solvency Margin based on net premiums, and shall be determined as twenty per cent of the amount which is higher of the Gross Premiums multiplied by a Factor A and the Net Premiums. For the purpose of calculation of RSM1, 'Trailing 12 month's premium' will be taken into account.
- RSM-2 means the Required Solvency Margin based on net incurred claims, and shall be determined as thirty per cent of the amount which is the higher of the Gross Incurred Claims multiplied by a factor B and the Net Incurred claims. For the purpose of calculation of RSM-2, Claims will be taken into account as maximum of 'Trailing 12 months Claims' and 'Trailing 36 months Claims divided by 3'.

III.13 Adjudication of Disputes between Insurers and Intermediaries or Insurance Intermediaries

III.13.1 According to Regulation 59(2) of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018, any disputes arising between an insurance broker and an insurer, or any other party, whether during the course of the broker's engagement or otherwise, may be referred to the Authority by the affected person. Upon receiving such a complaint or representation, the Authority may examine it and, if deemed necessary, conduct an inquiry, inspection, or investigation in accordance with these regulations.

III.14 Specifying the Percentage of Life Insurance Business and General Insurance Business to be undertaken by the Insurers in the Rural and Social Sector

III.14.1 IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 was notified on August 24, 2015 superseding the IRDA (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2002. The obligations stated in these regulations are applicable since FY 2016-17. As per the regulatory provisions, the insurers should undertake the rural and social sector obligations as prescribed therein, in every financial year. Further, the IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social Sectors) Regulations, 2015 have been revised and consolidated as IRDAI (Rural, Social and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024 that will come into effect from 1st April, 2024.

PART – IV
ORGANISATIONAL MATTERS

IV. 1. ORGANIZATION

IV.1.1 According to Section 4 of the IRDA Act 1999, the Authority is composed of a Chairperson, up to five Whole-time members, and a maximum of four part-time members. As on 31st March, 2024, IRDAI consists of a Chairperson, four Whole-time members, and two part-time members. Detailed information is provided below:

Chairperson:

Shri Debasish Panda IAS (UP:87) (Retd.), former Secretary, Department of Financial Services was appointed as Chairperson of the Authority by the Government of India for a period of three years w.e.f 14th March,2022.

Whole-time Members:

Shri Thomas M. Devasia, who was appointed as Whole-time Member (Non-Life), with effect from 19th September 2022, continued during the year 2023-24. His term ended on 11th July, 2024.

Shri Parmod Kumar Arora, Whole-time Member (Actuary) continued in the Authority during the FY 2023-24. Vide Government of India notification dated 8th January 2024, the term of Shri Parmod Kumar Arora, was extended by two years w.e.f from 4th January 2024.

Shri B C Patnaik appointed as Whole-time Member (Life) with effect from 1st May 2023.

Shri Rajay Kumar Sinha appointed as Whole-time Member (Finance & Investment) with effect from 24th January, 2024.

Shri Rakesh Joshi, Whole-time Member (Finance & Investments) and Smt. S. N. Rajeswari, Whole-time Member (Distribution), held the office up to 1st December, 2023 and 3rd March, 2024 respectively.

Shri Satyajit Tripathy, appointed as Whole-time Member (Distribution) with effect from 24th May, 2024.

Shri Deepak Sood was appointed as the Whole-Time Member (Non-Life) with effect from 12th August, 2024.

Part-time Members:

Shri Suchindra Misra, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India was appointed as Part-time Member of the Authority with effect from 4th July, 2022 and held the office up to 27th June, 2023.

Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India was appointed as Part-time Member of the Authority with effect from 28th June, 2023.

CA Aniket Sunil Talati, President of the Institute of Chartered Accountants of India, became Part-time Member of the Authority with effect from 12th February, 2023 and continued up to 11th February, 2024. Thereafter, CA Ranjeet Kumar Agarwal, President of the Institute of Chartered Accountants of India, became Part-time Member of the Authority with effect from 12th February, 2024.

Table IV.1: Composition of the Authority as on March 31st, 2024

S.No.	Chairperson- Appointed under Section 4(a) of the IRDA Act, 1999
1.	Shri Debasish Panda

S.No.	Whole time Members- Appointed under Section 4(b) of the IRDA Act, 1999	
1.	Shri P.K. Arora	Member (Actuary)
2.	Shri Thomas Devasia	Member(Non-Life)
3.	Shri B C Patnaik	Member(Life)
4.	Shri Rajay Kumar Sinha	Member (Finance & Investment)

S.No.	Part time Members- Appointed under Section 4(c) of the IRDA Act, 1999	
1.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance
2.	CA Ranjeet Kumar Agarwal	President, Institute of Chartered Accountants of India

IV.1.2 MEETINGS OF THE AUTHORITY

IV.1.2: During F.Y. 2023-24, the Authority met on four occasions as mentioned at Table IV. 2.

Table IV. 2 Details of Meetings of the Authority

Authority Meeting	Date
122nd Meeting of the Authority	2nd June,2023
123rd Meeting of the Authority	18th August,2023
124th Meeting of the Authority	28th December, 2023
125th Meeting of the Authority	19th March,2024

Table IV.3: Details of Meetings held during 2023-24 and attended by each member of the Authority.

Name	Number of Meetings Held	Number of Meetings Attended
Chairman		
Shri Debasish Panda	4	4
Whole Time Members		
Shri P.K. Arora	4	4
Smt. S. N. Rajeswari	3	2
Shri Rakesh Joshi	2	2
Shri Thomas Devasia	4	4
Shri B C Patnaik	3	3
Shri Rajay Kumar Sinha	1	1
Part Time Members		
Shri Suchindra Misra	1	1
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	3	3
CA Aniket Sunil Talati	3	3
CA Ranjeet Kumar Agarwal	1	1

Note:

1. Dr. Maruthi Prasad Tangirala was appointed as Part-time Member of the Authority in the place of Shri Suchindra Misra on 28th June, 2023.

2. CA Ranjeet Kumar Agarwal was appointed as Part-time Member of the Authority in the place of CA Aniket Sunil Talati on 12th February, 2024.

IV.2 HUMAN RESOURCES

IV.2.1 The Human Resource Management function is one of the vital activities of General Administration and Human Resources Department (GA&HR) of IRDAI. It plays the role of an enabler and a facilitator to build and maintain an efficient and motivated workforce in the Authority to meet its diversified requirements. The main aim is to strengthen the employer-employee relationship through measuring job satisfaction, employee engagement and promoting workplace culture.

The vision is to develop, implement and support programs and processes that add value to the Authority and its employees, leading to improved employee welfare, empowerment, growth and retention.

During the year, recruitment exercise was carried out at entry level i.e. Assistant Managers and as on 31st March, 2024 41 newly recruited Assistant Managers have joined IRDAI.

Staff Strength

IV.2.2 The Authority is an officer oriented organisation. The staff strength and the need for additional manpower are reviewed from time to time. The position of sanctioned and actual staff strength as on 31st March, 2024 is given in Table IV.4.

Table IV.4: Sanctioned and Actual Staff Strength in IRDAI

Class	As on March 31, 2023		As on March 31, 2024	
	Sanctioned	Actual	Sanctioned	Actual
I	336	201	374	229

Category-wise Staff Strength

IV.2.3 The category-wise distribution of the staff members is provided in Table IV.5.

Table IV.5: Category-wise Staff Strength in IRDAI

Category Class	As on March 31, 2023				As on March 31, 2024			
	SC	ST	Others	Total	SC	ST	Others	Total
I	24 (11.94)	8 (3.98)	169 (84.08)	201 (100.00)	28 (12.23)	10 (4.37)	191 (83.41)	229 (100.00)

Note: Figures in brackets are percentage to total

Gender and Age Profile of Employees

IV.2.4 Out of 229 employees, 52 are female constituting 22.71 percent. IRDAI is a young and dynamic organization with average age of employees about 41 years. The age-wise distribution of the staff members in 2023-24 is given in Table IV.6.

Table IV.6: Age-wise Distribution of Staff in IRDAI

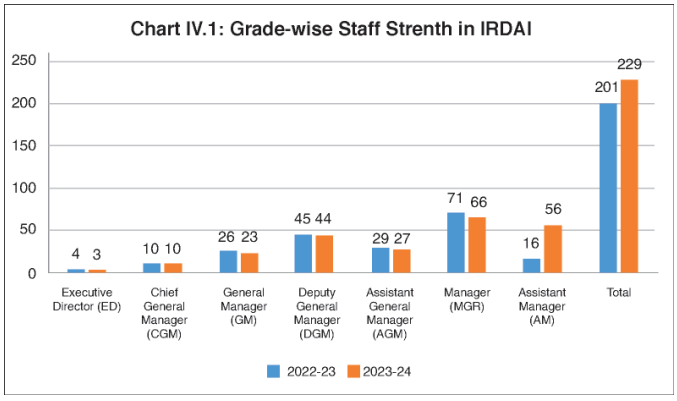
Age (Years)	Staff Strength	Percentage
< 30	38	16.59
31 - 40	66	28.82
41 - 50	76	33.19
51 - 60	49	21.40
Total	**229**	**100**

Grade-wise Staff Strength

IV.2.5 The grade-wise distribution of staff members is provided in Table IV.7.

Table IV.7: Grade-wise Staff Strength in IRDAI

Grades	2022-23	2023-24
Executive Director (ED)	4	3
Chief General Manager (CGM)	10	10
General Manager (GM)	26	23
Deputy General Manager (DGM)	45	44
Assistant General Manager (AGM)	29	27
Manager (MGR)	71	66
Assistant Manager (AM)	16	56
Total	**201**	**229**



Training and Development

IV.2.6 Training and Development is critical for helping employees to develop their personal and professional skills, knowledge, and abilities. In order to enhance and widen the knowledge base, employees have been nominated for various training programs. Several training initiatives were also undertaken during the year to enhance the knowledge, skills and efficiencies of staff members.

Domestic Training and Induction training:

IV.2.7 Newly recruited Assistant Managers were provided Induction training for a period of 4 months in collaboration with Insurance Institute of Risk Management (IIRM) & Indian School of Business (ISB), Hyderabad. These officers had classroom training and were also assigned different projects / research works to be submitted at the end of training period. Project reports submitted by the officers were highly appreciated.

These officers also got an opportunity of onsite training, wherein they visited Insurance Companies to get a sense of activities undertaken at different levels.

Gyan Manch – A knowledge sharing platform of IRDAI

IV.2.8 The new, revamped Study Forum is renamed as "Gyan Manch". The topics for presentation in the Gyan Manch relate to overall economy and financial sector, with bearing on insurance and technology. These also include topical issues of national and international importance, global trends and developments, innovations and emerging risks impacting insurance.

Sessions on "Cyber / E-mail Security" and "Understanding Risk and Supervision" was organised under Gyan Manch during the year.

Domestic Training

Training Program by College of Supervisors (CoS), RBI

IV.2.9 Officers from departments / Mission Mode Teams were nominated to different training programs during the year conducted by College of Supervisors, RBI.

Toronto Centre, RBSF

IV.2.10 IRDAI has entered into an Agreement with Toronto Centre (TC) for development and implementation of Risk Based Supervisory Framework (RBSF) for insurance sector in India. As part of the engagement, TC has conducted following capacity building sessions during the year: -

S. No.	Training Period	No. of Participants (approx.)	Topics covered
1.	One day in June, 2023	40	• Drivers of External and Inherent Risks in RBS • Translating Risk Assessment into a Prudent Risk-Based Supervisory Strategy • Leadership Module – Stakeholder Management
2.	Two days in December, 2023	20	• Supervisory planning • Risk Management • Governance Functions • Interviewing skills in RBS • Documentation to support assessment • Supervisory strategy for intervention

Other Activities

Induction of Young Professionals

IV.2.11 Some of the Young Professionals recruited during the year 2022-23, under young professional program, are continued. Based upon the performance of the young professionals as well as requirements , the tenure of the young professionals was extended for a period of one year. As a result of their engagement with insurance regulator, young professionals have been benefitted and as a result of which, 18 young professionals have left for promising opportunities outside, whereas remaining are aspiring for acquiring more regulatory knowledge. As on 31st March, 2024, ten young professionals are working in different departments and gaining more regulatory exposure.

Promotion Exercise

IV.2.12 As per the provisions of IRDAI Staff (Officers and Other Employees) Regulations, 2016, the

promotion of employees at different grades was taken up in January 2024 and eligible employees in the order of merit were promoted to next grades.

Observance of International Women's Day

IV.2.13 The International Women's Day (IWD) 2024 was celebrated on 8th March, 2024 by all the staff with lot of enthusiasm praising women officers for their achievements in professional and other fields.

IRDAI Foundation Day

IV.2.14 On the occasion of Foundation Day of IRDAI on 19th April, 2024 when IRDAI has entered into its 25th year, different programs were organised throughout the week to celebrate the occasion by reminiscing on the past and drawing up a future pathway to make the day memorable for one and all, in a bid to further the vision of "Insurance for all" by 2047.

From 15th April, 2024 to 18th April, 2024 presentations were made on different topics and eminent speakers from different fields were invited to share their views on selected topics. Sports Competitions were conducted among the employees during this week, officers have participated enthusiastically and winners were awarded with prizes on 19th April, 2024.

On 19th April, 2024 celebrations were divided into two sessions, knowledge sharing session and cultural activities. Few selected Officers were divided into groups and were allotted different topics to make a presentation, under the guidance of the Whole-time Members each group made a presentation attracting appreciation of all.

Cultural evening was organised and all the officers have participated, showcasing their talent in different cultural activities.

Internal Complaints Committee for Women Employees

IV.2.15 In terms of provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Internal Complaints Committee has been reconstituted vide office order ref: IRDAI/HR/ORD/PER/163/08/2023 dated August 28th, 2023 with a view to redressing the complaints in this regard as also to ensure compliance of various provisions laid down in the Act. A workshop on the subject has also been conducted specially for the newly recruited officers during the year.

Grievance Redressal Committee

IV.2.16 The Grievance Redressal Committee (GRC) was re-constituted in accordance with Regulation 72 of IRDA (Condition of Service of Officers & Other Employees) Regulations, 2000, vide office order ref: IRDAI/GA&HR/ORD/PER/076/05/2024 dated 09th May, 2024, to look into grievances, if any, of its Officers and Employees. Regulation 78 of IRDAI Staff (Officers and Other Employees) Regulations, 2016 prescribes the provisions and process for Grievance redressal and welfare of employees.

In pursuance of recommendation of National Commission for Schedule Caste (NCSC), an Internal Grievance Redressal Committee (IGC) for employees belonging to Schedule Castes community has already been constituted on 05th November, 2021.

IV.3 PROMOTION OF OFFICIAL LANGUAGE

IV.3.1 IRDAI continues to make its concerted efforts to promote the use of Hindi in office work. A separate Official Language Implementation (OLI) Department is functioning to ensure effective compliance with various provisions relating to the implementation of

the official language. During the financial year, special efforts were made to ensure compliance of the Official Language Policy of the Union enshrined in the Constitution of India including the Official Languages Act, 1963, the Official Language Rules, 1976, the annual programme given by the Government of India for the use of Hindi and the orders issued by the Department of Official Language from time to time. The Annual Programme for use of Hindi for the year 2023-24 was published through an Office Order for its compliance.

IV.3.2 All the documents to be laid down before the Parliament were prepared in bilingual form. The letters/representations/appeals/RTI applications received in Hindi were replied in Hindi ensuring compliance with Rule 5 of the Official Language Rules, 1976. Implementation of Rule 11 under the above Rules was also ensured.

Progress Report

IV.3.3 Data relating to the Quarterly Progress Report was collected from all the departments in the format prescribed by the Department of Official Language, Government of India. The report was submitted to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs as well as the Department of Financial Services, Ministry of Finance within the stipulated time. Besides the quarterly progress report, half yearly progress report, annual progress report and the evaluation report were also prepared and submitted to the aforesaid departments as well as to the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC).

Achievements and Awards

IV.3.4 IRDAI successfully organized an online Hindi typing competition during the Hindi Fortnight through the online typing application created by IRDAI with the special purpose of promoting the Hindi typing. All employees were encouraged to use Hindi in their day-to-day correspondence. Assistance was provided in preparing the agenda and minutes in Hindi in respect of meetings of the Authority and also in maintaining the registers in bilingual form. Use of Hindi in the official notings and documents is encouraged. Hindi correspondence and notings in Hindi stood at 82.39 per cent and 89.94 per cent respectively against the target of 55 per cent and 30 Per cent for the period ended 31st March, 2024. In comparison to the last year, average Hindi correspondence registered an increase of 5.16 per cent, Hindi noting has registered a growth of 6.66 per cent. Increase is registered by the Head Office in average Hindi correspondence with all the regions. Originating correspondence has been made cent per cent bilingual by Mumbai Regional Office and New Delhi Regional Office. For the purpose of increasing the Hindi correspondence, 21 standard formats of correspondence were prepared in the financial year 2023-24.

IV.3.5 On 14th September, 2023 Insurance Regulatory and Development Authority of India has received the third prize in Region 'C' for the period 2022-23 for excellent performance in the official language for awarding of Rajbhasha Kirti Puraskar by Government of India in the category of board / autonomous body / trust / society etc. IRDAI has been awarded the First Prize by the Town Official Language Implementation Committee (Banks) for implementation of the official language. Four officers have won prizes in different competitions organized by the TOLIC.

IV.3.6 IRDAI organized an official language technical seminar on 03rd January, 2024 for the member offices of TOLIC. In addition to this, a Hindi Quiz Competition was also organized for the Rajbhasha Officers and employees of the member offices of TOLIC. Besides, an online Hindi typing competition

was also held on 27th October, 2023 for officers and employees of the member offices of the TOLIC. Executives of IRDAI participated in the 76th and 77th half-yearly meetings of the Town Official Language Implementation Committee (Banks), Hyderabad. In addition to this, IRDAI actively participated in all the seminars / workshops / competitions organized by TOLIC. On 26th December, 2023, OLI Department of IRDAI delivered a guest lecture on the subject "Official Language Policy and Implementation" at Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad. The Regional Offices of IRDAI at Mumbai and New Delhi ensured participation in both the half-yearly meetings and other activities of the respective TOLICs.

IV.3.7 Along with the Senior-most member of IRDAI, a General Manager and Rajbhasha Officer have participated in the Third All-India Official Language Conference held in Pune on 14th-15th September, 2023. In addition to this, IRDAI participated in the 'Combined Regional Rajbhasha Conference and Prize Distribution Function' in respect of Western and Central Regions held in Mumbai on 23rd November, 2023 by the Rajbhasha Department, Ministry of Home Affairs, Government of India and the 'Combined Regional Rajbhasha Conference and Prize Distribution Function' in respect of the Southern and South Western Northern Region held in Bengaluru on 19th January, 2024. Besides, IRDAI also participated in the One-day All India Hindi Seminar organized by Bank of Maharashtra, Head Office in Delhi on the subject "Banking of the future" on 15th March, 2024.

Hindi Training

IV.3.8 The roster of employees was updated according to the knowledge of Hindi and training of the employees. This is particularly utilized for nominating employees for the training programmes of Pragya and Parangat conducted by the Hindi Training Institute, Department of Official Language, Government of India. During 2023-24, 26 employees were given Pragya and Parangat Hindi knowledge training. All the officials who have undergone training were given honorarium. Provision has been made to pay honorarium for Parangat training in IRDAI. For the promotion of use of Hindi, 12 employees have been trained through the ongoing desk training program.

Hindi Workshops and Meetings

IV.3.9 Official Language Implementation Committee has been constituted under the chairmanship of the Chairman with all the Heads of Departments as members, and review meetings have been organized in every quarter. Official Language Implementation Committees have also been constituted at New Delhi and Mumbai Regional Offices. Hindi workshops were conducted regularly to make the employees familiar with the rules related to Hindi and Hindi typing with the help of Unicode and other easy to use methods in order to make more extensive use of Hindi in their day-to-day work. During 2023-24, 148 employees of Head Office at Hyderabad were trained through these workshops. Hindi workshops were also organized at New Delhi Regional Office and Mumbai Regional Office. During the Hindi workshops, material was distributed in respect of Official Language Rules, Annual Programme issued by Government of India for Use of Hindi, as well as general Hindi notings.

Inspection of Official Language Implementation

IV.3.10 The Committee of Parliament on Official Language successfully carried out the official language inspection of New Delhi Regional Office on 26th May, 2023. In addition to this, Rajbhasha Department of the Head Office undertook inspection in respect of use of Official language at the Mumbai Regional Office and the New Delhi Regional Office in addition to all the departments at the Head Office.

Hindi Pakhwada

IV.3.11 Hindi Pakhwada was celebrated during 14th -19th September, 2023 at the Head Office and the Regional Offices of IRDAI. During this Pakhwada, a total of ten competitions were conducted for the Hindi and non-Hindi speaking employees, in essay writing, story writing, translation, official language policy, and Hindi noting competition), memory, Hindi elocution, quiz, antakshari, meaningful words and online Hindi typing through special software.

In the Hindi Pakhwada organized at the Head Office and the Regional Offices, the department winning the most number of prizes and the department that participated the most were also rewarded. In total 92 officers and two departments were awarded.

Other Information

IV.3.12 In order to use the translation software tool "Kanthasth" 2.0, based on the memory and to strengthen the global translation database thereof, "Kanthasth"2.0 was got registered by IRDAI. For the purpose of promoting Hindi, 69 Hindi books written by prominent authors were included in the library of IRDAI during the current year and the budget for Hindi books is being increased every year continuously. With an intention of increasing insurance awareness, active co-operation was extended by the Rajbhasha Department in making material in Hindi and other regional languages available in the concerned subjects. More than 50 per cent of the total expenditure for advertisements in IRDAI was incurred on the advertisements in Hindi and the regional languages.

IV. 4 INFORMATION TECHNOLOGY:

IV.4.1 As an integral aspect of our enhanced commitment to optimizing IT system efficiency and effectiveness, IRDAI has taken following initiatives:

Business Analyst Project (BAP)

IV.4.2 Business Analytics Project (BAP) is the application for offsite regulatory monitoring developed and managed by IRDAI through a Service Provider. The BAP 2.0 is helping IRDAI in achieving 3 C's – Collect, Correlate, and Concluding the data. The data coming from insurers, and various intermediaries is used for better monitoring and supervision. BAP helps in connecting with the Industry and in automating majority of the internal workflow at IRDAI thereby bringing transparency in quick decision making.

Human Resource Management System (HRMS)

IV.4.3 To enhance functionality of HRMS application, vendor is onboarded for

- development and integration of Fiori as the front-end technology;
- providing a sophisticated, device-agnostic user interface for users to access application through Desktops, Tablets and Mobile phones etc.

Internal Applications

IV.4.4 During the year, the following activities were carried out: Maintenance and support for Cross Border Reinsurance, IMF, ISNP applications.

Information and Cyber Security for Insurers

IV.4.5 IRDAI has taken up following initiatives / steps for information and cyber security for Insurers:

- A dedicated Cell has been formed with a view to enhance monitoring of Cyber Security matters in Regulated Entitles (RE) as well as for better co-ordination with other Regulators and Authorities in matters involving REs.

- strengthen IT security of Insurers through close follow-ups with Insurers for timely submission of Annual Assurance Audit.
- regularly communicate with Insurers with regard to the evolving challenges in cyber threat landscape and better management of cyber security threats.
- Basis the recommendations of the Committee constituted to review IRDAI's Information and Security guidelines dated 07th April, 2017, a new comprehensive IRDAI Information and Cyber Security Guidelines, 2023 are issued. All insurance intermediaries have been brought under the ambit of these guidelines.
- IRDAI has constituted the "Standing Committee on Cyber Security" to regularly review the threats inherent in the existing or emerging technologies and suggest appropriate changes to Cyber Security Framework to further strengthen Cyber Security Posture and resilience of Insurance Industry. The committee has representatives from Financial Sector, academicians as well as Cert-In.
- IRDAI is actively coordinating with NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre) for identifying systems of Insurers / Regulated Entities as Critical Information Infrastructure (CII).

Strengthening of IRDAI's Internal Information and Cyber Security

IV.4.6 Two half-yearly VAPTs (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) were conducted for IRDAI's public facing and internal applications, to identify and expeditiously close gaps for strengthening IRDAI cyber security. The VAPTs were followed up with Revalidation VAPTs.

IV. 4.7 An annual comprehensive cyber security audit of IRDAI infrastructure was conducted to identify vulnerabilities in IRDAI systems & processes and close them expeditiously.

IV.4.8 IRDAI issued internal "Information Security Management System (ISMS) Policy" in June, 2023, which contain Information Security policies and procedures and Cyber Crises Management Plan, to strengthen IRDAI IT security and procedures.

IV.4.9 Cyber Jagrookta Diwas (CJD) sessions and other simulation exercises are conducted regularly for improving awareness of employees on cyber hygiene and best practices.

IV.5 ACCOUNTS

The Authority's accounts for the Financial Year 2023-24 are under preparation. The audited accounts for the Financial Year 2022-23 were laid before the Parliament in terms of Section 17 of the IRDA Act, 1999.

IV.6 ACKNOWLEDGEMENTS

IV.6.1 IRDAI would like to place on record its appreciation and sincere thanks to the Members of IRDAI, Members of the Insurance Advisory Committee, the Reinsurance Advisory Committee, Department of Financial Services (Ministry of Finance), Members of the Consultative Committee, all insurers and intermediaries for their invaluable guidance and co-operation; and the compact team of officers and employees of IRDAI for efficient discharge of their duties. IRDAI also records its special thanks to the members of the public, the press, the professional bodies and international agencies connected with the insurance profession through their councils including the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) for their valuable contribution from time to time.

STATEMENTS

Statement 1

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE PENETRATION

(In per cent)

S.No.	Country*	2022			2023		
		Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
	America						
1	USA	2.6	9.0	11.6	2.6	9.3	11.9
2	Canada	3.3	4.6	8.0	3.3	4.7	8.0
3	Brazil	2.1	1.9	4.0	2.1	1.8	3.9
4	Mexico	1.1	1.3	2.4	1.1	1.4	2.5
5	Argentina	0.2	1.8	2.0	0.2	1.3	1.5
	Europe-Middle East-Africa						
6	South Africa	9.1	2.2	11.3	9.2	2.3	11.5
7	UK	8.1	2.4	10.5	7.1	2.6	9.7
8	Sweden	7.5	1.8	9.3	5.7	1.7	7.4
9	France	5.5	3.3	8.7	5.5	3.2	8.7
10	Netherlands	1.2	7.3	8.5	1.2	7.2	8.3
11	Italy	5.8	2.2	8.0	4.9	2.2	7.1
12	Switzerland	3.0	4.0	6.9	2.9	4.0	6.9
13	Germany	2.4	3.5	5.9	2.1	3.4	5.5
14	Spain	2.0	2.8	4.9	2.5	2.8	5.3
15	Turkey	0.2	1.3	1.5	0.2	1.5	1.7
16	Saudi Arabia	0.1	1.2	1.3	0.1	1.6	1.7
17	Russia	0.3	0.6	0.9	0.4	0.7	1.1
	Asia Pacific						
18	Taiwan	8.2	3.1	11.4	7.1	3.2	10.3
19	South Korea#	5.4	5.8	11.1	5.0	6.0	11.0
20	Singapore	7.4	1.8	9.2	7.4	1.8	9.2
21	Japan#	5.9	2.3	8.2	6.8	2.1	8.9
22	Thailand	3.4	1.9	5.3	3.4	1.9	5.3
23	Malaysia#	3.7	1.3	5.0	3.7	1.4	5.2
24	Australia	0.9	3.3	4.2	0.9	3.3	4.2
25	India#	**3.0**	**1.0**	**4.0**	**2.8**	**1.0**	**3.7**
26	China	2.0	1.9	3.9	2.1	1.8	3.9
27	New Zealand	0.8	3.0	3.8	0.4	3.2	3.6
28	Indonesia	0.9	0.5	1.4	0.8	0.6	1.3
29	Pakistan	0.6	0.3	0.8	0.5	0.3	0.7
	World	**2.8**	**4.0**	**6.8**	**2.9**	**4.2**	**7.0**

** Data pertains to the calendar year 2022 & 2023*

Data pertains to financial year 2022-23 & 2023-24

Note: Insurance Penetration is measured as ratio of premium (in US Dollars) to GDP (in US Dollars).

Source: Swiss Re Institute Sigma No 3/2023 and 3/2024

Statement 2

INTERNATIONAL COMPARISON OF INSURANCE DENSITY

(In USD)

S.No.	Country*	2022			2023		
		Life	Non-Life	Total	Life	Non-Life	Total
	America						
1	USA	2,017	6,868	8,885	2,136	7,504	9,640
2	Canada	1,840	2,552	4,392	1,759	2,507	4,267
3	Brazil	184	168	352	207	183	390
4	Argentina	29	252	281	35	190	225
5	Mexico	118	146	265	154	197	351
	Europe-Middle East-Africa						
6	Switzerland	2,730	3,634	6,364	2,832	3,998	6,830
7	Sweden	4,203	976	5,180	3,202	983	4,185
8	UK	3,669	1,111	4,781	3,466	1,294	4,759
9	Netherlands	657	4,074	4,731	724	4,492	5,216
10	France	2,239	1,339	3,578	2,431	1,435	3,867
11	Germany	1,182	1,699	2,881	1,106	1,804	2,910
12	Italy	1,966	750	2,716	1,878	830	2,708
13	Spain	601	832	1,433	835	909	1,744
14	South Africa	614	149	764	577	141	718
15	Saudi Arabia	14	393	407	19	454	472
16	Turkey	21	133	154	27	197	224
17	Russia	47	87	134	57	98	155
	Asia Pacific						
18	Singapore	6,074	1,489	7,563	6,264	1,536	7,799
19	Taiwan	2,656	1,006	3,662	2,285	1,022	3,307
20	South Korea#	1,705	1,836	3,541	1,635	1,968	3,603
21	Australia	609	2,149	2,758	584	2,174	2,759
22	Japan#	1,942	748	2,690	2,245	693	2,938
23	New Zealand	373	1,395	1,768	205	1,533	1,738
24	Malaysia#	432	159	592	425	165	590
25	China	255	234	489	274	234	508
26	Thailand	235	134	369	244	140	384
27	**India#**	**70**	**22**	**92**	**70**	**25**	**95**
28	Indonesia	43	26	68	38	28	66
29	Pakistan	8	4	12	7	4	11
	World	**354**	**499**	**853**	**361**	**528**	**889**

** Data pertains to the calendar year 2022 & 2023*
Data pertains to financial year 2022-23 & 2023-24
Note: Insurance Density is measured as ratio of premium (in US Dollars) to Population
Source: Swiss Re Institute sigma No 3/2023 and 3/2024

Statement 3

PREMIUM UNDERWRITTEN BY LIFE INSURERS (WITHIN INDIA)

(₹ in Crore)

S.No.	Insurer	2022-23	2023-24
1	Acko Life Insurance Ltd.*	-	36.52
2	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	15,069.69	17,260.12
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	2,289.00	2,697.37
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	1,317.45	1,346.86
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	19,461.43	23,043.04
6	Bandhan Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as Aegon Life)	369.95	430.91
7	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	2,920.58	2,908.30
8	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	7,197.38	7,128.70
9	Credit Access Life Insurance Ltd.*	-	97.00
10	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	1,690.47	1,932.09
11	Future Generali Life Insurance Co. Ltd.	1,758.01	1,810.54
12	Go Digit Life Insurance Ltd.*	-	426.36
13	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	57,533.42	63,076.48
14	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	39,932.78	43,235.64
15	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	6,074.53	6,973.83
16	Kotak Mahindra Insurance Co. Ltd.	15,320.46	17,708.38
17	Max Life Insurance Co. Ltd.	25,341.91	29,528.97
18	PNB Metlife Life India Insurance Co. Ltd.	8,785.21	9,732.28
19	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	1,495.39	1,919.38
20	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	5,122.10	5,536.90
21	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.[$]	44.19	$
22	SBI Life Insurance Co. Ltd.	67,315.60	81,430.64
23	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	2,546.40	3,507.54
24	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	5,746.37	6,717.87
25	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	20,503.50	25,691.82
	Private Total	**3,07,835.83**	**3,54,177.54**
		(16.34)	(15.05)
26	Life Insurance Corporation of India	4,74,668.14	4,75,751.92
		(10.90)	(0.23)
	Industry Total	**7,82,503.97**	**8,29,929.46**
		(12.98)	**(6.06)**

Note: Figures in the brackets represent the growth over the previous year in per cent.

**Acko Life Insurance Ltd. and Credit Access Life Insurance Ltd. have received Certificate of Registration on 31.03.2023 and Go Digit Life Insurance Ltd. has received Certificate of Registration on 09.06.2023.*

$ Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd. (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 02.06.2023 and the above data /information for the FY 2023-24 does not include data /information pertaining to SILIC.

Statement 4

LINKED AND NON-LINKED PREMIUM OF LIFE INSURERS FOR 2023-24

(₹ Crore)

S.No.	Insurer	Linked Premium					Non-Linked Premium					Total Premium				
		First Year	Single	New Business (First Year + Single)	Renewal	Total Premium	First Year	Single	New Business (First Year + Single)	Renewal	Total Premium	First Year	Single	New Business (First Year + Single)	Renewal	Total Premium
1.	Acko Life Insurance Ltd.*	-	-	-	-	-	0.37	36.14	36.52	0.00	36.52	0.37	36.14	36.52	-	36.52
2.	Aditya Birla Sun Life Ins. Co. Ltd.	760.07	1,570.76	2,330.83	1,879.99	4,210.82	2,517.68	3,251.17	5,768.85	7,280.45	13,049.30	3,277.75	4,821.93	8,099.68	9,160.44	17,260.12
3.	Ageas Federal Life Ins. Co. Ltd.	195.82	299.88	495.69	327.96	823.66	378.67	326.21	704.88	1,168.84	1,873.71	574.48	626.09	1,200.57	1,496.80	2,697.37
4.	Aviva Life Insurance Co. India Ltd.	169.65	9.29	178.94	247.17	426.11	147.44	31.48	178.91	741.84	920.75	317.09	40.76	357.85	989.01	1,346.86
5.	Bajaj Allianz Life Ins. Co. Ltd.	2,438.89	524.89	2,963.78	4,075.43	7,039.21	3,829.30	4,700.76	8,530.07	7,473.77	16,003.84	6,268.20	5,225.65	11,493.85	11,549.20	23,043.04
6.	Bandhan Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as Aegon Life)	0.10	0.25	0.35	55.62	55.98	13.26	104.02	117.28	257.66	374.94	13.36	104.27	117.63	313.28	430.91
7.	Bharti AXA Life Ins. Co. Ltd.	98.28	16.11	114.39	188.85	303.24	524.77	141.57	666.34	1,938.72	2,605.06	623.05	157.68	780.73	2,127.57	2,908.30
8.	Canara HSBC Life Ins. Co. Ltd.	652.16	15.60	667.77	1,515.30	2,183.07	1,041.71	1,191.60	2,233.31	2,712.32	4,945.63	1,693.87	1,207.21	2,901.08	4,227.62	7,128.70
9.	Credit Access Life Insurance Ltd.*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00
10.	Edelweiss Tokio Life Ins. Co. Ltd.	92.24	42.16	134.40	235.67	370.07	418.77	25.21	443.98	1,118.04	1,562.02	511.00	67.38	578.38	1,353.71	1,932.09
11.	Future Generali India Life Ins. Co. Ltd.	61.59	3.46	65.05	64.24	129.29	533.41	10.72	544.13	1,137.11	1,681.25	595.00	14.18	609.18	1,201.35	1,810.54
12.	Go Digit Life Insurance Ltd.*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	420.32	426.36	0.00	426.36	6.04	420.32	426.36	0.00	426.36
13.	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	3,844.58	2,369.59	6,214.17	8,518.79	14,732.96	7,266.24	16,150.95	23,417.19	24,926.33	48,343.52	11,110.82	18,520.54	29,631.36	33,445.12	63,076.48
14.	ICICI Prudential Life Ins. Co. Ltd.	3,528.64	2,081.29	5,609.93	13,980.91	19,590.84	3,502.90	9,566.00	13,068.90	10,575.91	23,644.81	7,031.54	11,647.28	18,678.82	24,556.82	43,235.64
15.	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	294.13	87.83	381.96	1,152.29	1,534.25	1,033.20	1,559.86	2,593.05	2,846.52	5,439.58	1,327.33	1,647.69	2,975.01	3,998.81	6,973.83
16.	Kotak Mahindra Life Ins. Co. Ltd.	1,821.47	1,083.33	2,904.80	1,433.47	4,338.26	2,540.45	3,211.60	5,752.05	7,618.07	13,370.12	4,361.92	4,294.93	8,656.85	9,051.53	17,708.38
17.	Max Life Insurance Co. Ltd.	2,469.06	69.14	2,538.20	4,646.47	7,184.67	4,420.34	4,064.56	8,484.91	13,859.40	22,344.30	6,889.40	4,133.71	11,023.10	18,505.87	29,528.97
18.	PNB MetLife India Ins. Co. Ltd.	764.13	124.16	888.29	1,137.18	2,025.48	1,649.05	872.66	2,521.71	5,185.09	7,706.80	2,413.18	996.82	3,410.00	6,322.28	9,732.28
19.	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	19.19	1.47	20.66	24.13	44.80	169.30	915.85	1,085.15	789.43	1,874.58	188.49	917.32	1,105.81	813.57	1,919.38
20.	Reliance Nippon Life Ins. Co. Ltd	262.88	9.83	272.71	770.45	1,043.16	918.31	39.37	957.68	3,536.06	4,493.74	1,181.19	49.19	1,230.38	4,306.51	5,536.90
21.	Sahara India Life Ins. Co. Ltd. $			-		-			-		-	-	-	-	-	-
22.	SBI Life Insurance Co. Ltd.	11,557.74	2,303.72	13,861.46	26,765.53	40,626.99	5,918.01	18,458.85	24,376.85	16,426.79	40,803.65	17,475.74	20,762.57	38,238.31	43,192.33	81,430.64
23.	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	47.96	19.31	67.27	30.27	97.54	1,166.14	637.16	1,803.30	1,606.70	3,410.00	1,214.10	656.47	1,870.57	1,636.97	3,507.54
24.	Star Union Dai-ichi Life Ins. Co. Ltd.	395.72	61.09	456.81	423.02	879.83	1,288.59	1,571.21	2,859.81	2,978.23	5,838.04	1,684.32	1,632.30	3,316.62	3,401.25	6,717.87
25.	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	3,291.03	187.95	3,478.98	3,811.10	7,290.08	4,420.58	998.81	5,419.39	12,982.35	18,401.75	7,711.61	1,186.76	8,898.37	16,793.45	25,691.82
	Private Total	**32,765.33**	**10,881.10**	**43,646.44**	**71,283.86**	**1,14,930.29**	**43,704.54**	**68,383.08**	**1,12,087.62**	**1,27,159.63**	**2,39,247.25**	**76,469.87**	**79,264.18**	**1,55,734.05**	**1,98,443.49**	**3,54,177.54**
26.	Life Insurance Corporation of India	747.97	3,699.42	4,447.39	2,092.13	6,539.52	38,289.98	1,79,934.03	2,18,224.01	2,50,988.39	4,69,212.40	39,037.95	1,83,633.45	2,22,671.40	2,53,080.52	4,75,751.92
	Industry Total	**33,513.30**	**14,580.53**	**48,093.83**	**73,375.99**	**1,21,469.81**	**81,994.52**	**2,48,317.10**	**3,30,311.63**	**3,78,148.02**	**7,08,459.65**	**1,15,507.82**	**2,62,897.63**	**3,78,405.45**	**4,51,524.01**	**8,29,929.46**

**Acko Life Insurance Ltd. and Credit Access Life Insurance Ltd. have received Certificate of Registration from the Authority on 31.03.2023 and Go Digit Life Insurance Ltd. has received Certificate of Registration from the Authority on 09.06.2023.*

$ Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd. (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 02.06.2023 and the above data /information for the FY 2023-24 does not include data /information pertaining to SILIC.

Statement 5

SEGMENT-WISE TOTAL PREMIUM OF LIFE INSURERS FOR 2023-24

(₹ in Crore)

LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating				Participating				Both	
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Health	(0.00)	132.23	-	132.22	-	-	-	-	132.22	0.11
Life	29,870.16	63,303.29	13,285.36	1,06,458.82	-	0.64	-	0.64	1,06,459.45	87.64
Pension	3,643.12	9,939.75	1,295.17	14,878.04	-	0.09	-	0.09	14,878.13	12.25
Variable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**33,513.29**	**73,375.27**	**14,580.53**	**1,21,469.08**	**-**	**0.72**	**-**	**0.72**	**1,21,469.80**	**100.00**

NON-LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating				Participating				Both	
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	3,190.58	2,446.63	30,738.72	36,375.93	-	2.16	-	2.16	36,378.09	5.13
Health	53.65	491.79	6.09	551.54	-	-	-	-	551.54	0.08
Life	33,563.31	83,806.95	1,05,673.10	2,23,043.35	40,561.56	2,87,305.48	5,563.76	3,33,430.80	5,56,474.15	78.55
Pension	4,302.51	2,947.77	1,04,148.72	1,11,399.00	145.07	993.24	28.83	1,167.13	1,12,566.13	15.89
Variable	45.83	51.62	2,138.99	2,236.44	132.02	102.39	18.91	253.31	2,489.75	0.35
Total	**41,155.87**	**89,744.76**	**2,42,705.62**	**3,73,606.26**	**40,838.64**	**2,88,403.27**	**5,611.49**	**3,34,853.41**	**7,08,459.66**	**100.00**

LINKED AND NON-LINKED (INDIVIDUAL AND GROUP)

Type	Non-Participating				Participating				Both	
	First Year	Renewal	Single	Total	First Year	Renewal	Single	Total	Grand Total	Percentage
Annuity	3,190.58	2,446.63	30,738.72	36,375.93	-	2.16	-	2.16	36,378.09	4.38
Health	53.65	624.02	6.09	683.76	-	-	-	-	683.76	0.08
Life	63,433.47	1,47,110.24	1,18,958.45	3,29,502.17	40,561.56	2,87,306.11	5,563.76	3,33,431.44	6,62,933.60	79.88
Pension	7,945.63	12,887.52	1,05,443.89	1,26,277.04	145.07	993.33	28.83	1,167.22	1,27,444.26	15.36
Variable	45.83	51.62	2,138.99	2,236.44	132.02	102.39	18.91	253.31	2,489.75	0.30
Total	**74,669.16**	**1,63,120.03**	**2,57,286.15**	**4,95,075.34**	**40,838.64**	**2,88,403.99**	**5,611.49**	**3,34,854.13**	**8,29,929.46**	**100.00**

Note: Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd. (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 02.06.2023 and the above data /information for the FY 2023-24 does not include data /information pertaining to SILIC.

Statement 6

EQUITY SHARE CAPITAL OF LIFE INSURERS

(₹ in Crore)

S. No.	Insurer	As on March 31, 2023	Infusion during the year	As on March 31, 2024	Indian Promoters/ Investors	Foreign Promoters/ Investors	Foreign Investment %
1	Acko Life Insurance Ltd.*	-	140.05	140.05	140.05	-	-
2	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	1,938.23	48.28	1,986.51	1,013.12	973.39	49.00
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	800.00	-	800.00	208.00	592.00	74.00
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	2,189.90	-	2,189.90	569.37	1,620.53	74.00
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	150.71	-	150.71	111.52	39.18	26.00
6	Bandhan Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as Aegon Life)	1,477.73	365.00	1,842.73	1,842.73	-	-
7	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	3,706.20	135.00	3,841.20	3,841.20	-	-
8	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	950.00	-	950.00	703.00	247.00	26.00
9	Credit Access Life Insurance Ltd.*	-	168.00	168.00	43.68	124.32	74.00
10	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	915.55	-	915.55	687.43	228.12	24.92
11	Future Generali Life Insurance Co. Ltd.	2,445.82	153.50	2,599.32	675.86	1,923.46	74.00
12	Go Digit Life Insurance Ltd.*	-	121.19	121.19	79.08	42.11	34.75
13	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2,149.40	1.54	2,150.94	1,501.11	649.83	30.21
14	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1,438.57	2.05	1,440.62	899.34	541.27	37.57
15	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	754.37	-	754.37	558.23	196.14	26.00
16	Kotak Mahindra Insurance Co. Ltd.	510.29	-	510.29	510.29	-	-
17	Max Life Insurance Co. Ltd.	1,918.81	-	1,918.81	1,918.81	-	-
18	PNB Metlife Life India Insurance Co. Ltd.	2,012.88	-	2,012.88	1,028.27	984.61	48.92
19	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	374.06	-	374.06	190.77	183.29	49.00
20	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	1,196.32	-	1,196.32	610.12	586.20	49.00
21	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	232.00	-	232.00	232.00	-	-
22	SBI Life Insurance Co. Ltd.	1,000.89	0.57	1,001.46	733.14	268.33	26.79
23	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	177.85	1.32	179.17	137.91	41.26	23.03
24	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	338.96	-	338.96	183.25	155.72	45.94
25	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	1,953.50	980.00	2,933.50	1,496.09	1,437.42	49.00
	Private Total	**28,632.05**	**2,116.50**	**30,748.55**	**19,914.39**	**10,834.17**	**35.23**
26	Life Insurance Corporation of India	6,325.00	-	6,325.00	6,312.91	12.09	0.19
	Total	**34,957.05**	**2,116.50**	**37,073.55**	**26,227.30**	**10,846.26**	**29.26**

**Acko Life Insurance Ltd., and Credit Access Life Insurance Ltd. have received Certificate of Registration from the Authority on 31.03.2023 and Go Digit Life Insurance Ltd. has received Certificate of Registration from the Authority on 09.06.2023.*

Statement 7

GROSS DIRECT PREMIUM OF GENERAL AND HEALTH INSURERS (WITHIN AND OUTSIDE INDIA)

(₹ in Crore)

S.No.	Insurer	2022-23	2023-24
1.	Acko General Insurance Ltd	1,509.41	1,870.28
2.	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	15,336.64	20,472.68
3.	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	6,155.99	7,532.89
4.	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	4,546.24	4,910.90
5.	Go Digit General Insurance Ltd.	6,160.08	7,941.09
6.	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	16,635.81	18,567.56
7.	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	21,025.09	24,776.11
8.	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	9,870.95	9,835.08
9.	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	1,134.09	1,587.11
10.	Kshema General Insurance Ltd.	-	568.50
11.	Liberty General Insurance Ltd.	1,957.33	2,155.03
12.	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	2,534.12	3,044.19
13.	Navi General Insurance Ltd.	70.59	70.48
14.	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	379.94	295.89
15.	Reliance General Insurance Co. Ltd.	10,339.01	11,688.82
16.	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	3,379.75	3,637.10
17.	SBI General Insurance Co. Ltd.	10,828.40	12,553.57
18.	Shriram General Insurance Co. Ltd.	2,265.78	3,036.05
19.	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	13,176.01	15,090.90
20.	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	4,103.09	4,622.19
21.	Zuno General Insurance Co. Ltd.	533.51	833.80
	Private Sector Insurers Total	**1,31,941.83**	**1,55,090.19**
		20.22%	**17.54%**
22.	National Insurance Co. Ltd.	15,205.85	15,180.29
23.	The New India Assurance Co. Ltd.	37,482.04	40,363.83
24.	The Oriental Insurance Co. Ltd.	15,992.61	18,794.13
25.	United India Insurance Co. Ltd.	17,644.31	19,852.96
	Public Sector Insurers Total	**86,324.81**	**94,191.20**
		10.20%	**9.11%**
26.	Agriculture Insurance Co of India Ltd	14,619.79	9,940.58
27.	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	1,197.53	1,270.77
	Specialized Insurers Total	**15,817.32**	**11,211.34**
		5.12%	**-29.12%**
28.	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	2,717.03	3,701.32
29.	Care Health Insurance Ltd.	5,141.53	6,864.46
30.	Galaxy Health and Allied Insurance Co. Ltd.#	-	-
31.	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd.	1,359.79	1,691.49
32.	Narayana Health Insurance Ltd.#	-	-
33.	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	4,073.03	5,607.57
34.	Reliance Health Insurance Ltd. $	-	-
35.	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.	12,952.47	15,254.45
	Standalone Health Insurers Total	**26,243.85**	**33,119.30**
		25.77%	**26.20%**
	Grand Total	**2,60,327.82**	**2,93,612.04**
		16.22%	**12.79%**

Note: *Figure in percentage indicate growth in percent over previous year.*
Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

$ Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance
Started Operations in FY 2024-25

Statement 8

SEGMENT-WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME OF GENERAL AND HEALTH INSURERS(WITHIN INDIA)

(₹ in Crore)

S.No	Insurer	Fire		Marine		Motor		Health+PA+Travel		Others		Total	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1.	Acko General Insurance Ltd.	(0.02)	-	-	-	659.96	830.58	736.00	898.09	113.47	141.61	1,509.41	1,870.28
2.	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	2,158.64	2,394.95	286.60	300.14	5,348.55	5,847.78	3,372.78	6,942.97	4,170.07	4,986.83	15,336.64	20,472.68
3.	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	660.56	714.92	123.04	131.08	4,345.12	4,963.53	893.28	1,104.16	133.99	619.20	6,155.99	7,532.89
4.	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	481.82	551.36	109.39	114.28	1,701.06	1,740.64	879.61	1,628.20	1,374.36	876.42	4,546.24	4,910.90
5.	Go Digit General Insurance Ltd.	417.36	486.95	34.66	37.28	4,000.27	5,471.27	933.33	1,605.61	774.45	339.98	6,160.08	7,941.09
6.	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	1,710.01	1,795.96	219.85	186.36	4,644.38	5,275.35	5,716.43	6,538.16	4,345.13	4,771.73	16,635.81	18,567.56
7.	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	3,052.48	3,368.32	744.29	763.77	8,582.27	9,633.65	5,592.29	7,116.74	3,053.76	3,893.63	21,025.09	24,776.11
8.	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	944.73	970.02	302.13	305.42	4,133.56	4,371.25	2,169.52	1,646.03	2,321.01	2,542.36	9,870.95	9,835.08
9.	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	70.42	78.98	17.59	9.06	515.89	748.48	483.37	689.70	46.83	60.89	1,134.09	1,587.11
10.	Kshema General Insurance Ltd.	-	0.00	-	-	-	-	-		-	568.50	-	568.50
11.	Liberty General Insurance Ltd.	82.93	79.44	38.84	35.36	1,382.55	1,579.71	313.11	336.09	139.91	124.42	1,957.33	2,155.03
12.	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	317.68	313.14	33.26	38.98	1,860.50	2,073.53	251.99	511.58	70.70	106.96	2,534.12	3,044.19
13.	Navi General Insurance Ltd.	(0.69)	(1.02)	-	27.71	15.93	43.55	55.57	0.02	-	70.59	70.48	
14.	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	22.29	11.35	0.01	(0.00)	273.66	189.58	14.56	27.93	69.43	67.02	379.94	295.89
15.	Reliance General Insurance Co. Ltd.	1,004.32	1,112.16	128.47	137.57	4,036.22	4,360.96	1,560.54	2,053.68	3,609.45	4,024.45	10,339.01	11,688.82
16.	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	294.91	301.11	51.66	54.32	2,470.94	2,571.83	475.98	609.98	86.27	99.85	3,379.75	3,637.10
17.	SBI General Insurance Co. Ltd.	1,618.94	1,817.73	84.02	82.97	2,710.68	3,560.11	3,293.86	3,999.34	3,120.91	3,093.43	10,828.40	12,553.57
18.	Shriram General Insurance Co. Ltd.	79.60	89.31	2.01	2.12	2,085.21	2,777.93	60.78	119.80	38.17	46.89	2,265.78	3,036.05
19.	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	1,880.38	2,074.97	679.75	676.33	6,692.85	7,437.49	2,770.21	3,133.81	1,152.82	1,768.30	13,176.01	15,090.90
20.	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	222.87	247.73	46.49	58.11	1,819.12	2,116.47	488.88	595.27	1,525.73	1,604.61	4,103.09	4,622.19
21.	Zuno General Insurance Co. Ltd.	27.20	35.75	1.12	0.80	299.63	396.96	197.37	394.76	8.18	5.52	533.51	833.80
	Private Sector Insurer Total	**15,046.44**	**16,443.11**	**2,903.17**	**2,933.96**	**57,590.14**	**65,963.05**	**30,247.44**	**40,007.47**	**26,154.66**	**29,742.60**	**1,31,941.83**	**1,55,090.19**
22.	National Insurance Co. Ltd.	1,180.00	1,189.83	275.94	275.35	5,087.80	5,034.95	7,403.16	7,448.94	1,201.10	1,164.48	15,148.00	15,113.56

Contd... **Statement 8**

SEGMENT-WISE GROSS DIRECT PREMIUM INCOME OF GENERAL AND HEALTH INSURERS(WITHIN INDIA)

(₹ in Crore)

S.No	Insurer	Fire		Marine		Motor		Health+PA+Travel		Others		Total	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
23.	The New India Assurance Co. Ltd.	4,238.05	4,393.58	977.83	983.98	8,974.60	9,518.07	17,338.57	18,874.60	2,955.00	3,226.35	34,484.05	36,996.58
24.	The Oriental Insurance Co. Ltd.	1,589.10	1,557.18	465.38	470.96	3,642.23	4,217.20	8,747.80	8,995.42	1,170.40	3,048.28	15,614.91	18,289.04
25.	United India Insurance Co. Ltd.	1,882.54	2,082.82	436.34	427.23	5,985.27	7,047.27	7,682.68	8,248.22	1,657.47	2,047.42	17,644.31	19,852.96
	Public Sector Insurer Total	**8,889.69**	**9,223.41**	**2,155.49**	**2,157.53**	**23,689.90**	**25,817.49**	**41,172.21**	**43,567.17**	**6,983.97**	**9,486.54**	**82,891.26**	**90,252.13**
	Specialized Insurer												
26.	Agriculture Insurance Co of India Ltd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14,619.79	9,940.58	14,619.79	9,940.58
27.	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,197.53	1,270.77	1,197.53	1,270.77
	Specialized Insurer Total	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**15,817.32**	**11,211.34**	**15,817.32**	**11,211.34**
28.	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,717.03	3,701.32	NA	NA	2,717.03	3,701.32
29.	Care Health Insurance Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5,141.53	6,864.46	NA	NA	5,141.53	6,864.46
30.	Galaxy Health and Allied Insurance Co. Ltd.#												
31.	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,359.79	1,691.49	NA	NA	1,359.79	1,691.49
32.	Narayana Health Insurance Ltd.#												
33.	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,073.03	5,607.57	NA	NA	4,073.03	5,607.57
34.	Reliance Health Insurance Ltd.@	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35.	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12,952.47	15,254.45	NA	NA	12,952.47	15,254.45
	Standalone Health Insurer Total	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**26,243.85**	**33,119.30**	**NA**	**NA**	**26,243.85**	**33,119.30**
	Grand Total	**23,936.12**	**25,666.52**	**5,058.66**	**5,091.49**	**81,280.04**	**91,780.54**	**97,663.50**	**1,16,693.95**	**48,955.94**	**50,440.48**	**2,56,894.27**	**2,89,672.97**

Note:

NA indicates that insurer's business was not in operation during the corresponding financial year or in the corresponding segment.
Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.
@Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance
Started Operations in FY 2024-25

Statement 9

EQUITY SHARE CAPITAL OF GENERAL, HEALTH AND RE-INSURERS

(₹ in Crore)

S.No.	Insurer	As on 31st March 2023	Infusion During the Year	As on 31st March 2024	Promoter			Non-promoter (including foreign)	FDI %
					Indian	Foreign	Total	Total	
1.	Acko General Insurance Limited	2146.00	300.00	2446.00	2446.00	0.00	2446.00	0.00	0.00%
2.	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	110.23	0.00	110.23	81.57	28.66	110.23	0.00	26.00%
3.	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	298.81	0.00	298.81	179.28	119.52	298.81	0.00	40.00%
4.	Future Generali India Insurance Company Limited	904.80	301.60	1206.40	597.10	609.31	1206.40	0.00	50.51%
5.	Go Digit General Insurance Limited	874.02	1.15	875.16	841.68	33.49	875.16	0.00	3.83%
6.	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	712.78	2.19	714.97	360.91	350.94	711.85	3.11	49.08%
7.	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	491.13	1.56	492.69	252.60	0.00	252.60	240.09	0.00%
8.	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	287.82	0.00	287.82	146.79	141.03	287.82	0.00	49.00%
9.	Kotak Mahindra General Insurance Company Limited	680.00	195.00	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00%
10.	Kshema General Insurance Limited	111.29	0.00	111.29	111.29	0.00	111.29	0.00	0.00%
11.	Liberty General Insurance Limited	1086.23	0.00	1086.22	557.41	528.81	1086.22	0.00	48.68%
12.	Magma HDI General Insurance Company Limited	246.67	22.63	269.30	259.21	0.00	259.21	10.09	0.00%
13.	Navi General Insurance Limited	495.79	0.00	495.79	495.79	0.00	495.79	0.00	0.00%
14.	Raheja QBE General Insurance Company Limited	371.12	27.23	398.35	203.16	195.19	398.35	0.00	49.00%
15.	Reliance General Insurance Co. Ltd.	252.07	12.77	264.83	261.31	0.00	261.31	3.53	0.00%
16.	Royal Sundaram General Insurance Co. Limited	449.00	0.00	449.00	269.40	179.60	449.00	0.00	40.00%
17.	SBI General Insurance Company Limited	215.65	7.74	223.38	197.71	25.67	223.38	0.00	11.49%
18.	Shriram General Insurance Company Limited	259.16	0.00	259.16	172.71	59.40	232.11	27.05	22.92%
19.	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	994.46	0.00	994.46	735.90	258.56	994.46	0.00	26.00%
20.	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	368.18	0.00	368.18	240.74	127.44	368.18	0.00	34.61%
21.	Zuno General Insurance Company Limited	678.00	193.00	871.00	871.00	0.00		0.00	
	PRIVATE SECTOR TOTAL (A)	**12,033.18938**	**1,064.86255**	**13,098.0519**	**10156.54**	**2657.63**	**12814.17**	**283.88**	**20.29%**
22.	National Insurance Co. Ltd.	9375.00	-	9375.00	9375.00		9375.00		0.00%
23.	The New India Assurance Co. Ltd.	824.00	-	824.00	704.00		704.00	120.00	0.00%
24.	The Oriental Insurance Co. Ltd.	4620.00	-	4620.00	4620.00		4620.00		0.00%
25.	United India Insurance Co. Ltd.	3905.00	-	3905.00	3905.00		3905.00		0.00%
	PUBLIC SECTOR TOTAL (B)	**18724.0000**	**0.0000**	**18724.0000**	**18604.00**	**0.00**	**18604.00**	**120.00**	**0.00%**
	TOTAL (PRIVATE + PUBLIC) (A+B)	**30,757.1894**	**1,064.8626**	**31,822.0519**	**28760.54**	**2657.63**	**31418.17**	**403.88**	**8.35%**

EQUITY SHARE CAPITAL OF GENERAL, HEALTH AND RE-INSURERS

(₹ in Crore)

S.No.	Insurer	As on 31st March 2023	Infusion During the Year	As on 31st March 2024	Promoter			Non-promoter (including foreign)	FDI %
					Indian	Foreign	Total	Total	
	SPECIALISED INSURERS								
26.	Agriculture Insurance Co of India Ltd	200.00	-	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00%
27.	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	4,338.00	-	4338.00	4338.00	0.00	4338.00	0.00	0.00%
	SPECIALISED INSURERS TOTAL (C)	**4,538.00**	-	**4,538.00**	**4538.00**	**0.00**	**4538.00**	-	**0.00%**
28.	Aditya Birla Health insurance Co. Limited	507.58	0.20	507.78	233.01	223.87	456.87	50.91	44.09%
29.	Care Health Insurance Ltd.	942.23	29.81	972.04	817.73	-	817.73	154.31	0.00%
30.	Galaxy Health and Allied Insurance Company Limited#	-	300.25	300.25	300.25	-	-	-	0.00%
31.	ManipalCigna Health Insurance Company Limited	1,344.04	182.41	1526.44	777.87	747.37	1525.24	1.20	48.96%
32.	Narayana Health Insurance Limited#	-	100.05	100.05	100.05	-	-	-	0.00%
33.	Niva Bupa Health Insurance Company Ltd.	1,510.68	188.86	1699.53	478.67	1069.99	1548.66	150.88	62.96%
34.	Reliance Health Insurance Limited@	193.90	-	193.90	193.90	-	193.90	-	0.00%
35.	Star Health and Allied Insurance Company Limited	581.68	3.61	585.28	319.34	-	319.34	265.95	0.00%
	STANDALONE HEALTH INSURERS TOTAL (D)	**5,080.1035**	**805.1818**	**5,885.2853**	**3220.82**	**2041.23**	**5262.04**	**623.25**	**34.68%**
	General and Health Insurers Total(A+B+C+D)	**40,375.29**	**1,870.04**	**42,245.34**	**36,519.36**	**4,698.85**	**41,218.22**	**1027.12**	**11.12%**
36.	Public Sector Reinsurer - General Insurance Corporation	877.20	-	877.20	877.20	-	877.20	-	0.00%
	REINSURERS TOTAL (E)	**877.20**	-	**877.20**	**877.20**	-	**877.20**	-	**0.00%**
	GRAND TOTAL (F) = (A+B+C+D+E)	**41,252.49**	**1,870.04**	**43,122.54**	**37396.56**	**4698.85**	**42095.42**	**1027.12**	**10.90%**

Note:
Indirect FDI not considered.
Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.
Infusion during the year includes cancellation, reduction and fresh issue of shares
@Takeover of Reliance Health Insurance portfolio by Reliance General Insurance
Started Operations in FY 2024-25

INCURRED CLAIMS RATIO OF GENERAL & HEALTH INSURERS (WITHIN INDIA)

S.No.	Insurer	Incurred Claims Ratio (%)											
		Fire		Marine		Motor		Health		Others		Total	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1.	Acko General Insurance Limited	94.50%	0.00%	-	0.00%	86.94%	85.95%	83.88%	56.91%	70.37%	89.50%	84.28%	69.57%
2.	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	35.23%	47.36%	64.95%	60.42%	74.48%	71.84%	74.27%	84.96%	74.53%	61.42%	72.92%	73.80%
3.	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	39.49%	78.47%	62.85%	76.32%	75.33%	75.05%	67.88%	66.67%	18.17%	68.06%	71.24%	73.66%
4.	Future Generali India Insurance Company Limited	36.33%	79.55%	86.58%	54.66%	64.72%	68.10%	79.18%	84.62%	62.31%	57.35%	65.91%	71.85%
5.	Go Digit General Insurance Ltd.	38.20%	85.70%	91.11%	80.21%	68.76%	62.31%	71.87%	93.87%	56.41%	80.83%	67.23%	70.32%
6.	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	58.44%	87.37%	136.43%	90.15%	78.09%	100.61%	79.04%	80.98%	84.28%	77.78%	79.94%	87.70%
7.	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	49.32%	62.23%	72.42%	73.38%	72.40%	65.21%	77.33%	78.85%	65.64%	75.42%	72.36%	70.79%
8.	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	53.48%	103.75%	83.46%	75.67%	83.34%	81.04%	111.18%	107.46%	68.28%	73.61%	88.57%	86.33%
9.	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	50.69%	31.30%	138.48%	310.97%	80.53%	73.25%	56.01%	59.06%	35.56%	26.96%	69.50%	65.56%
10.	Kshema General Insurance Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.54%
11.	Liberty General Insurance Limited	26.98%	31.83%	105.82%	92.97%	73.73%	75.69%	74.17%	79.92%	42.93%	53.73%	72.30%	75.29%
12.	Magma HDI General Insurance Company Limited	26.55%	41.47%	187.70%	190.33%	73.36%	78.86%	72.10%	87.46%	422.87%	72.22%	72.62%	79.88%
13.	Navi General Insurance Limited	6.08%	-2.57%	-	-	136.77%	61.84%	59.28%	59.40%	81.79%	-34.09%	76.11%	52.40%
14.	Raheja QBE General Insurance Company Limited	119.94%	-291.26%	-358.18%	-3576.10%	83.02%	78.09%	138.67%	106.27%	40.98%	47.08%	78.48%	77.91%
15.	Reliance General Insurance Co. Ltd.	28.98%	50.46%	94.27%	98.94%	79.62%	78.19%	86.31%	89.42%	77.43%	86.30%	77.20%	81.06%
16.	Royal Sundaram General Insurance Co. Limited	34.19%	81.85%	62.93%	71.20%	79.29%	74.91%	83.36%	92.06%	-94.73%	33.87%	76.99%	77.62%
17.	SBI General Insurance Company Limited	51.70%	88.29%	134.13%	161.67%	89.97%	84.53%	73.92%	87.86%	74.99%	78.40%	78.73%	85.90%
18.	Shriram General Insurance Company Limited	29.03%	68.26%	-94.29%	23.01%	69.86%	63.57%	51.53%	47.47%	31.08%	45.33%	68.33%	63.00%
19.	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	46.77%	64.85%	89.81%	92.50%	73.81%	66.98%	78.33%	77.94%	47.54%	71.46%	73.60%	71.43%
20.	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	55.33%	92.02%	77.54%	131.39%	83.46%	77.30%	82.84%	105.76%	54.08%	71.93%	78.18%	81.74%
21.	Zuno General Insurance Company Limited	2.95%	84.17%	482.79%	1247.72%	79.83%	75.63%	89.59%	88.45%	104.18%	77.73%	82.21%	82.64%
	Private Sector Insurers' Average	**44.11%**	**69.67%**	**87.90%**	**83.50%**	**75.60%**	**73.30%**	**80.09%**	**83.49%**	**69.58%**	**74.98%**	**75.13%**	**76.49%**
22.	National Insurance Co. Ltd.	87.54%	82.61%	23.42%	29.14%	108.81%	111.21%	102.35%	90.83%	117.20%	75.24%	100.85%	95.90%
23.	The New India Assurance Co. Ltd.	62.27%	80.08%	65.24%	48.14%	97.52%	100.64%	103.33%	105.87%	68.88%	56.84%	95.59%	97.36%
24.	The Oriental Insurance Co. Ltd.	61.73%	105.69%	61.20%	87.48%	106.66%	102.09%	130.09%	101.96%	51.00%	82.44%	112.14%	98.89%
25.	United India Insurance Co. Ltd.	58.47%	77.99%	59.16%	48.23%	103.43%	86.95%	89.57%	109.23%	90.63%	90.48%	92.85%	96.50%
	Public Sector Insurers' Average	**66.96%**	**83.46%**	**56.89%**	**54.01%**	**102.55%**	**99.57%**	**105.77%**	**103.16%**	**78.15%**	**75.26%**	**99.02%**	**97.23%**
26.	Agriculture Insurance Co of India Ltd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	94.35%	95.59%	94.35%	95.59%
27.	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-74.70%	-90.25%	-74.70%	-90.25%
	Specialized Insurers' Average	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**73.71%**	**66.58%**	**73.71%**	**66.58%**
28.	Aditya Birla Health insurance Co. Limited	NA	NA	NA	NA	NA	NA	64.68%	68.31%	NA	NA	64.68%	68.31%
29.	Care Health Insurance Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	53.82%	57.69%	NA	NA	53.82%	57.69%
30.	Galaxy Health and Allied Insurance Co. Ltd.#	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31.	ManipalCigna Health Insurance Company Limited	NA	NA	NA	NA	NA	NA	64.66%	63.78%	NA	NA	64.66%	63.78%
32.	Narayana Health Insurance Limited#	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33.	Niva Bupa Health Insurance Company Ltd	NA	NA	NA	NA	NA	NA	54.05%	59.02%	NA	NA	54.05%	59.02%
34.	Reliance Health Insurance Ltd.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35.	Star Health and Allied Insurance Company Limited	NA	NA	NA	NA	NA	NA	65.00%	66.47%	NA	NA	65.00%	66.47%
	Standalone Health Insurers' Average	NA	NA	NA	NA	NA	NA	61.44%	63.63%	NA	NA	61.44%	63.63%
	GRAND TOTAL	**57.99%**	**78.33%**	**75.13%**	**72.39%**	**84.48%**	**81.98%**	**87.27%**	**86.35%**	**73.10%**	**72.78%**	**82.95%**	**82.52%**

Note:

Health includes Personal Accident.

NA indicates that insurer's business was not in operation during the corresponding financial year or in the corresponding segment. Reclassification/Regrouping in the previous year's figures, if any, by the insurer has not been considered.

Started Business Operations in FY 2024-25.

Statement 11

SOLVENCY RATIO OF LIFE INSURERS

	Insurer	June 2023	September 2023	December 2023	March 2024
	Public Sector				
1	Life Insurance Corporation of India	1.89	1.90	1.93	1.98
	Private Sector				
2	Acko Life Insurance Ltd.	2.76	2.74	2.67	2.36
3	Aditya Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	1.80	1.88	1.91	1.78
4	Bandhan Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as Aegon Life)	2.67	2.54	2.47	2.48
5	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	3.22	3.22	3.13	2.97
6	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	1.85	1.89	1.88	1.83
7	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	4.75	4.66	4.46	4.32
8	Bharti AXA Life Insurance Co.y Ltd.	1.70	1.66	1.63	1.62
9	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	2.44	2.29	2.20	2.13
10	Credit Access Life Insurance Ltd.	3.28	3.21	3.38	3.35
11	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	2.16	1.95	1.87	1.79
12	Future Generali India Life Insurance Co. Ltd.	2.40	2.22	2.04	1.83
13	Go Digit Life Insurance Ltd.	1.82	1.56	2.45	2.07
14	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2.00	1.94	1.90	1.87
15	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	2.03	1.99	1.96	1.92
16	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	2.25	2.15	2.12	2.01
17	Kotak Mahindra Life Insurance Ltd.	2.68	2.70	2.66	2.56
18	MaxLife Insurance Co. Ltd.	1.88	1.84	1.79	1.72
19	PNB Metlife India Insurance Co. Ltd.	1.81	1.74	1.70	1.71
20	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	3.49	3.04	2.82	2.62
21	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	2.23	2.22	2.19	2.27
22	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.***	-	-	-	-
23	SBI Life Insurance Co. Ltd.	2.15	2.12	2.09	1.96
24	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	1.98	1.92	1.95	2.06
25	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	2.18	2.03	2.02	2.03
26	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	1.78	2.05	1.95	1.75

**** Life Insurance Business of Sahara India Life Insurance Company Limited has been transferred to SBI Life Insurance Company Limited vide IRDAI order no IRDAI/F&I/ORD/MISC/119/6/2023 dated 2nd June, 2023.*

Statement 12

SOLVENCY RATIO OF GENERAL, HEALTH AND REINSURANCE COMPANIES

S. No.	Insurer	June 2023	September 2023	December 2023	March 2024
	Private Sector Insurer				
1	Acko General Insurance Ltd.	2.24	2.77	2.18	1.89
2	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	3.88	3.52	3.55	3.49
3	Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.	1.96	1.89	1.79	1.79
4	Future Generali India Insurance Co. Ltd.	2.27	2.25	2.28	2.26
5	Go Digit General Insurance Ltd.	1.69	1.62	1.60	1.61
6	HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.	1.85	1.91	1.87	1.68
7	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	2.53	2.59	2.57	2.62
8	IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd.	1.68	1.77	1.68	1.72
9	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	1.98	1.85	1.62	1.85
10	Kshema General Insurance Ltd.	-	1.71	1.73	1.80
11	Liberty General Insurance Ltd.	1.97	1.79	1.73	1.76
12	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	2.32	2.02	2.10	2.05
13	Navi General Insurance Ltd.	2.88	3.60	3.81	3.93
14	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	2.01	2.33	2.22	2.01
15	Reliance General Insurance Co. Ltd.	1.57	1.68	1.59	1.62
16	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd.	2.62	2.62	2.54	2.42
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	2.03	1.98	1.97	2.25
18	Shriram General Insurance Co. Ltd.	4.83	4.66	4.30	4.02
19	Tata AIG General Insurance Co. Ltd.	1.96	2.16	2.13	2.09
20	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	1.72	1.73	1.73	1.80
21	Zuno General Insurance Co. Ltd.	1.67	1.92	1.76	1.72
	Public Sector Insurers				
22	National Insurance Co. Ltd.	-0.43	-0.35	-0.37	-0.45
23	The New India Assurance Co. Ltd.	1.85	1.7	1.72	1.81
24	The Oriental Insurance Co. Ltd.	-1.03	-0.92	-0.88	-1.06
25	United India Insurance Co. Ltd.	-0.42	-0.38	-0.48	-0.59
	Specialized Insurers				
26	Agriculture Insurance Co of India Ltd	2.64	2.67	3.01	3.34
27	Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.	48.88	47.50	47.64	47.87
	Stand-alone Health Insurers				
28	Aditya Birla Health insurance Co. Ltd	2.39	2.13	1.73	1.67
29	Care Health Insurance Ltd.	1.80	1.73	1.73	1.74
30	ManipalCigna Health Insurance Co. Ltd	1.62	1.57	1.56	1.66
31	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd	1.74	1.62	2.56	2.55
32	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd	2.18	2.13	2.23	2.21
	Reinsurer				
33	General Insurance Corporation of India	2.88	2.82	2.94	3.25

Statement 13

SOLVENCY RATIO OF BRANCHES OF FOREIGN RE-INSURERS

S. No.	Branches of Foreign Re-insurers	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024
1	Allianz Global	2.64	4.02
2	AXA France Vie	2.42	8.66
3	Factory Mutual	2.92	3.38
4	Gen Re	2.06	2.36
5	Hannover Re	2.25	2.34
6	Lloyd's of India	2.53	2.92
7	Munich Re	1.79	1.83
8	RGA Life	2.41	2.52
9	SCOR SE	4.01	3.05
10	Swiss Re	3.88	2.04
11	XL SE Insurance	3.00	3.62

Statement 14

GROSS REINSURANCE PREMIUM OF REINSURERS INCLUDING FRBS (₹ CRORE)

Sl No	Reinsurer	Indian Business		Foreign Business		Total	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1	GIC Re	25,384.50	25,804.02	11,207.09	11,377.73	36,591.59	37,181.76
	FRBs						
2	Swiss Re	2,377.17	7,723.37	-1.81	4.75	2,375.36	7,728.12
3	Munich Re	9,410.89	10,114.45	119.82	121.37	9,530.71	10,235.81
4	AXA France Vie	979.25	85.81	-	-	979.25	85.81
5	SCOR SE	761.70	2,513.17	-	-	761.70	2,513.17
6	XL SE	185.49	287.01	-	-	185.49	287.01
7	Hannover Re	2,558.26	2,078.66	0.55	1.58	2,558.81	2,080.24
8	RGA Life	310.84	356.46	0.63	0.16	311.47	356.62
9	Gen Re	870.55	1,012.65	-	-	870.55	1,012.65
10	Markel(Lloyd's)	131.91	150.00	-	-	131.91	150.00
11	Allianz Global	189.77	208.55	55.83	54.64	245.59	263.18
12	Factory Mutual	135.17	218.91	-	-	135.17	218.91
	FRBs Total	**17,910.99**	**24,749.03**	**175.01**	**182.49**	**18,085.99**	**24,931.52**
	Grand Total	**43,295.49**	**50,553.05**	**11,382.10**	**11,560.23**	**54,677.58**	**62,113.28**

Statement 15

ASSIGNED CAPITAL OF BRANCHES OF FOREIGN RE-INSURERS

(₹ Crore)

S. No.	Branches of Foreign Re-insurers	As on March 31, 2023	Infusion During the Year	As on March 31, 2024
1	Allianz Global	286.97	61.88	348.85
2	AXA France Vie	730.76	1.11	731.87
3	Factory Mutual	160.80	0.00	160.80
4	Gen Re	959.70	0.00	959.70
5	Hannover Re	886.86	-109.83	777.03
6	Lloyd's of India	105.00	0.00	105.00
7	Munich Re	4,641.10	0.00	4,641.10
8	RGA Life	3,463.97	296.74	3,760.71
9	SCOR SE	975.16	0.00	975.16
10	Swiss Re	3,126.88	0.00	3,126.88
11	XL SE Insurance	233.35	0.00	233.35
	TOTAL	**15,570.55**	**249.90**	**15,820.45**

Statement 16

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS (AS ON 31st MARCH)

(₹ in Crore)

S.No.	Insurer	LIFE FUND											
		Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total (Life Fund)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Acko Life Insurance Ltd.	-	84.45		-		35.00	-	39.12	-	0.67	-	**159.25**
2.	Aditya Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	16,059.28	21,758.80	1,669.28	1,761.17	6,953.56	7,297.72	4,298.12	6,021.17	575.67	629.70	29,555.91	**37,468.56**
3.	Bandhan Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as Aegon Life)	1,183.31	1,136.62	498.61	663.23	670.91	674.35	756.38	885.69	25.02	-	3,134.23	**3,359.90**
4.	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	3,011.66	3,086.04	3,517.80	3,852.72	1,854.33	2,025.12	1,345.39	2,063.25	77.95	38.96	9,807.13	**11,066.09**
5.	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	5,047.38	5,318.73	1,804.48	2,323.46	1,466.44	1,678.11	254.08	157.42	19.10	38.09	8,591.48	**9,515.82**
6.	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	19,325.61	21,379.30	4,209.50	7,197.85	6,581.41	5,572.80	11,376.08	13,547.00	873.67	700.42	42,366.27	**48,397.37**
7.	Bharti AXA Life Insurance Co.y Ltd.	5,218.28	6,187.60	1,818.31	1,903.61	1,936.96	2,202.19	1,308.74	1,882.03	265.32	194.63	10,547.62	**12,370.07**
8.	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	4,363.04	5,149.56	3,232.44	4,913.62	2,486.75	2,496.06	1,716.50	2,755.79	141.75	32.46	11,940.49	**15,347.49**
9.	Credit Access Life Insurance Ltd.	-	80.68	-	9.90	-	27.42	-	23.36	-	7.88	-	**149.25**
10.	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	2,384.27	2,947.34	106.39	222.81	729.84	1,039.88	851.67	880.81	484.10	428.03	4,556.28	**5,518.87**
11.	Future Generali India Life Ins. Co. Ltd.	3,528.61	3,900.67	392.89	383.57	918.24	1,089.55	420.51	737.22	2.24	46.02	5,262.48	**6,157.03**
12.	Go Digit Life Insurance Ltd.	-	148.00	-	-	-	52.88	-	74.64	-	5.74	-	**281.27**
13.	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	58,304.52	75,563.14	10,888.03	15,623.67	19,217.11	23,328.08	19,729.44	20,608.32	2,453.18	2,304.08	1,10,592.27	**1,37,427.29**
14.	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	49,060.76	59,456.82	5,863.60	6,658.14	13,823.73	16,485.93	15,047.08	17,616.84	2,197.10	1,919.25	85,992.27	**1,02,136.98**
15.	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	2,471.37	3,982.38	2,705.33	3,380.85	1,656.71	2,064.83	1,144.57	1,648.09	71.59	65.00	8,049.57	**11,141.14**
16.	Kotak Mahindra Life Insurance Ltd.	24,503.26	29,818.68	1,653.22	2,881.55	6,543.82	7,584.34	4,661.72	4,698.40	738.96	1,054.63	38,100.98	**46,037.61**
17.	MaxLife Insurance Co. Ltd.	44,935.22	52,802.12	7,516.72	8,549.34	13,592.36	17,056.56	13,811.04	14,552.85	2,315.77	3,062.34	82,171.12	**96,023.21**
18.	PNB Metlife India Insurance Co. Ltd.	12,438.72	13,773.52	5,064.19	6,335.23	7,462.50	6,948.44	3,798.30	6,570.94	255.32	218.20	29,019.04	**33,846.33**
19.	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	2,984.52	3,400.07	476.69	793.97	1,284.03	1,234.13	647.35	684.22	37.10	43.97	5,429.69	**6,156.36**
20.	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	13,725.38	15,017.27	3,663.89	4,446.89	3,906.44	4,963.80	1,748.48	2,047.62	125.74	102.98	23,169.94	**26,578.57**
21.	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.*	671.60	-	196.94	-	449.67	-	87.38	-	17.62	-	1,423.21	-
22.	SBI Life Insurance Co. Ltd.	41,780.24	53,870.24	5,643.23	5,689.37	15,232.49	17,701.27	19,077.33	20,949.77	2,308.97	2,489.20	84,042.26	**1,00,699.85**
23.	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	2,634.56	3,226.27	2,053.84	2,428.35	2,051.73	2,061.50	950.08	1,783.27	58.30	72.69	7,748.52	**9,572.08**
24.	Star Union Dai-ichi Life Ins. Co. Ltd.	6,052.11	6,225.62	1,684.49	3,425.75	1,878.45	2,593.15	1,051.46	1,193.30	94.09	165.16	10,760.60	**13,602.98**
25.	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	30,673.74	41,094.88	88.12	69.76	8,035.26	10,042.74	5,073.14	6,883.38	649.39	1,164.02	44,519.65	**59,254.78**
	PRIVATE TOTAL	**3,50,357.44**	**4,29,408.82**	**64,747.98**	**83,514.80**	**1,18,732.76**	**1,36,255.88**	**1,09,154.85**	**1,28,304.51**	**13,787.95**	**14,784.12**	**6,56,780.99**	**7,92,268.13**
26.	Life Insurance Corporation of India	12,71,063.52	13,77,418.00	6,02,679.07	6,63,690.00	2,15,210.22	2,43,610.00	6,45,442.42	7,61,159.76	1,27,204.88	83,637.03	28,61,600.11	31,29,514.79
	INDUSTRY TOTAL	**16,21,420.96**	**18,06,826.82**	**6,67,427.05**	**7,47,204.80**	**3,33,942.98**	**3,79,865.88**	**7,54,597.27**	**8,89,464.27**	**1,40,992.84**	**98,421.15**	**35,18,381.10**	**39,21,782.92**

*Note:*Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 2.6.2023 and the above data / information for the FY 2023-24 does not include data / information pertaining to SILIC.*

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS (AS ON 31st MARCH)

(₹ in Crore)

S.No.	Insurer	PENSION AND GENERAL ANNUITY & GROUP FUND							
		Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Approved Investments		Total (Pension & General Annuity & Group Fund)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Acko Life Insurance Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Aditya Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	4,438.32	5,138.37	979.92	1,278.81	4,405.46	5,871.65	9,823.70	12,288.83
3.	Bandhan Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as Aegon Life)	4.19	4.20	-	-	0.98	1.50	5.17	5.70
4.	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	327.02	342.20	226.81	266.81	357.20	487.28	911.03	1,096.29
5.	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	217.08	205.35	13.89	34.22	44.90	43.05	275.86	282.62
6.	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	7,504.17	7,041.53	1,888.51	3,197.89	4,051.04	5,479.54	13,443.72	15,718.96
7.	Bharti AXA Life Insurance Co.y Ltd.	180.76	266.09	136.54	129.13	307.20	291.54	624.50	686.76
8.	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	1,211.95	1,347.00	1,283.13	1,531.71	2,791.85	3,169.54	5,286.93	6,048.25
9.	Credit Access Life Insurance Ltd.	-	31.95	-	-	-	35.22	-	67.17
10.	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	211.63	206.42	6.02	6.02	60.78	87.93	278.43	300.37
11.	Future Generali India Life Ins. Co. Ltd.	270.01	261.57	288.48	265.84	577.95	553.21	1,136.45	1,080.61
12.	Go Digit Life Insurance Ltd.	-	67.25	-	-	-	50.41	-	117.66
13.	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	24,155.59	27,457.43	10,563.35	16,315.63	12,481.68	10,394.66	47,200.62	54,167.72
14.	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	10,250.67	11,739.36	2,127.40	2,838.83	4,014.05	5,262.73	16,392.12	19,840.92
15.	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	1,771.54	2,070.31	2,258.18	2,217.58	1,612.30	1,704.88	5,642.02	5,992.77
16.	Kotak Mahindra Life Insurance Ltd.	1,958.85	3,002.84	478.20	716.70	683.29	784.26	3,120.33	4,503.80
17.	MaxLife Insurance Co. Ltd.	1,871.41	2,867.78	1,106.33	2,622.90	1,680.57	1,734.65	4,658.30	7,225.32
18.	PNB Metlife India Insurance Co. Ltd.	1,512.50	1,684.56	353.55	546.54	341.03	549.06	2,207.08	2,780.16
19.	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	600.90	777.64	129.66	196.64	703.46	934.15	1,434.03	1,908.43
20.	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	176.45	191.64	135.48	148.65	29.85	52.87	341.78	393.16
21.	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.*	3.23	-	-	-	-	-	3.23	-
22.	SBI Life Insurance Co. Ltd.	26,620.13	33,116.91	14,599.67	17,636.85	16,896.06	17,631.11	58,115.86	68,384.87
23.	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	230.35	253.08	247.25	358.26	321.77	413.88	799.37	1,025.22
24.	Star Union Dai-ichi Life Ins. Co. Ltd.	1,447.49	2,183.88	1,873.62	2,417.46	1,854.97	2,245.74	5,176.07	6,847.07
25.	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	2,666.42	3,748.80	62.28	49.54	557.32	763.09	3,286.02	4,561.42
	PRIVATE TOTAL	**87,630.66**	**1,04,006.15**	**38,758.26**	**52,776.01**	**53,773.70**	**58,541.94**	**1,80,162.61**	**2,15,324.09**
	Life Insurance Corporation of India	4,73,237.81	5,26,422.68	4,54,229.43	4,95,529.32	2,28,408.24	2,37,073.12	11,55,875.49	12,59,025.12
	INDUSTRY TOTAL	**5,60,868.46**	**6,30,428.83**	**4,92,987.69**	**5,48,305.33**	**2,82,181.95**	**2,95,615.06**	**13,36,038.10**	**14,74,349.21**

Note:"Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 2.6.2023 and the above data / information for the FY 2023-24 does not include data / information pertaining to SILIC.*

Contd... **Statement 16**

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF LIFE INSURERS (AS ON 31st MARCH)

(₹ in Crore)

S.No.	Insurer	UNIT LINKED FUND							
		Approved Government Securities		Other Investments Other Approved Securities		Total (ULIP Funds)		Total (All Funds)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Acko Life Insurance Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	**159.25**
2.	Aditya Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	28,965.03	33,388.17	1,542.38	2,617.48	30,507.41	36,005.65	69,887.02	**85,763.04**
3.	Bandhan Life Insurance Co. Ltd. (Formerly known as Aegon Life)	841.24	987.33	115.18	71.72	956.42	1,059.06	4,095.82	**4,424.66**
4.	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	3,727.79	4,584.82	236.02	244.69	3,963.81	4,829.51	14,681.97	**16,991.89**
5.	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	3,130.24	3,744.37	344.83	299.75	3,475.07	4,044.12	12,342.41	**13,842.56**
6.	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	30,518.59	39,814.13	3,067.58	3,869.96	33,586.17	43,684.09	89,396.16	**1,07,800.42**
7.	Bharti AXA Life Insurance Co.y Ltd.	1,584.78	2,088.85	181.37	156.79	1,766.14	2,245.64	12,938.26	**15,302.47**
8.	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	11,752.65	14,611.13	1,186.80	1,306.46	12,939.45	15,917.59	30,166.88	**37,313.33**
9.	Credit Access Life Insurance Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	**216.42**
10.	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	1,567.42	1,880.49	178.58	220.13	1,746.00	2,100.62	6,580.71	**7,919.86**
11.	Future Generali India Life Ins. Co. Ltd.	626.87	643.59	65.89	95.79	692.76	739.38	7,091.69	**7,977.02**
12.	Go Digit Life Insurance Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	**398.93**
13.	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	71,368.11	86,590.37	7,833.36	8,951.25	79,201.47	95,541.62	2,36,994.36	**2,87,136.63**
14.	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1,22,498.98	1,38,033.18	21,559.07	26,809.21	1,44,058.06	1,64,842.39	2,46,442.45	**2,86,820.29**
15.	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	7,119.65	8,629.24	619.15	892.67	7,738.81	9,521.91	21,430.40	**26,655.82**
16.	Kotak Mahindra Life Insurance Ltd.	20,809.61	25,752.40	1,931.83	2,933.42	22,741.44	28,685.82	63,962.74	**79,227.23**
17.	MaxLife Insurance Co. Ltd.	32,940.95	40,147.39	2,309.29	4,031.88	35,250.23	44,179.27	1,22,079.65	**1,47,427.80**
18.	PNB Metlife India Insurance Co. Ltd.	7,925.28	10,354.13	468.59	439.44	8,393.87	10,793.57	39,619.99	**47,420.06**
19.	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	333.85	334.00	25.13	23.61	358.98	357.62	7,222.69	**8,422.41**
20.	Reliance Nippon Life Ins. Co. Ltd.	6,347.60	7,378.38	617.76	694.50	6,965.35	8,072.88	30,477.08	**35,044.61**
21.	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.*	66.61	-	4.59	-	71.20	-	1,497.64	-
22.	SBI Life Insurance Co. Ltd.	1,51,231.09	2,00,070.78	12,024.45	15,939.49	1,63,255.54	2,16,010.27	3,05,413.66	**3,85,094.99**
23.	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	406.48	491.46	22.35	29.05	428.83	520.51	8,976.71	**11,117.81**
24.	Star Union Dai-ichi Life Ins. Co. Ltd.	2,540.37	3,407.94	240.82	135.56	2,781.19	3,543.50	18,717.86	**23,993.55**
25.	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	18,801.21	27,848.82	3,135.63	5,133.81	21,936.84	32,982.63	69,742.51	**96,798.83**
	PRIVATE TOTAL	**5,25,104.38**	**6,50,780.97**	**57,710.65**	**74,896.68**	**5,82,815.03**	**7,25,677.65**	**14,19,758.63**	**17,33,269.87**
	LIC	**25,419.06**	**34,435.96**	**760.86**	**603.76**	**26,179.92**	**35,039.72**	**40,43,655.51**	**44,23,579.63**
	INDUSTRY TOTAL	**5,50,523.44**	**6,85,216.93**	**58,471.51**	**75,500.44**	**6,08,994.95**	**7,60,717.37**	**54,63,414.15**	**61,56,849.50**

Note:"Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 2.6.2023 and the above data / information for the FY 2023-24 does not include data / information pertaining to SILIC.*

Statement 17

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF GENERAL,HEALTH, SPECIALIZED & REINSURERS (AS ON 31ST MARCH)

(₹ in Crore)

Sl. No	Insurer	Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Loans to State Government for Housing and FFE		Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total Investments	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	ACKO GENERAL	546.35	731.88	153.33	126.27	277.17	247.24	265.11	196.85	693.20	1,065.21	-	-	1,935.16	2,367.45
2	BAJAJ ALLIANZ	15,393.86	14,742.52	3,440.04	3,582.59	2,476.93	1,518.55	1,838.33	3,239.97	3,477.28	6,216.47	157.49	235.56	26,783.94	29,535.66
3	CHOLAMANDALAM MS	6,460.68	6,300.51	3,117.87	3,820.32	2,055.74	957.17	2,059.83	2,560.30	892.61	2,742.19	96.19	120.82	14,682.91	16,501.32
4	FUTURE GENERALI	1,669.09	1,866.14	1,838.26	1,996.58	795.96	723.02	1,353.16	1,434.93	1,090.43	1,455.73	26.19	25.42	6,773.11	7,501.82
5	GO DIGIT	8,415.89	8,600.74	241.54	319.31	956.00	999.60	1,390.01	1,985.77	1,240.06	3,155.21	56.44	174.14	12,299.93	15,234.76
6	HDFC ERGO	4,686.39	6,210.43	4,694.16	5,690.12	2,007.87	1,943.32	4,702.71	5,366.00	5,894.81	6,197.80	228.40	58.54	22,214.34	25,466.21
7	ICICI LOMBARD	14,107.09	13,528.96	5,460.16	6,589.24	3,748.86	2,680.93	6,166.80	7,077.87	11,653.61	16,342.83	1,839.18	1,717.42	42,975.70	47,937.25
8	IFFCO TOKIO	5,395.73	5,825.36	3,213.33	3,513.90	1,839.21	1,801.82	3,527.74	2,403.17	2,602.18	4,032.49	3.22	1.55	16,581.41	17,578.29
9	KOTAK MAHINDRA	875.10	1,104.51	187.42	95.04	323.83	250.21	39.99	310.77	317.46	519.83	-	15.00	1,743.80	2,295.36
10	KSHEMA*	-	124.10	-	23.11	-	14.98	-	64.82	-	175.13	-	-	-	402.13
11	LIBERTY	836.49	942.26	769.76	928.72	449.54	329.95	675.07	800.82	977.54	1,037.51	-	-	3,708.40	4,039.26
12	MAGMA HDI	2,064.52	2,237.69	778.75	1,018.59	452.85	486.19	1,025.92	1,414.94	847.06	1,760.97	89.94	89.95	5,259.04	7,008.32
13	NAVI GENERAL	169.05	312.24	107.52	10.01	59.66	24.83	103.24	101.41	13.05	37.25	37.04	34.99	489.56	520.73
14	RAHEJA QBE	363.40	317.08	-	-	120.34	55.00	204.26	200.87	162.08	310.12	-	-	850.08	883.06
15	RELIANCE	5,301.03	5,905.95	2,912.85	3,686.19	1,343.55	2,039.40	1,726.62	2,335.41	5,284.58	6,053.56	439.41	416.76	17,008.04	20,437.27
16	ROYAL SUNDARAM	1,833.76	2,771.12	1,366.37	1,268.19	901.43	751.25	1,486.80	1,052.67	1,677.18	2,107.44	369.85	523.45	7,635.38	8,474.11
17	SBI GENERAL	3,467.31	3,785.33	1,932.39	2,250.17	1,393.38	1,115.66	2,410.83	2,951.37	3,664.48	6,924.10	215.40	597.83	13,083.79	17,624.46
18	SHRIRAM GENERAL	3,615.54	3,700.20	5.30	57.32	2,200.14	1,898.62	2,675.79	2,658.83	2,813.73	3,494.69	4.66	187.99	11,315.16	11,997.64
19	TATA AIG	5,196.80	6,072.50	3,873.90	4,508.89	1,459.19	1,083.98	3,383.63	3,721.78	7,488.99	9,984.87	1,163.41	1,482.40	22,565.92	26,854.43
20	UNIVERSAL SOMPO	1,275.99	1,181.13	451.56	443.36	573.36	521.32	744.02	874.85	1,322.98	1,528.02	18.61	60.15	4,386.52	4,608.84
21	ZUNO GENERAL	151.60	314.61	42.98	30.96	96.36	126.81	114.18	111.40	176.97	453.66	68.02	60.47	650.11	1,097.91
	PRIVATE SECTOR TOTAL	**81,825.66**	**86,575.27**	**34,587.51**	**39,958.87**	**23,531.35**	**19,569.84**	**35,894.03**	**40,864.79**	**52,290.28**	**75,595.08**	**4,813.45**	**5,802.43**	**2,32,942.29**	**2,68,366.28**
22	NATIONAL	6,228.15	6,032.81	6,441.15	5,667.46	2,454.52	2,214.85	2,749.95	2,510.25	9,431.66	10,870.67	1,215.50	615.31	28,520.92	27,911.35
23	NEW INDIA	16,839.99	13,717.74	18,928.37	18,193.63	3,151.89	3,697.29	7,284.92	7,404.51	7,906.46	16,866.25	2,239.01	863.65	56,350.64	60,743.08
24	ORIENTAL	4,865.45	4,646.37	8,445.84	7,718.80	1,278.23	1,225.95	2,229.93	2,093.18	3,350.18	5,253.09	914.66	573.55	21,084.29	21,510.94
25	UNITED INDIA	8,539.22	8,288.91	8,715.28	8,483.65	2,098.81	1,924.44	3,978.21	3,919.62	7,639.10	8,899.65	1,789.34	1,103.31	32,759.96	32,619.58
	PUBLIC SECTOR TOTAL	**36,472.81**	**32,685.83**	**42,530.64**	**40,063.54**	**8,983.44**	**9,062.53**	**16,243.02**	**15,927.57**	**28,327.40**	**41,889.66**	**6,158.50**	**3,155.82**	**1,38,715.81**	**1,42,784.95**

** Started operations in FY2023-24*

Contd... **Statement 17**

ASSETS UNDER MANAGEMENT OF GENERAL,HEALTH, SPECIALIZED & REINSURERS (AS ON 31ST MARCH)

(₹ in Crore)

Sl. No	Insurer	Central Government Securities		State Government & Other Approved Securities		Housing & Loans to State Government for Housing and FFE		Infrastructure Investments		Approved Investments		Other Investments		Total Investments	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
26	ADITYA BIRLA HEALTH	1,189.87	1,102.54	898.30	983.94	118.57	149.86	93.90	153.74	653.23	916.56	-	-	2,953.87	3,306.63
27	CARE HEALTH	1,565.56	1,942.93	275.85	534.08	386.56	401.47	1,568.43	1,914.78	1,272.81	1,802.02	12.74	9.72	5,081.95	6,605.00
28	MANIPAL CIGNA	341.16	377.06	365.51	412.68	126.15	105.59	264.45	357.80	322.59	439.55	7.24	2.67	1,427.10	1,695.35
29	NIVA BUPA	692.58	1,131.89	360.69	607.05	393.66	497.94	831.85	1,496.91	881.91	1,524.50	208.44	199.08	3,369.14	5,457.36
30	STAR HEALTH	3,118.74	3,582.12	1,619.60	1,563.18	936.23	1,465.78	1,666.11	1,828.97	5,512.96	6,162.48	536.11	784.79	13,389.76	15,387.31
	STANDALONE HEALTHTOTAL	**6,907.92**	**8,136.53**	**3,519.95**	**4,100.92**	**1,961.17**	**2,620.64**	**4,424.76**	**5,752.19**	**8,643.49**	**10,845.10**	**764.53**	**996.26**	**26,221.81**	**32,451.65**
31	GIC OF INDIA	21,917.08	23,005.82	24,449.86	28,131.47	6,289.70	6,398.89	8,236.00	11,506.97	21,356.13	24,911.90	3,926.63	2,344.23	86,175.41	96,299.27
	REINSURER TOTAL	**21,917.08**	**23,005.82**	**24,449.86**	**28,131.47**	**6,289.70**	**6,398.89**	**8,236.00**	**11,506.97**	**21,356.13**	**24,911.90**	**3,926.63**	**2,344.23**	**86,175.41**	**96,299.27**
32	AIC	4,240.98	4,021.50	4,377.51	4,090.35	2,047.57	2,015.75	998.16	977.54	4,158.74	4,186.52	52.04	72.00	15,875.00	15,363.66
33	ECGC	3,326.90	3,413.27	3,448.01	3,924.84	1,181.66	1,022.44	3,218.05	3,168.94	4,234.73	4,457.79	166.46	146.67	15,575.82	16,133.94
	SPECIALIZED INSURER TOTAL	**7,567.89**	**7,434.77**	**7,825.52**	**8,015.19**	**3,229.22**	**3,038.19**	**4,216.22**	**4,146.48**	**8,393.47**	**8,644.31**	**218.50**	**218.67**	**31,450.82**	**31,497.60**
34	ALLIANZ GLOBAL	155.82	196.06	122.21	120.18	-	24.84	157.40	75.17	44.71	79.71	-	-	480.14	495.96
35	AXA FRANCE VIE	1,133.10	875.72	26.66	26.05	110.89	100.27	-	108.07	150.61	-	-	-	1,421.26	1,110.11
36	FACTORY MUTUAL	144.14	166.80	-	-	-	15.62	-	35.59	-	-	-	-	144.14	218.01
37	GENERAL REINSURANCE AG INDIA BRANCH	917.29	1,045.85	-	76.07	-	75.09	247.77	219.49	-	34.70	-	-	1,165.06	1,451.20
38	HANNOVER RE	1,831.33	1,785.03	15.77	15.46	-	174.11	392.00	533.49	371.42	640.35	-	-	2,610.52	3,148.44
39	MUNICH RE	5,767.60	6,561.71	-	-	334.19	269.40	1,899.91	2,718.64	-	-	-	-	8,001.70	9,549.75
40	RGA LIFE	2,721.57	3,189.16	-	-	-	-	611.13	604.16	30.75	59.42	-	-	3,363.45	3,852.74
41	SCOR SE	1,851.15	2,191.70	-	-	-	194.91	225.05	314.13	220.06	-	-	-	2,296.26	2,700.74
42	SWISS RE	3,899.59	5,061.37	-	-	650.46	643.01	647.06	851.30	-	-	-	-	5,197.11	6,555.68
43	XL INSURANCE CO.SE	457.87	487.13	-	-	80.46	70.31	71.46	71.19	-	-	-	-	609.79	628.63
	FRBs TOTAL	**18,879.46**	**21,560.53**	**164.64**	**237.76**	**1,176.00**	**1,567.56**	**4,251.78**	**5,531.23**	**817.55**	**814.18**	**-**	**-**	**25,289.43**	**29,711.26**
	GRAND TOTAL	***1,73,570.81***	***1,79,398.74***	***1,13,078.12***	***1,20,507.75***	***45,170.89***	***42,257.65***	***73,265.80***	***83,729.23***	***1,19,828.33***	***1,62,700.23***	***15,881.62***	***12,517.41***	***5,40,795.58***	***6,01,111.02***

ANNEXURES

Annexure 1

LIST OF REGISTERED INSURERS/REINSURERS OPERATING IN INDIA (As on 31st March 2024)

Life Insurers

PUBLIC SECTOR

1 Life Insurance Corporation of India

PRIVATE SECTOR

1 Acko Life Insurance Co. Ltd
2 Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd
3 Aegon Life Insurance Co. Ltd
4 Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd
5 Aviva Life Insurance Co. Ltd
6 Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd
7 Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd
8 Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd
9 CreditAccess Life Insurance Ltd
10 Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd
11 Future Generali India Life Insurance Co. Ltd
12 Go Digit Life Insurance Co. Ltd
13 HDFC Life Insurance Co. Ltd
14 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd
15 IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd
16 Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd
17 Max Life Insurance Co. Ltd
18 PNB MetLife India Insurance Co. Ltd
19 Pramerica Life Insurance Co. Ltd
20 Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd
21 Sahara India Life Insurance Co. Ltd
22 SBI Life Insurance Co. Ltd
23 Shriram Life Insurance Co. Ltd
24 Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd
25 Tata AIA Life Insurance Co. Ltd

Non-Life Insurers

PUBLIC SECTOR

1 National Insurance Co. Ltd
2 The New India Assurance Co. Ltd
3 The Oriental Insurance Co. Ltd
4 United India Insurance Co. Ltd

PRIVATE SECTOR

1 Acko General Insurance Ltd.
2 Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd
3 Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd
4 Future Generali India Insurance Co. Ltd
5 Go Digit General Insurance Ltd.
6 HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd
7 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd
8 IFFCO Tokio General Insurance Co. Ltd
9 Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd
10 Kshema General Insurance Co. Limited
11 Liberty General Insurance Ltd
12 Magma HDI General Insurance Co. Ltd
13 NAVI General Insurance Ltd
14 Raheja QBE General Insurance Co. Ltd
15 Reliance General Insurance Co. Ltd
16 Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd
17 SBI General General insurance Co. Ltd
18 Shriram General General Insurance Co. Ltd
19 TATA AIG General Insurance Co. Ltd
20 Universal Sompo General Insurance Co. Ltd
21 Zuno General Insurance Co. Ltd.

SPECIALISED INSURERS (Public Sector)

1 Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.
2 Agriculture Insurance Company of India Ltd

STANDALONE HEALTH INSURERS (PRIVATE SECTOR)

1 Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.
2 Care Health Insurance Ltd.
3 Galaxy Health and Allied Insurance Co. Ltd.
4 Manipal Cigna Health Insurance Co. Ltd.
5 Narayana Health Insurance Ltd.
6 Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.
7 Reliance Health Insurance Ltd.$
8 Star Health and Allied Insurance Co. Ltd.

"Life insurance business of Sahara India Life Insurance Company Ltd (SILIC) is transferred to SBI Life Insurance Company Ltd (SBI Life) by IRDAI vide its Order dt. 2.6.2023"

The Authority vide order ref. No. IRDA/F&A/ORD/SOLP/200/11/2019 dated 06th November, 2019 issued directions to the Reliance Health InsuranceLtd. to stop selling new policies.

LIST OF REGISTERED INSURERS/REINSURERS OPERATING IN INDIA
(As on 31st March 2024)

Reinsurers

Public Sector

1 General Insurance Corporation of India (GIC Re)

Private Sector

Foreign Reinsurers' Branches

1 Allianz Global Corporate & Specialty SE, India
2 Axa France Vie-India Reinsurance Branch
3 General Reinsurance AG-India Branch
4 Hannover Ruck SE-India Branch
5 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft-India Branch
6 RGA Life Reinsurance Company of Canada-India Branch
7 Scor SE-India Branch
8 Swiss Reinsurance Company Ltd. India Branch
9 XL Insurance Company SE, India Reinsurance Branch
10 Factory Mutual Insurance Company, India Branch

Lloyd's

1 Lloyd's India Reinsurance Branch
 i. Markel Services India Private Limited

Annexure 2(i)

MEMBERS' SHARE IN INDIAN MARKET TERRORISM RISK INSURANCE POOL
(₹ Crore)

S.No	Member Company	2022-23		2023-24	
		Per risk Capacity	Share (in %)	Per risk Capacity	Share (in %)
1	General Insurance Corporation of India	333.69	16.68%	333.69	16.68%
2	The New India Assurance Co. Ltd.	333.69	16.68%	333.69	16.68%
3	United India Insurance Co. Ltd.	250.05	12.50%	250.05	12.50%
4	The Oriental Insurance Co. Ltd.	238.31	11.92%	238.31	11.92%
5	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	180.84	9.04%	180.84	9.04%
6	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	106.28	5.31%	106.28	5.31%
7	IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.	78.64	3.93%	78.64	3.93%
8	Reliance General Insurance Co. Ltd.	39.72	1.99%	39.72	1.99%
9	Cholamandalam General Insurance Co. Ltd.	39.06	1.95%	39.06	1.95%
10	Tata-AIG General Insurance Co. Ltd.	31.46	1.57%	31.46	1.57%
11	Future Generali General Insurance Co. Ltd.	28.16	1.41%	28.16	1.41%
12	Royal Sundaram Insurance Co. Ltd.	27.72	1.39%	27.72	1.39%
13	Liberty General Insurance Co. Ltd.	20.81	1.04%	20.81	1.04%
14	National Insurance Co. Ltd.	167.62	8.38%	167.62	8.38%
15	Govt. Insurance Fund, Gujarat	20	1.00%	20	1.00%
16	Shriram General Insurance Co. Ltd.	20	1.00%	20	1.00%
17	SBI General Insurance Co. Ltd.	15.62	0.78%	15.62	0.78%
18	HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.	15	0.75%	15	0.75%
19	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	10.32	0.52%	10.32	0.52%
20	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	10	0.50%	10	0.50%
21	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.	10	0.50%	10	0.50%
22	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd.	1	0.05%	1	0.05%
23	Go Digit General Insurance Ltd.	10	0.50%	10	0.50%
24	Navi General Insurance Co. Ltd.	2	0.10%	2	0.10%
25	Zuno General Insurance Co. Ltd.	10	0.50%	10	0.50%
	Total	**2000**	**100.00%**	**2000**	**100.00%**

Annexure 2(ii)

MEMBERS SHARE IN INDIAN NUCLEAR INSURANCE POOL
(₹ Crore)

S.No	Member Company	2022-23		2023-24	
		Per risk Capacity	Share (in %)	Per risk Capacity	Share (in %)
1	General Insurance Corporation of India	600	40.00%	600	40.00%
2	New India Assurance Company Ltd.	300	20.00%	300	20.00%
3	United India Insurance Company Ltd.	200	13.33%	200	13.33%
4	Oriental Insurance Company Ltd.	100	6.67%	100	6.67%
5	National Insurance Company India	100	6.67%	100	6.67%
6	ICICI Lombard General Insurance Company	100	6.67%	100	6.67%
7	Reliance General Insurance Company Ltd.	20	1.33%	20	1.33%
8	Tata AIG General Insurance Company Ltd.	20	1.33%	20	1.33%
9	IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd.	20	1.33%	20	1.33%
10	Cholamandalam General Insurance Company Ltd.	15	1.00%	15	1.00%
11	SBI General Insurance Company Ltd.	15	1.00%	15	1.00%
12	Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	10	0.67%	10	0.67%
	Total	**1500**	**100.00%**	**1500**	**100.00%**

Annexure 2(iii)

MEMBERS SHARE IN MARINE CARGO EXCLUDED TERRITORIES POOL
(₹ Crore)

S.No	Member Company	2022-23		2023-24	
		Per risk Capacity	Share (in %)	Per risk Capacity	Share (in %)
1	General Insurance Corporation of India	250	51.57%	250	52.21%
2	National Insurance Company India Ltd.	30	6.19%	30	6.27%
3	New India Assurance Company Ltd.	40	8.25%	40	8.35%
4	Oriental Insurance Company Ltd.	30	6.19%	30	6.27%
5	United India Insurance Company	20	4.13%	20	4.18%
6	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	2.5	0.52%	2.5	0.52%
7	Cholamandalam General Insurance Company Ltd.	1	0.21%	1	0.21%
8	Zuno General Insurance Co. Ltd.	0.3	0.06%	0.3	0.06%
9	Go Digit General Insurance Ltd.	3	0.62%	5	1.04%
10	HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd.	6	1.24%	6	1.25%
11	ICICI Lombard General Insurance Company	30	6.19%	30	6.27%
12	IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd.	8	1.65%	8	1.67%
13	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd.	1	0.21%	1	0.21%
14	Magma HDI General Insurance Co. Ltd.	5	1.03%	5	1.04%
15	Reliance General Insurance Company Ltd.	8	1.65%	8	1.67%
16	Royal Sundaram Insurance Co. Ltd.	4	0.83%	4	0.84%
17	SBI General Insurance Company Ltd.	5	1.03%	5	1.04%
18	Shriram General Insurance Co. Ltd.	1	0.21%	1	0.21%
19	Tata AIG General Insurance Company Ltd.	30	6.19%	30	6.27%
20	Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	2	0.41%	2	0.42%
21	Future Generali General Insurance Co. Ltd.	8	1.65%	0	0.00%
	Grand Total	**484.8**	**100.00%**	**478.8**	**100.00%**

Annexure 3

MOTOR THIRD PARTY INSURANCE MARKET SHARE OF GENERAL INSURER in the FY 2023-24

S.No	Insurer	GDP(in Rs Cr)	Market share
1	Acko General	519.23	0.95%
2	Bajaj Allianz	3148.67	5.78%
3	Chola MS	2946.01	5.41%
4	Future Generalli	939.97	1.73%
5	Go Digit	3513.76	6.45%
6	HDFC Ergo	2645.42	4.86%
7	ICICI Lombard	4893.94	8.99%
8	IFFCO Tokio	2206.61	4.05%
9	Kotak Mahindra	323.74	0.59%
10	Kshema General	0.00	0.00%
11	Liberty General	638.26	1.17%
12	Magma HDI	1488.45	2.73%
13	NAVI General	15.47	0.03%
14	Raheja QBE	135.38	0.25%
15	Reliance General	2565.70	4.71%
16	Royal Sundaram	1600.24	2.94%
17	SBI General	1893.48	3.48%
18	Shriram General	2156.97	3.96%
19	Tata AIG	4085.28	7.50%
20	Universal Sompo	1179.28	2.17%
21	Zuno General	188.72	0.35%
22	National	3432.36	6.30%
23	The NewIndia	5993.39	11.01%
24	The Oriental	2958.66	5.43%
25	United India	4986.75	9.16%
	Grand total	**54455.74**	**100%**

NOTE:

Motor Third Party Insurance Market Share of general insurer in the last financial year	Minimum percentage increase in number of Good Carrying, Passenger carrying Vehicles and Tractors (Miscellaneous segment) over last financial year separately for each catgory
Upto 2%	12.5%
2% - 5%	10%
5% - 10%	7.5%
More than 10%	5%

Every insurer shall underwrite a minimum of 5000 goods carrying vehicles, 5000 passenger carrying vehicles and 1,000 tractors (miscellaneous segments) in the first financial year following notification of Regulations

CIRCULARS / ORDERS / GUIDELINES / INSTRUCTIONS ISSUED FROM 1st April, 2023 to 31st March, 2024

Sl No	Reference No.	Department	Date	Notification Type	Subject
1	IRDAI/F&I/CIR/EOM/84/4/2023	FINANCE AND INVESTMENT	5-Apr-23	CIRCULAR	IRDAI (Expenses of Management of insurers transacting Life Insurance business) Regulations 2023 - Clarifications
2	IRDAI/IID/CIR/MISC/86/4/2023	INSURANCE INCLUSION AND DEVELOPMENT	19-Apr-23	CIRCULAR	Circular on WMD & UAPA nodal officer
3	IRDAI/F&I/CIR/RIC/90/4/2023	FINANCE AND INVESTMENT	24-Apr-23	CIRCULAR	Master Circular on Registration of Indian Insurance Company, 2023
4	IRDAI/LIFE/CIR/MISC/99/5/2023	LIFE	3-May-23	CIRCULAR	Instructions to stop the facility of re-payment of loan taken against the insurance policy through Credit Card
5	IRDAI/HLT/CIR/PRO/01/05/2023	HEALTH	10-May-23	CIRCULAR	Surrogacy Act 2021 and ART Act 2021 and the relevant Rules thereunder
6	IRDAI/NL/CIR/SIC/104/5/2023	NON-LIFE	15-May-23	CIRCULAR	Modification of Surety Insurance Guidelines
7	IRDAI/INT/CIR/MISC/108/5/2023	INTERMEDEIARY	19-May-23	CIRCULAR	Dedicated email IDs as single Point(s) of correspondence for the applicants seeking NOC, CoR OR for other related communication
8	IRDAI/F&I/CIR/INV/121/6/2023	FINANCE AND INVESTMENT	5-Jun-23	CIRCULAR	Investments in National Bank for Financing Infrastructure and Development.
9	IRDAI/NL/CIR/GDL/122/6/2023	NON-LIFE	5-Jun-23	CIRCULAR	circular on settlement of claims due to Train accident, Balasore June 2023
10	IRDAI/HLT/CIR/MISC/123/6/2023	HEALTH	8-Jun-23	CIRCULAR	Circular on Creation of facility to capture ABHA number of proposers
11	IRDAI/HLT/CIR/MISC/124/6/2023	HEALTH	8-Jun-23	CIRCULAR	Testing and adoption of Health Claims Exchange (HCX) Specifications and e-claim standards
12	IRDAI/INT/CIR/MISC/129/6/2023	INTERMEDEIARY	13-Jun-23	CIRCULAR	Repealing of redundant Circulars_Guidelines_Clarifications etc
13	IRDAI/NL/CIR/MISC/133/6/2023	NON-LIFE	16-Jun-23	CIRCULAR	Insurance claims relating to Cyclone Biparjoy
14	IRDAI/ACTL/CIR/PRO/135/6/2023	ACTUARIAL	19-Jun-23	CIRCULAR	Use and File Procedure for Life Insurance Products
15	IRDAI/LIFE/CIR/PRO/138/6/2023	LIFE	26-Jun-23	CIRCULAR	Surrogacy Act, 2021 and ART Act, 2021 and the relevant Rules thereunder
16	IRDAI/F&I/CIR/INV/139/6/2023	FINANCE AND INVESTMENT	27-Jun-23	CIRCULAR	Monitoring of Investments in Alternative Investment Fund (AIF)
17	IRDAI/NL/PNT/MISC/140/6/2023	NON-LIFE	28-Jun-23	PUBLIC NOTICE	Caution to General Public on Bhartiyta Cooperative General Insurance Limited

CIRCULARS / ORDERS / GUIDELINES / INSTRUCTIONS ISSUED FROM 1st April, 2023 to 31st March, 2024

Sl No	Reference No.	Department	Date	Notification Type	Subject
18	IRDAI/NL/CIR/MISC/146/7/2023	NON-LIFE	17-Jul-23	CIRCULAR	Insurance claims relating to Floods in Himachal, Punjab, Haryana and Delhi regions
19	IRDAI/F&I/CIR/INV/155/8/2023	FINANCE AND INVESTMENT	4-Aug-23	CIRCULAR	Relaxation for insurers' investments in HDFC Ltd. post merger with HDFC Bank Ltd
20	IRDAI/RBC/CIR/MM/158/8/2023	RISK BASED CAPITAL (RBC)	9-Aug-23	CIRCULAR	Technical Guidance in respect of Indian Risk Based Capital Framework - Quantitative Impact Study
21	IRDAI/NL/PNT/MISC/160/8/2023	NON-LIFE	22-Aug-23	PUBLIC NOTICE	Caution to General Public on un-registered entity by name Surety Seven Providing Surety Insurance
22	IRDAI/NL/CIR/MISC/161/8/2023	NON-LIFE	24-Aug-23	CIRCULAR	Insurance claims relating to Floods in Himachal Pradesh
23	IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/164/8/2023	POLICYHOLDERS' PROTECTION AND GRIEVANCE REDRESSAL	15-Sep-23	CIRCULAR	Directions from TRAI for curbing the menace of Unsolicited Commercial Communication
24	IRDAI/ACTL/CIR/PRO/166/8/2023	ACTUARIAL	31-Aug-23	CIRCULAR	Modifications permitted to withdrawn products of life insurers
25	IRDAI/LIFE/CIR/GDL/174/10/2023	Life	9-Oct-23	GUIDELINES	IRDAI Bima Vahak Guidelines, 2023
26	IRDAI/IID/CIR/MISC/175/10/2023	INSURANCE INCLUSION AND DEVELOPMENT	9-Oct-23	CIRCULAR	Amendment to Circular on Procedure for Implementation of Section 12A of WMD Act, 2005
27	IRDAI/NL/CIR/GDL/176/10/2023	NON-LIFE	9-Oct-23	CIRCULAR	Trade Credit Insurance Guidelines, 2021-Modification to guideline 5.3A - allowing reverse factoring on TReDS platform
28	IRDAI/IID/GDL/MISC/177/10/2023	INSURANCE INCLUSION AND DEVELOPMENT	10-Oct-23	GUIDELINES	Amendment to Master Guidelines on Anti-Money Laundering _ Counter Financing of Terrorism (AML_CFT) 2022
29	IRDAI/NL/CIR/MOTOR/178/10/2023	NON-LIFE	13-Oct-23	CIRCULAR	Mandating of coverage, payment of premium under IMT-29 compulsory as an inbuilt coverage in a private car policy
30	IRDAI/LGL/ORD/CMT/187/10/2023	LEGAL	25-Oct-23	ORDER	Committee for Plain Language for Policy Wordings
31	IRDAI/NL/CIR/MISC/188/10/2023	NON-LIFE	27-Oct-23	CIRCULAR	Amendment of Arbitration Clause in General Insurance policies
32	IRDAI/PP&GR/ORD/CMT/189/10/2023	POLICYHOLDERS' PROTECTION AND GRIEVANCE REDRESSAL	27-Oct-23	ORDER	Taskforce on Bancassurance Channel
33	IRDAI/HLT/CIR/MISC/190/10/2023	HEALTH	30-Oct-23	CIRCULAR	Revision of Customer Information Sheet
34	IRDAI/I&AT/CIR/MISC/194/11/2023	INSURTECH AND ALLIED TECHNOLOGIES	3-Nov-23	CIRCULAR	Participation in Account Aggregator Framework as Financial Information User

CIRCULARS / ORDERS / GUIDELINES / INSTRUCTIONS ISSUED FROM 1st April, 2023 to 31st March, 2024

Sl No	Reference No.	Department	Date	Notification Type	Subject
35	IRDAI/NL/ORD/DTF/196/11/2023	NON-LIFE	3-Nov-23	ORDER	Constitution of the Task Force to suggest applicable framework post De-Tariffication of erstwhile tariffs
36	IRDAI/INT/CIR/IB /206/11/2023	INTERMEDEIARY	24-Nov-23	CIRCULAR	Discontinuation of filing of certain returns by insurers and insurance brokers
37	IRDAI/NL/CIR/MISC/215/12/2023	NON-LIFE	11-Dec-23	CIRCULAR	Insurance Claims relating to Cyclone Michaung
38	IRDAI/NL/CIR/MISC/216/12/2023	NON-LIFE	18-Dec-23	CIRCULAR	Insurance Claims relating to Cyclone Michaung and subsequent heavy rains/floods
39	IRDAI/NL/CIR/MOTOR/2/1/2024	NON-LIFE	5-Jan-24	CIRCULAR	Compliance with MoRTH notification in view of Motor Vehicles (Amendment) Act,2019
40	IRDAI/F&I/CIR/INV/3/1/2024	FINANCE AND INVESTMENT	5-Jan-24	CIRCULAR	Investments in Infrastructure Dept Funds-NBFC
41	IRDAI/REIN/CIR/RISF/4/1/2024	REINSURANCE	5-Jan-24	CIRCULAR	Submission of advance reinsurance program
42	IRDAI/HLT/CIR/GDL/31/1/2024	HEALTH	31-Jan-24	CIRCULAR	Guidelines on providing AYUSH coverage in Health Insurance Policies
43	IRDAI/HLT/CIR/PRO/32/1/2024	HEALTH	31-Jan-24	CIRCULAR	Modification in products for PWD, HIV/ AIDS and with mental issues
44	IRDAI/IFRS/ORD/CMT/40/2/2024	IFRS/IND AS	16-Feb-24	order	Re-Constitution of Expert Committee on Implementation of Ind AS/ IFRS in Insurance sector
45	IRDAI/LIFE/CIR/MISC/41/2/2024	LIFE	16-Feb-24	CIRCULAR	Modifications to the Mater Circular on Unclaimed Amounts of Policyholders dated 17th November 2020
46	IRDAI/INT/ORD/MISC/47/2/2024	INTERMEDEIARY	29-Feb-24	ORDER	Appointment of Election Officer to conduct 14th Council Election of IISLA
47	IRDAI/PP&GR/CIR/MISC/55/3/2024	POLICYHOLDERS' PROTECTION AND GRIEVANCE REDRESSAL	28-Mar-24	CIRCULAR	Servicing to the policyholders - special measure for the current FY 2023-24

Annexure 5

REGULATIONS FRAMED UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 AND IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2024

S.NO	Name of the Regulation
1	IRDA (The Insurance Advisory Committee) (Meeting) Regulations, 2000
2	IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000
3	IRDA (Actuarial Report and Abstract) Regulations,2000
4	IRDA (Licensing of Insurance Agents) Regulations, 2000
5	IRDA (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Insurers) Regulations,2000
6	IRDA (General Insurance-Reinsurance) Regulations,2000
7	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations,2000
8	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations,2000
9	IRDA (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations,2000
10	IRDA (Meetings) Regulations,2000
11	IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2000
12	IRDA (Investment) Regulations,2000
13	IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) Regulations,2000
14	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors-Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations,2000
15	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations,2000
16	IRDA (Investment) (Amendment) Regulations, 2001
17	IRDA (Third Party Administrators-Health Services) Regulations, 2001
18	IRDA (Re-Insurance Advisory Committee) Regulations,2001
19	IRDA (Investments) (Amendment) Regulations, 2002
20	IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002
21	IRDA (Protection of Policyholders' Interests) Regulations,2002
22	IRDA (Insurance Brokers) Regulations,2002
23	IRDA (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations,2002
24	IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations,2002
25	IRDA (Licensing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations,2002
26	IRDA (Protection of Policyholders' Interests) (Amendment) Regulations,2002
27	IRDA (Manner of Receipt of Premium) Regulations,2002
28	IRDA (Distributions of Surplus) Regulations,2002
29	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations,2003
30	IRDA (Investment)(Amendment)Regulations,2004
31	IRDA (Qualification actuary) Regulations,2004
32	IRDA (Obligations of Insurers to Rural / Social Sectors) (Amendment) Regulations, 2004
33	IRDA (Micro Insurance) Regulations,2005

REGULATIONS FRAMED UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 AND IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2024

S.NO	Name of the Regulation
34	IRDA (Conditions of Service of Officers and other Employees) (Amendment) Regulations,2005
35	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Amendment) Regulations,2005
36	IRDA (Licensing of Insurance Agents)(Amendment) Regulations, 2007
37	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2007
38	IRDA (Insurance Brokers) (Amendment) Regulations, 2007
39	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Third Amendment) Regulations,2008
40	IRDA (Obligation of Insurers to Rural or Social Sectors) (Fourth Amendment) Regulations,2008
41	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Second Amendment) Regulations,2008
42	IRDA (Conditions of service of Officers and other Employees) (Amendments) Regulations,2008
43	IRDA (Investment) (Fourth Amendment) Regulations,2008
44	IRDA (Sharing of Database for Distribution of Insurance Products) Regulations,2010
45	IRDA (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations,2010
46	IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2010
47	IRDA (Licensing of Corporate Agents) (Amendment) Regulations, 2010
48	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) 2011
49	IRDA (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011
50	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Third Amendment) Regulations,2012
51	IRDA (Insurance Advisory Committee (Meetings) (First Amendment) Regulations. 2012
52	IRDA (Sharing of confidential information concerning domestic or foreign entity) Regulations, 2012
53	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Fourth Amendment) Regulations, 2013
54	IRDA (Appointed Actuary) (First Amendment) Regulations, 2013
55	IRDA (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013
56	IRDA (Insurance Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013
57	IRDA (Scheme of Amalgamation and Transfer of Life Insurance Business) Regulations, 2013
58	IRDA (Third Party Administrator-Health Services) (First Amendment) Regulations, 2013
59	IRDA (Standard Proposal Form for Life Insurance) Regulations, 2013
60	IRDA (Places of Business) Regulations, 2013
61	IRDA (Issuance of Capital by General Insurance Companies) Regulations, 2013
62	IRDA (Non-linked Insurance Products) Regulations, 2013
63	IRDA (Health Insurance) Regulations, 2013
64	IRDA (Linked Insurance Products) Regulations, 2013
65	IRDA (Investment) (Fifth Amendment) Regulations, 2013
66	IRDA (Life Insurance - Reinsurance) Regulations, 2013
67	IRDA (Insurance Surveyors and Loss Assessors - Licensing, Professional requirements and code of conduct) (Amendment) Regulations,2013
68	IRDA (Licensing of Banks as Insurance Brokers) Regulations, 2013
69	IRDA (Web aggregators) Regulations,2013
70	IRDA (Meetings) (First Amendment) Regulations, 2013

REGULATIONS FRAMED UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 AND IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2024

S.NO	Name of the Regulation
71	IRDA IAC (Meetings) (Second Amendment) Regulations, 2013
72	IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013
73	IRDA (TPA-Health Services) (Second Amendment) Regulations, 2013
74	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies)(Fifth Amendment) Regulations, 2013
75	IRDA (Licencing of Insurance Agents) (Amendment) Regulations 2013
76	IRDA(Insurance Surveyors and Loss Assessors- Licensing, Professional requirements and code of conduct) (Second Amendment) Regulations,2013
77	IRDA (Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Third Amendment) Regulations, 2014
78	IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) (Sixth Amendment) Regulations, 2014
79	IRDA (Health Insurance) (First Amendment) Regulations, 2014
80	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015
81	IRDAI (Micro Insurance) Regulations, 2015
82	IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015
83	IRDAI (Fee for registering, cancellation or change of Nomination) Regulations, 2015
84	IRDAI (Fee for granting written acknowledgement of the receipt of Notice of Assignment or Transfer) Regulations, 2015
85	IRDAI (Obligation of Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations,2015
86	IRDAI (Places of Business) Regulations, 2015
87	IRDAI (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015
88	IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015
89	IRDAI (Obligations of Insurers to Rural and Social sectors) Regulations, 2015
90	IRDAI (Minimum Limits for Annuities and other Benefits) Regulations, 2015
91	IRDAI (Acquisition of Surrender and Paid up values) Regulations, 2015
92	IRDAI (Insurance Services by Common Service Centres) Regulations, 2015
93	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) Regulations, 2015.
94	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015
95	IRDAI(Insurance Advertisements and Disclosure) (Amendment) Regulations, 2015
96	IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations, 2015
97	IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance business) Regulations, 2015
98	IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015
99	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (First Amendment) Regulations, 2016
100	IRDAI (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015
101	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) (Seventh Amendment) Regulations, 2016

REGULATIONS FRAMED UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 AND IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2024

S.NO	Name of the Regulation
102	IRDAI (Lloyd's India) Regulations, 2016
103	IRDAI (TPA- Health Services) Regulations, 2016
104	IRDAI (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016
105	IRDAI (Qualification of Actuary) (Repeal) Regulations, 2016
106	IRDAI (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016
107	IRDAI (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
108	IRDAI (Appointment of Insurance Agents) Regulations, 2016
109	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2016
110	IRDAI (Loans or Temporary advances to the Full-time Employees of the Insurers) Regulations, 2016
111	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2016
112	IRDAI (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2016
113	IRDAI (Issuance of e-Insurance Policies) Regulations, 2016
114	IRDAI (Health Insurance) Regulations, 2016
115	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) (Eighth Amendment) Regulations, 2016
116	IRDAI Staff (Officers and Other Employees) Regulations, 2016
117	IRDAI (Investment) Regulations, 2016
118	IRDAI (Issuance of e-insurance policies) (First Amendment) Regulations, 2016
119	IRDAI (Registration and Operations of Branch Offices of Foreign Reinsurers other than Lloyd's) (Second Amendment) Regulations, 2016
120	IRDAI (Payment of Commission or Remuneration or Reward to Insurance Agents and Insurance Intermediaries) Regulations, 2016
121	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) (First Amendment) Regulations, 2016
122	IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) (First Amendment) Regulations, 2017
123	IRDAI(Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017
124	IRDAI(Outsourcing of Activities by Indian Insurers) Regulations, 2017
125	IRDAI(Appointed Actuary) Regulations, 2017
126	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (First Amendment) Regulations, 2017
127	IRDAI(Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017
128	IRDAI (Payment of commission or remuneration or reward to insurance agents and insurance intermediaries) (Second Amendment) Regulations, 2017
129	IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018
130	IRDAI(Standard proposal form for Life Insurers) (Repeal) Regulations, 2018
131	IRDAI (Re-Insurance) Regulations, 2018
132	IRDAI (Insurance Brokers) (First Amendment) Regulations, 2018
133	IRDAI (Appointed Actuary) (Amendment) Regulations, 2019

REGULATIONS FRAMED UNDER THE INSURANCE ACT, 1938 AND IRDA ACT, 1999 UP TO MARCH 31, 2024

S.NO	Name of the Regulation
134	IRDAI (Unit Linked Insurance Products) Regulations, 2019
135	IRDAI (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019
136	IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) (Amendment) Regulations, 2019
137	IRDAI (Re-insurance Advisory Committee) Regulations, 2019
138	IRDAI (Regulatory Sandbox) Regulations, 2019
139	IRDAI (Common Public Services Centers) Regulations, 2019
140	IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2019
141	IRDAI (Health Insurance) (Amendment) Regulations, 2019
142	IRDAI (Third Party Administrators - Health Services) (Amendment) Regulations, 2019
143	IRDAI (Minimum Information Required for Investigation and Inspection) Regulations, 2020
144	IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) (Amendment) Regulations, 2020
145	IRDAI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021
146	IRDAI (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2021
147	IRDAI (Manner of Assessment of Compensation to Shareholders or Members on Amalgamation) Regulations, 2021
148	IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) (First Amendment) Regulations, 2021
149	IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021
150	IRDAI(Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) (Amendment) Regulations, 2022
151	IRDAI(Appointed Actuary) Regulations 2022
152	IRDAI(Assets Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations 2022
153	IRDAI (Other Forms of Capital) Regulations
154	IRDAI(Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations 2022
155	IRDAI (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2022
156	IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2022
157	IRDAI(Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance business) Regulations, 2023
158	IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting life insurance business) Regulations, 2023
159	IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023
160	IRDAI (Re-insurance) (Amendment) Regulations, 2023
161	IRDAI (Expenses of Management, including Commission, of Insurers) Regulations, 2024
162	IRDAI (Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations) Regulations, 2024
163	IRDAI (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024
164	IRDAI (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024
165	IRDAI (Corporate Governance for Insurers) Regulations, 2024
166	IRDAI (Insurance Products) Regulations, 2024
167	IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024
168	IRDAI (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024
169	IRDAI (Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers) Regulations, 2024

Note: Notified in the Gazette of India
^^ status as on 31st March, 2024

Annexure 6

LIST OF MICRO INSURANCE PRODUCTS OFFERED BY LIFE INSURERS
(As at 31st March, 2024)

SL.No.	Insurer	Individual Micro Product	Group Micro Product
1	Life Insurance Corporation of India	LIC'S BHAGYA LAKSHMI	LIC's One Year Renewable Group Micro
		LIC'S New Jeevan Mangal	Term Assurance Plan
		LIC'S MICRO BACHAT	
2	Acko Life Insurance Co. Ltd.		Acko Life Group Credit Protect
3	Aditya Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.		ABSLI Group Bima Yojana
4	Bandhan Life Insurance Co. Ltd.		Aegon Life Group Micro Insurance Plan
			Aegon Life Group Care Micro Insurance Plan
5	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.		Ageas Federal Group Microsurance Plan II
6	Aviva Life Insurance Co. India Ltd.		Aviva Group Micro Insurance Plan
7	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.		Bajaj Allianz Life Group Sampoorna Jeevan Suraksha
			Bajaj Allianz Life Group Sampoorna Suraksha Kavach
8	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	Bharti AXA Life Grameen Jeevan Bima	Bharti AXA Life Group Term Micro Insurance Plan
9	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.		Canara HSBC Life Insurance Sampoorna Kavach Plan
10	CreditAccess Life Insurance Co. Ltd.	CreditAccess Sanrakshan Sukshm	CreditAccess Raksha Kavach Sukshm
			CreditAccess Suraksha Sukshm
			CreditAccess Nitya Sanchay (Micro-Insurance Product)
			CreditAccess Group Sanrakshan Sukshm
11	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	Edelweiss Life – Raksha Kavach	Edelweiss Life – Gramin Bima
			Edelweiss Life – Jan Suraksha
12	Go Digit Life Insurance Co. Ltd.		Digit Life Group Micro Term Insurance
13	HDFC Life Insurance Co. Ltd.		HDFC Life Group Jeevan Suraksha
			HDFC Life Group Suraksha
			HDFC Life Group Micro Term Insurance
14	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	ICICI Pru Sarv Jana Suraksha	ICICI Pru Shubh Raksha Credit
		ICICI Pru Anmol Bachat	ICICI Pru Shubh Raksha One
			ICICI Pru Shubh Raksha Life
15	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	IndiaFirst Life Micro Bachat Plan	IndiaFirst Life Group HospiCare Plan
		IndiaFirst Life "INSURANCE KHATA" Plan	IndiaFirst Life Group Micro Insurance Plan
16	Kotak Mahindra Life Insurance Ltd.	Kotak Sampoorn Bima Micro-Insurance Plan	Kotak Raksha Group Micro Insurance Plan
17	MaxLife Insurance Co. Ltd.		Max Life Group Saral Suraksha Plan (Micro Insurance Product)
18	PNB Metlife India Insurance Co. Ltd.		PNB MetLife Bima Yojana
19	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.		Pramerica Life Sampoorna Suraksha
			Pramerica Life Sarv Jan Suraksha
			Pramerica Life Sarv Suraksha
20	SBI Life Insurance Co. Ltd.	SBI Life - Grameen Bima	SBI Life - Grameen Super Suraksha
			SBI Life - Group Micro Shield - SP
			SBI Life - Group Micro Shield
21	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	Shriram Grameena Suraksha	Shriram Jan Sahay
			Shriram Life Sujana
22	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	Tata AIA life insurance Saath Saath	Tata AIA Life Insurance Grouo Micro Raksha Supreme
		Tata AIA Life insurance POS Saath Saath	
		Tata AIA Bharat Suraksha Cover Micro Insurance Plan	

NUMBER OF PRODUCTS AND RIDERS DURING 2023-24

S. No.	Name of Insurer	No. of Products / Riders	
		File & Use	Use & File
1	Life Insurance Corporation of India	4	9
2	Acko Life Insurance Limited	0	6
3	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	3	33
4	Bandhan Life Insurance Co. Ltd	1	5
5	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	3	11
6	Aviva Life Insurance Co. India Ltd.	1	22
7	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	5	60
8	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	2	4
9	Canara HSBC Life Insurance Co. Ltd.	2	9
10	CreditAccess Life Insurance Limited	1	7
11	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	3	34
12	Future Generali India Life Ins. Co. Ltd.	1	6
13	Go Digit Life Insurance Limited	1	4
14	HDFC Life Insurance Co. Limited	2	58
15	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	3	49
16	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	2	17
17	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd	1	61
18	Max Life Insurance Co. Ltd.	4	32
19	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	0	13
20	Pramerica Life Insurance Limited	4	10
21	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd	1	3
22	SBI Life Insurance Co. Ltd.	0	16
23	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	1	11
24	Star Union Dai-ichi Life Ins. Co. Ltd.	3	16
25	Tata AIA Life Insurance Co. Ltd.	3	77
	Total	**51**	**573**

S. No.	Name of Insurer	No. of Products and Additions	
		Gen. Ins.	Health Ins.
	PUBLIC SECTOR		
1	National Insurance Co. Ltd	28	8
2	The New India Assurance Co. Ltd	63	11
3	The Oriental Insurance Co. Ltd	10	2
4	United India Insurance Co. Ltd	22	3
	PRIVATE SECTOR		
1	Acko General Insurance Co. Ltd	11	3
2	Bajaj Allianz General Ins. Co. Ltd	10	12
3	Cholamandalam MS Gen. Ins. Co. Ltd	79	5
4	Future Generali India Ins. Co. Ltd	53	7
5	Go Digit General Insurance Co. Ltd	38	9
6	HDFC ERGO General Ins. Co. Ltd	20	8
7	ICICI Lombard General Ins. Co. Ltd	24	8
8	IFFCO Tokio General Ins. Co. Ltd	33	6
9	Kotak Mahindra General Ins. Co. Ltd	9	6
10	Kshema General Insurance Co. Limited	15	0
11	Liberty General Insurance Ltd	4	4
12	Magma HDI General Insurance Co. Ltd	9	1
13	NAVI General Ins. Ltd	-	2
14	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd	5	1
15	Reliance General Insurance Co. Ltd	1	1
16	Royal Sundaram General Ins. Co. Ltd	17	15
17	SBI General General insurance Co. Ltd	22	5
18	Shriram General General Ins. Co. Ltd	6	19
19	TATA AIG General Insurance Co. Ltd	23	11
20	Universal Sompo General Ins. Co. Ltd	153	7
21	Zuno General Insurance Co. Ltd	6	0
	SPECIALISED INSURERS (Public Sector)		
1	Agriculture Insurance Co. of India Ltd	3	-
2	ECGC Ltd.	-	-
	STANDALONE HEALTH INSURERS (PRIVATE SECTOR)		
1	Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.	-	5
2	Care Health Insurance Co. Ltd	-	7
3	Galaxy Health and Allied Ins. Co. Ltd.	-	-
4	Manipal Cigna Health Ins. Co. Ltd.	-	4
5	Narayana Health Insurance Co. Ltd	-	-
6	Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd.	-	11
7	Star Health and Allied Ins. Co. Ltd.	-	2
	Total	**664**	**183**

Annexure 8

FEE STRUCTURE FOR INSURERS AND INTERMEDIARIES AND FEES COLLECTED IN 2023-24

S. No.	Insurer	Processing Fee	Registration Fee (₹)	Renewal Fee	Periodicity of Renewal	Total Fee Collected (in ₹)
1	Life/General/Health	-	5,00,000	1/20th of 1% of Gross Direct Premium written in India subject to a minimum of Rs 10,00,000 and maximum of Rs 10 Crore	Every year (by January 31)	2,05,60,98,764
2	Reinsurer/FRBs	-	5,00,000	1/20th of 1% of the total premium in respect of facultative reinsurance accepted in India subject to a minimum of Rs 10,00,000 and maximum of Rs 10 Crore	Every year (by 31st January for GIC Re) Every year (by 31st December for FRBs)	
3	Service Company of Lloyds	-	50,000	50,000	"Every Year (by December 31)"	
4	Amalgamation and transfer of Gen. / Life insurance business	1/10th of 1% of Gross Direct Premium written in India by the transacting entities during the financial year preceding the financial year in which the application is filed with the Authority subject to a minimum of ₹ 50 lakh and maximum of ₹ 5 crore				
5	Third Party Administrator	1,00,000	2,00,000	1,50,000	3 years	13,77,012
6	Brokers-Direct Brokers-Reinsurance Brokers-Composite	25,000 50,000 75,000	50,000* 1,50,000* 2,50,000*	1,00,000 3,00,000 5,00,000	3 years 3 years 3 years	4,24,79,043
7	Surveyors and Loss Assessors (Individual and Corporate)	-	Individual: ₹ 1000, Corporate: ₹ 5000	i. Renewal Fee if application filed before 30 days from the date of expiry: Individual- ₹ 1000 Corporate – ₹ 5000 ii. Renewal fee if renewal application NOT filed 30 days before the date of expiry: Individual – ₹ 1100 Corporate – ₹ 5100	3 years	35,98,629

FEE STRUCTURE FOR INSURERS AND INTERMEDIARIES AND FEES COLLECTED IN 2023-24

S. No.	Insurer	Processing Fee	Registration Fee (₹)	Renewal Fee	Periodicity of Renewal	Total Fee Collected (in ₹)
				iii. Renewal fee if renewal application filed after the date of expiry of license but within six months from the date of expiry of license: Individual -₹ 1750 Corporate -₹ 5750"		
8	Corporate Agents	10,000#	i. CoR for the entity: ₹ 25000 ii. Certificate to the PO/SP/AV: ₹ 500"	CoR Renewal: ₹ 25000 Renewal of Certificate to PO/SP/AV: ₹ 500	3 Years	11,16,00,203
9	Web Aggregators	10,000	25,000	25,000	3 Years	1,75,100
10	Common Public Service Centre (CPSC)	-	10,000	2,000	3 Years	
11	Referrals	-	10,000	10,000	3 Years	10,000
12	Insurance Marketing Firm	-	5,000	2,000	3 Years	
13	Insurance Repository	10,000	1,00,000	50,000	3 Years	8,96,325
14	ISNP(Insurance Self-Network Platform)	0	10,000	-	-	7,73,800
	Total					**2,21,70,08,876**

** After grant of in-principle approval*
Non Refundable Fee
CoR- Certificate of Registration
PO- Principal Officer, SP- Specified Person & AV- Authorised Verifier

Annexure 9

PENALTIES LEVIED BY THE AUTHORITY DURING FY 2023-24

Sl. No	Name of the entity	Amount of Penalty	Date of issuance of penalty order	Brief particulars of the violation committed
1	Reliance General Insurance Co. Ltd.	₹ 2 crore	03-01-2024	i) Non-Life Insurer violated Clause-15 (5) (d) of MISP Guidelines bearing Ref. No. IRDAI/INT/GDL/MISP/202/08/2017 dated 31st October 2017 by making payments other than the distribution fee to MISP ii) Insurer violated the provisions of Reg.12 (1) & (2) of IRDAI (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015 by appointing in-house employees to assess the losses beyond Rs. 50,000/- under Motor Insurance, who did not possess the license issued by the Authority.
2	Anmol Medicare TPA Pvt. Ltd.	₹ 1 lakh	09-01-2024	TPA violated Clause-2 (s) of Schedule-II (Code of Conduct) under Regulation-23 of IRDAI (TPA-Health Services) Regulations, 2016 by granting loan to individuals other than its employees

Annexure 10 (i)

INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (IALM) – 2012-14 STANDARD RATES- MALE INSURED LIVES THAT ARE MEDICALLY UNDERWRITTEN AT INCEPTION

Age	qx (Graduated)	Age	qx (Graduated)	Age	qx (Graduated)
2	0.000915	40	0.00168	78	0.051024
3	0.00047	41	0.001815	79	0.056231
4	0.000271	42	0.001969	80	0.061985
5	0.000185	43	0.002144	81	0.068338
6	0.000152	44	0.002345	82	0.07535
7	0.000149	45	0.002579	83	0.083082
8	0.000167	46	0.002851	84	0.091601
9	0.000206	47	0.003168	85	0.100979
10	0.000265	48	0.003536	86	0.111291
11	0.000341	49	0.003958	87	0.122616
12	0.000429	50	0.004436	88	0.135037
13	0.000522	51	0.004969	89	0.148639
14	0.000614	52	0.00555	90	0.163507
15	0.000698	53	0.006174	91	0.179726
16	0.00077	54	0.006831	92	0.19738
17	0.000829	55	0.007513	93	0.216547
18	0.000874	56	0.008212	94	0.237302
19	0.000905	57	0.008925	95	0.259706
20	0.000924	58	0.009651	96	0.283813
21	0.000934	59	0.010393	97	0.309659
22	0.000937	60	0.011162	98	0.337265
23	0.000936	61	0.011969	99	0.36663
24	0.000933	62	0.012831	100	0.397733
25	0.000931	63	0.013765	101	0.430529
26	0.000931	64	0.014792	102	0.46495
27	0.000934	65	0.015932	103	0.500904
28	0.000942	66	0.017206	104	0.538278
29	0.000956	67	0.018635	105	0.576942
30	0.000977	68	0.02024	106	0.616752
31	0.001005	69	0.02204	107	0.657553
32	0.001042	70	0.024058	108	0.699191
33	0.001086	71	0.026314	109	0.741515
34	0.00114	72	0.028832	110	0.784383
35	0.001202	73	0.031638	111	0.827673
36	0.001275	74	0.034757	112	0.871285
37	0.001358	75	0.038221	113	0.915145
38	0.001453	76	0.042061	114	0.959214
39	0.00156	77	0.046316	115	1

Note:

1. Age as on Last Birthday
2. qx(Graduated) Rates are Graduated Mortality Rates

Annexure 10 (ii)

INDIAN INDIVIDUAL ANNUITANT'S MORTALITY TABLE (2012-15)
OVERALL / COMBINED MORTALITY RATES

[Within the meaning of Regulation 4 of IRDAI
(Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016]

Age	Graduated Mortality Rates	Age	Graduated Mortality Rates
20	0.000284	68	0.013447
21	0.000305	69	0.01484
22	0.000328	70	0.016393
23	0.000353	71	0.018128
24	0.000379	72	0.020067
25	0.000407	73	0.022236
26	0.000438	74	0.024662
27	0.000471	75	0.027379
28	0.000507	76	0.030422
29	0.000545	77	0.03383
30	0.000586	78	0.037651
31	0.000631	79	0.041932
32	0.000679	80	0.04673
33	0.000731	81	0.052106
34	0.000787	82	0.058127
35	0.000847	83	0.064868
36	0.000913	84	0.07241
37	0.000984	85	0.08084
38	0.001061	86	0.090252
39	0.001144	87	0.100746
40	0.001234	88	0.112428
41	0.001332	89	0.125408
42	0.001438	90	0.139798
43	0.001553	91	0.155712
44	0.001679	92	0.17326
45	0.001815	93	0.192548
46	0.001964	94	0.213673
47	0.002125	95	0.236719
48	0.002302	96	0.261749
49	0.002495	97	0.288807
50	0.002705	98	0.317906
51	0.002936	99	0.349031
52	0.003188	100	0.382129

INDIAN INDIVIDUAL ANNUITANT'S MORTALITY TABLE (2012-15)
OVERALL / COMBINED MORTALITY RATES

Age	Graduated Mortality Rates	Age	Graduated Mortality Rates
53	0.003464	101	0.417111
54	0.003768	102	0.453851
55	0.004101	103	0.49219
56	0.004468	104	0.531933
57	0.004871	105	0.572866
58	0.005316	106	0.614755
59	0.005807	107	0.657357
60	0.006349	108	0.700435
61	0.006948	109	0.743762
62	0.007612	110	0.787136
63	0.008347	111	0.830382
64	0.009163	112	0.873364
65	0.01007	113	0.915987
66	0.011077	114	0.958198
67	0.012198	115	0.99999

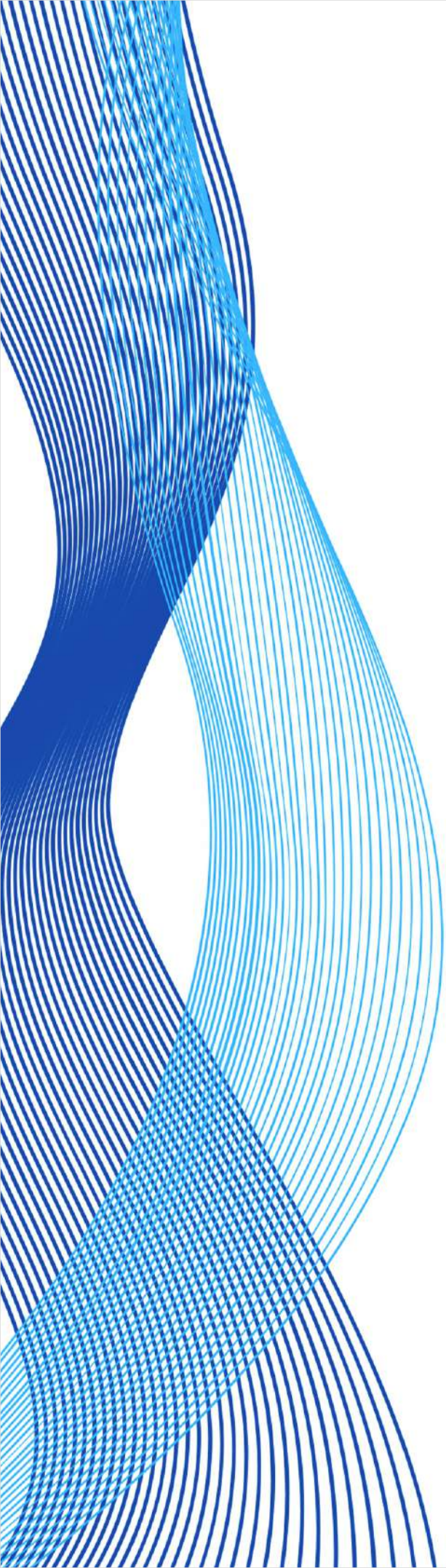
Annexure 11

TPA-WISE NETWORK AGREEMENTS

S. No.	Name of the TPA	As at March 31, 2023	Additions during 2023-24	Withdrawal / Removal during 2023-24	As at March 31, 2024
1	Anmol Medicare Insurance TPA Limited$	612	29	0	641
2	AKNA Health Insurance TPA Private Limited	0	6118	0	6118
3	Volo Health Insurance TPA Pvt. Ltd (Formerly East West Assist Ins. TPA Pvt. Ltd.)	7,435	4,761	2,887	9,309
4	Ericson Insurance TPA Private Limited	11,672	1,722	0	13,394
5	Family Health Plan Insurance TPA Limited	19,578	7,091	25	26,644
6	Genins India Insurance TPA Limited	5,817	1,917	88	7,646
7	Good Health Insurance TPA Limited	6,842	2,906	140	9,608
8	Health India Insurance TPA Services Pvt. Ltd.	12,608	3,640	328	15,920
9	Health Insurance TPA of India Limited	7,554	941	52	8,443
10	Heritage Health Insurance TPA Pvt. Ltd.	11,604	4,941	1,285	15,260
11	Link-K Insurance TPA Private Limited	0	12759	0	12759
12	MDIndia Health Insurance TPA Pvt. Ltd.	19,530	6,762	2,189	24,103
13	Medi Assist Insurance TPA Private Limited	14,301	5,451	447	19,305
14	Medsave Health Insurance TPA Limited	10,272	835	2,242	8,865
15	Paramount Health Services & Ins. TPA Pvt. Ltd.	22,257	3,106	248	25,115
16	Park Mediclaim Insurance TPA Private Limited	5,367	645	0	6,012
17	Raksha Health Insurance TPA Private Limited	9,834	2,904	169	12,569
18	Safeway Insurance TPA Private Limited	9,076	1,512	432	10,156
19	Medvantage Insurance TPA Pvt. Ltd. (Formerly known as United Health Care Parekh Insurance TPA Private Limited)#	4,875	0	0	0
20	Vidal Health Insurance TPA Private Limited	11,106	1,294	250	12,150
21	Vision Digital Insurance TPA Private Limited*	0	0	0	0
	Total Network Hospitals**	**1,90,340**	**69,334**	**10,782**	**2,44,017**

Note: "A hospital may have Health Services Agreements with more than one TPA.

1. * This TPA is not active in the current FY, ** Hospitals may have tied up with more than one TPA.
2. $ The Renewal application of CoR of Anmol Medicare Insurance TPA Limited with Registration No. 27 was rejected vide order dated 04.07.2024
3. # Medvantage Insurance TPA Private Limited (formerly known as United Health Care Parekh Insurance TPA Private Limited) is merged with Medi Assist Insurance TPA Private Ltd. effective from 13th February,2024.
4. * The CoR of Vision Digital Insurance TPA Private Limited was lapsed by virtue of the time-period and IRDAI's order dated 04.10.2021 rejecting renewal application of the TPA has been stayed by the Hon'ble High Court of Delhi in WP(C) 10379/2021. The matter is sub-judice.



प्रधान कार्यालय:
सर्वे सं. 115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगुडा,
हैदराबाद-500 032.
फोन: +91-4020204000

Head Office -
Sy No. 115/1, Financial District,
Nanakramguda,
Gachibowli,
Hyderabad – 500032
Phone- +91 - 4020204000